



मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

2023-2024



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

2023-2024



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण - 2023-24 का प्रकाशन प्रदेश की आर्थिक प्रगति को परिलक्षित करने का अवसर मात्र न होकर मध्यप्रदेश के समाजार्थिक समावेशन और इच्छित एवं लक्षित विकास की अवधारणा का भी मूल्यांकन करने का सुअवसर प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक जबकि देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे तब विकसित भारत के साथ साथ विकसित मध्यप्रदेश बनने की मनोरम संभावना इस मूल्यांकन को अधिकाधिक वास्तविकता परक एवं गहन बनाने की ओर प्रवृत्त करती है।

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के इस अंक में मध्यप्रदेश द्वारा विगत एक वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों जो प्रगति की गई है उसका विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, समाजार्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अधोसंरचना, उद्योग एवं व्यापार, सुशासन, खेल एवं युवा तथा मध्यप्रदेश में उद्भव होती सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि, सामाजिक समावेशन, महिला शक्ति, युवाओं आदि के लिए लागू की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के व्यापक दृष्टिकोण एवं विवरण को चित्रित करते हुए तथ्यों और आंकड़ों के साथ उनका विश्लेषण भी प्रदान करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में प्रदेश के विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के डाटा स्रोतों का प्रयोग किया गया है। अतः मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण - 2023-24 कई सांख्यिकीय तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की बढ़ती प्रवृत्तियों और उपलब्धियों की एक बहुआयामी तस्वीर प्रस्तुत करता है। मध्यप्रदेश में साक्ष्य परक एवं डाटा आधारित नीति निर्माण एवं विश्लेषण को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के इस अंक में यह प्रयास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग में कार्यरत पीएमयू टीम के समस्त सदस्यों द्वारा इसके प्रलेखन, सम्पादन, तथा इसकी प्रति प्रकाशित करने की यात्रा में सराहनीय कार्य किया गया है। मुझे आशा है की यह प्रकाशन राज्य के समाजार्थिक विकास में रुचि रखने वाले नीति निर्माताओं, योजनाकारों, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों को रुचिकर लगेगा एवं लाभप्रद होगा।



संजय कुमार शुक्ल

प्रमुख सचिव
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

आभारोक्ति

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण- 2023-24 में राज्य की समग्र तस्वीर दिखाई गई है, यह समग्रता इसे तैयार करने की समावेशी प्रक्रिया में निहित है। सर्वेक्षण का यह अंक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के वर्तमान का संपूर्ण विश्लेषण करके आगे बढ़ने के दर्शन से प्रेरित है, इस अंतर्दृष्टि को प्रदान करने के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। साथ ही, हम श्री जगदीश देवड़ा, माननीय उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त तथा योजना, आर्थिक एवं सांचिकी विभाग के मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति भी बहुत आभारी हैं। हम निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने इस दस्तावेज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है:

श्रीमती वीरा राणा, मुख्य सचिव, जिन्होंने विषय-वस्तु को आकार देने में अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता प्रदान की। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य सांचिकी आयोग ने दस्तावेज को आकार देने तथा पाठ को समृद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, योजना आर्थिक एवं सांचिकी, तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को उनके रचनात्मक फीडबैक, गहन अवलोकनों तथा सुझावों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए धन्यवाद, जिससे दस्तावेज की गुणवत्ता में वृद्धि हुई।

शासन के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिवों को प्रासंगिक डेटा, विभागीय अंतर्दृष्टि, विजन तथा तकनीकी पहलुओं को उपलब्ध कराने में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तकनीकी सहायता, प्रलेख का सत्यापन तथा अन्य विभागीय प्रसंस्करण में सहायता के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य सांचिकी आयोग के सदस्य प्रोफेसर दीपक सेठिया को अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपने शानदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। आर्थिक एवं सांचिकी के कर्मचारियों को उनके समन्वय, प्रूफ रीडिंग तथा प्रारूपण टीम की सहायता करने के लिए धन्यवाद।

मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की पीएमयू टीम को विभिन्न अध्यायों का प्रारूप तैयार करने तथा डेटा के शोध एवं संकलन में उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद। प्रकाशन का समय पर डिजाइन तथा मुद्रित संस्करण उपलब्ध कराने में उनके सहयोग तथा कड़ी मेहनत के लिए माध्यम डिजाइनिंग टीम को धन्यवाद। कार्य समूह को उनके प्रयासों को पूरा करने में सहायता करने वाले सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आभार है। हम अपने टीम के सदस्यों, हितधारकों और समीक्षकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने इस दस्तावेज के विकास में योगदान दिया है। आपका योगदान अमूल्य रहा है, और हम आपके सहयोग के लिए आभारी हैं।

28 जून, 2024

शिल्पा गुप्ता

आयुक्त

आर्थिक एवं सांचिकी संचालनालय

अनुक्रमणिका

	अध्याय 1	1
	आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा	1
1.1	आर्थिक उत्पादन	3
1.2	वित्तीय नींवः सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र	8
1.3	कृषि और ग्रामीण विकास	8
1.4	विकास के उत्प्रेरकः एमएसएमई, व्यापार और निवेश, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और शहरी विकास	10
1.5	समावेशी भविष्य का निर्माणः शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र	11
1.6	स्वास्थ	12
1.7	प्राकृतिक संसाधन	13
1.8	नवाचारी शासनः विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सुशासन	13
1.9	संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था	15
1.10	खेल एवं युवा कल्याण	16
	अध्याय 2	17
	सार्वजनिक वित्त	17
2.1	प्राप्तियां	20
2.2	राज्य का कर राजस्व	21
2.3	राज्य का गैर-कर राजस्व	24
2.4	केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	24
2.5	व्यय	24
2.6	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	26
2.7	राजकोषीय अनुशासन	27
	अध्याय 3	31
	बैंकिंग और वित्तीय संस्थान	31
3.1	आर्थिक विकास के लिए ऋण विस्तार	33
3.2	बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन	38
3.3	समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन	40
3.4	रोजगार में सहायता के लिए वित्तपोषण	42

	अध्याय 4	
	कृषि एवं ग्रामीण विकास	45
4.1	मौसम की स्थिति	45
4.2	फसल उत्पादन	48
4.3	कृषि विकास योजनाएँ:	54
4.4	राज्य केंद्रित नई कृषि योजनाएँ:	56
4.5	केंद्रीय योजनाएँ:	57
4.6	सूचना प्रौद्योगिकी:	59
4.7	उद्यानिकी	61
4.8	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	73
4.9	पशुपालन	79
4.10	खाद्य और नगरिक आपूर्ति:	86
4.11	मत्स्य विकास	90
4.12	ग्रामीण विकास	95
	अध्याय 5	107
	उद्योग, एमएसएमई और बुनियादी ढांचा	107
5.1.	उद्योग	110
5.2.	एमएसएमई	116
5.3.	पारंपरिक उद्योग	121
5.4.	पर्यटन	124
5.5.	अधोसंरचना	131
5.6.	संदर्भ	142
	अध्याय 6	143
	व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी	143
6.1	क्षितिज का विस्तार	145
6.2	व्यापार संवर्धन	146
6.3	निवेश संवर्धन	153
6.4	कनेक्टिविटी	155
6.5	लॉजिस्टिक्स	159

अध्याय 7	163
नगरीय विकास	
7.1. परिचय	165
7.2. नगरीय विकास के लिए योजनाएं:	165
7.3. नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल, मल प्रबंधन नीति, 2023 (मैनहोल टू मशीनहोल)	179
अध्याय 8	181
सामाजिक और आर्थिक विकास	
8.1. मध्यप्रदेश में सामाजिक क्षेत्र	184
8.2. महिलाओं की स्थिति में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन	186
8.2.3. स्वयं सहायता समूह: महिलाओं के आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव की धुरी	189
8.3. बाल विकास और संरक्षण	194
8.4. युवा और सामाजिक परिवर्तन	197
8.5. श्रम एवं रोजगार	199
8.6. मध्यप्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास को दर्शाने वाले संकेतक	203
अध्याय 9	211
स्वास्थ्य	
9.1. स्वास्थ्य अधोसंरचना	213
9.2. आयुष्मान भारत	216
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर/स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र – ‘आरोग्यम’	216
9.3. प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम	219
9.4. गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम	226
9.5. अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम-मध्यप्रदेश संदर्भित	229
9.6. आयुष विभाग	240
अध्याय 10	243
स्कूल शिक्षा	
10.1. स्कूल शिक्षा	243
10.1.2. शाला त्याग दर	245
10.2. उच्च शिक्षा	246
10.3. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	251
	253

	अध्याय 11	
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	259
11.1.	वन	261
11.2.	जल संसाधन	270
11.3.	खनिज	278
	अध्याय 12	289
	अनुसूचित जाति विकासः आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण	289
12.1	अनुसूचित जाति विकासः आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण	292
12.2	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	299
12.3	अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	303
12.4	अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	307
12.5	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण	309
12.6	विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण	314
	अध्याय 13	317
	सुशासन	317
13.1	राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के अनुप्रयोग	320
13.2	नागरिक सेवा प्रदाय	325
13.3	कानून एवं व्यवस्था तथा विधि एवं विधायी सुधार	328
13.4	कानून व्ययस्था	330
13.5	समावेशी विकास हेतु राज्य का प्रयास - प्रतिस्पर्धी संघवाद	332
13.6	सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन	
	अध्याय 14	339
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	339
14.1	मध्यप्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र	341
14.2	नई नीतिगत पहलें	342
14.3	मध्यप्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बजटीय आवंटन	343
14.4	विज्ञान लोकप्रियकरण	344

14.5	S&T पारिस्थितिकी तंत्र के स्तंभ	345
14.6	विशिष्ट पहल	351
अध्याय 15		375
	सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था	375
15.1	सांस्कृतिक धरोहरों का अर्थव्यवस्था से संबंध	378
15.2	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	379
15.3	राज्य आनंद संस्थान के प्रयास	383
अध्याय 16		387
	खेल एवं युवा कल्याण	387
16.1	महत्वपूर्ण उपलब्धियां	390
16.2	युवा गतिविधियां	394
16.3	मध्यप्रदेश खेल अधोसंरचना	397
16.4	मध्यप्रदेश खेल नवाचार	397
16.5	मध्यप्रदेश युवा नीति 2023	397
16.6	रेड रिबन क्लब	397
16.7	राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो/NSS)	398

तालिकाओं की सूची

तालिका क्र. 2.1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक	19
तालिका क्र. 2.2: राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	21
तालिका क्र. 2.3: राजस्व प्राप्तियों की संरचना	22
तालिका क्र. 2.4: कर राजस्व	22
तालिका क्र. 2.5. राज्य का गैर-कर राजस्व	24
तालिका क्र. 2.6: मध्यप्रदेश बजट का आकार (वर्ष 2000-01 से वर्ष 2023-24)	25
तालिका क्र. 2.7: राजस्व और पूँजीगत व्यय	25
तालिका क्र. 2.8: मध्यप्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त राशि	26
तालिका क्र. 2.9: ऋण जीएसडीपी अनुपात	28
तालिका 3.1: वार्षिक साख योजना (एसीपी) क्षेत्रवार ऋण विस्तार	34
तालिका क्र. 3.2: बैंक-वार एसीपी प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2023-24	34
तालिका क्र. 3.3: शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि की तुलना देश के साथ	35
तालिका क्र. 3.4: संभाग वार कृषि-फसल ऋण और कृषि-फसल जी.वी.ए. अनुपात (2020-21)	36
तालिका क्र. 3.5: राज्य और राष्ट्रीय बैंकिंग अनुपात की तुलना	37
तालिका क्र. 3.6-क जिलावार ऋण जमा अनुपात विश्लेषण	37
तालिका 3.6 ख: सीडी अनुपात में जिलेवार वृद्धि	38
तालिका क्र. 3.7: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समेकित वित्तीय स्थिति	39
तालिका 3.8: बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए)	39
तालिका क्र. 3.9: एनपीए की क्षेत्र-वार स्थिति	40
तालिका 3.10: राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं का विस्तार (संख्या)	41
तालिका क्र. 3.11: जीएसएस की स्थिति	43
तालिका 3.12 आरआईडीएफ परियोजनाएं	44
तालिका 4.1: क्षेत्र कवरेज और बीटी कपास के वितरित पैकेट की संख्या	55

तालिका 4.2: रासायनिक उर्वरक का वितरण (लाख मीट्रिक टन में)	55
तालिका 4.3: पौध संरक्षण के तहत क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	56
तालिका 4.4 : मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता	64
तालिका 4.5: लक्ष्य और उपलब्धि का भौतिक और वित्तीय सारांश	68
तालिका 4.6: लक्ष्य और उपलब्धि का भौतिक और वित्तीय सारांश	68
तालिका 4.7: लक्ष्य और उपलब्धि का भौतिक और वित्तीय सारांश	69
तालिका 4.8: कृषि प्रशिक्षण और अवलोकन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय मापदंड	69
तालिका 4.9: विगत 05 वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति - (0869-002)	69
तालिका 4.10: पिछले 05 वर्षों की भौतिक और वित्तीय प्रगति: (0655-35-000)	70
तालिका 4.11: विभाजन और श्रेणी के अनुसार बाजार वितरण	73
तालिका 4.12: मध्यप्रदेश राज्य निर्यात डेटा (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)	76
तालिका 4.13: मध्यप्रदेश राज्य के कुल कृषि निर्यात का तुलनात्मक विवरण	76
तालिका 4.14: प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियां	81
तालिका 4.15: हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्षों की भौतिक जानकारी (राशि रूपये लाख में)	84
तालिका 4.16: हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों के लाभार्थियों की जानकारी (लक्ष्य और उपलब्धियां)।	84
तालिका 4.17: गौसेवक प्रसिक्षण की जानकारी	85
Table 4.18: उपचार एवं टीकाकरण	85
तालिका 4.19 गेहूं का उपार्जन	88
तालिका 4.20 धान का उपार्जन	88
तालिका 4.21 वार्षिक क्षमता और उपयोग डेटा: (क्षमता लाख मीट्रिक टन में)	89
तालिका 4.23: निगम द्वारा उपार्जित मात्रा और भण्डारित मात्रा (मात्रा लाख मीट्रिक टन में)	90
तालिका 4.12.3: पीएमएवाय-जी अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत एवं पूर्ण आवासों की स्थिति	98

तालिका 5.5.1 द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन (आधार वर्ष 2011-12)	112
तालिका 5.2 भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत फर्म मध्यप्रदेश में	115
तालिका 5.3 एमएसएमई विभाग की प्रमुख योजनाओं पर खर्च राशि का विवरण	120
तालिका 5.4 उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण	121
तालिका 5.5 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत हथकरघा समूहों का विवरण	123
तालिका 5.6 संत रविदास हथकरघा और हस्तशिल्प निगम की योजना और निधि आवंटन का विवरण	123
तालिका 5.7 पर्यटन विभाग से वर्षवार बजट आवंटन	128
तालिका 5.8 प्रसाद योजना के तहत मध्यप्रदेश में नई स्वीकृत परियोजनाएं	128
तालिका 5.9 नवकरणीय विद्युत की अनुमानित संभाव्यता की स्रोतवार रैंकिंग	132
तालिका 5.10 मध्यप्रदेश में विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण	135
तालिका 5.11 श्रेणीवार विद्युत उपभोक्ता गणना	136
तालिका 5.13 कछारवार विकसित रबी सिंचार्झ आवश्यकताओं का वर्षवार ब्यौरा	138
तालिका 5.14 वर्षवार विकसित सिंचार्झ क्षमता	139
तालिका 5.15 जल आपूर्ति से उत्पन्न राजस्व का सारांश	141
तालिका 6.1 वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात संवर्धन के लिए प्रमुख गतिविधियाँ	147
तालिका 6.2: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 निर्यात	149
तालिका 6.3: वित्त वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 ज़िलेवार निर्यात	150
तालिका 6.4: वित्त वर्ष 2019 से 2024 तक कार्यरत SEZ का निर्यात	151
तालिका 6.5: मध्यप्रदेश में कस्टमाइज्ड निवेश पैकेज	153
तालिका 6.6: संभावित निवेश और रोजगार गतिविधि (वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24)	154
तालिका 6.7 वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक सड़क विकास प्रगति	156
तालिका 6.8 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजमार्ग का विकास (मार्च 2024 के अनुसार)	157

तालिका 6.9 2016 से 2022 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क	159
तालिका : 7.1 योजना में निकायों की पात्रता	167
तालिका : 7.2 वर्ष 2023-2024 में वित्तीय आय/व्यय की जानकारी	169
तालिका : 7.3 राज्य के संदर्भ के लिए विवरण	172
तालिका: 7.4 अमृत 2.0 मिशन का कार्यान्वयन	174
तालिका: 7.5 पिछले 3 वर्षों में अमृत (2.0) के लिए बजट परिव्यय	174
तालिका 7.6 दीनदयाल अंत्योदय योजना अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां	177
तालिका 7.7 कायाकल्प योजना के प्रावधान	178
तालिका 7.8 कायाकल्प प्रथम चरण की प्रगति	179
तालिका 8.1: सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन	184
तालिका 8.2: महिलाओं और बच्चों के लिए बजट प्रावधान (करोड़ रुपयों में)	185
तालिका 8.3: राज्य के कुल बजट में जेंडर बजट का अनुपात	186
तालिका 8.4: एनआरएलएम बजट प्रावधान और व्यय (राशि करोड़ रुपए में)	190
तालिका 8.5: मध्यप्रदेश में सामुदायिक संस्थानों के गठन की वर्षवार स्थिति	190
तालिका 8.6: वर्षवार परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) वितरण	191
तालिका 8.7: मध्यप्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज की स्थिति	191
तालिका 8.8: मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना - योजनावार हितग्राही एवं राशि	193
तालिका 8.9: आईसीडीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या	196
तालिका 8.10: टेकहोम राशन (THR) का विवरण	196
तालिका 8.11: मध्यप्रदेश की बहुआयामी गरीबी प्रोफाइल	204
तालिका 8.12: सेंसर किए गए हेडकाउंट अनुपात में उप-संकेतक वार परिवर्तन	204
तालिका 9.1 विभागीय बजट (तीन वित्तीय वर्ष)	213
तालिका 9.2 मध्यप्रदेश में आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं	215
तालिका 9.3 सक्रिय संस्थानों की स्थिति	216

तालिका 9.4 अर्बन एचडब्ल्यूसी में सेवाओं के प्रकार	226
तालिका 9.5 कैंसर स्क्रीनिंग	228
तालिका 9.6 राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, वित्तीय उपलब्धि	237
तालिका 10.1: शिक्षा क्षेत्र का बजट आवंटन	245
तालिका 10.2: समग्र शिक्षा वित्तीय प्रगति 2023-24	245
तालिका 10.3: प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में नामांकन	246
तालिका 10.4: सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में नामांकन	246
तालिका 10.5: शाला त्याग दर	247
तालिका 10.6: उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयों (सरकारी एवं निजी) का पिछले पाँच वर्षों का विवरण	251
तालिका 10.7: तकनीकी संस्थानों की संख्या और छात्रों की संख्या	253
तालिका 11.1 मध्यप्रदेश में कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त	262
तालिका 11.2 मध्यप्रदेश में बांस का वर्धमान निधि	264
तालिका 11.3 काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	266
तालिका 11.4 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	267
तालिका 11.5 तेंदुपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन	268
तालिका 11.6 मध्यप्रदेश में भूजल संसाधन का सारांश	273
तालिका 11.7 मध्यप्रदेश में मानसून वर्षा का सारांश	275
तालिका 11.8 मध्यप्रदेश के प्रमुख जलाशयों का सारांश	277
तालिका 11.9 प्रदेश के खनिज भण्डार	281
तालिका 11.10 नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार, आंकलित भण्डार (मि.टन)	282
तालिका 11.11 प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	282
तालिका 11.12 प्रदेश में उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य	283

तालिका 11.13 योजनावार (सब स्कीम) प्रावधानों का विवरण	284
तालिका 12.0 : कमज़ोर वर्गों के लिए बजट आवंटन	292
तालिका 14.1 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)	347
तालिका 14.2 मध्यप्रदेश में दायर आईपीआर की संख्या	348
तालिका 14.3 पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या	351
तालिका 14.4 सीपीसीटी का वार्षिक समेकित परिणाम सारांश	353
तालिका 14.5 एमपी कोड पोर्टल की अद्यतन स्थिति	354
तालिका 1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित अन्य उपलब्धियां	391
तालिका 2 स्किल एकडेमी विवरण	394
तालिका 3 राष्ट्रीय सेवा योजना – विवरण	399
तालिका 4 विगत तीन वर्षों की उपलब्धियां एवं बजट पात्रता	402

चित्रों की सूची

चित्र 1.1: राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान और स्थिर (2011-12) मूल्यों पर।	4
चित्र 1.2: प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011-12) भावों पर।	5
चित्र 1.3: वित्त वर्ष 2023-24(अ.) के लिए प्रचलित भावों मप्र के जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (%)।	5
चित्र 1.4: वित्त वर्ष 2023-24 (अ.) के लिए स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (%)	6
चित्र 2.1 : ऋण-जीएसडीपी का अनुपात	27
चित्र 4. 1 वर्षा पैटर्न (मिमी)	48
चित्र 4. 2 प्रमुख अनाज फसलों का क्षेत्र आवरण (हजार हेक्टेयर)	49
चित्र 4. 3 प्रमुख अनाज फसलों का उत्पादन (हजार टन)	50
चित्र 4. 4 दलहनी फसल के तहत क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	50
चित्र 4. 5 प्रमुख दलहन का उत्पादन (हजार टन)	51
चित्र 4. 6 प्रमुख तिलहन फसलों के तहत क्षेत्र (यूनिट - हजार हेक्टेयर)	52
चित्र 4. 7 प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन (हजार टन)	53
चित्र 4. 8 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के अधीन क्षेत्र (इकाई-हजार हेक्टेयर)	53
चित्र 4. 9 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (यूनिट - हजार मीट्रिक टन)	54
चित्र 4. 10 बजट आवंटित सीआर।	79
चित्र 4. 11 मप्र में दूध, मांस और अंडे का उत्पादन	80
चित्र 5.1 कारखानों की संख्या और निश्चित पूँजी	113
चित्र 5.2 कारखानों में सकल उत्पादन और शुद्ध मूल्य वर्धन	114
चित्र 5.3 मध्यप्रदेश में पंजीकृत कंपनियों की स्थिति	115
चित्र 5.4 एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और वित्तीय सहायता योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या	117
चित्र 5.5 उद्योग संवर्धन एवं आरंभिक व्यापर विभाग, भारत सरकार (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश आधारित स्टार्टअप की वर्षावार संख्या	118
चित्र 5.6 मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) में मान्यता प्राप्त वर्षावार स्टार्टअप	119
चित्र 5.7 मध्य क्षेत्र के स्टार्टअप्स का सेक्टर-वार वितरण (स्रोत: PRABHAV-Report, 2023)	119
चित्र 5.8 मध्यप्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या	129
चित्र 5.9 पर्यटन गतिविधियों के संचालन से पर्यटन विभाग द्वारा अर्जित राजस्व	130
चित्र 5.10 मध्यप्रदेश पर्यटन संपत्तियों के लिए होटल अधिभोग दर और प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व	130
चित्र 5.11 मध्यप्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)	134

चित्र 5.13 श्रेणीवार विद्युत खपत (वर्ष 2023-24)	137
चित्र 6.1 मध्यप्रदेश का वस्तु निर्यात	148
चित्र 6.2: एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स - लैंडलॉक श्रेणी	152
चित्र 6.3 मध्यप्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह	154
चित्र 6.4 सड़क का प्रतिशत-वार वितरण	156
चित्र 6.5 मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का सैप्शॉट	158
रेखाचित्र 8.1: मध्यप्रदेश में बाल बजट आवंटन में रुझान	195
रेखाचित्र 8.2: श्रम बल भागीदारी दर (LFPR%) (15-59 आयु)	201
रेखाचित्र 8.3: मध्यप्रदेश के लिए औपचारिक रोजगार संबंधित आंकड़े	203
रेखाचित्र 8.4: 2015-16 और 2019-21 के बीच हेडकाउंट अनुपात में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार प्रतिशत बिंदु परिवर्तन	204
चित्र 9.1 एचडब्ल्यूसी/आरोग्यम में प्रयोगशाला परीक्षण और आवश्यक दवाएं	216
चित्र 9.2 पीएम-जय के लाभार्थी	217
चित्र 9.3 दो वर्षों में वितरित प्रोत्साहन राशि - (डाटा स्रोत आ. भा. कार्यालय)	218
चित्र 9.4 मध्यप्रदेश मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म (डाटा स्रोत - SRS)	219
चित्र 9.5 राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम भौतिक उपलब्धि	237
चित्र 11.1 वित्त वर्ष 2005-06, 2010-11, 2015-16, 2020-21 से 2023-24 से वन विभाग को बजट आवंटन	265
चित्र 11.2 मध्यप्रदेश एवं भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट की तुलना	273
चित्र 11.3 भूजल विकास के आधार पर म.प्र. के विकासखंडों का वर्गीकरण	274
चित्र 11.4 मई माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)	275
चित्र 11.5 नवम्बर माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)	275
चित्र 11.6 मध्य प्रदेश के जिलों में वर्षा की तुलना	276
चित्र 11.7 सामान्य वर्षा की तुलना में मानसून वर्षा, 2022	276
चित्र 11.8 FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज	277
चित्र 14.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन का बजटीय आवंटन	343
चित्र 14.2 मध्यप्रदेश में इन्क्यूबेशन सेंटर्स का घनत्व	346
चित्र 14.3 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)	347
चित्र 14.4 भारत और मध्यप्रदेश में पेटेंट फाइलिंग की तुलनात्मक प्रवृत्ति	348
चित्र 14.5 भारत और मध्यप्रदेश में डिजाइन फाइलिंग की तुलनात्मक प्रवृत्ति	349
चित्र 14.6 स्वान की फाइबर कनेक्टिविटी योजना	352
चित्र 14.7 ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग	357

संक्षेपाक्षर

<i>3D/3डी</i>	- त्रि-आयामी / श्री डायमेंशनल
<i>A / ले.</i>	- लेखा
<i>A.B.P. / ए.बी.पी.</i>	- एस्प्रिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (आकांक्षी विकास कार्यक्रम)
<i>A.C.P. / ए.सी.पी.</i>	- वार्षिक क्रेडिट योजना
<i>AB-DM / एबी-डीएम</i>	- आयुष्मान भारत - डिजिटल मिशन
<i>ABPAS / एबीपीएप्स</i>	- ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम
<i>AB-PMJAY / एबी-पीएमजे एवाय</i>	- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
<i>Agri-tech / एग्री-टेक</i>	- कृषि प्रौद्योगिकी
<i>AI / एआई</i>	- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
<i>AIC / एआईसी</i>	- अटल इनक्यूबेशन केंद्र
<i>AICTE / एआईसीटीई</i>	- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
<i>AIGGPA / ए.आइ.जी.जी.पी.ए.</i>	- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान
<i>AIM / एआईएम</i>	- अटल इनोवेशन मिशन
<i>AISHE / ए.आई.एस.एच.ई.</i>	- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
<i>ALPASS / अलपास</i>	- स्वचालित लेआउट प्रक्रिया अनुमोदन और जांच प्रणाली
<i>AMRUT / अमृत</i>	- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
<i>ANC / एएनसी</i>	- प्रसव पूर्व देखभाल
<i>ANM / एएनएम</i>	- ऑफिलरी नर्स मिडवाइफरी
<i>APL / एपीएल</i>	- गरीबी रेखा से ऊपर
<i>ASHA / आशा</i>	- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
<i>ASI / ए.एस.आई.</i>	- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
<i>ATL / एटीएल</i>	- अटल टिंकिंग लैब्स
<i>AYUSH / आयुष</i>	- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी
<i>BBMSY / बी.बी.एम.एस.वार्ड.</i>	- भगवान बिरसा मुद्रा स्वरोजगार योजना
<i>BC/ बी.सी.</i>	- बिजनेस कॉरेस्पोडेंट
<i>BCM / बीसीएम</i>	- बिलियन घन मीटर
<i>BE / ब.अ.</i>	- बजट अनुमान
<i>BEE / बीईई</i>	- ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर
<i>BHIM / भीम.</i>	- भारत इंटरफेस फॉर मनी
<i>Biotech / बायोटेक</i>	- जैव प्रौद्योगिकी
<i>BMC / बीएमसी</i>	- जैव विविधता प्रबंधन समिति

BPL / बीपीएल	-	गरीबी रेखा के नीचे
BSNL / बीएसएनएल	-	भारत संचार निगम लिमिटेड
CAGR / सी.ए.जी.आर.	-	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CAGR / सीएजीआर	-	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CB / सी.बी. / एस.सी.बी.	-	वाणिज्यिक बैंक / शेजूल कमर्शियल बैंक
CCIP / सीसीआईपी	-	निवेश संवर्धन पर कैबिनेट समिति
CD / सी.डी. अनुपात/सी.डी.आर.	-	क्रेडिट जमा अनुपात
CDF / सी.डी.एफ.	-	सहकारी विकास निधि
CDP / सीडीपी	-	क्लस्टर विकास कार्यक्रम
CGWB / सीजीडब्ल्यूबी	-	केंद्रीय भूजल बोर्ड
CHO / सीएचओ	-	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी
CII / सीआईआई	-	महत्वपूर्ण सूचना अधोसंचना / क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
CLP / सीएलपी	-	कॉम्पेन्सेटरी लैन्ड पार्सल
CMYPDP / सी.एम.वाई.पी.डी.पी	-	मुख्यमंत्री युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम
CoE / सीओई	-	उत्कृष्टता केंद्र
CPCT / सीपीसीटी	-	कंप्यूटर प्रोफिसियंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट
CRSIL / क्रिसिल	-	क्रेडिट रेटिंग इंफार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
CSC / सी.एस.सी	-	सामान्य सेवा केंद्र
CSO / सी.एस.ओ.	-	नागरिक समाज संगठन
CWC / सीडब्ल्यूसी	-	केंद्रीय जल आयोग
CWSN / सीडब्ल्यूएसएन	-	चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड
DAY-NULM /- डीएवाईएनयूएलएम	-	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
DBAAKY / डी.बी.ए. ए.के.वाई.	-	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना
DBT / डीबीटी	-	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
DCCB / डी.सी.सी.बी.	-	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
DCCC / डी.सी.सी.सी.	-	जिला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
DeGS / डी.ई.जी.एस.	-	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
DIET / डी.आई.ई.टी.	-	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों
DIPIP / डी.आई.पी.आई.पी.	-	उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग
DMIC / डी.एम.आई.सी.	-	दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा
DPIIT / डी.पी.आई.आई.टी.	-	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
DRTB / डी.आर.टी.बी.	-	झग रेजिस्ट्रेन्ट ट्यूबरक्लोसिस

DSM / डी.एस.एम.	-	डिजिटल सरफेस मॉडल
DST / डी.एस.टी.	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DTM / डी.टी.एम.	-	डिजिटल टेरेन मॉडल
DWRS / डी.डब्ल्यू.आर.एस.	-	आपदा चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली
EC / ई.सी.	-	पर्यावरण मंजूरी
EDC / ई.डी.सी.	-	उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ
EDUSAT / ई.डी.यू.एस.टी.	-	शैक्षिक उपग्रह
EGOS / ई.जी.ओ.एस.	-	सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह
EHM / ई.एच.एम.	-	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण
EMC / ई.एम.सी.	-	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर
EO / ई.ओ.	-	पृथ्वी अवलोकन (Earth Organization)
EPC / ई.पी.सी.	-	नियत संवर्धन परिषद
EPCO / E ई.पी.सी.ओ.	-	पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन
EPI / ई.पी.आई.	-	नियत तैयारी सूचकांक
ERP / ई.आर.पी	-	उद्यम संसाधन योजना
ESDM / ई.एस.डी.एम.	-	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण
FCM / एफ.सी.एम.	-	फ्रेरिक कार्बोक्सी माल्टोस
FDI / एफ.डी.आई.	-	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
FLCC / एफ.एल.सी.सी.	-	वि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम
FRL / एफ.आर.एल.	-	पूर्ण जलाशय स्तर
FRU / एफ.आर.यू.	-	प्रथम रेफरल यूनिट
G2C / जी2सी	-	गवर्नमेंट टू कंजूमर
GEPNIC / जी.ई.पी.एन.आई.सी.	-	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम
GER / जी.ई.आर.	-	सकल नामांकन दर
GGI / जी.जी.आई	-	सुशासन सूचकांक
GIS / जी.आइ.एस	-	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GIS / जी.आई.एस.	-	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GNM / जी.एन.एम.	-	जनरल नर्सिंग एवं मिह्वाइफरी
Goi / जी.ओ.आई.	-	भारत सरकार
GoMP/ जी.ओ.एम.पी.	-	म. प्र. - मध्यप्रदेश शासन
GPS / जी.पी.एस.	-	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
GSDP / जी.एस.डी.पी.	-	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GSDP / जी.एस.डी.पी.	-	राज्य घरेलू उत्पाद

GSDP / जी.एस.डी.पी.	-	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GSS / जी.एस.एस.	-	सरकार प्रायोजित योजना
GST / जी.एस.टी.	-	वस्तु एवं सेवा कर
GVA / जी.वी.ए.	-	सकल वर्धित मूल्य
HBIG / एच.बी.आई.गी.	-	हेपटाइटिस बी इम्यूनो ग्लोबुलिन
HMIS / एच.एम.आईएस	-	हेल्थ मेनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम
HRMS / एच.आर.एम.एस	-	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
HT / एच.टी.	-	हाई टेंशन
HUDCO / हुडको	-	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
HWC / एच.डब्ल्यू.सी.	-	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर
ICCC / आई.सी.सी.सी.	-	एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
ICD / आई.सी.डी.	-	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
ICRT / आई.सी.आर.टी.	-	जिम्मेदारपर्यटन के लिए राष्ट्रीय केंद्र
ICU / आई.सी.यू.	-	गहन चिकित्सा इकाई
IFA / आई.एफ.ए.	-	आयरन फोलिक एसिड
IGRS / आई.जी.आर.एस.	-	पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक
IIRS / आई.आई.आर.एस.	-	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
IIISER / आई.आई.एस.ई.आर.	-	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
IIISF / आई.आई.एस.एफ.	-	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
IIT / आई.आई.टी.	-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
IMC / आई.एम.सी.	-	इंदौर नगर निगम
IMR / आई.एम.आर.	-	शिशु मृत्यु दर
IMR / आई.एम.आर.	-	शिशु मृत्यु दर
INSAT / आई.एन.एस.ए.टी.	-	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
IoT / आई.ओ.टी.	-	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
IPDS / आई.पी.डी.एस.	-	एकीकृत विद्युत विकास योजना
IPPB / आई.पी.पी.बी.	-	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
IPR / आई.पी.आर.	-	बौद्धिक संपदा अधिकार
ISRO / इसरो	-	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
IT / आई.टी.	-	सूचना प्रौद्योगिकी
ITI / आई.टी.आई.	-	ऑद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ITCTA / आई.टी.सी.टी.ए.	-	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और यात्रा पुरस्कार
ITeS / आई.टी.ई.एस.	-	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं

IUCD / आई.यू.सी.डी.	-	अंतर्गम्भीरशयी गर्भनिरोधक उपकरण
IWMP / आई.डब्ल्यू.एम.पी.	-	एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम
IYCF / आई.वाई.सी.एफ.	-	इन्फैंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग
JSK / जे.एस.के.	-	जननी सुरक्षा योजना
JSSK / जे.एस.एस.के.	-	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
KW / के.डब्ल्यू.	-	किलो वाट
LaQshya / लक्ष्य.	-	लेबर रम क्चालिटी इम्प्रूवमेन्ट इनिशियटिव
LMS / एल.एम.एस	-	लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
LSK / एल.एस.के	-	लोक सेवा केंद्र
LT / एल.टी.	-	लो टैंशन
LUN / एलयूएन	-	लघु उद्योग निगम
LWM / एल.डब्ल्यू.एम	-	तरल अपरिष्ट प्रबंधन
MBGL / एमबीजीएल	-	भूजल स्तर से मीटर नीचे
MGNREGA / मनरेगा	-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ML / एमएल	-	मशीन लर्निंग
MMGVY / एम.एम.जी.वी.वाई.	-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विकास योजना
MMR / एम.एम.आर.	-	मातृ मृत्यु दरअनुपात
MMSY / एस.आर.एस.वाई.	-	संत रविदास स्वरोजगार योजना
MMUKY / एम.एम.यू.के.वाई.	-	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
MNCFC / एमएनसीएफसी	-	महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र
MoHUA / एमओएचयूए	-	शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय
MP SWAN / मप्र एसडब्ल्यूएएन	-	मध्यप्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
MPCST / एमपीसीएसटी	-	मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद
MPIDC / एमपीआईडीसी	-	मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम
MPMRCL / एमपीएमआरसीएल	-	मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
MPRCP / एम.पी.आर.सी.पी.	-	मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना
MPSDR / एम.पी.एस.डी.आर	-	मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट
MPSEDC / एम.पी.एस.ई.डी.सी	-	मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
MP-SEIAA / एम.पी.एस.ई.डी.ए.ए.	-	म.प्र. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
MPSPPC / एम.पी.एस.पी.पी.सी	-	मध्यप्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग
MPSRTC / एम.पी.एस.आर.टी.सी.	-	राज्य सङ्कर परिवहन निगम
MPSSDI / एम.पी.एस.डी.आई.	-	मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर

MPSTCB / एम.पी.एस.टी.सी.बी.	-	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक
MPUDC / एम.पी.यू.डी.सी.	-	मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी
MRF / एम.आर.एफ.	-	मटीरीअल रिकवरी फेसिलिटी
MSME / एम.एस.एम.ई.	-	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
MW/ मि.डब्ल्यू.	-	मेगा वाट
NABARD / नाबार्ड	-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NAS / एन.ए.एस.	-	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
NeGP / एन.ई.जी.पी	-	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान
NEP / एन.ई.पी.	-	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NFSCOB / एन.एफ.एस.सी.ओ.बी.	-	राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ
NIC / एन.आई.सी.	-	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
NMDC / एन.एम.डी.सी.	-	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
NMSH / एन.एम.एस.एच.	-	सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन
NPA / एन.पी.ए.	-	गैर-निष्पादित परिसंपत्ति
NPG / एन.पी.जी.	-	नेटवर्क योजना समूह
NVA / एन.वी.ए.	-	शुद्ध वर्धित मूल्य
NVDA / एन.वी.डी.ए.	-	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
ODF / ओ.डी.एफ.	-	खुले में शौच मुक्त (ओपन डेफेकेशन मुक्त)
ODOP / ओ.डी.ओ.पी.	-	एक जिला एक उत्पाद
PACS / पी.ए.सी.एस./ पैक्स	-	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
PCI / पी.सी.आई.	-	पेवमेंट कन्डिशन इंडेक्स
PEMT / पी.ई.एम.टी.	-	परियोजना ई-मिशन टीम
PESA / पेसा.	-	पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार
PhD / पी.एच.डी.	-	डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी
PIB / पी.आई.बी.	-	प्रेस सूचना ब्यूरो
PMAY-U / पी.एम.ए.वाई-यू	-	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी
PMEGP / पी.एम.ई.जी.पी.	-	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
PMJDY / पी.एम.जे.डी.वाई.	-	प्रधानमंत्री जन धन योजना
PMJJBY / पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	-	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
PMSBY / पी.एम.एस.बी.वाई.	-	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
PMU / पी.एम.यू.	-	परियोजना निगरानी इकाई
PoS / पी.ओ.एस.	-	पॉइंट ऑफ सेल
PSB / पी.एस.बी.	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

<i>PSL / पी.एस.एल.</i>	- प्राथमिकता क्षेत्र क्रण
<i>PSU / पी.एस.यू.</i>	- लोक सेवा उपक्रम
<i>PWD / पी.डब्ल्यू.डी.</i>	- लोक निर्माण विभाग
<i>RBI / आर.बी.आई.</i>	- भारतीय रिजर्व बैंक
<i>RDC / आर.डी.सी.</i>	- सङ्क विकास निगम
<i>RE / पु.अ.</i>	- पुनरीक्षित अनुमान
<i>RERA / रेरा.</i>	- रियल इस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी
<i>RIDF / आर.आई.डी.एफ.</i>	- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि
<i>RIOP / आर.आई.ओ.पी</i>	- रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल
<i>RMSA / आर.एम.एस.ए.</i>	- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
<i>RNTU / आर.एन.टी.यू.</i>	- रबींद्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय
<i>ROW / आर.ओ.डब्ल्यू.</i>	- राईट ऑफ वे
<i>RRB / आर.आर.बी.</i>	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
<i>RRDA / आर.आर.डी.ए.</i>	- ग्रामीण सङ्क विकास प्राधिकरण
<i>RS / आर.ए.स.</i>	- रिमोट सेंसिंग
<i>RUSA / रूसा.</i>	- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
<i>S&T / एस.एंड.टी.</i>	- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
<i>S.W.A.N / एस.डब्ल्यू.ए.एन.</i>	- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
<i>SAR / एस.ए.आर.</i>	- सिंथेटिक एपर्चर रडार
<i>SBM / एस.बी.एम.</i>	- स्वच्छ भारत मिशन
<i>SC / एस.सी.</i>	- अनुसूचित जाति
<i>SCCC / एस.सी.सी.सी.</i>	- राज्य कमांड और कण्ट्रोल सेंटर
<i>SCD / एस.सी.डी.</i>	- एकल नागरिक डेटाबेस
<i>SDC / एस.डी.सी.</i>	- स्टेट डेटा सेंटर
<i>SDC / एस.डी.सी.</i>	- राज्य डेटा सेंटर
<i>SDERF / एस.डी.ई.आर.एफ.</i>	- राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल
<i>SDSWAN / एस.डी. एस.डब्ल्यू.ए.एन.</i>	- सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
<i>SDWAN / एस.डी.डब्ल्यू.ए.एन.</i>	- सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क
<i>SEAC / एस.ई.ए.सी.</i>	- राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
<i>SEMT / एस.ई.एम.टी.</i>	- राज्य ई-मिशन टीम
<i>SEZ / एस.ई.जेड.</i>	- विशेष आर्थिक क्षेत्र
<i>SFB / एस.एफ.बी.</i>	- लघु वित्त बैंक

<i>SHG</i> / एस.एच.जी.	- स्वयं सहायता समूह
<i>SIRD</i> / एस.आई.आर.डी.	- राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
<i>SISDP</i> / एस.आई.एस.डी.पी.	- विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता
<i>SLA</i> / एस.एल.ए.	- राज्य स्तरीय एजेंसी
<i>SLBC</i> / एस.एल.बी.सी.	- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
<i>SPD</i> / एस.पी.डी.	- राज्य परियोजना विभाग
<i>SPV</i> / एस.पी.वी.	- विशेष प्रयोजन वाहन
<i>SRDH</i> / एस.आर.डी.एच.	- स्टेट रेजिडेंट डेटा हब
<i>SSA</i> / एस.एस.ए.	- उप सेवा क्षेत्र
<i>SSA</i> / एस.एस.ए.	- सर्व शिक्षा अभियान
<i>ST</i> / एसटी	- अनुसूचित जनजाति
<i>STCCS</i> / एस.टी.सी.सी.एस.	- अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना
<i>STI</i> / एस.टी.आई.	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार
<i>SWM</i> / एस.डब्ल्यू.एम	- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
<i>T&CP</i> / टी.एंड.सी.पी.	- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
<i>TCU</i> / टी.सी.य	- प्रशिक्षण सहयोग इकाई
<i>TCU</i> / टी.सी.यू.	- प्रशिक्षण सहयोग इकाई
<i>Tech</i> / टेक.	- टेक्नोलॉजी
<i>TMAKY</i> / टी.एम.ए.के.वाई.	- टंत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
<i>TPS</i> / टी.पी.सी.	- व्यापार संवर्धन परिषद
<i>TULIP</i> / ट्यूलिप	- शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम
<i>UADD</i> / यू.ए.डी.डी.	- नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
<i>UAV</i> / यू.ए.वी.	- मानव रहित हवाई वाहन
<i>UDHD</i> / यू.डी.एच.डी.	- नगरीय विकास एवं आवास विभाग
<i>UIDAI</i> / यू.आई.डी.ए.आई.	- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
<i>ULB</i> / यू.एल.बी.	- नगरीय निकाय
<i>UNESCAP</i> / यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.	- एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग
<i>UNESCAP</i> / यू.डी.आई.एस.ई.	- यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
<i>VBSR</i> / वी.बी.एस.आर.	- वल्लभ भवन सिद्धार्थन रूम
<i>VLI</i> / वी.एल.ई	- वर्चुअल लर्निंग-आधारित ई-लर्निंग
<i>WCR</i> / डब्ल्यू.सी.आर.	- पश्चिम मध्य रेलवे
<i>WDF</i> / डब्ल्यू.डी.एफ.	- वाटरशेड विकास निधि
<i>WRD</i> / डब्ल्यू.आर.डी.	- जल संसाधन विभाग

अध्याय 1

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

अध्याय -1

आर्थिक स्थिति- एक समीक्षा

1.1 आर्थिक उत्पादन

मध्यप्रदेश, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन किया है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के मेट्रिक्स से स्पष्ट होता है, जो राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति और विकास प्रक्षेपवक्र का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।


1.1.1 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) राज्य के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है, जिसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, मध्यप्रदेश का प्रचलित भावों पर GSDP प्रभावशाली 13,63,327 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है, इसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य दोनों की वृद्धि को ध्यान में रखा गया ह। पिछले वित्तीय वर्ष के GSDP 12,46,471 करोड़ रुपये से लगभग 9.37% की वृद्धि दर राज्य के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को उजागर करती है, जिसे कृषि, उद्योग और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों द्वारा संचालित किया गया है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभावों को भी समाहित करती है, इस से यह भी स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था न केवल मात्रा अपितु मूल्य के संदर्भ में भी बढ़ रही है।

इसके विपरीत, स्थिर (2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) मुद्रास्फीति के समायोजन द्वारा वास्तविक आर्थिक वृद्धि का एक सटीक माप प्रदान करता है। यह समायोजन बदलते मूल्य स्तरों के प्रभावों के बिना आर्थिक उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हुए समय के साथ स्पष्ट तुलना की अनुमति देता है। वर्ष 2023-24 के लिए, स्थिर भावों पर GSDP 6,60,363 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के 6,22,908 करोड़ रुपये से अधिक है। यह लगभग 6.01% की वास्तविक वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थिर और सतत आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। स्थिर भावों के उपयोग से पता चलता है कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था न केवल बढ़ रही है बल्कि उत्पादन और सेवाओं में वास्तविक लाभ भी प्राप्त कर रही है, जो आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में अंतर्निहित मजबूती का संकेत देती है।

इस आर्थिक प्रदर्शन में कई कारक योगदान देते हैं। कृषि, उद्योग और सेवाओं से महत्वपूर्ण योगदान के साथ राज्य का विविध आर्थिक आधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में उन्नति, औद्योगिक विकास, और विशेष रूप से आईटी और पर्यटन में बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र, सामूहिक रूप से राज्य के आर्थिक विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं।

विभिन्न वर्षों के प्रचलित और स्थिर भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को नीचे दिये गए चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है:




चित्र 1.1: राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011-12) मूल्यों पर।

(प्रा.) प्रावधिक अनुमान (त्व.): त्वरित अनुमान (अ.): अग्रिम अनुमान

1.1.2 प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राज्य के आर्थिक विकास और समृद्धि की एक सशक्त कहानी प्रस्तुत करती है। इस अवधि में, प्रति व्यक्ति NSDP में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। प्रचलित भावों पर, प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,42,565 रुपये हो गयी, यह लगभग चार गुना की वृद्धि है। मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद स्थिर (2011-12) भावों पर भी, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 66,441 रुपये हो गयी। यह वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभावों से परे वास्तविक आर्थिक प्रगति को इंगित करती है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के तुलनात्मक आँकड़े मध्यप्रदेश में आर्थिक समृद्धि के प्रक्षेप वक्र को निरंतर ऊपर की ओर बढ़ना रेखांकित करते हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 (त्व.) और वित्तीय वर्ष 2023-24 (अ.) के बीच, प्रचलित और स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में निरंतर वृद्धि हुई, जो सतत आर्थिक गति का संकेत देती है। यह वृद्धि इस अवधि में आय और आर्थिक उत्पादन में पर्याप्त और निरंतर वृद्धि के कारण मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को उजागर करती है।




चित्र 1.2: प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर (2011-12) मूल्यों पर।

(प्रा.) प्रावधिक अनुमान (त्व.): त्वरित अनुमान (अ.): अग्रिम अनुमान

1.1.3 सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में क्षेत्रीय योगदान


वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मध्यप्रदेश के जीएसवीए डेटा एक मजबूत और विकसित होती अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कृषि उत्पादकता में सकारात्मक रुझान, औद्योगिक स्थिरता और सेवा क्षेत्र राज्य के आर्थिक भविष्य की एक आशावादी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इन क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि और विविधीकरण मध्यप्रदेश की संतुलित और सतत आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नीचे दिये गये चित्र 1.3 और चित्र 1.4 क्रमशः प्रचलित और स्थिर भावों पर वित्त वर्ष 2023-24 (अ.) के लिए सकल राज्य मूल्य में क्षेत्रीय योगदान को दर्शाता गया है।

वित्त वर्ष 2023-24(अ.) के लिए वर्तमान मूल्यों पर
मप्र के जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (%)



चित्र 1.3: वित्त वर्ष 2023-24(अ.) के लिए प्रचलित भावों पर मप्र के जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (%)।

वित्त वर्ष 2023-24 (अ.) के लिए स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश के जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (%)



चित्र 1.4: वित्त वर्ष 2023-24 (अ.) के लिए स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान (%)

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र जो मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में स्थापित है में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित हुई है। इसका योगदान वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 45.53 प्रतिशत और स्थिर भावों पर वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 (अ.) में 35.82 प्रतिशत हो गया, जो एक मजबूत कृषि आधार और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के लिए प्रचलित और स्थिर भावों दोनों में मध्यप्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य के आर्थिक ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। प्रचलित भावों पर, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में 45.17% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 45.53% हो गई। यह वृद्धि फसलों (32.29% से 32.32%) और पशुधन (7.51% से 7.84%) के स्थिर योगदान से प्रेरित है, जो कृषि उत्पादकता और पशुधन विकास में वृद्धि को दर्शाती है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में भी 0.50% से 0.53% तक की वृद्धि देखी गई, जो इस उभरते क्षेत्र में सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत देती है। खनन और उत्खनन में 2.59% से 2.67% तक सुधार हुआ, जो इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को उजागर करता है।

स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक क्षेत्र ने अपने योगदान से एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाए रखी है एवं इसके द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में मजबूत वास्तविक विकास प्रदर्शित हो रहा है। पशुधन का योगदान 6.02% से बढ़कर 6.18% हो गया, और मत्स्य पालन और जलीय कृषि 0.50% से बढ़कर 0.54% हो गई है, जो इन क्षेत्रों के विकास को प्रदर्शित करती है। खनन और उत्खनन में भी 2.18% से 2.27% की वृद्धि हुई है, जो निरंतर विकास के लिए क्षेत्र की क्षमता को रेखांकित करता है। ये सकारात्मक रुझान मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास को गतिमान रखने, स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने में प्राथमिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं।

द्वितीयक क्षेत्र

द्वितीयक क्षेत्र ने मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हालांकि इसमें उतार-चढ़ाव देखा गया है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में 27.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 18.47 प्रतिशत हो गया है, जबकि स्थिर भावों पर यह वर्ष 2011-12 में 27.09 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 24.54 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए प्रचलित और स्थिर भावों दोनों में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान राज्य के आर्थिक ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रचलित भावों पर, द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में 18.93% से घटकर वर्ष 2023-24 में 18.47% हो गई। यह विनिर्माण (7.55% से 7.19%) में कमी के कारण संभावित है, जबकि विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं (3.30% से 3.26%) में भी मामूली कमी देखी गई। निर्माण क्षेत्र का योगदान 8.08% से घटकर 8.02% हो गया, जो बुनियादी ढांचे के विकास में कुछ चुनौतियों को दर्शाता है।

स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12) पर विश्लेषण करते समय, द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में आंशिक बढ़ोतरी देखी गई है। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं का योगदान 4.34% से बढ़कर 4.38% हो गया, जो इन क्षेत्रों में वास्तविक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। निर्माण क्षेत्र में 9.10% से 9.42% की वृद्धि हुई, जो बुनियादी ढांचे के विकास में संभावनाओं को उजागर करता है।

ये रुझान मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं, साथ ही इसमें सुधार और स्थिरता की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के विकास में निरंतर प्रयास और निवेश से राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना है।

तृतीयक क्षेत्र

तृतीयक क्षेत्र ने मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक स्थिर और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रचलित मूल्यों पर इसका योगदान वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 36.00 प्रतिशत हो गया है, जबकि स्थिर मूल्यों पर यह वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 39.64 प्रतिशत हुआ है, जो सेवा क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है।

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रचलित और स्थिर मूल्य दोनों में मध्यप्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में तृतीयक क्षेत्र का योगदान राज्य के आर्थिक ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। प्रचलित भावों पर, तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में 35.90% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 36.00% हो गई। यह वृद्धि व्यापार, सुधारकार्य, होटल और रेस्तरां (10.41% से 10.10%), परिवहन और मंडारण (3.23% से 3.19%), और वित्तीय सेवाओं (3.26% से 3.24%) में स्थिर योगदान से प्रेरित है। अन्य सेवाओं (6.74% से 7.17%) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो सेवा क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों और मांग का संकेत देती है।

स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12) पर विश्लेषण करते समय, तृतीयक क्षेत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनाए रखी गई, जिसमें योगदान, विशिष्ट क्षेत्रों में मजबूत वास्तविक विकास को दर्शाता है। व्यापार, सुधारकार्य, होटल और रेस्तरां का योगदान 10.89% से बढ़कर 10.95% हो गया, और अन्य सेवाएं 6.87% से बढ़कर 7.13% हो

गई, जो इन क्षेत्रों में वास्तविक विकास और सेवा क्षेत्र की मांग को प्रदर्शित करती हैं। वित्तीय सेवाओं में भी 4.28% से 4.34% की वृद्धि हुई, जो निरंतर विकास के लिए क्षेत्र की क्षमता को रेखांकित करती है।

ये सकारात्मक रुझान मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास को गतिमान रखने, स्थिरता सुनिश्चित करने और भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने में तृतीयक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं। सेवा क्षेत्र में निरंतर निवेश और सुधार से राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान की संभावना है।

1.2 वित्तीय नींवः सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 55,709 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 4.02% है। वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिकार्य राशि रुपए 413 करोड़ रहने का अनुमान है, इसे कोरोना काल की राजस्व घाटे की स्थिति से उबरने एवं एक स्थिर और मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत मान सकते हैं। वर्ष 2023-24 में बाह्य सहायता प्राप्त राशि 6,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देती है। वर्ष 2023-24 के अनुमान में कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसमें भूमि राजस्व 1,200 करोड़ रुपये, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क 10,400 करोड़ रुपये, और एसजीएसटी 32,000 करोड़ रुपये का अनुमान है। कुल राजस्व प्राप्तियां 2,25,710 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो कुल प्राप्तियों का 80.14% है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय, वर्ष 2019-2020 में 3.23% से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 3.48% होने और वर्ष 2023-2024 में बढ़कर 3.90% होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान ऋण और अग्रिम भी 0.11% से बढ़कर 0.16% होने का अनुमान है। ये आंकड़े मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिरता, निवेश की प्रवृत्तियों और वित्तीय नीतियों की सफलता को दर्शाते हैं, जो राज्य के उज्ज्वल आर्थिक भविष्य की ओर संकेत करते हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया है। सरकार द्वारा बैंकिंग सेवाओं को सुलभ एवं कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों हेतु ऋण विस्तार के प्रयास किए जा रहे, फलस्वरूप 2005-06 से 2023-24 तक कृषि ऋण में 16.4% सी.ए.जी.आर. की वृद्धि एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में 33.85% सी.ए.जी.आर. की वृद्धि हुई है। प्रदेश के निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) में क्रमशः 47,19 एवं 6 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

1.3 कृषि और ग्रामीण विकास

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, मध्यप्रदेश ने प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गयी है। अनाज के उत्पादन में 1.91% की मामूली कमी हुई, जबकि दलहन में 42.62% की वृद्धि हुई, और तिलहन में 7.32% की वृद्धि दर्ज की गयी। बागवानी फसलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, मसालों का उत्पादन 2022-23 में 52.62 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 53.59 लाख मीट्रिक टन हो गया। सब्जियों का उत्पादन 236.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 242.62 लाख मीट्रिक टन हो गया, और फलों का उत्पादन 95.10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 95.54 लाख मीट्रिक टन हो गया।

राज्य में दुग्ध उत्पादन में 5.88% की वृद्धि हुई और 2022-23 में यह 201.22 लाख टन हो गया, जबकि अंडे का उत्पादन 9.48% बढ़कर लगभग 31,850.38 लाख अंडे हो गया, और मांस का उत्पादन 9.37% बढ़कर लगभग 138.95 हजार टन हो गया। वर्ष 2023-24 में फसल क्षेत्र जीएसवीए में फसल क्षेत्र के जीएसवीए का योगदान प्रचलित भावों पर 9.10% और स्थिर भावों (2011-12) पर 1.84% की वृद्धि हुई। जबकि पशुधन क्षेत्र के जीएसवीए में योगदान प्रचलित भावों पर 13.86% और स्थिर भावों पर 8.60% की वृद्धि हुई।

प्रमुख फसलों के तहत क्षेत्रफल वर्ष 2022-23 में 30,048 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 30,246 हजार हेक्टेयर हो गया, जिसमें कुल उत्पादन 72,228 हजार टन से बढ़कर 72,371 हजार टन हो गया (द्वितीय अग्रिम के अनुसार)। वर्ष 2023-24 में धान की खेती का क्षेत्र 4.44%, मक्का का क्षेत्र 6.08%, और चना का क्षेत्र 11.29% बढ़ गया, जबकि गेहूं की खेती का क्षेत्र 5.84% घट गया। दलहन फसलों के क्षेत्रफल में विशेष रूप से 31.35% की वृद्धि देखी गई।

तिलहन फसलों जैसे सोयाबीन और सरसों के तहत क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तिलहन का क्षेत्र 4.01% और सरसों का 10.21% और सोयाबीन की खेती भी 1.76% बढ़ गई। दूसरी ओर, गने का क्षेत्र में 8.93% की कमी आई, जबकि कपास के क्षेत्र में 5.88% की वृद्धि हुई।

फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना और 'एक जिला एक उत्पाद' पहल ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे बाजरा, अरहर, चना, और गिरिन प्रकार के चावल दस जिलों में शामिल किए गए हैं।

बागवानी क्षेत्र में, मसालों का क्षेत्रफल और उत्पादन थोड़ा बढ़ा, जिसमें प्रमुख मसाले लाल मिर्च, लहसुन, धनिया, और अदरक शामिल हैं। सब्जियों का उत्पादन, विशेष रूप से आलू, प्याज, और टमाटर, भी बढ़ा है। फलों की खेती का क्षेत्र स्थिर रहा, जबकि उत्पादन में वृद्धि हुई।

मध्यप्रदेश डेयरी उत्पादन में एक प्रमुख राज्य बना हुआ है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप इसमें लगातार वृद्धि हुई है। अंडे और मांस के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग मांस उत्पादन का एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

राज्य ने विभिन्न पशुधन और पोल्ट्री विकास योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि नस्ल की गुणवत्ता और पशुधन उत्पादकता में सुधार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित तरल नाइट्रोजन संयंत्रों ने कृत्रिम गर्भाधान के प्रयासों को बढ़ाया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्तरण में प्रभावी भूमिका निभाई है। प्रमुख खाद्यान्तों जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, और बाजरा की खरीद से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है और किसानों को समर्थन मिलता है।

मछली उत्पादन में भी मजबूती प्रदर्शित हो रही है, जिसमें प्रमुख जल निकायों से महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। राज्य ने मछली बीज उत्पादन और कुल मछली उत्पादन के लक्ष्यों को पार कर लिया है। सहकारी समितियां और मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस सफलता में महत्वपूर्ण हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शून्य-ब्याज ऋण के साथ मछुआरों का समर्थन करती है।

रोजगार सृजन के प्रयासों के परिणामस्वरूप विशेष रूप से मत्स्य क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन हुआ है। बचत-एवं-राहत योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना मछुआरों को ऑफ-सीजन के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

1.4 विकास के उत्प्रेरक: एमएसएमई, व्यापार और निवेश, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और शहरी विकास

भारतीय निर्यात ने कोरोना महामारी के बाद आपूर्ति शृंखला व्यवधानों और भू-राजनीतिक गतिशीलता से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने में लचीलापन प्रदर्शित किया है। वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 में, भारत का संयुक्त व्यापारिक और सेवा निर्यात \$776.68 बिलियन तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 0.04 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है। मध्यप्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 1.8 प्रतिशत का योगदान दिया।

मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद (एमपीटीपीसी) और निर्यात प्रकोष्ठ जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 से अधिक कार्यक्रमों और पहलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव एवं जिला-केंद्रित निर्यात वृद्धि के माध्यम से, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पहल एमएसएमई, किसानों और छोटे उद्यमों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार देती है। राज्य से प्राथमिक निर्यात वस्तु फार्मस्युटिकल उत्पाद है, जिसका मूल्य 13,158 करोड़ रुपये है, जिसमें इंदौर वित्त वर्ष 2023-24 में 20,256 करोड़ रुपये के निर्यात में अग्रणी है।

मध्यप्रदेश के निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) ने पिछले वर्ष की तुलना में 55.68 के समग्र अंक के साथ सुधार दिखाया है। निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2022 में, राज्य समग्र रूप से 12वें और लैंडलॉक श्रेणी में 5वें स्थान पर है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2022 रिपोर्ट में, मध्यप्रदेश को लैंडलॉक क्लस्टर के भीतर एक फास्ट मूवर के रूप में लेबल किया गया था।

नगरीय विकास राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, और निवेश को आकर्षित करता है, जिससे राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही, यह आमजन की जीवन गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2023' में 100 से अधिक नगरीय निकायों की श्रेणी में मध्यप्रदेश को दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। राज्य को 07 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 07 शहरों को वॉटर+ और 361 को ओडीएफ++ प्रमाणन मिला है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में इंदौर को 7-स्टार और भोपाल को 5-स्टार प्रमाणन मिला है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 52 नगरीय निकायों को राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना—शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 7.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। योजना के विभिन्न घटकों के तहत कई परियोजनाएं और आवासीय इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं। राज्य को योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का दूसरा पुरस्कार और कई विशिष्ट पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा, पी.एम. स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 8.30 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

राज्य का पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन, वर्ष 2004-05 में 6,027 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 22,328 मेगावाट हुआ। वर्ष 2004 से 2024 के बीच में पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47% बढ़ोतरी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्थापित क्षमता वर्ष 2012 में 438.01 मेगावाट से बढ़कर दिसंबर-2023 में 5,462.09 मेगावाट (1,147.02%) हो गई है। राज्य देश के कुल सौर उत्पादन में 8.2% का योगदान देता है, जो देश में चौथे स्थान पर है। प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि दिल्ली मेट्रो का संचालन 750 मेगावाट रीवा मेंगा सोलर प्रोजेक्ट से उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा किया जा रहा है।

राज्य औद्योगिक क्षेत्रों और किसानों को 24 घंटे विद्युत प्रदान किया जा रहा है एवं बिजली उपलब्धता में निरंतर प्रगति के साथ, राज्य ने 26 जनवरी, 2024 को 17,614 मेगावाट की अधिकतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। पिछले 14 वर्षों में, राज्य ने प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता को 581 किलोवाट से 1,332 किलोवाट (129.26%) तक सफलतापूर्वक बढ़ाया है।

राज्य ने 41.10 लाख हेक्टेयर खेती योग्य सैंच्य क्षेत्र विकसित किया है और विभिन्न वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के रणनीतिक विकास और कार्यान्वयन के साथ 37.66 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने में सफल रहा है। राज्य ने वर्ष 2027 तक 53 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सैंच्य क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 6 जिलों के जल अभाव 9 ब्लॉकों में जल संरक्षण और भूजल में सुधार के लिए अटल बुजल योजना लागू की गई है। महत्वाकांक्षी केन - बेतवा लिंक परियोजना में कार्य प्रगति पर है, जो बुन्देलखण्ड (4.51 लाख हेक्टेयर) और बेतवा बोसिन (2.06 लाख हेक्टेयर) में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने और लगभग 41 लाख आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराएगा।

1.5 समावेशी भविष्य का निर्माण: शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र

मध्यप्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अध्याय विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक आयामों में राज्य की प्रगति का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में महिलाओं और बच्चों, युवाओं, श्रम और रोजगार, सतत विकास लक्ष्यों और बहुआयामी गरीबी सूचकांक से जुड़ी योजनाओं, उपलब्धियों आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है।

मार्च 2023 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश के 2023-24 बजट अनुमान की राशि 3,14,025 करोड़ रुपए थी, जिसमें प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट की राशि 38,375 करोड़ रुपए थी जो की कुल बजट का 12.22 प्रतिशत है। भारत सरकार के बजट अनुमान 2023-24 की राशि 45,03,097 करोड़ रुपए थी, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट की राशि 1,12,899 थी जो की कुल बजट का 2.51 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास हेतु व्यय किया जा रहा है, यह सरकार की सामाजिक विकास के प्रति गंभीरता का द्योतक है। शिक्षा क्षेत्र में आवंटित राशि का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार लाइली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके माध्यम से 1.29 करोड़ से अधिक

महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसी तरह लाडली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को उनके जीवन के हर चरण में सशक्त बनाया है। शक्ति सदन, उषा किरण योजना, महिला हेल्पलाइन जैसी पहलों ने महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद की है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जमीनी स्तर पर महिलाओं को संगठित करने से आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के अवसर मिले हैं। 99.78% ग्रामीण परिवारों को 5.03 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है। इसी तरह राज्य में बच्चों के समग्र विकास के लिए, राज्य सरकार ने बच्चों में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए 2022-23 में चाइल्ड बजटिंग शुरू की और आगे परिणामोनुखी बाल बजट को अपना रही है। पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर का ध्यान रखा जाता है। आईसीडीएस के अंतर्गत 7397 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

राज्य सरकार ने श्रम स्थितियों में सुधार, कौशल विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है। लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम (एलसीएमएस) के विकास को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लागू किया गया है। श्रमिकों से संबंधित सभी प्रकार के अर्ध-न्यायिक मामलों को नए पोर्टल के माध्यम से संभाला जा सकता है। कर्मचारी अब कार्यालय का दौरा किए बिना कियोस्क के माध्यम से मामले जमा कर सकते हैं और अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी को संशोधित और बढ़ाया गया है। मध्यप्रदेश ने गांवों में न्यूनतम मजदूरी दर की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए काम की परिस्थितियों में सुधार करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। रोजगार एक्सचेंजों पर नौकरी चाहने वालों के लाइव पंजीकरण ने वर्ष 2023-24 में कुल 33.13 लाख आवेदकों को पंजीकृत किया। प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2023-24 में 3.34 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया। नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र में चयनित व्यक्तियों की संख्या 52,846 थी।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) विकासशील और विकसित देशों में समान मानकों पर प्रगति को ट्रैक करते हैं। सरकारें, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज सतत विकास लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करते हैं। हर जगह लोगों और ग्रह पर भलाई के लिए, एसडीजी हम सभी को बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का कार्यान्वयन और सफलता देश की अपनी सतत विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और, इन क्षेत्रों में पंचायतें स्थानीय सरकारें हैं इसलिए इन लक्ष्यों का स्थानीयकरण बहुत आवश्यक है। राज्य ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश के लगभग 13.6 मिलियन लोगों को 2015-16 से 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी से उठाया गया है। राज्य ने राष्ट्र से गरीबी के बोझ को कम करने में 10% का योगदान दिया है। राज्य पिछले दो दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लागू करने में अग्रणी रहा है।

1.6 स्वास्थ

मध्यप्रदेश शासन सभी नागरिकों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में नवजात मृत्यु दर 36.9 (एनएफएचएस 4, 2015-16)

से घटकर 29.0 (एनएफएचएस 5, 2019-21) हो गई है। मध्यप्रदेश ने 1 अगस्त, 2023 को UWIN पोर्टल लॉच किया, जो नियमित टीकाकरण के कवरेज विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है और इसमें सत्र निर्माण, हितग्राही ड्यू-लिस्ट का निर्माण, आगामी ड्यू-टीकाकरण शेड्यूल, ड्रॉपआउट/लेफ्ट-आउट लाभार्थी ट्रैकिंग/ट्रैसिंग और पोस्ट-टीकाकरण प्रमाणपत्र जैसी विशेषताएं शामिल हैं। राज्य में लक्षित 13,091 एचडब्ल्यूसी में से 11,794 आरोग्यम-आयुष्मान आरोग्य मंदिर एचडब्ल्यूसी कार्यात्मक हैं, जो 90.1% है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्वयं हितग्राही द्वारा स्क्रीनिंग करने हेतु “मनहित” अपनी तरह का देश में प्रथम एप (हिंदी भाषा में) है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य शाखा द्वारा अभिनव प्रयोग के तहत जनवरी 2024 में लॉच किया गया है। मध्यप्रदेश 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य रहा है।

1.7 प्राकृतिक संसाधन

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। सतना और सीधी स्थित एफ.पी.ओ द्वारा अम्लई पेपर मिल, शहडोल को 983.34 टन बांस की सप्लाई से स्थानीय कृषकों को लाभ हुआ है। प्रदेश में 32 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना के तहत 126 वन धन केंद्रों में 37,800 सदस्य पंजीकृत हैं। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी वर्गों के लिए 198 पीवीटीजी वन धन केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य में से 57 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। एक दिवसीय राष्ट्रीय महुआ कान्क्लेव का आयोजन भोपाल में किया गया और प्रदेश के 7 जिलों के 8 जिला यूनियनों में 78,519.62 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, 2 फरवरी 2024 को सिरपुर, इंदौर में विश्व वेटलैंड्स दिवस-2024 का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तवा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ई-खनिज पोर्टल 2.0 का विकास और उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन और राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

1.8 नवाचारी शासन: विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं सुशासन

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रमुख प्रगति और पहलों पर प्रकाश डालता है, जो तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में नीति संवर्द्धन, जैसे "मध्यप्रदेश 2023 में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की सुविधा के लिए नीति," दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए टॉवर नीति 2019 पर आधारित है, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त, ITeS और ESDM निवेश संवर्धन नीति 2023 का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और IT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में 2019-20 में ₹70.97 करोड़ से 2023-24 में ₹343.04 करोड़ की पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो 383.3% की वृद्धि को दर्शाता है। आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर के सहयोग से भोपाल में एक नया विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, जबकि एमपीसीएसटी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य नवाचार कोष स्थापित करना है।

मध्यप्रदेश ने छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें राज्य में 601 अटल टिंकिंग लैब (एटीएल) स्थापित किए गए हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों में 271 और निजी स्कूलों में 330 शामिल हैं। मार्च 2024 तक राज्य में इन्क्यूबेटरों की संख्या 32 से बढ़कर 68 हो गई, जिसमें चार अटल इनक्यूबेशन सेंटर शामिल हैं, जो मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करके मध्यप्रदेश के शहरों में उद्यमियों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

राज्य में 4,237 डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है, जिसमें 1,988 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप शामिल हैं, जो एक जीवंत और बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश ने पेटेंट फाइलिंग में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, जिसमें 27.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर और डिजाइन फाइलिंग में 48.05% की वृद्धि हुई है। राज्य को 2022-23 में अपने उत्पादों के लिये नौ जीआईटैग प्राप्त हुए, जो इसकी अभिनव प्रगति को और उजागर करते हैं।

मध्यप्रदेश में 29 केंद्र सरकार के संस्थानों, 8 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 64 राज्य सरकार के संस्थानों, 33 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 81 विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), 10 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ), 30 डीएसआईआर पंजीकृत निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, और 36 सीएमआईई डेटाबेस निजी क्षेत्र इकाइयों सहित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क होस्ट करता है।

पीएचडी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पीएचडी नामांकन में 97% की वृद्धि और पिछले पांच वर्षों में स्नातकोत्तर नामांकन में 113.7% की वृद्धि हुई है, जो अनुसंधान-उन्मुख शिक्षा पर बढ़ते फोकस का संकेत देती है। ये विशेषताएं आर्थिक विकास और नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश के समर्पण को प्रदर्शित करती हैं।

राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए:

- साइबर तहसील :** ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। जून 2022 में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में लागू किया गया था।
- साइबर तहसील का अभिनव दृष्टिकोण भूमि खरीद के बाद भूमि रिकॉर्ड अपडेट और उत्परिवर्तन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, जिससे आवेदकों के लिए कई टचप्याइंट की आवश्यकता कम हो जाती है। विभिन्न प्रणालियों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं को एकीकृत करके, यह कुशल रिकॉर्ड अद्यतन, न्यूनतम भौतिक संपर्क और उत्परिवर्तन आदेशों की शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करता है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 फरवरी 2024 को सभी जिलों में लागू की गई थी।
- राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली मध्यप्रदेश शासन की वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके माध्यम से नागरिकों को उनके मामलों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और यह विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है।
- राज्य में नागरिकों के लिए mRCMS एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से, नागरिक मामले का विवरण, मामले की

सुनवाई की तारीख देख सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से आदेश की एक प्रति डाउनलोड कर सकते हैं

- **CM Helpline 181 Call Center** मध्यप्रदेश सरकार 2014 से अपने नागरिकों के लिए CM हेल्पलाइन (181) का संचालन कर रही है। नागरिक सरकारी योजनाओं, शिकायतों और सुझावों की जानकारी के लिए कॉल सेंटर पर संपर्क करते हैं। सीएम हेल्पलाइन सेवाओं के तहत 2.65 करोड़ शिकायतों में से 2.57 करोड़ शिकायतों का समाधान किया गया है।
- **महिला हेल्पलाइन** - महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए, 8 मार्च, 2020 (महिला दिवस) को राज्य में महिला हेल्पलाइन शुरू की गई थी। इसे सीएम हेल्पलाइन (181) से जोड़ा गया है। अब तक प्राप्त 65866 शिकायतों में से 60793 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।
- मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) आईटी/आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के लिए आईटी पार्क, ईएमसी, स्वान, एसडीसी, परिचय, ई-ऑफिस और आधार जैसी विभिन्न चल रही आईटी परियोजनाओं को भी लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी विभागों के लिए निर्बाध, रखरखाव-मुक्त सेवाएं सुनिश्चित करना और ई-गवर्नेंस को बढ़ाना है।

1.9 संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था

आगे बढ़ते हुए देश के लिए भारतीय दर्शन एक कारगर वैचारिक उपकरण है चाहे प्रश्न राजनीति का हो अथवा अर्थव्यवस्था का हमारी परंपरा और संस्कृति हमे यह बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का पिंड नहीं है अपितु एक आध्यात्मिक तत्व है। मध्यप्रदेश राज्य बहुभाषिक और सांस्कृतिक बहुलता का राज्य है, यही राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की पहचान भी है। मध्यप्रदेश में 21 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय समाज की है, जनजातीय संस्कृति एवं जनजातीय लोगों का आनंद का मॉडल मध्यप्रदेश को एक अलग स्थान दिलाता है। मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्मों की मान्यताओं, उनकी आध्यात्मिक विचारधाराओं और उनके पवित्र स्थानों से बनी है। प्रदेश में श्री महाकाल लोक की स्थापना के पश्चात तीर्थ यात्रियों की संख्या में हुई अभूतपूर्ण वृद्धि इस बात का परिचायक थी कि संस्कृति अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह के संस्कृति मंत्री 30 जुलाई 2020 को इतिहास में पहली बार स्थायी सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए संस्कृति को एक प्रमुख इंजन के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुए थे। प्रदेश द्वारा सांस्कृतिक विकास के माध्यम से प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पर्यटन में वृद्धि को लक्षित करते हुए कार्य किया जा रहा है।

सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र नौकरियों और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्लवन प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं।

अतः संस्कृतिक अर्थव्यवस्था में निवेश को एक मात्र व्यय न समझकर इसे एक समाजार्थिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा है। राज्य आनंद संस्थान एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के माध्यम से प्रदेश में बड़े श्री महाकाल महलोक, एकात्म धाम जैसे सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण हुआ है एवं श्री राम वनगमन पथ, श्री

रामराजा लोक, दिव्य वनवासी राम लोक, श्री देवी महालोक, संत रविदास स्मारक आदि को सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

1.10 खेल एवं युवा कल्याण

खेल और युवा कल्याण राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह न केवल स्वस्थ और कुशल जनशक्ति का निर्माण करता है, बल्कि पर्यटन और निवेश को भी आकर्षित करता है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मध्यप्रदेश में 15-29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2 करोड़ आबादी है, जो राज्य की कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा है। राज्य को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि विश्व स्तरीय खेल अकादमियों की स्थापना, खेल प्रतिभाओं की पहचान, और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। इस विभाग का उद्देश्य राज्य और देश को अधिक से अधिक पदक और सम्मान दिलाना है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जैसे खेल पुरस्कार, खेलवृत्ति, नगद पुरस्कार, और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता। भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए विदेश भेजा जा रहा है और विदेशी प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया जा रहा है। युवाओं को एचआईवी-एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए रेड रिबन क्लब संचालित किए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व और श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित की जा रही है। मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में से एक है।

अध्याय 2

सार्वजनिक वित्त

अध्याय 2

सार्वजनिक वित

सार्वजनिक वित राजस्व, व्यय, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण पर केंद्रित है। यह अध्याय मध्यप्रदेश के सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय अनुशासन का अवलोकन करता है।

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का विवरण तालिका क्र. 2.1 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2004-05 से लगातार 14 वर्षों तक राजस्व आधिक्य में रहने के बाद, प्रतिकूल आर्थिक वातावरण के कारण मध्यप्रदेश राज्य में, वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा हुआ। कोविड-19 के कारण, राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 में भी जारी रहा। परन्तु वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरते हुए पुनः राजस्व आधिक्य की स्थिति को प्राप्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान अनुसार राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी रहना संभावित है। वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार 3.50 प्रतिशत एवं भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत रूपये 7200 करोड़ की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.75 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार 3.00 प्रतिशत एवं भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत रूपये 9500 करोड़ तथा 0.5 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र को शामिल करते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.02 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। वास्तविक आँकड़े प्राप्त होने पर राजकोषीय घाटा अनुमान से कम रहने की संभावना है।

नवंबर 2020 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में, 15वें वित्त आयोग ने मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए राजकोषीय पथ का एक रोडमैप प्रदान किया था। आयोग ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा क्रमशः 3.5 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत रखने की अनुशंसा की है। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 के लिए आयोग ने जीएसडीपी की 3 प्रतिशत की सीमा की अनुशंसा की है। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में सुधार करने पर सर्वानुमानीय आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। मार्च, 2023 में प्रस्तुत मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार वर्ष 2021-22 में राजस्व आधिक्य को प्राप्त करने में सफल रही है एवं आगे आधिक्य बनाए रखने का प्रयास करेगी जिसका उपयोग पूँजीगत व्यय के लिए किया जा सकता है।

तालिका क्र. 2.1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(रूपये करोड़ में)

	वर्ष 2019-2020	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (पु.अ.)	वर्ष 2023-24 (ब.अ.)
राजस्व घाटा/आधिक्य (-/+)	(-)2801	(-)18356	+4815	+1499	+413
राजकोषीय घाटा	32970	49870	37987	47339	55709

	वर्ष 2019-2020	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (पु.अ.)	वर्ष 2023-24 (ब.अ.)
प्राथमिक घाटा	18753	33951	19542	26703	33089
GSDP के % के रूप में					
राजकोषीय घाटा	3.64	5.44	3.25	3.75	4.02
राजकोषीय घाटा का लक्ष्य	**3.99	***5.64	4.00	@ 4.07	@ 4.18
राजस्व घाटा/आधिक्य (-/+)	(-)0.31	(-)2.00	0.41	0.12	0.03
राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.63	10.87	9.92	10.12	10.02

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

* वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सकल धरेलू उत्पाद के आंकड़े म.प्र. एफ.आर.बी.एम. (FRBM) 2023-2024 रिपोर्ट के अनुसार

नोट :-- (+) अधिशेष, (-) घाटा, (पु. अ.) पुनरीक्षित अनुमान (ब. अ.) बजट अनुमान

** भारत सरकार द्वारा रूपये 4443 करोड़ अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति

*** भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. विकल्प - 1 के अंतर्गत रूपये 4542 करोड़ तथा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रूपये 1320 करोड़ अतिरिक्त ऋण

@ विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत; 7200 करोड़ वर्ष 2022-23 एवं; 9500 करोड़ वर्ष 2023-24 में प्राप्त अनुमानित ऋण

2.1 प्राप्तियाँ

राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण तालिका क्र. 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2019-20 और वर्ष 2023-24 के बीच कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 74.19 प्रतिशत से अधिक रहा है। मध्यप्रदेश में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 20 प्रतिशत रहा है, जबकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत लगभग 16 प्रतिशत रहा है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में गिरावट आई है, यह गिरावट आंशिक रूप से कोविड-19 के कारण जिसने राज्य के अपने कर संग्रह और केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी दोनों को प्रभावित किया है। वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में सुधार परिलक्षित है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में परिवर्तन वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2023-2024 तक 3.64% से बढ़कर 4.02% हो गया है, जो कोविड-19 के बाद की चुनौतियों से निपटने और महत्वाकांक्षी पूँजीगत व्यय योजना के वित्तपोषण के लिए सरकार की बढ़ी हुई उधार आवश्यकताओं को उजागर करता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों के निर्देशात्मक ऋण पथ तैयार किये गए हैं, जिसके अनुसार वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मध्यप्रदेश राज्य की कुल देयताएं निर्धारित लक्ष्य की सीमा में हैं।

तालिका क्र. 2.2: राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2019-2020	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (पु.अ.)	वर्ष 2023-24 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	147643	146376	185876	203967	225710
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	23431	52413	31123	48814	55549
अग्रिमों की वसूली	59	73	1661	42	135
नेट पब्लिक अकाउंट	8579	(-)1563	8889	358	266
आकस्मिकता निधि से निवल प्राप्तियां (असमायोजित राशि)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	179712	197299	228049	253181	281660
राजस्व प्राप्तियां					
(कुल प्राप्तियों का प्रतिशत)	82.16	74.19	81.69	80.56	80.14
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां	16.28	15.95	15.90	16.17	16.27
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	2.58	5.71	2.66	3.87	4.00
अग्रिमों की वसूली	0.01	0.01	0.14	0.00	0.01
नेट पब्लिक अकाउंट	0.95	-0.17	0.76	0.03	0.02
कुल प्राप्तियां	19.82	21.50	19.51	20.08	20.31
जीएसडीपी (राशि करोड़ में)	906672	917555	1169004	1261015	1387117

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन,

नोट-(पु अ) = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) = बजट अनुमान

2.2 राज्य का कर राजस्व

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका क्र. 2.3 में प्रदर्शित की गई है और प्रमुख कर राजस्व मदों के तहत प्राप्तियों को तालिका क्र. 2.4 में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 (पु.अ.) के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.16 % से बढ़कर 6.20% हो गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के अपने कर संग्रह में 12.79 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) में कर संग्रह 10.70 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में समाप्त होने वाले चार वर्षों में 17.61 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के दौरान यह केवल 7.57 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

तालिका क्र. 2.3: राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (पु.अ.)	सीएजीआर (%)	वर्ष 2023-24 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24)
राज्य कर	55855	54484	66308	78137	12.79	86500	10.70
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	49486	46888	69470	74543	17.61	80184	7.57
केंद्रीय अनुदान	31952	35102	34792	37488	4.82	44113	17.67

GSDP के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों की संरचना

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य कर	6.16	5.94	5.67	6.20	6.24
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	5.46	5.11	5.94	5.91	5.78
केंद्रीय अनुदान	3.52	3.83	2.98	2.97	3.18

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट - (पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) बजट अनुमान

राज्य के अपने संसाधनों के संदर्भ में; वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में भूमि राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.09 % तक सुधार होने की उम्मीद है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के लिए भी बढ़ती हुई प्रवृत्ति ही अपेक्षित है, जो समग्र सकारात्मक और उत्साहजनक आर्थिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। राज्य उत्पाद शुल्क वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2023-2024 तक जीएसडीपी के 1.19 % से कम होकर 1.00 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वाणिज्यिक कर संग्रह वर्ष 2019-20 में 1.24 % से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1.41 % होने का अनुमान है, जबकि वाहनों पर कर (सङ्कर कर आदि) 0.36 % से गिरकर 0.32 % होने का अनुमान है। इसी अवधि में बिजली कर 0.25% से बढ़कर 0.28 % होने का अनुमान है। एसजीएसटी का संग्रह वर्ष 2019-20 में जीएसडीपी के 2.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी का 2.31 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके अलावा, चालू वर्ष में एसजीएसटी राजस्व में 14.29 % की वृद्धि होने का अनुमान है, जो राज्य सरकार के वित्त में कोविड-19 के बाद की वसूली तथा राज्य में जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापारियों द्वारा अपने नियमित व्यवसाय में जीएसटी प्रणाली को आत्मसात करने की स्थितियों को उजागर करता है। एसजीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि राज्य वित्त के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

तालिका क्र. 2.4: कर राजस्व

(रुपये करोड़ में)

कर राजस्व	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022- 23 (पु.अ.)	सीएजीआर (%)	वर्ष 2023-24 (ब.अ)	वृद्धि (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24)
भूमि राजस्व	562	503	733	1134	28.18	1200	5.82
स्टाम्प और पंजीकरण	5568	6817	8098	9200	18.28	10400	13.04
राज्य उत्पाद शुल्क	10829	9526	10334	12918	6.30	13845	7.18
वाणिज्यिक कर	11258	13296	16185	18064	17.53	19514	8.03
एसजीएसटी	20447	17257	22029	28000	12.61	32000	14.29
वाहन कर	3251	2749	3029	4000	7.45	4440	11.00
माल और यात्रियों पर टैक्स	145	75	64	41	-32.62	42	2.44
बिजली कर और शुल्क	2268	2608	4582	3599	21.52	3858	7.20

CSDP के प्रतिशत के रूप में

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भूमि राजस्व	0.06	0.05	0.06	0.09	0.09
स्टाम्प और पंजीकरण	0.61	0.74	0.69	0.73	0.75
राज्य उत्पाद शुल्क	1.19	1.04	0.88	1.02	1.00
वाणिज्यिक कर	1.24	1.45	1.38	1.43	1.41
एसजीएसटी	2.26	1.88	1.88	2.22	2.31
वाहन कर	0.36	0.30	0.26	0.32	0.32
माल और यात्रियों पर टैक्स	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
बिजली कर और शुल्क	0.25	0.28	0.39	0.29	0.28

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट (पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) बजट अनुमान

2.3 राज्य का गैर-कर राजस्व

प्रमुख गैर-कर राजस्व मदों पर राज्य की वर्ष-वार प्राप्तियों को तालिका क्र. 2.5 में दर्शाया गया है। राज्य के गैर-कर राजस्व में उत्तर-चढ़ाव परिलक्षित होता है। मध्यप्रदेश एक वन समृद्ध राज्य है जिसमें राज्य के लगभग 30 % क्षेत्र घने जंगल से आच्छादित है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वन उपज से राजस्व वर्ष 2019-20 में 0.09 % से बढ़कर 0.12 % होने का अनुमान है। सिंचाई राजस्व इसी अवधि में 0.04 % से बढ़कर 0.06 % होने का अनुमान है। अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग राजस्व वर्ष 2019-2020 में 0.48 % से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 0.58 % होने और वर्ष 2024 में 0.59 % पर रहने की संभावना है।

तालिका क्र. 2.5. राज्य का गैर-कर राजस्व

(रुपये करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (पु.अ.)	सीएजीआर (%)	वर्ष 2023-24 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24)
वानिकी और वन्य जीव	834	1240	1406	1500	20.74	1650	10.00
सिंचाई	407	414	568	725	22.73	800	10.34
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4320	4557	6181	7271	20.52	8150	12.09

GSDP के प्रतिशत के रूप में					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वानिकी और वन्य जीव	0.09	0.14	0.12	0.12	0.12
सिंचाई	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.48	0.50	0.53	0.58	0.59

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट-(पु.अ) पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ) बजट अनुमान

2.4 केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा

भारत सरकार के वर्ष 2023-24 (फरवरी 2023 को प्रस्तुत) के बजट अनुमानों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार; वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 80184 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह वर्ष 2022-23 पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में लगभग 7.57 प्रतिशत अधिक है। राज्य आने वाले वर्षों में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत प्राप्तियों में वृद्धि की उम्मीद कर सकता है।

2.5 व्यय

निम्न तालिका क्र. 2.6 से, यह देखा जा सकता है कि मध्यप्रदेश सरकार के बजट का आकार वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 16,393 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय 2023-2024 में 2,81,554 करोड़ रुपये हो गया है। बजट में यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की तुलना में लगभग 17 गुना है।

तालिका क्र. 2.6: मध्यप्रदेश बजट का आकार (वर्ष 2000-01 से वर्ष 2023-24)

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय
2000-2001	16,393
2004-2005	26,288
2009-2010	47,641
2014-2015	1,07,086
2019-2020	1,80,672
2020-2021	1,96,319
2021-2022	2,25,524
2022-2023 (पु.अ.)	2,51,348
2023-2024 (ब.अ.)	2,81,554

स्रोत: वित्त सचिव का स्मृति पत्र

(पु.अ.) पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) = बजट अनुमान

सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय का आकार, संरचना और उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का एक संकेतक है। राज्य के राजस्व और पूँजीगत व्यय का विवरण तालिका क्र. 2.7 में प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2019-2020 में 16.59 % से घटकर वर्ष 2023-2024 में 16.24 % हो गया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय, वर्ष 2019-2020 में 3.23 % से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 3.48 % होने और वर्ष 2023-2024 में बढ़कर 3.90 % होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान ऋण और अग्रिम भी 0.11 % से बढ़कर 0.16 % होने का अनुमान है।

तालिका क्र. 2.7: राजस्व और पूँजीगत व्यय

	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (पु.अ.)	सीएजीआर (%)	वर्ष 2023-24 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24)
राजस्व व्यय	150444	164733	181061	202468	10.36	225297	11.28
पूँजीगत व्यय	29241	30356	40733	45469	17.57	54056	18.89
ऋण और अग्रिम	987	1230	3730	3411	62.11	2200	(-)35.50

	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (पु.अं)	सीएजीआर (%)	वर्ष 2023-24 (ब.अ)	वृद्धि (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24)
GSDP के प्रतिशत के रूप में							
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23		2023-24	
राजस्व व्यय	16.59	17.95	15.49	16.06		16.24	
पूंजीगत व्यय	3.23	3.31	3.58	3.48		3.90	
ऋण और अग्रिम	0.11	0.13	0.32	0.27		0.16	

पूंजीगत व्यय का स्तर सार्वजनिक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो न केवल सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है, बल्कि निजी निवेश को भी गति देता है। राज्य सरकार को बजट की सीमितता का सामना करना पड़ता है, इसलिए राजस्व व्यय को नियंत्रित करते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। मार्च, 2023 में प्रस्तुत म.प्र. एफआरबीएम रिपोर्ट के अनुसार; राज्य सरकार वर्ष 2023-24 के पश्चात राजस्व आधिक्य को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करेगी, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पूंजीगत व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.50 प्रतिशत रही है।

2.6 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

मध्यप्रदेश सरकार को एडीबी, विश्व बैंक, जेआईसीए (जायका), केएफडब्ल्यू आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा शहरी विकास, सिंचाई, सार्वजनिक परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में भी बाह्य सहायता भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई है (तालिका 2.8 देखें)।

तालिका क्र. 2.8: मध्यप्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त राशि

वर्ष	(रुपये करोड़ में)
2019-2020	4868
2020-2021	5067
2021-2022	4091
2022-2023 (पु.अं)	6000
2023-2024 (ब.अ)	6500

यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता दोनों को दर्शाता है क्योंकि निवेश पर उसके प्रतिलाभ के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा, यह इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मध्यप्रदेश को एक उभरती हुई राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता देते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार के सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोलुशन 'ई-कुबेर' के साथ एकीकरण


सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए, 05 दिसम्बर 2022 को मध्यप्रदेश राज्य सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोलुशन 'ई-कुबेर' के साथ एकीकरण को क्रियान्वित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में मध्यप्रदेश राज्य के समस्त 54 कोषालयों के आहरण खाते खोले जा चुके हैं एवं सफलतापूर्वक परिचालित हो रहे हैं। ई-कुबेर के साथ राज्य कोषालयों के एकीकरण में होने वाले लाभ निम्नवत हैं:-

1. संबंधित कोषालय अपने भुगतानों को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक फाइल के माध्यम से संसाधित (Process) करते हैं। एक फाइल में अधिकतम 50000 लेन-देन (Transactions) रखे जा सकते हैं।
2. संबंधित कोषालय अपने आहरण खातों से लाभार्थियों / भुगतान पाने वालों के बैंक खातों में सीधे अंतरण द्वारा भुगतान कर सकते हैं। अतः राज्य सरकार के बैंकिंग व्यवसाय के एजेंसी बैंकों द्वारा संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली विसंगतियों से बचा जा सकेगा।
3. इस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा किए गए भुगतानों में से किसी लेन-देन के असफल होने की स्थिति में उस लेन-देन की राशि उसी दिन सरकारी खाते में जमा हो जाती है।
4. राज्य सरकार अपने नकदी शेष का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती है एवं सरकार के लिए नकदी प्रबंधन कर पाना संभव होगा।

2.7 राजकोषीय अनुशासन

किसी भी अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने के लिए राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2004-2005 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 36.32 प्रतिशत था। राजस्व घाटे को धीरे-धीरे समाप्त करने और राजकोषीय घाटे में कमी करके राजकोषीय प्रबंधन में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ, राज्य द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (म.प्र. एफआबीएम अधिनियम 2005) लाया गया।

चित्र 2.1 : ऋण-जीएसडीपी का अनुपात



(स्रोत - वित्त सचिव का स्मृति पत्र)

तालिका क्र. 2.9: ऋण जीएसडीपी अनुपात

वर्ष	वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय समेकन पथ	उपलब्धि
2018-2019	25.00	24.01
2019-2020	25.00	25.43
2020-2021	31.30	31.03
2021-2022	31.70	27.05
2022-2023(पु. अ.)	32.90	29.31
2023-2024 (ब. अ.)	33.30	30.42

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट,

(पु. अ) RE = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) BE = बजट अनुमान

राजकोषीय समेकन का प्रयास चित्र 2.1 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2004-2005 में 39.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-2020 में जीएसडीपी का 25.43 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए राज्य को घटते राजस्व का सामना करते हुए व्यय अधिक करने की आवश्यकता थी। 31 मार्च, 2022 तक ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़कर 27.05 प्रतिशत हो गया। विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय समेकन पथ की अनुशंसा को प्रस्तुत किया, जहां ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-2020 में 25.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-2024 में 33.3 प्रतिशत हो सकता है। तालिका 2.9 में प्रदर्शित आँकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य ने लगातार अनुशंसित पथ से ऋण का अनुपात कम ही रखा है। मार्च, 2022 में बकाया उधारी पर औसत ब्याज दर 7.02 प्रतिशत थी, जो मार्च 2023 (म.प्र. एफआरबीएम रिपोर्ट, 2023) को बकाया उधारी पर औसत ब्याज दर बढ़कर 7.48 प्रतिशत हो गई है। इससे ब्याज भुगतान पर होने वाले खर्च में वृद्धि हुई है। हालांकि, मौद्रिक नीति को सख्त करने और ब्याज दरों के चक्र में वृद्धि के साथ, राज्य को नए ऋणों के प्रबंधन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य सरकार की स्वस्थ राजकोषीय नीतियों ने राज्य में दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिति का नेतृत्व किया। कोविड -19 ने राजस्व प्राप्तियों में अवरोध उत्पन्न किए हैं, जिससे उधार पर निर्भरता बढ़ी। हालांकि, वर्ष 2023-24 के आँकड़े राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दोनों में संग्रहण में वृद्धि का अनुमान है। इससे राजस्व आधिक्य की स्थिति को निरंतर बनाये रखने और राजकोषीय समेकन का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है।

संदर्भ

- भारत सरकार (2015). 14वां वित्त आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट.
- भारत सरकार (2021). 15वां वित्त आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट.
- जीओएमपी (2023). मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) रिपोर्ट, मध्यप्रदेश शासन

अध्याय 3

बैंकिंग और वित्तीय संस्थान

अध्याय -3

बैंकिंग और वित्तीय संस्थान

बैंक और वित्तीय संस्थान राज्य की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऋण लेने, ऋण देने, निवेश करने और बचत जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं को प्रदान करते हैं। राज्य का वित्तीय परिदृश्य एक समृद्ध विविधता प्रदर्शित करता है, जिसमें 33 शेड्यूल्ड कर्मशियल बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक, 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), 9 लघु वित्त बैंक और 1 भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) शामिल हैं। राज्य में बैंकिंग सेवाएं 8, 464 शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही है, जिसमें से 33 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं एवं 67 प्रतिशत गतिशील अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो राज्य के लगभग आधे बैंकिंग नेटवर्क का गठन करते हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक (21 प्रतिशत), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (16 प्रतिशत), सहकारी बैंक (10 प्रतिशत), और लघु वित्त बैंक (5 प्रतिशत) हैं। प्रत्येक इकाई मध्यप्रदेश के वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है, जैसा कि एसएलबीसी रिपोर्ट 2023 और 2024 में उल्लेखित है।

मध्यप्रदेश में वित्तीय समावेशन ने समाज के सभी वर्गों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के लाभों का विस्तार करने के उद्देश्य से ठोस प्रयासों के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी पहलों को एक गेम-चेंजर के रूप में अपनाया है, जो पारंपरिक सीमाओं से परे वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करता है। वित्तीय समावेशन के लिए मध्यप्रदेश की प्रतिबद्धता लाभार्थियों की बढ़ती संख्या में परिलक्षित होती है, पीएमजेडीवाई ने बैंक रहित आबादी को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने हेतु उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह राज्य के समग्र आर्थिक सशक्तिकरण और विकास में योगदान देता है। पीएमजेडीवाई पोर्टल के अनुसार, स्थापना के बाद से पीएमजेडीवाई में 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया है। जिसमें से 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं एवं 61 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

इस अध्याय को चार भागों में विभाजित किया गया है जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा राज्य में ऋण विस्तार, बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन, समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन और रोजगार योजनाओं की सहायता के लिए वित्तपोषण पर केंद्रित है।

3.1 आर्थिक विकास के लिए ऋण विस्तार

3.1.1 ऋण वृद्धि

बैंकों द्वारा ऋण लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए वार्षिक साख योजना (एसीपी) तैयार की गई है। एसीपी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की संभावित लिंक्ड क्रेडिट योजना के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। तालिका क्र. 3.1 ऋण की क्षेत्रवार प्रगति को रेखांकित करती है जो 2021-22 से 2023-24 तक की अवधि के लिए एसीपी के तहत विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को

दर्शाती है। वर्ष 2005-06 से 2023-24 में तुलनात्मक रूप से कुल अग्रिम 23.06% की सीएजीआर से बढ़ा, कृषि क्षेत्र का 16.4% सीएजीआर, एमएसएमई का 33.85%, प्राथमिकता क्षेत्र में 19.07% सीएजीआर की वृद्धि हुई है।

तालिका 3.1: वार्षिक साख योजना (एसीपी) क्षेत्रवार ऋण विस्तार

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24
1	कृषि	1,05,256	94,194	1,07,258
2	एमएसएमई	46,945	74,814	99,884
3	शिक्षा	508	403	399
4	आवास	5,772	4,898	5,447
5	अन्य	5,639	5,085	5,489
6	कुल प्राथमिकता क्षेत्र	1,64,120	1,79,394	2,18,477
7	कुल गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	1,39,117	1,49,173	1,77,181
महायोग		3,03,237	3,28,567	3,95,658

स्रोत: विभिन्न वर्षों की एसएलबीसी रिपोर्ट।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक साख योजना के तहत 2,53,449 करोड़ रुपये (प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता) के लक्ष्य के मुकाबले, 31 मार्च 2023 के अंत तक 3,28,567 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर 130% की उपलब्धि दर्ज की गई, जो की कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में बढ़ने का संकेत देती है।

तालिका क्र. 3.2: बैंक-वार एसीपी प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का प्रकार	कृषि			एमएसएमई			प्राथमिकता क्षेत्र		
	लक्ष्य	उपल.	उपल.%	लक्ष्य	उपल.	उपल.%	लक्ष्य	उपल.	उपल.%
SCBs	99,592	77,079	77.4	76,915	90,537	117.7	1,87,466	1,75,635	93.7
RRBs	9,169	6,781	74.0	2,520	1,931	76.6	12,797	10,285	80.4
Co-Op.	24,585	20,008	81.4	616	3,938	639.4	25,405	23,971	94.4
SFBs	4,406	3,389	76.9	4,123	3,478	84.4	9,741	8,586	88.1
कुल	1,37,752	1,07,258	77.9	84,173	99,884	118.7	2,35,409	2,18,477	92.8

स्रोत: एसएलबीसी, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

नोट : SCBs = शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक; RRBs = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ; Co-Op. = सहकारी बैंक ; SFBs = स्माल फाइनेंस बैंक।

कृषि, एमएसएमई और प्राथमिकता क्षेत्र के बैंक-वार एसीपी को तालिका क्र. 3.2 में दिखाया गया है। कृषि क्षेत्र में, वार्षिक साख योजना में लक्ष्य 1,37,752 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, बैंकों ने 2023-24 में 1,07,258 करोड़ रुपये वितरित किए, जो कि 77.9 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाता है। आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र ने वार्षिक साख योजना में निर्धारित 84,173 करोड़ रुपये के लक्ष्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और इस क्षेत्र में 118.7 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई जो एक मजबूत वित्तीय समर्थन को दर्शाती है। प्राथमिकता क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण दिखाते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध 92.8 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है।

तालिका क्र. 3.3: शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि की तुलना देश के साथ

क्षेत्र	राष्ट्रीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %		मध्यप्रदेश वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %	
	सितंबर 2022	सितंबर 2023	सितंबर 2022	सितंबर 2023
कुल जमा	9.2	13.6	8.8	13.3
कुल क्रेडिट	16.9	20	15.6	19.8
कृषि	15.8	15.3	12.1	17.5
एम.एस.एम.ई.	27	17.3	20.0	21.7
आवास	15.9	22.4	17.6	19.6
शिक्षा	12.9	20.8	4.4	12.3
प्राथमिकता क्षेत्र	18.8	16.6	14.4	18.9

स्रोत: एसएलबीसी, 2024, और आरबीआई, 2023; * सहकारी बैंकों को छोड़कर

तालिका क्र. 3.3 में विभिन्न क्षेत्रों में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि देश के साथ राज्य की तुलना को दर्शाती है। सितंबर 2022 में कुल जमा की वर्ष-दर-वर्ष राष्ट्रीय वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी, जो सितंबर 2023 में बढ़कर 13.6 प्रतिशत हुई है। मध्यप्रदेश में सितंबर 2022 और 2023 के दौरान कुल जमा की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि के समान परिमाण में ही देखी गई है। कुल क्रेडिट में सकारात्मक रुझान देखा गया, जो ऋण गतिविधियों में वृद्धि का संकेत देता है, जिसमें राष्ट्रीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 16.9 प्रतिशत सितंबर 2022 से बढ़कर 20.0 प्रतिशत सितंबर 2023 में हुई, और मध्यप्रदेश में कुल क्रेडिट वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 15.6 प्रतिशत (सितंबर 2022) से बढ़कर 19.8 प्रतिशत सितंबर 2023 में हुई है। कृषि क्षेत्र ऋण में देश में 15.8 प्रतिशत से 15.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई, जबकि मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 12.1 प्रतिशत से बढ़कर 17.5 प्रतिशत हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र ऋण में, राष्ट्रीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 27.0 प्रतिशत से घटकर 17.3 प्रतिशत हुई, जबकि मध्यप्रदेश में 20.0 प्रतिशत से 21.7 प्रतिशत हुई। शिक्षा ऋण में मजबूत वृद्धि हुई, देश की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 12.9 प्रतिशत से बढ़कर 20.8 प्रतिशत हो गई, और मध्यप्रदेश में 4.4 प्रतिशत से 12.3 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 18.8 प्रतिशत से घटकर 16.6 प्रतिशत हुआ, जबकि मध्यप्रदेश में 14.4 प्रतिशत से 18.9 प्रतिशत तक की वृद्धि देखने को मिली, जो राज्य में एक लचीला और विविध आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है।

3.1.2 कृषि-फसल जीवीए और कृषि ऋण

कृषि ऋण के प्रदर्शन का एक अन्य आयाम कृषि ऋण प्रवाह और कृषि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए - प्रचलित भावों पर) के अनुपात का विश्लेषण करना है। तालिका क्र. 3.4 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र में संभाग-वार कृषि फसल जीवीए और कृषि ऋण प्रवाह को दर्शाती है, और कृषि जीवीए के लिए कृषि-ऋण का अनुपात 15.08 प्रतिशत से 50.04 प्रतिशत तक भिन्न है। सभी संभागों में अनुपात तालिका क्र. 3.4 में देखा जा सकता है, जो भोपाल संभाग के लिए अधिकतम 50.04 प्रतिशत है, इसके बाद नर्मदापुरम का 48.85 एवं उज्जैन डिवीजन का 45.78 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 3.4: संभाग वार कृषि-फसल ऋण और कृषि-फसल जी.वी.ए. अनुपात (2020-21)

(राशि करोड़ रुपये में)

संभाग	कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह	कृषि जी.वी.ए.	कृषि-जी.वी.ए. - कृषि ऋण %
भोपाल	21167.3	42303.76	50.04%
चंबल	8934.25	19873.22	44.96%
ग्वालियर	13391.53	37921.14	35.31%
इंदौर	27752.42	68040.28	40.79%
जबलपुर	21359.57	66584.15	32.08%
नर्मदापुरम	11308.24	23148.14	48.85%
रीवा	5652.42	37092.14	15.24%
सागर	12300.48	40452.55	30.41%
शहडोल	1845.81	12238.26	15.08%
उज्जैन	28451.92	62146.6	45.78%
कुल	1,52,163.94	4,09,800.24	35.85

स्रोत: एसएलबीसी, 2021, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय (2022), मध्यप्रदेश शासन।

कुल मिलाकर राज्य के लिए कृषि में कुल ऋण प्रवाह 1,52,163.94 करोड़ रुपये था, जो कुल कृषि जीवीए को 35.85 प्रतिशत योगदान देता है, यह कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता को दर्शाता है।

3.1.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह

कमजोर वर्ग को ऋण उन व्यक्तियों और लोगों के समूहों को प्रदान की जाने वाली ऋण और ऋण सुविधाओं को संदर्भित करता है जिन्हें आर्थिक रूप से वंचित माना जाता है। पारंपरिक साधनों के माध्यम से साख सुविधा पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। नीचे दी गई तालिका क्र. 3.5 से ज्ञात होता है कि प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वृद्धि राज्य में 59 प्रतिशत है एवं यह 40 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसी तरह, राज्य

में कृषि अग्रिम 30.77 प्रतिशत है जो की राष्ट्रीय औसत 18 प्रतिशत से अधिक है। कमज़ोर वर्गों को अग्रिम के लिए राष्ट्रीय औसत कुल अग्रिमों में 10% है, हालांकि, राज्य में, यह लगातार बढ़ रहा है और 2023-24 में 24.4 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में मजबूत वृद्धि समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में सहायक है एवं समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और विविधीकरण को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। राज्य अर्थव्यवस्था में समान विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु कमज़ोर वर्गों की आजीविका को बढ़ावा दिये जाने हेतु अधिक प्रयास किया जा रहा है। साख जमा अनुपात (सीडी रेशो) क्रेडिट वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। राज्य का वर्तमान सीडी रेशो 80.77 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 78.1 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका क्र. 3.5: राज्य और राष्ट्रीय बैंकिंग अनुपात की तुलना

सूचकांक	राष्ट्रीय औसत	2021	2022	2023	2024
ऋण जमा अनुपात (सीडीआर)	78.1	73.42	72.66	77.93	80.77
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40	61.05	60.48	59.24	59
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18	32.83	32.38	31.57	30.77
कुल अग्रिम का कमज़ोर वर्ग को अग्रिम	10	22.28	22.63	26.15	24.4

स्रोत: संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन। एस.एल.बी.सी. (2024), आरबीआई (मार्च 2024)

3.1.4 ऋण जमा अनुपात

2023-24 का जिलावार ऋण जमा अनुपात (सीडी अनुपात) तालिका क्र. 3.6-क में दर्शाया गया है, जिलों को उनके साख जमा अनुपात सीमा के आधार पर विभिन्न चतुर्थक में विभाजित किया है। आगर-मालवा जिले के लिए अधिकतम सी.डी. अनुपात 211.3 और सिंगरौली जिले के लिए सबसे कम सी.डी. अनुपात दर्शाया गया है जो की 19.48 है।

तालिका क्र. 3.6-क जिलावार ऋण जमा अनुपात विश्लेषण

सीडी अनुपात सीमा (>115)	सीडी अनुपात सीमा (114.18 से 78.44)	सीडी अनुपात सीमा (74.77 से 55.17)	सीडी अनुपात सीमा (<52.18)
आगर-मालवा	झाबुआ	छिंदवाड़ा	छतरपुर
शाजापुर	पूर्वी निमाड़	जबलपुर	सतना
राजगढ़	गुना	दतिया	टीकमगढ़
रायसेन	धार	भोपाल	मंडला
हरदा	उज्जैन	शिवपुरी	डिंडोरी
खरगोन	नीमच	दमोह	पन्ना
मंदसौर	नरसिंहपुर	कटनी	शहडोल
रतलाम	होशंगाबाद	बैतूल	रीवा
देवास	इंदौर	बालाघाट	सीधी

सीडी अनुपात सीमा (>115)	सीडी अनुपात सीमा (114.18 से 78.44)	सीडी अनुपात सीमा (74.77 से 55.17)	सीडी अनुपात सीमा (<52.18)
सीहोर	श्योपुर	ग्वालियर	निवारी
अशोकनगर	बुरहानपुर	अलीराजपुर	उमरिया
विदिशा	मुरैना	सागर	अनूपपुर
बड़वानी	सिवनी	मिंड	सिंगरौली

स्रोत: एसएलबीसी रिपोर्ट (2023, 2024), संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन।

विगत दो वर्षों के 52 जिलों के साख जमा अनुपात का विश्लेषण किया गया है और वृद्धि को देखने के लिए तुलना की गई है। तालिका क्र. 3.5 से पता चलता है कि राज्य का औसत साख जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यहां जिलेवार प्रदर्शन को समझना महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर, दो वित्तीय वर्ष अर्थात् 2022-23 और 2023-24 की साख जमा अनुपात की तुलना की गई है और तालिका क्र. 3.6-ख में संकलित किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि किन जिलों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, 5 प्रतिशत तक की वृद्धि एवं किन जिलों में सीडी अनुपात कम हुआ है।

तालिका 3.6 ख: सीडी अनुपात में जिलेवार वृद्धि

क्र.	साख जमा अनुपात	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	>5 %	9	मंदसौर, इंदौर, आगर-मालवा, सिवनी, नीमच, ग्वालियर, बैतूल, खरगोन और झाबुआ
2	0- 5%	27	देवास, शहडोल, गुना, मिंड, सीधी, खंडवा, दमोह, उज्जैन, कटनी, जबलपुर, मुरैना, रतलाम, होशंगाबाद, धार, रीवा, विदिशा, शिवपुरी, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, छतरपुर, भोपाल, अनूपपुर, सतना, हरदा, टीकमगढ़ और मंडला
3	कमतर	16	बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, निवाड़ी, अशोकनगर, शाजापुर, बुरहानपुर, डिंडोरी, बड़वानी, श्योपुर, राजगढ़, दतिया, अलीराजपुर, पन्ना, सीहोर और रायसेन

स्रोत: एसएलबीसी रिपोर्ट (2023, 2024)

विश्लेषण से पता चलता है कि 27 जिलों में साख जमा अनुपात 0 से 5 प्रतिशत तक बढ़ा है, 9 जिलों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है जबकि 16 जिलों में साख जमा अनुपात में कमी आई है।

3.2 बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

3.2.1 सहकारी बैंकों की स्थिति

त्रिस्तरीय ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में शीर्ष स्तर पर कार्यरत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एमपीएसटीसीबी), जिला स्तर पर कार्यरत 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (डीसीसीबी) और जमीनी स्तर पर कार्यरत 4,535 प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) शामिल हैं। एसटीसीबी और डीसीसीबी की कुल मिलाकर 851 शाखाएं हैं जिनमें से 627 ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (डीसीसीबी)

डी.सी.सी.बी. छोटे बैंक हैं जो पी.ए.सी.एस. और उसके सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु जनता से जमा प्राप्त करने के लिए छोटे शहर में काम कर रहे हैं। तालिका क्र. 3.7 वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्य में डीसीसीबी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।

तालिका क्र. 3.7: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समेकित वित्तीय स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
डीसीसीबी की संख्या	38	38	38
कुल शेयर पूंजी	1990.48	2068.61	2116.32
शेयर पूंजी में राज्य का हिस्सा	444.08	444.08	445.07
जमा	23243.53	26537.59	26822.93
ऋण	9826.69	10332.86	11336.72

स्रोत: एसएलबीसी, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन; अपेक्षा बैंक

3.2.2 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ

गैर-निष्पादित परिसंपत्तिया (एनपीए) एक वर्गीकरण है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण और अग्रिमों के लिए किया जाता है। ऐसे साख एवं ऋण जिनका पुनर्भुगतान एवं उन पर अर्जित ब्याज का पुनर्भुगतान निर्दिष्ट अवधि में नहीं किया जाता है उनको गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तालिका क्र. 3.8 से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एवं लघु वित्त बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में क्रमशः 47,6 एवं 19 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

तालिका 3.8: बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए)

(राशि करोड़ रुपये में)

एजेंसी	2021	2022	2023	2024	वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता % में		
					2022	2023	2024
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	21,803	23,478	21,790	21,876	7.68	-7.18	0.39
निजी क्षेत्र के बैंक	2,412	3,442	8,407	4,421	42.70	144.24	-47.41
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2,618	1,961	1,471	1,370	-25.09	-24.98	-6.86

एजेंसी	2021	2022	2023	2024	वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता % में		
					2022	2023	2024
सहकारी बैंक	6,493	6,944	7,291	7,363	6.94	4.99	0.98
लघु वित्त बैंक	413	548	753	609	32.68	37.40	-19.12
कुल	33,739	36,373	39,712	35,639	7.80	9.17	-10.25

स्रोत: एसएलबीसी रिपोर्ट (2023, 2024), और संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

नोट: सभी डेटा बिंदु वित्तीय वर्ष के।

कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का क्षेत्रवार एनपीए तालिका क्र. 3.9 में दर्शाया गया है। सबसे अधिक एनपीए वृद्धि कृषि क्षेत्र में (12.1 प्रतिशत), प्राथमिकता क्षेत्र में (9.5), एमएसएमई क्षेत्र में (5.8 प्रतिशत), आवास ऋणों में (5.7 प्रतिशत), शिक्षा ऋणों में (6.6 प्रतिशत) और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 2.73 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 3.9: एनपीए की क्षेत्र-वार स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता%			पोर्टफोलियो का एन.पी.ए. प्रतिशत (मार्च 2024)
					2022	2023	2024	
कृषि	18,106	18,944	19,400	19,764	4.62	2.40	1.87	12.1
एम.एस.एम.ई.	6,191	6,818	9,948	6,174	10.12	45.90	-37.93	5.8
आवास	2,130	2,120	1,924	2,006	-0.46	-9.24	4.26	5.7
शिक्षा	160	170	221	147	6.25	30.0	-33.48	6.6
प्राथमिकता क्षेत्र	26,990	29,986	26,319	29,708	11.10	-12.22	12.87	9.5
गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र	6,749	6,386	6,285	5,931	-5.43	-1.58	-5.63	2.73

स्रोत: संस्थागत वित्त संचालनालय(2024), मध्यप्रदेश शासन

नोट: सभी डेटा बिंदु वित्तीय वर्ष के।

3.3 समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के लिए आम जन की बैंकिंग सुविधाओं तक सुगम पहुंच आवश्यक है। वित्तीय समावेशन बचत खातों, क्रेडिट और बीमा जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं के माध्यम से व्यक्ति की आय के स्तर की परवाह किए बिना सभी को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया है। एस.सी.बी., आर.आर.बी., सहकारी समितियों और एस.एफ.बी. जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से बैंकिंग तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों में अक्सर वित्तीय बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होता है, जैसे कि नए बैंकों की स्थापना या मौजूदा बैंकों का

विस्तार कम सेवा वाले समुदायों की सेवा के लिए आवश्यक है। हाल ही के वर्षों में, तकनीकी नवाचारों ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास को भी सक्षम किया है, जिसका मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। ये सेवाएं पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच के बिना व्यक्तियों और समुदायों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती हैं।

3.3.1 बैंकिंग नेटवर्क और वैकल्पिक चैनल

यह खंड ग्रामीण क्षेत्रों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों (आईपीपीबी) की शाखाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मध्यप्रदेश में बैंक शाखाओं की कुल संख्या मार्च 2023 में 8319 की तुलना में मार्च 2024 में 8,464 थी, जो की बैंक शाखाओं में वृद्धि दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं 5,801 थीं जबकि सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और आईपीपीबी की शाखाओं की कुल संख्या क्रमशः 851, 1335, 437 और 40 थी। नीचे दी गई तालिका क्र. 3.10 राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं के विस्तार को दर्शाती है। कुल मिलाकर, राज्य में शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

तालिका 3.10: राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं का विस्तार (संख्या)

बैंक का प्रकार	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	1,488	1,484	1,509	1,532
सहकारी बैंक	297	380	380	380
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	854	854	859	857
लघु वित्त बैंक	69	88	40	49
आई.पी.पी.बी.	-	-	-	-
कुल	2,708	2,806	2,788	2,818
अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	1,685	1,738	1,803	1,843
सहकारी बैंक	470	250	250	250
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	318	318	322	322
लघु वित्त बैंक	123	133	181	187
आई.पी.पी.बी.	-	-	13	13
कुल	2,596	2,439	2,569	2,615

बैंक का प्रकार	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
शहरी क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	2248	2276	2370	2,426
सहकारी बैंक	110	221	221	221
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	148	148	152	156
लघु वित्त बैंक	180	188	192	201
आई.पी.पी.बी.	42	42	27	27
कुल	2,728	2,875	2,962	3,031
बैंकों की कुल शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	5,421	5,499	5,682	5,801
सहकारी बैंक	877	851	851	851
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,320	1,320	1,333	1,335
लघु वित्त बैंक	372	409	413	437
आई.पी.पी.बी.	42	42	40	40
कुल	8,032	8,121	8,319	8,464

स्रोत: एसएलबीसी, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

बॉक्स -1 : मध्यप्रदेश के 100% डिजिटल जिले

आरबीआई ने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता लाने के लिए 2019 में डिजिटल जिला कार्यक्रम शुरू किया था। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) को बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक जिले को पायलट क्षेत्र के रूप में चुनने का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश के चार चयनित जिलों में से बैतूल, इंदौर और विदिशा में कुल चालू/व्यवसायिक खातों में से 100 प्रतिशत पात्र ऑपरेटिव खाते डिजिटल रूप से कवर किए गए हैं। बैतूल और विदिशा जिलों में सभी पात्र परिचालनीय खातों को डिजिटल रूप से कवर किया गया हैं | इंदौर और सतना जिलों में 97 प्रतिशत खातों को डिजिटल रूप से कवर किया गया है |

स्रोत: एसएलबीसी रिपोर्ट (2023)

3.4 रोजगार में सहायता के लिए वित्तपोषण

बैंकिंग शाखाओं के नेटवर्क द्वारा वित्तपोषण रोजगार पैदा करने, कौशल विकसित करने और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक पूँजी और संसाधन प्रदान करके रोजगार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नेटवर्क छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करके, वित्तीय संस्थान एवं छोटे उद्यमियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने और विस्तार करने में मदद कर रहा है, जिससे

रोजगार पैदा करने में मदद मिलती है। राज्य अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार के निर्माण करने के लिए कई सरकारी प्रायोजित योजनाएं (जीएसएस) चला रहा है।

3.4.1 सरकारी प्रायोजित योजनाएं (जीएसएस)

राज्य के जी.एस.एस. इस प्रकार हैं:

- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (एमएमयूकेवाई) राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इच्छुक युवाओं और उद्यमी बनने की इच्छुक महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग एमएमयूकेवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।
- संत रविदास स्वरोजगार योजना (एसआरएसवाई) विनिर्माण-केंद्रित परियोजनाओं और सेवा-उन्मुख व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (डीबीएएकेवाई) का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों द्वारा पहले से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को कम लागत वाले उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए ऋण प्रदान करना है। यह योजना मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित है।
- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य मंत्रि-परिषद ने तीन नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (बीबीएमएसवाई), टंत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (टीएमएकेवाई) और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना अनुदान योजना शामिल हैं। उपरोक्त सभी योजनाएं बैंकों के माध्यम से संचालित की जाती हैं, मार्च 2024 तक जीएसएस की स्थिति पीएम-स्वनिधि (दस, बीस एवं पचास हजार) योजना सहित तालिका क्र. 3.11 में दिखाई गई है।

तालिका क्र. 3.11: जीएसएस की स्थिति

योजना	स्वीकृत	वितरण	विचाराधीन	स्वीकृति में से वितरित %
एम.एम.यू.के.वाई.	17,173	16,243	4,336	94.58
एस.आर.एस.वाई.	1,606	1,387	1,517	86.36
डी.बी.ए.ए.के.वाई	1,473	1,320	710	89.61
बी.बी.एम.एस.वाई	1,092	900	1,247	82.41
टी.एम.ए.के.वाई.	1,129	901	1,876	79.8
पीएम-स्वनिधि 10k	8,56,874	8,28,202	28,672	96.65
पीएम-स्वनिधि 20k	2,96,966	2,82,005	14,961	94.96
पीएम-स्वनिधि 50k	58,850	55,628	3,222	94.53

स्रोत: एसएलबीसी, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

3.4.2 ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 1995 में नाबाड़ में आरआईडीएफ की स्थापना करना था। राज्य परियोजना विभाग (एसपीडी) राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को कम लागत वाली निधि सहायता प्रदान करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजी निवेश का समर्थन करने के लिए ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से ऋण प्रदान करता है। वर्षों से, आरआईडीएफ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सार्वजनिक पूँजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। मार्च 2024 तक 3216 परियोजनाएँ पूर्ण हुई हैं एवं 251 परियोजनायें जारी हैं, वर्तमान ट्रैंच में स्वीकृत परियोजनाओं को तालिका 3.12 में दिखाया गया है।

तालिका 3.12 आरआईडीएफ परियोजनाएं

अंचल	जिला	परियोजना का नाम & विवरण	आरआईडीएफ ऋण (लाख मे)	स्वीकृति की तिथि	पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि
मध्यम सिंचाई परियोजना	खंडवा	भाम (राजगढ़) मध्यम सिंचाई परियोजना	11700	29-03-2023	31-03-2025
ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता	सागर	माडिया MVRWSS	8291.43	23-11-2022	31-03-2026
रोड	धार	मनावर से धमनोद सड़क का निर्माण	3963.79	14-03-2023	31-03-2026
पुल बनाना	शहडोल	ब्योहारी कटनी रोड पर सोन नदी पर बना उच्च स्तरीय पुल	3230.12	27-03-2023	31-03-2026
ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता	सागर, दमोह	राजोंद समूह जल प्रदाय योजना	2358.46	23-11-2022	31-03-2025

स्रोत: नाबाड़

संदर्भ

- एसएलबीसी (2021)। वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पहल। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार की गई।
- एसएलबीसी (2022)। 184 वीं एजेंडा बैठक की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय प्रबंधक समिति, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार की गई।
- एसएलबीसी (2023)। 186 वीं एजेंडा बैठक रिपोर्ट। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार की गई।
- एसएलबीसी (2024)। 187 वीं और 188 वीं एजेंडा मीटिंग रिपोर्ट। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश द्वारा तैयार की गई।
- अपेक्ष स्पैक
- नाबाड़
- भारतीय रिजर्व बैंक (2023)। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2022-23।
- राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ (NAFSCOB) (2020, 2021, 2022). जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बुनियादी आंकड़े, मुंबई, राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ (NAFSCOB)।

अध्याय 4

कृषि एवं ग्रामीण विकास

अध्याय 4

कृषि एवं ग्रामीण विकास

“अनन्दाता सुखी भवन्ति, अनन्दाता सुखी भव।
संसार के सर्व भूतों को, ये भाव बार-बार।।”

मध्यप्रदेश की आर्थिक रूपरेखा को आकार देने में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कृषि क्षेत्र समग्र आर्थिक विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती और संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत होने के कारण, यह क्षेत्र रोजगार और आय सूजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अध्याय में मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र के मुख्य रुझानों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें फसल प्रणाली, आधुनिक तकनीक, और राज्य सरकार के हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में स्थिरता, उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की बढ़त दिखाई दी। फसल उत्पादन का वर्गीकृत विश्लेषण करते हुए पाया गया कि अनाज में 1.91% की मामूली कमी दर्ज की गई, जबकि दालों में 42.62% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई और तिलहन में 7.32% की वृद्धि हुई। बागवानी फसलों के क्षेत्र में, मसालों का उत्पादन जो 2022-23 में 52.62 लाख मीट्रिक टन था वो 2023-24 में बढ़कर 53.59 लाख मीट्रिक टन हो गया। सब्जी उत्पादन भी इसी अवधि के दौरान 236.41 मीट्रिक टन से बढ़कर 242.62 मीट्रिक टन हो गया। फल उत्पादन 2022-23 में 95.10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 95.54 लाख मीट्रिक टन हो गया। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में पशुपालन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। दूध उत्पादन 5.88% बढ़कर 201.22 लाख टन तक पहुंच गया। अंडा उत्पादन 9.48% बढ़कर लगभग 31,850.38 लाख अंडे हो गया, जबकि मांस उत्पादन भी 9.37% बढ़कर लगभग 138.95 हजार टन हो गया।


वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मध्यप्रदेश में जीएसवीए (GSVA)¹ में फसल क्षेत्र का योगदान वर्तमान कीमतों पर 9.10% और स्थिर कीमतों (2011-12) पर 1.84% था। इसी प्रकार, प्रदेश में जीएसवीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान वर्तमान कीमतों पर 13.86% और स्थिर कीमतों (2011-12) पर 8.60% था। मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र का मध्यप्रदेश में जीएसवीए में योगदान वर्तमान कीमतों पर 16.10% और स्थिर कीमतों (2011-12) पर 14.11% था।

4.1 मौसम की स्थिति

मध्यप्रदेश में सामान्य मानसून जून से सितंबर तक रहता है, जिसमें औसत वर्षा 930.9 मिमी होती है। वर्षा की स्थिति का वर्षवार विवरण ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। वर्ष 2022 (जून से सितंबर) में, प्रलेखित वर्षा 1131.8 मिमी थी, जो नियमित औसत वर्षा की तुलना में लगभग 22% अधिक थी।

¹ स्रोत- भारत मौसम विज्ञान विभाग

चित्र 4. 1 वर्षा पैटर्न (मिमी)



स्रोत- भारत मौसम विज्ञान विभाग

2023 की इसी अवधि में, कुल दर्ज वर्षा 935.8 मिमी थी, जो 930.9 मिमी के औसत से लगभग 1% अधिक है। विशेष रूप से, जून 2022 की तुलना में जून 2023 में वर्षा में 47.80% की वृद्धि देखी गई। आगे बढ़ते हुए, जुलाई 2022 की तुलना में जुलाई 2023 में वर्षा में 8.68% की कमी आई थी। अगस्त 2022 की तुलना में अगस्त 2023 में वर्षा में 29.05% की गिरावट का अनुभव हुआ। इसी तरह, सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2023 में बारिश में 17.32% की कमी देखी गई।

4.2 फसल उत्पादन


देश के प्रमुख ब्रेडबास्केट के रूप में सम्मानित, मध्यप्रदेश एक कृषि राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और विविध जलवायु एक समृद्ध कृषि परिवृश्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती होती है। मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलों में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, तिलहन, कपास और गन्ना शामिल हैं। राज्य की जलवायु और मिट्टी की स्थिति सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए, मध्यप्रदेश प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र में से एक के रूप में उभरा है। मध्यप्रदेश की बागवानी, में संतरे, अमरुद और केले जैसे फल शामिल हैं।

फसलों के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल में 0.66% वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2022-23 में 30,048 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 30,246 हजार हेक्टेयर हो गई है। इसी बीच, इन फसलों का कुल उत्पादन 72,228 हजार टन से बढ़कर 72,371 हजार टन (द्वितीय अग्रिम अनुमान) हो गया है। श्रेणी के अनुसार फसल उत्पादन का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अनाज की उत्पादकता में 1.91% की कमी आई, जबकि दलहनों में 42.62% की जबरदस्त वृद्धि हुई और तिलहनों में 7.32% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, 2023-24 में कुल फसल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई, जो इस अवधि के दौरान कृषि उत्पादन में सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

1. अनाज

धान: धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 4.44 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। धान काक्षेत्रफल जो गतवर्ष में 3848.00 हजार हेक्टर था वो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 4019.00 हजार हेक्टर हो गया। धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 4.41 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्पादन गत वर्ष 2022-23 में 13126.00 हजार टन था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 13705.00 हजार टन हो गया है।

चित्र 4. 2 प्रमुख अनाज फसलों का क्षेत्र आवरण (हजार हेक्टेयर)




स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म प्र.

मक्का: मक्का के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 6.08 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गतवर्ष के 1448.00 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1536.00 हजार हेक्टर हो गया। मक्का के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 6.75 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई, उत्पादन गतवर्ष 2022-23 में 4621.00 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4933.00 हजार टन हो गया।

गेहूँ: गेहूँ के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 5.84 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गतवर्ष के 9781.00 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2023-24 में 9210.00 हजार हेक्टर हो गया। गेहूँ के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी होने से उत्पादन में भी वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 5.73 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई, उत्पादन गतवर्ष 2022-23 में 34977.00 हजार मेट्रिक टन से घटकर वर्ष 2023-24 में 32972.00 हजार मेट्रिक टन हो गया।

चित्र 4. 3 प्रमुख अनाज फसलों का उत्पादन (हजार टन)




स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.

2. दालें

कुल दलहन फसलों के क्षेत्रफल में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 31.35 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। दलहन फसलों के उत्पादन में 42.62 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई है।

अरहर: अरहर के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 6.63 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गतवर्ष 2022-23 में 166.00 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2023-24 से 155.00 हजार हेक्टर रह गया। अरहर के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी होने के स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.


चित्र 4. 4 दलहनी फसल के तहत क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)



स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.

बाद भी उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 17.81 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गतवर्ष 2022-23 में 146.00 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 172.00 हजार टन हो गया।

चित्र 4. 5 प्रमुख दलहन का उत्पादन (हजार टन)



स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.

चना: चना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 11.29 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गतवर्ष 2022-23 में 2108.00 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2346.00 हजार हेक्टेयर हो गया। चना के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 11.39 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गतवर्ष 2022-23 में 3563.00 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3969.00 हजार मेट्रिक टन हो गया।

उड़द, मूंग, मसूर और मटर: वर्ष 2023-24 में उड़द के क्षेत्राच्छादन में 2022-23 की तुलना में 34.22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में भी 32.71 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके विपरीत, मूंग के क्षेत्राच्छादन में 9.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन में भी 10.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार, मसूर के क्षेत्राच्छादन में 5.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे उत्पादन में 5.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विशेष रूप से, मटर के क्षेत्राच्छादन में 111.36 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसके साथ उत्पादन में भी 112.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

यह आंकड़े कृषि प्रवृत्तियों में बदलाव को दर्शाते हैं, जहां कुछ फसलों में क्षेत्र और उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है, जबकि उड़द जैसी फसलों में notable कमी देखी जा रही है। मूंग और मसूर की खेती में वृद्धि अनुकूल मौसम या बाजार की मांग के कारण हो सकती है। मटर की खेती और उत्पादन में नाटकीय वृद्धि इस फसल पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है, जो इसकी उच्च बाजार मूल्य या वर्तमान कृषि प्रथाओं के अनुकूलता से प्रेरित हो सकती है।

द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कुल दलहन (अन्य सहित) फसलों के क्षेत्र में 31.35% की वृद्धि हुई है। 2020-21 में वास्तविक क्षेत्राच्छादन 5225 हजार हेक्टेयर

था, जो 2021-22 में घटकर 4413 हजार हेक्टेयर हो गया। यह क्षेत्र 2022-23 में और घटकर 4347 हजार हेक्टेयर हो गया, लेकिन 2023-24 में बढ़कर 5710 हजार हेक्टेयर हो गया। यह उल्लेखनीय वृद्धि 2023-24 में दलहन फसलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है।


द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2023-24 में प्रमुख दलहन फसलों का उत्पादन 2022-23 के मुकाबले वृद्धि का अनुमान है। विस्तार में, 2020-21 में वास्तविक उत्पादन 6210 हजार टन था, जो 2021-22 में 4624 हजार टन हो गया। उसके बाद, 2022-23 में उत्पादन 5394 हजार टन था, जिसमें 2023-24 में वृद्धि होकर 7693 हजार टन हो गया। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ, 2023-24 में दलहन फसलों का उत्पादन में 42.62% वृद्धि की संभावना है।

3. तिलहन

तिलहन फसलों के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन में 4.01 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2022-23 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन 8013.00 हजार हेक्टर था जो वर्ष 2023-24 में 8334.00 हजार हेक्टर हो गया, जबकि कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में गतवर्ष की अपेक्षा वर्ष 2023-24 में 7.32 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन वर्ष 2022-23 में 9297.00 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 9978.00 हजार टन हो गया।

राई: 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में सरसों के क्षेत्राच्छादन में 10.21% की वृद्धि की जाने की अपेक्षा है, जिससे क्षेत्रफल पिछले वर्ष के 1273.00 हजार हेक्टर से बढ़कर 2023-24 में 1403.00 हजार हेक्टर हो जाएगा। इस सरसों के क्षेत्राच्छादन में वृद्धि के कारण, उत्पादन में भी उत्तरदायी वृद्धि की अपेक्षा है, जो 2022-23 में 1960.00 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 2169.00 हजार मेट्रिक टन होगा।


चित्र 4. 6 प्रमुख तिलहन फसलों के तहत क्षेत्र (यूनिट - हजार हेक्टेयर)



स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.


सोयाबीन: सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 1.76 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गतवर्ष के 5974.00 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 6079.00 हजार हेक्टर हो गया। सोयाबीन के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 5.42 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गतवर्ष 2022-23 में 6332.00 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 6675.00 हजार मेट्रिक टन हो गया।

चित्र 4. 7 प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन (हजार टन)



स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.

चित्र 4. 8 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के अधीन क्षेत्र (इकाई-हजार हेक्टेयर)



किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.


4. वाणिज्यिक फसलें:

इस क्षेत्र में प्राथमिक वाणिज्यिक फसलों में कपास और गन्ना शामिल हैं।

गन्ना: गन्ना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 8.93 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गतवर्ष के 112.00 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2023-24 में 102.00 हजार हेक्टर हो गया। गन्ना के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी होने से उत्पादन में भी कमी परिलक्षित हुई। गन्ना (गुड) उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 6.38 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गतवर्ष 2022-23 में 784.00 हजार मेट्रिक टन से घटकर वर्ष 2023-24 में 734.00 हजार मेट्रिक टन हो गया।

कपास (कपास): कपास के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 5.88 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल 595.00 हजार हेक्टर (2022-23) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 630.00 हजार हेक्टर हो गया। कपास के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 3.03 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गतवर्ष 2022-23 में 890.00 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 917.00 हजार मेट्रिक टन हो गया।

चित्र 4. 9 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (यूनिट - हजार मीट्रिक टन)



स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म प्र.

4.3 कृषि विकास योजनाएं:

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा प्रदेश में कृषकों के कल्याण हेतु केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, राष्ट्रीय मिशन ऑन इडीबल आईल, स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टीलिटी, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना तथा आत्मा

एवं राज्य योजना अंतर्गत म.प्र. राज्य मिलेट मिशन, मांग आधारित कृषि हेतु कृषि विविधिकरण योजना, एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना, कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि मुख्य रूप से संचालित है। जिनके विवरण आगे दर्शाये गये हैं:-

- (a) **बीटी कपास:** मध्यप्रदेश में बीटी कपास की वाणिज्यिक खेती जीईएसी के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन और सिफारिशों के बाद वर्ष 2002-2003 में शुरू हुई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक बीटी कपास के लिए क्षेत्र कवरेज और वितरित पैकेट का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 4.1: क्षेत्र कवरेज और बीटी कपास के वितरित पैकेट की संख्या

	वर्ष	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	वितरित पैक (लाख)
1	2019- 2020	6.51	16.08
2	2020- 2021	6.44	15.90
3	2021- 2022	6.16	15.21
4	2022- 2023	6.24	15.41
5	2023- 2024	6.50	16.06

स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म प्र.

- (b) **रासायनिक उर्वरकों का वितरण:** वर्ष 2019-20 से 2023-24 (खरीफ) तक तत्वों के लिए राज्य में उर्वरकों का वितरण नीचे तालिका 4.2 में दिखाया गया है:

तालिका 4.2: रासायनिक उर्वरक का वितरण (लाख मेट्रिक टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (N)	फॉस्फेट (P)	पोटैसियम (K)	(एन + पी + के)
2019-20	15.38	7.71	1.08	24.17
2020-21	17.19	11.11	1.63	29.94
2021-22	16.28	8.96	1.37	26.61
2022-23	18.19	9.29	0.75	28.22
2023 & 24	19.44	10.13	0.81	30.37

स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म प्र.

- (C) **पौध संरक्षण:** फसलों को बीमारियों और कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पौध संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से फसल सुरक्षा, बीज उपचार, चूहों पर नियंत्रण और टिड्डियों का उन्मूलन शामिल है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धियों का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: पौध संरक्षण के तहत क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)

प्रोग्राम	वर्ष			2023-24
	2020-21	2021-22	2022-23	
बीज उपचार	136.74	146.43	146.86	146.90
फसल उपचार	27.54	35.99	36.01	36.81
चूहा (रोडेंट) नियंत्रण	24.32	21.24	21.44	21.64
नीदा नियंत्रण	18.43	18.08	18.37	18.50
कुल:	207.03	221.74	222.68	223.85

स्रोत-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा. सा. म. प्र.

4.4 राज्य केंद्रित नई कृषि योजनाएं:

- i. **मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना:** प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र एवं मौसम विविधता होने से विभिन्न मांग आधारित बाजार उन्मुखी फसलों के विस्तार की प्रचुर संभावनायें हैं। इसी उद्देश्य से राज्य में फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2022-23 से प्रारंभ की गई है।
गेहू और धान (पारंपरिक अनाज) के स्थान पर बोई जाने वाली ऐसी अन्य फसलें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (डैच) के अन्तर्गत नहीं हैं जैसे- दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, औषधीय एवं अन्य मांग आधारित बाजार आधारित फसलें इस योजना के लिये "पात्र फसल" होगी।
अभी तक योजनान्तर्गत 12 प्रस्ताव मंत्री परिषद समिति (CCIP²) द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं एवं 02 प्रस्ताव SLPSC³ से स्वीकृति उपरान्त CCIP से स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृत संस्थाओं द्वारा गेहू एवं धान के स्थान पर मसाला, सब्जियां, तुलसी, धनियां, मटर, अल्फा-अल्फा, आलू, बांस, मिर्च, रेशमपालन, गन्ना, दलहन- तिलहन, मक्का, मिलेट्स, औषधी (अश्वगंधा, सफेद मूसली, मैथी एवं अन्य) एवं अन्य अधिक लाभकारी फसलों का विविधीकरण अन्तर्गत उत्पादन लेने हेतु कृषकों को संलग्न कर विविधीकरण का कार्य किया जा रहा है। स्वीकृत संस्थाओं द्वारा कुल 18,625 हेक्टेयर क्षेत्र में विविधीकरण हेतु कुल राशि रूपये 274.90 करोड़ का निवेश नियोजित है। जिसमें संस्थाओं एवं कृषकों का अंश रूपये 176.55 करोड़ तथा रूपये 68.35 करोड़ फसल विविधीकरण योजना से एवं रूपये 30.00 करोड़ नेशनल बाम्बू मिशन योजना अन्तर्गत शासन स्तर से किया जाना नियोजित है।
- ii. **मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन:** वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में विश्वभर में मनाया गया। इस दौरान विभिन्न देशों में मोटे अनाज के महत्व और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गईं। मिशन का उद्देश्य मिलेट फसलों (कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी) के

² CCIP-Cabinet committee for investment promotion

³ SLPSC- State-Level Project Screening Committee

क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और मिलेट उत्पादों के लिए ब्रांड मूल्य स्थापित करना है। प्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार, रागी के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा ब्रांड वैल्यू स्थापित करना, उन्नत मिलेट फसल उत्पादन एवं उत्पादों का प्रचार-प्रसार हेतु गतिविधियों का आयोजन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना 2023-24 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन में राशि रु. 11.00 करोड़ का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध राशि रु. 4.21 करोड़ का व्यय किया जा कर लगभग 62,290 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

- iii. **रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना :** श्रीअन्न को प्रोत्साहन हेतु रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना की मंत्रिपरिषद द्वारा वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की कुल लागत रु. 10.97 करोड़ है। जिसमें किसानों, एफपीओ एवं श्रीअन्न उत्पादन से जुड़े समूहों को एकजुट कर महासंघ की स्थापना कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीअन्न (कोदो-कुटकी) आधारित उत्पादों का एक विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास किया जाना है। इस हेतु मिलेट फेडरेशन का पंजीयन 'श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' के नाम से किया गया है।
- iv. **एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना:** संसाधानों का गुणवत्ता पूर्ण एवं समूचित उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पाद की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की समूचित व्यवस्था की जाना आवश्यक है। 'एक जिला एक उत्पाद' के लिये जिला स्तर पर उत्पाद का चयन कर उसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस हेतु ओद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। 'एक जिला एक उत्पाद' अंतर्गत कृषि संबंधी 06 मुख्य उत्पाद (कोदो-कुटकी, तुअर दाल, चना, बासमती चावल, चिन्नोर चावल, सरसों, एवं आंवला आदि) अंतर्गत 10 जिले (अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड एवं मुरैना) शामिल किये गये हैं।
- v. **एफ.पी.ओ.-कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन:** प्रदेश में असंगठित कृषि को संगठित कर किसानों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषक उत्पादक संगठनों की अत्यंत आवश्यकता है। संगठन के माध्यम से गुणवत्तायुक्त उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत तकनीकी का उपयोग, कौशल क्षमता विकास, पर्याप्त बाजार और ऋण लिंकेज की सुविधा इत्यादि में सहायता मिलती है। इस हेतु विकासखण्ड स्तर पर एफ.पी.ओ. के गठन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा प्रदेश में केन्द्र पोषित योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन एवं संवर्धन की तर्ज पर राज्य पोषित योजना "कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन एवं संवर्धन" प्रारंभ की है। उक्त राज्य पोषित योजना कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन एवं संवर्धन का उद्देश्य नवीन एफ.पी.ओ. का गठन अथवा ऐसे अक्रियाशील एफ.पी.ओ. को क्रियाशील कर उन्हें प्रोत्साहित कर सहायता प्रदान करना है।

4.5 केंद्रीय योजनाएं:

- (a) **सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत बीजग्राम कार्यक्रम:** खरीफ 2023 में 36700 किंविंटल बीज वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 23037 किंविंटल बीज वितरित किया गया, जो कि

कुल लक्ष्य का 62.77 प्रतिशत है। इसी अनुक्रम में रबी वर्ष 2023-24 हेतु 59,087 किंचंतल बीज वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 57,238 किंचंतल बीज वितरित किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 96.87 प्रतिशत है।

- (b). **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):** भारत सरकार से सहायता प्राप्त नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.) अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के तृतीय चरण में भारत सरकार से 1854 जैविक समूह वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के लिए स्वीकृत किये गये हैं, जिसका कुल प्रावधान राशि रुपये 119.14 करोड़ है। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त जिलों का चयन किया गया है, साथ ही योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश एवं भौतिक वित्तीय लक्ष्य जिलों को प्रसारित किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि रुपये 10.00 लाख प्राप्त हुई है, जिसका राज्यांश सहित कुल राशि रुपये 16.67 लाख का आहरण कर सिंगल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) के खातें में जमा किया गया।
- (c) **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** वर्ष 2025-26 तक निर्धारित चालू योजना में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्रीय हिस्से के रूप में 60% धन प्रदान करना और शेष 40% राज्य हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त करना शामिल है। इसमें विभिन्न कृषि संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं। योजना में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड भोपाल से संबंधित परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डी.पी.आर. अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार से राशि रु.120.79 करोड़ (केन्द्रांश) का एलोकेशन के तहत रिलीज राशि रु. 66.97 करोड़ प्राप्त हुई है। वर्ष 2023-24 में कुल उपलब्ध राशि रु.132.59 करोड़ (जिसमें से पूर्व वर्षों की अव्ययित राशि शामिल है) में से कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों द्वारा दिनांक 31 मार्च 2024 तक राशि रु. 88.55 करोड़ व्यय किया गया है।
- (d) **कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (ATMA):** भारत सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना राशि रु. 71.79 करोड़ रही। मासांत मार्च 2024 तक कुल उपलब्ध राशि 61.70 करोड़ में से राशि रुपये 54.76 करोड़ व्यय करते हुये 9106 (प्रदर्शन), 1285 (फार्म स्कूल), 60504 प्रशिक्षण (मानव दिवस), 40494 भ्रमण (मानव दिवस), 31 मेले, 2736 समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण, 302 नवाचार गतिविधियां एवं 598 कृषक संगोष्ठी आयोजित कर लगभग 79500 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- (e) **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर द्राप मोर क्रांप)- वर्ष 2023-24 हेतु भौतिक लक्ष्य 19095 के विरुद्ध 10460 पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 57.50 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 56.13 करोड़ का व्यय 31 मार्च 2024 तक किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (अदर इन्टरवेंशन)- वर्ष 2023-24 हेतु भौतिक लक्ष्य 2325 के विरुद्ध 662 पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 20.00 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 5.70 करोड़ का व्यय 31 मार्च 2024 तक किया गया है।
- (f) **राष्ट्रीय खाद्य तेल और तिल मिशन:** राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईआईओ) का मुख्य उद्देश्य तिल की फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य खाद्य तेल

उत्पादन में मध्यप्रदेश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इस मिशन के तहत प्रमुख घटकों में बीज घटक, तकनीकी हस्तक्षेप, उत्पादन प्रौद्योगिकी, सिंचाई मशीनरी और उपकरण और फ्लेक्सी फंड शामिल हैं। वर्ष 2023-24 हेतु योजनांतर्गत मार्च 2024 तक राशि रु 31.30 करोड़ व्यय किया जाकर कुल 75480 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

- (g) **खाद्य और पोषण सुरक्षा:** खाद्य और पोषण सुरक्षा योजना एक बहुआयामी कार्यक्रम है। वर्ष 2023 - 24 में उपलब्ध राशि रु. 261.03 करोड़ के विरुद्ध 31 मार्च 2024 तक राशि रु. 195.46 करोड़ व्यय किया गया है। योजनांतर्गत 515287 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।
- (h) **मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता:** भारत सरकार द्वारा चल रहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाओं का एकीकरण किया गया है तथा इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत “मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता” नाम से कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टीलिटी योजना के मृदा नमूना विश्लेषण एवं कृषकों को निःशुल्क स्वाइल हैल्थ कार्ड वितरण घटक अंतर्गत विभागीय मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता 8,72,690 के मान से लक्षित स्वाइल हैल्थ कार्ड के विरुद्ध मार्च 2024 अंत तक 6,87,770 मृदा नमूना एकत्रीकरण, 5,26,338 मृदा नमूनों के विश्लेषण उपरांत 4,49,144 स्वाइल हैल्थ कार्ड किसानों को निःशुल्क वितरित किये गये हैं।
- (i) **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:** वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के जिलों में 11 क्लस्टर्स में किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर्स हेतु बीमा कंपनियों का चयन निविदा के माध्यम से किया गया है। योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2023 में 9770961 कृषक आवेदनों एवं रबी वर्ष 2023-24 में 8097573 कृषक आवेदनों की अधिसूचित फसलों का बीमा किया गया है, तथा 2579217 कृषक आवेदनों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत “मेरी पालिसी मेरे हाथ कार्यक्रम“ अंतर्गत खरीफ 2023 में बीमित कृषकों को फसल बीमा पालिसी का वितरण किया गया।
- (j) **राज्य पोषित नलकूप खनन योजना:** वर्ष 2023-24 हेतु भौतिक लक्ष्य 954 के विरुद्ध 580 पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 3.82 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 2.32 करोड़ का व्यय 31 मार्च 2024 तक किया गया है।

4.6 सूचना प्रौद्योगिकी:

किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रासंगिक जानकारी, गुणवत्ता आदानों, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, सहायता की जरूरतों और कृषि उत्पादन और विपणन में शामिल पात्र हितधारकों के लिए धन तक निष्पक्ष और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

कृषकों को समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभागीय वेबसाइट www.mpkrishi.mp.gov.in हिन्दी भाषा में संचालित है। वेबसाइट पर किसानों हेतु कृषि योजनाओं की जानकारी कृषि की उन्नत तकनीकें, मण्डी भाव, मौसम की जानकारी, कृषि सांख्यिकी, कृषि समाचार, सफलता की कहानी आदि

जानकारी के संधारण का प्रावधान है। भारत सरकार के एम किसान पोर्टल से कृषकों को विभाग में संचालित गतिविधियों की जानकारी तथा कृषि संबंधित सलाह एस.एम.एस. के माध्यम से हिन्दी में निःशुल्क प्रेषित की जाती है।

प्रदेश में एकीकृत सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को सभी सेवायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को विकसित किये जाने हेतु ‘कृषि-उन्नति’ की एकीकृत अवधारणा अंतर्गत तीन मुख्य तकनीकी समन्वित प्लैटफार्म पर कार्य किया जा रहा है।

- (a) **एग्री-जीआईएस-** रिमोट सेन्सिंग तथा जीआईएस आधारित आंकड़ा आधारित योजना तथा निर्णय प्रणाली Decision Support System (DSS) प्लैटफार्म, भूमि उपयोग, वाटरशेड, फसलों की स्थिति, क्षेत्रफल, उपज के आकलन हेतु GIS एवं रिमोट सेन्सिंग जैसी तकनीक की अधोसंरचना विकसित किये जाने हेतु GRI & GIS क्रियान्वित किया जा रहा है। फसलों की स्थिति एवं उत्पादकता के सटीक और त्वरित आकलन के लिये सेटेलाइट डेटा तथा रिमोट सेन्सिंग तकनीक के उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा नेशनल रिमोट सेन्सिंग केंद्र & ISRO तथा प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं (MPSeDC and MPCST) के साथ कार्य किया जा रहा है। AGRIGIS पोर्टल पर समस्त ग्रामों का उर्वरकता मानचित्र तैयार किया गया है, जिसके आधार पर किसानों को उनकी मृदा में पोषक तत्वों का स्तर एवं उसके आधार पर फसल विशेष हेतु उर्वरक अनुशंसा प्राप्त हो सकेगी। इससे उत्पादन में वृद्धि, कृषि लागत में कमी एवं मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- (b) **एमपी किसान मोबाइल ऐप,** जो भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत है, किसानों के लिए एमपी किसान ऐप पर एक समेकित सेवा इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड, बाजार मूल्य, खरीद के लिए ई-पंजीकरण, फसल की पैदावार, सामयिक सलाह और किसान-उन्मुख विभागीय योजनाओं की जानकारी जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- (c) **एग्रीस्टैक:** किसानों से संबंधित विभिन्न डिजिटल डेटाबेस के एकीकरण के तहत, मध्यप्रदेश में एकीकृत डेटा बेस के भीतर तीन विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उल्लेखनीय कार्य किया गया है: किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भ, मानचित्र रजिस्ट्री और फसल सर्वेक्षण रजिस्ट्री। राज्य किसानों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। किसान से संबंधित विभिन्न उपलब्ध डिजिटल डेटा बेस के एकीकरण से एक एकीकृत डेटा बेस अंतर्गत केंद्र की अपेक्षा अनुसार निर्दिष्ट 3 बिंदुओं फार्मर रजिस्ट्री, जियो रिफरेंस, नक्शा रजिस्ट्री एवं क्रॉप सर्वे रजिस्ट्री पर मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुआ है और प्रदेश किसानों को समन्वित सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। प्रदेश में एग्रीस्टैक के तहत 03 रजिस्ट्रीज (फार्मर रजिस्ट्री) जियो रिफरेंस नक्शा रजिस्ट्री, क्रॉप सर्वे रजिस्ट्री, के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के 56847 ग्रामों में से 56210 ग्रामों को जिओ रेफरेंस किया जा चुका है। खसरा स्तर तक के कडेस्टरल नक्शे तैयार किए गए हैं और लगभग 99 खसरे जिओ रेफरेंस हैं। किसानों को एमपी किसान ऐप में नक्शे पर क्लिक कर भूमि संबंधी जानकारी, मृदा उर्वरकता आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

उपरोक्त के साथ-साथ ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग कर प्रिसीजन फार्मिंग तथा भू-जल उपलब्धता का आकलन संबंधी पायलट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इससे सिंचाई जल तथा आदान के कुशलतम उपयोग से कम खर्च में अधिक लाभ प्राप्त होगा। फसल रोगों/कीड़ों की महामारी का पूर्वानुमान लगाना आसान होगा।

कृषकों को गुणवत्तापूर्ण आदान की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कृषि आदानों के नमूना परीक्षण की प्रक्रिया की गोपनीयता और परिणामों की पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के लिए क्यूआर कोड आधारित ऑनलाईन नमूना प्रणाली विकसित की गई है। परिणामों को प्रयोगशाला द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाईन जारी किए जाने पर रिपोर्ट तत्काल सभी संबंधितों को पोर्टल पर तथा ईमेल द्वारा उपलब्ध हो जाती है। इससे अमानक पाये जाने की स्थिति में संबंधित उत्पाद पर तत्काल रोक लगाई जा सकेगी एवं गुणवत्तापूर्ण आदान की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

- (d) **व्यवसाय करने में आसानी-** आधार पर बीज, उर्वरक और कीटनाशक बिक्री लाइसेंस के दायरे में, आवेदन करने, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने और समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को लोक सेवा गारंटी के तहत पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही, लोक सेवा गारंटी के तहत 9 नई ऑनलाइन सेवाओं का कार्यान्वयन वर्तमान में चल रहा है, और संबंधित प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
- (e) **ई-रूपी-** आधारित अनुदान-किसानों को विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत आदानों पर सब्सिडी के लिए अनुदान पूर्व-अनुमोदित आदानों के द्वारा प्रदाय किये जाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अनुदान स्वीकृत होते ही किसान के मोबाइल पर ई-रूपी टोकन जारी हो जाता है। उसे अनुदान प्राप्त करने हेतु किसी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अनुदान सुनिश्चित हो जाने से किसान सीधे बाजार से अपनी पसंद अनुसार सामग्री का चयन कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर मोल-भाव कर सकता है।

उपरोक्त तथा किसानों संबंधित विभिन्न सेवाओं के प्रचलित अन्य डिजिटल सिस्टम एप तथा पोर्टल भी, भविष्य में कृषि उन्नति प्लैटफ़ार्म से संबद्ध कर एकीकृत सेवाएँ प्रदान की जाना “कृषि-उन्नति” अंतर्गत नियोजित है।

4.7 उद्यानिकी

मध्यप्रदेश भारत के प्रमुख खाद्यान उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन नकदी फसल के रूप में उद्यानिकी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई है। उद्यानिकी क्षेत्र में फसल विविधीकरण और नई तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को लागू किया है। उद्यानिकी में उगाए जाने वाले उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वृक्षारोपण सामग्री, ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग आदि के उत्पादन के लिए एक या अधिक केंद्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्यानिकी निदेशालय विभिन्न योजनाओं को लागू करके औषधीय और सुगंधित फसलों सहित उद्यानिकी फसलों कं उत्पादन और उत्पादकता का विस्तार करने पर काम कर रहा है।


(a) प्रमुख उद्यानिकी फसलों का उत्पादन

राज्य ने उद्यानिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। विपरीत मौसम में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी में यांत्रिकीकरण, फसल प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों कृषकों को उद्यानिकी की आधुनिकतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मध्यप्रदेश के प्रमुख फलों में संतरा, अमरुद, आम, केला एवं नारंगी आदि आते हैं।

प्रमुख मसालों का उत्पादन

वर्ष 2022-23 में मसालों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 8.71 लाख हेक्टेयर और 52.62 लाख मेट्रिक टन था जबकि यह वर्ष 2023-24 में बढ़कर क्रमशः 8.75 लाख हेक्टेयर स्रोत: HAPIS PORTAL of GOI

figure 4.1 1 प्रमुख मसालों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)




स्रोत: HAPIS PORTAL of GOI

और 53.59 लाख मेट्रिक टन हो गया। मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख मसाले लाल मिर्च, लहसुन, धनिया और अदरक हैं। लाल मिर्च का औसत उत्पादन पिछले 5 साल में 2.76 लाख मेट्रिक टन रहा है। इसी तरह, अदरक और लहसुन का औसत उत्पादन 5.15 और 20.23 लाख मेट्रिक टन रहा है।

प्रमुख सब्जियों का उत्पादन

वर्ष 2022-23 में सब्जियों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 11.88 लाख हेक्टेयर और 236.41 मेट्रिक टन रहा एवं वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल बढ़कर 12.19 लाख हेक्टेयर और

figure 4.1 2 प्रमुख सब्जियों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)




स्रोत: HAPIS PORTAL of GOI

उत्पादन 242.62 मेट्रिक टन हो गया। मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख सब्जियां आलू, प्याज और टमाटर हैं। पिछले 5 साल में आलू, प्याज और टमाटर का औसत उत्पादन क्रमशः 38.15, 50.04 और 31.50 लाख मेट्रिक टन रहा।

प्रमुख फलों का उत्पादन

वर्ष 2022-23 में फलों का क्षेत्रफल क्रमशः 4.50 लाख हेक्टेयर और 95.10 लाख मेट्रिक टन रहा एवं वर्ष 2023-24 में 4.53 लाख हेक्टेयर और 95.54 लाख मेट्रिक टन रहा। यह देखा गया कि मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख फल केला, आम और नारंगी हैं। केले, आम और नारंगी का जो पिछले 5 वर्षों का औसत उत्पादन क्रमशः 21.69, 8.39 और 21.96 लाख मेट्रिक टन है।

figure 4.1 3 प्रमुख फलों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)



स्रोत: HAPIS PORTAL of GOI

प्रमुख फूलों का क्षेत्र और उत्पादन- गेंदा क्षेत्रफल एवं उत्पादन ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान गुलाब उत्पादन को लगातार पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख औषधीय पौधों का क्षेत्र और उत्पादन- हाल के वर्षों के दौरान, प्रमुख औषधीय पौधों में ईसबगोल का सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन है जिसके बाद अश्वगंधा और सफेद मूसली आते हैं।

तालिका 4.4 : मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्रफल- हेक्टेयर में; उत्पादन - टन में

अ-फल		2022-23 अंतिम अनुमान			2023-24 प्रथम अनुमान		
क्र.	फल का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	आम (Mango)	62944.60	885485.11	14.07	64216.50	941352.92	14.66
2	अमरुद (Guava)	52747.82	986570.03	18.70	53849.72	1008901.52	18.74
3	ऑवला (Aonla)	30032.53	465884.26	15.51	30472.38	474117.14	15.56
4	संतरा(Kinnow/ Mandarin Orange)	131294.75	2214313.18	16.87	129934.25	2186639.78	16.83
5	नींबू (Lime)	26658.81	400257.28	15.01	27116.21	405826.30	14.97
6	मौसम्बी (sweet Lime)	7187.92	123699.68	17.21	7343.92	125654.12	17.11
7	केला (Banana)	34336.59	2427927.71	70.71	33477.59	2346233.05	70.08
8	अनार (Pomogranate)	8117.21	99195.70	12.22	7880.11	97559.80	12.38
9	पपीता (Papaya)	13394.32	550007.09	41.06	13616.33	564863.52	41.48
10	खरबूज (Muskmelon)	8892.15	173873.09	19.55	9361.65	182921.56	19.54
11	तरबूज (Watermelon)	15452.05	424908.61	27.50	16154.20	443611.42	27.46
12	सिघाड़ा (Water chestnut)	1001.50	2535.85	2.53	1010.00	2569.10	2.54
13	बेर (Bengal quince)	12558.63	139021.96	11.07	12510.03	139266.78	11.13
14	कटहल (Jackfruit)	7578.49	161852.20	21.36	7823.44	168108.44	21.49
15	अंगूर (Grapes)	84.80	1360.00	16.04	84.80	1360.00	16.04
16	सीताफल (Custard Apple)	9803.70	118597.84	12.10	10268.55	123909.13	12.07
17	अन्य फल (Others Fruits)	28028.57	335001.04	11.95	28537.65	341463.29	11.97
योग		450114.44	9510490.63	21.13	453657.33	9554357.87	21.06

क्षेत्रफल- हैक्टेयर में; उत्पादन - टन में

ब-सब्जी		2022-23 अंतिम अनुमान			2023-24 प्रथम अनुमान		
क्र.	सब्जी का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	आलू (Potato)	176060.65	4054360.70	23.03	179153.70	4126796.91	23.03
2	शकरकंद (Sweet Potato)	6918.25	108637.51	15.70	7010.35	110233.79	15.72
3	प्याज (Onion)	217611.25	5406321.94	24.84	220601.85	5471616.38	24.80
4	टमाटर (Tomato)	116570.95	3389365.19	29.08	119673.90	3498255.04	29.23
5	मिण्डी (Lady Finger)	63220.22	904767.93	14.31	65126.80	933043.17	14.33
6	बैंगन (Brinjal)	67582.75	1433121.39	21.21	69485.35	1474021.00	21.21
7	फूलगोभी (Cauliflower)	63770.05	1408469.96	22.09	65480.55	1427605.94	21.80
8	बंदगोभी (Cabbage)	42736.24	1002898.95	23.47	44103.64	1038515.34	23.55
9	अरबी (Colocasia)	18993.36	320481.75	16.87	19773.36	334028.98	16.89
10	हरीमटर (Green Peas)	120082.19	1227641.16	10.22	121592.25	1243096.80	10.22
11	लौकी (Bottle gourd)	28417.82	511969.72	18.02	29469.22	529677.56	17.97
12	करेला (Bitter Gourd)	22964.05	311535.71	13.57	23923.55	324413.23	13.56
13	मूली (Raddish)	16376.87	244022.11	14.90	17323.95	267831.83	15.46
14	पालक (Leafy vegetable/Spinach)	43923.25	521543.31	11.87	45945.17	540965.39	11.77
15	तोराई (Sponge Gourd)	17162.95	230257.79	13.42	18264.95	245143.05	13.42
16	गाजर (Carrot)	11038.85	205851.41	18.65	11347.35	212555.44	18.73
17	ककड़ी (Cucumber)	17852.58	294441.49	16.49	18822.23	311692.98	16.56
18	शिमला मिर्च (Capsicum)	2809.42	53375.78	19.00	2865.02	54104.32	18.88
19	परवल (Pointed gourd)	1025.96	15959.09	15.56	1080.96	16782.95	15.53
20	अन्य सब्जी (Other Vegetable)	133237.81	1996460.33	14.98	138449.16	2101498.59	15.18
योग		1188355.47	23641483.22	19.89	1219493.31	24261878.69	19.90

क्षेत्रफल- हेक्टेयर में; उत्पादन – टन में

स-मसाला		2022-23 अंतिम अनुमान			2023-24 प्रथम अनुमान		
क्र.	मसाला का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	मिर्च सूखी लाल (Dry Red Chilly)	117375.40	279820.29	2.38	112825.50	272185.87	2.41
2	हरी मिर्च (Green Chilly)	62764.65	989389.55	15.76	63747.05	1008980.77	15.83
3	अदरक (Ginger)	34375.10	565631.47	16.45	35556.35	588288.64	16.55
4	लहसुन (Garlic)	202204.35	2085495.07	10.31	202920.55	2094286.30	10.32
5	हल्दी (Turmeric)	22417.55	412152.07	18.39	23630.85	443246.76	18.76
7	धनिया बीज (Coriander Seed)	298495.20	427692.52	1.43	300348.30	434107.89	1.45
8	मेथी बीज/पत्ती (Fenugreek)	53833.33	109627.38	2.04	54072.68	109806.43	2.03
9	जीरा (Cumin)	335.50	384.67	1.15	338.50	388.35	1.15
10	सौंफ (Fennel)	1589.20	2905.82	1.83	1659.60	2978.52	1.79
11	अन्य मसाले (Other Spices)	78065.38	388493.16	4.98	80191.08	404761.13	5.05
योग		871455.66	5261592.00	6.04	875290.46	5359030.66	6.12

द-पुष्प		2022-23 अंतिम अनुमान			2023-24 प्रथम अनुमान		
क्र.	पुष्प का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	गेन्दा (Marigold)	22250.69	294868.40	13.25	22414.44	297388.82	13.27
2	गुलाब (Rose)	4106.66	38064.91	9.27	4182.56	40429.54	9.67
3	सेवन्ती (Chrysanthemum)	1606.00	20840.03	12.98	1668.05	21465.44	12.87
4	रजनीगंधा (Tuberose)	247.98	2693.04	10.86	251.38	2742.12	10.91
5	ग्लेड्यूलस (Gladiolus)	993.42	8863.32	8.92	1023.47	9114.96	8.91
6	अन्य पुष्प (Other Flowers)	10288.77	86428.86	8.40	10646.53	88322.76	8.30
योग		39493.52	451758.56	11.44	40186.43	459463.64	11.43

क्षेत्रफल- हेक्टेयर में; उत्पादन – टन में

घ- औषधि		2022-23 अंतिम अनुमान			2023-24 प्रथम अनुमान		
क्र.	औषधि का नाम	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
1	अश्वगंधा (Ashwagandha)	6368.17	8835.96	1.39	6205.16	8935.14	1.44
2	सफेद मूसली (White Musli)	1890.43	6525.27	3.45	1854.27	6463.81	3.49
3	ईसबगोल (Isabgol)	13010.00	14440.83	1.11	12993.00	14415.33	1.11
4	कोलियस (Coleus)	858.43	3720.65	4.33	953.94	4047.09	4.24
5	अन्य (Other Medicinal Plants)	22780.21	84660.20	3.72	22904.15	85655.42	3.74
योग		44907.24	118182.91	2.63	44910.52	119516.79	2.66

1	सुगचित पुष्प (Aromatic Plants)	2467.48	4318.28	1.75	2552.38	4335.61	1.70
महायोग		2596793.81	38987825.60	15.01	2636090.43	39758583.26	15.08

स्रोत: HAPIS PORTAL of GOI

4.7.1 राज्य वित्त पोषित योजनाएँ:-

फल पौध रोपण योजना:- फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। योजनात्तर्गत प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित उच्च/अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 03 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

तालिका 4.5: लक्ष्य और उपलब्धि का भौतिक और वित्तीय सारांश

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2022-23	371.950	356.25	500.000	422.87
2	2023-24 (मार्च, 2024)	1506.339	1450.349	343.558	340.668

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना:- वर्ष 2016-17 से मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में संशोधित किया गया है। बीज मसाला फसलों (मिर्च, धनिया, मेथी, करायल (कलोंजी), जीरा और अजवाइन) सामान्य वर्ग हेत में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रुपये तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिये 14000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु सामान्य वर्ग हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/- रुपये तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिये 70000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

तालिका 4.6: लक्ष्य और उपलब्धि का भौतिक और वित्तीय सारांश

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2022-23	180.184	147.43	100.000	85.37
2	2023-24 (मार्च, 2024)	3426.1	1023.645	159.742	137.507

स्रोत: उद्यानिकी विभाग, सा. सा. म प्र.

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना:- व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि का निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान इकाई लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 4.7: लक्ष्य और उपलब्धि का भौतिक और वित्तीय सारांश

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2022-23	5.948	5.467	54.900	40.70
2	2023-24 (मार्च, 2024)	2.860	2.630	185.926	185.926

स्रोत: उद्यानिकी विभाग, सा. सा. म प्रा.

कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण (राज्य पोषित योजना):- योजनान्तर्गत किसानों को उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण से जुड़ी नई तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। योजना का उद्देश्य कृषकों को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर भ्रमण कराकर उद्यानिकी की उन्नत तकनीक अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना भी है। योजना के घटकों और पिछले 05 वर्ष की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण इस प्रकार है:-

तालिका 4.8: कृषि प्रशिक्षण और अवलोकन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय मापदंड

क्र	घटक	वित्तीय मापदण्ड
1	1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 600/- प्रति कृषक प्रतिदिन
2	राज्य के अंदर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 1000/- प्रति कृषक प्रतिदिन
3	राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रतिदिन
4	नई तकनीक के अवलोकन के लिए कृषकों का प्रभावन दौरा	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रतिदिन

स्रोत: उद्यानिकी विभाग, सा. सा. म प्रा.

तालिका 4.9: विगत 05 वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति - (0869-002)

क्र संख्या	वर्ष	भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	प्राप्ति	आवंटन	व्यय
1	2019-20	22284	22225	214.80	189.785
2	2020-21	22834	22484	272.79	259.28
3	2021-22	15545	14880	228.24	187.05
4	2022-23	5046	4952	250.00	170.33
5	2023-24	8804	8440	200.00	191.73

स्रोत: उद्यानिकी विभाग, सा. सा. म प्रा.

विज्ञापन एवं प्रचार (0655-35-000) - कार्यक्रमों की संख्या

योजना/मद अंतर्गत विभागीय प्रचार-प्रसार कार्य के तहत विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर उद्यानिकी प्रदर्शनी, मेला, कार्यशाला, सम्मेलन, किसान शो एवं झांकी इत्यादि का आयोजन कर उद्यानिकी की आधुनिक तकनीकों की जानकारी कृषकों तक पहुँचाई जाती है। साथ ही उद्यानिकी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित समस्त कार्य तथा साहित्य, पम्पलेट, बुकलेट एवं डिस्प्ले सामग्री इत्यादि का प्रिंटिंग कार्य किया जाता है। विगत 05 वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :-

तालिका 4.10: पिछले 05 वर्षों की भौतिक और वित्तीय प्रगति: (0655-35-000)

क्र	वर्ष	भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	प्राप्ति	आवंटन	व्यय
1	2019-20	588	288	76.38	46.30
2	2020-21	326	326	95.48	75.87
3	2021-22	1808	1756	95.48	74.02
4	2022-23	96	96	95.48	35.82
5	2023-24	200	197	76.38	19.54

स्रोत: उद्यानिकी विभाग, सा. सा. म प्र.

4.7.2 केन्द्रीय योजनाएँ:-

एकीकृत बागवानी विकास मिशन:- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना एक केंद्रीय योजना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार करना और उत्पादन को बढ़ाना है। वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि रूपये 5013.08 लाख में से राशि रूपये 4743.93 लाख खर्च किये गये। वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि निरंक है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के घटक “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” (माइक्रो इरीगेशन) योजना:

- का उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में सुधार करना तथा सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र में वृद्धि करना और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देना है। योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत 9837.50 हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित कराए गए हैं, जिसकी अनुदान राशि रु. 4494.15 लाख है।

राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन:- - राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड आयुष विभाग के अंतर्गत एक केन्द्रीय स्कीम है। इस स्कीम को 11वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले 630 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इस योजना के उद्देश्य है-

- औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्रों को लाना और ग्रामीण आय उत्पन्न करना।

- आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मूल्य सहायता प्राप्त औषधीय पौधों के निर्यात बाजारों में वृद्धि। राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड के द्वारा जारी मूल दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है। औषधीय पौधों की खेती हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। विगत 03 वर्षों से योजनांतर्गत भौतिक/वित्तीय लक्ष्य प्रदाय नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:- कृषि एवं संबंद्ह क्षेत्रों में विकास को बढ़ाने के लिए 29 मई 2007 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा पाया गया कि कृषि एवं संबंद्ह क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संशाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) योजना की शुरुआत की जानी चाहिए। उपरोक्त के अनुसरण में और योजना आयोग के साथ परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई, वर्तमान में योजना प्रचलन में है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक परियोजना में 35 से 50 प्रतिशत अनुदान एवं शासकीय क्षेत्र में क्रियान्वित परियोजनाओं में शतप्रतिशत सहायता का प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रु. 4661.79 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित हुई, जिसके विरुद्ध भारत सरकार से राशि रु. 938.44 लाख की रिलीज प्राप्त हुई। वर्ष 2022-23 के 2091 संख्या एवं 1797.97 हेक्टेयर के लक्ष्यों की पूर्ति की गई एवं राशि रु. 938.44 लाख का व्यय हुआ है तथा 5861 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रु. 3450.80 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित हुई, जिसके विरुद्ध भारत सरकार से राशि रु. 1170.93 लाख की रिलीज प्राप्त हुई। वर्ष 2023-24 के 959 संख्या एवं 2702.52 हेक्टेयर के लक्ष्यों की पूर्ति की गई एवं राशि रु. 1150.30 लाख का व्यय हुआ है तथा 5584 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना (PMFME):- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमइफएमई) भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। प्रदेश में योजना की अवधि (05 वर्ष) में 11597 इकाईयाँ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत पोर्टल पर कुल 20545 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4347 ऋण स्वीकृत किये गये। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऋण स्वीकृति में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश की रैंक 6वीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्य 4660 के विरुद्ध 2685 ऋण स्वीकृत एवं 1586 इकाईयों की स्थापना की गयी है। 1219 पीएमएफएमई व्यक्तिगत लाभार्थियों को राशि 57.46 करोड़ का अनुदान (केंद्र और राज्य हिस्सेदारी सहित) दिया गया है।

योजना अन्तर्गत क्षमता निर्माण घटक में, 4763 (3912 व्यक्तिगत एवं 851 स्व सहायता समूह)

खाद्य प्रसंस्करण लाभार्थियों को मशीनरी हैंडलिंग, एफएसएसएआई नियम विनियम, विपणन टाई-अप, प्रसंस्करण तकनीक आदि के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में 03 इनक्युबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, सीहोर जिले में अमरुद और फलों और सब्जियों आधारित, ग्वालियर में आलू और बेकरी आधारित तथा मुरैना में सरसों आधारित इनक्युबेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है।

ओएसओपी (एक स्टेशन एक उत्पाद) के तहत, मध्यप्रदेश के स्टेशनों पर 11 लाभार्थियों के स्टॉल, रतलाम, इंदौर, इटारसी, नर्मदापुरम, विदिशा, अशोक नगर, बुरहानपुर, शिवपुरी, गुना, कटनी और रीवा में शुरू किए गए हैं, जहां से उन्हें व्यापक बाजार मिलता है और यात्रियों को सीधे उत्पाद बेचे जा सकते हैं।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि और बागवानी एक्सपो 2023 के दौरान, मध्यप्रदेश के जिला खंडवा के पीएमएफएमई लाभार्थी को उनके उत्पाद के पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग आदि के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मध्यप्रदेश के जिला बुरहानपुर को ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) के तहत - पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन) योजना के तहत केले की फसल के विस्तार, प्रसंस्करण, विपणन, एवम् नवाचार आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट/विशेष कार्य के लिए “नेशनल ओडीओपी अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023” से सम्मानित किया गया।

नर्सरी शाखा:- वर्ष 2022-23 में नवीन गतिविधियों के अंतर्गत “नर्सरी पोर्टल” तैयार किया गया है। विभाग की प्रदेश में लगभग प्रत्येक विकासखण्ड में नर्सरी स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश में 300 नर्सरियों एवं प्रक्षेत्र संचालित हैं। इन नर्सरियों पर उद्यानिकी पौध उत्पादन के अतिरिक्त, बीजोत्पादन एवं अन्य कार्यक्रम लिया जाता है। उक्त नर्सरियों की सतत निगरानी के लिए विभाग द्वारा नर्सरी पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें विभागीय नर्सरियों के सुगम प्रबंधन, मॉनिटरिंग एवं तत्समय की वास्तविक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही नर्सरियों की पूर्ण जानकारी व मातृवृक्ष, संसाधन आदि की जानकारी उपलब्ध रहेगी। उद्यानिकी पौधों की उपलब्धता एवं क्रय हेतु अत्याधुनिक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया गया है, जिससे पौध विक्रय (मार्केटिंग) को नई दिशा मिलेगी। विभागीय नर्सरियों की पोर्टल पर, नर्सरीवार रिपोर्ट, पौधवार स्टॉक, रिकार्ड एवं पौध बिक्री इत्यादि जानकारी उपलब्ध होगी।

राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना:- यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने हेतु दिनांक 06.08.2016 को शुरू की गई है। योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पूँजी लागत अनुदान का 25 प्रतिशत या अधिकतम 02.50 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 08 इकाईयों प्रथम किश्त एवं 11 इकाईयों को द्वितीय किश्त में वित्तीय अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है।

4.8 मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) एक तीन स्तरीय संस्था है, जिसमें मुख्यालय, 07 आंचलिक कार्यालय, 13 तकनीकी कार्यालय तथा 259 कृषि उपज मंडी समितियाँ स्थापित हैं।

तालिका 4.11: विभाजन और श्रेणी के अनुसार बाजार वितरण

आंचलिक कार्यालयों के नाम	जिलों की संख्या	प्रवर्गवार मंडियों की संख्या					कुल उप मंडियाँ
		"क" प्रवर्ग	"ख" प्रवर्ग	"ग" प्रवर्ग	"घ" प्रवर्ग	कुल मंडियाँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	8	12	11	8	18	49	57
इंदौर	8	6	8	8	12	34	62
उज्जैन	7	10	5	8	19	42	50
ग्वालियर	8	3	6	11	25	45	39
सागर	6	3	4	10	19	36	21
जबलपुर	9	4	7	7	17	35	47
रीवा	9	1	1	4	12	18	22
योग	55	39	42	56	122	259	298

स्रोत : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

विशेष - कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/249-250 दिनांक 09 फरवरी 2016, संशोधन क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/2069-2070 दिनांक 14 जुलाई 2016 एवं संशोधन क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/391/1250-1251 दिनांक 22 अगस्त 2017 से वर्गीकृत प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियाँ।

- (1) **मण्डियों में हुई कुल आवक (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)-** वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) की अवधि में प्रदेश की मण्डियों में 437.41 लाख मीट्रिक टन कुल आवक हुई जो विगत वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) की अवधि में प्रदेश की मण्डियों में हुई आवक 405.51 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 31.90 लाख मीट्रिक टन आवक (अर्थात् 7.87%) अधिक है।
- (2) **मण्डियों की मण्डी फीस से आय (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)-** वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) की अवधि में प्रदेश की मण्डियों को मण्डी फीस से रूपये 1609.29 करोड़ की आय हुई है जो विगत वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में हुई आय रूपये 1681.90 करोड़ की तुलना में रूपये 72.61 करोड़ (अर्थात् 4.32%) कम है।

नोट :- राज्य शासन द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2023 से मंडी फीस की दर रूपये 1.50/- के स्थान पर रूपये 1.00/- नियत की गई है।

ई-अनुज्ञा प्रणाली

दिनांक 16/08/2019 से ई-अनुज्ञा पोर्टल का क्रियान्वयन किया गया है। वर्तमान तक कुल 89,01,945 ऑनलाईन अनुज्ञा पत्र जारी हुए हैं जिसमें व्यापारियों द्वारा 71,37,999 अनुज्ञा पत्र स्वयं जारी किये गये हैं तथा मंडी कर्मचारियों की मदद से 17,63,946 अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं। उक्त योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है।

वर्तमान में, मध्यप्रदेश के 64,289 व्यापारियों द्वारा उक्त प्रणाली का इस्तेमाल किया जाकर उनके द्वारा क्रय कृषि उपज के परिवहन हेतु गेट पास स्वयं के द्वारा बनाए जा रहे हैं। मंडी कर्मचारियों द्वारा न के बराबर अनुज्ञा पत्र जारी किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड संधारण में उक्त प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है। कृषकों को उक्त प्रणाली से जोड़कर प्रत्येक भुगतान पत्रक की एंट्री उक्त प्रणाली पर दर्ज हो रही है जिससे कृषकों के भुगतान को सुनिश्चित करने में मंडी समितियों को सहायता मिल रही है। उक्त प्रणाली संपूर्ण भारत में सिर्फ मध्यप्रदेश में प्रवृत्त की गई है जिसे एन.आई.सी के सहयोग से बनाया गया है।

ई-मंडी योजना

ई-मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। ई-अनुज्ञा प्रणाली में बिक्री प्रमाणक को ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज किया जाकर स्टॉक क्रियेट होता है। स्टॉक क्रियेट होने पर अनुज्ञा पत्र जारी होता है। ई-मंडी में किसान के प्रवेश की एंट्री के उपरांत अनुबंध की टेबलेट या एंड्रॉयड मोबाइल पर एंट्री उपरांत तौल की एंट्री तुलावटी द्वारा की जाकर बिक्री प्रमाणक व्यापारी द्वारा जारी किये जाते हैं। उक्त कार्य एंड्रॉयड एवं वेब एप्लीकेशन आधारित है जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कार्य करेगा तथा आने वाले समय में मंडी में होने वाली आवक के अनुपात में जावक की संपूर्ण एंट्रियाँ एक ही डेशबोर्ड पर दिखने लगेंगी जिससे कृषि उपजों की आवक, नीलामी, तौल तथा भुगतान की प्रक्रिया स्ट्रीमलाईन हो जावेगी। मंडियों के रिकार्ड का मैनुअली संधारण धीरे-धीरे समाप्त होगा तथा आने वाले समय में उक्त कार्य म.प्र. की समस्त 259 मंडियों में किया जावेगा।

ई-मंडी की अवधारणा एक मंडी में संपूर्ण कार्यवाही (प्रवेश, अनुबंध, तौल, बिक्री प्रमाणक, अनुज्ञा) की रियल टाईम डेटा केष्ट्रिंग करना है।

- ई-मंडी योजना निर्धारित मंडी प्रांगण के अंदर कृषकों की प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल तथा भुगतान की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक केष्ट्र द्वारा करने की प्रक्रिया है।
- दिनांक 05/04/2021 से ई-मंडी योजना को पायलेट के रूप में कृषि मंडी समिति भोपाल, इंदौर, देवास, जबलपुर, सागर, गुना, सतना तथा हरदा में क्रियान्वित किया गया है। इसके उपरांत दिनांक 10/01/2024 को अपर मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रदेश की शेष “क” प्रवर्ग की सभी मण्डियों में योजना को क्रियान्वित किए जाने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही नाबार्ड, भारत सरकार की अनुशंसा पर बालाघाट (गोंगलई) एवं दीनापुर (लक्षकर) को तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुरूप रीवा को योजना अंतर्गत शामिल किये जाने पर कुल चयनित मण्डियों की संख्या 42 हो गई है।

- ई-मंडी एंड्रॉयड एप्लीकेशन (ऐप) का विकास एन.आई.सी (NIC) भोपाल के द्वारा किया गया है।
- उक्त योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट वर्ष 2023 प्रदान किया गया है।

(1) एम.पी. फार्म गेट ऐप

एम.पी. फार्म गेट ऐप एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे किसान अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर निःशुल्क डाउनलोड कर अपने दाम पर अपने घर, खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज को बेचने में सक्षम हुआ है। किसानों को अपनी उपज मंडी में लाकर विक्रय करने के साथ-साथ अपने घर बैठे अपनी उपज अपने दाम पर बेचने की आजादी मिली है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला पूरे देश में इकलौता राज्य है। उक्त प्रणाली को भारत सरकार द्वारा बहुत सराहा गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त प्रणाली को मांगा जा रहा है। मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में संचालित एम.पी. फार्मगेट ऐप प्रदेश की 8 मंडियों (भोपाल, हरदा, इंदौर, देवास, गुना, सागर, जबलपुर एवं सतना) में दिनांक 01/08/2022 से पायलट के रूप में एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से प्रारंभ किया गया। साथ ही दिनांक 27/09/2022 से उज्जैन मंडी को पायलट योजना में शामिल किया गया है। एम.पी.फार्मगेट ऐप का मध्यप्रदेश की समस्त 259 कृषि उपज मंडी समितियों में संचालन प्रारंभ किया गया है।

वर्तमान में एम.पी. फार्म गेट ऐप अंतर्गत 86,860 किसानों का पंजीकरण पूर्ण किया गया है। वर्तमान तक ऐप का उपयोग कर 56,029 कृषकों द्वारा 339.74 लाख किंवेटल विभिन्न कृषि उपज विक्रय की गई है।

(2) फ्लाइंग स्कॉड ऐप

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए तथा गोदामों के निरीक्षण के लिए एक एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन का विकास एन.आई.सी के सहयोग से किया गया है जिसमें मंडी अधिनियम की धारा 23 के तहत की जाने वाली कार्रवाई को दिनांक 19/02/2024 से एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन पर real-time में दर्ज किए जाने की व्यवस्था की गई है।

कृषि निर्यात

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश से कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निर्यात हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश से गेहूँ निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु “गेहूँ निर्यात” पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गयी थी। शासन की उपरोक्त महत्वाकांक्षी योजना के फलस्वरूप वृहद मात्रा में गेहूँ निर्यात किया गया, परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश से 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का निर्यात कर मध्यप्रदेश, भारत वर्ष के कुल निर्यात 47 लाख मीट्रिक टन के 45% हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान पर रहा।

तालिका 4.12: मध्यप्रदेश राज्य निर्यात डेटा (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)

क्रमांक	मध्यप्रदेश राज्य का निर्यात	दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023	
		कृषि उपज की मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ में)
1.	गेहूँ निर्यात	21.02	5325.07
2.	कुल कृषि निर्यात	33.30	14138.18

स्रोत : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 2 कृषि उपजों रीवा सुन्दरजा आम एवं सीहोर शरबती गेहूँ को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नाबार्ड के समन्वय से GI टैग प्राप्त कराया गया है।

प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश से गेहूँ निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु “गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना” लागू की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा गेहूँ अथवा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु कोई योजना लागू नहीं की गयी थी। साथ ही भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मई 2022 से गेहूँ निर्यात पर प्रतिबंध एवं घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई, 2023 से गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश से कुल कृषि निर्यात की मात्रा में कमी परिलक्षित हो रही है।

तालिका 4.13: मध्यप्रदेश राज्य के कुल कृषि निर्यात का तुलनात्मक विवरण

दिनांक 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023		दिनांक 01 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2024	
कृषि उपज की मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ में)	कृषि उपज की मात्रा (लाख मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ में)
33.30	14138.18	10.19	9767.93

स्रोत : मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

वर्तमान वित्तीय वर्ष में DGCIS⁴ पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश राज्य से दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में कृषि उपजों की मात्रा 1019085.57 मीट्रिक टन एवं मूल्य राशि रूपये 9767.93 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से किया गया।

मध्यप्रदेश से विशिष्ट उपजों को GI⁵ टैग प्राप्ति की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में मंडी बोर्ड के सहयोग से GI CELL का गठन JNKVV स्तर पर किया गया है।

⁴ DGIS- Directorate-General for International Cooperation

⁵ GI- geographical indication

⁶ JNKVV- Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya

⁷ ODOP-one district one product

वित्तीय वर्ष 2023-24 में JNKVV^६ जबलपुर के सहयोग से अन्य 06 कृषि उपजों महाकौशल क्षत्रिय धान, सिताही-कुटकी, बैगनी-अरहर, नागदमन-कुटकी, बालाघाट-चनी, सिवनी-जीराशंकर धान को GI टैग प्राप्ति हेतु तथा कृषि विभाग नरसिंहपुर/गुना के सहयोग से अन्य दो उपजों गाडरवारा तुअर दाल एवं कुम्भराज धनिया को GI टैग प्राप्ति हेतु GI रजिस्ट्री, चेनई को आवेदन प्रेषित किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य के जैविक उत्पादों के विपणन की प्रगति का प्रतिवेदन

मंडी बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैविक उत्पादों के साथ ही एक जिला एक उत्पाद (ODOP^७) योजना अंतर्गत चयनित कृषि उपजों के कृषकों को बेहतर मूल्य प्राप्ति, विपणन में सुगमता एवं क्षेत्र की उपजों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समितियों में उपरोक्तानुसार उत्पादों के क्रय-विक्रय हेतु पृथक से शेड/स्थल चिन्हांकित किये गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष दिनांक 01 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मार्च 2024 तक मंडी समितियों के माध्यम से 13.43 लाख टन जैविक उत्पादों का क्रय-विक्रय संपादित किया गया है।

“राष्ट्रीय कृषि बाजार” (e-NAM) योजना

“राष्ट्रीय कृषि बाजार” (e-NAM^८) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। भारत सरकार की “राष्ट्रीय कृषि बाजार” योजना मध्यप्रदेश में दिनांक 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 59 नवीन मंडियों को e-NAM योजना में जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश की 139 मंडियों में e-NAM पोर्टल पर ई-ट्रेडिंग में दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 2078 अनुज्ञाप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 17.18 लाख मीट्रिक टन कृषि जिन्सों का व्यापार किया गया जिसका मूल्य लगभग 6157.29 करोड़ रुपये है। उक्त अवधि में 785 कृषकों का पंजीयन ई-नेम पोर्टल पर किया गया।

कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना

(1) कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)

वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) की अवधि में इस निधि के अन्तर्गत राशि रु. 27.52 करोड़ अर्जित किये गये हैं तथा ब्याज मद में राशि रु 13.98 करोड़ अर्जित किये गये हैं, जिसके विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिए शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार विभिन्न संस्थाओं को राशि रु. 28.58 करोड़ अनुदान स्वरूप प्रदान की गयी है तथा ब्याज मद से राशि रु. 3.6 करोड़ व्यय की गयी है।

(2) गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)

वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) की अवधि में इस निधि के अन्तर्गत राशि रु. 46.64 करोड़ प्राप्त हुए हैं। उक्त निधि में से म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को कुल राशि रु. 53.04 करोड़ प्रदेश के समस्त जिलों की गौ-शालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु पूर्ण किये गये हैं।

⁶ E-NAM- National Agriculture Market

⁷ FPO- Farmers Producer Organisation

⁸ PACS- Primary Agricultural Credit Societies

कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ) योजना

कृषि अवसंरचना निधि (ए.आई.एफ) योजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। इस योजना के माध्यम से कृषक, कृषि से जुड़े उद्यमी, FPOs⁹, स्टार्टअप्स, स्व-सहायता समूह, PACS¹⁰ तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े विभिन्न लोग इत्यादि कृषि अवसंरचना निर्माण हेतु बैंक से प्राप्त राशि रूपये 2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट का लाभ सात वर्षों के लिए ले सकते हैं। साथ ही CGTMSE¹¹ शुल्क को भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के साथ कवर्जेस की सुविधा भी हितग्राहियों को उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत वेयरहाउस, साइलोस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, एयरोपोनिक फार्मिंग, हायड्रोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, स्मार्ट-प्रिसीजन फार्मिंग हेतु अवसंरचना निर्माण, अर्सेईग इकाई, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन इकाई, जैविक आदान उत्पादन इकाई, पैकेजिंग इकाई, वैक्सिंग इकाई, पॉली हाउस-ग्रीन हाउस, राईफनिंग चैंबर्स, कृषि आधारित लॉजिस्टिक्स व आपूर्ति-शृंखला अवसंरचनाओं जैसी विभिन्न परियोजनाएँ स्थापित की जा सकती हैं। AIF योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश में राशि ₹ 6502 करोड़ के कुल 8662 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। इसके अतिरिक्त कुल 8157 प्रकरणों में राशि ₹ 5131 करोड़ का डिसबर्समेंट किया जा चुका है जो अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में AIF¹² योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश में राशि ₹ 1712 करोड़ के कुल 2735 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं एवं कुल 2401 प्रकरणों में राशि ₹ 1004 करोड़ का डिसबर्समेंट किया जा चुका है।

भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को “बेस्ट परफर्मिंग स्टेट अवार्ड” से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008

प्रदेश में कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये म0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 27-09-2008 से “मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008” लागू की गई है, जिसमें कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है:-

1. मृत्यु होने पर सहायता राशि रूपये- 4,00000/-
2. दुर्घटना में स्थाई अपंगता सहायता राशि रूपये- 100000/-
3. दुर्घटना में आंशिक अपंगता सहायता राशि रूपये - 50000/-
4. अन्त्येष्टि अनुदान राशि रूपये - 4000/-

योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित परिवार/आवेदक द्वारा दुर्घटना घटित होने से एक वर्ष की समयावधि में संबंधित जिला कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने

¹² AIF-Agriculture Infrastructure Fund

¹¹ CGTMSE- Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises


का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रकरणों में स्वीकृति एवं भुगतान के पूर्ण अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को हैं। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) राशि रूपये 1558.72 लाख 450 पात्र हितप्राहियों को योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

4.9 पशुपालन

- बजटीय आवंटन (2001-2024):** प्रस्तुत चार्ट 2013-14 से 2023-2024 तक वित्तीय वर्षों के दौरान पशुपालन विभाग को आवंटित बजट को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए 1583.91 करोड़ रूपये की राशि बजट में प्रावधानित थी। 31 मार्च 2024 तक 1583.91 करोड़ रूपये का व्यय हुआ।

चित्र 4. 10 बजट आवंटित सीआर।




स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म. प्र.

- डेयरी:** मध्यप्रदेश देश में दूध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, दूध उत्पादन क्रमशः 190.02 लाख टन और 201.22 लाख टन था, जो 5.88% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 644 ग्राम प्रतिदिन है। चार्ट 2018-19 से 2022-23 तक राज्य में दूध उत्पादन प्रस्तुत करता है, जिसमें भैंसों और स्वदेशी/गैर-विवरणी गायों के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। प्रजाति वार प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान कुल दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक लगभग 48 प्रतिशत है, और देशी/नान डिस्क्रिप्ट गायों का योगदान लगभग 36 प्रतिशत है।

- 3) **अंडा उत्पादन:** चार्ट में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-2023 तक राज्य में अंडा उत्पादन की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि वर्ष 2022-23 में कुल अंडा उत्पादन लगभग 31,850.38 लाख अंडे है, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 9.48% की वृद्धि दर्शाता है। 2022-23 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 37 अंडे है।

चित्र 4. 11 मप्र में दूध, मांस और अंडे का उत्पादन



स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म प्र.

- 4) **मांस उत्पादन:** चार्ट 2018-19 से 2022-2023 तक राज्य में मांस उत्पादन की स्थिति को दर्शाता है, 2022-23 में कुल मांस उत्पादन लगभग 138.95 हजार टन है, जो 2021-22 की तुलना में 9.37% की वृद्धि को दर्शाता है। 2022-23 में मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 1.62 किलोग्राम प्रति वर्ष है। प्रजाति वार प्रदेश में मांस उत्पादन में मुर्गी पालन का सर्वाधिक योगदान लगभग 41 प्रतिशत रहा है, और बकरी पालन का योगदान 29 प्रतिशत है।
- 5) **पशुधन और कुक्कुट विकास:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन (केन्द्र परिवर्तित योजना) हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रदाय, नंदीशाला योजना, समुन्नत मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना, पशुधन बीमा योजना एवं निगम की नवीन योजनाओं में सेक्स असॉर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना, मैत्री की स्थापना, राष्ट्रव्यापी कत्रिम गर्भधान कार्यक्रम (छ।च्छ), रतौना जिला सागर में गोकुल ग्राम की स्थापना, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना, पशु आहार संयंत्र कीरतपुर (इटारसी) की स्थापना, जबलपुर में डेयरी इस्टेट तथा धार में पोल्ट्री इस्टेट की स्थापना, नौनेर जिला दतिया में सीमन स्टेशन केन्द्र की स्थापना, आई.व्ही.एफ/ई.टी.टी. प्रायोगशाला की स्थापना।
- 6) **तरल नाइट्रोजन संयंत्र:** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भोपाल, ग्वालियर और सागर में तीन तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इंदौर

में पशु चिकित्सा परिसर में तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। एक तरल नाइट्रोजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 500-600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख से 2.15 लाख लीटर तरल नाइट्रोजन का उत्पादन होता है। वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक 15.20 लाख लीटर तरल नाइट्रोजन का जिलों में प्रदाय किया गया है

(9) ”म.प्र. राज्य सहकारी डेयरी महासंघ लिमिटेडः- प्रमुख गतिविधियाँ और कार्यक्रम”

1980 में, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अंतर्गत, मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) की स्थापना की गई, ताकि सहकारी क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों का समन्वय किया जा सके। इससे आनंद मॉडल पर आधारित त्रि-स्तरीय सहकारी संरचना का गठन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्राथमिक स्तर पर लगभग 7,000 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां, द्वितीय स्तर पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में मुख्यालय वाले 6 सहकारी दुग्ध संघ, और राज्य स्तर पर एमपीसीडीएफ शामिल हैं।

दुग्ध सहकारी समितियों का प्रमुख कार्य दुग्ध उत्पादकों के द्वार पर दूध के लिए बाजार की उपलब्धता प्रदान करना और कृत्रिम गर्भाधान, सस्ती संतुलित पशु आहार, तकनीकी पशु प्रबंधन प्रशिक्षण, उनत चारा बीज और पशु प्राथमिक चिकित्सा/टीकाकरण जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। दुग्ध संघों का ध्यान दुग्ध सहकारी समितियों के गठन, दुग्ध क्रय, संसाधन, पैकिंग, उत्पाद निर्माण और बिक्री के साथ-साथ दुग्ध उत्पादकों को मार्गदर्शन और सेवाएं प्रदान करने और विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्रित है। एमपीसीडीएफ राज्य और केंद्रीय सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ समन्वय, दुग्ध संघों के माध्यम से सहकारी डेयरी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना, और संघों पर प्रशासनिक नियंत्रण करता है।

तालिका 4.14: प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियां

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
गठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	10090	10205	10268	10351	10151
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	7811	7205	6823	6593	5953
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या	268087	246551	239113	229702	224506
दूध संग्रह (किलो प्रति दिन)	858527	913343	905858	834500	1050008
स्थानीय दूध की बिक्री (लीटर प्रति दिन)	747751	638357	671767	716465	698542
पशु चारा बिक्री (Mt)	102674	82980	109098	97484	89605
कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	600174	561612	557307	550919	534442


तालिका 4.14: प्रदेश में दुध सहकारी समितियां

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दुध उत्पादकों को भुगतान (करोड़ रुपए में)	1294.44	1117.14	1179.18	1587.67	1675.38
बिक्री प्राप्तियां करोड़ में) (₹)	1884.23	1708.52	1904.82	2157.56	2193.58

स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म प्र.

एमपीसीडीएफ एवं दुध संघों के अंतर्गत कार्यरत त्रिस्तरीय संरचना का संचालन प्रदेश के जिलों में किया जा रहा है।

figure 4.16 मध्यप्रदेश में दुध संघों के क्षेत्र



स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म प्र.

(10) राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना (National Programme for Dairy Development)

- भारत शासन द्वारा वित्त पोषित योजना।
- इसका उद्देश्य दुध संकलन, परीक्षण तथा शीतलीकरण तथा प्रसंस्करण से सम्बंधित अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार करना।

- इसके अंतर्गत दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण हेतु एमपीसीडीएफ में रु. 12.00 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।
- घटक ब अंतर्गत इंदौर में रु. 76.50 करोड़ की लागत से 30 एमटी प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

(11) प्रमुख उपलब्धियां-वर्ष 2023-24 की स्थिति में एमपीसीडीएफ की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

संकलन

- प्रदेश में 10,151 पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों में से 5,953 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं।
- वर्ष के दौरान 10.50 लाख किग्रा प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन किया गया। गत वर्ष की तुलना में औसत दुग्ध संकलन में 26 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की गई।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 550 के लक्ष्य के विपरीत 457 समितियों का गठन तथा 1,000 के लक्ष्य के विपरीत 513 समितियों का पुनर्जीवन किया गया।
- किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत बैंकों में 2.58 लाख प्रकरण प्रस्तुत तथा 73,531 प्रकरण स्वीकृत।
- पशु उत्प्रेरण हेतु शासन की मुद्रा योजना अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु दुग्ध संघों एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य एम.ओ.यू. किया गया जिसमें एस.बी.आई द्वारा 1134 प्रकरण की राशि रु. 2001.00 लाख विमुक्त किये गये जिसमें दुग्ध प्रदायकों द्वारा 2853 पशु प्रदेश के बाहर से क्रय किये गये हैं।
- मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजनान्तर्गत 752 में से 328 हितग्राहियों द्वारा 53.81 लाख का 1.35 लाख लीटर दूध दुग्ध संघों को विक्रय किया गया। हितग्राहियों को रु. 39.73 प्रतिलीटर की दर से भुगतान प्राप्त हुआ।
- 27,800 समिति सदस्यों को 111.2 MT हरा चारा बीज उपलब्ध कराया गया।
- 23,026 पशुओं का बीमा तथा 5,40,439 पशुओं का टीकाकरण किया गया।

प्रसंस्करण

- जबलपुर में बायो सी एन जी संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण।
- इंदौर में 30 में. टन प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
- दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण हेतु एमपीसीडीएफ में रु. 12 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष के दौरान भारत सरकार से रु. 4.42 करोड़ के अतिरिक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त की गई।
- भोपाल दुग्ध संघ में प्रोडक्ट डेयरी की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

विक्रय

13. वर्ष के दौरान सांची ब्राण्ड अंतर्गत 6.99 लाख लीटर पैकेट दूध के साथ ही 45 लाख किग्रा घी, 65 लाख लीटर मटठा, 2.45 लाख लीटर मीठा सुगंधित दूध, 2.82 लाख किग्रा श्रीखण्ड, 7.78 लाख लीटर लस्सी, 3.21 लाख किग्रा पनीर, 20 लाख किग्रा दही, 3.14 लाख किग्रा पेड़ा, 1.93 लाख किग्रा छेना रबड़ी, 32 हजार किग्रा मावा, 22 हजार किग्रा गुलाबजामुन, 12 हजार किग्रा रसगुल्ला तथा 42 हजार किग्रा मिल्केक का विक्रय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1.19 लाख मैट्रन पशु आहार भी विक्रय किया गया है।
14. वर्ष के दौरान दुग्ध संघों का कुल सेल्स टर्न ओवर रु 2194 करोड़ रहा है।
15. नवीन उत्पादों की शृंखला में भोपाल दुग्ध संघ द्वारा सांची नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रस्तुत किया गया।

तालिका 4.15: हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्षों की भौतिक जानकारी (राशि रूपये लाख में)

क्रं	योजना का नाम	वर्ष			
		2022-23		2023-24	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	अनुदान पर सांड (मुर्गा पाड़ा)प्रदाय	228.15	228.15	235.35	230.25
2	नन्दीशाला योजना	29.12	29.12	44.36	44.36
3	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	121.14	120.21	165.75	165.75
4	अनुदान पर बैंकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	51.62	51.62	41.42	41.42
5	अनुदान पर कड़कनाथ चूजौं का प्रदाय	69.03	69.03	48.64	48.64
6	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	3820.00	3820.00	1820.00	1820.00
7	मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम	1760.00	1760.00	1760.00	योजना को वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट 3 में रखने के कारण राशि मार्च के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होने से
8	मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम	14.59	14.59	14.59	

स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म. प्र.

तालिका 4.16: हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों के लाभार्थियों की जानकारी (लक्ष्य और उपलब्धियां)।

क्रं	योजना का नाम	वर्ष				टीप	
		2022-23		2023-24			
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति		
1	अनुदान पर सांड (मुर्गा पाड़ा)प्रदाय	507	507	523	513		
2	नन्दीशाला योजना	151	151	230	230		

क्रं	योजना का नाम	वर्ष				टीप	
		2022-23		2023-24			
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति		
3	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	317	315	417	417		
4	अनुदान पर बैंकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	3093	3093	2482	2452		
5	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	2112	2112	1474	1447		
6	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	475	475/1987	2116	1277		
7	मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम	1318	1093	1318	0	योजना को वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट 3 में रखने के कारण राशि मार्च के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होने से	
8	मुख्यमंत्री दुधारु पशु प्रदाय कार्यक्रम	757	757	757	0		

स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म. प्र.

प्रदेश में योजना के प्रारंभ से 31 मार्च 2024 तक पशु चिकित्सा इकाई (मवु) द्वारा 8.44 लाख सेवाएं प्रदान की गई जिनके माध्यम से 3.34 लाख पशु पालकों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश में NADCP योजना के अंतर्गत fmd टीकाकरण के तृतीय चरण में 247.32 लाख टीकाकरण किए गए।

तालिका 4.17: गौसेवक प्रसिकक्षण की जानकारी

S. no.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय लक्ष्य (लाख)	वित्तीय उपलब्धियां (लाख)
1	2022-23	418	377	32.29	26.74
2	2023-24	338 (प्राथमिक) 611(refresher)	292(प्राथमिक) 377(Refresher)	Estimate-32.29 Allotment-25.832	21.77

स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म. प्र.

Table 4.18: उपचार एवं टीकाकरण

S. no.	वर्ष	श्रेणी	लाख (नंबर)	
1	2022-23	उपचार	159.26	169.46
	2023-24	टीका	335.42	247.67
2	2022-23	उपचार	160.85	170.90
	2023-24	टीका	335.42	242.24

स्रोत- पशुपालन विभाग, सा. सा. म. प्र.

4.10 खाद्य और नगरिक आपूर्ति:

मध्यप्रदेश, एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, भारत की खाद्य सुरक्षा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किया है, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

4.10.1 राज्य में खाद्य सुरक्षा के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- **खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 28 श्रेणियों के परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। माह जनवरी, 2024 से प्रदेश के 537.48 लाख जनसंख्या को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित कर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **आदिवासी विकासखण्डों में डबल फोर्टिफाईड नमक का वितरण**

प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों की आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए माह मई, 2018 से डबल फोर्टिफाईड नमक वितरण प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को रु. 1 की दर से एक किलो डबल फोर्टिफाईड नमक वितरण किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में 80.50 लाख पात्र परिवारों को लाभांवित किया जा रहा है।

- **फोर्टिफाईड चावल का वितरण**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों की आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए माह जनवरी, 2023 से प्रदेश के समस्त जिलों में फोर्टिफाईड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत परिवार को निःशुल्क चावल का वितरण कराया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना**

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन का कार्य परिवहनकर्ता ठेकेदार के स्थान पर बेरोजगार युवकों के माध्यम से कराने की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की गई है, जिसके तहत लगभग 894 बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति से 7.5 मे.टन क्षमता के वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, अभी तक 894 हितग्राहियों को वाहन उपलब्ध कराकर राशन सामग्री का परिवहन कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रु. 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन

मनी 3% ब्याज अनुदान दिया गया है। योजना के तहत बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने के साथ-साथ सामग्री का परिवहन भी त्वरित गति से किया जा रहा है।

- **वन नेशन-वन राशनकार्ड**

प्रदेश में वन नेशन वन राशनकार्ड व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सम्मिलित समस्त पात्र परिवार प्रदेश की लगभग 26,779 एवं अन्य राज्यों की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपनी हकदारी का खाद्यायन प्राप्त कर सकते हैं। विगत एक वर्ष इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी से 3.22 लाख एवं इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी से 132 लाख परिवारों द्वारा राशन प्राप्त किया गया है।

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2**

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश में 72.38 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 71.51 लाख पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2.0 अंतर्गत गैस चूल्हा, रेग्यूलेटर, प्रथम रिफिल एवं प्रतिभूति राशि का मिलान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाकर निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- योजना के द्वितीय चरण हेतु प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य लगभग 16.99 लाख के विरुद्ध 10.84 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
- योजना के तृतीय चरण अंतर्गत 677872 परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-2.0 अंतर्गत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य पूर्ण हो जाने से उज्ज्वला पोर्टल बंद है एवं गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया स्थगित है। उक्त संबंध में भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर तदుसार कार्यवाही की जाएगी।
- लाडली हनों एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शनधारी महिलाओं को रु. 450 में गैस रिफिल उपलब्ध कराना
 - महिलाओं को परंपरागत ईंधन के साधनों से खाना पकाने में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शनधारी एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी के गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पंजीकृत बहनों को उनके द्वारा लिए गए गैस रिफिल को रूपये 450/- में उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत माह जुलाई, 2023 से फरवरी, 2024 तक लगभग 182.98 लाख परिवारों को राशि रूपये 538.24 करोड़ का अनुदान उनके खाते में अंतरित की गई।

- समर्थन मूल्य पर खाद्यानुपार्जन

विगत 05 वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु पंजीकृत किसानों एवं उनसे उपार्जित गेहूं एवं धान की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 4.19 गेहूं का उपार्जन

(संख्या लाख एवं मात्रा लाख मे.टन में)

वर्ष	उपार्जन केन्द्र	पंजीकृत किसान	किसानों से खरीदी	कुल उपार्जन
2019-20	3545	19.98	9.86	73.64
2020-21	4529	19.47	15.94	129.42
2021-22	4663	24.72	17.25	128.15
2022-23	4224	19.81	5.90	46.03
2023-24	3824	16.99	7.92	70.96
2024-25	3694	15.48	6.12	48.39

स्रोत- खाद्य और नगरिक आपूर्ति विभाग, सा. सा. म प्र.

तालिका 4.20 धान का उपार्जन

(संख्या लाख एवं मात्रा लाख मे.टन में)

वर्ष	उपार्जन केन्द्र	पंजीकृत किसान	किसानों से खरीदी	कुल उपार्जन
2019-20	975	5.43	4.36	25.85
2020-21	1424	7.24	5.89	37.26
2021-22	1558	8.37	6.60	45.82
2022-23	1542	7.46	6.47	46.29
2023-24	1412	7.29	6.05	42.14

स्रोत- खाद्य और नगरिक आपूर्ति विभाग, सा. सा. म प्र.

4.10.2 मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन

मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन वर्तमान में 300 शाखाओं पर 225.11 लाख मे.टन औसत क्षमता की स्थिति में कार्यशील है। मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का प्रमुख उद्देश्य कृषकों/जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो,

इसके लिए स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करना तथा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। विंगत 02 वर्षों में मध्यप्रदेश वेरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भैतिक स्थिति निम्नानुसार है :-

तालिका 4.21 वार्षिक क्षमता और उपयोग डेटा: (क्षमता लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वामित्व क्षमता	पट्टे पर ली गई क्षमता	जे.वी. कृष्मता	कुल क्षमता	उपयोग	उपयोग प्रतिशत
2022-23	296	29.62	07.05	178.87	215.54	114.18	53
2023-24	300	26.66	06.39	192.06	225.11	88.92	40

स्रोत- मध्यप्रदेश वेरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन, सा. सा. म प्र.

तालिका 4.22: वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन (लाख रुपये में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2022-23	63622.74	45273.97	18348.77
2023-24	64978.57	53215.42	11763.15

स्रोत- मध्यप्रदेश वेरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन, सा. सा. म प्र.

- मध्यप्रदेश वेरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा कृषकों को वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा का लाभ पहुंचाते हुए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती हैं।
- किसानों द्वारा 200 किंचिंत्ल से अधिक सोयाबीन जमा करने पर 25% भंडारण शुल्क में रियायत प्रदान की जा रही है, जबकि अन्य अनाज और चावल पर 15% भंडारण शुल्क में रियायत प्रदान की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में, मार्च 2023 तक, बैंकों ने किसानों द्वारा जारी प्रतिज्ञा प्रमाणपत्रों के आधार पर लगभग ₹271.63 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, मार्च 2024 तक, बैंकों ने किसानों द्वारा जारी प्रतिज्ञा प्रमाणपत्रों के आधार पर लगभग ₹115.63 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।
- मध्यप्रदेश सरकार की उत्पादन नीति के अंतर्गत, मध्यप्रदेश वेरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को खरीदे गए अनाज के भंडारण के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। निगम ने खरीदी गई स्टॉक के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की, और संग्रहीत मात्रा निम्नलिखित थी:

तालिका 4.23: निगम द्वारा उपार्जित मात्रा और भण्डारित मात्रा (मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भण्डारित मात्रा
2022-23	46.04 लाख में.टन गेहूँ की उपार्जित मात्रा	43.75 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम) + 1.43 लाख में.टन केप + 4.86 लाख में.टन सायलो बैग + 1.71 लाख में.टन स्टील सायलो
	8.02 लाख में.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	07.86 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम)
	46.19 लाख में.टन धान/मोटा अनाज की उपार्जित मात्रा	लगभग 38.23 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम)/केप
2023-24	70.97 लाख में.टन गेहूँ की उपार्जित मात्रा	54.87 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम) + 6.17 लाख में.टन सायलो बैग + 2.62 लाख में.टन स्टील सायलो
	10.29 लाख में.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	10.13 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम)
	42.16 लाख में.टन धान की उपार्जित मात्रा	33.58 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम + केप) 28.37 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम) 05.21 लाख में.टन (केप)
	10.29 लाख में.टन मोटा अनाज की उपार्जित मात्रा	10.13 लाख में.टन (कवर्ड गोदाम)

स्रोत- मध्यप्रदेश वेरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन, सा. सा. म प्र.

4.11 मत्स्य विकास

वर्तमान समय में, जलीय कृषि स्वरोजगार के साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि, वानिकी और पशुपालन की तुलना में, जलीय कृषि की वृद्धि दर सबसे अधिक है। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और पौष्टिक भोजन की कमी को देखते हुए, जलीय कृषि न केवल अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय रूप से अपेक्षाकृत कम लागत पर प्रोटीन युक्त भोजन का उत्पादन भी करती है। यह मछुआरा समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। इन अवसरों को पहचानते हुए प्रदेश में जलीय कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

4.11.1 प्रमुख जल निकायों में मछली उत्पादन का योगदान

बरगी और इंदिरा सागर जैसे प्रमुख जल निकाय मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे राज्य की सीमाओं से परे लोगों की पसंद पूरी होती है। वर्ष 2023-2024 के अनुसार, राज्य में 4.42 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिसमें से 4.40 लाख हेक्टेयर मछली पालन के लिए विकसित किया गया है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 99 प्रतिशत है।

- (i) **मछली बीज उत्पादन:** वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 21,000 लाख मानक फ्राई मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, जिसमें 21,006.52 लाख मानक फ्राई मछली बीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 100.03 प्रतिशत है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22,500 लाख मानक फ्राई मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 21486.30 लाख मानक फ्राई मछली बीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 95.49 प्रतिशत है।

- (ii) **मछली उत्पादन:** वर्ष 2022-23 में 3,40,036 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक उत्पादन 3,41,767.27 टन हुआ, जो लक्ष्य का 100.51 प्रतिशत है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च 2024 तक 97.92 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ, इस अवधि में कुल उत्पादन 3,81,891.95 टन हुआ, जो 3,90,000 टन के निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा कम है।
- (iii) **मछुआरों की सहकारी समितियाँ:** वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, राज्य में कुल 2,595 मछुआरा सहकारी समितियाँ थीं, जिनमें 95,417 सदस्य थे। इनमें से 52 समितियाँ केवल महिलाओं के लिए हैं, जिनमें 1,869 सदस्य शामिल हैं।
- (iv) **नई मत्स्य नीति:** परंपरागत मछुआरों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए नई मत्स्य नीति के तहत उनके लिए सिंचाई/ग्रामीण जल निकायों/तालाबों का दीर्घकालिक आवंटन किया गया है। मार्च 2024 तक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 167 जल निकायों को 141 मछुआरा सहकारी समितियों (5694 सदस्य) और 47 जल निकायों को 47 मछुआरा समूहों (452 सदस्य) को आवंटित किया गया है।
- (v) **मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम:** विभाग मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देता है। वर्ष 2022-23 के लिए 4809 मछुआरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। मार्च 2023 तक, विभाग ने 4071 मछुआरों को प्रशिक्षित किया। वर्ष 2023-24 के लिए 4809 मछुआरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है और मार्च 2024 तक 2931 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है।
- (vi) **किसान क्रेडिट कार्ड:** कृषि किसानों की तरह, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बिना ब्याज के बैंक ऋण प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 44,658 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। मार्च 2024 तक, 25,898 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। योजना की शुरुआत से मार्च 2024 तक कुल 101,104 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिससे मध्यप्रदेश इस पहल में दूसरे स्थान पर है।
- (vii) **संचय-सह-राहत योजना:** मछली के प्रजनन मौसम के कारण 16 जून से 15 अगस्त तक मध्यप्रदेश नदी (मत्स्य) नियम 1972 के तहत मत्स्य गतिविधियों पर प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों की आजीविका के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संचय-सह-राहत योजना लागू की जा रही है। वर्ष 2017-18 में मछली किसानों के खातों में INR 1500 की राशि जमा की गई थी। योजना की शुरुआत नील क्रांति योजना के तहत की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 10,895 लाभार्थियों के खातों में INR 326.86 लाख जमा किए गए थे। वर्ष 2023-24 के लिए, 10817 लाभार्थियों के खातों में संचय-सह-राहत योजना के तहत INR 324.51 लाख जमा किए गए हैं।

- (viii) **रोजगार सृजन:** वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 300 लाख मानव-दिवस के रोजगार सृजन के लक्ष्य के खिलाफ, 269.62 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ। मार्च 2024 तक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 300 लाख मानव-दिवस के लक्ष्य के खिलाफ 275.35 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ है।
- (ix) **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ):** प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए कुल INR 17518.57 लाख की स्वीकृति दी गई थी। इसमें केंद्रीय हिस्सा INR 5423.97 लाख, राज्य हिस्सा INR 3672.17 लाख और लाभार्थी हिस्सा INR 8422.43 लाख शामिल हैं। पहली किस्त INR 2712.00 लाख जारी की गई है। राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए कुल INR 17329.87 लाख की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें केंद्रीय हिस्सा INR 5499.40 लाख, राज्य हिस्सा INR 3718.79 लाख और लाभार्थी हिस्सा INR 8111.68 लाख शामिल हैं। योजना के तहत, योजना की शुरुआत से वर्ष 2024 तक कुल केंद्रीय हिस्सा INR 154.40 करोड़ स्वीकृत किया गया है, जिसमें से INR 124.75 करोड़ वितरित किया गया है और राज्य हिस्सा INR 84.22 करोड़ है।

4.11.2 योजनाएँ:

1. मत्स्य विकास योजना

मत्स्य विकास योजना मछली किसानों को विभिन्न पहलों के माध्यम से व्यापक समर्थन प्रदान करती है, जिसमें टिकाऊ जलीय कृषि प्रथाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना के तहत विभिन्न टैंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बायोफ्लोक इकाइयों की स्थापना शामिल है, जिसमें 7 से 50 टैंक हैं, जो मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट लागत और पात्रता मानदंडों के साथ डिजाइन किए गए हैं। तालाब बायोफ्लोक सेटअप का भी समर्थन किया जाता है, जिससे किसानों को प्रति व्यक्ति अधिकतम 2 इकाइयों या समूहों के लिए 20 इकाइयों तक 0.1 हेक्टेयर इकाइयों का निर्माण करने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, योजना नए तालाबों, मछली बीज गुणन तालाबों और गोलाकार हैचरियों के निर्माण को सुविधाजनक बनाती है, प्रत्येक परियोजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है, यह सुनिश्चित करना कि किसानों के पास आधुनिक जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं तक पहुंच हो।

योजना में 2 टन/दिन से 100 टन/दिन तक की क्षमता वाले मछली फीड मिलों के विकास और भंडारण और परिवहन लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए विभिन्न क्षमताओं के साथ आइस प्लांट की स्थापना के लिए भी समर्थन शामिल है। मछली परिवहन के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें रेफ्रिजेरेटेड और इंसुलेटेड वाहन, और वेंडिंग केंद्र शामिल हैं, जिसमें मछली पालन में लगे व्यक्तियों और समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना मछली खुदरा बाजारों

और मूल्य-वर्धित उद्यमों की स्थापना के माध्यम से मछली विपणन को प्रोत्साहित करती है, विशेष रूप से एससी/एसटी/अल्पसंख्यक/महिला/बेरोजगार युवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अतिरिक्त, रंगीन मछली पालन को विभिन्न संरक्षण और प्रजनन इकाइयों के माध्यम से समर्थन दिया जाता है। जलीय उत्पादों के स्वास्थ्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, योजना रोग निदान प्रयोगशालाओं और मोबाइल क्लीनिकों की स्थापना को वित्तपोषित करती है। कुल मिलाकर, यह व्यापक दृष्टिकोण मछली पालन क्षेत्र की उत्पादकता, स्थिरता और विपणन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिससे उद्योग में कई हितधारकों को लाभ होता है।

2. दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य धन योजना के तहत मछुआरों के लिए):

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मृत्यु एवं स्थायी अपंगता के लिए 5.00 लाख रुपये तथा दुर्घटनाओं की स्थिति में आंशिक अपंगता के लिए 2.50 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, अस्पताल में भर्ती होने के लिए 0.25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। बीमा प्रीमियम 40:60 अनुपात के साथ INR 84.00 है, जहां राज्य INR 33.60 का योगदान देता है, और केंद्र सरकार INR 50.40 का योगदान देती है। केंद्र द्वारा प्रबंधित योजना राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा प्रीमियम वहन करने की अनुमति देती है।

3. मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना (राज्य सहायता कार्यक्रम):

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए राज्य मंत्रिमंडल के दिनांक 09.11.2022 के निर्णय के आधार पर लागू मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना को 100% राज्य निधि द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। कार्यक्रम में ग्रामीण तालाबों में मछली बीज विकास और मछली उत्पादन, ग्रामीण तालाबों में झींगा खेती और शहरी और पेरी-शहरी क्षेत्रों में मछली विक्रेताओं के लिए स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को 90% सब्सिडी प्रदान की जाती है, और वर्ष 2023-24 के लिए INR 50.00 करोड़ का बजट आवंटित किया जाता है।

- **कार्यक्रम विवरण:** ग्रामीण तालाबों में मछली बीज विकास/उत्पादन: यह कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, मछुआरा समूहों और मछुआरा सहकारी समितियों द्वारा संचालित मछली बीज विकास/उत्पादन गतिविधियों का समर्थन करता है। इकाई लागत INR 2.00 लाख प्रति हेक्टेयर तय की गई है, जिसमें DBT के माध्यम से INR 0.80 लाख प्रति हेक्टेयर की 40% सब्सिडी है। यह योजना सामान्य परिस्थितियों में प्रति लाभार्थी एक हेक्टेयर और समूहों/समितियों के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर की अनुमति देती है।
- **ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन:** मुख्यमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना के तहत, ग्रामीण तालाबों और जलाशयों में एकीकृत झींगा पालन किया जा सकता है, जिसमें अन्य योजनाओं के

साथ समेकित 40% सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए, इकाई लागत 4.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तथा की गई है, और लाभार्थी को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से 1.60 लाख रुपये की 40% सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना प्रति लाभार्थी एक हेक्टेयर के लिए सब्सिडी पात्रता की अनुमति देती है, जबकि समितियों/समूहों के मामले में, जल क्षेत्र में अधिकतम 2 हेक्टेयर सब्सिडी पात्रता के लिए विचार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में झींगा उत्पादन का लक्ष्य 35 टन निर्धारित किया गया है, जबकि 2022-23 में 28 टन का लक्ष्य रखा गया है।

4. मछली किसानों के लिए प्रशिक्षण:

बीज उत्पादन, मत्स्य पालन और झींगा खेती में उन्नत तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले मछली किसानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जाता है। प्रशिक्षकों द्वारा किए गए व्यय के लिए प्रति व्यक्ति 2700 रुपये का प्रावधान आवंटित किया गया है, जिसमें निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थल तक वास्तविक यात्रा व्यय शामिल है, साथ ही प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम भोजन और जलपान प्रदान करना है।

5. किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज सब्सिडी:

सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी श्रेणियों के मछली पालकों को कार्यशील पूँजी ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में मछली उत्पादन इकाइयों के लिए 1.60 लाख रुपये प्रति एकड़, झींगा बीज उत्पादन के लिए 4.60 लाख रुपये प्रति 0.10 हेक्टेयर, केज कल्चर के लिए 2.94 लाख रुपये प्रति यूनिट और पट्टा आधार समितियों/समूहों के लिए आरएएस (रीसर्क्युलेटिंग एक्चाकल्चर सिस्टम) के लिए 20.70 लाख रुपये प्रति यूनिट (8 टैंक) की सब्सिडी निर्दिष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त, मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए नावों/जाल के लिए 0.23 लाख रुपये और मछुआरा संघ के सदस्यों के लिए 0.40 रुपये प्रति इकाई का प्रावधान किया गया है।

6. स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना:

मछली खरीद और बिक्री में स्वच्छता की स्थिति बढ़ाने के लिए, स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना को योजना में शामिल किया गया है। प्रत्येक इकाई की स्थापना के लिए 5.00 लाख रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है, और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की जाती है।

7. अमृतकाल 2047:

2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक की अवधि के लिए विजन के हिस्से के रूप में, राज्य का लक्ष्य मछली उत्पादन को 10 लाख मीट्रिक टन और झींगा उत्पादन को 100 टन तक बढ़ाना है। मछली और मत्स्य उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग पर जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य मछली निर्यात के दायरे को व्यापक बनाना है, राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देना

और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। विभाग की प्राथमिक दृष्टि राज्य के मछुआरों का समग्र कल्याण और विकास है।

I. विभाग की उत्कृष्ट उपलब्धियां

विश्व मत्स्य दिवस, 21 नवंबर के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 के दौरान राज्य के सिवनी जिले को इन्हें मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार बालाघाट जिले में प्रथम सरस्वती मत्स्य सहकारी समिति को दिया गया, जिसने इसे मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कृषि समिति के रूप में मान्यता दी। इस पुरस्कार में 1.00 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और सम्मान के प्रतीक के रूप में शॉल/श्रीफल के साथ समिति अध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

4.12 ग्रामीण विकास

मध्यप्रदेश में समग्र ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु किसानों को आधुनिक तकनीकों और बेहतर बीजों की सुविधा दी जा रही है। कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई परियोजनाओं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर जोर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण स्कूलों को सुदृढ़ बनाने के लिए न केवल बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, बल्कि डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ‘मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना’ जैसी पहलें छात्रवृत्ति प्रदान कर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए ‘मध्यम और लघु उद्योग विकास’ योजना, ‘मनरेगा’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी योजनाओं को लागू किया गया है।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास की भूमिका को बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) और मानव विकास सूचकांक (HDI) के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है। MPI गरीबी के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर को मापता है, जबकि HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखता है। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के 2.30 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ और ‘स्वच्छ भारत मिशन’ जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। ग्रामीण विकास के इन प्रयासों से न केवल MPI में सुधार हो रहा है बल्कि HDI में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इन सभी प्रयासों से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

इस खंड में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कार्यान्वयित प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्ज की गयी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को रेखांकित किया गया है। इस खंड के माध्यम से प्रदेश के समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति में ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका को दर्शाया गया है।

4.12.1 प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना

मध्यप्रदेश में ग्रामीण सङ्कों का निर्माण मुख्यतः प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना एवं म. प्र. ग्रामीण संपर्कता परियोजना के माध्यम से कराया गया है। ग्रामीण सङ्क संपर्क स्थाई रूप से गरीबी उपशमन तथा आर्थिक विकास की मुख्य धारा में ग्रामीण क्षेत्रों का समेकन सुनिश्चित करने का एक प्रमुख साधन है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने राज्यों की सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत सामान्य विकासखण्डों में 500 या उससे अधिक तथा जनजाति विकासखण्डों में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र ग्रामों को बारहमासी सङ्कों से जोड़ने तथा अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना (एम.पी.आर.सी.पी.) के आर्थिक कार्य विभाग वित मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें 10,000 कि.मी. ग्रेवल सङ्कों का डामरीकरण हेतु चयन कर 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 की आबादी के ग्राम तथा जनजाति क्षेत्र में 100 से 249 तक की आबादी के ग्राम परियोजना में शामिल किये गए हैं। उपरोक्त परियोजना विश्व बैंक एवं एआईआईबी द्वारा वित्त पोषित है। योजना अंतर्गत 11,731 कि.मी. मार्गों के काम आवंटित किये जा चुके हैं। अद्यतन स्थिति में 10984 कि.मी. लंबाई के मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। एमपीआरसीपी परियोजना 15.09.2023 को समाप्त हो चुकी है।

वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना अंतर्गत 1400 कि.मी. निर्माण का भौतिक लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष अद्यतन स्थिति में 866 कि.मी. निर्माण की उपलब्धि प्राप्त की गई है। वर्ष 2023-24 हेतु 14 संपर्क विहीन बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष 7 बसाहटों को सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना **फेज-1** अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य की कुल संपर्कता विहीन 17541 पात्र बसाहटों को जोड़ने के लिए 72995 कि.मी. लंबाई की सङ्कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन स्थिति में 72963 कि.मी. लंबाई की 18942 सङ्कों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 17534 बसाहटों को बारहमासी सङ्कों से जोड़ा गया है। वर्तमान में शेष 40 कि.मी. सङ्कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिससे बची हुई लगभग 7 बसाहटें जोड़ी जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत 658 वृहद पुलों की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, जिसमें से 647 पुलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना **फेज-2** अंतर्गत भारत सरकार से आर्थिक आधार पर ऊर्जा मार्किट सेंटर एक ऊर्जा हब को जोड़ने वाली पूर्व से निर्मित सङ्कों का उन्नयन कार्य किये जाने हेतु प्रदेश को 4900 कि.मी. मार्गों के उन्नयन का लक्ष्य दिया गया है। जिसके तहत 4900 कि.मी. लंबाई के 374 मार्गों एवं 245 नग पुलों के निर्माण हेतु रूपए 3599.4 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में 4885 कि.मी. के 370 मार्गों तथा 243 पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 का उद्देश्य पूर्व से निर्मित ग्रामीण मार्गों, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते हैं, का उन्नयन करना है। योजनान्तर्गत लंबाई 12364 कि.मी. लंबाई के 1077 मार्गों एवं 806 पुलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष में अद्यतन स्थिति में 11383 कि.मी. लंबाई के 805 मार्गों तथा 376 पुलों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 200 पुलों हेतु 1228 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर मार्गों का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश में लगभग 6229 मैट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करते हुए 12459 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया है। अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि में 481 कि.मी. सड़कों का निर्माण हुआ है।

उपरोक्त तकनीक से सड़क निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों में फैलने वाली गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का भी अहम भाग होगा।

पी.एम. जनमन

पी.एम-जनमन की घोषणा 15 नवम्बर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई। पीएम-जनमन योजना Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVGT) के अंतर्गत प्रदेश में तीन जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहारिया के लिए सड़क सम्पर्कता प्रदान किया जाना है योजनान्तर्गत संपर्कता मुख्य घटक के रूप में शामिल हैं। योजना अंतर्गत फेज -1 में 125 मार्गों, लंबाई 295 कि.मी. स्वीकृत 89 मार्ग लंबाई 215 कि.मी. हेतु एजेंसी निर्धारित, शेष मार्गों हेतु निविदा कार्यवाही प्रगतिरत, फेज-2 में 40 मार्गों, लंबाई 182 कि.मी. के प्रस्ताव पर भारत सरकार के साथ दिनांक 11.03.2024 को स्वीकृति के क्रम में ई.सी. हो चुकी है।

4.12.2 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सामान्य क्षेत्र में 500 से कम तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से वर्तमान तक पात्र 8,948 ग्रामों को जोड़ने हेतु लगभग 20,098 किलो मीटर लंबाई की 8,718 सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 31 मार्च, 2024 तक 8,395 सड़कें, लंबाई 19,349 किलो मीटर का कार्य पूर्ण किया जाकर 8,564 ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता से जोड़ा जा चुका है जिन पर 31 मार्च, 2024 तक ₹. 3538.00 करोड़ व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित की गई ग्रेवल सड़कों में संधारण योग्य वे सड़कें जिनकी पीसीआई (Pavement Condition Index) वेल्यु 2 अथवा 2 से कम है, ऐसी 2701 किलो मीटर की 1126 सड़कों में मनरेगा के अभियान से पीरियोडिकल रीग्रेवलिंग हेतु राशि ₹. 121.96 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मार्च, 2022 में जारी की जाकर 31 मार्च, 2024 तक 1683 किमी का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिन पर राशि ₹. 66.73 करोड़ का व्यय किया गया है।

4.12.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वित्तीय वर्ष 2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने एवं पिछली आवास योजनाओं की कमियों को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाए-जी) में पुनर्गठित कर दिनांक 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 (माह मार्च 2024 तक) मध्यप्रदेश में क्रमशः 9.07 लाख एवं 2.59 लाख आवास पूर्ण किये गए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,000 राजमिस्त्री प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण में लगभग 8630 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, द्वितीय चरण में 1370 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया जा रहा है।

योजना के प्रारम्भ वर्ष 2016-17 से कुल लक्ष्य 37.99 लाख में से कुल 37.99 लाख में से शत-प्रतिशत आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके सापेक्ष अद्यतन स्थिति में 35.92 लाख आवास (94.54 प्रतिशत) पूर्ण किये जा चुके हैं। योजनांतर्गत 5.59 लाख महिला, 35265 भूमिहीन, 6.68 लाख अनुसूचित जाति, 14.59 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 16.71 लाख अन्य परिवारों को लाभान्वित किया गया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य (प्रावधान) 12012.80 करोड़ रुपये था, जिसके सापेक्ष व्यय 11151.45 करोड़ रुपये रही।

तालिका 4.12.3: पीएमएवाए-जी अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत एवं पूर्ण आवासों की स्थिति

स.क्र.	वर्ष	राज्य द्वारा नियत लक्ष्य	स्वीकृतियां	पूर्णता	प्रतिशत
1	2016-17	447156	447145	435862	97
2	2017-18	414116	414109	405760	98
3	2018-19	565458	565448	558367	99
4	2019-20	599621	599619	582865	97
5	2020-21	624090	624087	589396	94
6	2021-22	1149054	1148999	1020017	88

नोट:- वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

4.12.4 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवम्बर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) के लिये प्रारम्भ की गई। उक्त योजना में प्रदेश के तीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (बैगा, भारिया एवं सहरिया) को लक्षित किया गया है। इसमें 9 प्रमुख मंत्रालयों के 11 घटक समाहित किये गये हैं। मध्यप्रदेश के 24 जिले (जिला-अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, दतिया,

डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, मुरैना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, रायसेन, सतना, सीधी, सिवनी, सिंगरौली, विदिशा एवं उमरिया) गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित है, परंतु इनमें सभी गाँव अभी भी प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं।

योजना का लक्ष्य 86,228 आवास निर्माण का है। मिशन अंतर्गत 4,452 MoTA गांव और 1,966 Non MoTA गांव में कुल 1.51 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इन 1,966 Non MoTA ग्रामों को जोड़ने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय को अनुरोध पत्र भी भेजा गया है। योजना के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जिसमें से 85,396 (99%) को आवास स्वीकृत किए गए हैं। 15-01-2024 को प्रधानमंत्री द्वारा 1 लाख हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरित की गई, जिसमें मध्यप्रदेश के 44,783 हितग्राही शामिल थे। देश का प्रथम आवास मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में बनाया गया और प्रदेश में 157 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

4.12.5 स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण

स्वच्छ भारत मिशन चरण-1 सर्वव्यापी स्वच्छता को शासकीय एवं सामुदायिक प्रयासों से हासिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन चरण -1 का शुभारंभ किया गया। यह समुदाय और संचालित केन्द्रित प्रति के लोगों और आम मांग आधारित महत्वाकांक्षी अभियान था इसका लक्ष्य आम लोगों, स्कूलों, आँगनवाड़ी और पिछड़े या वंचित समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूकता किया गया। साथ ही, देश में 'खुले में शौच' के प्रचलन को समाप्त किया गया। अभियान अंतर्गत कुल 62.90 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय निर्माण कर उनकी उपयोगिता भी सुनिश्चित की गई। परिणाम स्वरूप 02 अक्टूबर 2018 को प्रदेश को सम्पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है जो वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगा। एस.बी.एम.(जी.) चरण 2 का मुख्य उद्देश्य ग्रामों की ओडीएफ स्थिति को निरंतर बनाये रखते हुए, ग्रामों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामों को दृश्य स्वच्छ बनाया जाकर ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया जाना है।

स्वच्छ भारत मिशन चरण-II का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाना है इस हेतु ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु चरणबद्ध ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति बनाई गई जिसके परिणाम स्वरूप फेज 2 प्रारंभ से वर्ष 2023-24 में 31 मार्च की स्थिति में अब तक निम्न उपलब्धियां हासिल की जा चुकी।

- ✓ ODF स्थायित्व हेतु 8,16,599 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) 16,764 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) निर्मित किये गये हैं।
- ✓ ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन 40391 ग्रामों में किया गया एवं 47,102 ग्रामों को तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किया गया।

- ✓ कुल 49608 ग्रामों को ODF Plus घोषित किया गए जिनमें से 36669 ग्राम मॉडल श्रेणी में ODF Plus घोषित हुए हैं।
- ✓ गोबरधन परियोजना अंतर्गत 114 बायोगैस संयंत्र निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जिनमें से 87 संयंत्रों को क्रियाशील कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन: एक सतत प्रयास

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें से केवल एक छोटा हिस्सा ही एकत्रित और संसाधित किया जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, मध्यप्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (एसबीएम-जी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई दी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को टिकाऊ आदर्श गांवों में बदलना है।

एसबीएम-जी विभिन्न स्थानीय शासकीय निकायों को विशिष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपता है। ग्राम पंचायतों का कार्य बल्कि वेस्ट जनरेटर्स (BWGs) की पहचान और सूची बनाना, कचरे के पृथक्करण को सुनिश्चित करना और कचरे के संग्रहण का प्रबंधन करना है। ब्लॉक पंचायतें ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करती हैं, कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए प्रणाली स्थापित करती हैं, और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं। जिला पंचायतें कचरे के उपचार के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करती हैं, ब्लॉक पंचायतों को प्रणाली स्थापना में सहायता करती हैं और कचरे को प्रसंस्करण इकाइयों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का सुनिश्चित करती हैं। BWGs, जिसमें सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, हाट बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, को कचरे का पृथक्करण करना, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा निस्तारण से बचना और कचरा प्रबंधन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

भविष्य में एसबीएम-जी के अंतर्गत “राज्य में थोक कचरा प्रबंधन के लिए नीति” विकसित करने की आवश्यकता है जो मध्यप्रदेश के एक स्वच्छ, हरित और अधिक समृद्ध राज्य बनाने की ओर लक्षित होगा।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई और पीएमयू के 5 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। 52 जिलों के जिला समन्वयकों को ‘सफाई कर्मचारियों की गरिमा’ पर जिला स्तरीय प्रशिक्षकों (ToT) के रूप में प्रशिक्षित किया गया। तरल अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ प्रबंधन पर 54 इंजीनियरों और 54 जिला/ब्लॉक समन्वयकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण मिला। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पर सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायतों, जिला समन्वयकों और पर्यटन विभाग के 220 हितधारकों का उन्मुखीकरण किया गया। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा आईईसी पर 700 हितधारकों का भी प्रशिक्षण हुआ।

सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियाँ: स्वच्छता ही सेवा अभियान के माध्यम से भारत को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने का प्रयास 52 जिलों के 50,725 गांवों तक पहुंचाकर किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना और कचरे के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना था।

मिशन लाइफ के तहत कई अभियान शुरू किए गए। प्रथम अभियान में, ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ को ना कहें, के अंतर्गत सभी जिलों की 17,934 ग्राम पंचायतों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए 8,66,292

प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और स्थायी पर्यावरण का निर्माण करना था। द्वितीय अभियान में तालाबों और जल निकायों से प्लास्टिक कचरे की सफाई, में सामुदायिक स्तर पर 4,31,610 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभागियों ने 10,656 ग्राम पंचायतों से 35,427 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा हटाया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जल निकायों की सफाई और संरक्षण था। अभियान के तीसरे चरण में अपशिष्ट कम करें अभियान, के तहत 23,581 ग्रामों के 7,24,427 प्रतिभागियों ने कचरे को अलग-अलग निपटान के लिए अलग किया और 26,091 ग्रामों में रैलियां आयोजित की गईं। इस अभियान का उद्देश्य कचरे के प्रभावी प्रबंधन और ग्रामीण समुदायों में जागरूकता फैलाना था।

1. लक्ष्य के विरुद्ध भौतिक प्रगति

(i) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
1	2020-21	195185	173806	89.05
2	2021-22	247523	235366	95.09
3	2022-23	385780	194294	50.36
4	2023-24	260003	213133	81.97

(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
1	2020-21	5561	0	0
2	2021-22	22060	5278	23.93
3	2022-23	15890	16645	104.05
4	2023-24	28803	18467	64.11

(iii) तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
1	2020-21	5195	0	0
2	2021-22	22061	5158	23.38
3	2022-23	15890	25516	160.58
4	2023-24	20052	16428	81.92

(DDWS द्वारा MIS में किये गये अपडेशन अनुसार डेटा सुधार कर प्रस्तुत किया गया है।)

2. लक्ष्य और उपलब्धि के विरुद्ध वित्तीय प्रगति -


क्र.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (रु. लाख में)			उपलब्धि (रु. लाख में)
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल योग	
1	2020-21	6750.03	28243.45	34993.48	43629.99
2	2021-22	30000.00	20000.00	50000.00	53474.83
3	2022-23	26000.00	14000.00	40000.00	37605.00
4	2023-24	21617.50	14411.66	36029.16	37537.07

4.12.6 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM)


मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का उपयोग एक प्रभावी माध्यम के रूप में किया है, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत और साख के जरिए आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो रही हैं और सरकारी योजनाओं एवं सूचनाओं से जुड़ती हैं। 1998 में 'स्वशक्ति परियोजना' के साथ इन समूहों का गठन शुरू हुआ, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार और शहरी रोजगार योजनाओं ने और सुदृढ़ किया। 2010 में इन योजनाओं का पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की शुरुआत की गयी, और इसे 2012 से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए विभिन्न वर्षों में करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया है। वर्तमान में, प्रदेश में 5,03,170 SHGs सक्रिय हैं, जिनमें 62,16,367 ग्रामीण परिवार शामिल हैं, और इनमें से अधिकांश के पास बैंक खाते हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं बैंक खाता खोलने, बचत करने, बीमा योजनाओं में नामांकन करने, और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम हो रही हैं। SHGs को कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में कई आजीविका विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं, जैसे कि बिजली बिल संग्रह, नल-जल योजना, और कैफे संचालन। इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के तहत SHGs को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित हो रहा है (विस्तृत व्योरा अध्याय 8: सामाजिक और आर्थिक विकास में देखें)।

4.12.7 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करती है। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत लेबर बजट 22.70 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 22.60 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं। कुल सृजित मानव दिवसों में अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 13.99%, अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 32.06% एवं महिलाओं द्वारा 41.8% मानव दिवस सृजित किये गये हैं। अनुसूचित जनजाति के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।



वर्ष 2023-24 में (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में) स्वीकृत लेबर बजट 20.00 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 19.98 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं। कुल सृजित मानव दिवसों में अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 12.66%, अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 31.71% एवं महिलाओं द्वारा 43.32% मानव दिवस सृजित किये गये हैं।



महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सृजित कुल कार्य दिवसों में महिलाओं के लिए सृजित कार्य दिवसों का अनुपात वर्ष 2022-23 में 41.8 प्रतिशत था, जो वर्ष 2023-24 में 43.32 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में मनरेगा के तहत हो रहे अच्छे प्रयासों जैसे महिला रोजगार मेट, महिला रोजगार सहायक एवं काम करने वाली महिलाओं के लिए झूलाधर जैसे प्रावधानों के परिणामस्वरूप महिलाओं के काम करने हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रदेश में महिलाओं के अंदर सामाजिक सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है एवं महिलाएं बिना किसी भेदभाव एवं भय के अपने जीवनयापन हेतु सुरक्षित वातावरण में सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

वर्ष 2022-23 में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 94,739 एवं वर्ष 2023-24 में (दिनांक 31.03.2024) की स्थिति में) 79,968 है। वर्ष 2022-23 में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं कृषि और कृषि आधारित कार्यों में क्रमशः 67.29%, 81.4% व्यय किया गया है। मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2022-23 में रु 4524.52 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में) रु 4195.43 करोड़ मजदूरी पर व्यय किये गए हैं।

4.12.8 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास

भारत सरकार एवं राज्य शासन से वित्त पोषित (60:40) वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत नवीन वाटरशेड विकास परियोजना मध्यप्रदेश में जनवरी 2022 में स्वीकृत हुई है। योजना अंतर्गत वर्तमान में 36 जिलों में कुल क्षेत्रफल 5.10 लाख है। एवं परियोजना लागत 1121 करोड़ की 85 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **वाटरशेड विकास घटक-** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर परियोजना निगरानी कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के पहल किए जा रहे हैं पहल की गई है यथा:
- वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु PFMS का उपयोग किया जा रहा है जिसके माध्यम से प्रत्येक भुगतान (व्यक्तिगत एवं संस्था) Digitally किया जा रहा है
- Shrasti - Drashti Application के माध्यम से वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गतकिये गये प्रत्येक कार्य की Geo-tagging की जा रही है
- <https://wdcpmksy.dolr.gov.in/> MIS के माध्यम से वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गतकिये गये प्रत्येक कार्य की भौतिक प्रगति को मॉनिटरिंग किया जा रहा है

वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (रु.करोड़ में)
2021-22	75.03	48.2	123.23	2.7
2022-23	172.62	116.89	289.51	325.84
2023-24 (31 March 2024)	163.75	109.16	272.91	303.4
कुल	411.4	274.25	685.65	631.94

वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है-

वर्ष 2023 - 24 भौतिक प्रगति

4.12.9 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) एक केन्द्र वित्त पोषित योजना है जो कि पूर्व में आरजीपीएसए योजना के नाम से लागू थी जिसे वर्ष 2018 में पुर्नगठित किया जाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में क्रियान्वित है आरजीएसए अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। यह योजना वर्ष 2026 तक प्रभावी है एवं इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। वर्ष 2021-22 में केन्द्रांश एवं राज्यांश प्राप्त राशि 88.97 करोड़ एवं 01 अप्रैल 2022 को विगत वर्षों की शेष राशि 155.80 करोड़ थी, जिसे पूर्णतः उपयोग किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (CEC) अनुमोदन पश्चात कुल राशि रूपये 435.39 करोड़ अनुमोदित है, जिसकी प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में राशि 46.66 करोड़ केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि प्राप्त हुई थी, जिसका पूर्णतः उपयोग किया जा चुका है।

वर्ष 2023-24 में प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि 53.63 करोड़ प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग किया जाकर वर्तमान में राशि 18.38 करोड़ शेष है। योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में 342366 एवं इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में 94316 प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास एवं सतत विकास से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 15 एवं 16 मई 2023 को कार्यशाला आयोजित कर GeM पंजीयन हेतु मास्टर ड्रेनर्स का प्रशिक्षण किया गया। इसी श्रृंखला में दिनांक 24 मई 2023 को GeM एवं e-gram swaraj के संयुक्त इंटरफेस जिला एवं जनपद स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु कार्यशाला आयोजित कर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा, परिचर्चा की गई। दिनांक 18 सितंबर 2023 एवं 5 तथा 6 मार्च 2024 को भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय से आए विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स लागू करने हेतु संबंधित विभाग, लाइन विभागों एवं जिले /जनपद पंचायतों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सबका विकास जन अभियान (Peoples Plan Campaign)- भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित ‘सबकी योजना सबका विकास’ जन अभियान अंतर्गत वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायतों के द्वारा 99.94% जीपीडीपी निर्माण एवं अपलोडिंग की गई। वर्ष 2024-25 के लिए जिले एवं जनपद स्तर के जीपीडीपी नोडल अधिकारियों का राज्य स्तर से प्रशिक्षण कर लगातार प्रगति समीक्षा की जाकर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 83.39% अपलोड किया जाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है। वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायतों में पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया द्वारा सुशासन हेतु GeM पोर्टल पर लगभग 55 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा पंजीयन किया जा चुका है। अद्यतन स्थिति में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है।

4.12.10 अमृत सरोवर

माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना अनुसार, दिनांक 11 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अमृत सरोवर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देश में सर्वाधिक अमृत सरोवर पूर्ण करने वाले राज्यों

में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। निर्धारित लक्ष्य 75 अमृत सरोवर प्रति जिले के सापेक्ष प्रदेश के अधिकतर जिलों में 100 से अधिक कार्य लिए जाकर कुल 5936 अमृत सरोवर कार्य लिए गए। वर्ष 2021-22 में 5,106 कार्य तथा वर्ष 2022-23 में 830 कार्य लिए गए हैं। लिए गए अमृत सरोवरों की औसत जल भंडारण क्षमता 15,000 घन मीटर से अधिक है, जो की निर्धारित मापदंड 10,000 घन मीटर से कहीं अधिक है।

अमृत सरोवर कार्यों के चयन हेतु वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे जीआईएस ट्रूल्स का उपयोग किया गया है। कार्यों का चयन करते समय सिंचाई के साथ साथ आजीविका के जैसे पर्यटन, मछली पालन, सिंधाड़ा उत्पादन हेतु अमृत सरोवर का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त कई जिलों में CSR मद तथा जनभागीदारी (जमीन, श्रमदान, मशीनरी) के रूप में सहयोग प्राप्त किया गया। कार्यों की समयबद्ध पूर्णता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक अमृत सरोवर हेतु पंचायत स्तरीय अधिकारी(PLO) तथा पंचायत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, साथ ही राज्य तथा जिला स्तर से कार्यों का नियमित निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा समीक्षा की गई। प्रत्येक अमृत सरोवर कार्य पर फ्लैग पोस्ट का निर्माण किया गया है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पूर्ण कार्य निरीक्षण अन्य जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा मोबाइल एप पर किया जा रहा है।

4.12.12 मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम 2022

मध्यप्रदेश राज्य में कुल 20 पेसा जिले, 88 पेसा विकासखंड, 5133 पेसा ग्राम पंचायत एवं 11595 पेसा ग्राम है। मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी जनजातियों को जल, जंगल, जमीन, श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण एवं परंपराओं की सुरक्षा के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से जनजातीय समाज के गौरव के प्रतीक लोक नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश में दिनांक 15 नवंबर 2022 को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 लागू किया गया। पेसा के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश में 16 जिला समन्वयक, 86 ब्लॉक समन्वयक, 4654 ग्राम पंचायत पेसा मोबलाईजर्स कार्यरत हैं। पेसा नियमों के विषय में जन समुदाय को अधिक से अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर एवं मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेटिङ (MOU) निष्पादित किया गया है, जिसके फल स्वरूप मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा सहज, सुलभ व विस्तृत ढंग से पेसा का प्रभावी प्रशिक्षण सम्पादित किया जा रहा है।

नवम्बर 2023 तक 15632 ग्राम (फलियों, मजरों, टोलों तक) में प्रशिक्षण कार्य संपादित किया गया है। पेसा के तहत 124 नवीन ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। 11534 से अधिक ग्राम सभाओं में शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया एवं 4586 विवादों का निराकरण किया गया। 11461 ग्राम सभा निधि के खाते खोले गये हैं। 11226 ग्रामों में वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन और 20217 ग्राम सभाओं में सहयोगिनी मातृ समिति का गठन किया गया है।

अध्याय 5

उद्योग, एमएसएमई और बुनियादी ढांचा

अध्याय -5

उद्योग, एमएसएमई और बुनियादी ढांचा

उद्योग, एमएसएमई और बुनियादी ढांचा

यह खंड क्रमिक रूप से बड़े उद्योगों, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों की स्थिति और पहल से संबंधित है। इसके बाद यह राज्य में ऊर्जा और जल संसाधनों के बुनियादी ढांचे के पहलुओं पर चर्चा करता है।

मैक्रो परिप्रेक्ष्य

मध्यप्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, वैकल्पिक स्थायी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए अपने नीतिगत सुधारों को प्राथमिकता दी है।

राज्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता है जिसमें अधिक रोजगार की संभावना है। निवेश आमंत्रित करने के लिए राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार किया जा रहा है। आगामी टेक्स्टाइल पार्क, मेगा लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, बायोटेक पार्क, इंटीग्रेटेड हैंडलूम क्लस्टर, कालीन पार्क और क्राफ्ट हैंडलूम विलेज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और एमएसएमई के तेजी से उत्थान के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे। राज्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन और स्थानीय लाभ प्रदान करने को प्राथमिकता देता है। 2023 में शुरू की गई 'आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति' राज्य में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते हुए क्षेत्रों की स्थापना के रास्ते खोलेगी।

पिछले पंद्रह वर्षों में किए गए बड़े निवेश के साथ उद्योगों की उत्पादकता बढ़ रही है। पिछले डेड दशक में यानी वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021-22 के बीच, निश्चित पूंजी निवेश 21.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर और शुद्ध मूल्य वर्धित 12.2 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा है।

विनिर्माण क्षेत्र जहां प्रगति कर रहा है, वहीं कारोबारी माहोल में भी राज्य में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच की अवधि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों के पंजीकरण की वार्षिक औसत वृद्धि दर 11.1 प्रतिशत के साथ पर्याप्त सुधार दिख रहा है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 8.8 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 के लागू होने के बाद से वर्ष 2023 तक राज्य में स्टार्टअप में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में राज्य के महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एमएसएमई और स्वरोजगार के अवसरों का समर्थन करने के लिए, राज्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 तक 'मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' के तहत 16041 लाभार्थियों को 1032.96 करोड़ रुपए की राशि का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी नागरिकों को ऋण चुकाने की परेशानियों से राहत देती है, जो उनके स्वरोजगार की शुरुआत में मदद करती है। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में 'एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)' कार्यक्रम चलाया

गया है, जिसका उद्देश्य जिलों को आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने और कृषि-प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करने के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करना है।

मध्यप्रदेश का पर्यटन क्षेत्र कोविड-19 महामारी के दुष्परिणामों से उबर चुका है। पिछले तीन वर्षों की अवधि में घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। इस अवधि में मध्यप्रदेश में कुल पर्यटकों की संख्या 89.44 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या में 193 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह राज्य की नीतियों द्वारा प्रमाणित हुआ है जो सुविधाजनक, आरामदायक और सुरक्षित पर्यटक वातावरण बनाने की दिशा में केंद्रित हैं। इस प्रकार सरकार की योजनाओं को स्थानीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार पर्यटन मिशन के साथ जोड़ा जाता है। ये योजनाएं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और प्रचलन के लिए सार्वजनिक भागीदारी और निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करती हैं।

उद्योग, एमएसएमई, पारंपरिक उद्योगों, पर्यटन एवं अधोसंरचना क्षेत्रों पर बाद के खंड में विस्तार से चर्चा की गई है।

5.1. उद्योग

5.1.1 नीतिगत पहल

विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना

विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा: मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम में 464.65 करोड़ रुपये की लागत से 227.54 एकड़ भूमि में विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है।

टेक्स्टाइल: भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य में जिला धार में 1563 एकड़ भूमि में पीएम मित्र पार्क को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स, इंदौर में प्लग एंड फ्लो पार्क के लिए 186.70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

चमड़ा, फुटवियर और सहायक उपकरण: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर चरण-II में 157 एकड़ भूमि पर मेगा चमड़ा, फुटवियर एवं सहायक उपकरण समूह की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया है एवं अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है।

फार्मास्युटिकल: भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 2022 में मध्यप्रदेश में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार से मिले अनुमोदन को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क 222.77 करोड़ रुपये की लागत से 360 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाना है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है।

एवं मेडिकल इक्युपमेंट क्रय करने का कार्य प्रगति पर है।

स्रोत: (औद्योगिक संवर्धन और निवेश नीति विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहायक पहल

विनियमन की लागत (सीओआर): देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगों द्वारा किए गए प्रशासनिक लागत के बोझ को कम करने के लिए, डीपीआईआईटी ने विनियमन की लागत को मापने के लिए एक मसौदा ढांचा तैयार किया है जिसके तहत उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख 13 सेवाएं 05 विभागों से संबंधित हैं। राज्य ने सीओआर के तहत पहचानी गई 13 सेवाओं के लिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 तक 14000 से अधिक उपयोगकर्ताओं का डेटा भारत सरकार को सफलतापूर्वक साझा किया।

अनुपालन बोझ को कम करना (RCB): DPIIT सरकार द्वारा उद्योगों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” और “ईज ऑफ लिविंग” को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन प्रोग्राम के पहले चरण में, जो अगस्त 2021 को समाप्त हुआ, राज्य द्वारा कुल 1896 अनुपालनों को कम या समाप्त किया गया। अगस्त 2022 को समाप्त हुए कार्यक्रम के दूसरे चरण में, मध्यप्रदेश द्वारा 531 अनुपालन बोझ कम या समाप्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार, इस कार्यक्रम के तहत राज्य द्वारा अब तक कुल 2427 अनुपालन भार सफलतापूर्वक कम या समाप्त किए गए हैं।

30 दिनों में अपना व्यवसाय शुरू करें: राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा 30 दिनों में स्टार्ट योर बिजनेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस अभिनव पहल के परिणामस्वरूप, 08 विभागों की 44 सेवाओं का अनुमोदन समय घटाकर 30 कार्य दिवस या उससे कम कर दिया गया है। 35 सेवाओं में डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान किया गया है। इस पहल के तहत, संशोधित समय सीमा के अनुसार आवेदकों को 3.50 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें से सिस्टम द्वारा 17000 से अधिक आवेदनों पर डीम्ड अप्रूवल प्रदान किया गया था।

स्रोत: (औद्योगिक संवर्धन और निवेश नीति विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)

5.1.2 उद्योगों का स्नैपशॉट

सकल वर्धित मूल्य

राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) तालिका संख्या 5.1 में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 5.5.1 द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन
(आधार वर्ष 2011-12)**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	वर्ष 2014-15	वर्ष 2021-22 (प्रावधिक अनुमान)	वर्ष 2022-23 (त्वारित अनुमान)	वर्ष 2023-24 (अग्रिम अनुमान)
विनिर्माण	42,335	80,311	88,160	91,506
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	15,700	34,621	38,600	41,517
निर्माण	42,179	81,816	94,335	1,02,153
द्वितीयक क्षेत्र	1,00,214	1,96,748	2,21,095	2,35,176
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां	51,957	1,01,011	1,21,575	1,28,604
अन्य साधनों और भंडारण द्वारा परिवहन	14,387	30,938	37,722	40,615
रेलवे	4,987	8,218	9,974	11,006
संचार & प्रसारण से संबंधित सेवाएं	9,195	17,238	20,828	22,639
वित्तीय सेवाएं	19,973	32,219	38,056	41,270
स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	26,094	48,085	56,567	60,280
लोक प्रशासन	23,092	45,789	55,974	62,754
अन्य सेवाएं	26,844	65,318	78,715	91,331
तृतीयक क्षेत्र	1,76,529	3,48,816	4,19,411	4,58,499

स्रोत: (आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, 2024)

द्वितीयक क्षेत्र

वर्ष 2023-24 में द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान (43.4 प्रतिशत) है, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र (38.9 प्रतिशत) और बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र (17.7 प्रतिशत) का स्थान है।

पिछले दशक में, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं के क्षेत्र में 13.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जबकि निर्माण क्षेत्र में 9.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विनिर्माण क्षेत्र में 9.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


तृतीयक क्षेत्र

वर्ष 2023-24 में, तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान (28 प्रतिशत) है, इसके बाद स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र का स्वामित्व (13 प्रतिशत) है। परिवहन और भंडारण क्षेत्र और वित्तीय सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र (प्रत्येक 9 प्रतिशत) में समान रूप से योगदान करते हैं।

पिछले दशक में, परिवहन और भंडारण क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि 13.15 प्रतिशत है; प्रसारण क्षेत्र से संबंधित संचार और सेवाएं 11.74 प्रतिशत हैं; लोक प्रशासन क्षेत्र 11.43 प्रतिशत है; व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां क्षेत्र 11.18% हैं; रियल एस्टेट, आवास और पेशेवर सेवा क्षेत्र का स्वामित्व 10.33 प्रतिशत है; इसके बाद 9.56 प्रतिशत के साथ रेलवे सेक्टर और 8.16 प्रतिशत के साथ वित्तीय सेवा सेक्टर का स्थान रहा।

कारखानों की संख्या और निश्चित पूँजी

कारखानों की संख्या में वृद्धि बढ़ते औद्योगिक आधार को इंगित करती है जबकि स्थायी पूँजी में निवेश में वृद्धि उत्पादन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण का संकेत देती है। पिछले डेढ़ दशक में अर्थात् वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021-22 के बीच मध्यप्रदेश में कारखानों की संख्या में वार्षिक औसत वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत और स्थायी पूँजी निवेश में वार्षिक औसत वृद्धि दर 21.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हुई, जैसा कि चित्र 5.1 में दिखाया गया है।




चित्र 5.1 कारखानों की संख्या और निश्चित पूँजी

स्रोत: (आर्थिक एवं सांचयिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, 2024)

कारखानों में सकल उत्पादन और शुद्ध मूल्य वर्धन

उद्योग का सकल उत्पादन एक फर्म द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का मूल्य प्रस्तुत करता है। शुद्ध जोड़ा गया मूल्य आउटपुट का मूल्य है जिसमें मध्यवर्ती खपत और स्थिर पूँजी की खपत दोनों के मूल्यों को घटा दिया जाता है। मूल्य संवर्धन को कच्चे माल के चरण से तैयार माल चरण तक उत्पादन के कारकों द्वारा जोड़े गए वास्तविक मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

पिछले डेढ़ दशक में यानी वर्ष 2007-08 से वर्ष 2021-22 के बीच, मध्यप्रदेश में कारखानों का सकल उत्पादन वार्षिक औसत वृद्धि दर से 12.6 प्रतिशत बढ़ा और शुद्ध मूल्य वर्धित 12.2 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा, जैसा कि चित्र 5.2 में दिखाया गया है।



चित्र 5.2 कारखानों में सकल उत्पादन और शुद्ध मूल्य वर्धन

स्रोत: (आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, 2024)

वर्ष 2019-20 तक दी गई अवधि में, कारखानों की संख्या में वार्षिक औसत 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि स्थायी पूँजी वार्षिक औसत 24.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। इस प्रकार पूँजी-गहन उद्योगों ने राज्य में बड़े निवेश किए। उद्योगों की बढ़ी हुई क्षमताओं के परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में उच्च रिटर्न मिला, निवल मूल्य वर्धित वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि में अपनी उच्चतम औसत वार्षिक वृद्धि दर 27.3 प्रतिशत से बढ़ा। शुद्ध मूल्य वर्धित की तीव्र वृद्धि सकारात्मक रूप से अर्थव्यवस्था के तीव्र औद्योगिकीकरण को इंगित करती है। यह दर्शाता है कि उद्योग आर्थिक मूल्य वर्धित प्रतिमान के बढ़ते हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम हैं। वैशिक विनिर्माण प्रक्रियाओं में, उच्च मूल्य संवर्धन प्राप्त करने वाले उद्योगों को आमतौर पर तेजी से भविष्य के विकास और उच्च लाभप्रदता के लिए माना जाता है।

5.1.3 व्यापार जलवायु का स्पैशॉट

शासन के हस्तक्षेप से मध्यप्रदेश में बिजनेस इकोसिस्टम सुधर रहा है। मध्यप्रदेश के कॉर्पोरेट क्षेत्र में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच की अवधि में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। प्रदेश में कम्पनियों का पंजीयन कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 11.1 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर के साथ बढ़ा है, जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत रही है। प्रदेश की सक्रिय कम्पनियों की वार्षिक औसत वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर 6.8 प्रतिशत है।



चित्र 5.3 मध्यप्रदेश में पंजीकृत कंपनियों की स्थिति

स्रोत: (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, विभिन्न वर्षों के लिए)

*नोट: वर्ष 2021 के लिए डेटा अनुपलब्ध

मध्यप्रदेश में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी फर्मों का पंजीकरण तालिका 5.2 में सूचीबद्ध के रूप में धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

तालिका 5.2 भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत फर्म मध्यप्रदेश में

वर्ष	पंजीकृत फर्मों की संख्या
2018	1987
2019	1919
2020	2199
2021	2185
2022 (दिसंबर तक)	1362

स्रोत: (प्रशासनिक प्रतिवेदन, औद्योगिक संवर्धन और निवेश नीति विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, 2022-23)

5.1.4. उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन

नया औद्योगिक क्षेत्र: वर्ष 2022-23 में 07 नए औद्योगिक क्षेत्र धार (तिलगरा), पीथमपुर सेक्टर-7, बडियाखेड़ी फेज-2, बागरौदा-गोकालाकुंडी, नरसिंहपुर, बैरसिया, आष्टा (झिलेला) की कुल 1410 हेक्टेयर भूमि का विकास 312.45 करोड़ रुपये की राशि से प्रारंभ किया गया। दो नए आईटी पार्क जो आईटी पार्क -3 और आईटी पार्क -4 हैं, को 578 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाना शुरू किया गया था। वर्ष 2023-24 में 14 नए औद्योगिक क्षेत्र शाजापुर, मक्त्सी फेज-2, जगाखेड़ी फेज-2, आगर-मालवा, बसनिया, इटारसी, पिपरौदा-खुर्द, ओरछा, उमरिया-दुगरिया फेज-1 एक्सटेंशन, टिकरिया, दियापीपार, मऊगंज, जलसर और बगहा को कुल 826.44 हेक्टेयर

भूमि में 515.49 करोड़ रुपये की कुल लागत से विकसित करने की मंजूरी दी गई है, तदनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य प्रगति पर है।

नर्मदा प्रोग्रेसवे नर्मदा एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत संभाव्यता वाले जिलों का आकलन किया जा रहा है, इन जिलों में संभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है तथा लगभग 2200 एकड़ भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा एमपीआईडीसी के 43 औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत 47.82 करोड़ रुपये की लागत से नरसिंहपुर की 132.58 हेक्टेयर भूमि में विकास कार्य प्रगति पर है।

रतलाम और देवास निवेश क्षेत्र: सरकार ने रतलाम में कुल 1666.36 हेक्टेयर भूमि और देवास की कुल 6630.198 हेक्टेयर भूमि में निवेश क्षेत्र अधिसूचित कर दिया है।


मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क: जमोदी गांव की कुल 126.50 हेक्टेयर भूमि पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए 187 करोड़ रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। एनएचएलएमएल के माध्यम से मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु निविदा पूर्ण की है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 85 करोड़ रुपये की राशि राज्य के हिस्से को मंजूरी दी है।

मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन: 12 मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों पीथमपुर, मंडीदीप, मनेरी जल आपूर्ति प्रणाली, मालनपुर जल आपूर्ति प्रणाली, बगरोदा, मंडीदीप जल आपूर्ति प्रणाली, आचारपुरा, पीलूखेड़ी, प्रतापपुरा, हरगढ़, बोरगांव और गुड जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन के लिए 382.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। तदनुसार, औद्योगिक क्षेत्र उन्नयन की प्रक्रिया चल रही है।

5.2. एमएसएमई

5.2.1. नीतिगत पहल

म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021: इस नीति के माध्यम से रोजगार सृजन, समावेशी विकास, एमएसएमई के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, सक्षम बुनियादी ढांचे और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन तथा समग्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 जारी की गई थी। मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये विभाग नीति के तहत एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के माध्यम से इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण इकाइयों को 697.43 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण इकाइयों को 444.08 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है (स्रोत: (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)। चित्र 5.4 वर्ष 2020-21 से नवीन नीति लागू होने के बाद सहायता में तेजी से वृद्धि को दर्शाता है।




चित्र 5.4 एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और वित्तीय सहायता योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या

स्रोत: (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, जनवरी 2024)

उद्यम क्रांति योजना: इस योजना का लक्ष्य स्वरोजगार के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत ब्याज सहायता का उद्देश्य लाभार्थियों के लिए ब्याज लागत को कम करना और परियोजना व्यवहार्यता में वृद्धि करना है। इस तंत्र का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एमएसएमई इकाइयों का विस्तार करना है। वर्ष 2022-23 में, 16041 लाभार्थियों को 1032.96 करोड़ रुपये की राशि का ऋण वितरित किया गया था। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)

स्टार्टअप इको-सिस्टम का विकास: प्रदेश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना विकसित करने के लिए सरकार द्वारा “मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2022” लागू की जा रही है। इसके जरिए प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स को खास सुविधाएं दी जा रही हैं। वर्ष 2023 तक प्रदेश के 1264 स्टार्टअप को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हुई थी। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति के लागू होने के बाद से वर्ष 2023 तक राज्य में स्टार्टअप में 126 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसा कि चित्र 5.5 में दिखाया गया है। इसी अवधि में राज्य के महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्यमियों और प्रारंभिक चरण के उद्यमों को विकसित करने और समर्थन करने के लिए मध्यप्रदेश प्रदेश में वर्ष 2023-24 में 16 इन्क्यूबेटर स्थापित किए गए। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)



चित्र 5.5 उद्योग संवर्धन एवं आतंरिक व्यापर विभाग, भारत सरकार (DPIIT) द्वारा

मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश आधारित स्टार्टअप की वर्षावार संख्या

नोट: उपरोक्त जानकारी एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के स्टार्ट-अपएमपी द्वारा डीपीआईआईटी, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार है। चूंकि डीपीआईआईटी समय पर स्टार्टअप्स को उनके पूर्ण-निधारित मानदंडों के आधार पर मान्यता रद्द कर देता है, इसलिए संचयी संख्या स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर परिलक्षित वर्तमान कुल से भिन्न हो सकती है।

स्रोत: (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)


उद्योग संवर्धन एवं आतंरिक व्यापर विभाग, भारत सरकार (DPIIT) द्वारा वर्ष 2023 में जारी “स्टेट्स स्टार्टअप रेंकिंग 2022” में मध्यप्रदेश को राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में ‘लीडर’ के रूप में मान्यता दी गई थी। उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप जागरूकता और आउटरीच के लिए एक कुशल तंत्र बनाने में राज्य की पहल; स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सभी समर्थकों के लिए एक इंटरैक्टिव पोर्टल का निर्माण; स्टार्टअप्स को निवेशकों से बातचीत करने और सीखने के लिए मंच प्रदान करने के लिए निवेशक-स्टार्टअप बैठकों का आयोजन करने के लिए विशेष रूप से मान्यता दी गई थी।

प्रदेश ने एमपी स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 67.28 लाख रुपये और वर्ष 2023-24 में 60.02 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मध्यप्रदेश सरकार पांच सेबी मान्यता प्राप्त वैकल्पिक निवेश फंडों (AIF) के माध्यम से 10 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रक्रिया में है, जो मध्यप्रदेश के स्टार्टअप में कम से कम दोगुनी राशि का निवेश करेगा। अब तक तीन AIF के साथ अनुबंध हो चुका है एवं उन्हें 2.26 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गयी है। 31 मार्च 2024 तक मध्यप्रदेश के स्टार्टअप्स में 5.9 करोड़ रुपए की राशि निवेश की गयी है।

Box 5 1 PRABHAV रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम

DPIIT, भारत सरकार की ‘पॉवरिंग ए रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ॲफ विजनरी स्टार्टअप्स PRABHAV रिपोर्ट 2023’ इंगित करती है कि मध्यप्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या अकेले वर्ष 2021-2022 में 65% और पिछले छह वर्षों में 71% औसत वृद्धि से बढ़ी है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर इंदौर, जबलपुर और भोपाल हैं। जबलपुर जिले में 2021 से 2022 तक 140% की वृद्धि के साथ मान्यता प्राप्त स्टार्टअप


की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को देश के मध्य क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। क्षेत्र में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की वर्षवार वृद्धि रेखाचित्र 5.5 में दिखाई गई है। मध्य क्षेत्र में कुल स्टार्टअप में से 80 प्रतिशत स्टार्टअप मध्यप्रदेश में और 20 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में हैं।



चित्र 5.6 मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) में मान्यता प्राप्त वर्षवार स्टार्टअप

स्रोत (PRABHAV-Report, 2023)

इस क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में पिछले दो वर्षों में औसतन 52% की वृद्धि देखी गई है। मध्य क्षेत्र के 4900 स्टार्टअप में से 2204 स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में स्टार्टअप ने वर्ष 2016 से वर्ष 2023 के बीच की अवधि में 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है।



चित्र 5.7 मध्य क्षेत्र के स्टार्टअप्स का सेक्टर-वार वितरण (स्रोत: PRABHAV-Report, 2023)

मध्य क्षेत्र में, अधिकांश स्टार्टअप आईटी सेवाओं और कृषि क्षेत्र के हैं, इसके बाद हेल्थकेयर और लाइफ साइंस हैं।

एक जिला एक उत्पाद: जिला छतरपुर के ODOP उत्पाद वुडेन फर्नीचर को बेहतर डिज़ाइन सपोर्ट, उत्पाद को निर्यात योग्य बनाने एवं उत्पाद के तकनीकि कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान भोपाल, मप्र के साथ एमओयू निष्पादित किया गया, जिसके तारतम्य में एनआईडी द्वारा छतरपुर का भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वालमार्ट वृद्धि के सहयोग से ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग के संबंध में शिवपुरी और रतलाम में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ग्वालियर स्टोन एवं कटनी मार्बल की जीआई टैगिंग के लिए कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 3 से 10 जनवरी 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान, दिल्ली में आयोजित शरद उत्सव एवं दिनांक 23 से 31 जनवरी 2024 तक कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में आयोजित भारत पर्व में विभागीय ओडीओपी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)

5.2.2. वित्तीय आवंटन

एमएसएमई का विकास मध्यप्रदेश सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रहा है। एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश बढ़ा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए 74.7 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो स्वरोजगार के लिए सरकार की प्रमुख पहल है। प्रमुख योजनाओं में बजटीय आवंटन तालिका 5.3 में उल्लिखित है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता योजना के लिए आवंटित किया गया है।

तालिका 5.3 एमएसएमई विभाग की प्रमुख योजनाओं पर खर्च राशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2022-23	वास्तविक 2023-24
एमएसएमई को वित्तीय सहायता	107.74	392.45	697.43	444.08
बुनियादी ढांचे का विकास	89.04	88.81	122.08	129.00
कलस्टर विकास	25.00	36.40	8.00	0.00
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	0.00	0.88	60.52	74.70
अन्य	261.86	263.53	153.79	109.03
कुल	483.64	782.07	1041.82	756.81

स्रोत: (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)

5.2.3. एमएसएमई का स्नैपशॉट

उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने की प्रणाली को 01 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण की प्रणाली से बदल दिया गया था। तदनुसार, भारत सरकार के पोर्टल पर राज्य के पंजीकृत एमएसएमई का उल्लेख तालिका 5.4 में किया गया है: -

तालिका 5.4 उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण

वर्ष	इकाइयों की संख्या	संभावित रोजगार
2020-21 (01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021)	1,55,450	13,08,923
2021-22	2,46,513	14,07,858
2022-23	3,54,397	18,32,797
2023-24	4,57,499	22,77,308

स्रोत: (उद्यम पोर्टल, भारत सरकार, मार्च 2024)

उद्यम पोर्टल पर मार्च 2024 तक के आँकड़ों के अनुसार, राज्य के MSMEs 97.7% सूक्ष्म, 2.12% लघु और 0.15% मध्यम इकाइयों से बने हैं।

5.2.4. एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन

एमएसएमई विभाग द्वारा अब तक कुल 208 औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/ क्लस्टरों (निजी डेवलपर्स द्वारा विकसित किए जाने वाले) में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में वर्ष 2022-23 में 122.08 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24, 2023 में 129 करोड़ रुपये की मंजूरी जारी की गई है।

वर्ष 2023-24 में राज्य क्लस्टर योजना के तहत 9 क्लस्टर (4 शासकीय भूमि पर और 5 निजी भूमि पर) को विकास अनुमति प्रदान की गई है। इन क्लस्टरों में लगभग 365 औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है और लगभग 1070 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लगभग 9100 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

(एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, मार्च 2024)

5.3. पारंपरिक उद्योग

5.3.1. खादी एवं ग्रामोद्योग विकास

खादी एवं ग्रामोद्योग के लिये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना: योजना के तहत वर्ष 2022-23 में लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये 1861 इकाइयों को 54.39 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित कर 17132 व्यक्तियों को नवीन रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी तरह वर्ष 2023-24 में 1850 इकाइयों में 60.60 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित कर 6418 व्यक्तियों को नवीन रोजगार उपलब्ध कराया गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन : मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सूती खादी, पॉली क्लॉथ, रेशम, खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योगों के कुल 14 उत्पादन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में राशि 5.72 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन किया गया, जिसमें स्पिनर/बुनकर कताईकार कार्यरत थे। वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक 3.82 करोड़ रुपए की राशि का उत्पादन कर कताई बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग बिक्री: प्रदेश में संचालित कुल 17 बिक्री एम्पोरियम द्वारा वर्ष 2022-23 में 12.96 करोड़ रुपये मूल्य की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री की बिक्री की गई। वर्ष 2023-24 में 31 मार्च 2023 तक 10.56 करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए।

5.3.2. हथकरघा एवं हस्तशिल्प

वर्ष 2022-23 में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिये एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कबीर बुनकर संवर्धन, कौशल एवं तकनीकी विकास सहायता एवं विपणन सहायता योजना के तहत कुल 2.83 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उपर्युक्त सहायता से कुल 1063 लाभार्थी लाभान्वित हुए और 07 मेलों का आयोजन किया गया। वर्ष 2023-24 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना, कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना, कौशल एवं तकनीकी विकास सहायता योजना तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिये विपणन सहायता योजना के तहत 218 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उक्त सहायता से कुल 688 लाभार्थी लाभान्वित हुए और 07 मेलों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2022-23 में तक सरकारी विभागों को 6.99 करोड़ रुपये के कपड़े की आपूर्ति की गई। वर्ष 2023-24 में 14.15 करोड़ रुपए मूल्य के वस्त्र उपलब्ध कराये गये हैं। हथकरघा उद्योग पारंपरिक और कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन की विरासत को बनाए रखते हुए राज्य के बुनकरों को रोजगार भी प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 16507 हथकरघे कार्य कर रहे हैं। इन चालू करघों के माध्यम से लगभग 31096 बुनकरों को रोजगार मिला हुआ है।

सरकारी आपूर्ति: राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के यार्न डिपो हथकरघा समूहों में भारत सरकार की योजना के तहत संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में मार्च 2022 तक सरकारी विभागों को 9.79 करोड़ रुपए के वस्त्रों की आपूर्ति की गई और वर्ष 2022-23 में 9.59 करोड़ रुपए मूल्य के वस्त्रों की आपूर्ति की गई, जिसमें 410 करघे संलग्न किए गए और 2.35 लाख मानव रोजगार दिवस सुजित किए गए।

नीतिगत पहल

हथकरघा के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन

कालीन पार्क: ग्वालियर और चंबल डिवीजन कालीन बुनकर क्लस्टर हैं। इस क्षेत्र में 5000 करघों पर कालीन का निर्माण किया जा रहा है जिससे लगभग 15000 कालीन बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। अनुमान है कि बुनकरों में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्तमान में बुनकरों के पास पुराने करघे हैं। आमतौर पर बुनकर अपने घरों में करघे लगाकर काम कर रहे हैं और अलग-अलग इलाकों में बिखरे हुए हैं। आमतौर पर आगरा और जयपुर के निर्यातकों से ॲर्डर लाकर जॉब वर्क पर काम किया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार का हिस्सा 21.34 करोड़ रुपये और शेयरधारकों का हिस्सा 42.52 लाख रुपये है। जब कालीन पार्क बन जाएगा तो उन्हें बेहतर क्वालिटी का कच्चा माल मिल सकेगा और डायरेक्ट ॲर्डर के जरिए आय के अवसर बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रंगाई की सुविधा भी अच्छी होगी।

एकीकृत हथकरघा क्लस्टर: राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश में 12 हथकरघा क्लस्टर विकसित किए गए हैं। विवरण (दिसंबर 2023 तक) इस प्रकार हैं:

तालिका 5.5 राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत हथकरघा समूहों का विवरण

हथकरघा समूहों की संख्या	वित्तीय सहायता स्वीकृत/जारी (करोड़ रुपये में)	कौशल उन्नयन के अंतर्गत लाभान्वित बुनकरों की कुल संख्या	उन्नत करघे और सहायक उपकरण प्रदान किए गए बुनकरों की कुल संख्या
12	5.39	1,415	379

स्रोत: (कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, दिसंबर 2023)

क्राफ्ट हैंडलूम विलेज: भारत सरकार मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से अशोक नगर जिले के प्राणपुर में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना कर रही है। परियोजना की कुल लागत 7.45 करोड़ रुपये है, जिसमें 4.02 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा साझा किए जाएंगे। पर्यटन के साथ शिल्प संवर्धन को एकीकृत करने के लिए, पूरे भारत में कुल 8 शिल्प हथकरघा गांव स्थापित किए जा रहे हैं। प्राणपुर हथकरघा गांव उनमें से एक है। (कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, दिसंबर 2023)

प्रचार और ब्रांडिंग

प्रदर्शनी प्रचार: राज्य सरकार राज्य के भीतर और बाहर प्रदर्शनियों का आयोजन कर रही है। इन प्रदर्शनियों में प्रदेश के कारीगरों को आमंत्रित कर ग्राहकों को सीधे सामान बेचने का अवसर दिया जाता है। इस प्रणाली से कारीगरों/बुनकरों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य मिलते हैं और बाजार की मांग ज्ञात होती है। ग्राहकों को उचित दरों पर शिल्प हथकरघा उत्पाद खरीदने के अवसर भी मिलते हैं।

ब्रांड निर्माण और विपणन बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना: इस योजना का उद्देश्य ग्राहक के लिए उत्पादों की दृश्यता और पहुंच में सुधार करना है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिये विकास कार्यों के रिकार्डिंग के माध्यम से सहायता प्रदान की जायेगी जिसमें डिजायन शब्दकोश का प्रकाशन, वात्चर, प्रिंटिंग, परियोजना रिपोर्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग एवं श्रेष्ठ पद्धतियों की रिकार्डिंग आदि को शामिल किया जायेगा। वर्ष 2023-24 के लिए योजनाओं के तहत प्राप्त आवंटन उपयोग का विवरण तालिका 5.6 में उल्लिखित किया गया है।

तालिका 5.6 संत रविदास हथकरघा और हस्तशिल्प निगम की योजना और निधि आवंटन का विवरण

राशि करोड़ रुपये में

क्रं.	योजना का नाम	वार्षिक लक्ष्य (आवंटन)	31.03.2024 तक वित्तीय उपलब्धि।
1	प्रमोशन ब्रांड बिल्डिंग एवं विपड़न अधोसंरचना	3.00	0.50
2	एकीकृत क्लस्टर विकास योजना	1.56	0.68
3	कौशल विकास	0.22	0
4	मुख्यालय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए स्थापना अनुदान	12.04	12.00
5	प्रदर्शनी प्रचार प्रसार	0.50	0.32
कुल		17.31	13.50

स्रोत: (संत रविदास हथकरघा और हस्तशिल्प निगम, मध्यप्रदेश सरकार, मई 2024)

क्षमता निर्माण और सक्षमता

खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प, हथकरघा, माटीकला और संबद्ध गतिविधियों (अतिरिक्त कौशल और संबद्ध कार्य) में कौशल विकास के लिए उन्नत संस्थागत प्रशिक्षण उन बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाता है जिन्हें अल्पावधिक रोजगार मिला है। प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित कलात्मक सूजन के लिए शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

5.3.3 रेशम उत्पादन

कृषि वानिकी आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को गांव में ही लाभकारी रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी आजीविका सुचारू रूप से अर्जित कर सकें। साथ ही, महिलाओं को रोजगार का एक वैकल्पिक साधन प्रदान करना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। रेशम उद्योग की योजनाएं मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आथक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लक्षित हैं। वर्तमान में 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.57 लाख किलो मलबरी कोया एवं 16.54 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ जिससे 2204 हितग्राही लाभान्वित हुए तथा 96.8 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वाबलंबन केन्द्रों पर 22.8 हेक्टेयर क्षेत्र में अर्थात कुल 119.6 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया गया है।

रेशम संचालनालय द्वारा किसानों के चयन और पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा लेखांकन एवं पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ई-रेशम पोर्टल तैयार किया गया है।

सिल्क फेडरेशन ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के फैशन टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर विभाग के साथ करार किया है, ताकि बुनाई की पारंपरिक भारतीय कलाओं जैसे उड़ीसा के पट्टचित्र, गौड़ कला, भील कला, हैंड पेंटिंग आदि को रेशम के कपड़ों पर मिश्रित किया जा सके। प्रदेश के किसानों को उनके कोकून उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिये “कोकून मण्डी” की स्थापना की गई। दिसंबर 2023 तक 35203.46 किलोग्राम कोकून की बिक्री हुई और किसानों को 116.85 लाख की आय हुई। पचमढ़ी सिल्क टेकपार्क का उद्घाटन सभी चार प्रकार के सिल्क शहूत, टसर, एरी और कोरल के प्रचार के लिए किया गया, जो देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क है।

5.4. पर्यटन

मध्यप्रदेश सरकार पर्यटन सुविधाओं जैसे एक आवास, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए बहुत प्रयास कर रही है। राज्य ने पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियां जारी की हैं। यह उन पर्यटन परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करता है जिन्हें निजी निवेश के साथ स्थापित किया गया है। इसमें बुनियादी ढांचे की स्थापना, पर्यटन गतिविधियां, संचालन और रखरखाव शामिल हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटन अधोसंरचना के विकास के उद्देश्य से भूमि बैंक और बैंक ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टीज की स्थापना की गई है।

समुदाय और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे योजनाएं, जिम्मेदार स्मारिका, प्रोजेक्ट हमसफर, प्रोजेक्ट

कलीन डेस्टिनेशन, महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

प्रयासों के परिणाम के रूप में, मध्यप्रदेश में कुल पर्यटकों की संख्या पिछले तीन वर्षों में 89.4 प्रतिशत की प्रभावशाली वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी है, जबकि इस अवधि में सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों के संचालन से उत्पन्न राजस्व 38.8 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। होटलों (राज्य सरकार की संपत्तियों) की वार्षिक औसत अधिभोग दर पिछले तीन वर्षों में 42 प्रतिशत के साथ बढ़ा है।

वर्ष 2023 (जनवरी से दिसंबर के बीच) में मध्यप्रदेश में कुल 11.21 करोड़ पर्यटक आए, पिछले एक साल में राज्य में पर्यटकों की संख्या में 205.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5.4.1 नीतिगत पहल

निजी निवेश को आकर्षित करना

पर्यटन नीति (2016) पुनरीक्षित, 2019 के तहत समीक्षाधीन अवधि में राज्य में निजी निवेशकों द्वारा 03 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 2.29 करोड़ रुपये का पूँजी अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 18.71 करोड़ रुपये का नया पूँजी निवेश और 87 नए कमरों का निर्माण के साथ लगभग 28059 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ।

भूमि आवंटन नीति विभाग की भूमि और संपत्तियों को निजी निवेशकों को पट्टे पर देने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। पिछले वर्ष लैंड बैंक के तहत 426.7 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के लिए कुल 122 प्रस्ताव आवंटित किए गए थे। उक्त अवधि के दौरान, लैण्ड बैंक में से 30 भूमियों कुल रकमा 231.97 हेक्टेयर को निजी निवेशकों को अभिस्वीकृति पत्र (LOA) जारी किये गये, जिससे लगभग 136.77 करोड़ का पूँजी निवेश तथा लगभग 2050 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सुजित होगा।

जल पर्यटन नीति के अन्तर्गत कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु निजी निवेशकों को लाइसेंस प्रदान किये जा रहे हैं। यह निजी निवेशकों को इस क्षेत्र में पूँजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हनुवंतिया जिले खंडवा में सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

निवेश संवर्धन के लिए पर्यटन विभाग का एक समर्पित विंग बनाया गया है। यह समय-समय पर रोड शो आयोजित करता है और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अन्य कार्यक्रमों में भाग लेता है ताकि उन्हें निवेश के अवसरों, राज्य की पर्यटन नीति से अवगत कराया जा सके। वर्ष 2023-24 में 09 रोड शो आयोजित किए गए थे।

स्थानीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

प्रदेश में पर्यटन को अधिक उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से 'मध्यप्रदेश उत्तरदायी पर्यटन मिशन' शुरू किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय पर्यटन समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

होमस्टे योजना - प्रदेश में अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा होमस्टे योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को स्थानीय सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना और पर्यटकों को रहने के लिए स्वच्छ और किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य में लॉजिंग रूम की उपलब्धता बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में 142 इकाइयां पंजीकृत हुईं। वर्तमान में कुल 292 पंजीकृत इकाइयां हैं जिनमें 815 कमरे हैं।

ग्रामीण पर्यटन - मध्यप्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों अथवा पर्यटन महत्व के स्थलों के निकट स्थानीय/ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित सांस्कृतिक अनुभव आधारित ग्रामीण पर्यटन प्रारंभ किया जा रहा है। पंचवर्षीय कार्ययोजना के तहत 100 गांवों में काम किया जा रहा है। जिसमें आगंतुकों के ठहरने के लिए समुदाय की मदद से होमस्टे का निर्माण किया जा रहा है। कुछ गांवों में प्रशिक्षण उत्पादन केंद्रों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण पर्यटन के तहत वर्ष 2024 में 26 गांवों में 62 होमस्टे शुरू किए गए। इस प्रकार, परियोजना के तहत अब तक 41 गांवों में कुल 113 होमस्टे चालू हैं।

रेस्पॉसिबल सौवेनीर (Responsible Souvenir) योजना (कला एवं हस्तशिल्प): प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कला एवं हस्तशिल्प उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन बाजार की आवश्यकता के अनुरूप न होने के कारण इनके उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, जिसके फलस्वरूप कला एवं हस्तशिल्प विलुप्त हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए और बेहतर बाजार मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तरदायी संग्राहक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर लोगों को चिन्हित कर प्रशिक्षित किया जाता है और उत्पादों को स्मारिका के रूप में विकसित किया जा रहा है और बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में ग्राम मड़ला जिला पन्ना और ग्राम धमना जिला छतरपुर में दो स्मारिका केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। 192 ग्रामीण युवक/ युवतियों को प्रशिक्षित कर सामग्री का निर्माण करवाया जा रहा है।

सुगम्यता लेखा परीक्षा (हमसफर परियोजना): हमसफर परियोजना का कार्यान्वयन राज्य के पर्यटकों, मुख्य रूप से विकलांग पर्यटकों को बिना किसी कठिनाई के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। परियोजना के प्रथम चरण में महेश्वर, मांडू, बाग, ओंकारेश्वर सहित प्रदेश के चयनित पर्यटन स्थलों सहित 40 भवन/भवन एवं वहां स्थित पर्यटन विभाग के होटलों को शामिल किया जाएगा। पैनलबद्ध संस्थान के माध्यम से स्मारकों की सुगम्यता जांच की गई है। 250 कर्मचारियों को विकलांगों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। परियोजना को ICRT इंडिया अवार्ड्स 2022 में “एक्सेस फॉर द डिफरेंटली - एबल्ड: एज ट्रैवलर्स, एम्प्लॉइज एंड हॉलिडेमेकर्स” श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला।

महिलाओं के लिये सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना - इसके अन्तर्गत 27.9 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों को ‘निर्भया’ योजना के अन्तर्गत ‘महिलाओं के लिये सुरक्षित पर्यटन स्थल’ के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना मध्यप्रदेश के 20 समूहों में 50 चयनित पर्यटन स्थलों पर कार्यान्वयित की जा रही है। परियोजना सहायता संस्थानों और समुदाय के सहयोग

से क्षमता निर्माण, अभिविन्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और योजना, वकालत, सूचना, शिक्षा और संचार आदि जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। वर्तमान में, 11 परियोजना भागीदार संस्थानों का चयन किया गया है और परियोजना कार्यान्वयन के लिए उनके साथ गठजोड़ किया गया है। वर्ष 2023-24 में 323 क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, 4964 सूचना, शिक्षा, संचार एवं वकालत गतिविधियाँ, 33603 छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं 7341 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए पर्यटन स्थलों और आस-पास के क्षेत्रों के युवाओं और हितधारकों के लिए कौशल उन्नयन भी महत्वपूर्ण है। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में, 526 युवाओं के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण और 200 हितधारकों के लिए “पूर्व शिक्षा की मान्यता” (आरपीएल) के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। राज-कार्य के कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 26 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय प्रशिक्षण दिया गया।

स्वच्छ अपशिष्ट प्रबंधन (स्वच्छ गंतव्य परियोजना): प्रदेश के पर्यटन स्थलों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य से छह चयनित राष्ट्रीय उद्यानों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लीन डेस्टिनेशन कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सहयोग से कार्यान्वित करने की योजना है।

पर्यटन संवर्धन और जागरूकता

पर्यटन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता: वर्ष 2023 में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस वर्ष क्विज प्रतियोगिता में प्रदेश के 7300 से अधिक स्कूलों (21900 विद्यार्थियों) ने भाग लिया।

यूथ टूरिज्म क्लब : भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में यूथ टूरिज्म क्लब बनाने का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया है। वर्तमान में स्कूलों में 40 और विश्वविद्यालय स्तर पर 14 पर्यटन क्लब बनाए गए हैं।

Box 5 2 मध्यप्रदेश के यूनेस्को की मान्यता प्राप्त स्थल

वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश की 6 धरोहर स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Sites) की संभावित सूची (Tentative list) सम्मिलित किया गया। उनके नाम इस प्रकार है (1) ग्वालियर किला, मध्यप्रदेश, (2) खूनी भंडारा (कुंडी भंडारा), बुरहानपुर (3) चंबल घाटी के पत्थर कला (Rock Art) स्थल (4) भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर (5) रामनगर, मंडला के गौड़ स्मारक और (6) धामनार का ऐतिहासिक समूह।

यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को “यूनेस्को क्रियेटिव सिटी नेटवर्क” की सूची में म्यूजिक गतिविधि हेतु सम्मिलित किया गया है।

5.4.2 वित्तीय आवंटन

पर्यटन क्षेत्र में सुधार सरकार की प्राथमिकता। पर्यटन क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है जैसा कि तालिका 5.7 में उल्लेख किया गया है।

तालिका 5.7 पर्यटन विभाग से वर्षवार बजट आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रं	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक अनुमानों सहित)	व्यय
1	2018-19	238.49	170.54
2	2019-20	239.35	155.40
3	2020-21	105.56	100.95
4	2021-22	211.67	211.28
5	2022-23	296.47	271.37
6	2023-24	270.35	218.89

स्रोत: (पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, जून 2024)

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार भी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत निधियन प्रदान करता है।

प्रसाद योजना: भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत ओकारेश्वर के विकास के लिए स्वीकृत कार्य पूरा हो चुका है। अगले चरण में अमरकंटक के विकास के लिए 49.98 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार से तालिका 5.8 में दर्शाए अनुसार चार परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

तालिका 5.8 प्रसाद योजना के तहत मध्यप्रदेश में नई स्वीकृत परियोजनाएं

सीनियर	परियोजना	क्रीमत
1	सलकनपुर का विकास	70.49 करोड़
2	ओरछा और आसपास के क्षेत्रों का विकास	60.00 करोड़
3	अमरकंटक का विकास	49.98 करोड़
4	पीताम्बरा पीठ दतिया का विकास	25.00 करोड़
5	शनिचरा मंदिर मुरैना का विकास	34.4 करोड़

स्रोत: (पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, जून 2024)

स्वदेश दर्शन योजना: स्वदेश दर्शन 1.0 योजना के तहत पहले स्वीकृत सभी 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 2 पर्यटन स्थल ग्वालियर और चित्रकूट (सतना) का चयन किया गया है।

5.4.3 पर्यटकों के आगमन का रुझान

टूरिस्ट फुट फॉल: कोविड-19 नियमों में ढील के साथ, पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ पुनरुद्धार के संकेत दिखा रहा है। पिछले तीन वर्षों में कुल पर्यटकों की संख्या में 89.44 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जो वर्ष 2021-22 और वर्ष 2023-24 के बीच की अवधि में है। वर्ष 2023 (जनवरी से दिसंबर के बीच) में मध्यप्रदेश में कुल 11.21 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 11.19 करोड़ पर्यटक घरेलू आगंतुक और 1.83 लाख विदेशी आगंतुक थे। पिछले एक साल में राज्य में पर्यटकों की संख्या में 205.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, जून 2024)

मध्यप्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) में भी पिछले तीन वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2021, 2022 और 2023 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 41,601 से बढ़कर 2 लाख और 1.82 लाख हो गई, जो 193 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से है, जैसा कि चित्र 5.9 में दर्शाया गया है। सकारात्मक प्रवृत्ति पूर्व-कोविड 19 युग के एफटीए के मील के पत्थर को पार करने की सम्भावना के निकट इंगित करती है।


पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, मध्यप्रदेश भारत के शीर्ष 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जिसने 2022 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया। देश के कुल एफटीए में मध्यप्रदेश का एफटीए हिस्सा 2.38 प्रतिशत था। (भारत पर्यटक सांख्यिकी रिपोर्ट, 2023)



चित्र 5.8 मध्यप्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या


स्रोत: (पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, जून 2024)

पर्यटन गतिविधियों से राजस्व: पर्यटन गतिविधियों के संचालन से पर्यटन विभाग द्वारा उत्पन्न राजस्व वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के बीच की अवधि में 54.24% की दर से बढ़ा था, जैसा कि आंकड़ा 5.10 में दर्शाया गया है। इसमें होटलों, मोटलों, लाइट एंड साउंड शो, जंगल कैंपों और वाटर स्पोर्ट्स आदि से अज्ञत राजस्व शामिल है। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2023-24 के बीच पर्यटन गतिविधियों से राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर 38.8 प्रतिशत थी।



चित्र 5.9 पर्यटन गतिविधियों के संचालन से पर्यटन विभाग द्वारा अर्जित राजस्व

स्रोत: (पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, जून 2024)



चित्र 5.10 मध्यप्रदेश पर्यटन संपत्तियों के लिए होटल अधिभोग दर और प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व

स्रोत: (पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, जून 2024)

आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र कोविड-19 की गिरावट से उबर चुका है और यह वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच 42 प्रतिशत की वार्षिक औसत अधिभोग दर में सुधार और इसी अवधि में 26.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर के साथ प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व (RevPAR) में वृद्धि के साथ फल-फूल रहा है। मध्यप्रदेश पर्यटन संपत्तियों के छह क्षेत्रों में से, पचमढ़ी क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक अधिभोग दर बनाए रखी है, इसके बाद इंदौर क्षेत्र है। वर्ष 2023-24 में पचमढ़ी की उच्चतम अधिभोग दर 63 प्रतिशत और RevPAR 3319 रुपये थी।

5.5. अधोसंरचना

5.5.1 नीतिगत पहल

राज्य सरकार राज्य की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने, ऊर्जा निर्यात बढ़ाने, विरासत शहरों को हरित शहरों में विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 लागू है। उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, सरकार ने रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) और ऊर्जा ऑडिट जैसी योजनाओं की पहल की हैं। उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, स्वयं की ट्रांसफार्मर योजना, पीएम-जनमन योजना जैसी योजनाएं संचालित की गई हैं। ये योजनाएं घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और पीवीटीजी को समर्पित हैं।

सोलर रूफटॉप परियोजनांतर्गत रेस्को एवं ई.पी.सी. मोड में लगभग 52-50 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कृषकों की आय में बढ़ोतरी एवं आर्थिक विकास के लिये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (कुसुम) लागू की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों को ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंड-एलोन सौर कृषि पंप संस्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 21,123 सोलर पंप किसानों के यहाँ स्थापित किये जा चुके हैं।

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, राज्य शासन ने से ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया है। विश्व के इस अनूठे अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों, जन साधारण व सभी नागरिकों को ऊर्जा सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा खपत की जानकारी दी जा रही है।

मध्यप्रदेश में लगभग 155.25 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत मार्च 2024 तक सकल सैंच्य क्षेत्र 41.10 लाख हेक्टेयर विकसित किया गया है। वर्ष 2023-24 में 2.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई की गई एवं रबी में 33.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 0.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार वर्ष 2023-24 में कुल 37.66 लाख हेक्टेयर में (खरीफ, रबी एवं अन्य) क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की जा चुकी है।

कृषि क्षेत्र में अनुत्पूर्व विकास एवं सैंच्य क्षेत्र में वृद्धि हेतु उपयोगी संसाधन एवं सिंचाई प्रक्रिया में बेहतर वैज्ञानिक प्रगति लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) आरंभ की गई थी। आदिवासी एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को निश्चित अवधि में पूरा करने तथा ऐसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जिनका वित्त पोषण राज्यों की वित्तीय क्षमता के लिये कठिन हो, को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ योजना (AIBP) प्रचलन में है। हर खेत को पानी अंतर्गत भू-जल, कुएं एवं ठ्यूबवेल इत्यादि द्वारा प्राप्त जल से सिंचाई के लिये ऐसे 5 जिलों (मंडला, डिण्डोरी, उमरिया, शहडोल एवं सिंगराली) का चयन किया गया है जहां वर्तमान में सिंचाई

सुविधा कम है। जल संवर्धन एवं भूजल स्तर में सुधार हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आने वाले 6 जिलों (सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी) के 9 विकासखण्डों (सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, अजयगढ़, पलेरा, बल्देवगढ़ एवं निवाड़ी) की 678 ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना प्रचलन में है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से देश के कुल 225 बाँधों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु डेम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) प्रारंभ किया गया है।

प्रस्तावित बाँधों के डिजाइन परीक्षण हेतु जल विज्ञान प्रयोगशाला हथाईखेड़ा भोपाल, एवं परियोजना में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न परीक्षण हेतु मिट्टी, धातु परीक्षण प्रयोगशाला, हथाईखेड़ा भोपाल एवं जबलपुर स्थापित की गयी हैं।

5.5.2 अधोसंरचना का स्नैपशॉट

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

राज्य शासन प्रदेश में, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के सुनियोजित उत्पादन और उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किये गये गंभीर प्रयासों के फलस्वरूप, प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता, जो मार्च 2012 में 438.01 मेगावॉट थी, से बढ़कर दिसम्बर 2023 तक 5462.09 मेगावॉट हो गई है। इस प्रकार विगत पाँच वर्षों में स्थापित नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आधारित पॉवर क्षमता में लगभग दस गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें पवन ऊर्जा की 2870.35 मेगावॉट, सौर ऊर्जा की 2587.57 मेगावॉट, बायोमास से 106.53 मेगावॉट क्षमता एवं लघु जल विद्युत परियोजना से 123.91 मेगावॉट का योगदान है।

नवकरणीय ऊर्जा क्षमता

मध्यप्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में आठवें स्थान पर आता है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्यप्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। 61,660 मेगावाट की क्षमता के साथ, यह देश में कुल सौर क्षमता का 8.2% है।

तालिका 5.9 नवकरणीय विद्युत की अनुमानित संभाव्यता की स्रोतवार रैंकिंग

	पवन ऊर्जा	लघु पनविजली	बायोमास पावर	सौर ऊर्जा
भारत में कुल ऊर्जा क्षमता (मेगावाट में)	6,95,509	21,134	42312	7,48,990
मध्यप्रदेश की रैंक	8	4	लागू नहीं	4
मध्यप्रदेश की क्षमता (मेगावाट में)	15404	820	1386	61660

स्रोत: (ऊर्जा विभाग, जून 2024)

वर्तमान में राज्य उपलब्ध सौर क्षमता का लगभग 4.86% का उपयोग कर रहा है एवं उपलब्ध पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 18.18% उपयोग कर रहा है। वर्ष 2022 की नवकरणीय ऊर्जा नीति में राज्य की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

Box 5.3 सांची सोलर सिटी सांची सोलर सिटी:

सरकार द्वारा सांची शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है। सांची शहर की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हेतु कुल 8 मेगावॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सांची स्थित विभिन्न शासकीय, व्यवसायिक, संस्थागत एवं आवासीय क्षेत्र के भवनों की छतों पर सोलर रूफटाप संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। परियोजना में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु समस्त निवासियों के यहाँ डोर टू डोर सर्वे किया गया है इससे उनकी अक्षय ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये विभिन्न संयंत्र उत्पाद जैसे कि सोलर रूफटाप, सोलर लालटेन सोलर स्टडी लैंप उपलब्ध कराये गये हैं। सांची शहर में बैट्री चलित वाहनों के उपयोग को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा, इस संबंध में बैट्री चार्जिंग स्टेशन्स लगाये जायेंगे एवं ई-रिक्षा एवं अन्य बैटरी चलित वाहन उपलब्ध कराए गये हैं।


पारम्परिक ऊर्जा

राज्य, ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में विगत वर्षों में कृषि सहित अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है, जिस कारण विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्र की क्षमतावृद्धि हेतु कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी द्रुतगति से किया जा रहा है। प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता और मांग के अंतर में निरंतर बढ़ोत्तरी होने के कारण विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें विद्युत की बैंकिंग, दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से विद्युत क्रय आदि सम्मिलित हैं।

स्थापित क्षमता

माह अप्रैल, 2024 में विद्युत स्थापित क्षमता 28774 मेगावाट हो चुकी है, जिसमें से 5638 मेगावाट विद्युत उत्पादन नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया गया है। रबी के मौसम (अक्टूबर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग में लगभग 5,000 से 6,000 मेगावाट की वृद्धि होती है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 के मध्य राज्य ने विद्युत स्थापित क्षमता को 19,384 मेगावाट से 22,328 मेगावाट कर लिया है,


पिछले एक दशक में राज्य की स्थापित क्षमता में 48.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 4.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर है। प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है।



स्रोत: (ऊर्जा विभाग, जून 2024)

विद्युत की उपलब्धता और खपत

राज्य में स्थापित क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एक बेहतर माप है। राज्य ने पिछले एक दशक में अपनी प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता को 1728 किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 2267 किलोवाट घंटे कर दिया है। यह 31.17 प्रतिशत आवर्धन को दर्शाता है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति खपत 873 किलोवाट घंटे से बढ़कर 1332 किलोवाट घंटा हो गई है, जिसमें 52.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसा कि चित्र 5.12 में दिखाया गया है।



चित्र 5.12 मध्यप्रदेश में विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खपत की प्रवृत्ति (किलोवाट घंटे में)

स्रोत: (ऊर्जा विभाग, जून 2024)

विद्युत प्रदाय

प्रदेश में विगत कई वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। जून 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 5.10 मध्यप्रदेश में विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण

(मिलियन यूनिट)

विद्युत प्रदाता		वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी की परियोजनायें	ताप विद्युत	20731	19235	19589	25561	26752
	जल विद्युत	2519	2681	2344	2396	2586
	कुल	23250	21917	21933	27957	29338
संयुक्त उपक्रम जल परियोजना	इन्दिरा सागर	2837	2758	1679	3594	2937
	सरदार सरोवर	2277	1808	970	2681	2075
	ओंकारेश्वर	1227	1435	923	1774	1464
	अन्य जल विद्युत गृह	165	232	194	279	362
केन्द्रीय क्षेत्र की इकाईयों और डीवीसी	20265	27180	31057	30332	32355	
निजी क्षेत्र	19452	20713	21414	21000	23165	
अपारंपरिक ऊर्जा	6951	6889	7292	9692	10105	
प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)	73331	80909	83122	90292	94540	
प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (**)	76181	83646	86730	94540	99854	

स्रोत: (ऊर्जा विभाग, जून 2024)

* वितरण कंपनियों हेतु एक्स-बस आपूर्ति, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की आपूर्ति एवं अन्य संस्थाओं को विक्रय की गयी विद्युत सम्मिलित नहीं।

** प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं एवं रेलवे की आपूर्ति एवं अन्य संस्थाओं को विक्रय की गयी विद्युत सम्मिलित है।

श्रेणीवार विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या

वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेणीवार विद्युत उपभोक्ता गणना निम्नानुसार है:

तालिका 5.11 श्रेणीवार विद्युत उपभोक्ता गणना

(संख्या लाख में)

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	घरेलू	120.81	123.04	124.16	126.93
2	गैर घरेलू	11.23	11.92	12.75	13.50
3	सड़क प्रकाश	0.21	0.23	0.22	0.23
4	पब्लिक वाटर वर्क्स	0.48	0.53	0.59	0.69
5	सिंचाई	32.54	34.02	35.27	35.51
6	निम दाब उद्योग	1.31	1.36	1.37	1.38
7	उच्च दाब उद्योग	0.05	0.05	0.05	0.06
8	गैर औद्योगिक एवं अनुज्ञितधारी	0.02	0.03	0.03	0.03
योग		166.67	166.67	171.18	174.45

स्रोत: (ऊर्जा विभाग, जून 2024)


उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप वितरण अधोसंरचना में भी व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में उपभोक्ताओं की संख्या 166.66 लाख थी, जो बढ़कर मार्च, 2024 में 174.40 लाख हो गई।

श्रेणीवार विद्युत की खपत

विद्युत खपत वर्ष 2021-23 में 62678 मिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 71486 मिलियन यूनिट हो गई है। यह कुल बिजली खपत में 14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उल्लिखित अवधि में खपत में अधिकतम वृद्धि गैर घरेलू श्रेणी (32.8 प्रतिशत) और पब्लिक वाटर वर्क्स श्रेणी (31.2 प्रतिशत) को दी गई है, इसके बाद उच्च दाब उद्योग श्रेणी (26.7 प्रतिशत) है।

राज्य में बिजली की खपत में घरेलू और कृषि श्रेणी प्रमुख है। चित्र 5.13 वर्ष 2023-24 के लिए श्रेणीवार बिजली की खपत को दर्शाता है। अधिकांश खपत सिंचाई (40 प्रतिशत), घरेलू श्रेणी (26 प्रतिशत) और उच्च दाब उद्योग (19 प्रतिशत) में है।

श्रेणीवार विद्युत खपत (वर्ष 2023-24)



चित्र 5.13 श्रेणीवार विद्युत खपत (वर्ष 2023-24)

स्रोत: (ऊर्जा विभाग, जून 2024)

विद्युत क्षेत्र की क्षमता वर्धन के लिए पहल

आरडीएसएस योजना: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत पूर्ति के उद्देश्य से सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना रियेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य वितरण कंपनियों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करना तथा बिजली की प्रतियूनिट लागत तथा राजस्व के अंतर को समाप्त करना है। उक्त योजना अंतर्गत राज्य की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा किये जाने वाले लगभग रूपये 24,170 करोड़ की कार्य योजना हेतु राज्य शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग, वितरण हानियों में कमी हेतु प्रस्तावित कार्य एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य शामिल हैं।

इनर्जी आडिट: वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी., 33 के.व्ही एवं 11 के.व्ही फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक मीटरीकरण करने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023-24 में वितरण क्षेत्र में एटी एंड सी हानियाँ 21.85% (प्रावधिक) एवं पारेषण हानियां 2.61% के स्तर पर रही हैं।

जल संसाधन

मध्यप्रदेश जल स्रोतों से संपन्न राज्य है। प्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 81,500 मिलियन घनमीटर है जिसमें 56,800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। शेष 24,700 मिलियन घनमीटर जल अंतर्राज्यीय समझौते के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को आवंटित है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34,159 मिलियन घनमीटर आंकलित है।

सिंचाई

मार्च 2024 तक 37.66 लाख हेक्टर क्षेत्र (खरीफ, रबी एवं अन्य) में वार्षिक सिंचाई की गई है। रबी सिंचाई के लिए वर्षाकाल पूर्व से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। वर्षा काल में सभी जलाशयों में जल का नियमन इस प्रकार किया गया कि भण्डारण अधिकतम रहे। इसके लिए वृहद / मध्यम जलाशयों में जल स्तर की सतत मॉनिटरिंग एस.एम.एस. बेस्ड रिजरवायर लेवल मानिटरिंग सिस्टम के उपयोग से की गई। उपरोक्त रणनीति के परिणामस्वरूप मार्च 2024 तक खरीफ में 2.98 लाख हेक्टर एवं रबी में 33.49 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त 0.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसल में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कछारवार विकसित रबी सिंचाई आवश्यकताओं का वर्षवार ब्यौरा तालिका 5.13 एवं 5.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.13 कछारवार विकसित रबी सिंचाई आवश्यकताओं का वर्षवार ब्यौरा

(सभी इकाइयां लाख हेक्टेयर में)

क्षेत्र	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
चम्बल बेतवा कछार, भोपाल	2.82	3.33	3.73	3.75	3.78	3.78	3.12
धासान केन कछार, सागर	1.50	2.59	2.65	2.35	2.09	2.69	3.34
गंगा कछार, रीवा	2.32	2.62	2.41	2.81	3.09	2.95	2.95
नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर	3.69	4.20	2.92	2.97	2.62	2.79	3.09
राजघाट नहर परियोजना, दतिया	2.67	3.06	3.20	3.55	3.80	3.35	2.60
वैनगंगा कछार, सिवनी	1.80	2.43	2.69	3.01	2.98	3.20	3.27
जल संसाधन, उज्जैन	--	--	1.98	1.91	2.12	2.20	1.96
जल संसाधन, नर्मदापुरम	4.02	3.94	4.38	4.42	4.50	4.58	4.62
यमुना कछार, ग्वालियर	4.61	5.00	5.02	5.04	5.14	5.57	5.61
MKPMU राजगढ़	--	0.03	0.08	0.30	0.87	1.18	1.88
SSPMU इंदौर	--	--	0.20	0.34	0.35	0.35	1.05
कुल	23.42	27.20	29.25	30.45	31.32	32.64	33.49

स्रोत: (जल संसाधन विभाग, 2024)

तालिका 5.14 वर्षवार विकसित सिंचाई क्षमता

(सभी इकाइयां लाख हेक्टेयर में)

विवरण	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
रबी सिंचाई	23.42	27.20	29.25	30.45	31.32	32.64	33.49
खरीफ सिंचाई	1.31	2.45	2.01	2.70	2.79	2.67	2.98
ग्रीष्मकालीन सिंचाई	--	--	--	0.69	0.89	0.87	0.82
कुल	24.73	29.65	31.26	33.84	35.00	36.18	37.29

स्रोत: (जल संसाधन विभाग, 2024)

प्रदेश में विभाग के अधीन वर्तमान में 42 वृहद्, 61 मध्यम तथा 381 लघु सिंचाई योजनाएं विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं। मार्च 2024 तक लगभग 41.10 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र विकसित कर लिया गया है। शासन की मंशानुरूप वर्ष 2027 तक प्रदेश के 53 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना लक्षित है। सूक्ष्म (माइक्रो) सिंचाई योजनाओं के द्वारा उच्च स्तर पर स्थित क्षेत्रों में भी सिंचाई करना संभव हो पाया है, जिससे सिंचाई हेतु आवश्यक जल की मात्रा भी कम हो जाती है। इस प्रकार जल के इष्टतम उपयोग करने पर जल की बचत होती है एवं अधिक जल उपयोग से होने वाली हानि से भी फसलों का बचाव होता है तथा प्रति हेक्टर उत्पादन में भी बढ़त होती है।

वृहद सिंचाई परियोजनाएं: वर्तमान में 25 वृहद सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, जिनका निर्मित सैंच्य क्षेत्र 14.34 लाख हेक्टर है। माह मार्च 2024 तक प्रदेश में 61,229 करोड़ लागत के 42 वृहद सिंचाई परियोजनाएं का निर्माण विभिन्न चरणों में है जिससे 36.98 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र (Catchment एरिया) का विकास एवं 10,971.36 मि.घ.मी. जीवित जल क्षमता उपलब्ध होगी। प्रदेश में 11,216 करोड़ लागत के 14 वृहद सिंचाई परियोजनाएं के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है जिससे 3.56 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र का विकास एवं 530.60 मि.घ.मी. जल क्षमता उपलब्ध होगी।

मध्यम सिंचाई परियोजनाएं: प्रदेश में 113 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। 61 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। माह मार्च 2024 तक प्रदेश में 14,387 करोड़ लागत के 55 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं का निर्माण विभिन्न चरणों में है जिससे 3.96 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र का विकास एवं 1,434.34 मि.घ.मी. जीवित जल क्षमता उपलब्ध होगी। 14,107 करोड़ लागत के 56 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं के निर्माण का चिनहाकन किया गया है जिससे 3.31 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र का विकास एवं 5,161.41 मि.घ.मी. जीवित जल क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी।

लघु सिंचाई योजनाएं: प्रदेश में मार्च 2024 तक 5,692 लघु सिंचाई परियोजनाए पूर्ण की जा चुकी हैं। 4204 करोड़ लागत की 381 लघु सिंचाई परियोजनाएं का निर्माण विभिन्न चरणों में है जिससे 1.73 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र का विकास किया जाएगा। 628 करोड़ लागत के 108 लघु सिंचाई परियोजनाएं के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है जिससे 0.31 लाख हेक्टर सैंच्य क्षेत्र का विकास किया जाएगा। जल संसाधन विभाग अंतर्गत

कुल 797 लघु सिंचाई योजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 6687 करोड़ एवं प्रस्तावित सिंचाई 2.45 लाख हेक्टेयर है, प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित / चिन्हित की गई है।

कमाण्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM)

राज्य के बेहतरीन भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैंच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कमाण्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 23 वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कुल कमाण्ड क्षेत्र 1,037.77 हेक्टेयर के विरुद्ध दिनांक 31 मार्च 2023 तक कुल 719.61 हेक्टेयर में फील्ड चैनल का निर्माण कार्य संपादित कराया गया है। योजना अंतर्गत उक्त 23 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं को हर खेत को पानी घटक में सम्मिलित करने के अतिरिक्त शेष 13 परियोजनाओं (5.96 लाख हेक्टेर) द्वारा किया जाएगा।

Box 5 4 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के विकास का उद्देश्य, जल संसाधनों की जानकारियों को समस्त हितधारकों की पहुंच तक सुगमता से उपलब्ध कराना, गुणवत्ता में आवश्यक सुधार करना और प्रदेश के मौजूदा जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। इसके अंतर्गत सतही एवं भू-जल घटकों हेतु कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः गंगा, नर्मदा, ताप्ती और माही कछारों में Real Time Data Acquisition System (RTDAS) स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 12 मुख्य बांधों पर Dam Automation हेतु SCADA स्थापित किया जा रहा है (बारना, तवा, बरगी, बाणसागर, सजंय सरोवर, गॉधीसागर, अटल सागर, माही, पेंच, राजीव सागर डेम, कोलार डेम एवं संजय सागर बाह परियोजना) तथा 10 अन्य बांधों के Visual Surveillance हेतु CCTV System स्थापित किये जाने का कार्य किया गया है (सजंय सागर बाह, साप्राट अशोक सागर, बाणसुजारा, कोलार, पारसडोह, कुशलपुरा, तिगरा, कलियासोत, मटियारी एवं सगड़ डेम)।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जल आंकड़ों की सूचना प्रणाली (State WRIS) तथा जल संसाधनों से संबंधित प्रयोजन निहित अध्ययन (Purpose Driven Studies) प्रशिक्षण आदि के माध्यम से क्षमता विकास के कार्य शामिल किये गये हैं।

उपरोक्त कार्यों से सतही एवं भू-जल से संबंधित ऑकड़े वास्तविक समय में प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है जिसके द्वारा जल संसाधनों का उचित आकंलन एवं बेहतर प्रबंधन किया जाना संभव हो सकेगा। इसमें मानवीय त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। जल संसाधनों से संबंधित आंकड़ों के प्रदर्शन हेतु वेब बेस्ड डिजीटल एटलस का कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। इसके उपयोग से सभी प्रकार के आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण किया जा सकेगा।

जल आपूर्ति से राजस्व

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 26ए के तहत जल संसाधनों पर सरकार का पूरा अधिकार है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जल दरों का निर्धारण इस तरह से किया जाना चाहिए कि जल

संसाधन परियोजनाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक राशि की वसूली हो सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो सके कि किसानों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। वर्ष 2022-23 में सिंचाई एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिये जल दरों को अंतिम रूप दिया गया है जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

तालिका 5.15 जल आपूर्ति से उत्पन्न राजस्व का सारांश

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.	वर्ष	सिंचाई	पेयजल	उद्योग	विधुत (MPPGCL)	अन्य	कुल
1	वित्तीय वर्ष 2016-17	24.75	3.01	196.64	158.34	12.72	395.46
2	वित्तीय वर्ष 2017-18	23.53	4.61	150.78	110.77	27.70	317.39
3	वित्तीय वर्ष 2018-19	13.78	1.81	377.78	56.79	25.55	475.71
4	वित्तीय वर्ष 2019-20	33.70	3.24	187.46	89.69	48.47	362.56
5	वित्तीय वर्ष 2020-21	32.33	5.61	208.50	101.00	31.96	379.40
6	वित्तीय वर्ष 2021-22	45.23	65.01*	237.38	89.49	13.21	450.32
7	वित्तीय वर्ष 2022-23	29.35	4.13	244.66	114.51	14.61	407.26
8	वित्तीय वर्ष 2023-24	22.80	6.92	247.49	123.44	6.93	407.58

नोट : - * इसमें नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों से वसूल की गई बकाया राशि शामिल है।

स्रोत: (जल संसाधन विभाग, 2024)

5.6. संदर्भ

Startup India Portal, Government of India. (2024, January 22). Department for Promotion of Industries and Internal Trade, Government of India. Retrieved from Startup India: <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/search.html/Madhya-Pradesh?states=5f48ce592a9bb065cdf9fb30&roles=Startup&page=0>

PRABHAV-Report, D. (2023). PRABHAV Report-Powering a Resilient & Agile Bharat for the Advancement of Visionary Startups. Retrieved from <https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Fact-book-100K-Recognitions.pdf>

India Tourist Statistics Report. (2023). Retrieved from https://tourism.gov.in/sites/default/files/2023-07/India%20Tourism%20Statistics%20at%20a%20glance%202023%20-%20English%20version_0.pdf

Department of MSME, Government of Madhya Pradesh. (2024, February 26). MMUKY Progress. Retrieved from https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ofj00uly2VC7NW_tl9dcKivpskSp-Kru/edit#gid=1692491513

Administrative Report, Department of MSME, Government of Madhya Pradesh. (2023).

एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार. (जनवरी 2024, जनवरी 22). Retrieved from <https://mpmsme.gov.in:8080/mpmsmecms/Uploaded%20Document/FA%20Achievement%20Eng.pdf>

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. (विभिन्न वर्षों के लिए).

आर्थिक एवं सांच्चिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन. (2024).

(2022-23). प्रशासनिक प्रतिवेदन, औद्योगिक संवर्धन और निवेश नीति विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.

एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश सरकार. (मार्च 2024).

पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार. (जून 2024).

औद्योगिक संवर्धन और निवेश नीति विभाग, मध्यप्रदेश सरकार. (मार्च 2024).

उद्यम पोर्टल, भारत सरकार. (मार्च 2024).

कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार. (दिसंबर 2023). Retrieved from <https://handlooms.nic.in/assets/img/Statistics/2486.pdf>

संत राविदास हथकरघा और हस्तशिल्प निगम, मध्यप्रदेश सरकार. (मई 2024).

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग. (जून 2024).

ऊर्जा विभाग. (जून 2024).

जल संसाधन विभाग. (2024).

अध्याय 6

व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी

अध्याय 6

व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी

6.1 क्षितिज का विस्तार

भारतीय निर्यात ने पोस्ट-पैंडेमिक आपूर्ति शृंखला के मुद्दे तथा भू-राजनीतिक कारकों द्वारा उठाई गई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लिए भारत का कुल निर्यात (सामान एवं सेवा सम्मिलित) ₹ 776.68 अरब था, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 0.04 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इस बीच, भारत ने 2023 में अपनी नई विदेशी व्यापार नीति भी लॉन्च की, जो निर्यात को प्रोत्साहित करती है एवं निर्यातकों के लिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान करती है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू जिला स्तर से निर्यात को प्रोत्साहित करना एवं ज़मीनी स्तर पर व्यापार अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से बढ़ाना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के लिए जिला-विशेष निर्यात सम्बन्धी योजनाएं तैयार करना है, जिसमें चिन्हित उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जिला-विशेष रणनीति को उल्लेखित किया जाए।

मध्यप्रदेश ने निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और देश को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निरंतर कार्यरत है। मध्यप्रदेश का वस्तु निर्यात (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए) भारत के कुल वस्तु निर्यात (रुपये करोड़ में) में 1.8% का योगदान किया। निर्यात का प्रतिशत मध्यप्रदेश के कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (ए) का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4.79 प्रतिशत था।

निवेश आकर्षित करने के लिए, राज्य प्रति दो वर्ष में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) आयोजित करता है। अंतिम जीआईएस जनवरी, 2023 में आयोजित की गयी थी जिसमें कुल 15.42 लाख करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित था, और जीआईएस के दौरान 2500 से अधिक बी2बी बैठकों को आकर्षित किया। इस कार्यक्रम में 2 राष्ट्रपति, 8 देशों के मंत्री और 35 विदेशी दूतावास के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 40+ रोड़ शो, प्रदर्शनियों का आयोजन/भागीदारी की गयी, जिसने मध्यप्रदेश को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रमोट किया है।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) का महत्वपूर्ण केंद्र बना और वर्ष 2021-22 में तीसरा सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया। पिछले दस वर्षों में यानी (अप्रैल, 2014-दिसंबर, 2023) के दौरान प्राप्त FDI कुल मात्रा 647.96 अरब डॉलर थी। इस अवधि के दौरान एफडीआई 170 से अधिक देशों से आई है जिन्होंने 33 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के 63 क्षेत्रों में निवेश किया है। विदेशी व्यापार नीति 2023, उत्पाद प्रेरित प्रोत्साहन (PLI), गति शक्ति और अंततः आत्मनिर्भर भारत ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों और कंपनियों में आत्मविश्वास भर दिया है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS) की शुरुआत के बाद, जो 13 अक्टूबर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। भारत सरकार के 39 मंत्रालयों और सभी 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मिशन मोड पर शामिल हैं। (PMGS) पोर्टल का उपयोग निजी क्षेत्र के लिए पूर्वाधिकृत निवेशों को काफी कम कर

दिया है। यह विनिर्माण क्षेत्र के लिए सुधारित लिंकेज प्रदान करेगा। यह अंतिम मील की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करेगा, जो आसान जीवन और व्यापार करने की सुविधा में सुधार करेगा।

6.2 व्यापार संवर्धन

पिछले दशक में, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। राज्य को एक व्यवहार्य निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के प्रयास किए हैं। इस संबंध में, विभिन्न प्रोत्साहन और समर्थन तंत्र ने आत्मनिर्भर रोडमैप और विदेश व्यापार नीति 2023 के साथ घनिष्ठता काम करना शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश के नए और मौजूदा निर्यातिकों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई), किसान और किसान उत्पादक संगठनों (FPO), हस्तशिल्प और हथकरघा उद्यमियों, स्टार्टअप आदि के लिए बाजार अनुसंधान को सरल बनाने के लिए, मध्यप्रदेश ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (SLEPC) का गठन कर, राज्य के निर्यात आयुक्त को SLEPC के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

6.2.1 मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद

मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद (MPTPC) उद्यमिता विकास, निर्यात बुनियादी ढांचे के विकास और मध्यप्रदेश के बाहर निर्यात के लिए निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र विकास से लेकर सभी विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए काम करती है। MPTPC मूल्य शृंखला और निर्यात की पूरी प्रक्रिया में सभी हितधारकों के साथ समन्वय करती है, ताकि बेहतर व्यवसाय विकास के लिए भारत के भीतर और बाहर संपर्क स्थापित कर बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार पोर्टल और निर्यात हेल्पलाइन शुरू की गई है। ट्रेड पोर्टल मध्यप्रदेश के निर्यातिकों के लिए जानकारी तक पहुंच में सुधार करने और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में एजेंसियों से महत्वपूर्ण जानकारी को एक साथ लाता है जो उन्हें सक्रिय निर्यातिक बनने के लिए सशक्त बना सकती है। प्रकोष्ठ द्वारा की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश के सभी जिलों के साथ वर्चुअल आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगा और हितधारकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
2. जागरूकता पैदा करने और जिला अधिकारियों को उनके निर्यात संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए चुनिंदा जिलों में निर्यात बूट शिविरों की योजना बनाएं।
3. नए और मौजूदा निर्यात को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यापारिक मंच - एमपी ट्रेड Portal.org विकसित और प्रबंधित किया गया है।
4. निर्यात संवर्धन के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए वैश्विक और घरेलू हितधारकों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ बातचीत की जा रही है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद (MPTPC) और निर्यात प्रकोष्ठ ने जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40+ से अधिक कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लिया गया है। संक्षिप्त घटना के साथ-साथ प्रमुख क्रियाकलापों को (तालिका 6.1) में देखा जा सकता है।


तालिका 6.1 वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात संवर्धन के लिए प्रमुख गतिविधियाँ

क्र.सं.	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण
1	जिला निर्यात संवर्धन का कार्यक्रम 8 जिलों में किया गया (नीमच, हरदा, अशोकनगर, नरसिंहपुर, शहडोल, बालाघाट, बैतूल, धार)।	जिला निर्यात योजनाएं। प्रलेखन एवं निर्यात की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता।
2	LOGIX 4 FIEO द्वारा आयोजित।	इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के 135 प्रदर्शकों ने भाग लिया और 92 विदेशी खरीदारों ने भी प्रदर्शनी सह सम्मेलन में भाग लिया। आयोजन के दौरान 3100+ B2B बैठकें देखी गई, जबकि मध्यप्रदेश के 60+ व्यवसायों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। B2B के लिए 700 आगंतुक फुटफॉल।
3	EEPC 'X', इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा आयोजित।	इस कार्यक्रम में कुल 251 विदेशी खरीदारों ने भाग लिया, जिसमें मध्यप्रदेश के 47 व्यवसायी उपस्थित थे। म.प्र. के विक्रेताओं ने कार्यक्रम में बैठक आयोजित की और अपने भविष्य के व्यवसाय पर चर्चा की।
4	ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023।	इस कार्यक्रम में 2 राष्ट्रपतियों, 8 मंत्रियों, 35 विदेशी दूतावास के प्रतिनिधि, 491 विदेशी खरीदारों, 7500 स्थानीय विक्रेताओं ने भाग लिया। 2500 बी2बी बैठकें आयोजित की गई, जिनमें मध्यप्रदेश सरकार को 15.42 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
5	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा बाजार पर निर्यात संगोष्ठी का आयोजन।	लगभग 250 प्रतिभागी 2 दिनों के लिए उपस्थित थे, जबकि वर्तमान बाजार परिदृश्य से लेकर कंपनी पंजीकरण, खरीदार खोज और क्रेडिट/ऋण सुविधा की उपलब्धता तक निर्यात व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6	आम्बेडकर व्यापार मेला, DICCI, भोपाल।	आयात निर्यातिक कोड (IEC) एकमात्र स्वामित्व के लिए पंजीकरण बूटकैप। 2 (IEC) पंजीकृत किए और 4 दिनों के दौरान 150 से अधिक वॉक-इन व्यक्तियों से परामर्श किया।
7	लंदन प्रदर्शनी।	ODOP/व्यापार संवर्धन के लिए भारतीय उच्चायोग, लंदन में प्रदर्शन के लिए अन्य उत्पाद।

क्र.सं.	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण
8	मिलान में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प बिक्री प्रदर्शनी।	ODOP के लिए उत्पाद AF- L'Artigiano in Fiera - मिलान, इटली में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प बिक्री प्रदर्शनी।
9	Source-x (क्रेता विक्रेता मीट-बीएसएम), नई दिल्ली।	स्थानीय और विदेशी खरीदारों से 300 पंजीकरण किए गए हैं।
10	क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, उज्जैन।	प्रदर्शनी, क्रेता और विक्रेता बैठक का आयोजन। प्रदर्शनी के दौरान 1000+ खरीदारों और विक्रेताओं शामिल हुए।

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

जैसा कि नीचे (चित्र 6.1) में देखा गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश का कुल व्यापारिक निर्यात 65,255 करोड़ रुपये था। जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में लगभग 1.8% का योगदान देता है। इसके अलावा, 2019 से 2024 तक पिछले पांच वित्त वर्षों में, मध्यप्रदेश की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर 11.60% थी।



स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

चित्र 6.1 मध्यप्रदेश का वस्तु निर्यात

6.2.2 निर्यात संवर्धन

भारतीय निर्यात ने पोस्ट-पैंडेमिक सप्लाई श्रृंखला समस्याओं और भूराजनीतिक कारकों द्वारा उठाई गई चुनौतियों को सफलतापूर्वक पहचान करके अपनी सहनशीलता का प्रमाण दिया है। इस गति को बनाए रखने के लिए, भारत का लक्ष्य राज्यों और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में प्रोत्साहित करके एक वैश्विक निर्यात खिलाड़ी बनाना है।

राज्य सरकारों के प्रयासों में नीति वातावरण में सुधार के कारण कई राज्यों ने निर्यात प्रोत्साहन नीतियों और जिला स्तरीय निर्यात संबंधी योजनाओं को बनाने में सफलता प्राप्त की है। राज्य अपनी प्राकृतिक विविधता का उपयोग करके उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं, अपने अनूठे उत्पादों को प्रमोट करके और उन्हें वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद करके अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश नवाचार को पोषित कर सकता है, जो निर्यात में उच्च कृशलता और भारत के निर्यात बास्केट की विविधता

में उच्चतर दक्षता को सुगम बना सकता है। नए बाजारों की पहचान और राज्य की प्रतिस्पर्धी फायदे के अनुसार विविध उत्पादों का निर्यात करने में और अधिक प्रयास भारत को अपने वैश्विक सुधार करने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 निर्यात उत्पाद (तालिका 6.2)

तालिका 6.2: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 निर्यात

(राशि करोड़ रुपये में)

रैंकिंग	HS कोड	वास्तु विवरण	निर्यात का मूल्य
1	30	दवा उत्पाद	13,158
2	23	खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट: तैयार एनिमा	6,533
3	52	कपास	4,991
4	84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर मशीनरी और यांत्रिक उपकरण	4,865
5	63	अन्य बना-बनाया कपड़ा लेख; सेट; पहना कपड़ा लेख।	4,337
6	29	जैविक रसायन	4,161
7	76	एल्यूमिनियम धातु एवं अन्य लेख	4,130
8	10	अनाज	3,701
9	85	विद्युत मशीनरी एवं उपकरण एवं भाग	2,528
10	39	प्लास्टिक और लेख	2,111

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

6.2.3 निर्यात केंद्र के रूप में जिला पहल

निर्यात केंद्र (DEH) पहल के तहत, देश के सभी 765 जिलों से निर्यात की संभावनाओं वाले उत्पादों की पहचान की गई है। जिलों को निर्यात केंद्र पहल (DEH) एक योजना नहीं है, बल्कि यह देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। निर्यात केंद्र पहल का उद्देश्य जिला-निर्देशित निर्यात वृद्धि से आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता की दिशा में परिस्थितियों को बदलना है, जिससे एमएसएमई, किसान और लघु उद्यम विदेशी बाजारों में निर्यात के संभावनाओं का लाभ उठाने में सहायक हो। जिले को उनके निर्यात और विनिर्माण को बढ़ाने के लिए पूँजी को आकर्षित करना चाहिए, और यह जिला स्तरीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता का उपयोग करके नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाला एक वातावरण बनाना, क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाना चाहिए और निर्यातक चक्र के विभिन्न बिंदुओं पर निर्यातक के लिए लेनदेन लागत को कम करने में सहायता, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, उनके उत्पादों और सेवाओं को एक बड़े और वैश्विक दर्शक तक पहुंचाने के प्रयास किया जाना है।

निर्यातकों को आसानी से उपलब्ध जानकारी और समर्थन प्रदान करने के लिए, राज्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद (SEPC) और जिला निर्यात प्रोत्साहन परिषद (DEPC) के रूप में एक संस्थागत ढांचे की स्थापना निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सुविधा को एकल खिड़की के माध्यम से और सशक्त बनाए रखने के लिए आगे बढ़ायेगी। जिला निर्यात कार्य योजनाएं प्रभाव में लाई जायेगी, जो व्यापार बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगी और स्थानीय फर्मों को उनके विकास और निर्यात शुरू करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी। डीईपीसी में उल्लेखित मापनीय लक्ष्य अलग-अलग केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासन निकायों को मार्गदर्शन करेंगे तथा जिले के निर्यातकों द्वारा प्रतिबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोग करेंगे। DEPC के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- DEPC का प्रमुख जिले के डीएम/कलेक्टर/डीसी/जिला विकास अधिकारी हो सकता है और डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। जिले में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, हस्तकला और उद्योग से संबंधित सभी मुख्य अधिकारी और प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन परिषदों, गुणवत्ता और तकनीकी मानक संगठनों, भारत सरकार के विभागों जैसे कि एमएसएमई, भारी उद्योग, राजस्व और वस्त्र का लीड बैंक प्रमुख DEPC का हिस्सा होंगे।
- DEPC भारत के बाहर संभावित खरीदारों तक पहुंचने वाली अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में निर्यात योग्य उत्पादों का उत्पादन करने में स्थानीय निर्यातकों / निर्माताओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजनाएं तैयार करना और उन पर कार्य करना।

औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग (DIPIP), मध्यप्रदेश शासन, निर्यात का हिस्सा बढ़ाने के लिए तीव्रता से काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य है अगले तीन वर्षों में इसे दोगुना करना है तथा 'निर्यातकों का सम्मेलन' को 2023 में 52 जिलों में आयोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 जिलेवार निर्यात निम्नलिखित (तालिका 6.3) में देखा जा सकता है। इंदौर सबसे उच्च निर्यात करने वाला जिला है, जिसमें 20,256 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया हैं, एवं उपरोक्त श्रेणी में सबसे कम निर्यात करने वाला जिला रतलाम है, जिसमें 1,279 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है।

तालिका 6.3: वित्त वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 जिलेवार निर्यात

(राशि करोड़ रुपये में)

रैंकिंग	जिले का नाम	निर्यात का मूल्य
1	इंदौर	20,256
2	धार	10,973
3	रायसेन	7,561
4	सीहोर	4,045

रैंकिंग	जिले का नाम	निर्यात का मूल्य
5	सिंगरौली	3,960
6	देवास	3,847
7	उज्जैन	1,524
8	जबलपुर	1,426
9	भोपाल	1,309
10	रतलाम	1,279

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

6.2.4 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से उत्पाद और सेवाएं निर्यात के लिए होती हैं। आजकल, SEZ विनिर्माण और निर्यात में गतिशीलता का प्रमुख कारण हैं। SEZ के सबसे बड़े लाभ यह है कि उन्हें निर्माण, संयंत्र और मशीनरी खरीदारी और कच्चे माल खरीदारी पर कस्टम शुल्क और जीएसटी सहित करों की छूट होती है। यह निर्यात उत्पाद की लागत को कम करने में मदद करके इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है। मध्यप्रदेश में कुल 6 SEZ कार्यरत हैं। इंदौर (पीथमपुर) एसईजेड बहुउत्पाद वाला है और राज्य में अन्य पांच एसईजेड आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में हैं। (तालिका 6.4) में पिछले पांच वर्षों में सभी 7 संचालनीय एसईजेड का योगदान प्रदर्शित करती है।

तालिका 6.4: वित्त वर्ष 2019 से 2024 तक कार्यरत SEZ का निर्यात

(राशि करोड़ रुपये में)

SEZ के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
इंदौर पीथमपुर	9,600	11,943	12,857	12,795.04	14,265.63
क्रिस्टल आईटी पार्क, इंदौर	436	452	597	640.23	590.94
इंफोसिस, इंदौर	32	70	137	444.80	682.84
इम्पेटस, इंदौर	44	96	159	330.77	682.22
टीसीएस, इंदौर	254	542	867	1509.80	1725.29
यश, इंदौर	-	-	-	43.09	100.29


स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

6.2.5 निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI)

निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) को नीति आयोग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक अभ्यास के रूप में जारी किया जाता है। जो राज्यों के परे गहन रूप से जिला स्तरीय निर्यात की जांच करता है। एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स (EPI) रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निर्यात की तैयारी का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। यह एक ऐसा ढांचा पेश करता है जो देश में प्रतिस्पर्धा को

बढ़ावा देता है। यह सूचकांक हितग्राहियों को राज्य के निर्यात पर प्रभाव डालने वाले पैरामीटरों को पहचानने और सुधार करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। साथ ही, यह अपने डेटा-उन्मुख दृष्टिकोण का उपयोग करके नीति परिवर्तनों यह अनुकूल निर्यात पारिस्थितिकी के निर्माण के लिए एक व्यापक विश्लेषण भी प्रदान करता है। यह रिपोर्ट हर राज्य के निर्यात प्रदर्शन को ऊंचाई पर ले जाती है और राष्ट्र के कुल विकास में योगदान करती है। यह सूचकांक हितग्राहियों को राज्य के निर्यात पर प्रभाव डालने वाले पैरामीटरों को पहचानने और सुधार करने की शक्ति प्रदान करता है।

एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स (EPI) 2022 रिपोर्ट राज्य सरकारों को क्षेत्र-विशेष अनुभव प्रदान करके निर्णय लेने में सहायक होने का प्रयास करती है, साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करने का उद्देश्य रखती है। रिपोर्ट भारत के वित्तीय वर्ष 2022 में निर्यात प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है, इसके साथ ही इसके क्षेत्र-विशेष और जिला-स्तर की वस्त्र निर्यात के रुझानों को देखता है। एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स (EPI) 2022 रिपोर्ट राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए चार स्तंभों में विभाजित हैं जो को - नीति, व्यवसाय पारिस्थितिकी, निर्यात पारिस्थितिकी, और निर्यात प्रदर्शन हैं।



स्रोत: एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स (EPI) 2022 रिपोर्ट, नीति आयोग, भारत सरकार।

चित्र 6.2: एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स - लैंडलॉक श्रेणी

मध्यप्रदेश को अन्य भूमध्य स्थित राज्यों के साथ तुलना में एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स (EPI) रिपोर्ट, 2022 में, एक रोचक रुझान को दर्शाता है जो (चित्र 6.2) में दिखाया गया है। राज्य का कुल स्कोर स्थिर रूप से बेहतर हो रहा है हालांकि अन्य शीर्ष प्रदर्शित भूमध्य स्थित राज्यों में एक मिश्रित रुझान दिखाई देता है। मध्यप्रदेश का एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स (EPI) स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में सुधार होकर कुल स्कोर 55.68 रहा तथा राज्य का स्थान एक्सपोर्ट प्रिपरेडनेस इंडेक्स (EPI), 2022 में 12वां और भूमध्य श्रेणी में 5वें स्थान पर था। रिपोर्ट में 4 मुख्य स्तंभों में, मध्यप्रदेश नीति स्तंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिसका स्कोर 98.68 रहा है। ये स्कोरों में वृद्धि के संवर्धनात्मक सुधार राज्य की भविष्य निर्देशिका सोच का परिणाम है जो निर्यात प्रोत्साहन नीति और संस्थागत ढांचे में कार्ययोजनाओं में परिवर्तन के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, जिससे कि कुल नीति के परिपेक्ष्य में सुधार हुआ है।

6.3 निवेश संवर्धन

राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पावर्स के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित बजट 2387.42 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे और बड़े निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जब उनके पास 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक का निवेश करने की इच्छा होती है तो राज्य में एक कस्टमाइज्ड पैकेज की प्रावधानिक उपलब्धता है। विभिन्न औद्योगिक प्रस्तावों के लिए कस्टमाइज्ड पैकेजों की प्रावधानिकता वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2021-22 तक प्रदान की गई थी जो (तालिका 6.5) में उल्लेखित हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले; रोजगार में अनुमानित वृद्धि 5742 जिसकी प्रतिशत वृद्धि 19.34 देखी गई थी।

तालिका 6.5: मध्यप्रदेश में कस्टमाइज्ड निवेश पैकेज

वित्तीय वर्ष	कस्टमाइज्ड पैकेज	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार
2023-24	40	36515	35418
2022-23	27	57333	29676
2021-22	23	10492	28697

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

मध्यप्रदेश में निवेश प्रक्रिया एवं अनुमोदन को सुगम बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा एकल खिड़की प्रणाली विकसित की गई है, जो मध्यप्रदेश शासन से एकीकृत है। वर्तमान में, इस पोर्टल पर, 12 विभाग सूचीबद्ध हैं और 46 सेवाएं उपलब्ध हैं।

6.3.1 मध्यप्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

उच्च प्रवर्तन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक मध्यप्रदेश में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का आवंटन 3,609.05 करोड़ रुपये रहा। इस अवधि के दौरान वार्षिक FDI निवेश को (चित्र 6.3) में दिखाया गया है। इस अवधि में FDI निवेश में कुछ कमियों के कारण निम्नलिखित हो सकती हैं। (स्रोत: भारतीय संसद, सरकार का अस्तारित प्रश्न संख्या 215, दिनांक- 21 जुलाई, 2023)।

- वैशिक मंदी का खतरा:** एक सख्त वित्तीय वातावरण और सामान्य रूप से वैशिक बाजारों में और विशेष रूप से विकासशील बाजारों में वित्तीय संकटों की एक श्रृंखला ने FDI प्रवाह में गिरावट को ट्रिगर किया हो सकता है।
- रुस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आर्थिक संकट।
- वैशिक संरक्षणवादी उपाय:** महामारी के बाद के देशों ने अन्य देशों पर निर्भरता कम करने और अपने स्वयं के घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिये विभिन्न संरक्षणवादी उपायों को अपनाया है। यह भी निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित करने का एक संभावित कारण हो सकता है।
- FDI के लिए प्रमुख स्रोत देश, सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन की वास्तविक जीडीपी विकास दर 2022 में कम हुई है।



स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग, भारत सरकार

चित्र 6.3 मध्यप्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वर्ष

6.3.2 औद्योगिक निवेश संवर्धन

कालांतर में राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकृत करने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। उद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्रदान करना जो अन्य मौलिक आवश्यकताओं से पूर्ण होते हैं, यह राज्य की एक महत्वपूर्ण पहल है। एक महत्वपूर्ण अवलोकन निवेश प्रति परियोजना पैरामीटर पर है। इस मूल्य की वृद्धि महत्वपूर्ण हैं और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के मध्य प्रतिस्थापित या अपने व्यापार को मध्यप्रदेश में स्थापित या विस्तारित करने की एक बढ़ती रुझान का प्रदर्शन करती है। जो (तालिका 6.6) प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में निवेशकों में बढ़ती हुई रुचि देखी जा रही हैं।

तालिका 6.6: संभावित निवेश और रोजगार गतिविधि (वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24)

वित्तीय वर्ष	इकाइयों की संख्या	कुल प्रस्तावित निवेश (राशि करोड़ रुपये में)	कुल प्रस्तावित रोजगार (संख्या में)
2023-24	535	14,853	33,143
2022-23	515	9,233	45,591

वित्तीय वर्ष	इकाइयों की संख्या	कुल प्रस्तावित निवेश (राशि करोड़ रुपये में)	कुल प्रस्तावित रोजगार (संख्या में)
2021-22	441	7,260	30,465
2020-21	384	11,000	22,000
2019-20	258	6,564	15,851

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश साशन।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लिए भूमि को मांग की जाने वाली उद्योगों की संख्या में स्थिरता से वृद्धि हुई है। उसी तरह, इन इकाइयों से अपेक्षित रोजगार में हाल ही में स्थिर वृद्धि देखी गई है। यह एक महत्वपूर्ण दिशा है, जो राज्य ने राज्यीय जीएसडीपी में खंड युग्म को पुनर्संतुलित करने पर निर्धारित की है। इन वित्तीय वर्षों से यह डेटा स्थापित करता है कि निवेश में अधिक पूंजीगतता है। कालांतर में इन इकाइयों में प्रति कर्मचारी निवेश में वृद्धि देखी गई है।

6.4 कनेक्टिविटी

6.4.1 सड़क और राजमार्ग कनेक्टिविटी


लोक निर्माण विभाग (पुल और सड़कें) और लोक निर्माण विभाग (भवन) मध्यप्रदेश सरकार की प्रमुख एजेंसियां हैं जो सरकारी परिसंपत्तियों जैसे सड़कें, पुलों, सड़क पुलियों, फ्लाई ओवर और इमारतों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करता है।

PWD (B&R) की मुख्य गतिविधियों अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, उन्नयन तथा रखरखाव एवं पुल, फ्लाई ओवर और रोड-ओवर-ब्रिज का निर्माण शामिल है। लोक निर्माण विभाग (भवन) राज्य में परियोजना मोड में भवनों का निर्माण करता है।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (MPRDC) को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2002 और कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित किया गया था। MPRDC को सभी राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परियोजनाओं का एक बड़ा प्रतिशत BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रेन्स्फर) सड़कों “सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership)” योजना के तहत संचालित होता है, जबकि अन्य को EPC (इंजीनियरिंग-प्रोक्यूरमेंट-कॉन्ट्रैक्ट), नियमित अनुबंध योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ADB और NDB जैसी एक्स्टर्नल फंडिंग एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित कई परियोजनाओं का प्रबंधन MPRDC द्वारा किया जाता है।

6.4.2 सड़क नेटवर्क

सड़कों, पुलों और फ्लाई ओवर को बनाने वाले सतही परिवहन बुनियादी ढांचे को मोटे तौर पर चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और गांव के सड़कें। राज्य में कुल 71,379 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनका विवरण नीचे (चित्र 6.4) में दर्शाया गया है।



स्रोत: मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड. (MPRDC)

चित्र 6.4 सड़क का प्रतिशत-वार वितरण

- राष्ट्रीय राजमार्ग: 9,315 किलोमीटर
- राज्य राजमार्ग: 11,389 किलोमीटर
- प्रमुख जिला सड़कें: 24,362 किलोमीटर
- गांव और अन्य सड़कें: 26,313 किलोमीटर

कुल सड़क उपलब्धता 23.175 किमी प्रति 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है।

अधिनियम, 2000 के अंतर्गत, वर्ष 2000-01 में, 8,383.47 किलोमीटर की लंबाई वाली 409 सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसकी लागत लगभग 11,586.26 करोड़ रुपये है। मार्च 2024 तक, 5,359 करोड़ रुपये की लागत से कुल 6831 किलोमीटर की 343 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

6.4.3 सड़क विकास की प्रगति

तालिका 6.7 वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक सड़क विकास प्रगति

क्र.	वित्तीय वर्ष	सड़क निर्माण / उन्नयन (किलोमीटर में)		बड़े और मध्यम पुल / आरओबी / फ्लाईओवर	
		प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक
1	2016-17	2,400	2,142	100	85
2	2017-18	2,300	2,000	100	51
3	2018-19	3,353	2,465	70	57
4	2019-20	3,150	3,011	80	62
5	2020-21	3,000	2,500	25	13
6	2021-22	3,200	2,800	35	27

क्र.	वित्तीय वर्ष	सड़क निर्माण / उन्नयन (किलोमीटर में)		बड़े और मध्यम पुल / आरओबी / फ्लाईओवर	
		प्रस्तावित	वास्तविक	प्रस्तावित	वास्तविक
7	2022-23	3,500	2,800	35	27
8	2023-24	2,500	1,800	90	61

स्रोत: मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड. (MPRDC)

6.4.4 विकास और उन्नयन

मार्च 2024 तक पूर्ण हुए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 6.8 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजमार्ग का विकास (मार्च 2024 के अनुसार)

क्र.	परियोजना	राष्ट्रीय राजमार्ग		राज्य राजमार्ग		अन्य सड़कें		जिला सड़कें	
		लंबाई (किमी)	लागत (रु. करोड़)	लंबाई (किमी)	लागत (रु. करोड़)	लंबाई (किमी)	लागत (रु. करोड़)	लंबाई (किमी)	लागत (रु. करोड़)
1	बीओटी परियोजनाएं	310	1,683	3,179	6,109	19	67	38	97
2	बीओटी (टोल + वार्षिकी)	--	--	1,032	2,188			467	877
3	बीओटी (वार्षिकी)			41	92			1,070	1,609
4	ईपीसी परियोजनाएं	560	5,563	622	1,229			477	886
5	राज्य राजमार्ग निधि योजना			406	574				
6	एडीबी वित्त पोषित परियोजनाएं			5,120	6,277			2,981	5,278
7	NDB वित्त पोषित परियोजनाएं							1,543	3,513
8	नियमित अनुबंध	103	78	1,786	1,762				
कुल		973	7,324	12,186	18,232	19	67	6,576	12,260
ओ ए म टी परियोजनाएं*1				1,678	209			28	16

Source: Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd. (MPRDC)

Note:

- सभी अंकड़े को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया गया हैं।
- *1: ओएमटी परियोजनाएं: टोल से राजस्व का उपयोग करते हुए सड़कों की रखरखाव परियोजनाएं।

6.4.5 दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली और परिवहन प्रबंधन केंद्र

MPRDC के मुख्यालय में दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली और परिवहन प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कॉल सेंटर नंबर 1099 पर किसी भी राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना की रिपोर्ट कर सकता है। जैसे ही किसी घटना की सूचना मिलती है, घायलों को निकटतम अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को दुर्घटना स्थल पर तुरंत भेज दिया जाता है।

6.4.6 सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली

सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली की स्थापना जी.आई.एस. का उपयोग करते हुए सड़कों, पुलों और अन्य परिसंपत्तियों के डेटाबेस के निर्माण के उद्देश्य से की गई है। नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन और मोबाइल ब्रिज निरीक्षण इकाई सड़क का संग्रह, पुलों और पुलियों की संरचनात्मक मजबूती का मूल्यांकन करता है।

6.4.7 परिवर्तनकारी परियोजनाएँ:

राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और शहरी विकास केंद्रों तथा अर्थव्यवस्था को बदलना है जैसा कि नीचे बताया गया है:

एक्सप्रेसवे: लगभग 3,368 किलोमीटर राजमार्ग विकास के विभिन्न चरणों में हैं जो क्षेत्रीय विकास केंद्रों से कनेक्टिविटी को आसान बनाते हैं। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का एक स्नैपशॉट नीचे (चित्र 6.5) में दिया गया है:



स्रोत: मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड. (MPRDC)

चित्र 6.5 मध्यप्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का स्नैपशॉट

रिंग रोड: भोपाल (42 किलोमीटर), ग्वालियर (86 किलोमीटर), इंदौर (139 किलोमीटर), जबलपुर (118 किलोमीटर) और उज्जैन (48 किलोमीटर) में रिंग रोड विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिसका उद्देश्य शहरों में भीड़भाड़ कम करना और नए आर्थिक विकास केंद्र बनाना है।

6.4.8 रेलवे कनेक्टिविटी

15 नवंबर, 2023 तक राज्य में रेलवे ट्रैक की लंबाई 5,188 किलोमीटर है और यह देश का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पिछले 7 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए नीचे (तालिका 6.9) दी गई देखें:

तालिका 6.9 2016 से 2022 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	उत्तर प्रदेश	9077	9167	10324	8823	8808	8799	8800
2	राजस्थान	5893	5894	5929	5937	5998	6019	6046
3	महाराष्ट्र	5745	5784	5733	5819	5829	5823	5861
4	मध्यप्रदेश	5000	5113	4829	4899	5148	5140	5188
5	गुजरात	5259	5259	5285	5320	5301	5327	4960
6	पश्चिम बंगाल	4135	4139	4139	4230	4217	4212	4203
7	तमिलनाडु	4027	4028	4030	4031	4036	4033	4033
8	आंध्रप्रदेश	3703	3817	3817	3822	3965	3965	3969
9	बिहार	3731	3714	3653	3720	3794	3803	3825
10	कर्नाटक	3281	3424	3499	3540	3542	3572	3596

स्रोत: भारतीय राज्यों के लिए आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 2022. <https://m.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=22206>.

6.5 लॉजिस्टिक्स

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक नेतृत्व के अधीन भारत की स्थिति और छवि को कई तरीकों से बदला और सुधारा गया है। अत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति, मेक इन इंडिया, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजनाएं (पीएलआई) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे कार्यक्रमों के कारण, दुनिया में भारत को एक वैश्विक विकास इंजन के रूप में देखने में कुछ समय का सवाल है। भारत वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो पहले चीन और जापान जैसे देशों द्वारा भरी थी।

वैश्विक विकास इंजन बनने हेतु भारत के लिए लॉजिस्टिक्स और गोदाम सेक्टर महत्वपूर्ण होगा। इस प्रक्रिया को संभव और प्रोत्साहित करने के लिए, और सरकार की \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों की तरह योगदान करने के लिए, मध्यप्रदेश के लिए भी ऐसा माहौल बढ़ाना महत्वपूर्ण है जो नवाचारी प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण, और आकर्षक लाभों को प्रोत्साहित करता है।

6.5.1 गतिशक्ति: क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया। इसके प्रारंभिक दृष्टिकोण के अनुसार तकनीक और नवाचार का उपयोग करते हुए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को एकीकृत करते हुए प्रोत्साहित करना है। पीएम गति शक्ति में जियोस्पेशियल आधारित डेटा का उपयोग करते हुए और अन्य नवाचारी प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भारत के बुनियादी संरचना विकास और कनेक्टिविटी परिदृश्य को सुदृढ़ किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के परिपेक्ष्य में गति शक्ति के अंतर्गत किये गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार है :-

प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत भारत सरकार के 39 मंत्रालय सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को एक मिशन मोड पर संचालित किया गया है। पीएमजीएस पोर्टल के उपयोग से विनिर्माण क्षेत्र के लिए लास्ट मार्ईल कनेक्टिविटी सुगम होगी तथा लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम होगी, जो अंततः जीवन की सुविधा और व्यवसाय करने की सुविधा को बेहतर बनाएगा।

मध्यप्रदेश द्वारा इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आगे बढ़कर काम किया एवं इस संरचना के हिस्से के रूप में एक संस्थागत संरचना की है, जिसमें एम्पॉवर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (EGOS), नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (TSU) शामिल की गई हैं। अबतक EGOS की 03 बैठकें, NPG की 01 बैठक एवं TSU की 01 बैठक आयोजित की गई हैं।

राज्य गति शक्ति के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। जनवरी 2023 में परियोजना नियोजन के लिए PM गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करने के लिए राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है।

वर्ष 2022 -23 में SSA गतिशक्ति भाग दो स्कीम के अंतर्गत 11 नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों जैसे कि ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) आदि द्वारा लगभग 76 परियोजनाओं/प्रस्तावों का मैपिंग किया गया है।

राज्य में पीएम गति शक्ति के अन्य पहल में

- (i) गुणवत्ता सुधार योजना (QIP- Quality Improvement Plan) की शुरुआत की गई है
- (ii) पीएम गति शक्ति के तहत गुणवत्ता सुधार और डेटा प्रबंधन के लिए मानक कार्य प्रक्रिया (SOP) तैयार किया जा रहा है।
- (iii) सामाजिक क्षेत्रों की बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु गति शक्ति प्लेटफार्म का उपयोग करने को बढ़ावा देने की प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की गई है।

6.5.2 विभिन्न प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया की सुलभता (LEADS)

विभिन्न प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया की सुलभता (LEADS) वार्षिक रैंकिंग अभ्यास है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। 2021 की सूची में मध्यप्रदेश 17वें स्थान पर है जो 2019 सूची में 9वें स्थान पर था। पहले, राज्यों / संघ टेरिटरीज को उनके लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी के आधार पर रैंक किया गया था। हालांकि, एलईएडीएस 2022 के लिए एक समान रैंकिंग से एक परिवर्तन हुआ था और इसके परिणामस्वरूप सभी राज्यों / संघ टेरिटरीज को उनके भूगोलिक प्रोफाइल के आधार पर चार श्रेणियाँ हैं (i) भू-बंद (ii) तटीय (iii) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और (iv) संघ समूहित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी को ग्रेडिंग करने के लिए उपरोक्त हर श्रेणी को तीन स्तरों में विभाजित किया गया, अर्थात् (अ) एचीवर्स (राज्य जिन्होंने उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकियों को दर्शाया है जिनमें उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और पारदर्शी विनियामक प्रक्रियाएं हैं) (ब) फास्ट मूवर्स (राज्य जो प्रगतिशील नीति और विधायक पहलों की घोषणा कर रहे हैं जो साथ ही नई बुनियादी संरचना परियोजनाओं के साथ अच्छे बुनियादी संरचना की ओर अग्रसर हो रहे हैं) और (स) एस्पायर्स (राज्य जो अपने लॉजिस्टिक्स सुविधा और उत्कृष्टता की ओर अपने सफर की शुरुआत की है जो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपना रहे हैं)।

लीड्स 2022 रिपोर्ट में, मध्यप्रदेश को लैंडलॉकड क्लस्टर में फास्ट मूवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है (चित्र 6.4) राज्यों को लैंडलॉकड क्लस्टरों में समूहीकृत प्रदर्शन और विभिन्न मापदंडों पर उनके संबंधित प्रदर्शन को दर्शाता है। राज्य को सड़क और टर्मिनल इन्फ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सर्वोच्च रेटिंग मिली है। इसके अलावा, यह वेयरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर इन्फ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता से संबंधित संकेतकों में औसत से ऊपर स्कोर करता है, मॉडल लॉजिस्टिक्स सेवाओं और कार्गो मूवमेंट के ट्रैक एंड ट्रैस को छोड़कर लॉजिस्टिक्स सेवाओं की विश्वसनीयता के तहत सभी संकेतकों पर औसत से ऊपर रेट किया गया है। हालांकि मध्यप्रदेश अभी भी पारंपरिक बुनियादी ढांचे और प्रथाओं से प्रेरित है। जो अपनी स्थितियों को बदलने और सुधारने के लिए मध्यप्रदेश को आधुनिक प्रौद्योगिकियों के हस्तक्षेप के साथ-साथ कार्यमुख रणनीतियों के विकास की आवश्यकता है।

संदर्भः

- NITI Aayog, G. o. (2023). LEADS 2022. New Delhi: NITI Aayog
- Industry, M. o. (2024, April). Retrieved from Press Information Bureau
- Microsoft Word - agar malwa district export plan focused on ODOP (mp.gov.in)
- Reserve Bank of India - Publications (rbi.org.in)
- Reserve Bank of India - Handbook of Statistics on Indian States (rbi.org.in)
- Press-Release-February-2023.pdf (commerce.gov.in)
- Export-Preparedness-Index-2022_0.pdf (niti.gov.in)

अध्याय 7

नगरीय विकास

अध्याय -7

नगरीय विकास

“विकसित भारत हेतु नगरीय विकास के दो आयाम - नए शहरों का विकास
और पुराने शहरों में मौजूदा व्यवस्था का आधुनिकीकरण”

- माननीय श्री नरेंद्र मोदी

7.1. परिचय

भारत में नगरीय विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो देश की आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक दृष्टि से बदल रही है। नगरीय विकास के परिपेक्ष्य में, मध्यप्रदेश ने भी इस मुहिम में अहम भूमिका निभाई है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की विकास यात्रा को गति प्रदान की है।

मध्यप्रदेश, जो भारत के मध्य स्थित राज्यों में से एक है, जो नगरीय विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शहरी अधोसंरचना, परिवहन, स्वच्छता, और जल संसाधन के क्षेत्र में योजनाएं बनाई गई हैं जो नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं।

नगरीय विकास के क्षेत्र में सुरक्षित रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के नगरों को सुटुड़ बनाने में मदद कर रही हैं। नए उद्यमों की स्थापना और उद्योगों के विकास के माध्यम से असमान्य से शहरों को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी मेहनत की जा रही है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच साकारात्मक संबंध बढ़ाने के लिए भी मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि समृद्धि सभी क्षेत्रों में पहुंच सके। समृद्धि की इस राह में मध्यप्रदेश ने संवैधानिक और अनुभवी योजनाओं को अमल में लाकर नगरीय विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे यह राज्य एक अधिक उन्नत और समृद्धिशील राज्य के रूप में उभरा है।

7.2. नगरीय विकास के लिए योजनाएं:

मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय अधोसंरचनाओं और सेवाओं के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाए हैं और नागरिकों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए नगरीय क्षेत्र में बजट आवंटन में वृद्धि की है। नगरीय क्षेत्र में अभिनव नीतियों और योजनाओं के माध्यम से नगरीय प्रशासन को प्रभावी बनाने का कारगर तरीका अपनाया गया है और नगरीय निकायों को अपने स्वयं के वित्त साधन प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

केंद्र सरकार के समर्थन से राज्य में विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जो नेशनल मिशन ऑफ संस्टेनेबल हैबिटेट के साथ जुड़ा हुआ है। नेशनल मिशन ऑफ संस्टेनेबल हैबिटेट (NMSH) को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, और स्मार्ट सिटीज मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

शहरी गरीबों के उत्थान और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य में क्रियाशील हैं।

केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा, मध्यप्रदेश शासन बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी आजीविका, आर्थिक कल्याण, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी योजनाओं को निष्पादित कर रहा है। यह अधोसंरचना के विकास, शहरी आजीविका, आर्थिक कल्याण, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी परियोजनाओं और योजनाओं को भी निष्पादित कर रहा है।

7.2.1. मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना (चरण 1,2,3 और 4)

नगरीय विकास और आवास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, राज्य सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2012 में मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्र में सड़कों का विकास, शहरी परिवहन, सौंदर्योक्तरण, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पार्क और विरासत संरक्षण किया गया है (न वि आ वि, म प्र शा, 2022)।

चरण-1

योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत लागत राशि रूपये 1428.00 करोड़ है, जिसमें से 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया है और शेष 70 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों द्वारा हुड़को से ऋण लेकर पूरी की गई है। इस ऋण का 75 प्रतिशत राशि 15 वर्ष में ब्याज राशि सहित तथा शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नगरीय निकायों द्वारा 15 वर्ष में ब्याज राशि सहित करने का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत सभी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

चरण-2

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2016 में राशि रूपये 1500.00 करोड़ स्वीकृत किये गये थे। योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अंश राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा 80 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को ऋण के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

योजना के दूसरे चरण के तहत 382 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें इस योजना के तहत 13 शहरों में मिनी स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 382-परियोजनाओं में से 296 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष परियोजनाएं में कार्य प्रगति पर हैं।

चरण-3

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तीसरे चरण में वर्ष 2020 में राशि रूपये 536.00 करोड़ स्वीकृत किए गए। राज्य शासन द्वारा योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 80 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को ऋण के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजना के तृतीय चरण में राशि रूपये 530.00 करोड़ की 436 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें 156 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत हैं।

चरण-4

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण अंतर्गत 02 वर्षों के लिये वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु राशि रूपये 1700.00 करोड स्वीकृत की गई।, जिसमें 472 परियोजनाओं के लिए राशि रूपये 1612.74 करोड की स्वीकृति दी गई। राज्य शासन द्वारा योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत हेतु अंश अनुदान के रूप में और 80 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश अर्बन ड्वलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को ऋण के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत ऋण का शतप्रतिशत पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। योजना के तहत नगरीय निकायों में निम्नलिखित कार्य किये जायेगे : -

- सड़क निर्माण तथा अनुषांगिक कार्य।
- शहरी यातायात सुधार।
- नगरीय सौन्दर्यीकरण।
- सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएं।
- उद्यान विकास सम्बन्धी कार्य।
- कार्यालय भवन निर्माण/उन्नयन के कार्य।

तालिका : 7.1 योजना में निकायों की पात्रता

(राशि रु. करोड में)

क्र.	निकाय	प्रति निकाय	कुल राशि	राज्य शासन अनुदान (20%)	वित्तीय संस्थाओं से ऋण (80%)
1	नगर पालिक निगम – (16)				
	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर	25.00	100.00	20.00	80.00
	उज्जैन	15.00	15.00	3.00	12.00
	शेष 11 नगर पालिक निगम	8.00	88.00	17.60	70.40
2	नगर पालिका परिषद (99)				
	नगर पालिका परिषद (1.00 लाख से अधिक आबादी)	6.00	102.00	20.40	81.60
	नगर पालिका परिषद (1.00 लाख तक आबादी)	5.00	410.00	82.00	328.00

क्र.	निकाय	प्रति निकाय	कुल राशि	राज्य शासन अनुदान (20%)	वित्तीय संस्थाओं से ऋण (80%)
3	नगर परिषद् (298)				
	नगर परिषद् (25000 से अधिक आबादी)	3.00	63.00	12.60	50.40
	नगर परिषद् (25000 से अधिक आबादी)	1.50	415.50	83.10	332.40
	कुल योग (A)	63.50	1193.50	238.70	954.80
4	राज्यशासन/मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणायें (शत-प्रतिशत राज्यांश)	-	498.00	498.00 (राज्य शासन अनुदान - 100%)	0.00 (ऋण - 0%)
5	प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्य (प्रशासकीय व्यय, शत-प्रतिशत राज्यांश)	-	8.50	8.50	0.00
	कुल योग (B)		506.50	506.50	0.00
	कुल		1700.00	745.20	954.80

स्रोत— (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2023-24)

7.2.2. मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना वर्ष 2022-23 में 02 वर्षों के लिये लागत राशि रूपए 800.00 करोड़ की स्वीकृत की गई थी। तदुपरांत म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश दिनांक 05.03.2024 से योजना का विस्तार करते हुये लागत राशि रूपये 800.00 करोड़ से बढ़ाकर राशि रूपये 1100.00 करोड़ एवं योजना की अवधि 02 वर्ष से बढ़ाकर 03 वर्ष (वर्ष 2022-23 से 2024-25) की गई है। योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा चिह्नित अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विभिन्न नगरीय निकायों के लिये कुल राशि रूपये 1020.59 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये जो प्रगतिरत हैं।

7.2.3. मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी (MPUDC) के द्वारा नगरीय अधोसंरचना उन्नयन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा राज्य के विभिन्न निकायों में जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नगरों में जल आपूर्ति में सुधार और नगरों में मलजल निस्तारण की स्थापना करके नदियों पर शहरों के दुष्प्रभाव को कम करने से संबंधित है। कम्पनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से राशि रूपये 4925.00 करोड़ की लागत से 131 जल प्रदाय एवं 9 मलजल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राशि रूपये 893.00 करोड़ की लागत से 3 जल प्रदाय एवं 7 सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जर्मन बैंक के एफ.डब्ल्यू. द्वारा पोषित राशि

रुपये 490.00 करोड़ के व्यय से 5 सीवरेज परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। राज्य शासन की विशेष निधि के माध्यम से 7 निकायों के लिए राशि रुपये 131.00 करोड़ की सीवरेज परियोजनाएं प्रचलित हैं। बाह्य वित्त पोषित एवं विशेष निधि परियोजनाओं के अंतर्गत राशि रुपये 6439.00 करोड़ की लागत से 135 निकायों में जल प्रदाय एवं 28 निकायों में सीवरेज परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। 38 जल प्रदाय परियोजनाएं एवं 4 सीवरेज परियोजनाएं पूर्ण कर द्रायल रन प्रारंभ कर दिया गया है। एकीकृत नगरीय विकास परियोजना के तहत बुधनी और खुरई में विकास के विभिन्न कार्य किये जायेंगे, जिनकी लागत राशि रुपये 818.00 करोड़ है। बुधनी और खुरई में आईयूडीपी अन्तर्गत पार्क, पार्किंग स्थल, स्पोर्ट काम्पलेक्स, खिलौना बाजार, कंवेंशन सेंटर, हाट बाजार जैसे विकास कार्यों का निर्माण प्रारंभ भी हो गया है। कम्पनी द्वारा 13 नगरों को राशि रुपये 306 करोड़ की लागत से मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है, इन नगरों में अधोसंरचना से जुड़े विभिन्न विकास कार्य किये गये हैं।

7.2.4. मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वन हेतु मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) का गठन किया गया है। भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन दिनांक 19.08.2019 को निष्पादित किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 का संयुक्त उपक्रम है।

भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की लागत राशि रुपये 6941.40 करोड़ तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत राशि रुपये 7500.80 करोड़ है।

वर्ष 2023-2024 में इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर रहा है। वर्ष 2023-2024 में इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल के प्राथमिक कॉरिडोर का पूर्व परीक्षण क्रमशः सितम्बर एवं अक्टूबर 2023 में शुरू कर दिया गया है। प्राथमिक कॉरिडोर का व्यवसायिक परिचालन दोनों शहरों में वर्ष 2024-25 में चालू करने की योजना है। दोनों परियोजनाओं का कार्य वर्ष 2027 तक पूर्ण हो जाने की योजना है।

तालिका : 7.2

वर्ष 2023-2024 में वित्तीय आय/व्यय की जानकारी निम्नलिखित है

	वित्त वर्ष 23-24 (करोड़ रुपये में)
मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त समग्र फंड	2878.74
समग्र व्यय (नकद)	2476.64

नोट: जैसे ही लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, संचय के आधार पर आय और व्यय से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रदान किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जिलों के लिए कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) तथा अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) की तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा


रही है, जिसमें ग्वालियर शहर की (CMP) और (AAR) का कार्य पूर्ण हो चुका है, इंदौर तथा जबलपुर की (CMP) और (AAR) रिपोर्ट अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है एवं शेष शहरों की CMP और AAR रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है।

7.2.5. ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्कूटनी सिस्टम (ALPASS)

ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्कूटनी सिस्टम (एएलपैस) एक परियोजना है जो नगर और ग्राम निवेश संचालनालय के तहत है, जिसका उद्देश्य जिला के अधिकारियों के लिए लेआउट/प्लानिंग अनुमति और भूमि उपयोग सूचना के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना है। इसका उपयोग सरकार के निर्धारित आधिकारिक चैनल के माध्यम से किया जा रहा है ताकि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भूमि उपयोग प्रमाण पत्र और एनओसी ऑनलाइन तत्परता से जारी की जा सके। लेआउट, राज्य के विकास मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, यानी भूमि विकास नियमों और संबंधित शहर के मास्टर-प्लान के अनुसार तैयार किए जाते हैं।


इस प्रणाली के माध्यम से 2019 से दिसम्बर 2023 तक 23397 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसका कुल राजस्व में राशि रुपये 110.04 लाख की राशि प्राप्त हुई है। 2019 के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या और संबंधित राजस्व का चित्र 7.1 और चित्र 7.2 में दिखाया गया है।

चित्र : 7.1



स्रोत— (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2024)

चित्र : 7.2



स्रोत— (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2024)

7.2.6. ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS)

ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) का उद्देश्य नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा सेवा की गुणवत्ता और पहुंच सुधार करना है ताकि शहरों को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाया जा सके। भवन योजना अनुमतियों के त्वरित प्रसंस्करण और निपटान, ड्राइंग जांच के स्वचालन, भवन शुल्क और अन्य शुल्कों के मानकीकरण और फिर फाइल प्रोसेसिंग की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। इस पहल से पहले, अधिकांश भवन अनुज्ञा आवेदन और ड्राइंग कागज प्रारूप में मैन्युअल रूप से प्रस्तुत की जाती थीं। मध्यप्रदेश में 31 मार्च 2024 तक इस पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन के लिए लगभग 2,76,806 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही भवनों के प्रशमन किये जाने की सुविधा भी नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान की जा रही है।

7.2.7. ई-नगर पालिका (E-Nagar Palika)

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए केंद्रीकृत वेब-आधारित समाधान विकसित करने के लिए संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास ने महत्वाकांक्षी ई-नगरपालिका परियोजना प्रारंभ की गयी है।

परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य नागरिक सेवाओं को विभिन्न माध्यमों से सुविधाजनक, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करना है। विभिन्न विभागों के साथ बेहतर सामंजस्य और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित कर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस पोर्टल के माध्यम आवश्यक नागरिक सेवाओं को प्रदाय करने की सुविधा देकर ई-गवर्नेंस का अनूठा उदारहण स्थापित किया है। इस परियोजना का द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभ किया गया है, जो आगामी 07 वर्ष हेतु लागू होगा।

7.2.8. प्रधानमंत्री आवास योजना— शहरी (PMAY-U)

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के प्रारंभ से सभी घटक अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक लगभग 9.50 लाख आवास स्वीकृत हैं, जिसमें लगभग 7.50 लाख हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के बीएलसी एवं एलएचपी घटक अंतर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 के मध्य 1,317 परियोजनाओं में 4,67,397 आवासीय इकाईयों को स्वीकृति दी गई है। योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक अंतर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 के मध्य 1,64,914 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सभी घटक अंतर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 के मध्य राशि रूपये 15,489.82 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व स्वीकृत आवासों के अनुदान को सम्मिलित कर केंद्र एवं राज्य की अनुदान राशि रूपये 18,675.47 करोड़ आहरित की जा चुकी है।

उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है:

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:-

- प्रदेश में योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप, मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा दिनांक 19/10/2022 को राजकोट में प्रदान किया गया है। विशिष्ट/निकाय की श्रेणी में निम्नानुसार 6 अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
- देवास को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- गोहद को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर पालिका का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- जोबट को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर परिषद का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- अन्य योजनाओं से अभिसरण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत आईईसी प्रचार प्रसार गतिविधियों का संचालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य स्तरीय तकनीक प्रकोष्ठ (SLTC)।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने के लिए माननीय राज्य मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08/07/2022 को मध्यप्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का PMAY Empowering India अवार्ड प्रदान किया गया है।
- दिनांक 24/06/2022 को भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा खुशियों का आशियाना प्रतिस्पर्धा में चार (4) हितग्राहियों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

तालिका : 7.3

राज्य के संदर्भ के लिए विवरण

कार्यक्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत मकान	भारत सरकार और राज्य अनुदान	जारी की गई राशि
बीएलसी	1,316	4,66,373	11,659.33	14,911.54
एलएचपी	1	1,024	66.56	
उप कुल	1,317	4,67,397	11,725.89	14,911.54
फ्रेंडिट लिंक्ड सब्सिडी	-	1,64,914	3,763.94	3,763.94
कुल	1,317	6,32,311	15,489.82	18,675.47

7.2.9. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) – (1.0) और (2.0)

अमृत (1.0)


अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का उद्देश्य घरों में बुनियादी सेवायें जैसे (जल की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना तथा शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है जो सभी के लिये जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, विशेष रूप से गरीबों और वंचित वर्गों के लिये। मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र जल आपूर्ति है जिसके बाद सीवरेज है।

जनवरी 2023 में मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार ने 34 शहरों (1 लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहर और ओंकारेश्वर) के लिए राशि रूपये 6686.97 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार से कुल राशि रूपये 2497.05 करोड़ की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त हुई है जिसमें पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी, परिवहन एवं हरित क्षेत्रों के विकास कार्य किये जाने हैं। अब तक 201 परियोजनाओं के राशि रूपये 4550.63 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राशि रूपये 5751.65 करोड़ की राशि खर्च की गई है। शहरी सुधार कार्यक्रम के पूरा होने पर भारत सरकार ने कुल राशि रूपये 156.33 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

योजना की पिछले 6 वर्षों की वास्तविक प्रगति और बजट परिव्यय क्रमशः चित्र 7.3 और चित्र 7.4 में दर्शाए गए हैं।

चित्र 7.3


अमृत (1.0): परियोजनाओं की संख्या में भौतिक प्रगति



स्रोत: (नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, 2024)

चित्र 7.4

पिछले 6 वर्षों के लिए अमृत (1.0) के लिए परिव्यय



*उपयोग की गई राशि में पिछले वित्तीय वर्षों की शेष राशि भी शामिल है।

स्रोत: (नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, 2024)

7.2.10 अमृत 2.0

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) योजना, 01 अक्टूबर, 2021 को 05 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए शुरू की गई है। अमृत 2.0

के तहत मध्यप्रदेश को पूरे मिशन अवधि के लिए धनराशि आवंटित की गई है। अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए राशि रुपए 66,750 करोड़ का केंद्रीय आवंटन समान फॉर्मूले का उपयोग करते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित किया गया है, जिसमें शहरी जनसंख्या (जनगणना 2011) और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 90:10 के अनुपात में महत्व दिया गया है। तदनुसार, मध्यप्रदेश राज्य को परियोजना घटक के लिए राशि रुपए 4065 करोड़ आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास और आवास विभाग (UDHD) की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार (GOMP) द्वारा मिशन के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है जैसा कि तालिका 7.4 में दिखाया गया है। दिसम्बर 2023 तक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की कुल 41 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें ट्रैच -1 की 233 जल प्रदाय योजनायें, स्पेशल ट्रैच की 79 वॉटर बाड़ी रिज्यूविनेशन, ट्रैच -2 की 15 जल प्रदाय की 272 वॉटर बाड़ी रिज्यूविनेशन एवं 362 पार्क तथा ट्रैच -2/3 की 11 सीवरेज परियोजनायें इस प्रकार कुल 972 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

तालिका: 7.4

	निकाय का प्रकार	केन्द्रांश	राज्यांश	निकायांश	कुल
1	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर (4)	(@25%) 1285.56	(@58%) 2982.49	(@17%) 874.18	5142.23
2	01 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर (29)	(@33%) 1092.64	(@57%) 1887.28	(@10%) 331.10	3311.02
3	1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर (380 यूएलबी और 5 कैंट)	(@50%) 1666.79	(@45%) 1500.11	(@5%) 166.68	3333.58
कुल		4045.00	6369.88	1371.96	11786.83
4	रिफार्म एवं अन्य खर्च	(@50%) 535.94	(@50%) 535.94	—	1071.88
कुल		4580.93	6905.82	1371.96	12858.71

स्रोत: (शहरी विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2024)

तालिका: 7.5 पिछले 3 वर्षों में अमृत (2.0) के लिए बजट परिव्यय

वर्ष	परियोजनाओं की भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति (करोड़ में)		
	स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण/हस्तांतरित	स्वीकृत राशि	राज्य शासन द्वारा जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि
2021-22	0	-	-	200	89	5.66
2022-23	1244	1	-	597.36	581.36	17.74
2023-24	-	440	7	371	267.49	120.6

स्रोत: (नगरीय प्रशासन एवं विकास निदेशालय, 2024)

7.2.11 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) -

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत मध्यप्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य के नगरीय निकायों के निरंतर प्रयासों एवं नागरिकों की सहभागिता से 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2023' में '100 से अधिक नगरीय निकायों' की श्रेणी में राज्य को दूसरे सबसे 'स्वच्छतम राज्य' का दर्जा प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में राज्य को 07 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 07 शहरों को वॉटर+ (Water+), 361 को ओडीएफ++ (ODF++), 03 को ओडीएफ+ एवं 07 शहरों को ओडीएफ का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 'कचरा मुक्त शहरों' की स्टार रेटिंग में में 132 शहरों को 01-स्टार, 23 को 3-स्टार एवं इन्डौर को 7 स्टार और भोपाल को 5 स्टार शहर का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नगरीय निकाय एवं विभिन्न श्रेणीयों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 52 नगरीय निकायों को राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा सम्मान समारोह-2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों में प्रदेश के 5.79 लाख परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय और 20,426 सार्वजनिक शौचालय सीटों का निर्माण शामिल है। 100% नगरीय क्षेत्रों में कचरा संग्रहण हेतु 7080 मोटराइज्ड वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें कचरे के पृथक्करण की सुविधा है। 06 लाख से अधिक नागरिकों को होम या स्पॉट कंपोस्टिंग हेतु प्रोत्साहित किया गया है। स्वच्छता में नागरिकों, संगठनों और सफाई मित्रों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और 36 प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। सफाई मित्रों की क्षमता वर्धन हेतु 388 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। लीगेसी अपशिष्ट के निष्पादन और 401 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी इकाइयों का निर्माण किया गया है। 378 निकायों में एफएसटीपी और 18 निकायों में एसटीपी संचालित हैं। प्रदेश में 05 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर्स के तहत 60 नगरीय निकायों को कवर किया गया है। इसके अलावा 353 नगरीय निकायों में स्टेंड अलोन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है और 548 जीरो वेस्ट ईवें्ट्स आयोजित किए गए हैं। मार्च 2024 में "उपयोगित जल और सेटेज प्रबंधन नीति" प्रकाशित की गई है।

7.2.12 स्मार्ट सिटीज मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के सात शहरों - इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर सतना और उज्जैन का चयन किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा शहरों के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव अनुसार एससीएम (SCM) अनुदान निधि, पीपीपी और अभिसरण (Convergence) श्रेणी अंतर्गत 789 परियोजनाओं में से सभी सात स्मार्ट शहरों में राशि रूपए 13838.36 करोड़ की 728 परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं, जबकि राशि रूपए 1448.41 करोड़ की लागत वाली 61 परियोजनाओं में कार्य प्रचलित है। एससीएम अनुदान निधि (SCM Grant fund) के तहत, इन शहरों में राशि रूपए 6536.55 करोड़ के 664 कार्यों की योजना बनाई गयी है। इनमें से राशि रूपए 5582.71 करोड़ की लागत के 608 कार्य पूरे हो चुके हैं और लगभग राशि रूपए 953.84 करोड़

की लागत वाले 56 कार्य चल रहे हैं। भोपाल एवं इंदौर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा प्राप्त अनुदान निधि का उपयोग करने वाले प्रथम दो शहरों में से हैं।

इंटेलिजेंट ड्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस (ITMS) उपयोगकर्ताओं को ऑनलाईन शुरू किये जा रहे यातायात नियामक चालान के माध्यम से बेहतर सूचित करने में सक्षम बनाता है। यह प्रणाली यातायात की सतत निगरानी करने में सहायक है, जिससे यातायात की अधिक कुशल, समन्वित और स्मार्ट मोनिट्रिंग में सहायता मिलती है। मध्यप्रदेश शासन ने स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा वहन की गयी संचालन एवं प्रबंधन लागत के अनुरूप चालान के माध्यम से प्राप्त राजस्व के 75% हिस्से का प्रावधान किया है। यह एक समग्र स्तर पर डेटा सेट के एक जटिल और बड़े पूल को संधारित करता है। ICCC ने मध्यप्रदेश राज्य प्रशासन को केंद्रीय क्लाउड के माध्यम से राज्य के सात शहरों में कई शहर नागरिक उपयोगिताओं और नागरिक सेवाओं की निगरानी और प्रशासन करने में सक्षम बनाया है। इसने राज्य शासन को एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न सेवाओं को दूरस्थ रूप से प्रबंधित और नियंत्रित करने में सहयोग मिलता है।

7.2.13 दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 से योजना मध्यप्रदेश के समस्त 413 नगरीय इकाइयों में संचालित है।

योजना के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:-

- सामाजिक एकजुटता एंवं संस्थागत विकास।
- कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से।
- स्वरोजगार कार्यक्रम।
- क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण।
- शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता।
- शहरी गरीबों के लिये आश्रय योजना।

नगरीय विकास और आवास विभाग ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका 7.6 निम्नानुसार है:

तालिका 7.6

क्रं	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2020-21	सामाजिक एकजुटता एंव संस्थागत विकास	स्वस्हायता समूह का गठन - 1750	गठित स्व स्वस्हायता समूह - 5159
2		कौशल प्रशिक्षण एंव प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार	आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य - 29900	कुल प्रशिक्षित आवेदक -22309
3		स्वरोजगार कार्यक्रम	व्यक्तिगत ऋण - 5050	व्यक्तिगत ऋण वितरित - 1934
			स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज -1340	स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज वितरण -1308
क्रं	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2021-22 (माह जनवरी तक)	सामाजिक एकजुटता एंव संस्थागत विकास	स्वस्हायता समूह का गठन - 11000	गठित स्वस्हायता समूह - 8700
2		कौशल प्रशिक्षण एंव प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार	आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य - 52000	कुल प्रशिक्षित आवेदक -38551
3		स्वरोजगार कार्यक्रम	व्यक्तिगत ऋण - 12000	व्यक्तिगत ऋण वितरित - 6447
			समूहगत ऋण - 250	समूहगत ऋण वितरण - 191
			स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज - 5000	स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज वितरण - 3292
क्रं	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2022-23	सामाजिक एकजुटता एंव संस्थागत विकास	स्वस्हायता समूह का गठन - 3355	गठित स्वस्हायता समूह - 11261
2		कौशल प्रशिक्षण एंव प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार	आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य - 3355	कुल प्रशिक्षित आवेदक -78686
3		स्वरोजगार कार्यक्रम	व्यक्तिगत ऋण एंव समूहगत ऋण- 2349	व्यक्तिगत ऋण एंव समूहगत ऋण वितरित - 11310
			स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज - 2097	स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज वितरण - 4838
क्रं	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2023-24	सामाजिक एकजुटता एंव संस्थागत विकास	स्वस्हायता समूह का गठन - 7500	गठित स्वस्हायता समूह - 9350
2		कौशल प्रशिक्षण एंव प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार	निकायों को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य - 62400	कुल एम.आई.एस पोर्टल पर पंजीकृत आवेदक - 11754
3		स्वरोजगार कार्यक्रम	व्यक्तिगत ऋण एंव समूहगत ऋण- 4000	व्यक्तिगत ऋण एंव समूहगत ऋण वितरित - 6884
			स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज - 2500	स्व स्वस्हायता समूह का बैंक लिंकेज वितरण - 4454

स्रोत— (नगरीय विकास एंव आवास विभाग, 2023)

7.2.14 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM-SVANidhi)

नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं को 10, 20 एवं 50 हजार रुपये की कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार के द्वारा पी एम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पी.एम स्वनिधि) जून 2020 से प्रारंभ की गई है।

उद्देश्य :-

- रु. 10, 20 एवं 50 हजार तक की कार्यशील पूँजी ऋण की सहायता।
- नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।
- योजना से शहरी पथ विक्रेताओं को उपरोक्त उद्देश्यों से परिचित होने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे।

पी.एम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां जिसका उल्लेख निम्नानुसार है—

- पी.एम. स्वनिधि योजना के प्रथम चरण (10 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 8.36 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रूपए 836.60 करोड़ का ऋण वितरित कर देश में प्रथम स्थान पर है।
- पी.एम. स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण (20 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 2.89 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रूपए 578 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है।
- पी.एम. स्वनिधि योजना के तृतीय चरण (50 हजार रुपये ऋण राशि) अंतर्गत 60467 शहरी पथ विक्रेताओं को राशि रूपए 302.60 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है।
- पी.एम.स्वनिधि योजनांतर्गत 4.65 लाख शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटली लेन-देन किया जा रहा है एवं जिनके द्वारा राशि रूपए 17.70 करोड़ का कैशबैंक प्राप्त हुआ है।

7.2.15 कायाकल्प योजना

राज्य शासन द्वारा समस्त नगरीय निकाय की सङ्कों के उन्नयन/निर्माण के लिये कायाकल्प योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट में कायाकल्प योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

तालिका 7.7

	वित्त वर्ष 2022-23 (राजस्व मद)	वित्त वर्ष 2023-24 (पूँजीगत मद)	वित्त वर्ष 2024-25 (पूँजीगत मद)
कायाकल्प - प्रथम चरण	350 करोड़	400 करोड़	निरंक
कायाकल्प - द्वितीय चरण	निरंक	800 करोड़	800 करोड़
योग	350 करोड़	1200 करोड़	800 करोड़

कायाकल्प प्रथम चरण में राशि रूपए 750.00 करोड़ के कार्य स्वीकृत होकर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जिनके लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपए 350.00 करोड़ राजस्व मद में प्राप्त होकर निकायों को अंतरित किये जा चुके हैं।

कायाकल्प प्रथम चरण की प्रगति :-

तालिका 7.8

क्र.	निकाय	स्वीकृत लागत (करोड में)	स्वीकृत सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति % में	व्यय राशि (करोड में)
1	412	750.00	1284.00	754.00	59%	376.57

कायाकल्प द्वितीय चरण की प्रगति :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कायाकल्प द्वितीय चरण अंतर्गत सभी 413 नगरीय निकायों में सड़कों के उन्नयन/निर्माण के लिये राशि रुपए 795.97 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई है। 397 निकायों द्वारा निविदा आमंत्रित की जाकर 171 निकायों द्वारा निविदा स्वीकृत की जा चुकी है एवं 69 निकायों में कार्य प्रारंभ है।

कायाकल्प अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण :-

कायाकल्प योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सभी सम्भागों में मोबाइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाकर टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में स्टेट क्वालिटी मानीटर्स की तैनाती की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मापदण्ड अनुसार टेस्ट रिपार्ट नहीं पाये जाने पर त्वरित एवं सख्त कार्यवाही की जाती है।

7.2.16 प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत स्थापित प्रशिक्षण संस्थान सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा मार्च 2024 तक 2001 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों में नव निर्वाचित जन प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण शामिल हैं, जिन्हें नगरीय प्रशासन एवं प्रबंधन कौशल, सवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का कियान्वयन, आपदा प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन एवं इलेक्ट्रॉनिक जागरूकता तथा हितग्राही मूलक योजनाओं व अधोसंचनात्मक योजनाओं के अंतर्गत नागरिकों को समय-सीमा में गुणवत्ता पूर्ण सुविधायें उपलब्ध कराने की रणनीति से संबंधित विषयों पर संवाद स्थापित कर सकारात्मक एवं रचनात्मक संदेश संप्रेषित किया गया।

7.3. नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल, मल प्रबंधन नीति, 2023 (मैनहोल टू मशीनहोल)

राज्य के नगरीय क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। नगरीयकरण के नकारात्मक प्रभावों से पर्यावरण को बचाना राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। मध्यप्रदेश में 418 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 12 लाख (जनगणना-2011 अनुसार) है, जो कि कुल जनसंख्या का 27.6 प्रतिशत है। राज्य में लगभग 22 शहरों में सीवरेज परियोजनायें संचालित हैं तथा शेष शहर अभी भी मल-कीचड़ और सेप्टेज की रोकथाम और उपचार के लिये Onsite Sanitation System पर निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि शहरों में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के बेहतर प्रबंधन हेतु नीतिगत व्यवस्था बनाई जाये। उपरोक्त आधार पर राज्य में “नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जल, मल प्रबंधन नीति, 2023 (मैनहोल टू मशीनहोल)” नीति लागू की गयी है।

उक्त नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

- सभी सफाई कर्मचारी सेप्टिक टैंक की ओर सीवर लाइनों की सफाई के दौरान सुरक्षा किट, गियर और अन्य उपकरण / मशीनरी का उपयोग कराना और मैन्युअल सफाई पर पूर्णतः प्रतिबंध सुनिश्चित कराना।
- सुरक्षित उपयोगित जल एवं फीकल स्लज प्रबंधन के लिए containment, खाली करने, परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग और निपटान सुविधाओं के लिए निकायों को आवश्यक सहयोग प्रदान कराना।
- उपयोगित जल एवं फीकल स्लज प्रबंधन को साकार करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में उपाय और साधनों पर सुझाव देना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबों, महिलाओं, बच्चों, ट्रांसजेंडर, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान एवं सभी नागरिकों की सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध है।
- नीति का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना।

नीति से अपेक्षित परिणामः-

- उपयोगित जल, FSSM को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नगरीय निकाय की तकनीकी क्षमता में वृद्धि।
- CPHEEO की सिफारिश के अनुसार 2-3 साल के अंतराल पर सेप्टिक टैंक को खाली करना।
- STP और FSSM में सह उपचार के माध्यम से मानव अपशिष्ट के प्रबंधन।
- सभी कस्बों और शहरों में मानव अपशिष्ट से जल निकायों और भूजल के प्रदूषण की रोकथाम।
- खेतों, पाकों, बगीचों और ऐसे अन्य रास्तों में उर्वरक के रूप में उपचारित गाद का पुनः उपयोग।
- W सुरक्षित और स्थायी उपयोगित जल, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (UW & FSSM) सेवाओं के कारण बीमारियों में कमी लाना।

राज्य द्वारा नगरीय निकायों में मशीनीकृत सफाई व्यवस्था की उपलब्धिया निम्नानुसार हैः-

राज्य में मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिये वर्तमान में 496 डीस्लजिंग वाहन एवं अमृत शहरों में 37 ग्रैबर डीस्लीजिंग मशीन के अतिरिक्त 6 बैंडीकूट मशीन, 46 हाईड्रोवेक सेट, 57 सीवर इंस्पेक्शन कैमरा, 80 हाईड्रोजेटिंग मशीन, 9 पॉवर बकेट मशीन, 198 पॉवर रॉडिंग, 29 हाईड्रोलिक सीवर रुट कटर इत्यादि मशीने उपलब्ध हैं जिनके द्वारा मशीनीकृत सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाती है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) -2.0 अंतर्गत 145 नगरीय निकायों हेतु 195 डीस्लीजिंग वाहन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

अध्याय 8

सामाजिक और आर्थिक विकास

अध्याय -8

सामाजिक और आर्थिक विकास

“व्यक्ति को सशक्त बनाने का अर्थ है राष्ट्र को सशक्त बनाना। और सशक्तीकरण तीव्र सामाजिक परिवर्तन के साथ तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है।”

- अटल बिहारी वाजपेयी

परिचय

मध्यप्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन सुलभ कराने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों से होने वाले सकारात्मक परिवर्तन की झलक नीति आयोग, भारत सरकार की बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमडीपीआई) जनवरी 2024 रिपोर्ट में भी दिखती है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के लगभग 2.3 करोड़ (15.94 प्रतिशत के लिए लेखांकन) लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे नागरिकों को मौलिक सुविधायें उपलब्ध करने हेतु योजनाएं, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, गुणवत्तापरक निरंतर शिक्षा – ने बहुआयामी गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच की खाई को पाट कर एक समतामूलक समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हुए हैं।

राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने लक्षित कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता दी है।

परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मजबूत करने, उनके और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और स्वरोजगार के अवसरों के लिए पूंजी तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना लागू की गई। पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 1.29 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ने पिछले एक साल में 2.99 लाख बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के तहत, 21,563 महिलाओं को प्रदत्त ऋण पर 2% ब्याज सब्सिडी राशि से लाभान्वित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जमीनी स्तर पर महिलाओं को संगठित करने से आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के अवसर मिले हैं। वर्तमान में प्रदेश में 5.03 लाख एसएचजी संगठित हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत बीते एक साल में 6.61 लाख गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता मिली। शक्ति सदन, उषा किरण योजना, महिला हेल्पलाइन जैसी पहलों ने महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद की है।

राज्य में बच्चों के समग्र विकास के लिए, सरकार ने बच्चों में निवेश को प्राथमिकता देते हुए 2022-23 में बाल-बजट प्रारंभ किया है और परिणामोन्मुखी बाल-बजट की दिशा में प्रयासरथ है। पूरक पोषण कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर का ध्यान रखा जाता है। आईसीडीएस के अंतर्गत 73.97 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2011 के 7.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में प्रदेश की कुल जनसंख्या का 8.5 प्रतिशत हो गया है। उनकी वित्तीय सहायता के लिए, राज्य विभिन्न पेंशन योजनाएं चला रहा है। पिछले वर्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लगभग 15.75 लाख बुजुर्गों को वित्तीय सहायता दी गई।

राज्य सरकार ने श्रम स्थितियों में सुधार, कौशल विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है। श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2018-19 में 56.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 67.8 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिये 563 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। पिछले एक वर्ष में, इन रोजगार मेलों के माध्यम से 52,846 आवेदकों ने निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किया। असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को सुनिचित करने हेतु चलायी जा रही संबल योजना में गत वर्ष कुल 96,610 श्रमिकों को 711.79 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया। साथ ही राज्य समर्थित योजनाओं के माध्यम से कुल 1,47,753 पंजीकृत श्रमिक लाभान्वित हुए। श्रमिकों से संबंधित सभी प्रकार के अर्ध-न्यायिक मामलों को संबोधित करने के लिए श्रम मामला प्रबंधन प्रणाली (एलसीएमएस) लागू की गई है। कर्मचारी अब कार्यालय का दौरा किए बिना कियोस्क के माध्यम से मामले जमा कर सकते हैं और अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की प्रगति समावेशी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो, सामाजिक विकास प्रयासों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जोड़ा गया है। मध्यप्रदेश ने एसडीजी एकशन प्लान 2030 विकसित किया है, जो 2020, 2024 और 2030 (संकेतकों) में मापे गए लक्ष्यों की प्रगति से संबंधित एक बहु-वर्षीय दस्तावेज है। सामाजिक विकास के प्रयासों को एसडीजी के साथ संरेखित करना सुनिश्चित करता है कि नीतियां और कार्यक्रम सुसंगत और पारस्परिक रूप से सहायक हों। यहाँ यह उलेखनीय होगा की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSY) योजना सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण पर जोर देती है।

8.1. मध्यप्रदेश में सामाजिक क्षेत्र

महिलाओं, बच्चों, युवाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की सामाजिक उन्नति के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और साथ ही उनकी बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य आदि को पूरा करने के प्रयासों को पारंपरिक रूप से सामाजिक क्षेत्र के अध्याय में शामिल किया गया है। पिछले तीन वर्षों में राज्य के सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका 8.1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 8.1: सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र	क्षेत्र के लिए वर्षावार बजट आवंटन (राशि रुपये करोड़ में)			वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच आवंटन में (%) वृद्धि
	2021-22	2022-23	2023-24	
शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	30998.23	37599.37	44949.39	45.00%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12669.17	13687.40	16298.82	28.65%
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5409.22	7662.40	8136.57	50.42%

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र	क्षेत्र के लिए वर्षावार बजट आवंटन (राशि रूपये करोड़ में)			वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच आवंटन में (%) वृद्धि
	2021-22	2022-23	2023-24	
सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	11476.10	11247.00	20977.31	82.29%
अन्य	2512.20	2559.73	3184.58	26.76%
कुल	63064.92	72755.9	93546.67	48.33%

स्रोत: मध्यप्रदेश बजट वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

उपरोक्त तालिका में शिक्षा, खेल कूट, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक कल्याण और अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों जैसे प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के लिए सामाजिक सेवाओं के तहत बजट आवंटन संकलित किया गया है। तालिका 8.1 से स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 48.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर क्षेत्रवार बदलाव को देखा जाए तो इस समयावधि में सर्वाधिक वृद्धि सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार के लिए आवंटित बजट में हुई है। सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार के लिए आवंटित बजट के बाद सर्वाधिक वृद्धि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के क्षेत्र में है।

महिलाएँ और बच्चे सामाजिक जनसांख्यिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग इनसे सम्बंधित लगभग सभी योजनाओं को संचालित करता है। विभाग की वह सभी योजनाएं जो महिला सशक्तिकरण, पोषण और बाल संरक्षण से सम्बंधित हैं, उनके लिए बजट प्रावधानों को समेकित कर निम्न तालिका 8.2 में दर्शाया गया है:-

तालिका 8.2: महिलाओं और बच्चों के लिए बजट प्रावधान (करोड़ रुपयों में)

प्रमुख क्षेत्र	लेखा 2021-22	पुनरीक्षित अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2023-24
महिला सशक्तिकरण	1200.41	1251.72	9422.12
पोषण	2486.90	3644.68	3663.57
बाल संरक्षण	77.71	105.84	171.02
कुल	3765.03	5002.25	13256.72

स्रोत: योजनावार (सब स्कीम) प्रावधानों का विवरण, महिला एवं बाल विकास, वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

महिलाओं और बच्चों के लिए बजटीय प्रावधानों में निरंतर वृद्धि उपरोक्त तालिका में देखी जा सकती है। वर्ष 2023 में लाडली बहना योजना शुरू होने के कारण वर्ष 2023-24 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आवंटन में उच्च वृद्धि देखी गई है, इस प्रकार वर्ष 2021-22 की तुलना में बजट में सभी क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस तरह के प्रावधान महिलाओं और बच्चों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में राज्य के निरंतर प्रयास को उजागर करते हैं, जो विकसित समाज की आधारशिला हैं।

इस अध्याय में प्रमुख रूप से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव लाने, बच्चों के विकास और संरक्षण, युवाओं के सामाजिक सशक्तिकरण, श्रम और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों को शामिल किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर अलग-अलग अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन और योजनाओं पर सामाजिक समावेशन के अध्याय में चर्चा की गई है।

8.2. महिलाओं की स्थिति में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

महिलाएं अपने परिवारों की नींव होती हैं और अपने बच्चों के लिए प्रमुख देखभाल करने वाली होती हैं, फिर भी उन्हें समाज में असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में सर्वांगीण विकास लाने के लिए महिलाओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। यदि हम मध्यप्रदेश में महिलाओं की स्थिति को देखें, तो विभिन्न नीतिगत पहल की गई हैं जो असमानता और लैंगिक भेदभाव को कम करती हैं। पिछले डेढ़ दशक से साक्षरता, लिंग अनुपात, पोषण स्तर, मातृ मृत्यु दर आदि के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त प्रगति हुई है। महिलाओं की कमजोर स्थिति को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों पर इस खंड में चर्चा की गई है।

8.2.1 जेंडर बजट

जेंडर बजटिंग महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों और जीवन के सभी क्षेत्रों और आयामों में उनके अधिकारों को संबोधित करने के लिए सरकार के प्रयासों का एक संकेतक है। राज्य सरकार ने 2007-08 में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया शुरू की, जिसे विभिन्न विभागीय योजनाओं में महिलाओं के लिए बजट से जोड़कर सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के संदर्भ में एक प्रमुख रणनीति के रूप में देखा जाता है। यह महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने और जमीन पर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने वर्ष 2007-08 से 13 विभागों के साथ जेंडर बजट की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे अब राज्य के 30 विभागों (वित्त विभाग, 2023-24) द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में जेंडर बजट स्टेटमेंट में 13 विभागों द्वारा श्रेणी-1 की 37 योजनायें शामिल हैं, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 14 विभागों की 51 योजनाएं हो गई हैं (महिलाओं के लिए 100% बजटीय प्रावधान के साथ श्रेणी-1 योजनाएं)। साथ ही, राज्य स्तर पर जेंडर रेस्पोन्सिव बजट की समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय अंतर-विभागीय समिति का गठन किया गया है।

तालिका 8.3: राज्य के कुल बजट में जेंडर बजट का अनुपात

वित्तीय वर्ष	राज्य का कुल बजट (करोड़ में)	जेंडर बजट (करोड़ में)	जेंडर बजट का प्रतिशत
2021-22	217813.00	70467.00 (RE)	32.4
2022-23	247715.00	86706.00 (RE)	35.0
2023-24	314025.00	102976.00 (BE)	32.7

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन बजट बुक, खंड 6, 2022-23, 2023-24

8.2.2 महिलाओं का सशक्तिकरण

राज्य सरकार विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता से विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत और कानूनी सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विभिन्न विभाग और संस्थाएं महिलाओं और बच्चों की विकास यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला वित्त एवं विकास निगम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रम विभाग और सामाजिक न्याय विभाग शामिल हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कुछ प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है:-

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु उक्त योजना प्रारंभ की गयी है। योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी, 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं सहित) और जिनकी स्वयं या परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अन्य विस्तृत मानदंडों के साथ इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रारंभ में इसमें 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को शामिल किया गया था लेकिन सितंबर 2023 के महीने में न्यूनतम आयु सीमा कम करते हुये 21 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 60 वर्ष की आयु से कम आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं एवं चार पहिया वाहन के रूप में केवल ट्रैक्टर वाहन स्वामी परिवार की महिलाओं को भी पात्र माना जाकर उनका पंजीयन कराकर पात्र नवीन हितग्राहियों को भी योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि के दौरान डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1,250 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यदि पात्र महिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना या किसी अन्य योजना में प्रति माह 1,250 रुपये से कम राशि की हकदार है तो उस स्थिति में उसे इस योजना में केवल उतनी ही अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा ताकि कुल राशि 1,250 रुपये प्रति माह तक बढ़ जाए।

जून 2023 के महीने में पहली बार राज्य सरकार द्वारा कुल 1,25,06,186 लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 1,209.64 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। सितंबर 2023 के महीने में, कुल 1,31,02,182 महिलाओं को 1,269.08 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए। अक्टूबर 2023 के महीने से, सभी पात्र महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि में 250 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई और 1,250 रुपये प्रति माह की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यह राशि हर महीने की 10 तारीख या सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को नियमित रूप से हस्तांतरित की जा रही है। माह मार्च 2024 में योजना अंतर्गत पंजीकृत पात्र महिला हितग्राहियों की संख्या 1,29,24,377 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि के भुगतान हेतु माह मार्च 2024 तक कुल राशि रुपये 14,727.30 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने और सरकार की योजनाओं की निगरानी और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा कुल 60,831 गांवों और शहरी वार्डों में लाड़ली बहना सेना का गठन किया गया है, जिसमें कुल 7,90,768 महिलाएं सेना के सदस्य के रूप में जुड़ी हुई हैं।

मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना

मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच लाना, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार और उनके अच्छे भविष्य की नींव रखना है। इस योजना के अंतर्गत जैसे ही बालिका का जन्म होता है, सरकार द्वारा 1.43 लाख रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसकी किस्तें लड़की को विभिन्न परिभाषित मील के पथर पर प्रदान की जाती हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 2.99 लाख नवीन बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY)

गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ”राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013” के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है ताकि महिलाएं पर्याप्त विश्वास कर सकें और बच्चे के जन्म से पहले और बाद में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। योजना अंतर्गत प्रथम प्रसव पर 5,000 रुपये की राशि दो किश्तों में वितरित की जाएगी। योजना के नवीन प्रावधान में, दूसरे बच्चे के लिए सहायता को शामिल करने के लिए लाभ बढ़ाया गया है बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। इस प्रकार द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म पर 6,000 रुपये का लाभ सिंगल किश्त में दिया जाएगा।

यह योजना बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करने में योगदान देती है, महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाती है, संस्थागत प्रसवों और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाएं, 40 प्रतिशत/ पूर्णतः दिव्यांग, गरीब रेखा राशन कार्ड धारक, आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत लाभान्वित हितग्राही, मनरेगा जॉब कार्ड धारी, 8 लाख प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाली, गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं योजना की पात्र हैं। योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.61 लाख पंजीकृत हितग्राही हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना

बालिकाओं की देखदेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति उपग्रहक संबल अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना संचालित है। योजना के प्रारंभ में (वर्ष 2014-15) जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 926 था, जो वर्ष 2023-24 में 929 हुआ है। योजना में बेटियों को कुशल बनाने, कार्यस्थल में बालिकाओं/ महिलाओं की सार्थक एवं समान भागीदारी, बालिकाओं में उच्च शिक्षा/ कौशल विकास बढ़ाना, खेल के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने को शामिल किया गया है। वर्ष 2023-24 में योजना पर रुपये 6.52 करोड़ व्यय किए गये।

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उन्हें समर्थ और समुदाय और अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम बनाता है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

- कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी सलाह सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास द्वारा स्वाधार आश्रय गृह स्कीम (शक्ति सदन) चलाई जा रही है। 13 जिलों में 14 आश्रय गृह संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें वर्तमान में 200 से अधिक महिलाएं और लगभग 50 बच्चे रह रहे हैं। वर्ष 2023-24 में योजना पर रुपये 103.76 लाख खर्च किए गए।
- राज्य के जिला मुख्यालयों में सभी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता जैसे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता और परामर्श सुविधाएं प्रदान करने के लिए 57 वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं। अब तक वन स्टॉप सेंटरों ने हिंसा प्रभावित 97,388 महिलाओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान की हैं। वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन 181 से जुड़े हुए हैं। महिलाओं से संबंधित समस्याओं को 24×7 सुना जाता है और उन्हें हेल्पलाइन के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। माह मार्च 2024 तक हेल्पलाइन के माध्यम से 68,374 प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है तथा 6573 प्रकरणों पर निरंतर कार्यवाही जारी है।
- राज्य सरकार में “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006” के अंतर्गत उषा किरण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत घरेलू हिंसा के मामलों को दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी /ब्लॉक स्तर के महिला सशक्तिकरण अधिकारी /वरिष्ठ पर्यवेक्षक) नियुक्त किए गए हैं। योजना में शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पीड़िता को 2 लाख तक एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पीड़िता को 4 लाख तक की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

8.2.3. स्वयं सहायता समूह: महिलाओं के आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव की धुरी

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने का सशक्त माध्यम रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक अधिक पहुंच के लिए जमीनी स्तर पर महिलाओं को संगठित किया है और महिला स्वयं सहायता समूहों के मंच का उपयोग किया है। महिलाओं को एसएचजी के माध्यम से बचत एवं साख से जुड़ने का अवसर मिला है और उन्हें आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं और सूचना प्रवाह तंत्र से जोड़ा गया है।

राज्य में महिला एसएचजी का गठन 1998 में ‘स्वशक्ति परियोजना’ के साथ शुरू हुआ जिसे मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा लागू किया गया। वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। इन योजनाओं के तहत एसएचजी के गठन से बचत और ऋण कार्यों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन शुरू हुए और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया। राज्य के गरीब परिवारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम (MPRAF) पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण

आजीविका मिशन के रूप में 2012 से राज्य में इसे लागू किया गया था। वर्ष 2013 में स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना को भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है जिसकी चर्चा शहरी विकास के पृथक अध्याय में की गई है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए बजट आवंटन

एमपीएसआरएलएम के लिए सरकार द्वारा बजट आवंटन का वर्षवार व्यौरा तालिका 8.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 8.4: एनआरएलएम बजट प्रावधान और व्यय (राशि करोड़ रुपए में)

क्र.	वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार बजट प्रावधान		प्रारंभिक शेष सहित प्राप्तियां (केंद्र और राज्य सरकार)	व्यय
		केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा		
1.	2020-21	260.94	173.96	411.96	383.68
2.	2021-22	488.34	325.56	512.65	391.30
3.	2022-23	488.46	325.64	610.58	595.71
4.	2023-24 (अनंतकेक्षित)	488.46	325.64	610.58	623.27*

स्रोत: एमपीएसआरएलएम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2024

मध्यप्रदेश में स्वयं सहायता समूह और उनके संघों में शामिल करने के लिए पात्र पाये गये, 62,30,192 ग्रामीण परिवार में से 62,16,367 (99.78%) ग्रामीण परिवारों को 5,03,170 स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के 39,789 ग्राम संगठन (वीओ) एवं 1,410 संकुल स्तरीय परिसंघ (सीएलएफ) हैं। प्रदेश में, शेष ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह और उनके संघों में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। लगभग 89 प्रतिशत स्व-सहायता समूह के पास अपने बैंक खाते हैं। मध्यप्रदेश में सामुदायिक संस्थाओं के गठन की स्थिति का वर्षवार विवरण तालिका 8.5 में प्रस्तुत किया गया है।-

तालिका 8.5: मध्यप्रदेश में सामुदायिक संस्थानों के गठन की वर्षवार स्थिति

वर्ष	एसएचजी की कुल संख्या	वीओ की कुल संख्या	सीएलएफ की कुल संख्या	बैंक खाता रखने वाले एसएचजी की संख्या
साल 2012-13 से 2019-20	281601	25908	814	219437
2020-21	40647	4389	174	56891
2021-22	39177	3804	248	46504
2022-23	74778	4550	114	77950
2023-24	66967	1138	60	27254
कुल	503170	39789	1410	428036

स्रोत: एमपीएसआरएलएम, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2024

कुल सीएलएफ और ग्राम संगठनों में से, कुल 351 सीएलएफ और 12,176 ग्राम संगठन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत हैं।

वित्तीय समावेशन/ वित्तीय पहुंच

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्तीय समावेशन और बैंक लिंकेज पर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेशन का तात्पर्य वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से है। विभिन्न वित्तीय सेवाओं में बैंक बचत बीमा और प्रेषण सुविधाएं शामिल हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि बचत, आंतरिक ऋण, बैंक खाता खोलने, बीमा और पेंशन योजनाओं के बारे में वित्तीय साक्षरता जागरूकता प्रदान की जा सके।

तालिका 8.6: वर्षावार परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) वितरण

(लाख रुपए में)

वर्ष	आरएफ प्राप्त एसएचजी की संख्या	कुल आरएफ राशि प्राप्त	सीआईएफ प्राप्त एसएचजी की संख्या	सीआईएफ की कुल राशि
साल 2012-13 से 2019-20	163215	20955.65	77707	66411.93
2020-21	43609	4997.65	16934	11509.19
2021-22	35898	4124.76	16238	11568.36
2022-23	65596	12523.03	16541	12905.73
2023-24	44884	8933.34	22905	26718.00
कुल (मिशन प्रारंभ से)	353202	51534.43	150325	129113.21

स्रोत: एमपीएसआरएलएम, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2024

स्व-सहायता समूहों के लिए राशि रूपये 65.81 करोड़ का आपदा कोष (वल्लरेबिलिटी रिडक्शन फंड (वीआरएफ)), ब्याज मुक्त ऋण, उनके ग्राम संगठनों के माध्यम से प्रदान किया गया है। इसी तरह स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 18,557 ग्राम संगठनों को स्टार्ट-अप के रूप में राशि रूपये 117.42 करोड़ एवं 839 संकुल स्तरीय परिसंघों को राशि रूपये 17.45 करोड़ रूपये प्रदान किया गया है। नीचे दी गई तालिका बैंक लिंकेज के तहत एसएचजी द्वारा दिए गए बैंक ऋण प्रस्तावों के प्रति एसएचजी को प्रदान किए गए बैंक ऋण को दर्शाती है:

तालिका 8.7: मध्यप्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज की स्थिति

वर्ष	बैंक लिंकेज अंतर्गत समूह प्रकरण	बैंक लिंकेज अंतर्गत समूह को प्राप्त ऋण (रु. लाख में)
साल 2012-13 से 2019-20	177331	143564
2020-21	66784	50608
2021-22	100678	140746
2022-23	140203	245129
2023-24	163414	358003
कुल (मिशन प्रारंभ से)	648410	938050

स्रोत: एमपीएसआरएलएम, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2024

कृषि आजीविका

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि इन महिला समूहों की आर्थिक मजबूती के लिए प्रत्येक परिवार के पास आजीविका के कम से कम 2-3 विकल्प हों। सामूहिक प्रयासों से मसाले, सब्जियां, मोरिंगा, बाजरा एवं अन्य मोटे अनाज उत्पादन जैसे कई कृषि और गैर कृषि आजीविका कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विभागों एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय और आरसेटी के माध्यम से क्षमता निर्माण, आजीविका संस्थाओं जैसे किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) एवं प्रोजूसर ग्रुप प्रोत्साहन कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। वर्तमान में आजीविका मिशन ने 130 उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया है। कुल 25.86 लाख परिवारों को विभिन्न प्रकार की कृषि और पशुधन आधारित आजीविका गतिविधियों से सहायता दी गई है।

गैर-कृषि आजीविका

गैर-कृषि आधारित आय सृजक कार्यकलापों में कुल 7.15 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। गैर-कृषि आजीविका के लिए प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

- निष्ठा विद्युत मित्र योजना के तहत 1,457 महिलाएं बिजली के बिल का भुगतान एकत्र करना एवं नए बिजली कनेक्शन से संबंधित कार्य करना।
- 3,150 गांवों में स्वयं सहायता समूह नल-जल योजना की देखरेख एवं 850 उज्ज्वला सखी द्वारा उज्ज्वला गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पहुंच बढ़ाने से जुड़े कार्य करना।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा “दीदी कैफे” के नाम से अब तक 149 कैफे संचालित किए जा रहे हैं।

आदिवासी महिला एसएचजी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हेरिटेज मदिरा यूनिट की स्थापना:

मध्यप्रदेश सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को राजपत्र “म.प्र. हेरिटेज मदिरा नियम 2023” जारी किया है। हेरिटेज मदिरा इकाइयों की स्थापना से महुआ संग्रहण में लगे आदिवासी समुदाय के एसएचजी की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। यह नियम आदिवासी स्वयं सहायता समूह को ‘हेरिटेज लिंकर निर्माता’ के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें राज्य के अधिसूचित आदिवासी क्षेत्र में हेरिटेज मदिरा बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। इन एसएचजी में 10-20 सदस्य होने चाहिए, जिनमें कम-से-कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों। महिला वित्त एवं विकास निगम आदिवासी महिलाओं को हेरिटेज लिंकर की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए मार्केटिंग एजेंसी को पैनल में शामिल करने के लिए आईआईएम इंदौर के साथ अनुबंध किया गया है।

राज्य सरकार ने 7 जिलों में 7 निर्माण इकाइयों की स्थापना करके स्वयं सहायता समूह के परिसंघों को टेक होम राशन (THR) बनाने का अवसर भी प्रदान किया है। इसके अलावा, गौशाला प्रबंधन, कोदो कुटकी न्यूट्री बेकरी, महिला समूह द्वारा निर्मित एवं उत्पादित सामग्री का विपणन, सड़क के किनारों के रख-रखाव, नरसी की स्थापना, आजीविका गतिविधियों के लिए आजीविका भवन का निर्माण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी आदि कार्यों में संलग्न कर समूह की महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष एवं मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना, महिला वित्त विकास निगम द्वारा तेजस्विनी संघों के माध्यम से संचालित विभिन्न इकाइयों जैसे कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई, कोदो न्यूट्री बर्फी, कोदो न्यूट्री बेक एवं गोंड पेन्टिंग जैसे कार्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

डिण्डोरी जिले में पावर लूम एवं तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ डिण्डोरी के द्वारा सेनेटरी नैपकिन यूनिट का संचालन किया जा रहा है। यूनिट में तैयार सेनेटरी नैपकिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में उदिता कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई की जा रही है एवं खुले बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

ये पहले न केवल एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के जीवन में आर्थिक रूप से सुधार कर रही हैं, बल्कि इन पहलों के परिणामस्वरूप बेहतर पोषण और स्वच्छता के माध्यम से समाज में बदलाव ला रही हैं।

8.2.4 सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं के अन्य समर्थक और योगदान

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष तथा इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का गठन 2022 में महिला वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की महिला हितग्राहियों के बैंक द्वारा स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में वर्तमान तक राशि 400.84 लाख का व्यय किया गया है। 31,918 महिला हितग्राहियों को ऋण पर 2% ब्याज अनुदान राशि से लाभान्वित किया जा कर 400.84 लाख प्रदाय किये गए हैं योजनावार विवरण निम्नानुसार हैं -

तालिका 8.8: मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना - योजनावार हितग्राही एवं राशि

योजना	हितग्राही	राशि	Remark
ग्रामीण आजीविका स्वयंसहायता समूह	30,264	3,66,96,636.15	
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	1223	29,77,497	
डॉ. भीम राव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना	119	32,430	
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना	105	161,699	
संत रविदास स्वरोजगार योजना	90	184,659	
तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना	117	31,151	
कुल	31,918	4,00,84,072.15	

स्रोत: महिला वित्त और विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन (जून 2024) द्वारा प्रदान की गई जानकारी

मनरेगा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बनाए गए कुल कार्य दिवसों में महिलाओं के लिये सृजित कार्य दिवसों का अनुपात वर्ष 2022-23 में 41.8 प्रतिशत था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 43.32 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे अच्छे प्रयासों के परिणामस्वरूप कामकाजी महिलाओं के लिए महिला रोजगार मत, महिला रोजगार सहायक और झूला घर जैसी व्यवस्थाओं से महिलाओं को काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिला है। राज्य में महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है और महिलाएं बिना किसी भेदभाव और भय के अपनी आजीविका के लिए सुरक्षित वातावरण में सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

8.3. बाल विकास और संरक्षण


बच्चे समाज का भविष्य हैं। इस जनसांख्यिकी के समग्र विकास से एक विकसित भविष्य का समाज बनेगा जो शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त होगा। मध्यप्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की काफी आबादी है। मध्यप्रदेश सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये हैं। इनमें पहला प्रयास बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी, टीकाकरण और आंगनबाड़ी के माध्यम से पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पूर्व में समेकित बाल संरक्षण योजना और वर्तमान में मिशन वात्सल्य के माध्यम से गांवों और शहरों में बच्चों के लिए समन्वित प्रयास शुरू किए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग के साथ-साथ पंचायत और नगर पालिका जमीनी स्तर पर बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए समन्वय में काम कर रहे हैं।

8.3.1 बाल बजट

बाल बजट के माध्यम से बच्चों में निवेश को प्राथमिकता देने से बच्चों के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है और समाज के लिए दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 में पहला बाल बजट प्रस्तुत किया। बाल बजट में बजटीय प्रावधानों में उन योजनाओं को दर्शाया गया है जो बच्चों के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और बाल अस्तित्व और स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास, बाल संरक्षण और बाल भागीदारी के ढोमेन को कवर करते हैं।

बाल बजट विवरण में दो प्रकार की योजनाएं/ कार्यक्रम शामिल हैं। बाल केंद्रित आवंटन जिसमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो 100 प्रतिशत बच्चों से संबंधित हैं और जो विशेष रूप से 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को लक्षित करते हैं। बाल उत्तरदायी आवंटन जिसमें ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो विशेष रूप से बच्चों के लिए लक्षित नहीं हैं लेकिन बच्चे उनमें प्रमुख प्राथमिक लाभार्थी समूह हैं। नीतिगत रूप में वह योजना/उप-योजना जिसमें 30 प्रतिशत या अधिक आवंटन बच्चों पर किया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 के राज्य के वार्षिक बजट में दूसरी बार बाल बजट प्रस्तुत किया गया। 2023-24 (बजट अनुमान) में राज्य में बच्चों पर कुल आवंटन 64,639 करोड़ रुपये है। यह कुल राज्य बजट का लगभग 23% है। इसमें 17 विभागों के अंतर्गत 216 कार्यक्रमों एवं स्कीमों के लिए आवंटन शामिल हैं। 2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान) में आवंटन 57,291 करोड़ रुपये था, 2023-24 में बच्चों के लिए आवंटन में 13% की वृद्धि हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल राज्य बजट का लगभग 15.4% विशेष रूप से (100%) बाल केंद्रित योजनाओं पर आवंटित किया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग को सर्वाधिक आवंटन (47.75%), इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (11.34%) और महिला एवं बाल विकास विभाग (9.37%) है। खेल और युवा, श्रम, कानून और विधायी विभाग और पर्यटन विभागों ने 2022-23 (संशोधित अनुमान) से बच्चों के लिए आवंटन में 25% से अधिक की वृद्धि देखी है। नीचे दिया गया रेखाचित्र, 2020-21 से राज्य में बाल बजट आवंटन की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



रेखाचित्र 8.1: मध्यप्रदेश में बाल बजट आवंटन में रुझान

स्रोत: मध्यप्रदेश चाइल्ड बजट स्टेटमेंट, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

चाइल्ड बजटिंग के अंतर्गत योजनावार एवं विभागवार बजट की मैपिंग की गई है। मध्यप्रदेश सरकार आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग मॉडल अपनाने की तैयारी में है। परिणामोन्मुखी बाल बजटिंग यह सुनिश्चित करती है कि योजनाओं की समीक्षा परिणाम के आधार पर की जाती है और फिर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बजट आवंटित किया जाता है। यह दृष्टिकोण बाल अधिकारों और बाल विकास के सभी क्षेत्रों में एकीकृत, समन्वित, साक्ष्य-आधारित निवेश पर केंद्रित है।

8.3.2. पोषण स्तर में बढ़ोत्तरी

स्वस्थ जीवन और बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि लाने के लिए राज्य सरकार ने पोषण अभियान के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण और विशेष पोषण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से क्रियान्वित किया है। विभाग ने सुपोषित मध्यप्रदेश की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में राज्य की पोषण नीति 2020-2030 जारी की है। बच्चों के पोषण में सुधार के लिए की गई पहलों का व्यौरा नीचे दिया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के समग्र विकास के लिए कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुल 84,659 आंगनवाड़ी और 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कुल 73.97 लाख लाभार्थियों को सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी में लाभार्थियों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 8.9: आईसीडीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या

क्र.	लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
1	गर्भवती महिलाएं	4.90
2	धात्री माताएँ	3.36
3	6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे	28.43
4	3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे	35.73
5	14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियाँ (केवल 8 आकांक्षी जिलों में)	1.55

स्रोत: पोषण ट्रैकर 09 जून 2024 के अनुसार, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, वर्ष 2023-24 में इसके लिए कुल बजट आवंटन 2118.18 करोड़ रुपये किया गया है।

06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों/ गर्भवती/ धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो के बाड़ी संयंत्र एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित देवास/धार/होशंगाबाद/शिवपुरी/सागर/रीवा /मण्डला संयंत्रों के माध्यम से सप्ताह के 05 दिन टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में दिए जाने का प्रावधान है। 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन साप्ताहिक मीनू के अनुसार दिये जाने का प्रावधान हैं। 06 माह से 06 वर्ष तक के अंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन वाले बच्चों को थर्ड मील दिये जाने का प्रावधान है।

तालिका 8.10: टेकहोम राशन (THR) का विवरण

06 महीने से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान की गई THR की मात्रा	THR - व्यंजन	दैनिक मात्रा	प्रोटीन (ग्राम में)	कैलोरी (किलो कैलोरी में)
	हलवा (प्रीमिक्स)	120 g	20	525
	वीनिंग फूड (प्रीमिक्स)	120 g	19.6	527
	खिचड़ी	125 g	23	554
गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और (केवल आकांक्षी जिले की) किशोर लड़कियों- आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष को प्रदान की जाने वाली THR की वस्तुएं	THR - व्यंजन	दैनिक मात्रा	प्रोटीन (ग्राम में)	कैलोरी (किलो कैलोरी में)
	गेहूं-सोया बर्फी (प्रीमिक्स)	150 g	25	653
	आटा बेसन लड्डू (प्रीमिक्स)	150 g	27.5	665
	खिचड़ी	150 g	23	554

स्रोत: महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश शासन

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम (MMBASK)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन परिवार स्तर पर या पोषण पुनर्वास केंद्र में किया जाता है। सितंबर 2020 से मार्च 2024 की अवधि में कुल 12.11 लाख (गंभीर + मध्यम) कुपोषित बच्चों का पंजीकरण किया गया है और 10.51 लाख (86.80%) बच्चों को गंभीर कुपोषण से बाहर लाया गया है।

8.3.3 बाल संरक्षण

कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु मिशन वात्सल्य (समेकित बाल संरक्षण योजना) प्रारंभ किया गया है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार सर्वेक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इस योजना के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन मुख्य घटक है।

मिशन वात्सल्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और बाल संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यर्पित, बेसहारा) बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं प्रदाय की जाती हैं। संस्थागत सेवाओं में विभिन्न संस्थाएं जैसे - विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालगृह, खुला आश्रयगृह, संप्रेक्षण गृह एंव विशेष गृह संचालित हैं। गैर संस्थागत सेवाओं में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर, स्पांसरशिप एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं हेतु आफ्टर केयर के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स एवं 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की गयी है। जिसमें केयर लीवर्स को इंटर्नशिप या व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है तथा प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर NEET, JEE या CLAT में चयन होने पर सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क भी प्रदाय किया जाता है। योजना अंतर्गत 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना में आफ्टर केयर में 60 तथा स्पॉन्सरशिप में 5,875 बच्चों के प्रकरण स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत 5,461 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना

इस योजना का उद्देश्य COVID-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता, शिक्षा सहायता और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत 1,435 बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता, मुफ्त भोजन सहायता और शिक्षा सहायता के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।

सङ्क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु नीति, 2022

मध्यप्रदेश राज्य ने प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सङ्क पर रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए “सङ्क की स्थिति में बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति, 2022” को प्रभावी घोषित किया। इस नीति का उद्देश्य भीख मांगने, कूड़ा बीनने, गरीबी और अन्य प्रतिकूल पारिवारिक स्थितियों के लिए सङ्कों पर रहने वाले बच्चों को परिवार में बहाल करके, उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर और उनके समग्र पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं से लाभ प्रदान करना है।

8.4. युवा और सामाजिक परिवर्तन

युवा आबादी सबसे सक्रिय आबादी है और उन्हें सही कौशल और अवसरों से लैस करने से सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ सकता है। मध्यप्रदेश सरकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सामाजिक जीवन में

युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए प्राथमिक क्षेत्र शिक्षा और कौशल, रोजगार और उद्यमिता, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य, खेल, समावेश और न्याय, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता हैं। केंद्र में युवाओं के साथ कुछ प्रमुख योजनाओं का वर्णन नीचे किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप को देश के सबसे बड़े सरकारी इंटर्नशिप कार्यक्रमों में से एक के रूप में जाना जाता है। यह कार्यक्रम राज्य के युवाओं को विकास अध्ययन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में पेशेवर रूप से तैयार करता है। यह युवाओं की विशाल ऊर्जा का उपयोग करके राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा वितरण की कमी की समस्या से निपटता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंटर्न के पास अपने कार्यक्षेत्र के तहत चार प्रमुख गतिविधियां हैं: जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का सूक्ष्म संचार; सर्वोत्तम प्रथाओं और स्वदेशी ज्ञान का दस्तावेजीकरण; तत्काल और प्रभावी समाधान के लिए स्थानीय मुद्दों की पहचान और स्थानीय और उच्च स्तर पर प्रशासन के लिए उनकी वृद्धि; और अंत में अंतिम मील वितरण सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की 100% संतुष्टि में योगदान करना।

प्रभाव: लगभग 9000+ सीएम जनसेवा मित्र (सीएम इंटर्न) 52 जिलों और 313 ब्लॉकों (1 विकास खंड में 30 सीएम इंटर्न) में पदचिह्न के साथ इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, इस प्रकार सभी 23 हजार ग्राम पंचायतों में सीएम जनसेवा मित्रों की पहुंच है। मध्यप्रदेश सरकार ने बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्णय लेने और समस्या-समाधान की उत्पत्ति जमीनी स्तर से होनी चाहिए। उन्होंने लाड़ली बहना योजना और प्रशासन की महिला लाभार्थियों के बीच सेतु का काम किया है, जिससे 21 लाख महिलाओं को योजना का लाभ उठाने में मदद मिली है, और विकास यात्रा और जनसेवा अभियान 2.0 जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्होंने राज्य में सामुदायिक जुड़ाव को अगले स्तर तक पहुंचाया है। राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान इन इंटर्न द्वारा चलाए गए यूथ फॉर डेमोक्रेसी जैसे कार्यक्रम ने राज्य में 21 लाख युवाओं और पहली बार के मतदाताओं को जुटाने में उत्प्रेरक का काम किया है।

मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन मध्यप्रदेश में एक अग्रणी पहल के रूप में किया गया, जिसे राज्य भर में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हाल के स्नातकों और स्नातकोत्तर को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। सीएमवार्डीपी का विस्तार 52 जिलों में से प्रत्येक में 52 संसाधन सहयोगियों, जिन्हें मुख्यमंत्री फेलो के रूप में जाना जाता है, को तैनात करने के लिए एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करने की कल्पना करता है, जिसका लक्ष्य प्रति जिला एक साथी है, जो जमीनी स्तर पर शासन पर सीधा प्रभाव डालता है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है। सीएम फेलो जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने, जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी और नवाचारों को अपनाने और जिले में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए कार्रवाई अनुसंधान करने की दिशा में काम करते हैं।

प्रभाव: सहयोगियों ने लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत लोक सेवा केंद्रों के कामकाज में जमीनी स्तर पर अध्ययन की सुविधा प्रदान की है, सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना का मूल्यांकन, पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी। उन्होंने 'पीएम आवास योजना - शहरी', 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' और 'सीएम राशन आपके ग्राम योजना' में अध्ययनों का समर्थन किया है, जिन्होंने योजनाओं में बाधाओं को खत्म करने और इसे जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार को विश्वसनीय इनपुट प्रदान किया है।

8.5. श्रम एवं रोजगार

8.5.1 श्रम

मध्यप्रदेश में श्रम बाजार जनसांचिकीय रुझान, शैक्षिक उपलब्धियों और आर्थिक नीतियों सहित कई कारकों से प्रभावित होता है। राज्य सरकार ने श्रम स्थितियों में सुधार, कौशल विकास बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू किया है। ये पहल कार्यबल के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बेरोजगारी, औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों की कमी और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपाय। इसके अलावा, राज्य की रणनीतिक स्थिति और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों ने निवेश को आकर्षित किया है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। भविष्य में शहरीकरण और प्रवासन (माइग्रेशन) की उच्च दर का अनुभव होने की संभावना है क्योंकि अधिक से अधिक युवा अच्छे रोजगार की तलाश करने की इच्छा रखते हैं, जो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। श्रम के क्षेत्र में राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किया है। राज्य ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं उन्हें एवं संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह खंड मध्यप्रदेश में श्रम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, कार्यबल की संरचना, रोजगार को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों और श्रम विकास का समर्थन करने के लिए लागू नीतियों और कार्यक्रमों की खोज करता है। इन गतिशीलता को समझकर, हम मध्यप्रदेश में श्रम बल के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों और अधिक न्यायसंगत और समृद्ध श्रम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयासों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम (LCMS)

एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम का विकास कर क्रियान्वित किया गया है। श्रमिकों से संबंधित सभी प्रकार के अर्धन्यायिक प्रकरणों (Quasi Judicial cases) का निपटारा नवीन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। श्रमिक अब बिना कार्यालय में उपस्थित हुए कियोस्क के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत कर उसकी अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रकरणों की मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। पूर्व में लंबित सभी प्रकरण को ऑनलाइन किया जा चुका है एवं वर्तमान में समस्त नवीन प्रकरण ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त अर्द्ध न्यायिक प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण हेतु समय सीमा सुनिश्चित की गई है।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना

क्रमांक	योजना का नाम
1	प्रसूति सहायता योजना
2	विवाह सहायता योजना
3	मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना
4	आयुष्मान भारत निरामय योजना (चिकित्सा सहायता योजना)
5	सुपर 5000 (कक्षा 10) योजना
6	सुपर 5000 (कक्षा 12) योजना

क्रमांक	योजना का नाम
7	मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना
8	सायकल अनुदान योजना
9	औजार / उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना
10	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
11	श्रमोदय विद्यार्थी अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना
12	विदेश अध्ययन हेतु अनुदान योजना
13	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना
14	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ग्रामीण आवास योजना
15	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना
16	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा
17	निर्माण पीठ श्रमिक आश्रय (शेड) योजना
18	कौशल प्रशिक्षण योजना
19	म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार सीखो कमाओ योजना
20	पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों की संतानों हेतु स्कूल छात्रवृत्ति योजना 2024

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वर्ष 2023-24 में देय हित लाभ

वर्ष 2023-24 (मार्च तक) हितग्राही संख्या एवं हितलाभ वितरण के संदर्भ में हितग्राही संख्या 1,47,753 तथा हितलाभ वितरण रूपए 510.67 करोड़ रहें।

संबल योजना के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित योजना

अंत्येष्टि राशि र. 5000.00, स्थाई अपंगता पर रु. 2 लाख, आंशिक स्थाई अपंगता पर रु. 1 लाख, सामान्य मृत्यु पर रु. 2 लाख एवं दुर्घटना मृत्यु पर रु. 4 लाख दिए जाने का प्रावधान है।

संबल योजना अन्तर्गत वर्ष 2023 -24 में देय हितलाभ -

- संबल के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में 96,610 श्रमिकों को अनुग्रह सहायता राशि रु. 711.79 करोड़ का हित लाभ स्वीकृत।
- हितग्राहियों को सहायता राशि का डीबीटी/ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से आधार आधारित भुगतान।

मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग

मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु आयोग का गठन किया गया है।

बंधक एवं बाल श्रम


श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना, मई 2021 से लागू की गई है। जो 27-01-2022 से प्रभावशील है। इस योजना में शत-प्रतिशत अंश भारत शासन द्वारा वहन किया जाता है। नवीन बंधक पुनर्वास नीति 2021 के अंतर्गत निम्नानुसार पुनर्वास / सहायता राशि का प्रावधान है:-

- बंधक श्रमिकों के विमुक्ति के समय तात्कालिक सहायता के रूप में रु. 30,000 दिया जाता है।

- पुनर्वास सहायता राशि वयस्क पुरुष हितग्राहीयों हेतु राशि रु. 1 लाख है।
- स्पेशल कटेगरी के हितग्राहीयों तथा अनाथ बच्चों एवं महिलाओं हेतु पुनर्वास सहायता राशि रु. 2 लाख होगी।
- ऐसे बंधक श्रमिक जिनका शारीरिक शोषण अथवा मानव तस्करी से मुक्त कराया गया हो उनके लिए पुनर्वास सहायता राशि रु. 3 लाख होगी।
- प्रत्येक 3 साल में ऐसे जिले जो बंधक श्रमिकों के नियोजन की दृष्टि से संवेदनशील हैं वहां सर्वेक्षण कराये जाने हेतु प्रत्येक जिला रु. 4.50 लाख भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।
- राज्य शासन द्वारा बंधक श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाये जाने की स्थिति में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकतम राशि रु. 10 लाख का प्रदाय की जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत राशि अग्रिम के तौर पर देय होगी।

वर्ष 2022-23 में 16 बंधक श्रमिकों को तात्कालिक सहायता के रूप में रु. 4,80,000 तथा वर्ष 2023-24 में 6 बंधक श्रमिकों को रु. 1,20,000 तात्कालिक सहायता दी गई। बाल श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध 2023-24 में व्यापक अभियान चलाकर 34 बाल श्रमिक तथा 85 किशोर श्रमिक को विभिन्न नियोजकों से विमुक्त कराया गया है। सभी नियोजकों के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की गई है।

मध्यप्रदेश में श्रम बल भागीदारी दर



रेखाचित्र 8.2: श्रम बल भागीदारी दर (LFPR%) (15-59 आयु)

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

श्रम बल भागीदारी दर एक अर्थव्यवस्था में कामकाजी उप्र की आबादी का मूल्यांकन करने का उपाय है। भागीदारी दर उन लोगों या व्यक्तियों की कुल संख्या को संदर्भित करती है जो वर्तमान में कार्यरत हैं या नौकरी की

तलाश में हैं। जो लोग नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हैं जैसे पूर्णकालिक छात्र, गृहिणी, 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आदि डेटा सेट का हिस्सा नहीं होंगे। यह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। LFPR का राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक का 68.3% है तथा उपरोक्त चित्रण से स्पष्ट है कि प्रदेश LFPR (15-59 वर्ष) के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते हुए लक्ष्य के करीब पहुँच चुका है। सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के रोजगार और बुनियादी अधिकारों की न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करके श्रम नीति और श्रम विनियमन (regulations) की एक मजबूत सहायक भूमिका सुनिश्चित कर, नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे।

8.5.2. रोजगार

मध्यप्रदेश राज्य ने काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर गंभीर प्रयास किया है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने काम की परिस्थिति को प्रभावित करने वाले कानूनों में भी लगातार बदलाव किया है। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार के अनेक विभाग प्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं इन विभागों में कुछ विभाग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं एवं लगभग सभी विभाग तृतीयक क्षेत्र अर्थात् सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन के लिए सरकारी क्षेत्र में निम्न संस्थाएं कार्यरत हैं - ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, वन विभाग तथा कृषि विभाग प्रमुख है। रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों की संख्या वर्ष 2023-24 में 33.13 लाख रही। राज्य के सभी रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2023-24 में 3.34 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया था। नियुक्ति हेतु निजी क्षेत्र में चयनित व्यक्तियों की संख्या 52,846 रही।


अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास

प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। जॉब फेयर नियोजकों एवं आवेदकों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिये एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। जिससे स्थानीय आवेदकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रदेश स्तर पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ ही रोजगार कार्यालयों द्वारा भारतीय वायु सेना/थल सेना की भर्ती हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 में निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा 778 जॉब फेयर आयोजित किये गये एवं वर्ष 2023-24 में 563 जॉब फेयर आयोजित किये गये।

मध्यप्रदेश में स्थित 52 रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 2023-24 में निजी क्षेत्र में 52,846 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्राप्त कराये गये जिसमें 8,432 महिलायें, 9,814 अनुसूचित जाति एवं 6,011 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल हैं।

मध्यप्रदेश के लिए औपचारिक रोजगार संबंधित आंकड़े

ई.पी.एफ.ओ. भारत में संगठित/अर्ध संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रबंधन करता है, वर्ष-वार योग का मतलब यह नहीं है कि सभी सदस्य वित्तीय वर्ष के अंत में पे-रोल पर हैं। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ई.पी.एफ.ओ. के माध्यम से वर्ष 2018 के पश्चात वेतन भुगतान के आंकड़े प्रतिमाह जारी करती है जिसे नीचे दिए गए चित्र 8.2 में ईपीएफओ रिकॉर्ड के अनुसार आयु ब्रैकेट में 'नेट नया पे-रोल' (Net New Payroll) का अनंतिम अनुमान (संख्या में) प्रस्तुत किया गया है। म.प्र के आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रदेश औपचारिक रोजगार के क्षेत्र में लगातार वृद्धि कर रहा है।




रेखाचित्र 8.3: मध्यप्रदेश के लिए औपचारिक रोजगार संबंधित आंकड़े

स्रोत: EPFO वेब साइट 4 जून 2024 (11 माह - Feb 24 उपलब्ध नहीं)

8.6. मध्यप्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास को दर्शने वाले संकेतक

8.6.1 गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयास

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश के लगभग 13.6 मिलियन लोगों को 2015-16 से 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी से उठाया गया है। व्यक्तियों की यह संख्या सिंगापुर और लीबिया जैसे देशों की कुल आबादी के दोगुने से अधिक है। राज्य ने राष्ट्र से गरीबी के बोझ को कम करने में 10% का योगदान दिया है (Bahuayami NITI se



vikas k lie sajag Madhya Pradesh, 2023)। MPI 2023 के अनुसार, मध्यप्रदेश ने पाँच वर्षों की अवधि में “बहुआयामी गरीब” व्यक्तियों की संख्या में 15.94% की गिरावट दर्ज की है, जो 36.57% से घटकर 20.63% हो गई है। बिहार के बाद, मध्यप्रदेश में भारत के सभी राज्यों में गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी देखी गई। प्रतिशत में सबसे अधिक सुधार अलीराजपुर (31.05%), बड़वानी (28.08%), खंडवा (ईएन) (27.38%), बालाघाट (26.48%) और टीकमगढ़ (26.33%) में देखा गया है। मध्यप्रदेश में गरीबी की तीव्रता भी 47.25% से घटकर 43.70% हो गई है। बहुआयामी गरीबी की सघनता स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों के औसत प्रतिशत को ध्यान में रखती है जिसमें गरीब लोग वंचित हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, मध्यप्रदेश की लगभग 72.4% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस आबादी का 20.58% 2019-21 तक गरीबी से मुक्त हो चुका है। राज्य पिछले दो दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लागू करने में अग्रणी रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अनुपात 45.90% से घटकर 25.32% हो गया है जो निवल रूप से 44.8% की कमी दर्शाता है जबकि राज्य के शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 13.72% से घटकर 7.10% हो गई है जो 48.25% है।

तालिका 8.11: मध्यप्रदेश की बहुआयामी गरीबी प्रोफाइल

Multidimensional Poverty in Madhya Pradesh's Rural and Urban Areas

Year	Rural			Urban		
	Headcount Ratio	Intensity	MPI	Headcount Ratio	Intensity	MPI
2019-21	25.32%	43.82%	0.111	7.10%	42.51%	0.030
2015-16	45.90%	47.57%	0.218	13.72%	44.62%	0.061

रेखाचित्र 8.4: 2015-16 और 2019-21 के बीच हेडकाउंट अनुपात में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार प्रतिशत बिंदु परिवर्तन

स्रोत: राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक- एक प्रगति समीक्षा, 2023

मध्यप्रदेश ने पांच वर्ष की अवधि में एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में सुधार किया है। एनएफएचएस-4 के अनुसार, खाद्य ईंधन, स्वच्छता, आवास, पोषण, मातृ स्वास्थ्य तक बहुआयामी गरीबों की पहुंच में मुख्य रूप से पिछड़ गए हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सचेत रूप से क्यूरेट किए गए प्रयासों से इन क्षेत्रों में संसर किए गए हेड काउंट अनुपात में महत्वपूर्ण कमी आई। संकेतक वार सुधार निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 8.12: सेंसर किए गए हेडकाउंट अनुपात में उप-संकेतक वार परिवर्तन

उप-संकेतक	MPI 2021 में सेंसर किया हुआ हेडकाउंट रेशियो (%)	MPI 2023 में सेंसर किए गए हेडकाउंट रेशियो (%)	% सेंसर किए गए हेडकाउंट अनुपात में कमी
बिजली	6.46	0.86	86.7
बैंक खाते	7.35	1.37	81.4


उप-संकेतक	MPI 2021 में सेंसर किया हुआ हेडकाउंट रेशियो (%)	MPI 2023 में सेंसर किए गए हेडकाउंट रेशियो (%)	% सेंसर किए गए हेडकाउंट अनुपात में कमी
स्वच्छता	33.13	13.32	59.8
पीने का पानी	17.36	8.52	50.9
पोषण	29	15.44	46.8
खाना पकाने का ईंधन	34.85	18.57	46.7
बाल और किशोर मृत्यु दर	2.72	1.46	46.3
आवास	32.68	17.56	46.3
मातृ स्वास्थ्य	20.85	11.31	45.8
स्कूली शिक्षा के वर्ष	14	7.94	43.3
संपत्ति	13.64	7.96	41.6
स्कूल में उपस्थिति	7.34	4.86	33.8

स्रोत: बहुआयामि नीतियों से विकास के लिए सजग मध्यप्रदेश, 2023

राज्य में गरीबी में भारी गिरावट केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार से नहीं आई है, बल्कि पोषण, मातृ स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा के वर्षों जैसे पीढ़ीगत संकेतकों में 45% से अधिक सुधार हुआ है। मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), मुख्यमंत्री आवास योजना (CMMAY), जल जीवन मिशन (JJM), स्वच्छ भारत मिशन (SBM), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), पोषण अभियान, ICDS (एकीकृत बाल विकास योजना) सहित सरकारी योजनाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को नोट किया गया है। राज्य में जनजीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, अटल किसान ज्योति योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, उषा किरण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री राइज स्कूल, समग्र शिक्षा, मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना, निःशुल्का साइकिल वितरण योजना, निःशुल्का चिकित्सा पुस्तक वितरण योजना आदि शामिल हैं।

8.6.2 सतत विकास लक्ष्य एवं स्थानीयकरण

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी/SDGs) अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी और एकीकृत विकास एजेंडा है। ये समान पैमानों पर विकसित और विकासशील देशों में प्रगति को ट्रैक करते हैं। सरकारें, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज एक साथ साझा रूप में सतत विकास लक्ष्यों के लिए साथ होते हैं। सर्वत्र जनमानस और ग्रह की भलाई हेतु, सतत विकास लक्ष्य हम सभी को एक साथ मिल कर बेहतर भविष्य बनाने का एक अवसर प्रदान करते हैं। प्रमुख तौर पर हमें यह भी समझना आवश्यक है कि, सतत विकास लक्ष्य



(एसडीजी) के कार्यान्वयन और सफलता, देशों की अपनी सतत विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। अर्थात्, विभिन्न विभागों को समाहित कर निर्धारित किए गए, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जा रहे सूचकांक का विकास के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समावेशी रूप है। सूचकांक का निर्धारण विभिन्न विभागों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिलें, इत्यादि स्तर पर सभी को सम्मिलित करते हुए किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य ने एसडीजी एक्शन प्लान 2030 विकसित किया है, जो तीन समय सीमाओं - 2020, 2024 और 2030 में मापे गए लक्ष्यों (संकेतक) की प्रगति से संबंधित एक बहु-वर्षीय दस्तावेज है। दस्तावेज में उन विधियों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है जिनमें विभागों को मध्यप्रदेश में सतत विकास के लक्ष्यों को साकार करने के लिए अपनी भूमिकाओं एवं रणनीतियों को आवश्यकता अनुरूप संशोधित कर 'राज्य के लक्ष्य' के रूप में क्रियान्वयन करते हैं। मध्यप्रदेश ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच तीन वर्षों में कुल 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति को बनाए रखा है। ये लक्ष्य हैं 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13 और 16 हैं। ये सभी लक्ष्य मध्यप्रदेश की सामाजिक संरचना में हो रहे सकारात्मक बदलावों को रेखांकित करते हैं। संलग्न लेखाचित्र के माध्यम से मध्यप्रदेश की प्रगति को प्रस्तुत किया गया है। मध्यप्रदेश सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (localization) हेतु "समस्त सरकार एवं समस्त समुदाय" दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

विगत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में लगभग सभी सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में चर्चा कर उल्लेख किया गया है, अतः इस वर्ष स्थानीयकरण के संदर्भ में विशेष कर पंचायती राज विभाग द्वारा किया गए प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। सतत विकास के लक्ष्य "वैशिक लक्ष्य" के रूप में भी जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में हमारा देश भारत भी सतत विकास के इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि ये कानूनी बाध्यता नहीं है। यह लक्ष्य व्यापक रूप से विकास के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों को सम्मिलित करते हैं और गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करने पर केन्द्रित है।

स्थानीयकरण एवं पंचायत

हमारे देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। और पंचायतें इन क्षेत्रों में स्थानीय सरकार हैं इसीलिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु इन लक्ष्यों का स्थानीयकरण अत्यंत आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अमलों को इनकी पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इन सतत विकास लक्ष्यों में पंचायत की भूमिका को लेकर और इनके स्थानीयकरण को प्राप्त करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा पंचायतों की स्तर पर 17 लक्ष्यों को 09 थीम में समाहित किया गया है। जिनको लेकर पंचायतों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। यह विषयगत थीम निम्नलिखित हैं -

थीम-1 गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत

थीम-2 स्वस्थ पंचायत

थीम-3	बाल हितैषी पंचायत
थीम-4	जल संतुप्त पंचायत
थीम-5	स्वच्छ और हरित पंचायत
थीम-6	पंचायत में आत्मनिर्भर बृनियादी ढांचा
थीम-7	सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत
थीम-8	सुशासन वाली पंचायत
थीम-9	महिला हितैषी पंचायत

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत पंचायतों की क्षमता कौशल और संस्थागत क्षमता निर्माण करने का उद्देश्य रखा गया है। योजनांतर्गत पंचायतों के पदाधिकारियों स्थानीय संगठनों आदि की सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर निरंतर क्षमतावृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत 09 विषयों को समाहित करते हुए थीमेटिक जीपीडीपी का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के पूर्व पंचायतें समुदाय के साथ मिलकर संकल्प/थीम पारित करती हैं। इसी क्रम में प्रदेश की समस्त पंचायतों द्वारा संकल्प लिया जाकर बाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं। वर्ष 2023-24 में 100% पंचायतों द्वारा संकल्प लिये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत पंचायतों की क्षमता कौशल और संस्थागत क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर सतत् प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में भी विभिन्न विषयों पर सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सतत् विकास लक्ष्यों पर उचित क्रियान्वयन रणनीति तैयार करने तथा जागरूकता हेतु अब तक जिला, जनपद एवं पंचायत स्तर के लगभग 6000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी प्रकार थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु अब तक लगभग 8000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

विगत वर्ष 2023-24 में लगभग 95 हजार प्रशिक्षणार्थियों को सतत् विकास लक्ष्य एवं थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण हेतु जिला एवं जनपद पंचायत पर कैस्केंडिंग मोड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिला, जनपद स्तर के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर से सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्वयं सहायता समूह की दीदीयों एवं गांव की महिलाओं को उन्मुखीकृत किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की आचार संहिता प्रभावी होने से वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षण लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति धीमी रही है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों एवं थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना आदि पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं, जिनमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत पदाधिकारियों के साथ ही जिले एवं जनपद के जीपीडीपी नोडल अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भी सहभागिता की।

सतत् विकास लक्ष्यों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रचार-प्रसार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस हेतु विभिन्न वीडियो, पोस्टर्स, बैनर, स्लोगन आदि आई ई सी सामग्री तैयार की जाकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रेषित की जाती है। कुछ समय पूर्व ही तेलंगाना राज्य में “स्वस्थ्य पंचायत” थीम पर आयोजित 03 दिवसीय कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य कर रही पंचायत का वीडियो प्रदर्शन किया गया। माह अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में महामहिम

राष्ट्रपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित “राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार” समारोह में मध्यप्रदेश के 55 से 60 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों समूह द्वारा राज्य अधिकारियों के नेतृत्व में भाग लिया। इन ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को 09 थीमेटिक विषयों पर इनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए चयनित किया गया। समय-समय पर आयोजित होने वाली विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाओं में 09 थीमेटिक विषयों पर उत्कृष्ट कार्य कर रही पंचायतों के वीडियो तैयार कर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के समूहों को भाग लेने के अवसर प्रदान किए गए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन हेतु सतत रूप से प्रयासरत है, जिस हेतु प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण प्रचार-प्रसार एवं गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन द्वारा निगरानी आदि प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 23,011 एक वृहद आंकड़ा प्रदर्शित करती है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन मानस में प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार द्वारा व्यवहार परिवर्तन किया जाकर ही की जा सकती है।

मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के क्रम में, कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित ज्ञान के लिए पाठ्य सामग्री का निर्माण किया गया है और इसे राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक को भेजा गया है। मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य/एसडीजी से संबंधित किए गए प्रमुख प्रकाशन निम्नवत है:-

SDG Vision 2030, Sustainable Development Goals Volume I, II & III State Action Plan, एवं SDG Progress Report 2023

राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसडीजी साधिकार समिति गठित है। प्रत्येक विभाग में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नोडल अधिकारी नामित किए हुए हैं। स्थानीयकरण हेतु समस्त विभाग एवं विभागाध्यक्षों का अभिमुखिकरण कर संवेदनशील करते हुए अनेक परामर्श सत्र आयोजित किए गए हैं। परामर्श सत्रों के आयोजन का उद्देश्य संस्थागत भागीदारी, विचार विनिमय, तथा अनुभवों को साझा किया जाना रहा है। जागरूकता हेतु संचार तथा पैरवी गतिविधि अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न विभागों के साथ परामर्श एवं समन्वय से विविध दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं। अंतर्विभागीय निगरानी और समीक्षा तंत्र के अलावा, ब्लॉक और जिला स्तर पर, सरकार आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी कर रही है। जिले स्तर पर भी, एसडीजी समिति का गठन पूर्व में किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं और जिले के संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होते हैं। पूर्व में राज्य के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 103 सूचकांक पर 19 जिलों के 50 ब्लॉक से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जा चुका है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 75 सूचकांक रहे थे। सूचकांक प्रमुख रूप से छ: सेक्टर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और संबद्ध सेवाएं, बुनियादी ढांचा (ग्रामीण और शहरी), कौशल विकास और रोजगार तथा सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन, से संबंधित थे। ब्लॉक स्तर पर उपयोग करने हेतु एसडीजी पर हिन्दी पुस्तिका तैयार की गई थी।

मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा हाल ही में राज्य की एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई है। सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रमों के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुतः हमें यह भी समझना जरूरी है कि सतत विकास लक्ष्य की प्राथमिकता के आधार पर विकास को गति देते हुए मध्यप्रदेश में समय की

आवश्यकतानुसार जिले, ब्लॉक के अतिरिक्त ग्राम स्तर तक मुख्य धारा में समाहित करते हुए सतत विकास लक्ष्य को जमीनी स्तर पर अधिक क्रियाशील करते रहने की आवश्यकता है। परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अपेक्षित परिणाम को व्यापक तौर पर प्राप्त करने हेतु क्रियात्मक समाज आधार को रूप देने वाले समाजसेवी, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, उद्योगपति, सरकारी संस्थानों इत्यादि सभी को संयुक्त हो कर निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। सभी विभागों को अपने लक्ष्य से संबंधित समस्त सूचकांक की प्रगति पर ध्यान रखते हुए, समय-समय पर नीति अद्यतन कर अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव कर, अच्छे एवं सभी के लिए लाभकारी परिणाम की प्राप्ति हेतु अथक प्रयास करना आवश्यक है, जिससे कि निर्दिष्ट समय सीमा में निर्धारित लक्ष्यों को सर्वत्र जनमानस और ग्रह की भलाई हेतु सुगमता से प्राप्त किया जा सके।

संदर्भसूची

- मध्यप्रदेश बजट-2023-24, खंड-06 जेंडर बजट, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार
- मध्यप्रदेश हेरिटेज मंदिरा नियम, 2023; मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023
- बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति, 2022; महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार
- वार्षिक रिपोर्ट- 2022-23, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार
- श्रम बल भागीदारी दर क्या है? श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल भागीदारी दर अर्थ की परिभाषा - इकोनॉमिक टाइम्स (indiatimes.com)
- ILO और मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024
- रोजगार संचनालय से प्राप्त सूचना दिनांक 3 नवम्बर 2023 एवं 19 अप्रैल 2024
- श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर से प्राप्त सूचना दिनांक 4 जनवरी 2024 एवं 22 अप्रैल 2024
- ईपीएफओ (EPFO) वेबसाइट - last accessed 4 जून 2024
- सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में पंचायत राज विभाग से प्राप्त सूचना दिनांक 19 जनवरी 2024 एवं 7 जून 2024
- सतत विकास लक्ष्य - MoSPI वेबपोर्टल
- MoSPI द्वारा 29 जून 2023 प्रकाशित सालाना प्रगति दस्तावेज
- सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण रिपोर्ट द्वारा नीति आयोग GoI

अध्याय ९

स्वास्थ्य

अध्याय 9

स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों के अनुरूप, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तारित करना शामिल है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और मशीन लर्निंग सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत डिजिटल तकनीकों को शामिल करना शामिल है। मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे का विस्तार भी प्राथमिकता बनी हुई है। ई-स्वास्थ्य (E-Health) को भी बढ़ावा निरंतर देते हुए गुणवत्ता एवं आधुनिकता सुनिश्चित की जा रही है।

मध्यप्रदेश राज्य आयुष्मान भारत के चार क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा में प्रगति सहित, राज्य सरकार ने संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, गुणवत्ता सेवाओं के प्रावधान आदि के मामले में प्रगतिशील वृद्धि की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं, बच्चों और राज्य की वृद्ध आबादी पर विशेष ध्यान देने के साथ अपने वार्षिक बजट का विस्तार किया है, ताकि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी संचालित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। आयुष्मान योजना के अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में अपेक्षित प्रगति हुई है। आयुष्मान कार्डों को आधार केवाईसी से सत्यापित किया गया है, पीएम जय योजना में पुरानी बीमारी भी सम्मिलित की जाती है एवं प्रदेश में लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बजट विवरण:

तालिका 9.1 विभागीय बजट (तीन वित्तीय वर्ष)

निदेशालय/संचालनालय	बजट (करोड़ में)		
	2021-22	2022-23	2023-24
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	10,627.73	12,123.07	12,943.02
चिकित्सा शिक्षा	2,071.82	2,661.30	3,864.64
आयुष	639.99	624.24	750.91

स्रोत - संबंधित निदेशालय/संचालनालय

9.1 स्वास्थ्य अधोसंरचना

मध्यप्रदेश सरकार व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने और शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार मजबूत कर रही है। हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम और शिक्षा जैसे नवाचारों

के साथ चिकित्सा शिक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय निर्णयों के अनुसार, मध्यप्रदेश तकनीकी, उच्च और चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों को हिंदी में परिवर्तित कर रहा है। इस पहल में एक हिंदी सेल की स्थापना और समर्पित चिकित्सा शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं।

मध्यप्रदेश वर्तमान में 14 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन कर रहा है, जो 2,275 एमबीबीएस और 1,262 स्नातकोत्तर सीटें प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में 12 चिकित्सा महाविद्यालय हैं जो 2,400 एमबीबीएस और 830 स्नातकोत्तर सीटें प्रदान कर रहे हैं। इंदौर के सरकारी डेंटल कॉलेज में 63 बीडीएस और 30 एमडीएस सीटें हैं, जबकि निजी डेंटल कॉलेजों में 1,320 बीडीएस और 266 एमडीएस सीटें राज्य की शैक्षिक क्षमता में वृद्धि करती हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई) के चरण I और II के तहत, विदिशा, दतिया, खंडवा, रत्लाम, शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और सतना में 08 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई) के तीसरे चरण में, भारत सरकार ने राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में 06 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी है और प्रत्येक महाविद्यालय को ₹. 325 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य पूरा होने पर 900 एम.बी.बी.एस. सीटें जोड़ना है। राज्य सरकार ने कई नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तपोषण प्रदान किया है, जिसमें मंडला (₹. 249.63 करोड़), राजगढ़ (₹. 256.55 करोड़), सिंगरौली (₹. 289.47 करोड़), श्योपुर (₹. 288.50 करोड़), नीमच (₹. 287.45 करोड़) और मंदसौर (₹. 302.26 करोड़) शामिल हैं, कुल ₹. 1,167.94 करोड़। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर चिकित्सा महाविद्यालयों में 652 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए ₹. 615 करोड़ की मंजूरी मिली है। सी.एस.एस. के तहत, विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में नए नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना के लिए ₹. 192.40 करोड़ के कुल बजट के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रत्येक महाविद्यालय को ₹. 14.80 करोड़ प्रदाय होंगे।

भारत सरकार के समर्थन से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए गए हैं। इंदौर और जबलपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में एक राज्य स्वास्थ्य सहायक केंद्र विकसित किया जा रहा है। ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय में ₹. 42.00 करोड़ के बजट के साथ एक टर्सीरी कैंसर केयर केंद्र और जबलपुर चिकित्सा महाविद्यालय में ₹. 153.09 करोड़ के बजट के साथ स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त, भोपाल में ₹. 55.63 करोड़ के बजट के साथ एक क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान और ₹. 84.94 करोड़ के बजट के साथ एक ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्थोपेडिक’ स्थापित किया जाएगा।

राज्य सरकार ने छतरपुर (₹. 300 करोड़), दमोह (₹. 266.71 करोड़), बुदनी (₹. 714.91 करोड़), सिवनी (₹. 328.84 करोड़) और उज्जैन (₹. 592.30 करोड़) में नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए राशि आवंटित की है, जिससे 600 अतिरिक्त एम.बी.बी.एस. सीटें बढ़ेंगी। भोपाल में ₹. 507.12 करोड़ की लागत से एक नया 1498 बेड वाला अस्पताल पूरा किया गया है। इसके अलावा, जबलपुर और इंदौर में क्रमशः ₹. 24.75 करोड़ और ₹. 39.69 करोड़ के बजट के साथ ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन’ और ‘स्कूल ऑफ

एकसीलेंस फॉर आई' स्थापित किए गए हैं। खरगोन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी, पन्ना, कटनी, बैतूल, रायसेन, मुरैना और उज्जैन में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के बाद, राज्य में एम.बी.बी.एस. सीटों की संख्या बढ़कर 5,360 होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश में 14 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, 12 निजी चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में 1 सरकारी डेंटल कॉलेज, 14 निजी डेंटल कॉलेज, 39 सरकारी नर्सिंग कॉलेज, 485 निजी नर्सिंग कॉलेज, 19 सरकारी जी.एन.एम. कॉलेज, 448 निजी जी.एन.एम. कॉलेज, 22 सरकारी ए.एन.एम. कॉलेज, और 75 निजी ए.एन.एम. कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्थानों की एक विविध श्रेणी है।

राज्य ने अंग प्रत्यारोपण के लिए सुविधाएं स्थापित की हैं, जिनमें जिगर, गुर्दा, हृदय और आंखों के प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत संस्थान, साथ ही त्वचा, हड्डी और आंखों के बैंक शामिल हैं। जबलपुर में ₹ 9.50 करोड़ के बजट के साथ एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट और रिसर्च यूनिट को मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश के कई चिकित्सा महाविद्यालयों को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त हुई है। उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में यह प्रक्रिया जारी है। 6पर्याप्त बजट वृद्धि, नए चिकित्सा और नर्सिंग महाविद्यालयों, विशेष अस्पतालों, और हिंदी माध्यम शिक्षा में संक्रमण के साथ, राज्य अपने निवासियों को गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सेवाएं प्रदान करने कर रहा है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत 10,157 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 161 सिविल अस्पताल एवं 52 जिला अस्पताल मध्यप्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आईपीडी सुविधा के रूप में 47,167 बेड उपरोक्त सभी 12,160 केन्द्र में उपलब्ध हैं।

तालिका 9.2 मध्यप्रदेश में आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

क्र.सं.	सुविधा का प्रकार	संख्या
1	आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (आयुष-एचडब्ल्यूसी) / आयुष आरोग्य मंदिर	800
2	आयुर्वेद औषधालय	1,496
3	होम्योपैथी औषधालय	213
4	यूनानी औषधालय	64
5	आयुष कॉलेज और अस्पताल	09
6	जिला स्तरीय आयुष अस्पताल	18
7	ग्राम और ब्लॉक स्तर के आयुष अस्पताल	05
8	एलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेद आयुष विंग	31
9	एलोपैथिक अस्पतालों में होम्योपैथी आयुष विंग	05

स्रोत - आयुष निदेशालय

भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में “आयुष आरोग्य मंदिर” (एच.डब्ल्यू.सी.) विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें से 800 केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं, जो वस्तुतः आयुर्वेद औषधालय, होम्योपैथी औषधालय एवं यूनानी औषधालय को अपग्रेड कर सुनिश्चित किए गए हैं। मध्यप्रदेश में, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी औषधालयों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। आयुष कॉलेज और जिला अस्पताल राज्य में माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं।

9.2 आयुष्मान भारत

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर/स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र – ‘आरोग्यम’

लोगों को उनके निवास स्थान के पास बेहतर और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र) के रूप में विकसित किया गया है, जिन्हें “आरोग्यम” नाम दिया गया है।

लैब जांच
• 80 PHC पर
• 17 उप स्वास्थ्य केंद्र पर
आवश्यक दवाएं
• 299 PHC पर
• 126 उप स्वास्थ्य केंद्र पर

चित्र 1 एचडब्ल्यू.सी./आरोग्यम में प्रयोगशाला परीक्षण और आवश्यक दवाएं

“आरोग्यम” स्वास्थ्य केन्द्रों में न केवल वर्तमान में प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, बल्कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों से संबंधित सेवाओं और शीघ्र पहचान, नियंत्रण और उपचार सहित अन्य बीमारियों से संबंधित सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है। बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में निम्नलिखित आवश्यक परीक्षण और दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ, यह बड़े ढांचे में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPEx) को कम करेगा और माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों की संख्या को भी कम करेगा। वर्ष 2023-24 में लक्षित और परिचालन वाले एचडब्ल्यू.सी संस्थानों की स्थिति (मार्च 2024) अधोलिखित है:-

तालिका 9.3 सक्रिय संस्थानों की स्थिति

संस्था	लक्ष्य	सक्रिय	सक्रिय संस्थानों का प्रतिशत
पीएचसी	1178	1178	100%
यूपीएचसी	924	355	39%
एसएचसी	10,989	10,261	94%
कुल	13,091	11,794	91%

आरोग्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों अर्थात् आरोग्यम में 12 सेवाओं का प्रावधान किया गया है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म में देखभाल, नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, बाल और किशोर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएं और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित संचारी रोगों का प्रबंधन, सामान्य संचारी रोगों का प्रबंधन और साधारण बीमारियों और छोटी बीमारियों के लिए बाह्य रोगी देखभाल, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, सामान्य नेत्र और ईएनटी समस्याओं की देखभाल, बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल, बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, और मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की स्क्रीनिंग और बुनियादी प्रबंधन।

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत, बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

- योग और कल्याण गतिविधियाँ
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन
- फिट स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभियान
- फिट इंडिया अभियान

गैर-संचारी रोगों का पता लगाने और उपचार के लिए, 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए गैर-संचारी रोगों की निःशुल्क जांच और स्क्रीनिंग नियमित रूप से सप्ताह के प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को सभी आरोग्यम केंद्र में की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धि इस प्रकार है

- कुल 99.62 लाख व्यक्तियों का पंजीयन हुआ।
- कुल 17.36 लाख व्यक्तियों की गैर-संचारी रोगों के लिए जांच की गई।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM): मध्यप्रदेश में 5 वर्षों के मिशन (वित्त वर्ष 2021-2026) के तहत 50 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (37 जिला अस्पताल और 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज), 52 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 196 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (BPHUs) को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में, अनुमोदित कार्य के सापेक्ष 6 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 24 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और शेष कार्य निर्माणाधीन है। भारत सरकार से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 380.87 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं एवं मार्च 2024 तक रु. 300.56 करोड़ व्यय हुए।

पीएम जय (PM-JAY) राज्य की लगभग 70% आबादी को कवर करते हुए, आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना को राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को रोगी देखभाल और अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय प्रदान करने के लिए राज्य में लागू किया जा रहा है। यह योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के अस्पताल में भर्ती व्यय प्रदान करती है। यह योजना 60:40 के राजकोषीय अनुपात में केंद्र के समर्थन से लागू है।

93 लाख परिवार

अतिरिक्त 15 लाख परिवार

108 लाख परिवार



वित्त 2 पीएम-जय के लाभार्थी

- भवन और अन्य निर्माण कार्य परिवारों (एसएचए म.प्र.) - 65 लाख व्यक्ति
- गैस त्रासदी के शिकार - 5 लाख व्यक्ति
- संबल - 'निरामयम' के तहत 1.59 करोड़ व्यक्ति

इस योजना के तहत लगभग 3,500 लाभार्थी उपचार प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आयुष्मान भारत के तहत प्रति उपचार औसत लागत लगभग 16,000 रुपये है। मध्यप्रदेश ने लगभग 1005 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया


है, 493 अस्पताल सरकारी संस्थान है जैसे जिला अस्पताल सीएचसी, पीएचसी, मेडिकल कॉलेज, 512 निजी अस्पताल हैं और लगभग 30 अस्पताल केंद्र सरकार/भारत सरकार के अस्पताल हैं। औसत दावा प्रतिशत निजी क्षेत्र का 54% और सार्वजनिक क्षेत्र का 46% है, इस प्रकार दोनों क्षेत्र योजना की सफलता में समान रूप से योगदान दे रहे हैं। चिरायु मेडिकल कॉलेज, महाराजा यशवंत राव, जय आरोग्य अस्पताल, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एसजीएमएच और जीएमएच रीवा, जेएलएन कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, नेताजी सुभाष चंद बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, हमीदिया अस्पताल, एसएसआईएमएस अस्पताल, कैंसर अस्पताल, जन विकास न्यास द्रस्ट इस योजना के तहत 10 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अस्पताल हैं। विगत दो वर्षों में प्रोत्साहन के रूप में वितरित राशि का विवरण

बार चार्ट (चित्र 3) के माध्यम से चित्रित किया गया है।

आयुष्मान भारत कार्यालय द्वारा नवाचार के रूप में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने सभी 3.56 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। यह योजना राज्य में आईएमआर और एनएमआर को कम करने के लिए चयनित जिलों में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) के मामलों को भी कवर कर रही है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत के सूचीबद्ध अस्पतालों की व्यवस्थित विस्तृत और नियमित अस्पताल रैंकिंग जारी करने वाला देश का पहला राज्य है।

मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) – आभा आईडी/ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) नंबर का उपयोग (केवल रोगी की सूचित सहमति से) व्यक्तियों की विशिष्ट पहचान, प्रमाणीकरण और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को विभिन्न प्रणालियों और हितधारकों के बीच जोड़ने के उद्देश्य से किया जाता है। राज्य में 4,31,34,095 आभा आईडी उत्पन्न किए गए हैं, एवं आभा उत्पन्न करने में मध्यप्रदेश शीर्ष 5 अग्रणी राज्यों में है। जेन्डर के दृष्टिकोण से देखने पर, हम लगभग बराबर अनुपात देख सकते हैं, जिसमें 51% पुरुष और 49% महिला आईडी बनाई गई है। इसके अलावा 1,48,43,167 स्वास्थ्य/हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किए गए हैं और 4,85,162 स्कैन तथा शेयर टोकन जारी किए गए हैं। 13,258 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रियों को सत्यापित किया गया है, एवं मध्यप्रदेश

पब्लिक सेक्टर - तुलनात्मक दो वर्ष



चित्र 3 दो वर्षों में वितरित प्रोत्साहन राशि - (डाटा स्रोत आ. भा. कार्यालय)


देश में 8वें स्थान पर है; जिसमें 75% सरकारी और 25% निजी सुविधाएं शामिल हैं। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) सभी स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में शामिल स्वास्थ्य पेशेवरों का एक व्यापक संकलन है, जिसमें आधुनिक और पारंपरिक दोनों चिकित्सा प्रणालियाँ शामिल हैं। हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) में नामांकन करने से उन्हें भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने में मदद मिलेगी। 4,127 हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) को सत्यापित किया गया है। ABDM माइक्रोसाइट अंतर्गत राज्य में माइक्रोसाइट्स की स्थापना के लिए 6 साइटों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सीहोर और उज्जैन) की पहचान की है।

9.3 प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग सभी के स्वास्थ्य और कल्याण और सार्वभौमिक कवरेज पर ध्यान देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। संबंधित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

9.3.1 मातृ स्वास्थ्य

मातृ स्वास्थ्य से तात्पर्य गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से है। इसमें मातृ और नवजात शिशु देखभाल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं, सेवाओं और परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना, समुदायों को शिक्षित करना, एवं उन सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करना शामिल है जो महिलाओं को आवश्यक देखभाल प्राप्त करने में बाधा हैं। मातृ स्वास्थ्य के तहत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं:-



चित्र 4 मध्यप्रदेश मातृ मृत्यु दर परि लाख जीवित जन्म (डाटा सोत - SRS)

1. गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच सेवाओं को मजबूत करना
2. महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम और उपचार
3. संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसव केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।
4. एफआरयू के संचालन के लिए 24 घंटे का सीजेरियन सेक्षन।
5. प्रसूति आईसीयू - आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता
6. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपकरण, सामग्री, दवाएं, भोजन, प्रयोगशाला परीक्षण, यूएसजी, रक्त आधान और मुफ्त परिवहन की सुविधा।
7. लक्ष्य- गुणवत्ता मानकों के आधार पर लेबर रूम और ओटी।

8. मातृ मृत्यु समीक्षा का प्रमाणन
9. प्रशिक्षण- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल का उन्नयन
10. प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए - प्रसूति सहायता योजना और जननी सुरक्षा योजना।
11. प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सूचकांकों को कम करने की प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिये राज्य शासन द्वारा जनवरी 2022 में टास्कफोर्स का गठन किया गया है।
12. **प्रसवपूर्व जांच में गुणवत्ता** - भारत सरकार द्वारा बनाए गए “अनमोल ऐप” में आवश्यक संशोधन कर विभाग ने एक नया ऐप ‘एमपी अनमोल’ बनाया है, जिसकी मदद से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को ट्रैक किया जा रहा है। डाक्टर/सीएचओ द्वारा गर्भवती महिलाओं की एक एएनसी जांच का भी प्रावधान है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 16.28 लाख गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया है।
13. **महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम और उपचार** - एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर इंजेक्शन आयरन सुक्रोज और इंजेक्शन एफसीएम का उपयोग उच्च प्रसव दर वाले संस्थानों में प्रसवोत्तर एनीमिया के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। गंभीर एनीमिया के प्रबंधन के लिए 50 ब्लड बैंक और 120 ब्लड स्टोरेज यूनिट कार्यरत हैं। गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन परीक्षण के लिए जिलों को 19,424 डिजिटल हीमोग्लोबिनमीटर की आपूर्ति की गई है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल और सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से चिन्हित रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग की जा रही है। उच्च प्राथमिकता वाले 23 जिलों में गर्भवती महिलाओं को एस्कॉर्बेट की गोलियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।
14. **डेलीवरी पॉइंट्स/प्रसव स्थल**- प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1,743 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रसव केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इनकी पहचान का विस्तार करने और 1600 संस्थानों को आत्मनिर्भर भारत के तहत ‘अत्याधुनिक वितरण केंद्र’ के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
15. **ओब्स्टेट्रिक आईसीयू** - प्रदेश में 35 जिला चिकित्सालयों तथा 5 मेडिकल कालेजों में ओब्स्टेट्रिक आईसीयू की स्थापना की गई है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में संचालित प्रसूति आईसीयू/एचडीयू में गंभीर जटिलताओं वाली कुल 13,500 से अधिक गर्भवती महिलाओं का प्रबंधन किया गया है।
16. **स्किल लैब**- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रदेश के 7 मंडलों में स्किल लैब संचालित की जा रही है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 218 बैचों में 2,792 चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्सों और एएनएम को प्रशिक्षित किया गया है।
17. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सरकारी संस्थानों में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त दवाएं, भोजन, प्रयोगशाला जांच, यूएसजी,

रक्त आधान और परिवहन के लिए मुफ्त गाहनों की व्यवस्था की जाती है।

18. **मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना** - इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवत्स्था, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की शीघ्र पहचान करना है। प्रसवोत्तर टीकाकरण को उचित बढ़ावा और महिलाओं और बच्चों संबंधी स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए रु. 16,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान करके अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।
19. **जननी सुरक्षा योजना**- जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने और संस्थागत प्रसव बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सरकारी अस्पताल में जन्म देने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को रु. 1,400/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है और शहरी क्षेत्र की महिला को रु. 1000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 10.03 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। उपरोक्त दोनों योजनाओं का भुगतान पात्र लाभार्थियों द्वारा आरसीएच पोर्टल में ई-वित के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

वर्ष 2023-24 - 6.10 लाख लाभार्थी।

बॉक्स 1 मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता

सुमन कार्यक्रम - राज्य स्तर पर सुमन कार्यक्रम के तहत 27 मार्च 2021 को सुमन हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया था। राज्य स्तरीय एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर एवं जिला स्तर पर 6 मेडिकल कॉलेज तथा 51 जिला अस्पतालों में सुमन हेल्प डेस्क हैं, जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर नज़र रखने हेतु है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का समय पर प्रबंधन के लिए फॉलो अप किया जा रहा है। शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध है। राज्य स्तर से हर महीने लगभग 70,000 कॉल लाभार्थियों को किए जा रहे हैं।

मातृ स्वास्थ्य समीक्षा प्रणाली - प्रदेश में होने वाली प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों का पता लगाने एवं प्रत्येक मातृ मृत्यु का समाधान करने के उद्देश्य से राज्य, संभाग, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर मातृ मृत्यु की नियमित समीक्षा की जा रही है। मातृ मृत्यु समीक्षा प्रणाली (MDRS) की गुणवत्ता को मजबूत करने और सुधारने के लिये वर्ष 2023-24 में राज्य स्तर पर MDRS हेतु प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, एम्स भोपाल के सामुदायिक चिकित्सा विभाग, सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सभी जिलों के प्रतिभागियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। पीपीपी को मजबूत करने के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डीएचओ-1 और एफओजीसीआई के अध्यक्ष सहित कुल 65 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

नवाचार के रूप में राज्य स्तर पर मातृ मृत्यु की गोपनीय समीक्षा शुरू की जा रही है, जिससे मृत्यु के तकनीकी कारणों का निर्धारण कर वास्तविक स्थिति के अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

बॉक्स 2 मातृ स्वास्थ्य समीक्षा अभिनवीकरण

9.3.2 बाल स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों में गंभीर कुपोषण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (वर्ष 2005-2006) 12.6% से घटकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-2021) के अनुसार 6.5% वर्ष हुई है।

मध्यप्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) NFHS-3 (वर्ष 2005-2006) में 94 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर NFHS-5 (वर्ष 2019-2021) में 49.2 प्रति हजार जीवित जन्म हुई है।

मध्यप्रदेश में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं-

- बाल चिकित्सा इकाइयां:-** प्रदेश में 62 विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाई (एसएनसीयू) संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से गंभीर रूप से बीमार, कम वजन एवं समय से पूर्व नवजात शिशुओं का उपचार किया जाता है। इन इकाइयों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,31,163 नवजात शिशुओं का इलाज किया गया है।
- उप-जिला स्तर पर 196 नवजात स्थिरीकरण एकक (एनबीएसयू) कार्य कर रहे हैं। इन इकाइयों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 38,392 नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं।
- गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार और प्रबंधन के लिए 64 बाल गहन चिकित्सा एकक (पीआईसीयू) कार्य कर रहे हैं। इन पीआईसीयू में वर्ष 2023-24 में 99,939 बच्चों का इलाज किया गया है।
- सभी प्रसव केन्द्रों में नवजात शिशु देखभाल केन्द्र (एनबीसीसी) स्थापित किए जाते हैं, जिनमें आवश्यक नवजात परिचर्या के लिए सभी उपकरण, सामग्री एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होता है।
- नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए मध्यप्रदेश के अभिज्ञात जिलों में नवजात उच्च निर्मता यूनिट (एनएचडीयू) की स्थापना की गई है।

बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम - राज्य में एनीमिया और कुपोषण को दूर करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न साक्ष्य आधारित संस्थान और सामुदायिक हस्तक्षेप लागू किए जा रहे हैं। राज्य सरकार अपने कवरेज को अधिकतम करने के प्रयास से बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- मुस्कान कार्यक्रम (बाल स्वास्थ्य इकाइयों की गुणवत्ता):** - वर्ष 2022-23 में 31 संस्थानों में से, 18 संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन पूरा हो चुका है, 18 संस्थानों ने मुस्कान राष्ट्रीय प्रमाण पत्र के लिए अर्हता प्राप्त की है। म.प्र. के पास देश में सबसे अधिक MusQan प्रमाणित संस्थान होने का रिकॉर्ड है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुस्कान प्रमाणीकरण हेतु 65 संस्थाओं को चिन्हित किया गया है।

बॉक्स 3 बाल स्वास्थ्य इकाइयों की गुणवत्ता

- क. दस्तक अभियान (गृह भ्रमण आधारित संयुक्त रणनीति) -** 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बाल मृत्यु के प्रमुख कारणों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के लिए “दस्तक अभियान” का आयोजन करती है। प्रदेश में जुलाई से अगस्त 2023 के दौरान दस्तक अभियान का आयोजन किया गया, कुल 81.34 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। डिजिटल हीमोग्लोबिनमीटर के माध्यम से कुल 62.83 लाख बच्चों की एनीमिया के लिए जांच की गई, 8,327 गंभीर रूप से एनीमिक बच्चों को रक्त चढ़ाया गया। अभियान में 9 माह से 6 वर्ष तक के 72.53 लाख बच्चों को विटामिन ए सिरप की खुराक प्रदान की गई।
- ख. बाल कुपोषण उपचार रणनीति -** महिला एवं बाल विकास तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए एकीकृत प्रबंधन रणनीति लागू कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत, समुदाय आधारित सी-सैम (C-SAM) कार्यक्रम में पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से गंभीर रूप से तीव्र कुपोषण (SAM) बच्चों को सामान्य पोषण स्थिति में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गंभीर रूप से कुपोषित बीमार और चिकित्सकीय रूप से जटिल बच्चों के संस्थागत प्रबंधन के लिए, राज्य में जिला और ब्लॉक स्तर पर 315 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हैं; जहां गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों का उपचार मानक मानदंडों के अनुसार किया जाता है। उक्त केन्द्रों में दाखिल किए गए गैर-उत्तरदाता और गंभीर सह-रुण बच्चों, जिन्हें बेहतर/अतिरिक्त नैदानिक जांच और प्रबंधन की आवश्यकता होती है, को एसएमटीयू/एनआरसी/स्मार्ट यूनिट (एम्स, भोपाल) और मेडिकल कॉलेजों में भेजा जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में इन केन्द्रों में लगभग 66,230 बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों (SAM) का इलाज किया गया है।
- ग. एनीमिया मुक्त भारत/NIPI कार्यक्रम -** यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा, स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में, 58,506 प्राथमिक विद्यालयों, 33,970 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाभार्थियों और 96,882 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में, लगभग 133.25 लाख बच्चों/किशोरों को आयु विनियोजित आईएफए दवाएं प्रदान की गई।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)

राज्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) लागू किया जा रहा है। आरबीएसके के तहत, मोबाइल स्वास्थ्य दल वर्ष में दो बार आंगनबाड़ी केंद्रों (जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए) और स्कूलों में (6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए) वर्ष में एक बार दौरा कर रहे हैं। आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चों की 4 D/डी यानी जन्म के समय दोष, कमी, बचपन की बीमारियां, विकासात्मक देरी और विकलांगता हेतु जांच की जा रही है। जिन लाभार्थियों की जांच की जाती है जिन्हें उन्नत सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं भेजी जाती हैं।

वर्ष 2023-24 में कुल 139.00 लाख बच्चों का परीक्षण किया गया, जिसमें 19.07 लाख (पॉजिटिव) बच्चों को आगे की जांच और उपचार की आवश्यकता थी, जिसमें से कुल 17.53 लाख बच्चों का उपचार किया गया। कुल 26,147 बच्चों की (मेजर या माइनर) सर्जरी की गई है। इन बच्चों का जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज

और अन्य तृतीयक स्तर के चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क इलाज किया गया, वित्तीय वर्ष में गंभीर जन्मजात हृदय रोग से ग्रस्त कुल 1459 बच्चों का उपचार मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए तीव्र रोगों की शीघ्र निदान और बीमारी का समय पर उपचार किया जा रहा है। लाभार्थियों की संख्या 110 न्यूरल ट्यूब दोष, 1050 कटे होंठ और तालू, 1892 क्लब फुट और 16 डीडीएच (अप्रैल 2023 - मार्च 2024) रही। आरबीएसके कार्यक्रम के तहत, 51 जिला प्रारंभिक केंद्र क्रियाशील हैं, जिसके तहत चिकित्सीय और परामर्श सेवाओं की आवश्यकता वाले कुल 1,78,616 बच्चों का इलाज फिजियोथेरेपिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा किया गया।

9.3.3 परिवार कल्याण कार्यक्रम

परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल से 31 मार्च) में 3,29,423 नसबंदी ऑपरेशन किए गए हैं, 3,31,575 आईयूसीडी डाले गए हैं, जिनमें से 2,48,384 प्रसव के बाद और 83,191 जन्म अंतराल पर डाले गए हैं। अंतरा अंतर्गत 91,540 महिला गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगाए गए हैं। 8,23,745 साप्ताहिक मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों (छाया) का वितरण सुनिश्चित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 52,38,135 गर्भनिरोधक गोलियों (माला-एन) का कुल वितरण सुनिश्चित किया गया है।

9.3.4 प्रतिरक्षण (टीकाकरण)

मध्यप्रदेश में FIC (FIC): स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (Health Management Information System-HMIS) रिपोर्ट अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक मप्र में 95% का पूर्ण टीकाकरण कवरेज (FIC) इंगित करती है।

जापानी एन्सेफलाइटिस (JE) अभियान: प्रदेश में Japanese Encephalitis (JE) अभियान का प्रथम फेस दो चयनित जिलों (विदिशा एवं रायसेन) में दिनांक 10 अप्रैल से 8 जून 2023 तक आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत 1 से 15 वर्ष आयुर्वर्ग के 2.61 लाख बच्चों को Japanese Encephalitis वैक्सीन लगाई गई। साथ ही द्वितीय फेस 4 जिलों (भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम एवं सागर) में दिनांक 27 फरवरी 2024 से आयोजित किया जा रहा है जिसमें दिनांक 31 मई 2024 तक 7.30 लाख 1 से 15 वर्ष के बच्चों को टीकाकृत किया जा चुका है।

सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI 5.0): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, मध्यप्रदेश ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 में तीन चरणों में IMI 5.0 का संचालन किया। कुल 2 लाख सत्रों का आयोजन किया गया, 0 से 5 वर्ष की आयु के 6.55 लाख लाभार्थियों और 1.06 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है।

UWIN पोर्टल: प्रदेश में नियमित टीकाकरण की कवरेज रिपोर्टिंग हेतु COWIN पोर्टल की तर्ज पर U-WIN पोर्टल का प्रारम्भ 1 अगस्त 2023 से किया गया। जिसमें टीकाकरण सत्र का आयोजन, ड्यूलिस्ट का निर्माण, आगामी टीकों की जानकारी, ड्रॉपआउट/लेफ्टआउट बच्चों की ट्रेकिंग/ट्रेसिंग, टीकाकरण पश्चात् प्रमाण-पत्र जैसी कई अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं।

नियमित टीकाकरण स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण: भारत सरकार से प्राप्त नियमित टीकाकरण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण मॉड्यूल को मध्यप्रदेश में संभागवार मास्टर प्रशिक्षिकों को

प्रशिक्षित किया गया था। जिसके क्रम में समस्त जिलों में लगभग 9 हजार से ज्यादा ए.एन.एम. को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये पहल टीकाकरण कवरेज बढ़ाने और आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

SNID अभियान: पोलियो मुक्त रहने के लिये राज्य के उद्देश्य को बनाए रखने के लिये मध्यप्रदेश के 16 जिलों में क्रमशः 28 मई और 10 दिसम्बर 2023 को SNID को दो चरणों में प्रशासित किया गया। जिसके दौरान लक्षित 37.55 लाख लाभार्थियों यानी लक्षित आबादी के 99% के मुकाबले आयु वर्ग (0-5 वर्ष) के 37.05 लाख लाभार्थियों को पोलियो ड्रॉप दिए गए।

9.3.5 रेफरल परिवहन



संजीवनी 108	1002 (167 एएलएस + 835 बीएलएस)
केंद्रीकृत 108 कॉल सेंटर	8.16 लाख लाभार्थी - 2022-23 13.45 लाख लाभार्थी - 2023-24
जननी एक्सप्रेस सर्विस	1 वर्ष से कम उम्र के पीडब्लू और बीमार बच्चों के लिए 1059। 14.67 लाख लाभार्थी - 2022-23 17.82 लाख लाभार्थी- 2023-24

बॉक्स 4 पीपीपी मोड रेफरल सेवाएं

रेफरल सेवाओं का पीपीपी मोड के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है, वर्षवार उपलब्धियां बॉक्स में इंगित हैं।

9.3.6 शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, मुख्य रूप से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों हेतु राज्य में 928 शहरी स्वास्थ्य संस्थानों को समुदाय को कुशल और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं।
2. 15वें वित्त आयोग के तहत, भारत सरकार ने राज्य में 783 (शहरी-एचडब्ल्यूसी) को मंजूरी दी है, जिनमें से 214 शहरी-एचडब्ल्यूसी मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लिनिक के रूप में परिचालित हैं।
3. औसतन 50 हजार की आबादी वाले कैचमेंट एरिया में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औसतन 20-25 हजार आबादी के कैचमेंट एरिया में संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लिनिक (शहरी-एचडब्ल्यूसी) संचालित हैं।
4. सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों को हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टरों के रूप में स्तरोन्तर करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
5. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और शहरी-एचडब्ल्यूसी में उपलब्ध सेवाओं को नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 9.4 अर्बन एचडब्ल्यूसी में सेवाओं के प्रकार

12 प्रकार की स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएं	नि: शुल्क परामर्श
नि: शुल्क 67 प्रकार के परीक्षण	नि: शुल्क 208 प्रकार की दवाएं
परामर्श सेवाएं	रेफरल सेवाएं
आउटरीच सेवाएं	कल्याण सेवाएं

6. 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक - शहरी स्वास्थ्य संस्थानों (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक/पॉलीक्लिनिक (शहरी-एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से 51,40,497 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इनमें 2,35,259 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, प्रथम तिमाही में 1,72,255 महिलाओं का पंजीयन एवं कुल 1,87,489 गर्भवती महिलाओं की 04 जांच सेवाएं आयोजित की गईं।
7. नगरीय स्वास्थ्य संस्थाओं (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक (शहरी-एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से कुल 17,86,526 प्रयोगशाला परीक्षण किए गए।
8. शहरी स्वास्थ्य संस्थानों (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक (शहरी-एचडब्ल्यूसी) में कुल 4,48,254 उच्च रक्तचाप और 3,27,345 मधुमेह रोगियों की पहचान की गई और उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं।
9. शहरी आशा और महिला आरोग्य समिति के सदस्यों द्वारा शहरी गरीब मलिन बस्तियों में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और गैर-संचारी रोगों से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और शहरी स्वास्थ्य संस्थानों (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक (शहरी एचडब्ल्यूसी) को भी आवश्यकता के अनुसार संदर्भित किया जा रहा है।

9.4 गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम

भारत सरकार के कैबिनेट निर्णय के माध्यम से मान्यता और गुणवत्ता संवर्धन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित भारतीय गुणवत्ता परिषद - QCI स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, जो गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के प्रचार, अनुकूलन, पालन में राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, QCI के लिए नोडल बिंदु हैं। QCI 185 अर्थव्यवस्थाओं के बीच ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (GQII) में 5 वें स्थान पर है। प्रमुख मान्यताएं एनएबीएल (NABL), अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड/NABH, NABCB, NABET & NBQP हैं। गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए, राज्य सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएस/NQAS) और कायाकल्प मानकों के अनुसार मजबूत किया जा रहा है। वर्ष 203-24 में निम्नलिखित गुणवत्ता मानक प्राप्त किए गए हैं:-

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस)

जिलों और राज्य स्तर की टीमों के निरंतर प्रयासों के साथ, बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त कर रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-मार्च 2024 तक, 11 जिला अस्पतालों, 09 सिविल अस्पतालों, 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) एवं 30 उप स्वास्थ्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) (कुल -101 स्वास्थ्य संस्थाये) ने एन.क्यू.ए.एस के तहत राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त किया है। संचयी, कुल 131 स्वास्थ्य संस्थाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर एन.क्यू.ए.एस प्रमाणन प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, कुल 1498 स्वास्थ्य संस्थाओं ने राज्य स्तरीय एन.क्यू.ए.एस प्रमाणन प्राप्त किया है एवं ये संस्थाये राष्ट्रीय प्रमाणन के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की एन.क्यू.ए.एस प्रमाणित संस्थाओं को भारत सरकार की गाइडलाइन अनुरूप प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन संस्थाओं के लिए बुनियादी सेवा पैकेजों के अलावा 15% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

कायाकल्प कार्यक्रम-

कायाकल्प पुरस्कार योजना के तहत, 8 विषयगत क्षेत्रों के सापेक्ष स्वास्थ्य संस्थाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें सुविधा का रख-रखाव, स्वच्छता और स्वच्छता, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (बीएमडब्ल्यू), संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता संवर्धन, चहारदीवारी के बाहर स्वच्छता और पर्यावरण के अनुकूल पैरामीटर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 37 जिला अस्पताल, 211 सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 414 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 168 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (युपीएचसी/ युसीएचसी) और 1164 उप स्वास्थ्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी); कुल मिलाकर 1994 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प मानकों के अनुसार विकसित किया गया है और कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त किए हैं एवं नकद प्रोत्साहन दिए गए हैं जिनका उपयोग इन स्वास्थ्य संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल अस्पताल मानकों के अनुसार भी स्वास्थ्य संस्थाये विकसित की जा रही हैं। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऊर्जा ऑडिट करवाया जा रहे हैं, कम ऊर्जा खपत के लिए ऊर्जा संरक्षण उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर-संचालित, कचरे का पुनर्चक्रण, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना जैसे कागज की दो तरफा छपाई आदि को लागू किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य संस्थाओं के वित्तीय व्यय को कम करने में भी सहायक है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं ने अग्नि और विद्युत सुरक्षा ऑडिट का संचालन किया है और उनकी सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू किया है और कुल 677 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं ने अग्नि सुरक्षा मानकों/स्थानीय कानूनों के अनुसार अग्नि लेखा परीक्षा/एनओसी प्राप्त की है।

46 जिला अस्पतालों, 26 सिविल अस्पतालों और 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के रेडियोलॉजी विभागों (एक्स-रे रूम) में स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं और रोगियों के लिए विकिरण सुरक्षा हेतु परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (AERB) के नियमों के अनुसार कुल 104 स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं विकसित की गई हैं और इन सुविधा केन्द्रों में एक्स-किरण यूनिटों के प्रचालन के लिए ए.ई.आर.बी. प्राधिकार प्राप्त किया गया है।

मध्यप्रदेश भारत का दूसरा राज्य है जिसने एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR/ ए.एम.आर.) नीति विकसित और कार्यान्वित की है। मध्यप्रदेश ए.एम.आर. राज्य कार्य योजना, राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं एम्स भोपाल, द्वारा एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), पशुपालन, मत्स्य पालन, आयुष, कृषि जैसे अन्य

सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित की गई है। ए.एम.आर नीति के विकास के दौरान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन आदि जैसे अन्य हितधारकों की भी राय ली गई थी। लगभग 1,000 सरकारी और निजी डॉक्टरों को जागरूकता उद्देश्य और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को कम करने हेतु ऑनलाइन मंच के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

मेडिकल कॉलेजों में अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)

भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा प्रमाणित एनएबीएच मेडिकल कॉलेजों का प्रत्यायन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देश भर के अस्पतालों को मान्यता देता है। बोर्ड का उद्देश्य स्वास्थ्य उद्योग में गुणवत्ता के लिए उच्च मानकों का निर्माण करना और इसके लाभ समुदाय को प्रदान करना है। रीवा, जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी, ग्वालियर एवं विदिशा में संचालित मेडिकल कॉलेजों को एनएबीएच मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इंदौर और भोपाल के मेडिकल कॉलेजों में निरीक्षण के बाद एनएबीएच प्रत्यायित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। एनएबीएच प्रत्यायन की प्रक्रिया सभी मेडिकल कालेजों में एक सतत प्रक्रिया है।

नैदानिक, ओपीडी, उपचार सुविधाएं

मेडिकल कॉलेजों में सीटी/एमआरआई स्कैन सुविधाएं - वर्तमान में विभाग की छिंदवाड़ा, ग्वालियर और रीवा में अपनी सीटी स्कैन सुविधाएं हैं; इसके अलावा भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पीपीपी के माध्यम से सीटी स्कैन सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। विभाग के पास ग्वालियर में अपनी एमआरआई सुविधाएं हैं; भोपाल, इंदौर और जबलपुर मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मोड पर एमआरआई स्कैन सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

मेडिकल कॉलेजों में रेखिक त्वरक (Linear Accelerator Facilities) सुविधाएं - विभाग भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में रेखिक त्वरक सुविधा प्राप्त कर रहा है।

कैंसर देखभाल सेवाएं

जिला अस्पताल स्तर पर डे-केयर कीमोथेरेपी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, वर्ष 2023-24 में 9036 रोगियों को डे-केयर कीमोथेरेपी सेवाएं प्रदान की गई हैं।

इन डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी सेवाओं को चुनिंदा 30 उच्च ओपीडी सिविल अस्पतालों तक बढ़ाया गया था, जिससे प्रभावित लोगों के लिए डे-केयर कीमोथेरेपी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है।

जिला अस्पतालों में 42 प्रकार की कैंसर रोधी औषधि उपलब्ध हैं।

सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर और मुख कैंसर के लिए 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के जनसंख्या आधारित जांच की जा रही है।

तालिका 9.5 कैंसर स्क्रिनिंग

वर्ष 2023-24	मुंह का कैंसर	स्तन कैंसर	सर्वाइकल कैंसर
जांच	69.2 लाख	32.1 लाख	9.4 लाख

सात प्रभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में से प्रत्येक में उपचार और क्षमता निर्माण के प्रयोजनों के लिए 02 थर्मल पृथक्करण उपकरण और 01 एलईईपी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

जिला अस्पताल/जिला स्तर पर 102 थर्मल एब्लेशन डिवाइस (प्रति जिले में 2 डिवाइस) मौजूद हैं।

ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्रोग्राम-

- + राज्य ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाओं को सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है। हब जिला अस्पताल में स्थित हैं और सभी उप-केंद्र/एचडब्ल्यूसी स्पोक्स के रूप में कार्य करते हैं।
- + एचडब्ल्यूसी/उप केंद्रों पर तैनात सीएचओ ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से जिला अस्पताल में हब में तैनात चिकित्सा अधिकारी से जुड़ता है और लाभार्थियों को टेलीकंसल्टेशन सेवाएं प्रदान करता है। टेलीमेडिसिन सेवाएं 10,000 से अधिक स्पोक्स के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जिनमें एसएचसी और यूपीएचसी शामिल हैं।
- + कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24,04,493 टेलीकंसल्टेशन पूरे किए जा चुके हैं।

विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन कार्यक्रम-

- + हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से बनाई गई सार्वजनिक निजी भागीदारी में राज्य के सभी 1202 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तीन विशेषज्ञताओं अर्थात् सामान्य चिकित्सा, बाल रोग और प्रसूति और स्त्री रोग में विशेषज्ञ टेलीकंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- + जबलपुर, सागर और रीवा संभाग के 20 जिलों के 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ये विशेषज्ञ टेलीकंसल्टेशन सेवाएं दी जा रही हैं। हब कोलकाता, भुवनेश्वर, नोएडा और जयपुर में स्थापित हैं। ग्लोबल हेल्थकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इसके लिए निजी भागीदार है, वित्तीय वर्ष 203-24 में 18,35,657 टेलीकंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं।
- + भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के 31 जिलों के 652 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ टेलीकंसल्टेशन सेवाएं दी जा रही हैं। आगरा, ग्वालियर, लखनऊ और मथुरा में हब स्थापित हैं। पवन श्री फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड निजी भागीदार है, वित्तीय वर्ष 203-24 में 24,48,304 टेलीकंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ई संजीवनी (@SHC एचडब्ल्यूसी 24,04,593) और विशेषज्ञ टेली परामर्श सेवाओं (@HWC 42,83,961) करते हुए संचयी 66,88,554 टेली परामर्श सुनिश्चित किए गए हैं।

9.5 अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम-मध्यप्रदेश संदर्भित

9.5.1 कुष्ठ रोग कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 8336 कुष्ठ रोगी पाए गए। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुष्ठ रोग की घटना दर 0.85 प्रति 10 हजार की आबादी पर, विकृति ग्रेड-2 की संख्या 262 (3.05 प्रति 10 लाख जनसंख्या) और बाल विकृति ग्रेड-2 के रोगियों की संख्या 3 है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 16 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक 30 जिलों में कुष्ठ रोग के मामले का पता लगाने का अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान कुल 2129 नए मामलों का पता चला।

9.5.2 राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम 28 जुलाई 2018 से प्रारंभ किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस-सी को समाप्त करना है एवं हेपेटाइटिस ए, बी, सी एवं ई के रोकथाम, जांच, तथा उपचार करना है।

मध्यप्रदेश के 51 जिला चिकित्सालय एवं 6 मेडिकल कॉलेज (सागर, शिवपुरी, शहडोल, रीवा, विदिशा एवं रतलाम) में ट्रीटमेंट सेंटर, 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर मेडिकल कॉलेज (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर) में स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त एम्स भोपाल एवं BMHRC में भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

- गर्भवती महिलाओं की जाँच:- प्रदेश में 14,13,,118 गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी की जाँच की गयी। जिसमें 6,901 महिलाये हेपेटाइटिस की जाँच में पॉजिटिव पाई गयी एवं 4,772 पॉजिटिव महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ एवं 4,991 नवजात शिशुओं को HBIG का टीका 24 घंटे के अंदर लगाया गया।
- हेपेटाइटिस बी:- 16,25,564 व्यक्ति की हेपेटाइटिस बी की जाँच की गयी, जाँच में 15,278 पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में से 2206 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी का उपचार प्रदान किया गया।
- हेपेटाइटिस सी :- 14,54,462 व्यक्ति की हेपेटाइटिस सी की जाँच की गयी, जाँच में 3157 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में से 853 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी का उपचार प्रदान किया गया।
- प्रदेश की समस्त जेलों में 79,636 कैदियों की हेपेटाइटिस बी एवं 76,600 की हेपेटाइटिस सी की जाँच की गयी, जिसमें से पॉजिटिव कैदियों के वायरल लोड पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में 95 हेपेटाइटिस बी के एवं हेपेटाइटिस सी के 101 व्यक्तियों का उपचार प्रदान किया गया।
- सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हेपेटाइटिस बी की सभी तीन खुराक हेतु टीका लगाया जा रहा है।
- पीएलएचवी (एचआईवी के साथ रहने वाले रोगी), ड्रग एडिक्ट, टैटू, डायलिसिस और थैलेसीमिया वाले लोगों की स्क्रीनिंग और उपचार।

9.5.3 राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) 387 टीबी इकाइयों के माध्यम से प्रावधान। मार्च 2024 के अंत तक 925 डीएमसी (जिला सूक्ष्म केंद्र) और 30,595 डीओटी केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्यों ने कुल अधिसूचना लक्ष्य के मामले में लक्ष्य 2.05 लाख के सापेक्ष 1.86 लाख हासिल किए हैं, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्ष्य का 90.52% हासिल किया गया है। इन टीबी रोगियों के लिए, प्रति माह 500 रुपये के उपचार, निदान और पोषण सहायता का

प्रावधान है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक निक्षय पोषण योजना (NPY) के तहत टीबी रोगियों को रु. 50.26 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। क्षयरोग रोगियों के अग्रिम उपचार हेतु भोपाल, इंदौर, उज्जैन सागर, रीवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थित 09 नोडल डीआरटीबी केन्द्रों के माध्यम से 52 जिला डीआरटीबी केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप-राष्ट्रीय प्रमाणन (एसएनसी) में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत 2022-23 में धार, मंदसौर और नीमच जिलों ने स्वर्ण श्रेणी में मान्यता अर्जित की। शाजापुर, बैतूल, इंदौर और देवास जिलों ने रजत श्रेणी में जबकि नरसिंहपुर, मुरैना, नर्मदापुरम और मंडला जिलों को कांस्य श्रेणी में स्वीकार किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए, सीटीडी, भारत सरकार द्वारा उप राष्ट्रीय प्रमाणन (SNC) के लिए 23 जिलों का नामीनेशन किया गया है।

9.5.4 राष्ट्रीय कार्यक्रम गैर संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण

एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, मध्यप्रदेश में मधुमेह की वर्तमान प्रचलित दर 13.5 प्रतिशत है और रक्तचाप की प्रचलित दर 23.5 प्रतिशत है जिसमें हृदय रोगों के कारण मृत्यु का अनुपात 57 प्रतिशत है और दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु का अनुपात 24 प्रतिशत है, इस प्रकार सभी मौतों का अनुपात 81 प्रतिशत है। कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश में 52 जिला नोडल अधिकारी और 52 सहायक नोडल अधिकारी पंजीकृत हैं।

गैर-संचारी रोगों के तहत, केवल मधुमेह और रक्तचाप को नियंत्रित करके, दिल का दौरा, क्रोनिक किडनी रोग, पुरानी जैसी संभावित जटिलताओं, फेफड़ों की बीमारी, क्रोनिक श्वसन प्रतिरोधी रोग, अंधापन, शारीरिक विकलांगता, विच्छेदन आदि को सफलतापूर्वक रोका जा सकता है। मध्यप्रदेश इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए कार्यक्रम के तहत संचालित गतिविधियों के माध्यम से बीपी और रोगियों के शर्करा को नियंत्रित करने के मापदंडों में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

रक्तचाप और मधुमेह रोगियों की प्राथमिक जांच की गारंटी के लिए, कार्यक्रम के तहत नामित जिलों में 15 गैर-संचारी हृथ स्थापित किए गए हैं। सुविधा केन्द्रों/संस्थानों के प्रवेश द्वारा पर इस परीक्षण का प्रावधान किया जाता है ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में 2.69 (85.8%) करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया, 1.87 (59.8%) करोड़ लोगों की गैर-संचारी रोग के लिए जांच की गई। 18.84 लाख (25%) रक्तचाप रोगियों और 11.31 (25.7%) लाख मधुमेह रोगियों को चिह्नित किया गया। मध्यप्रदेश के सभी 52 जिला अस्पतालों, 97 सिविल अस्पतालों और 356 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनसीडी (NCD) क्लीनिक चलाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में हृदयाघात से होने वाली मौतों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं, तथा जटिलताओं से पीड़ित रोगियों को निरंतर आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश के सभी 52 जिला अस्पतालों में आईसीयू स्थापित किये गये हैं।

1. धार, झाबुआ, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, शहडोल और इंदौर में कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू) की स्थापना के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सागर जिले में कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2. सभी 52 जिलों में केंद्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, दिल के दौरे से संबंधित परीक्षण के अलावा, अन्य पुरानी असाध्य बीमारियों के लिए आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणों की उपलब्धता 24*7 सुनिश्चित की जा रही है।
3. टेस्ट डी-डिमर, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम एचडीएल, सीरम एलडीएल, ट्रोपोनिन-आई, CKMB, RA फैक्टर, CRP, PHC, UPHC, संजीवनी क्लिनिक, सिविल डिस्पेंसरी में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित परीक्षण भी उपलब्ध हैं। सीबीसी, ब्लड शुगर, एचबीएसी/ HbA1C, थायराइड प्रोफाइल, एलएच, एफएसएच, जीटीटी, डॅग्स, एलएफटी आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए ब्लड प्रेशर के माप हेतु बीपी उपकरण एवं ब्लड शुगर के लिए ग्लूकोमीटर तथा उपचार, नियंत्रण एवं फॉलोअप से संबंधित रिकार्ड कीपिंग की व्यवस्था है।
5. BiPAP (गैर-इनवेसिव), बीपी इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, TCP और AED के साथ डिफिब्रिलेटर, ई.सी.जी. (ECG) मशीन, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सक्षण मशीन, इमरजेंसी ड्रग ट्रॉली, लैरीगोस्कोप वयस्क और बाल चिकित्सा, मोटराइज्ड आईसीयू बेड, 12 चैनल स्ट्रेस उपलब्ध। ईसीजी परीक्षण उपकरण ट्रेड मिल, 2-डी इको कार्डियोग्राफी मशीन, एबीजी मशीन, बीपी उपकरण, बीआईपीईपी वयस्क/बाल चिकित्सा, वेंटिलेटर, कार्डिएक डिफाइब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, केंद्रीय रोगी निगरानी स्टेशन, ऑक्सीजन की केंद्रीकृत आपूर्ति, फाउलर बेड, धूमन मशीन, ग्लूकोमीटर, पोर्टबल एक्स-रे मशीन, टीएमटी मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि उपकरण आईसीयू में हृदय की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं।
6. विश्व स्वास्थ्य दिवस (07.04.2023), विश्व हृदय दिवस (29.09.2023), विश्व स्ट्रोक दिवस (29.10.2023), विश्व मधुमेह दिवस (14.11.2023), विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (17.05.2023) गैर-मादक फैटी लीवर रोग दिवस (एनएएफएलडी) (19.04.2023), क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे (COPD/सीओपीडी) नवंबर के तीसरे सप्ताह में जैसे चिह्नित स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया गया। नैदानिक परीक्षणों को आम जनता के लिए आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोगों और संबंधित बीमारियों के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
7. जागरूकता सृजन के लिए जिलों में ग्राम संचार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी आयोजित की गई है।
8. आम जनता के साथ विशेषज्ञों के रेडियो पर टॉक शो भी आयोजित किए जाते हैं और संबंधित मुद्दों को हल करते हैं।
9. समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आईईसी कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं। जनता की मदद के लिए, प्रत्येक जिले में संक्रामक रोग नियंत्रण क्लीनिक और एनसीडी क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं, जिला अस्पताल और उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक की सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। कार्यक्रम के

तहत मध्यप्रदेश में विभिन्न परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:-

उन्नति परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्यप्रदेश के संयुक्त प्रयासों से जिला सीहोर के विकासखण्ड बुदनी में असंचारी रोगों की पहचान के लिये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लस्टर स्तरीय संगठन की 2,600 स्व-सहायता समूह महिला सदस्यों की जांच और उपचार का प्रावधान है। परियोजना के तहत, 7 स्वास्थ्य इकाइयों में सदस्यों के निम्नलिखित परीक्षण किए जा रहे हैं - रक्त परीक्षण (हीमोग्लोबिन), रक्तचाप, मधुमेह, बीएमआई, तीन प्रकार के कैंसर (मुँह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा) के लिए स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के दौरान बीमारी से प्रभावित पाए गए मरीजों के इलाज और नियमित फॉलोअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

प्रोजेक्ट ईसीएचओ (ECHO) इंडिया द्वारा मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट ईसीएचओ इंडिया द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और क्षमता निर्माण का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रोनिक कोविड सिंड्रोम की पहचान और प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह से चिकित्सा सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य ईसीएचओ मॉडल का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (चिकित्सा अधिकारियों) के विभिन्न कैंडर की क्षमता का निर्माण करना है ताकि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम रोगियों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी और छटनी किया जा सके। कार्यान्वयन की जा रही सभी परियोजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की वित्तीय भागीदारी शून्य है।

9.5.5 राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

आयोडीन की कमी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को आयोडीन युक्त नमक के नियमित उपयोग से आसानी से रोका जा सकता है। आयोडीन की कमी से शरीर में कई विकार हो सकते हैं। जिन्हें सामूहिक रूप से आयोडीन की कमी विकार (IDD/आईडीडी) कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से घेंघा रोग, मृत जन्म, जन्मजात विसंगतियां, मानसिक कमजोरी, बौनापन, अल्प विकास, हाइपोथायरायडिज्म आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार उपचार कार्यक्रम का लक्ष्य देश में घेंघा की व्याप्तता को 5 प्रतिशत से कम करना और पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक की 100 प्रतिशत खपत सुनिश्चित करना है। भारत सरकार के पोर्टल पर 2017 की नवीनतम अद्यतन सूची के अनुसार, मध्यप्रदेश में 14 स्थानिक जिलों की पहचान की गई है, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, छतरपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़, सागर, दमोह।

आईडीडी सर्वेक्षण - आईडीडी की स्थिति जानने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2010 से 2018 के बीच विभिन्न एजेंसियों और मेडिकल कॉलेजों द्वारा राज्य स्तरीय आईडीडी सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से प्राप्त टीजीआर आंकड़ों के अनुसार, 14 पहचाने गए स्थानिक घेंघा प्रभावित जिलों में से 7 में घेंघा की व्यापकता 5% से कम बताई गई है। विवरण इस प्रकार हैं: जबलपुर टीजीआर - 2.2%, दमोह टीजीआर - 2.1% टीकमगढ़ टीजीआर - 1.9%, मंडला टीजीआर - 0.7%, छिंदवाड़ा टीजीआर - 0.6%, होशंगाबाद टीजीआर - 1.96% और बैतूल टीजीआर - 2.88%।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला अलीराजपुर एवं झाबुआ में मध्यप्रदेश द्वारा आईडीडी सर्वे किया गया। सर्वेक्षण से प्राप्त टीजीआर आंकड़ों के अनुसार, दोनों जिलों में घेंघा की व्यापकता 5% से कम है। वित्त वर्ष 2023-24 में आयोडीन की स्थिति जानने के लिए जनपद बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी, सागर में आईडीडी सर्वे किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

14 स्थानीय जिलों की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हर माह नमक परीक्षण किट के माध्यम से नमक के नमूनों की जांच की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 101.98 लाख परीक्षण किए गए हैं आई.ई.सी. घटक के तहत, अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के अलावा, प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को आयोडीन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राज्य आयोडीन निगरानी प्रयोगशाला

जिला अस्पताल, भोपाल में स्टेट आयोडीन लैब की स्थापना कर प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन द्वारा जनवरी 2022 माह से कार्य शुरू कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नमक के नमूनों के 4889 परीक्षण और मूत्र नमूनों के 1431 परीक्षण किए गए हैं। एनएचएम द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला सामुदायिक मोबिलाइजर को प्रशिक्षित किया गया और साथ ही सभी फील्ड वर्कर्स का प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित किया गया।

9.5.6 राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम

फ्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप आपके दांतों पर सफेद या भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। यह जीवन की शुरुआत में फ्लोराइड के अत्यधिक संपर्क के कारण होता है जब आपके स्थायी दांत विकसित हो रहे होते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन यह सौंदर्य कारणों से चिंतन का विषय बना हुआ है। लेकिन ऐसे उपचार हैं जो समस्या को हल कर सकते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य देश में फ्लोरोसिस के मामलों की रोकथाम और नियंत्रण करना है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम के तहत अलीराजपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खरगोन, मंडला, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, सिवनी, शाजापुर और उज्जैन के रूप में 15 चिह्नित जिले; जहां लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर फ्लोरोसिस मुक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। फ्लोरोसिस के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए समय-समय पर सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

फ्लोरोसिस सर्वे- नेशनल फ्लोरोसिस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1065 गांवों का सर्वे किया जा चुका है- वित्त वर्ष 2023-24 का 4,003 डंटल फ्लोरोसिस के मरीज मिले हैं। और 7,059 लोगों को सप्लीमेंटेशन की सुविधा दी गई है।

फ्लोरोसिस प्रयोगशाला - कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 लैब तकनीशियनों की नियुक्ति की गई है और डंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में पीड़ित रोगियों की जांच एक्स-रे, मूत्र परीक्षण और पानी में फ्लोरोसिस के लिए की जा रही है, एवं यह एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के तहत स्थानिक जिलों में जिला फ्लोरोसिस अधिकारियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और जिला फ्लोरोसिस परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

9.5.5 राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

रेबीज भारत में मृत्यु और बीमारी के मुख्य कारणों में से एक है। यह बीमारी पूरे देश में स्थानिक है। रेबीज मुख्य रूप से कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, सियार, नेवले और बंदर के काटने से फैलता है। औसतन, रेबीज के कारण होने वाली 96% मौतें और बीमारियां कुत्ते के काटने के कारण होती हैं। लेकिन रेबीज रोग से होने वाली मृत्यु और बीमारी के पर्याप्त आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हैं। भारत में रेबीज से होने वाली मृत्यु और बीमारी की समस्या को हल करने के लिए, 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार है:

- + सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानवरों के काटने के प्रबंधन और पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर प्रशिक्षण।
- + पशुओं के काटने के पीड़ितों को अंतर-त्वचीय मार्ग के माध्यम से पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रदान करना, राज्य/जिला स्तर पर जोखिम वाली श्रेणियों के लिए प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की नीति को अपनाना और कार्यान्वित करना।
- + रेबीज रोग के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करना।
- + राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रेबीज रोग की जांच के लिए प्रभाग स्तरीय प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।
- + समुदाय में रेबीज रोग के बारे में जागरूकता प्रदान करना।

कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां, जैसे राष्ट्रीय निःशुल्क दवा कार्यक्रम के तहत जानवरों के काटने के पीड़ितों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक एआरवी और एआरएस की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानवरों के काटने के प्रबंधन और पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर प्रशिक्षण, रेबीज और जानवरों के काटने की स्थिति की निगरानी और निगरानी के बाद एक समीक्षा बैठक का आयोजन करना, रेबीज रोग के लिए निर्धारित सेवाएं, परामर्श और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर रेबीज-रोधी क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। मध्यप्रदेश प्रथम पांच राज्यों में से एक है, जो रेबीज हेल्पलाइन नंबर 0120-6025400 लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में एनएचएम के दायरे में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम ने 9.35 लाख एंटी रेबीज टीकाकरण के साथ 4.97 लाख पशु काटने के मामलों को लाभान्वित किया है।

9.5.8 राष्ट्रीय सर्पदंश प्रबंधन कार्यक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एक वर्ष में 83,000 सर्पदंश में से 11,000 लोग मर जाते हैं। मरने वाले अधिकांश रोगी उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य संस्थान तक नहीं पहुंचते हैं, जिससे समय पर चिकित्सा देखभाल की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त, समुदाय में सर्पदंश उपचार प्रदान करने वाले संस्थानों के बारे में जानकारी का अभाव है, इसके अतिरिक्त पारंपरिक उपचार पर भरोसा करते

हैं। यह विश्वास सर्पदंश से होने वाली मौतों की एक बड़ी संख्या में योगदान देता है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश से जुड़ी मृत्यु दर को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्रीय सर्पदंश प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित किया है।


राजस्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में हर साल सर्पदंश के लगभग 2,000 मामलों में मुआवजा दिया जाता है। वर्ष 2020-21 में सर्पदंश से होने वाली 2979 मौतों के मामलों में 11,916 लाख रुपए की मुआवजा राशि वितरित की गई और वर्ष 2021-22 में 10,996 लाख रुपए का वितरण किया गया। राष्ट्रीय सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में सर्पदंश के रोगियों की कुल संख्या 12,587 है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सर्पदंश प्रबंधन प्रोटोकॉल को लागू करने, सभी सेवा प्रदाताओं को पॉलीवलेंट एंटी-स्नेक वेनम के उपयोग पर प्रशिक्षित करने, संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में टेस्टिंग, उपचार और रेफरल की व्यवस्था उपलब्ध कराने सहित कार्यक्रमों के कई उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर तथा जिन जिलों/विकासखण्डों/ग्रामों में अधिक संख्या में मामले सामने आये हैं, उनमें जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर क्षतिपूर्ति राशि की मासिक जानकारी प्राप्त कर तथा सर्प प्रजातियों के सम्बन्ध में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए वन विभाग के साथ समन्वय कर कार्यक्रम आयोजित करना, फसल कटाई के मौसम के दौरान रोग से बचाव एवं प्राथमिक उपचार के सम्बन्ध में जन जागरूकता हेतु कृषि विभाग से समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।

सर्पदंश के कारण होने वाली मृत्यु के मामलों को कम करने के लिए विभाग द्वारा कई गतिविधियाँ शुरू की जाती हैं, कुछ गतिविधियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. संक्रमित मामलों की अधिक संख्या वाले जिलों की पहचान।
2. संपर्क मामलों की संख्या के आधार पर एंटी-वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
3. सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के लिए आने वाले सभी रेफरल रोगियों को निशुल्क जांच एवं उपचार प्रदान किया गया।
4. द्वितीयक और तृतीयक स्तर के संस्थानों में बीस मिनट के पूरे रक्त के थक्के परीक्षण (20WBCT) परीक्षण की उपलब्धता। इसके अलावा, निम्नलिखित आवश्यक परीक्षणों की उपलब्धता:
 - ✚ एचबी/प्लेटलेट काउंट/पेरिफेरल स्मीयर प्रोथ्रोम्बिन टाइम (पीटी)/सक्रिय आंशिक थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम (एपीटीटी)/फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स (एफडीपी)/डी-डिमर
 - ✚ प्रोटीनमेह/आरबीसी/हीमोग्लोबिनुरिया/मायोग्लोबिनुरिया के लिए मूत्र परीक्षण
 - ✚ सीरम क्रिएटिनिन/यूरिया/पोटेशियम के लिए जैव रसायन
 - ✚ वाइपेरिन बाइट में थक्के की पहचान के लिए ईसीजी/एक्स-रे/सीटी/अल्ट्रासाउंड
 - ✚ ॲक्सीजन संतुप्ति/धमनी रक्त गैस (एबीजी)

9.5.9 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंधेपन नियंत्रण की दर को 0.3 प्रतिशत तक कम करना है। राज्य में नेत्र देखभाल का कार्य सरकारी संस्थानों द्वारा और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में कार्यक्रम की वित्तीय और तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियों की जानकारी इंगित की गई है।



चित्र 5 राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम भौतिक उपलब्धि

स्रोत: पीएचएफडब्ल्यू (PHFW) निदेशालय

तालिका 9.6 राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	स्वीकृत बजट (करोड़ में)	व्यय	प्रतिशत %
2022-23	75.49	71.84	95.02
2023-24	67.45	63.82	94.61

स्रोत: पीएचएफडब्ल्यू निदेशालय (करोड़ में)

9.5.10 राष्ट्रीय कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य

कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन के विषय पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, रोकथाम एवं नियंत्रण विषय पर कुल 2627 चिकित्सा अधिकारी, 3692 स्वास्थ्य कर्मी एवं 1188 अंतर्विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं। गर्मी से होने वाले रोगों (लू, निर्जलीकरण, हीट रेशेज आदि) से बचाव विषय पर जिलों में कुल 1617 स्वास्थ्य कर्मियों का उन्मुखीकरण किया गया। प्रशिक्षण के अलावा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों को किया गया है, विवरण इस प्रकार है:-

- सभी जिला नोडल अधिकारियों/जिला एपीडेमोलोजिस्ट और प्रत्येक जिले से एक चिकित्सा अधिकारी के लिए गर्मी और उच्च तापमान से संबंधित बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल पर रिपोर्टिंग के विषय पर राज्य स्तरीय अभियुक्तिकरण आयोजित किया गया था।
- हीट स्ट्रोक और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, हर जिले में पोस्टर, बैनर, नारा लेखन आदि जैसी प्रचार जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुईं।
- राज्य स्तर पर उच्च पर्यावरणीय तापमान के कारण होने वाले शीत आघात एवं रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- जिलों द्वारा वायु प्रदूषण के मुद्दे पर जिला स्वास्थ्य कार्य योजना और कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी जिला नोडल अधिकारियों/ एपीडेमोलोजिस्ट के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
- पहचाने गए 08 सेन्टिनेल निगरानी स्थलों (Sentinel Surveillance Sites) तथा संबंधित जिला एपीडेमोलोजिस्ट (महामारी विज्ञानी) के एआरआई नोडल अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय अभियुक्तिकरण आयोजित किया गया।
- नागदा में चम्बल नदी में औद्योगिक जल प्रदूषण से होने वाले रोगों के संबंध में राजकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम द्वारा निवासियों पर पड़ने वाले स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से शोध कार्य शुरू किया गया है।
- मध्यप्रदेश ऊर्जा निगम के माध्यम से चिह्नित 14 स्वास्थ्य संस्थानों को ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंट फैसिलिटी के रूप में नामित करने की प्रक्रिया चल रही है।

विश्व पर्यावरण दिवस (7 जून 2023) और स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू-स्काई दिवस (7 सितंबर 2023) के अवसर पर एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान, जिलों में स्कूल/कॉलेज स्तर पर प्रशिक्षण सत्र, वृक्षारोपण गतिविधियाँ, रंगोली और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

9.5.11 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 10 प्रतिशत आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है। प्रति चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार किसी मानसिक बीमारी से प्रभावित होता है। कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित/ सम्पन्न होने वाली गतिविधियां निम्नलिखित हैं-

- ‘मनकक्ष’ के माध्यम से मनोरोग विशेषज्ञ/प्रशिक्षित चिकित्सक/चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एवं प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारी द्वारा मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग/उपचार एवं काउंसिलिंग की जाती हैं। गम्भीर मानसिक रोगियों को मानसिक चिकित्सालय इन्दौर/ग्वालियर अथवा मेडिकल कालेज के मानसिक रोग विभाग में रेफर किया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर चिन्हित कर 3,27,790 लोगों की स्क्रीनिंग की गयी एवं 2,17,559 मरीजों को राज्य में निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला स्तर पर कुल 10 सेमिनार के माध्यम से (स्कूल/कालेज/ओल्ड एज होम/केयरगिवर्स/जिला जेल/पुलिस विभाग) मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक जिले में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सिविल अस्पतालों पर शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जाता है, तथा प्रत्येक जिले में 10 सितम्बर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है।
- मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जनमानस में जागरूकता एवं सेवा प्रदाय करने हेतु प्रदेश में दो टेलीमानस केन्द्र मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला में प्रारम्भ किये गये हैं तथा मेनटोरिंग संस्थान एस्स भोपाल में स्थापित की गई है। मानसिक एवं भावनात्मक समस्या महसूस होने पर टेली-मानस हेल्पलाइन नंबर (14416 अथवा 1800-891-4416) पर 24X7 काल कर निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 42,012 काल्स के माध्यम से परामर्श सेवायें प्रदान की गई।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्वयं हितग्राही द्वारा स्क्रीनिंग करने हेतु “मनहित” अपनी तरह का देश में प्रथम एप (हिंदी भाषा में) है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य शाखा द्वारा अभिनव प्रयोग के तहत जनवरी 2024 में निर्मित एवं लॉन्च किया गया है। जिसका प्रमुख उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में साक्षरता एवं जन जागरूकता बढ़ाना है। एप के माध्यम उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं (टेली मानस, मनकक्ष, मेडिकल कॉलेज) से जुड़ सकते हैं।

9.5.12 आशा उपलब्धियां वर्ष 2023-24

- ✚ आशा रुटीन प्रोत्साहन 01-09-2023 से रु. 2000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 6,000/- प्रतिमाह किया गया है।
- ✚ आशा सहायिकाओं का यात्रा भत्ता 01-09-2023 से रु. 50/- प्रतिदिन से बढ़ाकर रु. 200/- प्रतिदिन कर दिया गया है।
- ✚ 59,629 आशा और 5,200 आशा सहायिकाओं को ईएचबीवार्इसी मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया है।
- ✚ आशा प्रमाणन परीक्षा में 6,600 आशा कार्यकर्ता सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई है।
- ✚ कुल 4,300 महिला आरोग्य समितियों में से (शहरी स्लम क्षेत्रों में) वित्त वर्ष 2023-24 में 572 का गठन किया गया है।

आशा सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत सभी आशाओं को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया गया है।

9.6 आयुष विभाग

आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर- भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में 800 एच.डब्ल्यू.सी. विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, एवं समस्त 800 केन्द्र प्रारंभ कर दिए गये हैं। एच.डब्ल्यू.सी. ग्रामीण लोगों की स्वयं की देखभाल के साथ-साथ योग, आहार, परामर्श और उच्च गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवायें, पंचकर्म, स्वास्थ्य संवर्धन और उपचार सेवायें प्रदान करता है।

आयुष विंग:- प्रदेश में समस्त चिकित्सा पद्धति से एक ही स्थान पर चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए जिला एलोपैथिक चिकित्सालय में 36 आयुष विंग पहले से ही क्रियाशील हैं। प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से समस्त जिला स्तरीय एलोपैथी जिला चिकित्सालयों में 22 आयुष विंग के निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है उक्त केन्द्र शीघ्र ही प्रारंभ किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सहयोग से 11 जिलों भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, खरगोन, सीहोर, बालाघाट, अमरकंटक (अनूपपुर), भिण्ड, पन्ना, गुना और बड़वानी में 50 बेड के आयुष अस्पतालों की स्थापना की जा रही है।

देवारण्य योजना - राज्य शासन द्वारा देवारण्य प्रारंभ की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से जनजाति एवं सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करने की दृष्टि से आयुष औषधि उद्योगों में उपयोग के लिये औषधीय एवं सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के लिये समाधान प्रदान करना रहा।

औषधि उत्पादन- वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, ग्वालियर द्वारा रु. 2.40 करोड़ तथा शासकीय यूनानी फार्मेसी भोपाल में रु. 80.00 लाख की औषधियां का उत्पादन किया गया है। इन्हें विभागीय चिकित्सा संस्थाओं में वितरित किया गया।

मलेरिया रोग नियंत्रण- मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 17.76 लाख जनसंख्या को मलेरिया प्रतिरोधक औषधि मलेरिया ॲफ-200 का वितरण 02 चरणों में किया गया।

वैद्य आपके द्वार- कार्यक्रम अंतर्गत टेलीमेडिसिन आयुष क्योर एप द्वारा ऑनलाइन निशुल्क आयुष चिकित्सा परामर्श प्रदान किया जा रहा है। आयुष क्योर एप पर आमजन अपना पंजीयन कराकर सुविधानुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का चयन कर सकता है। पंजीयन पश्चात चिकित्सक से वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकता है। टेलीमेडिसिन आयुष क्योर एप लगभग एक लाख (संचयी) से अधिक डाउनलोड किए गए हैं। (स्कॉच अवार्ड प्राप्त)।

शोध कार्य- भारत सरकार जनजाति कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदेश के कमशः मण्डला, डिण्डोरी, अनुपपुर एवं शहडोल जिलों में औषधीय पौधों के प्रमाणीकरण हेतु शोध कार्य प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के जनजाति बाहुल्य जिलों में सिक्कल सेल एनीमिया के रोगियों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की औषधियां प्रदान की जा रही हैं।

स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड - प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती, संग्रहण एवं संवर्धन तथा औषधीय उत्पादों के विपणन की दृष्टि से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से आयुष औषधीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है।

आयुष मेले का आयोजन - 5 फरवरी 2023 को संत रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर आयुष मेले का आयोजन किया गया जिसमें 2,15,000 लाभार्थी एवं महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित मेले में 50,241 लाभार्थी प्रतिभाग किए।

आयुष आपके द्वार कार्यक्रम - आयुष विभाग म.प्र. शासन द्वारा वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य सुविधा घर-घर पहुंचाने के लिये आयुष आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष विभाग, मध्यप्रदेश ने “आयुष आपके द्वार” के नाम से जाना जाने वाला एक अभिनव समाधान पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण में अंतर को पाटना है। यह व्यापक दृष्टिकोण लाभार्थियों के बीच समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। ‘आयुष आपके द्वार’ योजना 1 अगस्त, 2023- 30 सितंबर, 2023 के दौरान लागू की गई थी। वर्षा ऋतु में डोर टू डोर चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण से 5,26,124 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

आयुष द्वारा कुछ अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं को भी अपनाया गया है, उनमें से कुछ अधोलिखित हैं:-

आयुष एचडब्ल्यूसी की कार्यक्षमता और सेवा वितरण में सुधार हेतु मण्डल/जिले स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस - मध्यप्रदेश में आयुष एचडब्ल्यूसी के प्रभाव को बढ़ाने हेतु, राज्य आयुष विभाग ने मण्डल और जिलों को सम्मिलित करते हुए दैनिक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) की अवधारणा सृजित की है जहां डिवीजन / जिला आयुष अधिकारी और संबंधित एचडब्ल्यूसी टीम, तकनीकी समर्थन से प्रतिभागिता करते हैं।

मध्यप्रदेश में मॉडल आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, चार प्रमुख उद्देश्यों के साथ करने का प्रयास किया गया है, जिनमें प्रथम सीपीएचसी (CPHC) के दायरे में दिशानिर्देशों में परिकल्पित आयुष सेवाओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम को वितरित करने के लिए पहचाने गए ए-एचडब्ल्यूसी/A-HWC की स्थापना और संचालन करना। क्रियाशील ए-एचडब्ल्यूसी/ A-HWC में आयुष दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता के लिए मजबूत आपूर्ति शृंखला तंत्र स्थापित करना, आयुष के साथ-साथ चिकित्सा की सामान्य प्रणाली के तहत द्वितीयक और तृतीयक सुविधाओं के लिए रेफरल लिंकेज स्थापित करके देखभाल की निरंतरता का एक व्यावहारिक मॉडल प्रदर्शित करना, जिससे रोगियों को उपचार का विकल्प प्रदान किया जा सके, तथा टेलीमेडिसिन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने और मजबूत करके देखभाल और उपचार तक पहुंच की निरंतरता को मजबूत करना है। NABH प्रमाणीकरण हेतु प्रथम चरण में 100 आयुष आरोग्य मंदिर (आयुष HWC) चिह्नित कर प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। तथा इनमें से 24 NABH का प्रमाणीकरण हो चुका है, NABH प्रमाणीकरण स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च कोटी की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज के गांवों में, आयुर्वेद पद्धति के अनुसार 100 पंचकर्म सुविधाएं स्थापित की गई हैं, एवं आमजन तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय NABH प्रमाणीकरण पत्र प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय बना है। बालिकाओं को अध्ययन के दौरान रहने की सुविधा उपलब्ध कराने में एक और प्रयास किया जिसमें शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय में 180 बिस्तरीय छात्रावास का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम राज्य के 29 जिलों के चयनित 42 विकास खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित 7 सूचकांक पर भी नियमित अनुश्रवण करते हुए प्रगति समीक्षा की जा रही है। वर्ष-वार बढ़ते वित्तपोषण ने राज्य की स्वास्थ्य, चिकित्सा

शिक्षा एवं आयुष के बुनियादी ढांचे एवं स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। आज के वर्तमान तथा भविष्य के विकसित भारत 2047 हेतु, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार निरंतर किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में राष्ट्रीय डिजिटल आर्किटेक्चर के अंतर्गत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में रणनीतिक तौर पर बढ़ाए जाने वाले कदम से हितग्राही को अनेक सुविधाएं सुनिश्चित करेगा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन का अभिन्न अंग होगा। विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं तथा आयुष सेवाओं के माध्यम से, हम एक स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की ओर निरंतर अग्रसर हैं, जहाँ हर नागरिक को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित कराने का अथक प्रयास किया जा रहा है।

संदर्भ सूची

- MoHFW द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 3, 4 और 5 सर्वे रिपोर्ट
- MoHFW | Home <https://www.mohfw.gov.in/indexhindi.html>
- आयुष विभाग से प्राप्त जानकारी दिनांक 12 जनवरी 2024, 4 जून 2024 (ईमेल), अद्यतन 18 जून 2024, सत्यापित जानकारी दिनांक 25 जून 2024
- स्वास्थ्य निदेशालय (पीएचएफडब्ल्यू) से प्राप्त जानकारी दिनांक 11 जून 2024, सत्यापित जानकारी दिनांक 26 जून 2024
- सीईओ आयुष्मान भारत के कार्यालय से प्राप्त जानकारी दिनांक 10 जून 2024, सत्यापित जानकारी विभाग द्वारा ईमेल दिनांक 25 जून 2024
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017. नई दिल्ली: MoHFW
- ABDM-Insights को अंतिम बार 11 जून 2024 को एक्सेस किया गया
- <https://www.abnepm.gov.in/about>
- <https://namayush.gov.in/content/ayush-hwcs-operational-guidelines>
- Ayushman Bharat ([mp.gov.in](https://ayushmanbharat.mp.gov.in)) <https://ayushmanbharat.mp.gov.in> last accessed on 11 June 2024
- Data: SRS Bulletin Highlights the Wide Variation of MMR Across States, Assam's MMR 10 Times That of Kerala's. (factly.in) (<https://factly.in/data-srs-bulletin-highlights-the-wide-variation-of-mmr-across-states-assams-mmrr-10-times-that-of-keralas/>) Source – SRS
- ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/322207129_Incidence_of_maternal_near_miss_and_mortality_cases_in_central_India_tertiary_care_centre_and_evaluation_of_various_causes/link/610f-52171ca20f6f860b5a9e/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uLiwcGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- <https://mp.census.gov.in/english/srs.html> अंतिम पहुँच दिनांक 17 जून 2024
- SRS - Maternal Mortality Bulletin | Government of India (censusindia.gov.in/census.website/data/SRSMMB)।

अध्याय 10

शिक्षा एवं कौशल विकास

अध्याय 10

शिक्षा एवं कौशल विकास

शिक्षा एक सशक्त समाज की नींव है, ऐसा समाज जिसमें उच्च साक्षरता, सभी के लिए समान अवसर, आर्थिक रूप से उन्नत, गरीबी और अपराध से मुक्त और आत्म-निर्भरता है। मध्यप्रदेश ने सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य तीन मुख्य शिक्षा विभागों के माध्यम से काम करता है: स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है; उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए है और तकनीकी शिक्षा युवाओं को एक सक्षम कार्यबल बनाने के लिए सभी तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पहल पर केंद्रित है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र पर 2023-24 बजट आवंटन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है जो कुल व्यय बजट का 12.22% आवंटन है।

तालिका 10.1: शिक्षा क्षेत्र का बजट आवंटन

(राशि करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	स्कूल शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा विभाग	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
2023-24	31,633	3,745	2,997
2022-23	27,792	3,513	1,538

स्रोत: वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन

10.1 स्कूल शिक्षा

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में 2011 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अंतर्गत किया गया। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की हैं। अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2023-24 हेतु ₹ 6649.79 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत हुई है जिसे तालिका 10.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2: समग्र शिक्षा वित्तीय प्रगति 2023-24

(राशि करोड़ में)

घटक	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
प्रारंभिक शिक्षा	5048.37	4093.79	4028.70
माध्यमिक शिक्षा	1533.64	862.01	734.95

घटक	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
शिक्षक शिक्षा	67.77	41.37	24.87
योग	6649.79	4997.17	4788.52

स्रोतः: राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

10.1.1 नामांकन

प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में कुल नामांकन की स्थिति तालिका 10.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.3: प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23		
	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 to 5)	38.83	35.74	74.57	38.21	35.01	73.21	35.36	32.38	67.74
माध्यमिक (कक्षा 6 to 8)	22.28	20.47	42.75	21.86	20.15	42.00	20.98	19.28	40.26
प्रारम्भिक (कक्षा 1 to 8)	61.11	56.21	117.32	60.06	55.15	115.21	56.34	51.66	108.00

स्रोतः: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी में कुल नामांकन की स्थिति तालिका 10.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.4: सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23		
	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
IX to X	12.03	10.53	22.56	11.59	10.37	21.97	11.51	10.21	21.71
XI to XII	7.62	7.05	14.67	8.67	7.82	16.49	7.86	7.30	15.16

स्रोतः: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

10.1.2 शाला त्याग दर

विभिन्न कारणों से छात्र/छात्रायें अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर शाला त्याग देते हैं। शाला त्याग दर का वर्षवार विवरण तालिका 10.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.5: शाला त्याग दर

स्तर	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	3.24	2.91	3.08	4.15	4.88	4.50
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	8.63	9.01	8.82	7.57	9.23	8.37

स्रोत:: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

10.1.3 स्कूल शिक्षा में संचालित प्रमुख योजनाएं तथा उपलब्धियाँ

सीएम राइज स्कूल योजना वर्ष 2023: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप, सीएम राइज स्कूलों का उद्देश्य प्री-केजी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूल परिसरों के रूप में संचालित करना है। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 274 एवं 94 स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत 274 सीएम राइज विद्यालय वर्ष 2021-22 से संचालित हैं। इन विद्यालयों में नवीन एवं सर्व सुविधायुक्त विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ हुआ। अभी तक 270 सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर रुपये 10455 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है तथा 246 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इस वर्ष की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

- प्रदेश के प्रथम सीएम राइज स्कूल के भवन का निर्माण गुलाना जिला शाजापुर में पूर्ण हो चुका है, जिसका लोकार्पण दिनांक 17 जुलाई 2023 को किया गया है।
- विद्यार्थियों के लिये एक्सपोज़र विज़िट, खेल कोचिंग, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा जेर्झी, नीट, क्लेट इत्यादि की कोचिंग की व्यवस्था की गई। पाठ्यक्रम के साथ योग, संगीत कला, नृत्य, खेल, स्मार्ट डिजिटल कक्षा-कक्ष इत्यादि की व्यवस्था की गई।
- विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल विकसित करने संबंधी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। समस्त सीएम राइज विद्यालयों में आधुनिकतम प्रयोगशालाएं, सुसज्जित कक्षा-कक्ष, खेल सुविधाएं एवं पुस्तकालय स्थापित किए गये।
- गुणवत्ता सुधार: सीएम राइज विद्यालयों के लिए योग्य एवं दक्ष प्राचार्यों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है। उप प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया है। समस्त प्राचार्यों एवं उप प्राचार्यों को आईआईएम इंडौर में लीडरशिप व कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण करवाया गया तथा प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्यालयों में एक्सपोज़र विजिट करवाया गया। सीएम राइज स्कूलों में हिन्दी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

- राज्य के औसत 68% की तुलना में सीएम राइज स्कूलों में कक्षा 10 में उत्तीर्ण प्रतिशत में उल्लेखनीय रूप से सुधार।

मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन: भारत की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-2012 में की गई थी। इन स्कूलों को बैंचमार्क के रूप से विकसित किये जाने की योजना है। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा सहायता बंद करने के कारण अब यह योजना राज्य योजना के रूप में संचालित है। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीट निर्धारित की गई है। मॉडल स्कूलों में कक्षा 9 वीं में प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में 146 मॉडल स्कूलों में 54795 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2022-23 से 55 मॉडल स्कूलों को सीएम राइज योजनान्तर्गत विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में मॉडल स्कूलों में कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम 85.44 एवं 12वीं का 72.60 प्रतिशत रहा। जो राज्य के औसत से काफी आगे है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को सत्र 2023-24 हेतु समग्र शिक्षा अंतर्गत 40 या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को निमानुसार भत्ते PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि रूपए 5.66 करोड़ अंतरित किये गए। सत्र 2023-24 में समग्र शिक्षा सेकेण्डरी एजुकेशन अन्तर्गत 9550 दिव्यांग विद्यार्थी दर्ज हुये।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश वितरण- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं, में अध्ययनरत सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्रों को दो जोड़ी गणवेश हेतु रूपये 600/- का प्रावधान है। इस वर्ष स्व सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश सिलवाकर वितरण की कार्यवाही की गयी है। वर्ष 2023-24 में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के सभी वर्गों के 22,10,731 विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई।

NCERT पुस्तकें- मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें व पूरे देश में एक समान विषय वस्तु के अध्यापन के उद्देश्य से राज्य द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तकों को अभिगृहित किया गया है। कक्षा 1 से 12 तक की एन.सी.ई.आर.टी की कुल 271 पाठ्यपुस्तकों (समस्त माध्यम) को प्रदेश के विद्यालयों हेतु अधिगृहित किया गया है तथा प्रदेश स्तर से (एससीईआरटी द्वारा) तैयार पूर्व प्रचलित कक्षा 1 से 8 तक की कुल 43 पाठ्यपुस्तकों को पुनरीक्षित व संशोधित कर शिक्षा सत्र 2023-24 की पुस्तकों का वितरण किया गया है।

एक परिसर एक शाला- एक ही परिसर में विभिन्न स्तर की शालाएँ पृथक - पृथक इकाई के रूप में संचालित थीं, इस कारण से एक ही परिसर में स्थित विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग विद्यार्थियों के हित में नहीं हो पा रहा था। एक ही परिसर में स्थित विभिन्न शालाओं के एकीकरण किये जाने से कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ी है तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुये गुणवत्ता में वृद्धि होगी। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जन जातीय कार्य विभाग द्वारा कुल मिलाकर लगभग 22 हजार परिसरों में स्थित 48 हजार शालाओं को एक परिसर एक शाला के रूप में चिह्नित कर इनका विलय (merger) किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में

वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है। आज दिनांक तक लगभग 16 लाख से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।

बालक छात्रावास एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए व्यवस्थाएं - प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बेघर, अनाथ एवं पनी बीनने वाले जैसे बच्चों के लिए 100 सीटर वाले 66 आवासीय छात्रावास की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त शाला से बाहर बच्चों के लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र, पलायन के कारण संभावित शाला त्यागी बच्चों को शाला त्याग से रोकने के लिए पलायन छात्रावास की व्यवस्था है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छोटी-छोटी बसाहटों की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण कराने के लिये 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 324 बालिका छात्रावासों की व्यवस्था की गयी। इससे 56 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास की बालिकाओं के लिये स्पोर्ट्स फॉर डेवेलपमेंट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश में 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इन छात्रावासों में मुख्यतः कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्राओं को आवासीय सुविधा का प्रावधान है। कक्षा 8 से उत्तीर्ण होने वाली गरीब एवं कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिये पर्याप्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध न होने से वे उच्च कक्षाओं में नियमित अध्ययन नहीं कर पाती थी। कक्षा 8 से 9 वीं में इन बालिकाओं के प्रवेश से वंचित होने के कारण कक्षान्तरण दर में कमी आ रही थी। इसे ध्यान में रखते हुये, विभाग द्वारा चरण बद्ध रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन 6 से 8 के स्थान पर 6 से 12 तक किया जा रहा है।

निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना - निःशुल्क साईकिल वितरण योजना अन्तर्गत 5वीं पास करके छठवीं में प्रवेश लेने वाले तथा उनके ग्राम में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न होने से वे अन्य गाँव में शासकीय शालाओं में पढ़ने के लिये जाते हैं तो ऐसे बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क साईकिल का प्रावधान है। जो ग्राम की किसी बसाहट में निवासरत हैं तथा बसाहट की शाला से दूरी 2 किमी से अधिक है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय अनुसार वर्ष 2023-24 में निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से चिह्नित कक्षा 6वीं एवं 9वीं के लगभग 4.70 लाख पात्र छात्र-छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु प्रति छात्र-छात्रा राशि रु 4,500/- देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत मार्च 2024 तक 4,04,444 पात्र हितग्रहियों को लाभान्वित किया गया।

सुपर-100 योजना योजनांतर्गत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10 वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के स्थान पर "प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी को चयन परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरांत मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कक्षा 10 वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर चयन निरस्त माना जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को योजनातार्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल / शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर

माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर में अध्ययन के साथ-साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा इजीनियरिंग/मेडीकल /क्लेट आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कोचिंग प्रदाय की जाने की योजना है। शासन द्वारा वर्ष 2022-23 में सी.ए फाउण्डेशन के स्थान पर कलेट (CLAT) में छात्र-छात्राओं को आवश्यक कोचिंग प्रदाय किये जाने की योजना का निर्णय लिया गया।

शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर में वर्ष 2023-24 में कक्षा 11वीं में गणित संकाय में 51, जीव विज्ञान संकाय में 51, एवं क्लेट (CLAT) संकाय में 50 विद्यार्थी एवं कक्षा 12वीं में गणित संकाय में 48, जीव विज्ञान संकाय में 49 एवं क्लेट (CLAT) संकाय में 47, कुल 296 विद्यार्थी प्रविष्ट होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल में वर्ष 2023-24 में कक्षा 11वीं में गणित संकाय में 51, जीव विज्ञान संकाय में 51, एवं क्लेट (CLAT) संकाय में 50 विद्यार्थी एवं कक्षा 12वीं में गणित संकाय में 51, जीव विज्ञान संकाय में 51 एवं क्लेट (CLAT) संकाय में 50 कुल 304 विद्यार्थी प्रविष्ट होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना: माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 2022-23 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले 78,641 विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने हेतु प्रति विद्यार्थी 25-25 हजार राशि का प्रदाय कर राशि रूपये 196.60 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

सी.सी.एल.ई प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 22 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 के मध्य पांच सत्रों में राज्य स्तरीय सी.सी.एल.ई प्रशिक्षण का आयोजन कर प्रदेश से 600 प्राचार्य/शिक्षकों को प्रशिक्षण किया गया जिला स्तर पर आयोजित प्रतिक्षण में जिले के प्रत्येक विद्यालय से दो शिक्षकों के मान से लगभग 14000 शिक्षकों को जिला स्तरीय सी.सी.एल.ई प्रशिक्षण दिया गया।

समेकित छात्रवृत्ति योजना: समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य शासन के 06 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर विद्यार्थियों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। वर्ष 2023-24 में लगभग 62 लाख विद्यार्थियों को लगभग 324 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की गई है।

ई-स्कूटी /आईसीईएस प्रदाय योजना: प्रदेश में संचालित शा. हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं एवं बालक को निःशुल्क ई-स्कूटी/आईसीईएस प्रदाय किये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही हैं। इस योजना अंतर्गत ऐसे छात्र-छात्राएँ पात्र होगी जो प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेन्डरी शाला में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल (एम.पी.बोर्ड) की हायर सेकेन्डरी (कक्षा 12वीं) में किसी भी संकाय (समस्त संकाय को सम्मिलित कर) में अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में टॉप किया हो को पात्रता होगी। विद्यार्थी द्वारा आईसीईएस (मोटरराईज्ड) का चयन किया जाता है तो इसके लिए शासन द्वारा अधिकतम राशि रु.90,000 प्रदान की जावेगी। विद्यार्थी द्वारा ई-स्कूटी का चयन किया जाता है तो इसके लिए शासन द्वारा अधिकतम राशि रु. 1.20,000/- प्रदान की जावेगी। वर्ष 2022-23 में योजना अन्तर्गत 7790 पात्र छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी/आईसीईएस से लाभान्वित किया गया है इस हेतु राशि रु. 80.00 करोड़ व्यय कि गई है।

10.2 उच्च शिक्षा

राज्य में कुल 84 विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 23 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 47 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 10 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय हैं (शिक्षा मंत्रालय, AISHE 2024)। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयों (सरकारी एवं निजी) का पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 10.6: उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयों (सरकारी एवं निजी) का पिछले पाँच वर्षों का विवरण

वर्ष	संस्थान की संख्या	सीट			पंजीकरण			प्रवेश		
		UG	PG	Total	UG	PG	Total	UG	PG	Total
2019-20	1216	898751	224688	1123439	531781	172214	703995	426206	110239	536445
2020-21	1712	842440	210610	1053050	547512	21085	568597	417854	132111	549965
2021-22	1289	1093829.6	273457	1367287	587950	221232	809182	472784	154875	627659
2022-23	1330	880788	233047	1113835	489465	196614	686079	413570	142893	556463
2023-24	1373	763006	228625	991631	526544	210509	737053	441668	151887	593555

स्रोत: उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

10.2.1 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रमुख योजनाएं तथा उपलब्धियाँ

गांव की बेटी: योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान छात्राओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 1,37,500 छात्राओं को राशि 68.77 करोड़ का भुगतान किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु कुल राशि 80 करोड़ इस योजना हेतु प्रावधानित की गई है।

प्रतिभा किरण योजना: योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 6435 छात्राओं को राशि 3.22 करोड़ का भुगतान किया गया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु कुल राशि 3.32 करोड़ प्रावधानित की गई है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग शोधार्थियों को शोध छात्रवृत्ति योजना: योजना का उद्देश्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को सहायता करना है के अंतर्गत सत्र 2022-23 में 211 शोधार्थियों को 3.26 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इस हेतु सत्र 2023-24 के लिए कुल राशि 4.15 करोड़ प्रावधानित की गई है।

प्रयोगशाला उन्नयन एवं पुस्तकालय विकास योजना: वर्तमान परिदृश्य में विज्ञान के क्षेत्र में प्रदेश का गौरव स्थापित करने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राशि रूपए 16 करोड़ से कुल 86 शासकीय महाविद्यालय एवं पुस्तकालय विकास हेतु राशि रु 12.3 करोड़ से कुल 95 महाविद्यालय लाभान्वित हुए।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति: योजना का उद्देश्य अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेशित अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु वास्तविक व्यय या अधिकतम कुल 40,000 अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। योजना हेतु आवेदक विद्यार्थी को प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। वर्ष, 2023-24 में उक्त योजना हेतु राशि रूपये 1.75 करोड़ बजट आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन के विरुद्ध राशि रूपये 1.70 करोड़ के आवंटन आदेश जारी कर योजना का लाभ कुल 06 हितग्राहियों को प्राप्त हो चुका है।

स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत कौशल विकास, करियर अवसर मेले, उद्यमिता शिविर आदि गतिविधियों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 27049 विद्यार्थी लाभान्वित हुए एवं 1773 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ।

निःशक्त विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंध में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता: मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में योजना प्रारंभ की गई। योजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्त विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने पर ली जाने वाली फीस एवं राशि रूपये 1500/- प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार स्नातक के पश्चात शिक्षा प्राप्त करने वाले निःशक्त जन विद्यार्थियों को नगर निगम क्षेत्र में राशि रूपये 500/-एवं निगम पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2023-24 में राशि रूपये 30.00 लाख का प्रावधान किया जाकर आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA): के अंतर्गत मध्यप्रदेश के आठ विश्वविद्यालयों का चयन किया हुआ है। विश्वविद्यालय का चयन मल्टी डिसीप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ (MERU) तथा ग्रांट टू स्ट्रेंगदन यूनिवर्सिटीज़ (GSU) में हुआ है। आठ विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 400 करोड़ एवं 27 महाविद्यालयों को 135 करोड़ एवं 03 जिलों को 30 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। कुल 565 करोड़ अनुदान मिला। PM-USHA से प्राप्त राशि से विश्वविद्यालय की अनुसंधान, सुदृढीकरण, शैक्षणिक एवं विद्यार्थियों को उद्योगों के लिए तैयार करने संबंधी गतिविधियाँ तेज होंगी।

म.प्र.उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (विश्व बैंक पोषित) – MPHEQIP के अंतर्गत 400 महाविद्यालयों में वर्चुअल क्लास कि स्थापना हुई हैं। 98 महाविद्यालयों में 40 सीटर कंप्यूटर लैब स्थापित हुए हैं। 60 महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु डिजिटल टीचिंग डिवाइस प्रदाय किये गये हैं। 52 अग्रणी महाविद्यालयों में विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन हेतु फर्नीचर एवं कम्प्यूटर प्रदाय किये गये हैं। विज्ञान महाविद्यालयों में विभिन्न प्रयोगशाला उपकरण प्रदाय किये गये हैं। 145.25 करोड़ की राशि से 45 महाविद्यालयों में भवन निर्माण एवं रेनोवेशन का कार्य किया गया है।

अन्य पहल

- पी.एम. उषा योजनान्तर्गत अकादमी गुणवत्ता एवं अधोसंरचना विकास हेतु 08 विश्वविद्यालयों को 400 करोड़ की राशि भारत शासन से स्वीकृत। प्रथम किश्त 17.50 करोड़ रूपये प्राप्त।
- प्रदेश के समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए 104 जिला एम्बेसडर तथा 1359 महाविद्यालयों में 2736 युवा सारथी बनाए गए हैं।
- खरगौन, सागर तथा गुना में नवीन विश्वविद्यालयों की स्वीकृति।
- आगर मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना।
- प्रत्येक जिले में एक तथा प्रदेश में कुल 55 चिह्नित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन।
- विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं के साथ-साथ ड्यूल डिग्री की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 37 शासकीय महाविद्यालयों में IGNOU नई दिल्ली के अध्ययन केन्द्रों को प्रारम्भ किया गया।
- शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर को उच्चतम CGPA 3.70 के साथ A++, शासकीय जयंवती हक्सर महाविद्यालय, बैतूल को A+ एवं प्रत्यायन से जुड़े अधिकांश (90%) महाविद्यालयों को पूर्व से 2 पायदान उच्च ग्रेड प्राप्त हुए।
- राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों ने 152 MOU हस्ताक्षरित किए जिससे महाविद्यालय में कार्यरत 1200 शिक्षक एवं 28,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि ₹.204.90 करोड़ का प्रावधान किया गया। निर्माण कार्यों हेतु ₹. 172.87 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
- विश्वविद्यालय स्तर पर 65 स्टार्ट-अप प्रारम्भ किये गये हैं।

10.3 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत राज्य में विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में उपलब्ध 2,14,658 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 1,49,676 प्रवेश ऑनलाइन ऑफ-कैप्स काउंसलिंग के माध्यम से किए गए हैं।

तालिका 10.7: तकनीकी संस्थानों की संख्या और छात्रों की संख्या

तकनीकी संस्थान	2022-23		2023-24		गत वर्ष की तुलना में	
	संस्थानों की संख्या	प्रवेश क्षमता	संख्या	छात्रों की संख्या	संस्थानों में प्रतिशत	प्रवेश क्षमता में प्रतिशत
इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर	146	54,998	145	56,675	-0.68%	3.05%
एम.सी.ए.	44	3,130	49	4,390	11.36%	40.26%

तकनीकी संस्थान	2022-23		2023-24		गत वर्ष की तुलना में	
	संस्थानों की संख्या	प्रवेश क्षमता	संख्या	छात्रों की संख्या	संस्थानों में प्रतिशत	प्रवेश क्षमता में प्रतिशत
एम.बी.ए.	264	53,556	277	57,696	4.92%	7.73%
बी.फार्मा/डी.फार्मा	168	20,000	236	26,540	40.48%	32.7%
डिप्लोमा इंजीनियरिंग	132	28,699	128	27,846	-3.03%	-2.97%

स्रोत: तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

10.3.1 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रमुख योजनायें और उपलब्धियां

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना- वर्ष 2017 में शुरू की गई यह योजना राज्य के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं होने के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इस योजना के तहत सरकार उन छात्रों की उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करती है जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य बोर्ड से 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक प्रतिशत या सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 12वीं कक्षा 85% या उससे अधिक प्राप्त किया है। योजना के तहत 450 करोड़ रुपये की राशि 60,000 मेधावी छात्रों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध कराई गई थी।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना- मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों को योजना के आदेश में उल्लेखित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है। भुगतान की कार्यवाही उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक योजना अंतर्गत 14835 विद्यार्थियों के आवेदनों के भुगतान हेतु रु. 14.879 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है।

अन्य पहल

- तकनीकी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप विभाग ने क्रिस्प भोपाल और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर (इंडो जर्मन टूल रुम) और एमपीकॉन के माध्यम से विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के लिए ॲन-जॉब प्रशिक्षण का आयोजन किया।
- तकनीकी शिक्षा निदेशालय और आईआईटी इंदौर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत आठ राज्य संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र आईआईटी इंदौर में प्रयोगशाला सुविधाओं और शिक्षण संसाधन केंद्रों का दौरा कर सकते हैं, और मुफ्त इंटर्नशिप सुरक्षित कर सकते हैं।
- IIT जोधपुर और IIT दिल्ली द्वारा इमर्जिंग टेक्नॉलजी में ॲनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- IIT इंदौर एवं MANIT भोपाल में राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों के लिये अंतिम वर्ष में पढ़ने की व्यवस्था की गयी है। (तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग, 2023-24)।

10.3.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रोडमैप और प्राथमिकताएं

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2024 में इस क्षेत्र के लिए व्यक्त की गई प्राथमिकताओं के अनुरूप विशेष रूप उत्कृष्टता और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के केंद्र स्थापित करना ज्ञान साझेदारी और परामर्श के लिए सहयोग शिक्षकों का प्रशिक्षण प्लेसमेंट और कैरियर सेल का विकास आदि। विभाग अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप के अनुरूप राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में दो इंजीनियरिंग कॉलेजों और पांच पॉलीटेक्निक में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करें।
- सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आसानी से पहुंचने योग्य बनाने के उद्देश्य से विभाग सभी सरकारी/स्वायत्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन में चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। विषय विशेषज्ञों के वीडियो व्याख्यान और अन्य पठन सामग्री राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके अतिरिक्त सभी सरकारी/स्वायत्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने का चल रहा काम पूरा किया जाना है।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए रुपये 400 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2024 रोडमैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ऑनलाइन कक्षाओं के प्रभावी संचालन और निरंतर मूल्यांकन और छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/प्रौद्योगिकियों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा के ट्रेनिंग कैलेंडर के अनुसार क्रिस्प भोपाल इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर, एमएसएमइ तकनीकी सेंटर भोपाल, आईआईटी इंदौर/आईआईएम इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।
- राज्य के छात्रों की बेहतर रोजगार संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय में एक कैरियर और प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है (तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग 2023-24)।

10.3.3 कौशल विकास

भारत में कामकाजी उम्र में आधी से अधिक आबादी के साथ एक अकेला जनसांख्यिकीय लाभ है। यह उच्च कामकाजी उम्र की आबादी की इस खिड़की में अधिकतम लाभ प्राप्त करने का समय है। विकास की गति के साथ लगातार विकसित होने वाले आवश्यक क्षेत्रों में जनशक्ति बनाने में कौशल एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मध्यप्रदेश 5 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते 15-59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में 59% आबादी के साथ 23 वर्ष की औसत आयु है। कृशल

कार्यबल का निर्माण देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद है। इसी उद्देश्य से सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। कौशल विकास संचालनालय द्वारा विभिन्न योजनाओं में कुल 822 करोड़ राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY)

राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” लागू की गई है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। यह देश की सबसे वृहद एवं व्यापक OJT योजना है। इस योजना अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तथा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12 वीं अथवा आईटीआई या उच्च है। योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा। योजना अंतर्गत प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत युवाओं को प्रतिष्ठान में रखा जा सकता है।

प्रशिक्षण के दौरान 8000/- से 10,000/- रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होगा। 12 वीं पास को रूपये 8000/- प्रतिमाह, आईटीआई को रूपये 8500/- प्रतिमाह, डिप्लोमा को रूपये 9000/- प्रतिमाह तथा स्नातक एवं उच्च योग्यता को रूपये 10,000/- प्रतिमाह। स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरान्त MPSSDEGB द्वारा SCVT का प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

योजना अंतर्गत दिनांक 19-04-2024 की स्थिति में कुल 22,999 प्रतिष्ठान 9,25,840 अन्यर्थी पंजीकृत हैं एवं कुल 83,087 प्रकाशित पद हैं। योजना अंतर्गत कुल 36,796 अनुबंध सृजित, 27,395 अनुबंध स्वीकृत एवं 20,118 अन्यर्थी प्रशिक्षणरत हैं।

संकल्प योजना (Knowledge Awareness for Skill Enhancement and Livelihood Promotion): लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रमोट करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में संचालित है। इसमें केन्द्रांश 60% और राज्यांश 40% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 91.71 लाख व्यय हुए थे। संकल्प योजना में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में IIT दिल्ली एवं जोधपुर जैसे श्रेष्ठ संस्थानों के माध्यम से फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में अनुमानित 7000 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाये जाने की योजना पर कार्य प्रगति में है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme-NAPS)

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना भारत सरकार की योजना है, जिसमें केंद्रांश 100% है। योजना अंतर्गत शिक्षुओं को वृति की प्रतिपूर्ति (25% अथवा अधिकतम राशि रु.1500/-) का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) 31 मार्च 2022 को पूर्ण (बंद) हो चुकी है। NAPS-2 के अंतर्गत माह 01 जुलाई 2023 से केंद्र शासन का अंशदान DBT के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में NSDC द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर 6404 प्रतिष्ठानों (Establishments) एवं 2,85,375 अन्यर्थीयों (Candidates) का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिष्ठानों में संलग्न शिक्षुओं (Apprentices Engaged) की संख्या 15,267, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20,178 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23,506 रही है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि ₹. 462 लाख में से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 122.23 लाख, 2020-21 में 242.00 लाख एवं 2021-22 में 97.76 लाख का भुगतान प्रतिष्ठानों को किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में (दिनांक 14 दिसंबर 2021) राशि ₹.1000 लाख प्राप्त हुई। उक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि ₹.376.42 लाख का भुगतान PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रतिष्ठानों को किया गया है।

प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला (PMNAM)

जुलाई 2022 से प्रत्येक माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला (PM-NAM) का आयोजन किया जा रहा है। माह जुलाई 2022 से मार्च 2024 तक 17 प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला (PMNAM) आयोजित किये गये, जिसमें 34,489 अर्थर्थियों (Candidates) एवं 1,007 प्रतिष्ठानों (Establishments) ने भाग लिया तथा 17,870 अर्थर्थियों का प्राथमिक चयन हुआ।

आईटीआई ग्रेडिंग प्रकोष्ठ

प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के द्वारा अकादमिक वर्ष 2023-24 हेतु जारी ड्राफ्ट ग्रेडिंग स्कोर में प्रदेश के आईटीआई द्वारा प्राप्त ग्रेडिंग स्कोर में सफलता निम्न ग्राफ में प्रस्तुत है।

प्रदेश की कुल 702 आईटीआई को डीजीटी द्वारा निर्धारित पात्रता मापदंड 4 एवं उच्च ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त हुआ है। प्रदेश में सर्वोच्च ग्रेडिंग प्राप्त संस्था शासकीय आईटीआई रहठगांव एवं हरदा के द्वारा 10 में से 9.20 ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त हुई है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

यह योजना केंद्रीय सरकार द्वारा सितंबर 2023 से प्रारंभ की गयी है। योजना अंतर्गत 18 व्यवसायों के निर्माता (बढ़ी, नाव, कवच, लोहार, हथौड़ा और टूल किट, ताला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर, मोची/जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाङू, गुड़िया/खिलौना, नाई, माला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल) में लगे कारीगर और शिल्पकार सम्मिलित। कौशल प्रशिक्षण 2 प्रकार से दिआ जाएगा: पहली बेसिक ट्रेनिंग 5-7 दिन (40 घंटे) और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दूसरी एडवांस्ड ट्रेनिंग 15 दिवसों (120 घंटे)। प्रदेश के 14 जिलों केंद्र सरकार द्वारा चिह्नित किये गए हैं। 15 शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित।

परम (PARAM) फाउंडेशन

गैर-लाभकारी पीपीपी मॉडल के तहत विशेष आईटीआई हेतु “पैन आईआईटी एलुमनाई रीच फॉर मध्यप्रदेश (PARAM)” फाउंडेशन की स्थापना की गयी है (आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई की एक पहल)। दो चरणों में मध्यप्रदेश के 23 जिलों में स्थित कुल 42 शासकीय आईटीआई चयनित किया गया है एवं 90-100% सुनिश्चित प्लेसमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रूपये 3.5 करोड़ प्रति आईटीआई के अनुसार प्रदत्त, 25-25% राशि के रूप में म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं मध्यप्रदेश राज्य कौशल एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी।

PARAM फाउंडेशन द्वारा Auxiliary Nursing and Midwifery (ANM), Manufacturing Technician & Commi Chef (Culinary) पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना है। आईटीआई मानपुर (उमरिया), सरदारपुर (धार) घोडाडोंगरी (बैतूल), ठीकरी (बड़वानी) एवं रामा (झाबुआ) का संचालन प्रक्रियाधीन। इन 5 संस्थाओं के सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत ही अन्य संस्थाओं को हस्तांतरण प्रस्तावित है।

स्ट्राईव (Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement - STRIVE) योजना

स्ट्राईव, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केंद्रांश 100% है। यह योजना 03 जनवरी 2019 से प्रारम्भ एवं मई 2024 में पूर्ण होगी। योजना का उद्देश्य आईटीआई और अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना। योजना अंतर्गत प्रदेश की 21 आईटीआई (20 शासकीय एवं 1 निजी) एवं 05 इंडस्ट्री क्लस्टर/ एसोसिएशन चयनित हैं। स्ट्राईव के 04 रिजल्ट एरिया हैं, जिनमें कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा रिजल्ट एरिया 01, 02 एवं 04 क्रियान्वयित किया जा रहा है। 144 शासकीय आईटीआई में 201 कक्षाओं का स्मार्ट क्लास के रूप में उन्नयन किया गया, आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन, एवं अन्य कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मध्यप्रदेश में स्थित 52 रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 2023-24 में निजी क्षेत्र में 52846 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफरलेटर प्राप्त कराये गये जिसमें 8432 महिलायें, 9814 अनुसूचित जाति एवं 6011 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल हैं एवं पूर्व वर्ष 2022-23 में निजी क्षेत्र में 68098 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्राप्त कराये गये जिसमें 10439 महिलायें, 14044 अनुसूचित जाति एवं 7286 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल थे।

अध्याय 11

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

अध्याय -11

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

परिचय

मध्यप्रदेश, जिसे अक्सर “भारत का दिल” कहा जाता है, अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और व्यापक वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के विविध पारिस्थितिकी तंत्र और प्रचुर वन्य जीवन इसे भारत में जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। मध्यप्रदेश वनों, वन्यजीवों, जल संसाधनों और खनिज संसाधनों की व्यापक विविधता के साथ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। राज्य के प्राकृतिक संसाधन इसकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सतत् संसाधन प्रबंधन राज्य सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के व्यापक उद्देश्यों, विशेष रूप से, ‘भूमि पर जीवन’ के लक्ष्य 15 के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 (2020-21) में राज्य के प्रदर्शन में अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है, जहां मध्यप्रदेश लक्ष्य 15 में 84 (100 में से) अंकों के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। सतत् विकास के लक्ष्यों पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 (वर्ष 2023-24 में) भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के इस अध्याय में मध्यप्रदेश के वनों एवं वन संसाधनों, जल संसाधनों एवं खनिज संसाधनों की स्थिति, राज्य के राजस्व एवं अर्थव्यवस्था में उनके योगदान तथा शासन की प्रमुख योजनाओं की चर्चा की गयी है।

11.1. वन

मध्यप्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र (94.69 हजार वर्ग किमी) और वनावरण (77.49 हजार वर्ग किमी) की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका और जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। इससे राज्य के लिए वनों और उनके संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अति आवश्यक हो जाता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। लक्षित सरकारी योजनाओं और हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के साथ, पिछले डेढ़ दशक में वनों के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राज्य संयुक्त वन प्रबंधन को अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। यह पेसा अधिनियम को अधिसूचित करने वाले कुछ राज्यों में से एक बन गया है, जो आदिवासी समुदाय को वन संसाधनों का स्वामित्व प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण में भी अग्रणी राज्य है, जिसके दो सबसे बड़े उदाहरण प्रदेश में देश की सबसे अधिक बाघों की संख्या और चीतों की आबादी वाला देश का अकेला राज्य है।

11.1.1 महत्वपूर्ण नीतियां और पहल

मध्यप्रदेश ने संरक्षण, वन-आधारित आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार-आधारित प्रबंधन, सहभागी वन शासन, जलवायु परिवर्तन शमन, वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण-पर्यटन में सक्रिय

कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य ने कई पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य में की गई कुछ प्रमुख पहलों पर नीचे चर्चा की गई है।

मध्यप्रदेश पेसा नियम अधिसूचित

मध्यप्रदेश ने जनजातीय गौव दिवस के अवसर पर 15 नवम्बर, 2022 को अपने पेसा नियमों को अधिसूचित किया है। पेसा कानून के लागू होने से ग्राम सभाओं को वन क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। यह कानून राज्य के लिए इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यप्रदेश जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की 21.1 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय है। इस कानून के लागू होने से ग्राम सभाओं के प्राकृतिक संपदाओं के स्वामित्व और प्रबंधन से संबंधित प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं:

- भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य होगी।
- तालाब-जलाशयों का प्रबंधन और उससे हो रही आमदनी पर ग्रामसभा का अधिकार होगा।
- वनोपज के मूल्य निर्धारण का अधिकार ग्रामसभा के पास होगा।
- परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामसभा की होगी।
- भूमि की नीलामी में जनजाति वर्ग के व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी।
- खदान आवंटन में जनजाति वर्ग की सहकारी समिति, महिला व पुरुष आवेदन को उनके संवर्ग में प्राथमिकता मिलेगी।

सतत वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय एवं राज्य की वन नीति के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करके, स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं को केन्द्र में रखकर प्रदेश के वनों का पोषणीय प्रबंधन (Sustainable Forest Management) सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वनमंडल की दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती है। कार्य आयोजना का क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24 तक की स्थिति तालिका 11.1 में प्रदर्शित है। (वन विभाग)

तालिका 11.1 मध्यप्रदेश में कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त

वर्ष	कार्य आयोजनाओं के कार्यवृत्त	लक्ष्य		उपलब्धि		कुल वृक्षारोपण
		भौतिक (क्षेत्रफल हे.मैं)	आर्थिक (राशि लाख रु. में)	भौतिक (क्षेत्रफल हे. में)	आर्थिक (राशि लाख रु. में)	
2022-2023	पुनरुत्पादन समूह	173962	41036.72	173962	40788.76	74,00,310
	पुनर्स्थापना समूह	22473		22473		
2023-2024	संरक्षण समूह	1505	50874.00	1505	49816.21	91,51,450
	पुनरुत्पादन समूह	169031		169031		
	पुनर्स्थापना समूह	67098		67098		

स्रोत: मध्यप्रदेश वन विभाग

कैम्पा

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 03 अगस्त 2016 में The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 प्रकाशित किया गया। उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के लिये प्रत्यावर्तन के एवज में उपभोक्ता संस्थान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति, समग्र प्रत्याशा मूल्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तों के परिपालन में जमा की गई राशियों के योजनाबद्ध उपयोग हेतु भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त 2018 में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 प्रकाशित किये गये।

उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3692 दिनांक 14 सितम्बर 2018 से मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य प्राधिकरण) का गठन किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में उपयोगकर्ता संस्थाओं से वसूल की गयी क्षतिपूर्ति एवं एन.पी.व्ही. की राशि का योजनाबद्ध उपयोग हेतु मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा राज्य प्राधिकरण) का गठन किया गया है एवं जमा निधि के विनियमन के लिये 03 अगस्त 2016 से लागू प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों अनुसार भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त 2018 की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 प्रकाशित कर लागू किया गया है। इस प्राधिकरण के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, आवाह क्षेत्र उपचार वन्यप्राणी संरक्षण योजना तथा एन.पी.व्ही. मद की राशि से वन क्षेत्रों में बिंगड़े वनों का सुधार, बिंगड़े बांस वनों का सुधार, मुनारा निर्माण, वन सुरक्षा, वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन, रहवास एवं चारागाह विकास, ग्राम विस्थापन, अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन, रोपणियों में अधोसंरचना विकास फ्रन्टलाइन स्टॉफ हेतु कार्यालय तथा भवन निर्माण आदि कार्यों को कराया जाता है।

ग्रीन इंडिया मिशन

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लागू किए गए 8 मिशनों में से एक के रूप में ग्रीन इंडिया मिशन वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। मिशन का प्रमुख उद्देश्य वनों की स्थिति में सुधार लाकर “कार्बन संचयन” में अभिवृद्धि करना, जलागम क्षेत्रों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविकाओं को सुदृढ़ करना है। मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश की कार्य योजना वर्ष 2022-23 के लिये 32538 हेक्टेयर वनक्षेत्र का उपचार करने के लिए राशि रूपये 67.27 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2022-23 हेतु 5000 हेक्टेयर क्षेत्र कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत 26389 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित कर कुल 16,03,843 पौधों का रोपण किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कार्य कारी काउंसिल द्वारा उक्त ए.पी.ओ 2022-23 की दितीय किंशत राशि रु.14.36 करोड़ विमुक्त की गई है। साथ ही वर्ष 2023-24 के लिये 5000 हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 17154 हेक्टेयर रखरखाव कार्य हेतु 36.43 करोड़ की कार्य आयोजना का अनुमोदन किया गया है। (वन विभाग)

बांस मिशन

बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिये गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन किया गया। बांस मिशन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में बांस आधारित उद्योगों एवं परम्परागत बांस कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये कृषि एवं सामुदायिक भूमियों पर बांस रोपण को बढ़ावा देना, बांस उत्पादकता में वृद्धि हेतु नवीन बांस कृषि पद्धति को प्रोत्साहित करना, बांस प्रसंस्करण एवं उत्पाद निर्माण को प्रोत्साहित करना, बांस शिल्पियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना तथा बांस के मूल्य संवर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 1808.51 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा भारत सरकार से शत प्रतिशत राशि प्राप्त कर SNA खाते में आहरित कर व्यय कर ली गई है। इस वर्ष बांस मिशन योजना के अंतर्गत कुल 7800 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। इस हेतु 3644 हितग्राहियों को राशि रूपये 1365.71 लाख का अनुदान वितरित किया गया। इसके साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश में कुल 1125 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण कराया गया है। मिशन द्वारा वन मण्डल स्तर पर आयोजित बांस कृषि से संबंधित कार्यशालाओं के माध्यम से कुल 422 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। (बांस मिशन)

भारत सरकार द्वारा NAFED के माध्यम से प्रदेश में धार, बड़वानी, अलीराजपुर, खण्डवा, सतना एवं सीधी जिलों में 6 बांस एफ.पी.ओ (Farmer Producer Organisations) गठित हैं। सतना एवं सीधी स्थित एफ.पी.ओ द्वारा अम्लई पेपर मिल, शहडोल को कुल 983.34 टन बांस सप्लाई किया गया जिसका सीधा लाभ स्थानीय कृषकों को प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु योजना अंतर्गत रु. 2187.50 लाख की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। इसमें केन्द्रांश की राशि रु. 1312.50 लाख एवं राज्यांश की राशि रु. 875.00 लाख है।

तालिका 11.2 मध्यप्रदेश में बाँस का वर्धमान निधि


मध्यप्रदेश में बाँस का वर्धमान निधि		
वर्धमान निधि (व.नि.)		देश में बाँस की वर्धमान निधि का %
अभिलिखित वन क्षेत्र/ ग्रीन वॉश के भीतर बाँस धारित क्षेत्र (वर्ग किमी में)	18,394	12.31
कुल कल्मों की संख्या (करोड़ में)	476.2	8.93
कुल समतुल्य हरित भार (000' टन में)	22,284	5.54

स्रोत: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार

11.1.2. वन विभाग हेतु बजट आवंटन

वन विभाग के लिए राज्य द्वारा बजट आवंटन में वित्तीय वर्ष 2005-06 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच लगभग 655 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विगत वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएँ जैसे कि केम्पा, ग्रीन इंडिया, बांस मिशन, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ-साथ वनों और वनों से जुड़े मुद्दों के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वन विभाग के बजट अनुमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई गई है। (चार्ट 11.1).

चित्र 11.1 वित्त वर्ष 2005-06, 2010-11, 2015-16, 2020-21 से 2023-24 से वन विभाग को बजट आवंटन



स्रोत: अनुदानों की माँगें माँग संख्या 010—वन (उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए), मध्यप्रदेश शासन

टीफ: उपरोक्त चार्ट में वित्तीय वर्ष 2005-06, 2010-11, 2015-16, 2020-21 से 2023-24 के बजट लेख के आँकड़े लिए गये हैं।

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के वन विभाग के बजट का संशोधित अनुमान।

**वित्तीय वर्ष 2023-24 के वन विभाग का बजट अनुमान।

वन विभाग का सर्वाधिक व्यय कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 प्रतिशत होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2023-24 में विभिन्न योजना अंतर्गत जैसे लघु वनोपज संघ को अनुदान, वानिकी विस्तार, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लामांश प्रदाय, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीनइंडिया), वनोपज निकासी मार्ग का संधारण में बजट अनुमान 2022-23 के सापेक्ष शत प्रतिशत से अधिक की वृद्धि परिलक्षित हुई है। नवीन योजना “चीता प्रबंधन योजना” एवं “जंगली हाथियों का प्रबंधन” के लिए क्रमशः 3 करोड़ एवं 1.05 करोड़ वर्ष 2023-24 के लिए प्रवधानित किये गये।

11.1.3. आर्थिक गतिविधियां

राजस्व

मध्यप्रदेश वन विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1700.00 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 1421.47 करोड़ रुपये (आई.एफ.एम.आई.एस से प्राप्त आंकड़े) राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वन विभाग द्वारा विभागीय रूप से काष्ठ एवं बांस के उत्पादन तथा विभाग द्वारा कुल प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका 11.3 में दी गई है।

तालिका 11.3 काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी(घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (नग)	बांस (टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)
2019-20	209210	126811	27106	1036.83
2020-21	176472	101861	37218	1294.68
2021-22	176790	109302	35621	1444.12
2022-23	178144	109112	31742	1608.374
2023-24	190603	119027	34772	645.83

स्रोत: मध्यप्रदेश वन विभाग

- टीप- 1. इमारती लकड़ी, जलाऊ चट्टे एवं बांस की जानकारी है।
 2. राजस्व की जानकारी माह सितम्बर 2023 की स्थिति में है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कैम्पा अंतर्गत भारत सरकार को राशि रुपये 1150.36 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना प्रेषित की गई। जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 1070.61 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा कैम्पा अंतर्गत विभिन्न बजट मदो में कुल राशि रुपये 959.24 करोड़ उपलब्ध कराई गई। जिसके विरुद्ध दिनांक 31.03.2024 तक कुल 937.52 करोड़ की राशि उपयोग में ली गई।

उक्त राशि से वर्ष 2023-24 में क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत रकबा 1077.90 हेक्टर में क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 5301.658 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ 26566.42 हेक्टेयर क्षेत्र में विगत वर्षों के क्षतिपूर्ति रोपण का रखरखाव कार्य किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 में एन.पी.व्ही अंतर्गत रकबा 43464.23 हेक्टेयर में क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 30294.71 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ 102659.65 हेक्टेयर से विगत वर्षों के वृक्षारोपणों में रखरखाव कार्य किया गया है, साथ ही संरक्षित क्षेत्रों में चारागाह विकास अंतर्गत रकबा 19238.00 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रथम वर्ष के कार्य तथा रकबा 14201.55 हेक्टेयर में रखरखाव कार्य किया गया है।

नदियों के पुर्नजीवन कार्यों के अंतर्गत नर्मदा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु बन मण्डल उत्तर बालाघाट, बुरहानपुर, सीहोर, खरगौन, पश्चिम छिंदवाड़ा, पश्चिम मण्डला, पूर्व छिंदवाड़ा, पूर्व मण्डला एवं डिण्डौरी को कैम्पा अंतर्गत राशि रुपये 15.61 करोड़ स्वीकृत की गई है। यमुना नदी पुर्नजीवन के जल ग्रहण क्षेत्र उपचार अंतर्गत बन मण्डल रतलाम, दतिया एवं दमोह को राशि रुपये 4.49 करोड़ प्रदान की गई एवं गोदावरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु वन मण्डल दक्षिण सिवनी, उत्तर बालाघाट को राशि रुपये 1.86 करोड़ प्रदान की गई। उक्त राशि से जल एवं मृदा संरक्षण सबंधी विविध कार्य संपादित किये गये हैं। (वन विभाग)

म.प्र. राज्य वन विकास निगम

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। निगम स्थापना वर्ष से ही लाभ में चल रहा है और वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध लाभ ₹87.08 करोड़ है। वर्षवार उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका 11.4 में दिया गया है।

तालिका 11.4 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी(घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (नग)	बांस (टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)
2018-19	89340	88518	2360	250.14
2019-20	84186	64358	2977	223.36
2020-21	68309	57259	3748	181.88
2021-22*	60023	32938	2689	199.18
2022-23*	64166	45098	3218	218.93

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

टीप- वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़े सांविधिक अंकेक्षण के पूर्व के हैं।

लघु वनोपज

वनोपज का संग्रहण वनवासियों की उत्तरजिविता (Survival) की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर समाज के अतिनिर्धन एवं भूमिहीन परिवार, विशेषकर महिलायें रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के लिये अकाढ़ीय वनोपजों के संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। अतएव संग्राहकों की आजीविकाओं को सुटूढ़ करने के लिये अकाढ़ीय वनोपजों के प्रबंधन को संगठित करने के लिये प्रदेश में संग्राहकों के त्रिस्तरीय सहकारी संघ का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मन्त्रालय (द्राईफेड) द्वारा MFP-MSP योजना लागू किये जाने के पश्चात 32 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूतम मूल्य निर्धारित किया गया है। योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रमुखता से पाई जाने वाली 32 लघु वनोपज प्रजातियों का संग्रहण न्यूतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है।

द्राईफेड द्वारा संचालित परियोजना “प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना” के अंतर्गत 126 वन धन केंद्र में 37,800 सदस्य पंजीकृत हैं। साथ ही प्रदेश ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना (PM&JANMAN) अंतर्गत विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी वर्गों (PVTG) के लिए कुल लक्ष्य 198 पीवीटीजी वन धन केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इन जिलों से कुल 221 पीवीटीजी बन धन केंद्रों के प्रस्ताव TRIFED, जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं जिसमें से TRIFED द्वारा अभी तक प्रदेश में स्थापना के लिए कुल 57 पीवीटीजी वनधन केंद्र स्वीकृत किये गए हैं। (वन विभाग)

एक जिला एक उत्पाद योजनात्मक मध्यप्रदेश के अलीराजपुर तथा उमरिया जिले में महुआ का चयन किया गया है। उच्च गुणवत्ता का महुआ सग्रहण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। सग्रहित महुआ के सुरक्षित भडारण/विपणन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही महुआ के मूल्ला सवर्धन से कई उत्पादों को भी तैयार किया जा रहा है। इन तैयार उत्पादों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों/मेलों में प्रदर्शित भी किया जा रहा है। विपणन को और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु ई-प्लेटफार्म का भी उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।

बॉक्स 11.1 राष्ट्रीय महुआ कान्क्लेव

महुआ के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक उन्नयन“ विषय पर दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को एक दिवसीय राष्ट्रीय महुआ कान्क्लेव का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में माननीय मंत्री, वन विभाग की विशेष उपस्थिति में किया गया। कान्क्लेव में देश के कई राज्यों तथा लंदन और पेरिस के प्रख्यात व्यापारियों, उत्पादकों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, सलाहकारों, आयुर्वेद चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों ने महुआ के औषधीय, पोषण और सामाजिक आर्थिक संबंधी पहलू पर एक नए दृष्टिकोण के साथ गहन परिचर्चा और मंथन किया।

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश में जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, (MPSOCA) भोपाल के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश के 7 जिलों के 8 जिला यूनियनों (उमरिया, अलीराजपुर दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, पश्चिम मडला, खंडवा, सीधी एवं सीहोर) में 78519.62 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं।

प्राथमिक लघु वनोपज समितियों को व्यापक स्तर पर बाजार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग अनुसार वनोपज की आपूर्ति हेतु ऑर्योनिक सर्टिफिकेट प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 जिलों के 3 जिला यूनियनों (नर्मदापुरम, पूर्व मडला एवं पूर्व छिदवाड़ा) में 40684.61 हेक्टेयर वन क्षेत्र के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

तेंदुपत्ता: मध्यप्रदेश तेंदुपत्ता (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1964 के माध्यम से तेंदुपत्ते के व्यापार का विनियम करने एवं व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के प्रावधान किये गये हैं। व्यापार से हुए लाभ की अधिकतम राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाती है। विगत चार वर्षों में प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण एवं निवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है। (तालिका 11.5)

तालिका 11.5 तेंदुपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन

(मात्रा लाख मानक बोरों (लाख/मा.बो.) में; राशि ₹ करोड़ में)

संग्रहण वर्ष	कुल संग्रहित मात्रा (लाख/मा.बो.)	विक्रित मात्रा (लाख/मा.बो.)	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
2020	15.88	15.88	607.42
2021	16.59	16.50	844.75
2022	18.03	18.03	1116.35
2023	12.07	12.07	623.43

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज “व्यापार एवं विकास” सहकारी संघ मर्यादित

11.1.4 संरक्षण और आजीविका

वन्यप्राणी संरक्षण

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं का सतत संचालन सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 अभ्यारण्य हैं जिसमें 7 टाईगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 1 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (एवं अन्य जलजीव) अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 11.198 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें सेवन क्षेत्र 9.46 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वनक्षेत्र है। संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों को समाप्त करने एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2022-23 में 2 ग्राम के 100 परिवारों को पुर्णस्थापित किया गया है। वर्ष 2023-24 में राशि रु. 82.08 करोड़ से 2 ग्रामों के 547 परिवारों का पुनर्स्थापित किया गया। (वन विभाग)

वन्य प्राणी गणना: अखिल भारतीय बाघ आंकलन वर्ष 2022 के परिणाम 29 जुलाई 2023 को घोषित किये गये जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में 785 बाघ अनुमानित (Estimated) हैं जो कि भारत के कुल अनुमानित बाघों 3167 का लागभग 25 प्रतिशत है। इसके पूर्व वर्ष 2018 में आंकलन किया गया था। जिसमें मध्यप्रदेश में 526 बाघ अनुमानित (Estimated) थे। विगत वर्षों में किये गये प्रबंधकीय प्रयासों का परिणाम है कि न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी द्वारा सी.एस.आर अंतर्गत कुल राशि रु. 23.51 करोड़ विभिन्न वन्यप्राणी संरक्षण जागरूकता व कर्मचारी कल्याण से जुड़े हुए कार्यों हेतु प्राप्त की गई है। (वन विभाग)

वन प्रबंधन में जन भागीदारी

संयुक्त वन प्रबंधन समितियां: वित्तीय वर्ष 2022-23 में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय हेतु राशि रु. 5500.00 लाख का बजट प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध राशि 5500.00 लाख व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय हेतु राशि रु. 16000.00 लाख का बजट प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध राशि 15940.27 लाख व्यय किया जा चुका है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियां: जैवविविधता अधनियम, 2002 के तहत देश के स्थानीय निकायों में जैवविविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने और इसके दस्तावेजीकरण के लिए राज्य में जैवविविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committee-BMCs) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के दायरे में राज्य में कुल 23,557 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन/पुर्णगठन किया गया है। बोर्ड के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2023-24 में उक्त समस्त समितियों के स्तर पर प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटाबेस के आधार पर लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण किया गया है।

ईको पर्यटन

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र एवं अभयारण्य राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों के लिये प्रमुख आकर्षण हैं। संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ऑन लाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। पर्यटन वर्ष 2022-23 में लगभग 26 लाख एवं वर्ष 2023-24 में 17.6 लाख पर्यटकों का मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में आगमन हुआ है। ईकोपर्यटन गतिविधियों को विस्तारित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में संशोधन करके नवीन वन्यप्राणी अनुभव एवं मनोरंजन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है। ईकोपर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गंतव्य स्थलों का विकास किया जा रहा है, म.प्र.शासन द्वारा आरक्षित वनों में ईकोपर्यटन विकास हेतु म.प्र.वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 के तहत माह नवम्बर 2023 तक कुल 148 स्थल अधिसूचित किये जा चुके हैं। इनका संचालन/प्रबंधन स्थानीय वन समिति एवं आऊटसोर्सिंग निविदा के माध्यम से किया जा रहा है। (वन विभाग)

अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य को बढ़ावा देने के लिए 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के अन्तर्गत उच्च तकनीकी रोपणियाँ संचालित की जा रही हैं। सामाजिक वानिकी रोपणियों से वर्ष 2023 के रोपण हेतु लगभग 4.64 करोड़ पौधे निवर्तित किये जा चुके हैं। विभाग से बाहर गैर वन क्षेत्रों में 23.54 लाख पौधों का प्रदाय किया गया है। गैर वन क्षेत्रों में पौधों के विक्रय से राशि रु. 9.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024 के रोपण हेतु सामाजिक वानिकी रोपणियों में 6.70 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं।

विभागीय रोपणों हेतु सामाजिक वानिकी रोपणी में 55,000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया गया जो क्षेत्रीय वनमंडलों को वर्ष 2024 के रोपण हेतु प्रदाय किया जायेगा। विस्तार वानिकी योजना अन्तर्गत वर्ष ऋतु 2023 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के 9.90 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है। (वन विभाग)

11.2. जल संसाधन

मध्यप्रदेश जल संसाधनों से सम्पन्न राज्य है। जल एक सीमित संसाधन है जिसकी लगातार मांग बढ़ रही है, अतः जल के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है, जिसका 56.8 लाख हेक्टेयर मीटर प्रदेश द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रदेश में नर्मदा, चम्बल, बेतवा, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा एवं माही आदि वर्षा पोषित नदियों का उद्भव हुआ है। राज्य की नदियां केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्भव हिम विहीन पर्वतों से होता है। प्रदेश में भूर्भुर्य जल की मात्रा 34,159 मिलियन घन मीटर आंकलित है (जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश)। नदियों के अतिरिक्त, प्रदेश की झीलें, तालाब और वेटलैंड्स (wetlands) भी जल संसाधन तंत्र में शामिल हैं।

प्रदेश में जल संसाधनों के विकास, संरक्षण एवं प्रबंधन में विभिन्न विभागों का योगदान रहता है, जिनमें से जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा धाटी विकास विभाग प्रमुख है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री

कृषि सिंचाई योजना तथा अमृत सरोवर योजना आदि के माध्यम से भी जल संसाधनों के विकास एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं। जल संसाधन विभाग के लिये विभिन्न सब स्कीमों अंतर्गत वर्ष 2023-24 का कुल बजट अनुमान राशि ₹7972.50 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित अनुमान राशि ₹6505.79 करोड़ रहा (म.प्र. जल संसाधन विभाग)। इसी प्रकार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिये विभिन्न सब स्कीमों अंतर्गत वर्ष 2023-24 का कुल बजट अनुमान राशि ₹3867.33 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित अनुमान राशि ₹6745.55 करोड़ रहा (मध्यप्रदेश वित्त विभाग, 2023-24)।

बॉक्स 11.2 राज्य की जल नीति में पारंपरिक एवं आधुनिक ज्ञान का सामंजस्य

प्रदेश की बदलती परिस्थितियों तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के जल संसाधनों के संरक्षण, भंडारण, प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य जल नीति, 2003 में आवश्यक संशोधन कर मध्यप्रदेश राज्य जल नीति, 2022 (ड्राफ्ट) तैयार की गयी है, जो राज्य की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं एवं जल चुनौतियों के लिये समाधानकारी साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में उक्त जल नीति (ड्राफ्ट) पर विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से देश-प्रदेश के विष्यात विषय विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम 30 सितंबर, 2022 को आयोजित किया गया।

जल एक सार्वजनिक संपदा है अतः जल के उपभोग, वितरण, संरक्षण एवं संवर्धन में शासन, नागरिक संस्थाएँ एवं जन साधारण की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। घरेलू, कृषि, उद्योग क्षेत्रों में उपयोग के साथ ही जल सांसाधन पारिस्थिकी तंत्र बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। प्रदेश की नवीन जल नीति में इन सभी हितधारकों का ख्याल रखते हुये पारंपरिक और सांस्कृतिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा दिया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जल नीति, 2022 (ड्राफ्ट) में राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के विभिन्न पहलुओं को भी समाहित किया गया है।

11.2.1 वेटलैण्ड्स संरक्षण एवं प्रबंधन

वेटलैण्ड्स का मानव सभ्यता, संस्कृति और जैव विविधता को समृद्ध बनाने में बड़ा योगदान है। यही वजह है कि धार्मिक ग्रंथों, आस्थाओं, लोक परंपराओं, साहित्य, कहानियों, कविताओं में पानी, तालाब, पोखर, नदी इत्यादि का वर्णन मिलता है। हम अपने आसपास इन वेटलैण्ड्स को छोटे-बड़े तालाब, सागर, पोखर, झील, ताल, तलैया, आगर और पुष्कर के रूप में पुकारते हैं और देख भी सकते हैं। प्रायः वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, इसी तरह वेटलैण्ड्स को धरती के गुर्दे कह सकते हैं।

रामसर संधि पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 02 फरवरी को विश्व वेटलैण्ड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व वेटलैण्ड्स दिवस-2024 का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 02 फरवरी 2024 को सिरपुर, इन्दौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

भारत शासन के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वर्ष 2017 में वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम बनाए गए हैं, जिसके पालन में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का गठन किया गया है। हमारे प्रदेश में भी मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण क्रियाशील है। वेटलैण्ड नियम 2017 में उल्लेखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के अनुसार राज्य वेटलैण्ड

प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 15152 तालाबों का एक डिजिटल प्रलेख तैयार किया गया है (पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश)।

वेटलैण्ड नियम 2017 के पालन में राज्य के ऐसे सभी वेटलैंड्स जिन्हें संरक्षित करने के लिए भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा आर्थिक निवेश किया जा रहा है, उन्हें अधिसूचित करने का कार्य भी प्रक्रिया में है। रामसर साइट अथवा नियमों के अंतर्गत अधिसूचित होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इन वेटलैण्ड्स पर वेटलैण्ड नियम 2017 पूर्णतः लागू हो जाते हैं। राज्य के ऐसे सभी वेटलैण्ड्स जो पर्यावरण के साथ-साथ आजीविका, पेयजल एवं सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी वेटलैण्ड्स को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना' (National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems-NPCA) अंतर्गत राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में NPCA योजनांतर्गत अमृत सागर तालाब, रत्लाम, सीता सागर, दतिया, सिंध सागर, ईसागढ़, जिला अशोकनगर, शिवपुरी तालाब, शिवपुरी संचालित हैं। इसके अतिरिक्त धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स, धार एवं गिरवर तालाब शाजापुर का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है तथा सिरपुर वेटलैण्ड, इन्दौर पंचवर्षीय एकीकृत प्रबंधन योजना जिसकी प्रस्तावित लागत 61.95 करोड़ की योजना तैयार की गयी है (पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश)।

वेटलैण्ड नियम 2017 के ऐसे सभी 10 वेटलैंड्स (रामसर साइट्स सहित) जिन्हें संरक्षित करने के लिए भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा आर्थिक निवेश किया जा रहा है, उन्हें अधिसूचित करने का कार्य प्रक्रिया में है। रामसर साइट अथवा नियमों के अंतर्गत अधिसूचित होने के पश्चात इन वेटलैण्ड्स पर वेटलैण्ड नियम 2017 पूर्णतः लागू हो जाते हैं। नियम लागू होने के पश्चात वेटलैण्ड्स का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। प्रदेश के 04 रामसर साइट हैं तथा तवा जलाशय, नर्मदापुरम् का रामसर साइट का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत शासन को प्रेषित किया गया है (पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश)।

भारत सरकार के परामर्श पर रामसर सचिवालय के वेटलैण्ड सिटी अधिमान्यता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के दो शहर क्रमशः इन्दौर एवं भोपाल शहर को वेटलैण्ड सिटी के रूप में अधिमान्यता दिलाने हेतु भारत सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव रामसर सचिवालय, स्विजरलैण्ड को प्रस्तुत किया गया। मध्यप्रदेश इस कार्य को करने में देश का अग्रणी राज्य है। इस अधिमान्यता से दोनों शहरों की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान दर्शित होगी तथा शहरों के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही तालाबों के संरक्षण एवं शहरों के पर्यावरणीय विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता की संभावनाएं बढ़ेंगी।

11.2.2 मध्यप्रदेश में भूजल की स्थिति

केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकलन अनुसार वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश का कुल वार्षिक पुनर्मरणीय भूजल संसाधन 35.47 बिलियन घन मीटर (BCM) है, जिसमें वर्ष 2022 (35.24 BCM) की तुलना में मामूली वृद्धि देखी गयी है। सामान्य तौर पर, वृद्धि का कारण वर्षा पुनर्मरण में वृद्धि और जल संरक्षण

संरचनाएँ के कार्यान्वयन को माना जा सकता है। प्रदेश में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता में भी वर्ष 2022 की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 32.58 BCM शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्ध था, जो वर्ष 2023 में संवृद्धि होकर 32.85 BCM हो गया।

वार्षिक भूजल ड्राफ्ट विभिन्न उपयोगों के लिए प्रतिवर्ष निकाले गए भूजल की मात्रा को कहा जाता है, वर्ष 2023 में प्रदेश का कुल वार्षिक भूजल ड्राफ्ट 19.30 BCM रहा, जिसमें से सिंचाई हेतु 17.40 BCM (90.15 प्रतिशत), औद्योगिक उपयोग के लिये 0.17 BCM (0.88 प्रतिशत) एवं घरेलू उपयोग में 1.72 BCM (8.91 प्रतिशत) रहा (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2023)। तालिका 11.6 में प्रदेश के भूजल संसाधन का वर्षवार विवरण उपलब्ध है।

तालिका 11.6 मध्यप्रदेश में भूजल संसाधन का सारांश

विवरण	वर्ष 2013	वर्ष 2017	वर्ष 2020	वर्ष 2022	वर्ष 2023
कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (BCM में)	35.98	36.42	36.16	35.24	35.47
शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता (BCM में)	34.16	34.47	33.38	32.58	32.85
वार्षिक भूजल ड्राफ्ट (BCM में)	19.36	18.88	18.97	19.25	19.3

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट - 2013, 2017, 2020, 2022, 2023

स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट, शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता एवं वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल का अनुपात है, जिसे प्रतिशत में आंका जाता है। मध्यप्रदेश में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट में लगातार वृद्धि हुई है। प्रदेश में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट वर्ष 2023 में 58.75 प्रतिशत रहा। हालांकि, यह इसी अवधि में देश के स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट आंकड़ों से कम है, लेकिन मध्यप्रदेश एवं देश के बीच स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट आंकड़ों का फासला लगातार कम हो रहा है। वर्ष 1995, 2017, 2020, 2022 एवं 2023 में भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट क्रमशः 30.04 प्रतिशत, 63.33 प्रतिशत, 61.60 प्रतिशत, 60.08 प्रतिशत एवं 60.08% रहा (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2023) (चित्र 11.2)।


चित्र 11.2 मध्यप्रदेश एवं भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट की तुलना



स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड, 1995, 2013, 2017, 2020, 2022, 2023

भूजल विकास के आधार पर आंकलन इकाइयों / विकासखंडों को पांच श्रेणियों नामतः सुरक्षित (Safe), सेमी-क्रिटिकल (Semi-Critical) , क्रिटिकल (Critical), अति-शोषित (Over-Exploited) एवं खारा (Saline) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश में सुरक्षित विकासखंडों की संख्या 264 थी, जो वर्ष 2023 में घटकर 226 (71% इकाइयां/विकासखंड) हो गयी। यह भूजल संसाधनों पर लगातार बढ़ रहे दबाव की ओर इशारा करती है। इसी अवधि में, सेमी-क्रिटिकल इकाइयों/विकासखंडों की संख्या 19 से बढ़कर 60 (19% इकाइयां/विकासखंड) तथा अति-शोषित विकासखंडों की संख्या 24 से बढ़कर 26 (8% इकाइयां/विकासखंड) हो गयी है। वर्ष 2022 के आंकलन अनुसार देश की कुल 7089 आंकलन इकाइयां/विकासखंड में से 4780 सुरक्षित (67% इकाइयां/विकासखंड), 885 सेमी-क्रिटिकल (12% इकाइयां / विकासखंड), 260 क्रिटिकल (4% इकाइयां / विकासखंड), 1006 अति-शोषित (14% इकाइयां / विकासखंड) एवं 158 खारा (2% इकाइयां / विकासखंड) श्रेणी में वर्गीकृत हैं। भूजल विकास के आधार पर प्रदेश के विकासखंड/ इकाइयां के रुझानों को नीचे चित्र 11.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 11.3 भूजल विकास के आधार पर म.प्र. के विकासखंडों का वर्गीकरण




स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2013, 2017, 2020, 2022, 2023

मूल्यांकन वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में प्रदेश की चार आंकलन इकाइयों/विकासखंडों के भूजल में यथावत स्थिति देखी गई है। मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग जिसे “मालवा क्षेत्र” के नाम से जाना जाता है में आने वाली लगभग सभी अति-शोषित मूल्यांकन इकाइयां, जहाँ भूजल दोहन में पिछले दशकों के दौरान कई गुना वृद्धि हुई है। (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2023)।


इसके अलावा, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में मई माह के दौरान, जो मानसून से पूर्व कि स्थिति दर्शाता है में भूजल जमीनी स्तर से 40 मीटर नीचे तक गिरता है। वर्ष 2019-20 में भूजल स्तर जमीनी स्तर से 50 मीटर से भी नीचे आ गया था, हालांकि वर्ष 2022-23 में जलस्तर में सुधार हुआ है। अंकित चित्र 11.4 एवं 11.5 में मानसून से पूर्व और मानसून के पश्चात जलस्तर की गहराई दर्शायी गयी है।

चित्र 11.4 मई माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)



स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2013, 2017, 2020, 2022, 2023

चित्र 11.5 नवम्बर माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)



स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2013, 2017, 2020, 2022, 2023

मानसून के बाद के स्थिति के लिए माह नवंबर का जलस्तर देखा जाता है, नवंबर में भूजल की गहराई, जमीनी स्तर से 37-47 मीटर की सीमा में देखी गई है। वर्ष 2017-18 के बाद मानसून के पश्चात भी भू-जल स्तर में गिरावट का झ़ज़ार दिखता है।

नीचे अंकित तालिका 11.7 अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि प्रदेश में सामान्य वर्षा की तुलना में मानसून वर्षा अनियमित हो रही है।


तालिका 11.7 मध्यप्रदेश में मानसून वर्षा का सारांश

मूल्यांकन वर्ष	सामान्य वर्षा (mm)	मानसून वर्षा (mm)	रिमार्क
2013-14	953	1274.2	34.3% अधिक वर्षा
2015-16	938	829.0	10.0% कम वर्षा
2017-18	977.5	653.9	25.0% कम वर्षा
2019-20	940.6	1351.1	44% अधिक वर्षा
2021-22	940.6	945.2	सामान्य वर्षा
2022-23	1082.17	1138.6	5.2% अधिक वर्षा

स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2013, 2017, 2020, 2022, 2023

चित्र 11.6 में प्रदेश के जिलों में वर्षा का पैटर्न दर्शाया गया है। वर्षा 2021 की तुलना में 2022 में अधिक वर्षा वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि कम वर्षा वाले जिलों की संख्या में कमी आई है।

चित्र 11.6 मध्य प्रदेश के जिलों में वर्षा की तुलना




स्रोत: केंद्रीय मूजल बोर्ड, 2022, 2023

वर्षा के क्षेत्रीय पैटर्न में, प्रदेश के दो जिलों को छोड़कर शेष जिलों में सामान्य या अधिक वर्षा हुई। प्रदेश के पूर्वी जिले रीवा एवं सिंगराली में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है।

चित्र 11.7 सामान्य वर्षा की तुलना में मानसून वर्षा, 2022

DISTRICT-WISE RAINFALL CATEGORY, MADHYA PRADESH 2022



स्रोत: केंद्रीय मूजल बोर्ड रिपोर्ट, मध्यप्रदेश 2022-23

11.2.3 मध्यप्रदेश के जलाशय


केंद्रीय जल आयोग देश के 150 बड़े जलाशयों की निगरानी करता है। इनमें से 11 जलाशय मध्यप्रदेश के हैं। दिनांक 4 जनवरी, 2024 तक इन जलाशयों के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 11 जलाशयों में से 3 जलाशयों में पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) पर उनकी लाइव स्टोरेज क्षमता 80 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन, अटल सागर बांध में FRL पर लाइव स्टोरेज 30 प्रतिशत से कम वर्तमान भंडारण है। मध्यप्रदेश में प्रमुख जलाशयों के जलस्तर का विवरण तालिका 11.8 पर उल्लेखित है (सेंट्रल वाटर कमिशन)।

तालिका 11.8 मध्यप्रदेश के प्रमुख जलाशयों का सारांश

क्र.	जलाशय का नाम	FRL (m)	वर्तमान जलाशय स्तर (m)	FRL पर लाइव क्षमता (BCM)	मौजूदा लाइव स्टोरेज (BCM)	FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज		
						वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	विगत 10 वर्षों का औसत
1	गांधी सागर	399.90	398.18	6.827	5.590	82	84	74
2	तवा	355.40	353.48	1.944	1.686	87	83	67
3	बरगी	422.76	420.45	3.180	2.576	81	94	83
4	बाणसागर	341.64	339.19	5.166	4.068	79	88	74
5	इन्द्रासागर	262.13	259.51	9.745	7.242	74	78	65
6	बरना बांध	348.55	346.23	0.456	0.305	67	85	66
7	ओंकरेश्वर	196.60	195.39	0.299	0.166	56	32	27
8	संजय सरोवर	519.38	515.70	0.508	0.246	48	46	36
9	राजधान बांध	370.89	367.80	1.945	1.342	69	82	61
10	कोलार बांध	462.20	456.70	0.270	0.171	63	69	40
11	अटल सागर	346.25	332.90	0.835	0.240	29	73	53

स्रोत- सेंट्रल वाटर कमिशन, <https://cwc.gov.in/reservoir-level-storage-bulletin> 04.01.2024 की स्थिति में

चित्र 11.8 FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज



स्रोत: सेंट्रल वाटर कमिशन, <https://cwc.gov.in/reservoir-level-storage-bulletin> 04.01.2024 की स्थिति में

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास एवं सैंच्य क्षेत्र में वृद्धि हेतु उपयोगी संसाधन एवं सिंचाई प्रक्रिया में बेहतर वैज्ञानिक प्रगति लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाँच की गई थी। इस योजना के आरंभ से ही ए.आई.बी.पी. एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंश बना दिया गया।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) में जल संसाधन विभाग की कुल 10 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 5,01,100 हेक्टेयर है। इन परियोजनाओं में से कुल 09 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 01, (पेंच परियोजना) वर्ष 2024 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। इन समस्त परियोजनाओं से 5,01,100 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के विरुद्ध मार्च 2023 तक कुल 4,99,398 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है।
- कमाण्ड क्षेत्र विकास** - कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत 23 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं को वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत चयनित किया गया है। इन संचालित 10 परियोजनाओं में फिल्ड चैनल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 7.200 हजार हेक्टे के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर 2023 तक 0.00 हजार हेक्टे कार्य संपादित किया गया है एवं राशि रु. 28.27 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 4.416 करोड़ व्यय किये गये हैं (म.प्र. जल संसाधन विभाग)।
- अटल भूजल योजना:** अटल भूजल योजना के अंतर्गत बुंदेलखण्ड अंचल के सेमी क्रिटिकल क्षेत्र के छ: जिलों (सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छत्तरपुर एवं निवाड़ी) के नौ विकासखण्डों (सागर जिला का सागर दमोह जिला का पथरिया, पन्ना जिला का अजयगढ़, टीकमगढ़ जिला का वल्देवगढ़ एवं पलेरा, निवाड़ी जिला का निवाड़ी एवं छत्तरपुर जिला का छत्तरपुर, नौगांव एवं राजनगर विकासखण्डों) में भूजल संवर्धन के कार्य के लिये राज्य शासन से रूपये 314.54 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। योजना की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2025 तक निर्धारित है। इस योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा ई.एफ.सी. तथा विश्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेन्डम ऑफ एग्रीनेन्ट (MOA) हस्ताक्षरित किया जाकर परियोजना के कियान्वयन हेतु SLISC, SPMU, DPIU, समितियों का गठन किया गया है।
- जल संसाधन विभाग को वर्ष 2022-23 हेतु राशि रु. 14.50 आवंटन विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त हुआ है। जिसमें से राशि रु. 2.8514 करोड़ रूपये दिनांक 31.08.2023 तक उपयोग किया जा चुका है।

11.3. खनिज

राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश; देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। हीरा उत्पादन में मध्यप्रदेश राज्य की भारतीय संघ में एकाधिकारी स्थिति है। जानकारी अद्यतन होने तक भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में खनिजवार उत्पादन के प्रावधिक राष्ट्रीय आंकड़ों में मध्यप्रदेश राज्य का स्थान ताप्र अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क में प्रथम, रॉक फॉस्फेट में द्वितीय, चूना पत्थर में तृतीय, कोयला में चतुर्थ, लौह अयस्क एवं बॉक्साइट में षष्ठम है।

बॉक्स 11.3 विभाग की विशिष्ट की उपलब्धि

दिनांक 22 जनवरी 2024 को केन्द्रीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मण्डल (CGPB) की बैठक एवं दिनांक 23 जनवरी 2024 को राज्यों के खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश राज्य का वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में खनि खण्डों (Mining Blocks) की नीलामी में प्रथम स्थान आने पर भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

11.3.1 महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं पहल

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996

मध्यप्रदेश राज्य में खनिज साधन विभाग द्वारा खनिजों के अन्वेषण, दोहन एवं संरक्षण का कार्य भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा स्थापित अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत सतत् रूप से किया जा रहा है। म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 22/01/2021 के मूल संशोधन उपरांत आम व्यवसायियों के लिए और अधिक सुविधा जनक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 07/10/2022 से मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों में संशोधन किया जाकर वार्षिक डेडरेंट की राशि जमा करने का प्रावधान 02 किश्तों में किया गया तथा ब्याज राशि घटाकर 24 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत किया गया।

रियायतों की सैद्धांतिक स्वीकृति उपरांत अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति के संबंध में पूर्व में निर्धारित 06 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह किया गया तथा वन भूमि होने की स्थिति में औपचारिकताएँ पूर्ण करने के लिए 12 माह के स्थान पर 24 माह की अवधि प्रावधानित की गई। अनुसूची पाँच के 31 नवीन गौण खनिजों के संबंध में भी आवंटन में गति लाने हेतु प्रदेश स्तर पर ई-टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई है एवं 20 हेक्टेयर तक के निजी भूमि के मामलों में खदानों का आवंटन भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर पट्टे पर दिये जाने के प्रावधान से गति लायी गयी है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिये जाने एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजन को दृष्टिगत रखते हुए खनिज नियमों में पर्याप्त वांछित संशोधन किए गए हैं, जिससे खनिज संसाधनों का दोहन एवं संरक्षण समुचित रूप से किया जा सके। खनिजों के बाजार मूल्य नियंत्रण एवं निजी एकाधिकार को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन के अधीन मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से भी रेत सहित अन्य गौण खनिजों के दोहन एवं व्यापार का कार्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश रेत नियम

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 दिनांक 30/08/2019 से लागू किए गए हैं, जिनमें मूल रूप से ई-निविदा का कार्य म.प्र. राज्य खनिज निगम स्तर से किया गया। निरस्त/समर्पित जिला रेत समूहों की प्रश्वातवर्ती ई-निविदा का कार्य कलेक्टर (खनि शाखा) द्वारा किया गया था। दिनांक 30/06/2023 तक पूर्व से निविदा वाली खदानें संचालित थीं, दिनांक 01/07/2023 से आगामी अवधि के लिए मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 में आवश्यक संशोधन म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 26/05/2023 से किए गए हैं। किये गये संशोधन अनुसार पूर्व से वैधानिक अनुमति प्राप्त खदानों को ही ई-निविदा में रखा जाना प्रावधानित किया गया है।

प्रदेश में घोषित समस्त रेत खदानों के उत्खनिपट्टे, म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31/05/2023 से स्वीकृत किए गए हैं तथा समस्त वैधानिक अनुमतियाँ म.प्र. राज्य खनिज निगम के पक्ष में प्राप्त की जा रही हैं। दिनांक 26/05/2023 के प्रावधानित संशोधनों के उपरांत ई-निविदा सह नीलामी का कार्य म.प्र. राज्य खनिज निगम के द्वारा किया गया है। प्रारंभिक निविदा दर ₹ 250/- प्रति घनमीटर के मान से रखी गई हैं। ई-निविदा सह नीलामी की कार्यवाही में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के उपरांत नीलामी कार्य संपादित किया जाता है।

पर्यावरण प्रबंधन/पर्यावरण मंजूरी

पर्यावरण प्रबंधन अंतर्गत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 44 में प्रत्येक उत्खननपट्टा/खनि रियायतधारी को उत्खनन संक्रिया करते समय पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए यथासंभव सावधानियाँ बरतते हुए कार्य किया जाना प्रावधानित है। इसी प्रकार नियम 46 में सार्वजनिक स्थानों की क्षति, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतना भी प्रावधानित है।

नियमों में पर्यावरण प्रबंधन योजना का भी प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश की खदानों में पर्यावरणीय मानदण्डों के नियंत्रण हेतु आवश्यक मानक स्थापित किए गए हैं। मानकों के उल्लंघन अथवा सुधारात्मक स्थितियाँ नहीं होने की दशा में परियोजना प्रस्तावकों के ऊपर शास्ति (Penalty) अधिरोपित किए जाने के प्रावधान भी किये गये हैं।

प्रदेश में पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रियाओं का सरलीकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने से पर्यावरण स्वीकृति जारी करने तक समस्त प्रक्रिया Online है एवं परियोजना प्रस्तावकों की सुविधा हेतु उनके प्रकरणों की जानकारी की अद्यतन स्थिति MP-SEIAA की बेवसाईट पर भी दर्शित है तथा SEIAA व SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावकों की सुविधा के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति पत्र एवं समस्त पत्राचार राष्ट्रभाषा हिन्दी में किया जा रहा है। (पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश)

राज्य शासन की मंशा अनुरूप SEIAA व SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु पूर्व निर्धारित समय-सीमा को पुनरीक्षित कर बी-2 श्रेणी के प्रकरणों के लिये 30 कार्यदिवस एवं बी-1 श्रेणी के लिये 60 कार्यदिवस (30 कार्यदिवस ToR जारी किये जाने एवं 30 कार्यदिवस पर्यावरण स्वीकृति हेत) समय-सीमा में निराकरण किया जा रहा है (पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश)।

प्रदेश में पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए समय सीमा में जिले से एकल प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति में लगने वाले समय एवं परेशानियों को देखते हुए म.प्र. राज्य खनिज निगम के द्वारा भी परियोजना प्रस्तावक के रूप में पर्यावरण स्वीकृति सहित अन्य वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त की जा रही हैं। आगामी समय में ई-निविदा सह नीलामी/ई-निविदा में वांछित वैधानिक अनुमतियाँ शासन स्तर से प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की प्रक्रिया चल रही है (खनिज साधन विभाग)।

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण

मध्यप्रदेश में खनिज क्षेत्र के विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से खनि रियायतों के आवंटन को पारदर्शी एवं सरलीकृत किया गया है, जिससे औद्योगिक निवेश को यथासंभव प्रोत्साहित किया जा सके। भौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है तथा आवेदकों के आवेदनों की प्रक्रिया को ई-खनिज पोर्टल के माध्यम से समय सीमा में निराकरण हेतु ऑनलाईन आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। (खनिज साधन विभाग)

खनन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग

खनन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का अनुप्रयोग कर खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मानव रहित आई-चेकगेट स्थापित करने की परियोजना प्रगति पर है। ई-गवर्नेंस और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक नवीन एकीकृत पोर्टल, ई-खनिज पोर्टल 2.0 का विकास किया जा रहा है। विभाग इस पोर्टल की सहायता से सिंगल विन्डो प्लेटफार्म स्थापित कर पट्टाधारक/नागरिकों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करेगा। इससे पारदर्शिता, राजस्व वृद्धि एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर नियंत्रण स्थापित होगा। अवैध उत्खनन एवं भण्डारण की सम्यक रोकथाम हेतु उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली (Mining Surveillance System-MSS) का विकास किया गया है, जो वर्तमान में मुख्य खनिज की खदानों के लिए कार्य कर रहा है तथा इसे गौण खनिज की खदानों के लिए विस्तार देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। इस अवधारणा के पूर्ण साकार होने पर राजस्व अपवंचन एवं खनन संबंधी अनियमितता पर उचित नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। (खनिज साधन विभाग)

11.3.2. राज्य में खनिज भंडार

खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण उपरान्त खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निर्वतन उपरान्त खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है। राज्य में आर्थिक दृष्टि से खनिज संसाधन मुख्य खनिज, 31 नवीन गौण खनिज एवं गौण खनिजों में वर्गीकृत हैं। मुख्य खनिजों एवं प्रमुख 31 नवीन गौण खनिजों के आंकलित भण्डारों की स्थिति का विवरण तालिका 11.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 11.9 प्रदेश के खनिज भण्डार

मुख्य खनिज	कुल भण्डार (01.04.2020 तक)
हीरा	28.59
आयरन ओर (हेमेटाइट)	356.99
मैंगनीज अयस्क	60.05
कोयला	30217.00
चूनापत्थर	9653.17
रॉक फॉस्फेट	58.45
कॉपर ओर	386.66
बॉक्साइट	186.25
31 नवीन गौण खनिज	कुल भण्डार (01.04.2015 तक)
पायरोफिलाइट	28.55
डोलोमाइट	2311.39
डायस्पोर	7.56

स्रोत : इंडियन मिनरल इयर बुक 2022 (वॉल्यूम 3 मिनरल रिव्यू), भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित

नोट :- हीरे के भण्डार की इकाई मिलियन कैरेट है तथा अन्य सभी खनिजों के भण्डार की इकाई मिलियन टन है।

11.3.3 राज्य में खनिज अन्वेषण

खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण उपरांत खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निर्वतन उपरांत खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है।

वर्ष 2023-24 में जिला सतना में 02 क्षेत्र, एवं जिला दमोह में 01 क्षेत्र पर चूनापत्थर खनिज हेतु तथा जिला डिण्डोरी में 01 क्षेत्र पर खनिज बॉक्साइट हेतु पूर्वेक्षण कार्य किया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों पर पूर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा भण्डार आंकलन एवं भौमिकीय प्रतिवेदन का कार्य प्रक्रियाधीन है (खनिज साधन विभाग)।

11.3.4 राज्य में खनिज अन्वेषण कार्य की कालक्रम वार प्रगति

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रदेश के कुछ जिलों में खनिज चूनापत्थर एवं बॉक्साइट के भण्डारों का आंकलन किया गया है। राज्य में आंकलित भण्डार का वर्षवार विवरण तालिका 11.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 11.10 नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार, आंकलित भण्डार (मि.टन)

क्र.	खनिज का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	चूनापत्थर	217.32	104.56	361.62	122	67.8
2	बॉक्साइट	0	4.947	0	2.86	4
3	रॉक फास्फेट	0	3.599	0	0	0
4	लैटेराइट	0	1.178	0	0	0

स्रोत : मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग

11.3.5 महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 29133.00 करोड़ ₹ (अनन्ति) आंकलित है, जो गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पादित मुख्य खनिजों के उत्पादन मूल्य 25357.85 (अनन्ति) करोड़ ₹ से 14.88 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई कमी/वृद्धि का विवरण तालिका 11.11 में दर्शित है।

तालिका 11.11 प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

- (1) उत्पादन इकाई लाख टन में
- (2) हीरा की इकाई कैरट में

क्र.	खनिज	2021-22 (संशोधित)	गतवर्ष से कमी/ वृद्धि (प्रतिशत)	2022-23 (प्रावधिक)	गतवर्ष से कमी/ वृद्धि (प्रतिशत)	2023-24 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/ कमी (प्रतिशत)
1	कोयला	1379.74	(+) 4.09	1460.28	(+) 5.84	1585.76	(+) 8.60
2	बॉक्साइट	6.09	(-) 2.02	6.02	(-) 1.13	6.18	(+) 2.63

क्र.	खनिज	2021-22 (संशोधित)	गतवर्ष से कमी/ वृद्धि (प्रतिशत)	2022-23 (प्रावधिक)	गतवर्ष से कमी/ वृद्धि (प्रतिशत)	2023-24 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/ कमी (प्रतिशत)
3	ताम्र अयस्क	24.42	(+) 4.19	21.65	(-) 11.35	25.46	(+) 17.59
4	लौह अयस्क	73.75	(+) 80.72	43.54	(-) 40.96	63.01	(+) 44.73
5	मैंगनीज अयस्क	8.45	(-) 7.81	8.56	(+) 1.24	10.50	(+) 22.73
6	रॉक फॉस्फेट	1.14	(+) 16.19	4.45	(+) 291.3	3.92	(-) 11.83
7	हीरा	266.00	(-) 98.08	388.00	(+) 45.86	53.33	(-) 86.25
8	चूना पत्थर	498.07	(+) 9.05	505.91	(+) 1.57	682.44	(+) 34.89

नोट: (1) 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़े आई.बी.एम., नागपुर द्वारा प्रकाशित monthly statistics of mineral production मार्च 2023 आंकड़ों से उद्धरित हैं।

(2) सम्प्रति वर्ष 2022-23 के अंतिम आंकड़े आई.बी.एम. से प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अभी प्रावधिक हैं।

(3) अनुच्छेद 11.10 में विभिन्न मुख्य खनिजों के उत्पादन के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश का भारतीय संघ में स्थान निर्धारण बिन्दु 1 में दर्शित आईबीएम के प्रकाशन के टेबल-4 'खनिज और राज्यवार उत्पादन' के आंकड़ों को अवरोही क्रम में संयोजित कर प्राप्त किया गया है।

(4) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित न होने के स्थिति में जिला कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों को एकजार्फ़ कर दर्शाया गया है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयला, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क एवं चूना पत्थर के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रतिशत के रूप में वृद्धि क्रमशः 8.6, 2.63, 17.59, 44.73, 22.73 एवं 34.89 प्रतिशत दर्ज की गयी। इसी अविधि में रॉक फॉस्फेट एवं हीरा के उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई। प्रतिशत के रूप में कमी क्रमशः 11.83 एवं 86.25 प्रतिशत दर्ज की गयी।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 पर्यंत उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य तालिका 11.12 में प्रदर्शित है।

तालिका 11.12 प्रदेश में उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

लाख रुपये में

क्र.	खनिज	वित्तीय वर्ष 2021-22 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (प्रा.)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (प्रा.)
1	2	3	4	5
1	कोयला	1808576.99	2210630.28	2495517.05
2	बॉक्साइट	4865.24	5980.61	6137.56
3	ताम्र अयस्क	43966.22	53312.64	62689.06
4	लौह अयस्क	47278.25	25099.73	36326.62
5	मैंगनीज अयस्क	68424.78	74913.47	91942.32
6	रॉक फॉस्फेट	1113.93	4822.05	4251.36
7	हीरा	180.51	614.73	54.33
8	चूना पत्थर	158333.38	160411.63	216381.99

स्रोत - इंडियन मिनरल इयरबुक, मार्च 2023, भारतीय खान ब्यूरो।

नोट: (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में खनिजों का मूल्य आई.बी.एम. के प्रकाशन monthly statistics of mineral production मार्च 2023 के अनुसार है।

(2) ताप्र अयस्क का मूल्य हिंदुस्तान कॉपर लिमि. की वार्षिक विवरणी अनुसार तथा उत्पादित कोयले के कुल मूल्य का परिकलन, प्रेषित कोयले के कुल मूल्य (कुल रॉयल्टी राशि = प्रेषित कोयले के खान मुख मूल्य के 14 % के आधार पर व्युत्क्रम गणना के परिणाम) को प्रेषित कोयले की कुल मात्रा से भाग देकर प्राप्त परिणाम, प्रति टन कोयले के मूल्य को उत्पादित कोयले की मात्रा से गुणा करके किया गया है। गणितीय संकेत में इस तथ्य को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं-

उत्पादित कोयले का कुल मूल्य = $\{[(\text{प्राप्त कुल रॉयल्टी} \times 100) \div 14] \div \text{प्रेषित कोयले की कुल मात्रा}\} \times \text{उत्पादित कोयले की कुल मात्रा}\}$

सम्प्रति ताप्र अयस्क की वर्ष 2023-24 की वार्षिक विवरणी भारतीय खान ब्यूरो के पोर्टल पर प्रस्तुत न होने पर वर्ष 2023-24 के लिए अयस्क का औसत खान मुख मूल्य प्रावधिक रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुसार अवधारित है।

(3) वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादित खनिजों का मूल्य निर्धारित करने हेतु जिला कार्यालयों से प्राप्त खनिजवार उत्पादन की मात्रा को भारतीय खान ब्यूरो के प्रकाशन मार्च 2023 में प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिजवार कुल मूल्य \div कुल खनिज उत्पादन से प्राप्त परिणाम से गुणा कर प्राप्त किया गया है (कोयला एवं ताप्र अयस्क छोड़कर)।

(4) वर्ष 2022-23 के अंतिम आंकड़े आई.बी.एम. से प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अभी प्रावधिक हैं।

(सं.) - संशोधित

(प्रा.) - प्रावधिक

11.3.6. बजटीय प्रावधान एवं राजस्व

बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार योजना 5453 में जिला खनिज निधि के राजस्व अनुभाग के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य एवं अन्य प्रभार पर कुल 240.00 करोड़ ₹ तथा पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य एवं उप वृहद निर्माण कार्य पर कुल राशि ₹. 860.00 करोड़ आवंटित किया गया है। इस प्रकार कुल राशि रुपये 1100.00 करोड़ प्रावधानित किये गये। (तालिका 11.13)

तालिका 11.13 योजनावार (सब स्कीम) प्रावधानों का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.	योजनावार (सब स्कीम)	वित्तीय वर्ष 2021-22 लेखा	वित्तीय वर्ष 2022-23 पुनरीक्षित अनुमान	वित्तीय वर्ष 2023-24 पुनरीक्षित बजट अनुमान
1	0182 खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	10.71	19.60	25.36
2	2294 संचालनालय की स्थापना	25.62	34.51	44.62
3	2713 प्रयोगशाला स्थापना	1.03	2.09	1.47
4	5453 जिला माइनिंग फण्ड	0.00	1000.00	1095.20
5	6606 खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण	738.43	813.10	850.05
6	अन्य	0.00	1.00	0.80
वृहद योग		775.79	1870.30	2017.50

स्रोत :- अनुदानों की मांगें 2023-24, मांग संख्या 025 - खनिज साधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व के संशोधित लक्ष्य 8100.00 करोड़ ₹ के विरुद्ध राजकोष में 8218.06 करोड़ ₹ की प्राप्ति हुई। इसी तरह वर्ष 2023-24 में राजस्व लक्ष्य 9500.00 करोड़ ₹ रखा गया है, जिसके विरुद्ध 10065.73 करोड़ ₹ की प्राप्ति हुई है, जो विगत वित्तीय वर्ष से 22.48% अधिक है।

स्रोत

1. मध्यप्रदेश वन विभाग
2. बांस मिशन, मध्यप्रदेश
3. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार
4. अनुदानों की माँगें माँग संख्या 010 – वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
5. अनुदानों की माँगें (2023-24) माँग संख्या 010–वन, मध्यप्रदेश शासन
6. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम
7. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज “व्यापार एवं विकास” सहकारी संघ मर्यादित
8. मध्यप्रदेश राज्य जल नीति, 2022 (ड्राफ्ट)
9. म.प्र. राज्य वेटलैण्ड्स प्राधिकरण
10. केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट - 2013, 2017, 2020, 2022, 2023
11. केंद्रीय भूजल बोर्ड- Dynamic Ground Water Resources of India वर्ष 2023
12. सेंट्रल वाटर कमिशन - <https://cwc.gov.in/reservoir-level-storage-bulletin> 04.01.2024 की स्थिति में
13. जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश
14. पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश
15. इंडियन मिनरल इयर बुक, 2022 एवं monthly statistics of mineral production, मार्च 2023 भारतीय खान घूरो द्वारा प्रकाशित
16. खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश
17. अनुदानों की माँगें 2023-24, माँग संख्या 025 – खनिज साधन विभाग

खनिज

प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

उत्पादन की इकाई -लाख टन में

हीरा की इकाई कैरट में

क्र.	खनिज	वित्तीय वर्ष 2021-22 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (प्रा.)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (प्रा.)
1	2	3	4	5
1	कोयला	1379.74	1460.28	1585.76
2	बॉक्साइट	6.09	6.02	6.18
3	ताम्र अयस्क	24.42	21.65	25.46
4	लौह अयस्क	73.75	43.54	63.01
5	मैंगनीज अयस्क	8.45	8.56	10.50
6	रॉक फॉस्फेट	1.14	4.45	3.92
7	हीरा	266.00	388.00	53.33
8	चूना पथर	498.07	505.91	682.44

- नोट:- (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़े आई.बी.एम., नागपुर द्वारा प्रकाशित *Monthly Statistics of Mineral Production, March-2023* के आंकड़ों से उद्धरित हैं।
- (2) 2022-23 के अंतिम आंकड़े आई.बी.एम. से प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अभी प्रावधिक हैं।
- (3) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े आईबीएम से प्रकाशित न होने के स्थिति में जिला कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों को एकजार्इ कर दर्शाया गया है।
- (4) संकेत: - (सं) = संशोधित, (प्रा)=प्रावधिक।

प्रदेश में उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

मूल्य की इकाई -लाख रुपये में

क्र.	खनिज	वित्तीय वर्ष 2021-22 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (प्रा.)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (प्रा.)
1	2	3	4	5
1	कोयला	1808576.99	2210630.28	2495517.05
2	बॉक्साइट	4865.24	5980.61	6137.56
3	ताम्र अयस्क	43966.22	53312.64	62689.06
4	लौह अयस्क	47278.25	25099.73	36326.62
5	मैंगनीज अयस्क	68424.78	74913.47	91942.32
6	रॉक फॉस्फेट	1113.93	4822.05	4251.36
7	हीरा	180.51	614.73	54.33
8	चूना पत्थर	158333.38	160411.63	216381.99

नोट:- (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में खनिजों का मूल्य आई.बी.एम. के प्रकाशन *Monthly Statistics of Mineral Production*, मार्च 2023 के अनुसार है।

(2) ताम्र अयस्क का मूल्य हिंदुस्तान कॉपर लिमि. की वार्षिक विवरणी अनुसार तथा उत्पादित कोयले के कुल मूल्य का परिकलन, प्रेषित कोयले के कुल मूल्य (कुल रॉयल्टी राशि = प्रेषित कोयले के खान मुख मूल्य के 14 % के आधार पर व्युत्क्रम गणना के परिणाम) को प्रेषित कोयले की कुल मात्रा से भाग देकर प्राप्त परिणाम, प्रति टन कोयले के मूल्य को उत्पादित कोयले की मात्रा से गुणा करके किया गया है। गणितीय संकेत में इस तथ्य को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं-

उत्पादित कोयले का कुल मूल्य = $\{[(\text{प्राप्त कुल रॉयल्टी} \times 100) \div 14] \div \text{प्रेषित कोयले की कुल मात्रा}\} \times \text{उत्पादित कोयले की कुल मात्रा}$

सम्प्रति ताम्र अयस्क की वर्ष 2023-24 की वार्षिक विवरणी भारतीय खान व्यूरो के पोर्टल पर प्रस्तुत न होने पर वर्ष 2023-24 के लिए अयस्क का औसत खान मुख मूल्य प्रावधिक रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 अनुसार अवधारित है।

(3) वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादित खनिजों का मूल्य निर्धारित करने हेतु जिला कार्यालयों से प्राप्त खनिजवार उत्पादन की मात्रा को भारतीय खान व्यूरो के प्रकाशन मार्च 2023 में प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिजवार कुल मूल्य \div कुल खनिज उत्पादन से प्राप्त परिणाम से गुणा कर प्राप्त किया गया है (कोयला एवं ताम्र अयस्क छोड़कर)।

(4) वर्ष 2022-23 के अंतिम आंकड़े आई.बी.एम. से प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अभी प्रावधिक हैं।

(5) संकेत:- (सं) = संशोधित, (प्रा)=प्रावधिक।

प्रदेश में उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों का प्रति टन औसत मूल्य

औसत मूल्य-रूपये में

क्र.	खनिज	वित्तीय वर्ष 2021-22 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (प्रा.)
1	2	3	4
1	कोयला	1310.81	1513.84
2	बॉक्साइट	799.09	993.604
3	ताम्र अयस्क	1800.08	2462.43
4	लौह अयस्क	641.06	576.475
5	मैंगनीज अयस्क	8094.24	8752.86
6	रॉक फॉस्फेट	979.45	1083.64
7	हीरा (प्रति,कैरेट में)	67860.90	158436
8	चूना पत्थर	317.89	317.075

नोट:- (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के खनिजवार औसत मूल्य के आंकड़े भारतीय खान ब्यूरो के प्रकाशन *Monthly Statistics of Mineral Production March-2023* के टेबल -5 अनुसार 'खनिजवार कुल मूल्य ÷ कुल उत्पादन की मात्रा' सूत्र से प्राप्त कर दर्शाया गया है (कोयला एवं ताम्र अयस्क छोड़कर)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े आईबीएम के प्रकाशन मार्च 2024 में उपलब्ध होगें जो फरवरी 2025 तक संभावित हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के औसत मूल्य को नहीं दर्शाया गया है, किन्तु कुल मूल्य वाली तालिका 11.11 एवं परिशिष्ट -3 में वर्ष 2023-24 की उत्पादन मात्रा के मूल्य का परिकलन प्रावधिक तौर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के औसत मूल्य से किया गया है।

- (2) ताम्र अयस्क का औसत मूल्य हिन्दुस्तान कॉर्प लिमिटेड की वार्षिक विवरणी वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 अनुसार है।
- (3) उत्पादित कोयले के औसत मूल्य का परिकलन, प्रेषित कोयले के कुल मूल्य (कुल रॉयल्टी राशि = प्रेषित कोयले के खान मुख मूल्य के 14 % के आधार पर व्युत्क्रम गणना के परिणाम) को प्रेषित कोयले की कुल मात्रा से भाग देकर प्राप्त किया गया है। गणितीय संकेतन में इस तथ्य को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं-

$$\text{उत्पादित कोयले का प्रति टन मूल्य} = [[[(\text{प्राप्त कुल रॉयल्टी} \times 100) \div 14] \div \text{प्रेषित कोयले की कुल मात्रा}]]$$

- (4) कोयले का ग्रेडवार प्रति टन मूल्य कोल इंडिया लिमि. द्वारा G1 से G17 तक जारी की जाती है, जो भिन्न-भिन्न होती है। इस जानकारी में दर्शित मूल्य उक्त ग्रेडों में से प्रदेश में उत्पादित समस्त ग्रेड के कोयले का सरल औसत मूल्य है।
- (5) अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भी मासिक आधार पर खनिजवार-ग्रेडवार औसत विक्रय मूल्य का प्रकाशन भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किया जाता है। उक्तानुसार तालिका में दर्शित औसत मूल्य प्रदेश में उत्पादित होने वाले खनिजों के खनिजवार समस्त ग्रेड्स के कुल उत्पादन मूल्य का उत्पदन की कुल मात्रा के साथ सरल औसत है।
- (6) संकेत:- (प्रा)=प्रावधिक, (सं)= संशोधित।

अध्याय 12

सामाजिक समावेशन

अध्याय 12

सामाजिक समावेशन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम नागरिक को भी साथ लेकर चलने एवं विकास की धारा में उसके योगदान तथा सुविधाओं, संसाधनों में उसके अधिकार को संरक्षित रखने का कार्य किया जाता रहा है। प्रदेश में उद्यमी योजनाओं, नौकरियों, शिक्षा संस्थानों आदि में इस अंतिम व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जाते हैं एवं विभिन्न हितप्राही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सहायता से इनके सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास किया जाता है। मध्यप्रदेश में देश में सबसे अधिक 15.3 मिलियन अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। भारत में कुल जनजातीय जनसंख्या में राज्य की जनजातियों का प्रतिशत 14.7 है (जनगणना: 2011)। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 50.6% (पुरुष: 59.6% और महिला: 41.5%) है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या (7.27 करोड़) का 15.6 प्रतिशत (113.42 लाख) है (जनगणना, वर्ष 2011)। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं आनंदित जीवन की संरचना की परिकल्पना में इन सभी जातियों की भागीदारी के बिना बड़े परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते। अतः सरकार द्वारा इनके समाजार्थिक उत्थान, शैक्षणिक उत्थान को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।

सामाजिक समावेशन हेतु बजटीय प्रावधान

मध्यप्रदेश बजट के वर्ष 2021-22, 2022-23, और 2023-24 के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में 2021-22 की तुलना में 2023-24 में 38.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (विस्तृत ब्योरे हेतु अध्याय 8: सामाजिक एवं आर्थिक विकास देखें)।

यदि क्षेत्रवार बजट आवंटन का विश्लेषण किया जाए तो यह देखा गया है कि इस अवधि में सामाजिक कल्याण एवं पोषण के लिए आवंटित बजट में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बजट में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष आवंटन का विवरण स्पष्ट करता है कि इन दोनों वर्गों के लिए आवंटित बजट में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2023-24 में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत बजट में और जनजातीय कार्य उप-योजना के तहत बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, इन दोनों योजनाओं के लिए आवंटित बजट में 46.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण और विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।

तालिका 12.0 : कमजोर वर्गों के लिए बजट आवंटन

(राशि रूपये करोड़ में)

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र	क्षेत्र के लिए वर्षावार बजटीय आवंटन			2021-22 से 2023-24 के बीच आवंटन (प्रतिशत में) वृद्धि
	2021-22	2022-23	2023-24	
अनुसूचित जाति				
उप-योजना	17980.05	19020.12	26086.81	45.09
जनजातीय कार्य				
उप-योजना	24910.99	26940.68	36950.16	48.33
कुल योग	42891.04	45960.80	63036.97	46.97

स्रोत - मध्यप्रदेश बजट: वित्त सचिव का स्मृति पत्र वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 वित्त विभाग

12.1 अनुसूचित जाति विकास: आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश सरकार, समाज के सभी कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2022 में, संत रविदास जयंती पर प्रारंभ की गयी 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना' के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को पूर्व में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार सिंगापुर से समन्वय स्थापित कर संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण कर रही है, जहां हर साल करीब 10 हजार युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की अन्य पहल के अंतर्गत अनु. जाति/जनजाति वर्ग के लिए उद्योग लगाने हेतु 20 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित होंगे।

सरकार अपनी सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय समावेशन रणनीति के हिस्से के रूप में, अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न योजनाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत की राशि आवंटित करती है। सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयासों में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र तथा जन चेतना शिविर शामिल हैं।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण इन केन्द्रों में अनु.जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने हेतु उन्हें सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी देने एवं संवैधानिक अधिकारों से उन्हें अवगत कराने का कार्य पुलिस थानों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से संपादित कराये जाने वाले कार्यों में भूमि विवादों का निपटारा, शासन द्वारा आवंटित कृषि भूमि पर खेती करने की सुविधा, ऋणग्रस्तता का समाधान, अनु.जा./जनजाति के सदस्यों की समस्याओं का समाधान, लम्बित प्रकरणों की पहचान एवं सहायता करना इत्यादि है। इस केन्द्र के अन्य कार्यों में शासन द्वारा अनु.जा./जनजाति के सदस्यों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, अनु.

जा./जनजाति के सदस्यों में आत्मविश्वास जागृत करना एवं ऐसे अपराधिक प्रकरण, जो पंजीबद्ध किए जाने हों, पर ध्यान देना शामिल है।

जन चेतना शिविर- इन शिविरों के माध्यम से अनु.जा./ जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना मजबूत कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें शासन की लाभकारी योजनाओं एवं उनसे सम्बंधित क़ग़नूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाती है।

12.1.1 अनु. जाति समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियाँ :

अनुसूचित जाति विकास विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। विभाग इस दायित्व के निर्वहन हेतु शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाएं संचालित कर रहा है। अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट / आयोजना के नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति विभाग नोडल विभाग है।

अत्याचार निवारण : अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियंत्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग नोडल है। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों में विशेष थाना स्थापित किया गया है एवं प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। शेष जिलों में जिला न्यायालयों को ही अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2023-24 में 10,800 से अधिक पीड़ितों को राहत राशि रु. 93 करोड़ से अधिक स्वीकृत की गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाएं एवं गतिविधियाँ

- छात्रावास एवं छात्रवृत्ति :** विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं हेतु 571 जूनियर छात्रावास तथा कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राओं हेतु 1153 (सीनियर छात्रावास) संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संभाग स्तरीय 10 ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 छात्रावास संचालित हैं। इन समस्त छात्रावासों में लगभग एक लाख विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। छात्रावासी छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि दरों का निर्धारण प्रति वर्ष जुलाई माह में होता है। वर्ष 2023-24 में यह राशि बढ़ाकर बालकों हेतु राशि रु. 1,550/- प्रतिमाह एवं बालिकाओं हेतु रु. 1,590/- प्रतिमाह हो गयी है।
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक के बालक एवं बालिकाओं को 10 माह हेतु प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को रु. 250/-, कक्षा 6 से 8वीं तक के बालकों को रु. 200/- बालिकाओं को रु. 600/- तथा कक्षा 9 से 10वीं तक के बालकों को रु.

600/- एवं बालिकाओं को रु 1,200/-उनके खाते में प्रदाय किये जाते हैं। यह राशि उनके खाते में सीधे जमा की जाती है। इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कुल 1,89,619 का आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 1,28,857 आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रूपये 1729.00 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई एवं वर्ष 2023-24 में कुल 1,56,844 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 89,353 आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रूपये 1317.00 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। योजनांतर्गत राज्य सरकार 40% तथा भारत सरकार 60% राशि डी.बी.टी के माध्यम से विद्यार्थी के खाते में भुगतान करती है।

- **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:** कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में AFRC/ PURC की दरों पर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में शासकीय शिक्षण संस्थाओं की दरों पर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 में कुल 4,47,124 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 3,89,142 आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रूपये 28441.00 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। एवं वर्ष 2023-24 में कुल 3,90,263 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 3,08,560 आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रूपये 19446.00 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। योजनांतर्गत राज्य सरकार 40% तथा भारत सरकार 60% राशि डी.बी.टी के माध्यम से विद्यार्थी के खाते में भुगतान करती है।
- **विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:** योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों का चयन विदेशों में स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधि अध्ययन हेतु किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 8.00 लाख रूपये है वे इस योजना के लिये पात्र हैं। योजना प्रारंभ होने से अब तक 150 विद्यार्थियों को आस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, पोलैण्ड, चीन, मलेशिया एवं सिंगापुर, आदि देशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 से योजना में संशोधन किया जाकर इंजीनियरिंग एवं एप्लाईड साईंस, एग्रीकल्चर साईंस, मेडिकल, मैनेजमेण्ट, इंटरनेशनल कॉर्मस एवं अकाउन्टिंग फायनेन्स, फारेस्ट्री, नेचुरल साईंस, लॉ एवं मानविकी के स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क, मेडिकल, इंश्योरेंस, वीजा शुल्क, निर्वाह भत्ता, हवाई यात्रा किराया आदि प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 में 48 विद्यार्थी विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थाओं से लाभान्वित हुये, जिन पर राशि रूपये 811.66 लाख व्यय की गयी है। वर्ष 2023-24 में 05 नवीन विद्यार्थियों का चयन किया जाकर राशि रूपये 600.00 लाख व्यय किया गया है। वर्तमान में विदेशों में 32 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
- **परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र:** सात संभागीय मुख्यालय- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर तथा उज्जैन में अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवक/ युवतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त बैंक, रेल्वे, पुलिस सेवा, जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विगत वर्ष 2022-23 में बजट प्रावधान राशि रु.539.64 लाख के सापेक्ष राशि रु.436.71 लाख व्यय हुआ है। कुल 800 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जिसमें से 361 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुए हैं। वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान राशि रु.591.99 लाख के सापेक्ष

राशि रु.316.29 लाख हुआ है। वित्तीय वर्ष में कुल 500 हितग्राहियों को प्रशिक्षणार्थीयों को लाभान्वित किया गया है जिसमें से 305 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुए हैं। दो वर्षों में कुल 666 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुए हैं।

- **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना:-** अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को शाला में अधिक से अधिक प्रवेश लेने एवं शिक्षा निरन्तर करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश लेने पर रूपये 3000/- की प्रोत्साहन राशि छात्राओं को दी जाती है। वर्ष 2015-16 से योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। राशि का वितरण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 2539.86 लाख के सापेक्ष राशि रूपये 2143.64 लाख व्यय किया गया है। उक्त राशि से 47571 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 2273.00 लाख के सापेक्ष राशि रूपये 2273.00 लाख व्यय किया गया है, उक्त राशि से 18441कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।
- **विद्यार्थी आवास सहायता योजना:** योजना वर्ष 2013 से प्रभावशील है। इस योजना के तहत गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थीयों को आवास सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीट संख्या के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थीयों को योजना का लाभ देय है एवं निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन नगरों में 2000 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, जिला मुख्यालयों पर 1250/- रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, तहसील/विकास खण्ड मुख्यालयों पर 1000 रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह आवास सहायता का प्रावधान है। महाविद्यालयीन विद्यार्थीयों हेतु आवास भत्ता योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 17700.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 1,26,231 आवेदन प्राप्त हुये हैं, 84352 आवेदन स्वीकृत कर लंबित दायित्वों सहित राशि रूपये 11679.00 लाख का भुगतान किया गया है। वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 10355.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष से विद्यार्थीयों द्वारा पोर्टल पर 133005 आवेदन प्राप्त हुए, 104231 आवेदन स्वीकृत कर लंबित दायित्व सहित राशि रूपये 7880.76 लाख भुगतान किया गया है।
- **सैनिक एवं पब्लिक स्कूलों में अध्ययन हेतु सहायता:** विभाग द्वारा सैनिक स्कूल, रीवा, प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों डेली कॉलेज इन्दौर, देहली पब्लिक स्कूल इन्दौर, देहली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। पब्लिक स्कूलों में प्रतिवर्ष 5-5 विद्यार्थी नवीन प्रवेशित कराये जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट पर कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, इसलिये वर्ष 2018-19 से पब्लिक स्कूलों में नवीन प्रवेशित छात्रों को शिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है, केवल नवीनीकरण छात्रों को ही शिक्षण शुल्क का

भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 140 प्रवेशित विद्यार्थी पर विगत वर्ष के लंबित देयक सहित कुल राशि रूपये 350.00 लाख का भुगतान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 116 प्रवेशित विद्यार्थी पर राशि रूपये 293.57 लाख का भुगतान किया गया है।

- **अनुसूचित जाति छात्रावास/ आश्रम भवनों का निर्माण:** वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 15 छात्रावास भवन निर्माणाधीन से 05 भवन पूर्ण हो चुके हैं एवं 10 भवन निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2023-24 में 109 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराये गये। जिसमें से 05 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिसंपत्ति संधारण मद में राशि रूपये 2799.00 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष राशि रूपये 1308.49 लाख का व्यय किया गया।
- **अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास:** प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु ऐसी अनुसूचित जाति बस्तियों, ग्रामों/ वार्डों/ मोहल्लों/मंजरे/ टोले/ पारे, जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% एवं उससे अधिक हो, यहाँ सी.सी.रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, छात्रावासों से मुख्य सड़क तक पहुँच मार्ग आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 365 कार्य स्वीकृत कर राशि रूपये 2883.00 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2023-24 में, माह मार्च 2024 तक 367 कार्य स्वीकृत कर राशि रु 2651.84 लाख का व्यय किया गया।
- **मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना:** वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मेपसेट) के माध्यम से 8644 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 4952 युवाओं का प्रशिक्षण दिया गया एवं 3063 युवाओं को विभिन्न संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- **संत रविदास स्वरोजगार योजना:** इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं रु.12.00 लाख तक की आय सीमा वाले आवेदकों को उद्योग ईकाई हेतु एक लाख से 50 लाख एवं सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत गत वर्ष 1000 लक्ष्य के सापेक्ष 1610 हितग्राहियों को राशि रूपये 8371.97 लाख ऋण स्वीकृत हुआ जिसमें 1399 को 5496.88 लाख ऋण वितरित हुआ। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2000 अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, मार्च 2024 तक 7517 प्रकरण के सापेक्ष 1597 हितग्राहियों को राशि रूपये 6860.18 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ एवं 1379 प्रकरणों में बैंक द्वारा राशि रु 5928.57 लाख का ऋण वितरित किये गये हैं।
- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना:** इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष आयु, शिक्षा का बंधन नहीं एवं आयकरदाता न हो वाले आवेदकों को सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु.10 हजार से एक लाख तक की परियोजना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं

शासन द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में 10000 लक्ष्य के सापेक्ष 1648 हितग्राहियों को 1072.95 लाख ऋण स्वीकृत हुआ जिसमें 1292 को 805.22 लाख ऋण वितरित हुआ। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5000 हितग्राहियों को लाभांवित कराये जाने का लाक्ष्य निर्धारित है, मार्च 2024 तक 4328 प्रकरण प्रेषित, बैंक द्वारा 14723 स्वीकृत एवं 1319 प्रकरणों में बैंक द्वारा ऋण राशि रु 472.45 लाख वितरित किये गये हैं।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना:** इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के समूह/क्लस्टर को लाईन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले विशेष परियोजना प्रस्तावों को रूपये 2 करोड़ तक शत-प्रतिशत अनुदान शासन से दिये जाने का प्रावधान हैं। योजनान्तर्गत गत वर्ष एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 6 परियोजना लागत राशि रु. 1469.30 लाख राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित। 02 परियोजनाओं में राशि रु. 76.73 लाख वितरित किये।
- **सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना:** भारत सरकार से सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता विशेष घटक अंतर्गत व्यय हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त होती है।
- **म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम:** इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की 18 से 55 आयु की बी.पी.एल धारी 5 से 10 महिला समूह को विभिन्न उद्यम स्थापित करने हेतु प्रतिहितग्राही राशि रु. 2.00 लाख तक बैंक ऋण एवं 10,000/- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत गत वर्ष 500 समूह लक्ष्य के सापेक्ष 335 समूह 2999 हितग्राहियों को 937.94 लाख ऋण 245.81 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ जिसमें 185 समूह 1220 हितग्राहियों को 492.32 लाख ऋण, 93.26 लाख अनुदान वितरित हुआ। इस वित्तीय वर्ष में निगम के माध्यम से 500 समूह को लाभांवित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में PFMS के माध्यम से राशि रूपये 525.80 लाख क्रियान्वयन एजेंसी को सिलिंग दी गई। जिला क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा 667 समूह प्रकरण बैंक में प्रेषित, 422 समूह स्वीकृत, 347 समूह के 2816 हितग्राहियों को राशि रु.846.15 लाख ऋण एवं अनुदान राशि रु.272.55 लाख वितरित किये गये हैं।
- **कृषि अभियांत्रिकी:** सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी विभाग को कृषकों को अपनी पसंद के हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2023-24 में PFMS के माध्यम से राशि रूपये 1554.26 लाख क्रियान्वयन एजेंसी को सिलिंग दी गई। एजेंसियों द्वारा राशि रूपये 1487.86 लाख व्यय किया जाकर 14879 कृषक हितग्राहियों को उन्नत कृषि यंत्र प्रदाय किये गये हैं।
- **म.प्र. राज्य आजीविका मिशन (SRLM):** म.प्र. राज्य आजीविका मिशन (SRLM) को सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना अंतर्गत बैंकयार्ड कलर मुर्गी पालन, केडल फीड एवं

मधुमक्खी पालन हेतु वर्ष 2023-24 में PFMS के माध्यम से राशि रूपये 742.95 लाख की सीलिंग दी गई है इसके सापेक्ष क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा राशि रूपये 657.95 लाख का व्यय किया जाकर अनुसूचित जाति वर्ग के 2533 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

- **प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना:** 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में कम से कम 500 की आबादी वाले ग्राम जिसमें अनुसूचित जाति की 50% जनसंख्या निवासरत है, इन जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा योजना संचालित है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग को घोषित किये जाने के पश्चात योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है। प्रत्येक ग्राम को राशि रु.20.00 लाख विकास कार्य हेतु प्रदाय की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के कुल 1074 चयनित ग्रामों में विकास कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रदेश के दो जिले गुना एवं सीहोर को राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित 619 नवीन ग्रामों में सर्वे कार्य एवं ग्राम विकास योजना (VDP) बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक के चयनित 1074 ग्रामों में विकास योजना तैयार कर उक्त ग्रामों में अंतर-पाटन निधि (Gap Filling Fund) एवं अमिसरण से 20779 विकास कार्य स्वीकृत कर दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में राशि रु.160.283 करोड़ का व्यय किया गया है।
- **अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना:** अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना है। ऊंच-नीच और छूआ-छूत के विचारों को त्यागकर ऐसे सर्वण युवक अथवा युवती जो अनुसूचित जाति की युवती अथवा युवक से विवाह करते हैं, ऐसे दम्पत्तियों को योजनांतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप राशि रूपये 2.00 लाख तथा प्रशंसा पत्र दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में 407 दम्पत्तियों को लाभांवित कर राशि रूपये 814.00 लाख भुगतान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 1198 (पुरुष 533 व महिला 665) दम्पत्तियों को राशि रु. 2396.00 लाख की राशि प्रदाय की गई है।
- **अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015:** अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 1979 योजनांतर्गत ऐसे निःशक्तजन जो जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं, निराश्रित वृद्ध, ऐसा बीमार जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो, दैनिक मजदूर, खेतीहर मजदूर, छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति जो किसी दुर्घटना अथवा दैवीय प्रकोप के कारण काम करने में असमर्थ हो अथवा परिवार के मुखिया का निधन हो जाने के कारण परिवार के भरण पोषण की तत्काल कोई व्यवस्था न होने, चल सम्पत्ति, पशु आदि का नुकसान व ट्यूब-वेल, बिजली मोटर, फलदार वृक्ष एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का नुकसान हो जाने पर पात्रानुसार राहत राशि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर प्रदाय की जाती है। संभागीय आयुक्त/आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास-रु.15,000/-, जिला कलेक्टर- रु.10,000/- एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को राशि रु. 5,000/- स्वीकृति की पात्रता है। वर्ष 2022- 23 में राशि रूपये 12.48 लाख राहत राशि का भुगतान कर 241 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 15.05 लाख का भुगतान कर 314 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

12.2 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु आयुक्त, जनजातीय विकास कार्य के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएँ प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिए भी योजनाएँ संचालित की जा रही है। जनगणना 2011 अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है जो राज्य की कुल आबादी का 21.10 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है। जनजातियों के विकास हेतु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं जिसके अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाएँ 05 मध्यम परियोजनाएँ 30 माडा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल संचालित हैं। प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक संस्थाएँ:- मध्यप्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में शैक्षिक संस्थाएं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनमें प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की विभिन्न शालाएं शामिल हैं। विशेष रूप से शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का भी संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं की संख्या निर्दिष्ट की गई है: प्राथमिक शालाएं - 22,913, माध्यमिक शालाएं - 6,788, हाई स्कूल - 1,109, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय - 898। विशेष शालाएं में आदर्श आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (82), कन्या शिक्षा परिसर (63), और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (8) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, क्रीड़ा परिसरों की संख्या 26 है। आश्रम शालाओं की संख्या 1,078 है, जूनियर छात्रावासों की संख्या 198, सीनियर छात्रावासों की संख्या 1,027, उत्कृष्ट सीनियर छात्रावासों की संख्या 216, और महाविद्यालीन छात्रावासों की संख्या 167 है।

छात्रवृत्ति

- प्री.मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक राज्य मद :-** कक्षा 1 से 10 तक प्री.मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है। राज्य छात्रवृत्ति योजना 10 माह हेतु संचालित है छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार हैं:-
- अनुसूचित जनजाति राज्य/केन्द्र छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें:** अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) में, विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों हेतु दर वार्षिक रूप से 250 रुपये है। बालिकाओं के लिए भी इसी राशि का अनुदान निर्धारित किया गया है। माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) में, छात्रों को वार्षिक रूप से 200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बालिकाओं के लिए भी यही राशि निर्धारित की गई है। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) में, राज्य स्तर पर छात्रों को वार्षिक रूप से 600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केंद्र स्तर पर कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए 3000 रुपये और छात्रवासी विद्यार्थी के लिए 6250 रुपये की सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। ये छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति

के छात्रों को शिक्षा के प्राप्ति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की जाती हैं, जिससे उनकी शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।

- पोस्टमैट्रिक एवं महाविद्यालीन छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अंतर्गत) :** शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को रुपये 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता हो। अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु जिनके माता/पिता/अभिभावको की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी। रुपये 2.50 लाख से 8.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित से शिक्षण शुल्क सहित नान रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा।
- विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति:-** अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है। पालक / अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 10.00 लाख से अधिक न हो। वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 270.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 268.00 माह मार्च तक व्यय की गई है। वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 600.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 289.83 माह मार्च 2024 तक व्यय की गई है।
- क्रीड़ा परिसर :** आदिवासी बच्चों के खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये प्रदेश में 100 सीटर कुल 26 आवासीय क्रीड़ा परिसर स्वीकृत है जिसमें 19 बालकों के लिए तथा 07 बालिकाओं के लिए हैं। इनमें से 24 संस्थाएँ संचालित हैं। इंदौर विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित है। जिसमें 200 सीट स्वीकृत हैं।
- अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना:-** अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ बस्ती/ वार्ड में मूलभूत सुविधाएँ यथा समुचित पेयजल विद्युत व्यवस्था पंप उर्जाकरण अंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़क, नाली निर्माण, मुख्य सड़कें, अनुसूचित जनजाति बस्ती/ ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा, निर्माण एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण, आदि उपलब्ध कराना है। वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 6000.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 5416.625 लाख माह मार्च तक व्यय की गई है। वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 6800.00 लाख प्रावधान कर राशि रुपये 4841.77 लाख माह मार्च 2024 तक व्यय की गई है।
- अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु नवीन सायकिल प्रदाय योजना:-** योजनांतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत जिन आदिवासी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय नहीं की गई तथा जिन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर घर से विद्यालय तक अथवा एक गांव से दूसरे गांव तक 2 किलो मीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है ऐसी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 10.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 6.38 लाख माह मार्च तक व्यय की गई है। वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 8.00 लाख प्रावधान कर राशि रुपये 6.38 लाख माह मार्च 2024 तक व्यय की गई है।

- **हितग्राही मूलक योजनाएँ:-** इस योजना में तीन प्रकार के पुरस्कार योजनाएँ संचालित हैं।
 - (अ) **शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना:-** कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्रथम 03 स्थान प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति •विद्यार्थियों (बालक अथवा बालिकाओं) को क्रमशः राशि रूपये 51000, रूपये 40000, रूपये 30000 प्रदान की जाती है, एवं इनके पश्चात राज्य स्तर की मेरिट में आगामी तीन स्थान प्राप्त करने वाली केवल बालिकाओं को क्रमशः राशि रूपये 15,000, रूपये 10,000 एवं रूपये 5000 दिये जाते हैं।
 - (ब) **मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना:-** - अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में प्रतिभा के आधार पर प्रवीण्यता लाने पर मेधावी पुरस्कार प्रदान किये जाने में योजनान्तर्गत जिला स्तर पर 52-52 बालक/बालिकाओं को 1000/- एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।
 - (स) **अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना:-** योजनान्तर्गत 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान एवं गणित के अंकों को ही आधार मानकर इन विषयों के प्राप्तांक को सर्वाधिक अंक से न्यूनतम 90 प्रतिशत की सूची में 10 जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को राशि रूपये 50000/- के मान से पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 12.00 लाख का प्रावधान कर राशि रूपये 4.57 लाख माह मार्च तक व्यय की गई है। वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 9.00 लाख प्रावधान कर राशि रूपये 4.11 लाख माह मार्च 2024 तक व्यय की गई है।
- **विद्यार्थी कल्याण:-** अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभियुक्ति को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1	विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित पोशाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	3000/-
2	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	3000/-
3	असामयिक विपत्ति	25000/-
4	केंसर, टी.बी. हृदय रोग आदि	10000/-
5	मृत्यु होने पर	25000/-

वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 15.00 लाख का प्रावधान कर राशि रूपये 14.999 लाख माह मार्च तक व्यय की गई है। वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 12.00 लाख प्रावधान कर राशि रूपये 9.58 लाख माह मार्च 2024 तक व्यय की गई है।

- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-** राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। योजनांतर्गत विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है।

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए-

1 प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 40,000/-
2 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 60,000/-
3 साक्षरता उपरांत चयन होने पर	रुपये 50,000/-

उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिये आय सीमा का बंधन नहीं होगा।

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये:- (अभिभावकों की आय राशि रुपये 8.00 लाख अधिक न हो) तथा दूसरी बार उत्तीर्ण होने पर 50 प्रतिशत राशि व्यय होगी।

1 प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 20,000/-
2 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 30,000/-
3 साक्षरता उपरांत चयन होने पर	रुपये 25,000/-

वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 130.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 130.00 लाख माह मार्च तक व्यय कर 630 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 100.00 लाख प्रावधान के सापेक्ष माह मार्च 2024 तक 100.00 लाख की राशि व्यय कर 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- आहार अनुदान योजना- आहार अनुदान योजना :-** विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय (पीवीटीजी)में कुषोषण से निजात दिलाने के उद्देश्य से योजना वर्ष 2017 से लागू है। यह योजना वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 15 आबाद जिलों में लागू है। आहार अनुदान योजना के माध्यम से बैगा,भारिया,सहरिया जनजाति की महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्रावधान 323.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष 323.00 करोड़ रुपये व्यय कर 206171 हितग्राहियों/महिलों को लाभान्वित किया गया है।
- सिक्कल सेल एनीमिया:-** "सिक्कल सेल विकास से पीडित विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सहायक चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन" विषय पर अध्ययन के लिए 358.74 लाख रुपये की एक कार्य योजना वर्तमान में आयुष विभाग के माध्यम से जिला छिंदवाड़ा, डिंडौरी, मंडला एवं शहडोल में क्रियान्वित की जा रही है।

आदिवासी वित्त विकास निगम

आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये रोजगार मूलक आर्थिक सहायता मद में 3 योजनाये संचालित है। (1)बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना(2)टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (3) मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शासन आदेशानुसार वर्ष सितम्बर 2022 से संचालित है। इन योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 6000.00 लाख का प्रावधान

किया गया। प्रावधानित राशि के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 40.66 करोड़ योजना अंतर्गत म.प्र. वित्त विकास निगम को प्रदान किये गये।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निम्नानुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:

क्र.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही)	वित्तीय लक्ष्य (ब्याज, अनुदान, गारण्टी फीस, अनुदान)	व्यय (राशि रूपये करोड़ में)
1	भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना	1000	16.73	12.23
2	टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना	10000	3.93	01.22
3	मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना	10	20.00	-
योग:-			40.66	
1	भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना	1000	60	32.90
2	टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना	10000		5.00
3	मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना	10		4.60
योग:-			60	42.50

सीएम राईज स्कूल योजना

सी.एम.राईज स्कूल विकसित करने का उद्देश्य :- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सीएम राईज स्कूल योजना बनायी गयी है (विस्तृत जानकारी के लिए शिक्षा पर अध्याय देखें)।

12.3 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

राज्य में वर्तमान में 93 जाति/उपजाति/वर्ग समूहों को पिछड़ी जातियों के रूप में शासन द्वारा मान्य किया गया है। इन जातियों के शैक्षणिक उन्नयन, रोजगार मूलक प्रशिक्षण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित कर इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अंतर्गत क्रियान्वित प्रमुख योजनाएं

- राज्य छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रु. 20.00	रु. 30.00
9 एवं 10	रु. 30.00	रु. 40.00

राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड़ से अधिक भूमि है। वर्ष 2013-14 से यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। गतवर्ष 2022-23 में राशि रुपये 227.66 करोड़ की राशि व्यय कर 32.04 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु. 263.00 करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। जिसके सापेक्ष स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 32.83 लाख विद्यार्थियों को राशि रुपये 220.15 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई।

- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रु. 3.00 लाख से कम हो। गत वर्ष 2022-23 में 7.96 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि रु. 1058.27 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि रुपये 978.43 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर 7.37 लाख विद्यार्थियों को वितरित की गई।
- **राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र:** (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण): प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु साधन विहिन युवक-युवतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं निःशुल्क प्रशिक्षण इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति रु. 350 प्रतिमाह, निःशुल्क आवास सुविधा एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांक की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षण केन्द्र को पिछड़ा वर्ग हेतु रुपये 0.15 लाख का आवंटन जारी किया गया था जिसके सापेक्ष केन्द्र द्वारा रुपये 10.71 लाख व्यय किये गये है। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2022-23 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पिछड़ा वर्ग के 104 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रुपये 0.1 लाख का आवंटन जारी किया गया था, जिसके सापेक्ष केन्द्र द्वारा रुपये 35,000/- व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के 06 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षण केन्द्र को पिछड़ा वर्ग हेतु रुपये 15 लाख का आवंटन जारी किया गया था, जिसके सापेक्ष केन्द्र द्वारा रुपये 9.15 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षण केन्द्र को अल्पसंख्यक वर्ग हेतु रुपये 95,000/- का आवंटन जारी किया गया था, जिसके सापेक्ष केन्द्र द्वारा राशि रुपये 9,000/- व्यय किये गये। प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के 166 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 17 इस प्रकार कुल 183 प्रशिक्षणार्थियों को वर्ष 2023-24 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 हेतु कुल 17 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु 03 प्रशिक्षणार्थियों को साक्षात्कार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति:** यह योजना वर्ष 2010 से लागू है। योजनांतर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रुपये 5,000/-, 12वीं के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है। वर्ष 2022-23 में राशि रु. 15.00 लाख प्रावधान के सापेक्ष 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 15.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 55 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। राशि रुपये 3.00 लाख का व्यय किया गया है।
- राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन:** इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर निम्न तालिका अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।

क्र.	विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रु. में	
		संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
1.	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
3.	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
योगः		100000	50000

गत वर्ष 2022-23 में राशि रु. 35.45 लाख व्यय की जाकर 231 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रु. 40.00 लाख का प्रावधान किया जाकर मार्च 2024 तक 170 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाकर राशि रु. 27.10 लाख का व्यय किया गया है।

- पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:** पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थियों को विदेशों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, शोध उपाधि (पी.एच.डी) एवं शोध उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 1500.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 75 विद्यार्थियों को राशि रु. 1471.20 लाख प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 1500 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 1380.71 लाख व्यय किए जाकर नवीन एवं नवीनीकरण सहित 64 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना (पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए):** निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक उद्यम/स्वरोजगार योजना पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितप्राप्तियों को उद्यम/स्वरोजगार स्थापित करने हेतु व्याज अनुदान सहित कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जाएगी।
- पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना-योजना अंतर्गत शासकीय/ अद्वैतशासकीय एवं निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुक्ल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 हेतु पिछड़ा वर्ग के लिए राशि रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान

उपलब्ध कराया गया था, उक्त प्रावधानित राशि में से राशि रूपये 8.12 करोड़ का व्यय किया जाकर पिछड़ा वर्ग के 3941 प्रशिक्षकार्थीयों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग हेतु राशि रूपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया था उक्त प्रावधानित राशि में से कुल राशि रु. 1,90,16,000/- का व्यय पूर्व के लंबित भुगतान हेतु किया गया है, जबकि म.प्र शासन वित्त विभाग द्वारा जून 2023 में जारी आदेश के अनुसार योजना अंतर्गत व्यय की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने से वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग हेतु योजना का संचालन नहीं किया जा सका है।

- **पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उलब्ध कराने की योजना:-** भारत सरकार नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्सिल के टेक्निकल इन्झनिंग प्रोग्राम के आधार पर तैयार की गई इस विभागीय योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग के 45 युवाओं को निर्माण क्षेत्र अंतर्गत एवं 15 युवतियों को केयर वर्कर जॉब रोल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। योजनांतर्गत इन प्रशिक्षित युवाओं को रूपये 01 लाख प्रतिमाह के वेतन पर 03 से 05 वर्षों के लिए रोजगार हेतु जापान भेजा जाना है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रदेश के 05 युवाओं का प्लेसमेंट जापान स्थित कंपनियों में होने के पश्चात वे जापान प्रस्थान कर चुके हैं। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राशि रूपये 02 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। योजनांतर्गत राशि रु. 19.27 लाख का व्यय हुआ है।
- **स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार -** समाज सेवियों को सम्मान दिये जाने की योजना वर्ष 2001 से प्रारंभ की गई है। पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के समाज सेवियों को सम्मानित किया जाता है यह पुरस्कार पिछड़े वर्ग के 8 पुरुष एवं 8 महिलाओं के लिये प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2016-17 हेतु 8 पुरुष एवं 7 महिला समाजसेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2018-19 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये, चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है।
- **महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-यह पुरस्कार-** वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के एक पुरुष समाजसेवी को दिया जाता है जिसके द्वारा पिछड़े वर्गों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास को दूर करने, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक संगठन को सदृढ़ करने हेतु उत्कृष्ट सेवा तथा साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन आदि कार्य किए हों। इस पुरस्कार से पुरस्कृत एक समाजसेवी को रूपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र प्राप्त किये गये चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है। दिनांक 11-04-2022 को महात्मा ज्योतिबा फुले जंयती पर महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीन समाज सेवियों को जिला दमोह में सम्मानित किया गया।
- **सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-यह पुरस्कार** वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के एक महिला समाजसेवी को दिया जाता है जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हों। इस पुरस्कार के

अंतर्गत रूपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि म.प्र. पिछड़ा वर्ग सेवा पुरस्कार योजना अंतर्गत स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार, सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार हेतु वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 35.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था, जिसके सापेक्ष राशि रूपये 12.00 लाख व्यय की गई।

- **छात्रगृह योजना-** विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हों, उनके लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत 2 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराये की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र रूपये 1000/- की दर से निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 30.80 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष राशि रूपये 8.74 लाख व्यय की गई है।
- **पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास निर्माण:-** केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च 2024 तक SNA के खाते से राशि रु. 125.58 लाख की व्यय सीमा लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू) को निर्धारित की गई है। जिसके विरुद्ध उनके द्वारा राशि रूपये 125.58 लाख व्यय की गई।
- **पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण:-** प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र प्रवृत्तित योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त जबलपुर में 500 सीटर, कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं उज्जैन में 100 सीटर कन्या छात्रावासों का निर्माण पूर्णता की ओर है।

12.4 अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोनुखी प्रशिक्षण योजना-** योजना अंतर्गत शासकीय/ अद्वृशासकीय एवं निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राशि रु. 54.66 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया था, उक्त प्रावधानित राशि में से राशि रूपये 43 लाख का व्यय किया जाकर अल्पसंख्यक वर्ग के 290 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रूपये 54.66 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया था, उक्त प्रावधानित राशि में से कुल राशि रु. 11,160/- का व्यय पूर्व के लंबित भुगतान हेतु किया गया है, जबकि म.प्र शासन वित्त विभाग द्वारा जून 2023 में जारी आदेश

के अनुसार योजना अंतर्गत व्यय की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजना का संचालन नहीं किया जा सका है।

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना** - अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाएँ एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को 03 मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ की है। प्रत्येक पुरस्कार में रूपये 1 लाख नगद एवं प्रतीक चिंह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। तीन पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है:-
- **शहीद अशफाक उल्लाह खां पुरस्कार**-अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए।
- **शहीद हमीद खां पुरस्कार-राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सद्व्यवहार बढ़ाने वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए।**
- **मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार**- साहित्य, कला, रंगकर्मी एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं। बजट प्रावधान-मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2023-24 में राशि रु. 46.34 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था। पुरस्कार समारोह आयोजित न होने से राशि व्यय नहीं की गई।
- **मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी**:- भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस से प्रतिवर्ष हज यात्रा का संचालन किया जाता है। म.प्र. हज कमेटी द्वारा लगभग 5000 हज आवेदकों को हज यात्रा पर भेजा जाना। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2021 में हज यात्रियों को हज यात्रा पर नहीं भेजा जा सका। लगभग 5000 से अधिक हज आवेदकों को हज यात्रा पर भेजा जाना। हज' 2022 हेतु अंतिम उड़ान तक 2175 हज यात्रियों को यात्रा पर भेजे गये। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन से प्राप्त 180.00 लाख के सापेक्ष राशि रु. 180.00 लाख का व्यय हुआ। हज-2023 हेतु अंतिम उड़ान तक 6339 हज यात्री हज यात्रा पर भेजे गये।

भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ

- **अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति**:- भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ प्रदान किया जाता। गत वर्ष 2022-23 में कुल 2791 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति एवं वितरण हेतु भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित किये गए थे। जिसमें से 1245 केवल नवीनीकरण के विद्यार्थियों को कुल राशि रूपये 3.65 करोड़ रुपये विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल ओपन नहीं किया गया है।

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

- अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:-** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी एवं जैन) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को (जिनके प्राप्तांक 50% से अधिक है तथा स्वयं/ माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक न हो) उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गत वर्ष 2022-23 में कुल 36927 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण हेतु भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को अग्रेषित किये गये थे, जिसमें से 5152 केवल नवीनीकरण के विद्यार्थियों को कुल राशि रुपये 3.52 करोड़ विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृती नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।
- अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो। गत वर्ष 2022-23 में कुल 36306 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति एवं वितरण हेतु भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित किये गये थे, जिसमें से 8256 केवल नवीनीकरण विद्यार्थियों को कुल राशि रुपये 4.03 करोड़ विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृती नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:-** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 14000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

12.5 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:-** यह योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के योजना के लिये राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर

नवम्बर, 2007 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत दिनांक 13-02-2019 से 60 से 79 वर्ष के हितग्राहियों को रुपये 200/- केन्द्रांश तथा रुपये 400/- राज्यांश सम्मिलित कर रुपये 600/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के हितग्राहियों को रुपये 500/- केन्द्रांश तथा रुपये 100/- राज्यांश सम्मिलित कर रुपये 600/- मासिक पेंशन प्रदाय की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019 द्वारा सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं।

- योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	114353.32	114278.86	15,69,627
02	2023-2024	114861.91	114861.91	15,75,079

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:-** उक्त योजना प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा महिलाओं को भारत सरकार के मद से रुपये 300/- केन्द्रांश तथा रुपये 300/- राज्यांश सम्मिलित कर रुपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2019/26-2 भोपाल, दिनांक 13-02-2019 द्वारा सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं। योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	39201.32	39184.27	5,36,412
02	2023-2024	39527.59	39527.59	5,46,920

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना:-** यह योजना प्रदेश में 01.04.2009 से प्रभावशील है। योजनांतर्गत पात्र हितग्राही जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष आयु समूह के निःशक्तों को भारत सरकार के मद से रुपये 300/- केन्द्रांश तथा रुपये 300/- राज्यांश सम्मिलित कर रुपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक

न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019 द्वारा सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रूपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं। योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रूपये लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	7302.92	7287.46	99,924
02	2023-2024	7350.50	7350.50	1,01,470

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना:- प्रदेश में यह योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री-पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के हो, प्राकृतिक/अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त राशि रु0 20000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	5901.17	4065.07	20,325
02	2023-2024	5059.53	2134.00	10,673

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:- यह योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 1981 से प्रभावशील है और इसके अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासियों को लाभ मिलता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धों को सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं, जो आयकर दाता नहीं हैं, को लाभ मिलता है। इसी प्रकार, 18 से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, 6 से 18 वर्ष आयु के दिव्यांग बच्चों को, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है और जो आयकर दाता नहीं हैं, को पेंशन के स्थान पर 'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि' प्रदान की जाती है, जो 1 सितम्बर, 2016 से प्रभावी है। इसी तारीख से 18 से 59 वर्ष के दिव्यांगजन, जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है और जो आयकर दाता नहीं हैं, को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही, वृद्धाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अंतःवासी, जो अन्य किसी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन

योजना के अंतर्गत न्यूनतम 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जो आयकर दाता नहीं हैं और शासकीय/अशासकीय कार्यालय में मानदेय कर्मचारी नहीं हैं, को भी लाभ मिलता है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार, मार्च 2019 से सभी पेंशन 600 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, बड़वानी जिले के नेत्र संक्रमित 47 हितग्राहियों को 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	209292.12	209292.12	31,84,885
02	2023-2024	236013.43	235502.37	33,00,195

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना:- यह योजना प्रदेश में 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। इसके तहत उन दंपत्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है, जिनमें से एक की आयु 60 वर्ष हो, जो आयकरदाता न हों और जिनकी केवल बेटियाँ ही हों। ऐसे प्रत्येक हितग्राही को 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय के 13 फरवरी 2019 के निर्देशानुसार, मार्च 2019 से सभी पेंशन 600 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से स्वीकृत की गई हैं। योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	2000.00	4488.11	67,894
02	2023-2024	2500.00	2500.00	70,084

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता:- मध्यप्रदेश के सभी छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म दिव्यांग व्यक्ति को रुपये 600/- (रुपये छःसौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019 द्वारा सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं।

योजनांतर्गत वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	5027.76	5588.58	80,331
02	2023-2024	5027.76	5027.76	81,462

अन्त्येष्टि सहायता योजना:- योजनांतर्गत श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने से परिवार का स्थाई आय स्रोत न होने पर उसकी अन्त्येष्टि के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानीय लोगों से दान प्राप्त करना अथवा उधार लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लावारिश शब्द जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शब्द के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं होता है। उपरोक्त स्थिति में अंतिम अन्त्येष्टि संस्कार हेतु रूपये 2000/- की सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। तत्पश्चात शासन आदेश क्रमांक/1592/1778/15/26-2 दिनांक 02.12.2015 के द्वारा अन्त्येष्टि संस्कार हेतु ₹ 3000/- की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में प्रदाय किया जाता है। योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	27.29	27.27	909
02	2023-2024	27.29	21.78	733

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/कल्याणी विवाह सहायता योजना:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना”¹ 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है। शासन आदेश क्रमांक/एफ 3-39/2017/26-2/439/2023 भोपाल दिनांक 28.03.2023 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजनातंर्गत (संशोधित योजना 2022) राशि रूपये 55000/- प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनातंर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथा स्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को राशि रूपये 6000/-प्रति कन्या के मान से आयोजककर्ता निकाय को देय होगी तथा प्रति कन्या के मान से 49000/- की राशि वधु को अकांउट पेयी चेक के रूप में इस प्रकार कुल 55000/- रूपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनातंर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणियों को विवाह सहायता हेतु राशि रूपये 2,00,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/

निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन नहीं है। योजनांतर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	10418.81	10379.00	18,109
02	2023-2024	36500.00	33418.90	59,445

मुख्यमंत्री निकाह योजना:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह/निकाह योजना में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है। साथ ही वर्ष 2012-13 से निकाह योजना आरंभ की गई है। शासन आदेश क्रमांक/एफ3-39/2017/26-2/439/2023 भोपाल दिनांक 28.03.2023 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजनातंर्गत (संशोधित योजना 2022) राशिरूपये 55000/- प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री निकाह योजनातंर्गत सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथा स्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को राशि रूपये 6000/- प्रति कन्या के मान से आयोजककर्ता निकाय को देय होगी तथा प्रति कन्या के मान से 49000/- की राशि वधु को अकाउंट पेयी चेक के रूप में इस प्रकार कुल 55000/- रूपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनातंर्गत व्यय एवं लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	2022-2023	481.19	456.62	830
02	2023-2024	1800.00	1725.38	3,138

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना:- योजना में दम्पति में कोई एक के दिव्यांग होने पर रूपये 2.00 लाख एवं दोनों दिव्यांग होने पर राशि 1.00 लाख तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 18.08.2008 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2023-24 में माह (मार्च, 2024 तक) 1181 हितग्राही को रु. 2141.00 लाख से लाभान्वित किया गया है।

12.6 विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण

मध्यप्रदेश में 51 जातियों को विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तुओं के रूप में अधिसूचित हैं। इनमें से 30 जातियां घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय एवं 21 जातियाँ विमुक्त समुदाय के रूप में अधिसूचित की गई हैं। इनमें कई उपजातियां भी सम्मिलित हैं।

इन समुदायों के पास मूलभूत दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण-पत्र पहचान पत्र आदि के अभाव में राष्ट्रीय स्तर पर इन समुदायों के परिवारों व सदस्यों की जानकारी का अभाव है, जिसने इन परिवारों व सदस्यों की राज्यवार, जिलेवार संख्या व सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका है। इसी कारण से यह समुदाय शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप में अत्यन्त पिछड़े हुए हैं और आज भी देश की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं।

मध्यप्रदेश राज्य में इनके विकास एवं कल्याण हेतु पृथक से विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन दिनांक 22.06.2011 को किया गया था, जिसका नाम सन् 2021 में विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु कल्याण विभाग किया गया। विभाग द्वारा इन वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएँ संचालित हैं:-

1. विभाग द्वारा उक्त समुदायों के परिवारों का चिन्हांकन कर सदस्यों सहित इनके पंजीकरण हेतु पोर्टल का एवं मोबाइल एप का निर्माण किया गया है। पोर्टल पर प्राप्त सांख्यिकी के आधार पर मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इनके पास उपलब्ध संसाधन व आवश्यकता के आधार पर जारी तैयार की योजनाएँ तैयार की जावेगी। यह परिवार पात्रता अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं से लाभान्वित किये जायेगे।
2. जिले स्तर पर इन समुदायों से संबंधित जानकारी एवं समस्याएँ एकत्रित करने हेतु माँग अनुसार समुदायों के प्रतिनिधि व जिला स्तरीय अधिकारी के समन्वय से तृतीय त्रैमास में 228 शिविरों के आयोजन सुनिश्चित किये गये।
3. इन वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिये प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 5) राज्य छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10), पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं कन्याओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन (कक्षा ग्यारहवीं) आदि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रूपए 345.83 लाख की छात्रवृत्ति प्रदाय की जाकर 71521 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
4. विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमंतु जाति छात्रावास योजना के अंतर्गत इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 29 जिलों में संचालित 140 विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जाति छात्रावास / आश्रम/ सामुदायिक कल्याण केंद्रों के माध्यम से निः शुल्क भोजन एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा ही है।
5. सामुदायिक कल्याण हेतु बस्ती विकास योजातंर्गत विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमंतु समुदायों के वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ (जैसे सी.सी.रोड, पक्की नाली, मांगलिक भवन, चबूतरा निर्माण और सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करायी गयी हैं। वर्ष 2023-24 के लिये राशि रूपए 4,23,25,000/- करोड़ का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष 91 लघु निर्माण कार्यों के लिए 4,09,17,100/- करोड़ की स्वीकृति दी जाकर जिलों को राशि उपलब्ध करायी गई।
6. विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदायों को रोजगार सहायता अंतर्गत ““मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु स्वरोजगार योजना” अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये 116 हितग्राहियों को स्वयं के रोजगार हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है।

7. विभाग द्वारा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के छात्रों को आवास भाड़ा योजना अंतर्गत 5 छात्रों को रुपये 1.00 लाख की सहायता राशि प्रदान की गयी है।
8. विभाग द्वारा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के छात्रों को महाविद्यालय में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, 85 छात्रों को रुपये 15,35,942/- लाख की सहायता राशि प्रदान की गयी है।

अध्याय 13

सुशासन

अध्याय -13

अध्याय -13 : सुशासन

किसी भी कल्याणकारी राज्य में सुशासन लोगों की प्रथम अपेक्षा होती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता ऐसे तीन तत्व होते हैं जो इस अपेक्षा को पूर्णता देते हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों को विकसित करने की हितकारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। योजनाओं को अधिकाधिक प्रभावशाली बनाया गया है एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की राज्य शासन की प्रबल उत्कंठा ने इन योजनाओं को सुशासन के गाहक के रूप में परिवर्तित कर दिया है। सुशासन का यह प्रयास नेतृत्व, कर्तव्यपरायणता एवं आत्मबल को प्रदर्शित करता है। सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 'लक्ष्य 16' को सीधे तौर पर सुशासन से जुड़ा हुआ माना जा सकता है क्योंकि यह शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार के लिये समर्पित है।

प्रदेश में सुशासन के माध्यम से आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव विकास को भी अभूतपूर्व गति प्रदान की गई है एवं सुशासन, प्रदेश एवं देश, द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अभूतपूर्व प्रदर्शन के प्रमुख स्तम्भ के रूप में उभर कर सामने आया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा सुशासन के समस्त प्रमुख घटकों- भागीदारी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी और कानून का शासन को प्रदेश की कार्य संस्कृति में सम्मिलित करने को लक्षित किया है। इन घटकों के कार्य संस्कृति में सम्मिलित होने के अनेकों उदाहरण हैं जो इस अध्याय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशासन का महत्व उभर कर सामने आ रहा है। पिछले कई अवसरों पर मतदाताओं द्वारा अधिक से अधिक संख्या में मतदान में भाग लिया गया है, सुशासन प्रदेशों में सरकार की पुनरावृत्ति का आधार बनकर उभर रहा है। प्रभावशाली योजनाओं का विकास एवं समयबद्ध डिलीवरी करना लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की गुणवत्ता स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में परिलक्षित हो रहा है। सुशासन, आम जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभर रहा है।

सरकार ने सुशासन में कई नवीन पहल, जिनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम, साइबर तहसील, मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, लोक सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र की स्थापना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 181, मुख्यमंत्री जन सेवा, मुख्यमंत्री डैश बोर्ड, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक अनूठी पहल के रूप में सराहा गया है। समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिवस, सीएम हेल्पलाइन, सीएम जनसेवा, ई-ऑफिस से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए किए गए प्रयासों से योजनाओं के बारे में स्पष्ट और सही जानकारी प्रदान करने में, जवाबदेही के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने में, मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखने में और सेवाओं के डिजिटलीकरण व सरलीकरण के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने में सहायता मिल रही है। प्रदेश में वर्ष 2018 में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा देश के 500 विकासखंडों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश के 42 विकासखंडों को सम्मिलित किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुशासन को मूलमंत्र के रूप में अंगीकृत करते हुए इस सिद्धांत को अपनी कार्यप्रणाली में व्यापक रूप से सम्मिलित किया है एवं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सुशासन के उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होते हों। आर्थिक विकास को गति देने हेतु समग्र नीति, राजस्व, ऊर्जा, कृषि, युवा, महिला, कानून व्यवस्था, लोक सेवा प्रबंधन, विधि एवं विधायी जैसे अनेकों क्षेत्रों में सुशासन की सुदृढ़ता प्राप्त हुई है।

13.1 राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के अनुप्रयोग

राजस्व के क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्व संबंधित सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया गया है, इससे जनमानस को कम समय में गुणवत्तापरक सुविधाएं मिल रही हैं।

13.1.1 सायबर तहसील

ईंज ऑफ लिविंग को दृष्टिगत रखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। जून 2022 में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में लागू किया गया था तदुपरांत 15 अगस्त 2023 से प्रदेश के 12 जिलों में प्रारंभ किया गया था, यह जिले हैं:- सीहोर, दतिया, सागर, हरदा, इंदौर, डिंडोरी, ग्वालियर, आगर मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा, उमरिया। माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में 29 फरवरी 2024 में इस योजना को सभी जिलों में लागू किया गया। इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य भूमि खरीद के बाद भूमि रिकॉर्ड अपडेट और भूमि हस्तांतरण एवं भूमि पंजीकरण (भूमि उत्परिवर्तन/ लैंड स्पूटेशन) से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है।

विभिन्न प्रणालियों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के निर्बाध एकीकरण तथा बर तहसील के माध्यम से एक एंड-टू-एंड समाधान प्रदान किया जा रहा है। इसके द्वारा तेज और कुशल भूमि रिकॉर्ड की एंट्री, कम भौतिक संपर्क और भूमि उत्परिवर्तन आदेशों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है।



साइबर तहसील

रजिस्ट्री के बाद फेसलोस भूमि उत्परिवर्तन प्रक्रिया

<https://rcms.mp.gov.in/>

मुख्य लिंकेशारे

- 1 एंड टू एंड फेसलोस और ऐपलोस स्कलारिस्ट उत्परिवर्तन
- 2 वर्तुल प्रोसेसिंग
- 3 ऑफलाइन ट्रॉनिंग एवं लिमसली
- 4 एसएमएस पर जागरिकौं को अधिसूक्षा | ट्राईसलप ईमेल


मूल अवधि के विवरण

 45-60 Days	 15 Days
मूल अवधि के विवरण वर क्षमता	
भूमि उत्परिवर्तन, प्रक्रियागत समय को 1/4 तक कम करता	

साइबर तहसील की व्यवस्था -

साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन किया है। इस संशोधन में धारा 13-क में साइबर तहसील की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। साइबर तहसील के तहत, कृषि भूमि की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से ऑफलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्री के समय ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाता है। इससे नामांतरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। साइबर तहसील मॉड्यूल में पंजीयन कार्यालय के सम्पदा पोर्टल, SAARA पोर्टल और भू-लेख पोर्टल को एकीकृत किया गया है।

Cyber Tehsil - Process Flow :



इस व्यवस्था में पंजीकरण के बाद, डेटा को संपदा पोर्टल (रजिस्ट्री पोर्टल) से आरसीएमएस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद, राजस्व मामला प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) पर एक मामला दर्ज किया जाता है और एक राजस्व मामला संख्या उत्पन्न होती है। सभी संबंधितों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10 दिन का नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस की भौतिक प्रति तहसील एवं ग्राम पंचायत पर चस्पा कर दी जाती है। इसके अलावा, सभी भूमि मालिकों को एसएमएस के रूप में नोटिस भी प्रसारित किया जाता है (राजस्व विभाग के डेटाबेस में फोन नंबरों की उपलब्धता के अनुसार)। 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पटवारी को एक ज्ञापन भी भेजा जाता है। पटवारी अपनी रिपोर्ट (चेकलिस्ट के आधार पर एक मानक प्रारूप में) इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर जमा करता है। यदि वेब पोर्टल पर किसी संबंधित पक्ष से या पटवारी रिपोर्ट में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो मामला राजस्व केस मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) के माध्यम से क्षेत्रीय तहसीलदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है। मामले से संबंधित पक्षों को ऐसे प्रसारण के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाता है। इन मामलों का निर्णय तहसीलदार करता है न कि साइबर-तहसीलदार द्वारा किया जाता है। नामांतरण आदेश के बाद स्वचालित प्रक्रिया के ज़रिए तुरंत भू-अभिलेख अपडेट हो जाता है। संबंधित व्यक्ति को एसएमएस से इसकी जानकारी मिल जाती है।

(Source: https://interstatecouncil.gov.in/wpcontent/uploads/2023/08/Madhya_Pradesh3.pdf)

13.1.2 भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण

प्रदेश में भू अभिलेखों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस तैयार किया गया है। अभी तक प्रदेश के समस्त 56761 ग्रामों के लगभग 1.51 करोड़ भूमि स्वामियों के 3.97 करोड़ खसरा नंबरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस तैयार किया जा चुका है। उक्त डेटा बेस का निरंतर अद्यतन तहसील स्थित डेटा सेन्टर पर तहसीलदारों के पर्यवेक्षण एवं जिला कलेक्टर के नियंत्रण में किया जा रहा है (कार्यालय आयुक्त, भू अभिलेख, ग्वालियर मध्यप्रदेश का पत्र, 10/01/2024)

13.1.3 भूमि के नक्शों का डिजिटलीकरण

प्रदेश के 52 जिलों में उपलब्ध करायी गई 1,37,936 मैपशीटों का डिजीटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी जिलों के नक्शों का डेटा खसरा डेटा से लिंक करा लिया गया है, तथा खसरा के साथ नक्शा भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है (कार्यालय आयुक्त, भू अभिलेख, ग्वालियर मध्यप्रदेश का पत्र, 10/01/2024)।

13.1.4 वन ग्राम से राजस्व ग्राम

वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाये जाने का लक्ष्य 28 जिलों के 826 ग्राम का है। जिसमें से 28 जिलों की अधिसूचना जिलों से प्राप्त हो चुकी है। इसके अंतर्गत वन विभाग से 494 ग्रामों का FRA का पॉलीगोन डेटा प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर ग्राम बाउंड्री बनाने की प्रक्रिया MPSEDC को टीम द्वारा की जा रही है इस आधार पर 19 जिलों की Tentative ग्राम बाउंड्री तैयार की जा चुकी है। 333 ग्रामों का FRA डेटा वन विभाग से मिलना शेष है (कार्यालय आयुक्त, भू अभिलेख, ग्वालियर मध्यप्रदेश का पत्र, 10/01/2024)।

13.1.5 स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इस योजना को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉन्च किया गया।

इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग और कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड) जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान कर ग्रामीण बसे हुए (“आबादी”) क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है।

यह योजना पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की गई जा रही है।

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
2. ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।
3. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसका हस्तांतरण किया गया है अन्यथा राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।

4. सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।
5. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना। (स्वामित्व योजना भारत सरकार डेशबोर्ड: <https://svamitva.nic.in/svamitva/about.html>)



प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 52 जिलों में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें से जिला हरदा एवं शहडोल में कार्य समाप्ति उपरांत अधिसूचना समाप्त की जा चुकी है। वर्तमान दिनांक तक डेशबोर्ड पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 44 हजार 507 कुल ग्रामों का एएसओ नोटिफिकेशन हो चुका है जिसमें से 41 हजार 602 ग्रामों में ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा चुकी है तथा इनके मैप अपलोड हो चुके हैं। कुल 72 लाख 99 हजार 696 टारगेट प्लॉट में से 33 लाख 01 हजार 785 प्लॉट का सर्वे किया जा चुका है। कुल 17 हजार 765 का अंतिम प्रकाशन हो चुका है तथा अभी तक 17 हजार 735 अधिकार अभिलेखों का प्रकाशन किया जा चुका है। (कार्यालय आयुक्त, भू अभिलेख, ग्वालियर मध्यप्रदेश का पत्र, 10/01/2024)।

13.1.6 राजस्व विभाग की सेवायें:

एम.पी ऑनलाईन एवं लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों (खसरा नक्शा एवं बी-1 के ऑनलाईन अपडेशन एवं सिटीजन सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिये वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन तैयार कराया गया है, जिसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। नागरिकों को रियल टाईम अद्यतन भू अभिलेख, एम.पी. ऑनलाईन, लोकसेवा केन्द्रों के इन्टरनेट के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखों को स्केन नागरिकों को रियल टाईम अद्यतित भू अभिलेख, एम.पी. ऑनलाईन, लोकसेवा केन्द्रों के अतिरिक्त इन्टरनेट के माध्यम से भी घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही अभिलेखागारों में उपलब्ध अभिलेखों को स्केन कर, विभागीय पोर्टल <https://mpbhulekh.gov.in/> पर लोड किया गया है, जिससे नागरिकों को पुराने अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन निर्धारित शुल्क पर घर बैठे उपलब्ध हो रही है।

Recent Key e-Gov Initiatives of Madhya Pradesh



13.1.7: रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम

रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम मध्यप्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है। जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

आर.सी.एम.एस की व्यवस्था को प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों (लगभग 1500) में लागू कर दिया गया। इस सॉफ्टवेयर से राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो गई है। उच्च अधिकारियों के लिए मॉनिटरिंग करना आसान हो गया है, जिससे प्रकरणों का निपटारा शीघ्र कर दिया जाता है।

आर.सी.एम.एस व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवायें:

इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं, प्रचलित प्रकरणों की स्थिति पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं तथा आदेश हो जाने के पश्चात आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से

डाउनलोड भी कर सकते हैं। नागरिक सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल का एकीकरण अन्य विभागों के सॉफ्टवेयर से किया गया है। (जैसे : पंजीयन विभाग के सम्पदा सॉफ्टवेयर, भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर, लोक सेवा केंद्र/एम.पी.ऑनलाइन/सी.एस.सी, संस्थागत वित्त के आर.आर.सी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, उमंग तथा एम.पी. मोबाइल एप)



प्रदेश में नागरिकों के लिए mRCMS मोबाइल एप भी विकसित की गई है, जो की गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। इस एप के माध्यम से नागरिक प्रकरण का विवरण, प्रकरण में लगी सुनवाई की दिनांक देख सकते हैं तथा आदेश की प्रति पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। (आर सी एम एस पोर्टल : <https://rcms.mp.gov.in/Citizen/AboutPortal.aspx> अद्यतन जानकारी वेबसाईट से दिनांक 11/06/2024 को डाउनलोड है)

13.2 नागरिक सेवा प्रदाय

किसी भी प्रदेश के नागरिकों की संतुष्टि का एक आधार उन सभी सेवाओं के प्रदाय करने की व्यवस्था से भी होता है जिन्हें सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सुशासित व्यवस्थाओं के माध्यम से इन सभी सेवाओं की नागरिकों तक पहुँच सुनिश्चित की जा रही है।

मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं प्रदाय करने की कानूनी गारंटी दी गई है। इस हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 25 सितम्बर 2010 से प्रभावशील है। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर लोक सेवा प्रदाय एवं व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पृथक से लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया, विभाग अंतर्गत इसके क्रियान्वयन हेतु राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना वर्ष 2013 में की गई, जिसके अंतर्गत वर्तमान में निम्नानुसार महत्वपूर्ण परियोजनाओं/ कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :-

- लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन
- लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन
- सी.एम. हेल्पलाइन कॉल सेंटर का संचालन
- सी.एम. डैशबोर्ड का संचालन
 1. प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसीलों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। मध्यप्रदेश के समस्त विकासखण्ड, तहसील क्षेत्र में अब कुल 439 लोक सेवा केन्द्र (पी.पी.पी मॉडल अनुसार) संचालित किये जा रहे हैं।

- वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 724 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। जिसमें लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए 342 सेवाएं ऑनलाईन प्रदाय की जा रहीं हैं।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.4 “जाति प्रमाण पत्र प्रदाय” अभियान के तहत अब तक लगभग 1.40 करोड़ डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा चुके हैं।
- लोक सेवा गारंटी अंतर्गत समस्त सेवाओं के अब तक लगभग 10.19 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है।
- समाधान एक दिन-तत्काल प्रदाय सेवा:** नागरिकों को एक दिन में सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाधान एक दिन-तत्काल सेवा व्यवस्था फरवरी 2018 से प्रारंभ की गई है। इसके तहत अब तक कुल 252 करोड़ से अधिक नागरिक को लामांवित हुये हैं।
- सी.एम. हेल्पलाईन 181** कॉल सेंटर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए सीएम हेल्पलाईन (181) का संचालन वर्ष 2014 से किया जा रहा है। कॉल सेंटर पर नागरिकों द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत एवं मांग सुझाव हेतु संपर्क किया जाता है। सीएम हेल्पलाईन सेवा के अंतर्गत नागरिकों से प्राप्त लगभग 265 करोड़ प्राप्त शिकायतों में से 257 करोड़ शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।
- महिला हेल्पलाईन-** महिला उत्पीड़न से बचाव हेतु राज्य में महिला हेल्पलाईन का संचालन 08 मार्च 2020 (महिला दिवस) से प्रारंभ किया गया है। महिला हेल्पलाईन के संचालन के लिए सीएम हेल्पलाईन (181) से एकीकरण किया गया है। अब तक 65866 प्राप्त शिकायतों में से 60793 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

13.2.1 विभाग के सुशासन की दिशा में नवाचार

सीएम जनसेवा : सीएम जनसेवा 181 का शुभारंभ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया एवं वर्तमान में इसके माध्यम से 07 प्रमुख सेवाएं क्रमशः (1) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (2) आय प्रमाण पत्र (3) चालू खसरा की प्रतिलिपियां (4) खतौनी की प्रतिलिपियां (5) चालू नक्शा की प्रतिलिपियां (6) भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि (7) स्पेसिमेन कॉपी (खसरा खतौनी एवं नक्शा) टोल फ्री नंबर 181 पर एक कॉल कर SMS / WhatsApp के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम जनसेवा की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 5.26 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। सीएम हेल्पलाईन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये वॉयस बॉट और टेक्स्ट विश्लेषण के लिये संबंधित सेवा प्रदाताओं से प्रामाणिकता सिद्ध करने (POC) का कार्य किया जा रहा है।

मान्य-अनुमोदन : मान्य-अनुमोदन (Deemed Approval) का प्रावधान लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन के माध्यम से किया गया है। नवीन संशोधन अनुसार इस श्रेणी अंतर्गत सेवाओं को तय समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर नागरिकों को पदाभिहित पोर्टल (Designated Portal) से स्व-उत्पन्न अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से Ease of Living एवं Ease

of Doing Business को सशक्त करने की दिशा में 26 लोक सेवाओं को मान्य अनुमोदन प्रदायगी के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

सीएम डेशबोर्ड पोर्टल : शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शी मॉनिटरिंग व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से सीएम डेशबोर्ड पोर्टल विकसित किया गया। जिसमें 33 विभागों के लगभग 205 डेशबोर्ड विकसित किये गए हैं।

नवीन सेवाओं को कानून के दायरे में लाना : प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक जीवन की बहुउपयोगी सेवाओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जा रहा है, इसके परिणामस्वरूप 724 नागरिक सेवाएं लोक सेवा गारंटी कानून अंतर्गत आ गयी है।

लोक सेवा केन्द्रों पर आधार एवं आयुष्मान कार्ड व्यवस्था: लोक सेवा केन्द्रों पर नागरिक सुविधा एवं सेवाओं को बेहतर एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु आधार पंजीयन एवं सुधार तथा आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा प्रारंभ की गयी। इस सेवा के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से अब तक लगभग 2.57 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं।

लोक सेवा केन्द्रों से ई-कोर्ट की सेवाओं की प्रदायगी: एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं ई-कोर्ट सिस्टम के बीच एकीकरण द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-कोर्ट की सेवाएं प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत ई-कोर्ट की प्रमुख सेवा “न्यायिक आदेश की ई-प्रति (हाईकोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट)” लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा का लाभ प्रदेश के अनेक नागरिकों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है।

उपलोक सेवा केंद्र: प्रत्येक जिले में ऐसी ग्राम पंचायत, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक है, में उप लोक सेवा केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति की गई है। तदनुसार प्रदेश की कुल 730 ग्राम पंचायतों पर उपलोक सेवा केंद्र खोले जाने के लिए 1 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत के मान से जिला ई-गवर्नेंस सोसायटियों को राशि जारी की जा चुकी है प्रदेश में अब तक 204 उप लोक सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं।

सिटिजन इंटरफेस के माध्यम से सेवा का प्रदाय : प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सिटिजन इंटरफेस के माध्यम से की गई है। इस व्यवस्था के तहत नवीन सेवाओं को जोड़ा जा रहा है, अब नागरिक लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पोर्टल www.mpedistrict.gov.in/ पर 68 सेवाएं आवेदन सिटिजन इंटरफेस के माध्यम से कर सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

WhatsApp चैट-बोट : नागरिकों की सुविधा के लिए सीएम हेल्पलाईन एवं लोक सेवा के लिए WhatsApp चेट बोट सुविधा प्रारंभ की गयी है।



जिसके माध्यम से नागरिक अपने व्हाट्सअप नंबर से विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं अपने आवेदन/ शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।

लोक सेवा केंद्रों पर आधार कार्ड व्यवस्था- लोक सेवा केंद्रों पर नागरिक सुविधा एवं सेवाओं को बेहतर एवं प्रभावी बनाए जाने हेतु ‘आधार कार्ड पंजीयन एवं सुधार सेवा’ प्रारंभ की गयी। इस सेवा के अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों पर आधार पंजीयन एवं सुधार हेतु अब तक 41.09 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किये गये हैं।

लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से रोजगार सृजन – प्रदेश में पीपीपी मॉडल के अनुसार ‘ए’ एवं ‘बी’ कैटेगरी के 439 लोक सेवा केंद्र संचालित हैं। जिसमें ‘ए’ कैटेगरी के प्रत्येक लोक सेवा केंद्र पर 05 कर्मचारी एवं ‘बी’ कैटेगरी के प्रत्येक केंद्र पर 03 कर्मचारी लोक सेवा केंद्र संचालक के माध्यम से रखे जाने का प्रावधान है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश में लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से लगभग 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।

एफआईआर की प्रति प्रदाय करना- प्रदेश के नागरिकों को स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा फरियादी को एफआईआर की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की प्रति प्रदान किये जाने की व्यवस्था लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से की गयी है।

*उपरोक्त जानकारी राज्य लोक सेवा अभियान म.प्र. (SAPS MP) से प्राप्त पत्र क्रमांक 579 दिनांक 30.05.2024 पर आधारित है।

13.3 कानून एवं व्यवस्था तथा विधि एवं विधायी सुधार

कारावास की सजा या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित करने वाले समान उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से अपराध के खिलाफ समाज की रक्षा करना और पुनरावृत्ति को कम करना है। कारावास में व्यतीत समय बंदी के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। नई बैरकों, नई जेलों आदि का निर्माण जेलों की क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। बंदियों की न्यायालय में पेशी की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से तथा यों की रिहाई के नियम एवं व्यवस्थायें कारावास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

13.3.1 बंदी पुनर्वास एवं कौशल तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण

बंदियों के पुनर्वास की दृष्टि से प्रदेश में 07 खुली जेलें संचालित थीं, जिनमें 118 बंदियों को उनके परिवार के साथ रखने की सुविधा थी। शासन द्वारा उज्जैन में 20 बंदियों के लिए नई खुली जेल निर्माण हेतु दिनांक 20 जुलाई 2022 को राशि में 325.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई, जो प्रगति पर है।

म.प्र. जेल कौशल विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन किया गया। उद्योगों के संचालन हेतु एक-मुश्त सहायता दी गई है। इससे औद्योगिक इकाईयों के संचालन एवं विस्तारीकरण में सुविधा हुई है। बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदेश की 03 जेलों (उज्जैन, बैतूल एवं धार) में आई.टी.आई. संचालित हैं, जिनमें, कारपेटी, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मोटर व्हीकल का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2022-23 में 61 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त जेलों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे-सिलाई, काष्ठकला, पावरलूम, प्रिंटिंग प्रेम, लौहकला, राजमिस्त्री आदि में 2,270 पुरुष बंदियों को तथा सिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर, मेंहदी, ब्यूटी पॉर्लर, गुड़िया (Dolls), राखी एवं अगरबत्ती आदि बनाने में 916 महिला बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी अनुक्रम में केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में बेकरी यूनिट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय जेल सागर में सामाजिक संस्था के माध्यम से पी.पी.पी. मोड में हथकरघा प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र का संचालन (700 से अधिक बंदी प्रशिक्षित 150 बंदी प्रशिक्षणाधीन बंदी पारिश्रमिक में वृद्धि कुशल बंदियों के लिए रु. 120/- एवं अकुशल/कृषि कार्य में लगे बंदियों के लिए रु. 72/- प्रति आधा दिवस की पारिश्रमिक दरें निर्धारित थीं, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार कम थीं। शासन द्वारा दिनांक 07.03.2023 को बंदी पारिश्रमिक की दरें बढ़ाकर कुशल बंदियों हेतु रूपये 154/- अकुशल व कृषि कार्य में लगे बंदियों हेतु रूपये 92/- प्रति आधा दिवस की गई।

बंदियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदौर एवं दमोह एवं टीकमगढ़ में पेट्रोल पम्प संचालित किए जा रहे हैं।

13.3.2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी

बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी समस्त जेलों को उनके संबंधित न्यायालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। वर्ष 2023 में कुल 4,79,746 बंदियों की हुई पेशियों में 3,10,438 पेशियां (लगभग 79.09%) बंदियों की पेशियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। लगभग 80% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं 20% पुलिस बल के माध्यम से कराई गई, जिससे पुलिस बल के समय एवं संसाधनों की बचत हुई।

13.3.3 जेलों की सुरक्षा

सभी जेलों में सी.सी.टी.व्ही की स्थापना की गई है। जेल मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से लगभग 20 जेलों की मॉनीटरिंग की जा रही है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग - वर्तमान में 11 केन्द्रीय एवं 03 जिला जेलों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग स्थापित है तथा 27 जेलों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है।

आई.सी.जे.एस प्रणाली से बंदियों का रिकार्ड- आई.सी.जे.एस. प्रणाली से बंदियों का रिकार्ड जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जिसमें बंदियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी फीड की जा रही है इसी अनुक्रम में आई.सी.जे.एस. प्रणाली के माध्यम से विभिन्न पिलर्स (पुलिम, कोर्ट, जल, प्रोक्सीक्यूशन एम एम.एल.) द्वारा फीड की गई बंदी से संबंधित जानकारी को देखा जा सकता है।

ई-मुलाकात- प्रदेश की समस्त जेलों में ई-मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त इनकमिंग दूरभाष की सुविधा भी उपलब्ध है।

13.3.4 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार

विशेष परिहार - गणतंत्र दिवस 2023 (26 जनवरी 2023) के अवसर पर 154 बंदी रिहा किए गए।

आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष रिहाई- भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गणतंत्र दिवस 2023 (26 जनवरी 2023) के अवसर पर 66 बंदी तथा स्वतंत्रता दिवस 2023 (15 अगस्त 2023) के अवसर पर 182 बंदी रिहा किए गए।

नई रिहाई नीति 2022 - 02 अक्टूबर 2023 महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य शासन की नई रिहाई नीति के तहत 73 दंडित बंदियों को रिहा किया गया। 26 जनवरी 2024 को 161 बंदी रिहा किये गये।

13.3.5 बंदियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना

बंदियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना प्रदेश की जेलों में परिस्थिति बंदियों के मानसिक विकास हेतु धार्मिक संस्थाओं जैसे-आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एवं विपश्यना केन्द्र में आध्यात्मिक कार्यक्रम संचालित करने हेतु राज्य शासन द्वारा कार्ययोजना अनुमोदिन की गई है। इसमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाकर दिनांक 02.04.2024 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है।

13.4 कानून व्यवस्था

सतत विकास लक्ष्यों के तहत 'लक्ष्य 16' (न्याय एवं शांति) को सीधे तौर पर सुशासन से जुड़ा हुआ माना जा सकता है क्योंकि यह लक्ष्य शासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार के लिये समर्पित है।

कानून व्यवस्था मजबूत होना सुशासन का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। सभी जनमानस तक न्याय एवं कानून व्यवस्था सुगम और प्रभावी रूप से पहुंच सके, इसके लिए विगत वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

गृह विभाग राज्य में पेशेवर और कुशल आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा प्रदान करने, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, अपराध को रोकने और सामुदायिक साझेदारी बनाने और 'देश भक्ति, जन सेवा' के अपने आदर्श वाक्य को उचित ठहराने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह विभाग, राज्य में कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और समग्र शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का सतत निर्वहन करता आ रहा है। गृह विभाग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों के माध्यम से नागरिकों की आवश्यकतानुसार विभिन्न सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश पुलिस ने संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए पुलिस से संबंधित आपात स्थिति और अन्य सेवाओं के लिए भोपाल में एक राज्य स्तरीय केंद्रीयकृत डायल 100 नियंत्रण कक्ष सह कमांड सेंटर स्थापित किया है। (MP Police Portal: <https://mpdial100.in/About>)

त्वरित और आपातकालीन पुलिस सहायता प्रदान करने के लिये शासन द्वारा केंद्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल 100) सेवा के द्वितीय चरण (वर्ष 2021 से 2027 तक) के लिये 1200 एफ.आर.व्ही.

वाहन की परियोजना हेतु कुल लागत राशि 1084.52 करोड़ की विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत की है। प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल राशि रूपये 228.15 करोड़ का व्यय हुआ है।

आम आदमी के जीवन को सहज और आसान बनाने के समन्वित प्रयास चल रहे हैं। प्रदेश द्वारा e-FIR प्रणाली विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत आम नागरिक घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मध्यप्रदेश पुलिस या नागरिक पोर्टल (सीटीजन पोर्टल) के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है। इससे नागरिक कोई भी घटना के संबंध में संबंधित थाने में ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज करा सकता है। उक्त ई-एफआईआर आवेदन पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आवेदक को अपनी एफआईआर के विभिन्न चरणों की अद्यतन स्थिति एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी।

साइबर सैफ मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश राज्य साइबर सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है, राज्य में साइबर प्रशिक्षण प्रयोगशाला संचालित है, जिसकी क्षमता एक समय में लगभग 50 प्रशिक्षुओं की है। प्रशिक्षण प्रयोगशाला नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है एवं लगातार विकसित हो रहे साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने का कार्य कर रही है। वर्ष 2019-2024 के मध्य 242 कार्यक्रमों को संचालित कर लगभग 23000 प्रशिक्षुओं (जैसे: पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों, माननीय न्यायाधीशों) को प्रशिक्षित किया है।

साइबर hygiene और साइबर सुरक्षा हेतु जागरूपता कार्यक्रम : जमीनी स्तर पर साइबर Hygiene और साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में कुल 2073 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित गये, जिसमें 1182096 निवासियों को जागरूक किया गया तथा वर्ष 2024 में आचार संहिता लागू होने पूर्व तक कुल 225 कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिससे 544598 निवासियों को जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश की सभी पंचायतों (23169) में साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली और उनसे सुरक्षित रहने के संबंध में पंपलेट वितरण किया गया, मार्च 2024 में “साइबर जागरूकता दिवस” पर आकाशवाणी, एफएम, एएम पर जिंगल के माध्यम से 3.05 लाख निवासियों को जागरूक किया गया है।

साइबर जागरूकता से संबंधित युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम शॉर्ट रील्स बनाई गई है। SRIJAN कार्यक्रम के माध्यम से किशोरी (लड़कियों) के लिये साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और इसके निवारण तंत्र के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

ई-विवेचना: अनुसंधान में पारदर्शिता एवं विवेचकों की सहायता हेतु ई-विवेचना एप विकसित की गई है। ई-विवेचना एप्लीकेशन के माध्यम से मध्यप्रदेश पुलिस की तकनीकी दक्षता लगातार बढ़ रही है विवेचक टैबलेट की सहायता से मौके पर ही वास्तविक समय में विवेचना कर जानकारी को सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता एवं गुणवत्ता में तेजी आई है।

आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण योजना: इस योजना के तहत प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विशेष शाखा में विशिष्ट इकाईयों एटीएस, हॉक फोर्स, एसआईबी, सुरक्षा वाहिनी का गठन किया जाकर इन इकाईयों में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को विशिष्ट एवं आधुनिकतम प्रशिक्षण दिये जाने हेतु एक ही स्थान पर एकीकृत सुरक्षा परिसर

का निर्माण तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मे व्यावसायिकता एवं दक्षता उन्नयन हेतु यह कार्ययोजना स्वीकृत की थी। जिससे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त भवन मे विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान एटीएस एवं एसटीएफ कार्यालय का संचालन प्रारंभ भी हो गया है।

13.5 समावेशी विकास हेतु राज्य का प्रयास - प्रतिस्पर्धी संघवाद

सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर सुधारने और सभी के लिए समावेशी विकास - 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' 'सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समावेशी विकास हेतु आकांक्षी जिला, आकांक्षी विकासखंड एवं सतत् विकास के लक्ष्य नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यह भारत-2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इन योजना के केंद्र में तीन आधारभूत तथ्य है- केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का सम्मिलन, जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच सहकारिता एवं जिलों के बीच प्रगति हेतु प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करना।

13.5.1 आकांक्षी जिला प्रोग्राम

जनवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। देश में अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों को सामाजिक-आर्थिक सांकेतकों में सुधार लाने के लिये आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हांकित (एस्प्रिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (ADP)) किया गया।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एस्प्रिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) का मुख्य उद्देश्य देश भर से चिन्हांकित किये गये 117 जिलों में पारदर्शी रूप से तेजी से परिवर्तन लाना है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य 49 सूचकांकों (81 डेटा बिंदु) जो कि 6 विषयगत क्षेत्रों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास से चुने गए हैं, इसके आधार पर आकांक्षी जिलों की वास्तविक समय में प्रगतिशीलता का अनुश्रवण करना है।

मध्यप्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों के अच्छे प्रदर्शन के दृष्टिगत अब तक लगभग 93 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

13.5.2 आकांक्षी विकासखण्ड प्रोग्राम

वर्ष 2023 में देश के कम विकसित क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिये आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम (ADB) शुरू किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा देश के 500 विकासखण्डों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश के 42 विकासखण्डों को सम्मिलित किया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के 42 पिछड़े विकासखण्ड को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है इन विकासखण्डों के स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं सहयोगी सेवाएं, आधारभूत संरचना (Basic Infrastructure), समाजिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा देश के 500 विकासखंडों में चलाए जा रहे आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के 29 जिलों के 42 विकासखंडों को सम्मिलित किया गया है, सेंट्रल ज़ोन (जोन 5) में ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश सम्मिलित हैं।

नीति आयोग द्वारा दिसम्बर 2023 में जारी पहली रैंकिंग में सेंट्रल ज़ोन में तिरला (जिला धार) ने प्रथम स्थान एवं पाटी (जिला बड़वानी) ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया पुरस्कार स्वरूप केंद्र सरकार से इन दोनों विकासखंडों को क्रमशः 1.5 करोड़ एवं 1 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

नीति आयोग द्वारा मार्च 2024 में जारी द्वितीय रैंकिंग में सेंट्रल ज़ोन में तिरला (जिला धार) ने प्रथम स्थान एवं नारायणगंज (जिला मण्डला) ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। (NITI Aayog <https://abp.championsofchange.gov.in/about/>)

सुशासन में महिलाओं की भागीदारी

मध्यप्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल किए हैं। इनमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50% आरक्षण का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2022 में सम्पन्न पंचायत आम निर्वाचन में कुल लगभग 3,95,564 जनप्रतिनिधि चुने गए, जिनमें लगभग 1,97,782 महिलाएं चुनी गई हैं। इन चुनावों में समूहों से जुड़ी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है और स्वयं सहायता समूह की लगभग 17,000 सदस्य पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इनमें से 14,378 महिलाएं पंच के पद पर, 429 महिलाएं उप-सरपंच एवं 1,907 महिलाएं सरपंच तथा 46 महिलाएं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इसके अतिरिक्त 381 समूह सदस्य जनपद सदस्य के पद पर भी निर्वाचित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश में नगरीय निकायों के वर्ष 2022 में चुनाव हुए जिनमें 16 नगर निगम, 98 नगर पालिकाएं और 298 नगर परिषदों के कुल स्थान एवं पदों में से 50 प्रतिशत प्रातनिधि महिलाएँ हैं।

13.5.3 सतत् विकास के लक्ष्य

सतत् विकास के लक्ष्य (SDG), संक्षेपारित रूप में भविष्य के अंतरराष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों का समूह हैं। सतत् विकास के लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है, इसमें आने वाले वर्षों के लिए (वर्ष 2030 तक) 17 लक्ष्य और 169 टारगेट्स तय किये गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य वर्ष 2030 तक में सबके लिए एक समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व समुदाय का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात् सामाजिक समावेश, सतत् आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा सतत् विकास के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु देश में सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में राज्य नीति एवं योजना आयोग ने SDG 2030 विजन को प्राप्त करने हेतु प्रदेश की SDG कार्य योजना को तैयार किया गया, इस कार्ययोजना में विभिन्न

विभागों से समन्वय स्थापित कर संकेतकवार एवं वर्षावार 2020, 2024 एवं 2030 तक के लक्ष्यों का समावेश किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2019 में किया गया था।

मध्यप्रदेश सामाजिक और आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। राज्य नीति आयोग ने भारत सरकार द्वारा हर माह प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट SDC इंडिया इंडेक्स (सतत विकास लक्ष्य) का विभागवार, क्षेत्रवार और संकेतकवार विश्लेषण कर एक समेकित विश्लेषण तैयार किया है। इस विश्लेषण को सभी विभागों के साथ साझा कर आगामी आने वाले वर्षों में संकेतकवार लक्ष्य प्राप्ति हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य में सतत विकास लक्ष्यों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 22 विभागों के साथ एक साधिकार समिति का गठन किया गया है। एसडीजी के स्थानीयकरण के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता जिला अधिकारियों के साथ समिति का गठन किया है, जिसका मुख्यतः उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

एसडीजी पर प्रगति रिपोर्ट का प्रकाशन

राज्य ने हाल ही में सितंबर माह 2023 में एसडीजी पर प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से राज्य की पहल के साथ लक्ष्यों की निगरानी करके अपनी एसडीजी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में राज्य की यात्रा को दर्शाती है।

13.6 सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन

13.6.1 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

सुशासन की अवधारणा को प्रशासनिक तंत्र में व्यावहारिक एवं मूर्त रूप से समाहित करने हेतु एक निष्पक्ष वैचारिक संस्थान की परिकल्पना की परिणीति अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना के रूप में वर्ष 2007 साकार हुई है।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजीजीपीए), मध्यप्रदेश शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग, के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।

यह मध्यप्रदेश सरकार का अकादमिक थिंक टैंक है, जिसे नीतिगत सुधारों, अनुसंधान एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के बारे में सरकार को सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान अनुसंधान एवं विश्लेषण कार्यों के साथ विकास एवं नीतिगत विषयों को राज्य सरकार तथा स्थानीय जनसमुदाय तक पहुँचाने का कार्य करता है। AIGCPA द्वारा किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्य अंकित किये हैं।

चीफ मिनिस्टरस् यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम (CMYPDP)

राज्य सरकार द्वारा अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चीफ मिनिस्टरस् यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम (CMYPDP) के क्रियान्वयन की महती जिम्मेदारी संस्थान के सुरुद है। CMYPDP प्रोग्राम के माध्यम से जिला, विकासखंड एवं ग्राम स्तर के योग्य युवा पेशेवरों को मध्यप्रदेश के विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोग्राम ज़मीनी स्तर पर शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम (CMYIP)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह सरकारी योजना मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए प्रारंभ की गई है। चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कहा जाएगा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(स्रोत <https://aiggpa.mp.gov.in/Annualreport>)

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल:

वर्ष 2020 में, महामारी के दौरान अग्रणी सोच रखते हुए आपदा को अवसर बनाते हुए सरकार ने, व्यापक स्तर पर हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023” विकसित किया था। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023 में चार प्रमुख स्तंभों - भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिये आउटकम व आउटपुट निर्धारित किये गये रोडमैप में निर्दिष्ट आउटपुटों की प्राप्ति के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों और उपगतिविधियों की सतत निगरानी के लिये आत्मनिर्भर पोर्टल को लॉन्च किया गया। वर्तमान में 113 आउटकम, 547 आउटपुट, 1107 कुल गतिविधियों इस पोर्टल में सम्मिलित हैं।

(स्रोत <https://aiggpa.mp.gov.in/Annualreport>)

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा विगत वर्ष में किये गये सुशासन से संबंधित शोध अध्ययन का संक्षिप्त विवरण

- मध्यप्रदेश युवा नीति 2023:** वैश्विक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप, सशक्त बनाने, उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देने तथा उन्हें राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने हेतु एक सार्थक मंच उपलब्ध कराने के लिए एक बहुआयामी नीति बनाई गई है। राज्य युवा नीति के निर्माण में युवाओं एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता हेतु राज्यव्यापी परामर्श आयोजित किये गए जिसमें जिला प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, गैर शासकीय संस्थानों, राज्य युवा मंच और अन्य हितधारकों ने सहभागिता की। इस प्रक्रिया में लगभग 10,000 से अधिक युवाओं ने भागीदारी की और नीति के निर्धारण के लिए अपने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त पंचायत एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भी इन परामर्श सत्रों में भाग लिया। युवा नीति हेतु सुझावों के आमंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में विभिन्न गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। सुझावों हेतु MyGov पोर्टल का भी प्रयोग किया गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2018 सुझाव प्राप्त हुए। यह नीति प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिया गया कदम है, जिसमें युवा एक अहम भूमिका निभाएंगे। ([url https://aiggpa.mp.gov.in/projectdetails](https://aiggpa.mp.gov.in/projectdetails))
- “सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2023”** - मध्यप्रदेश ने डिजिटलीकरण और सुशासन के माध्यम से कुशल जवाबदेही में सुधार की प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र में योगदान दिया है। एमपीएसडीआर 2023 रिपोर्ट का प्रकाशन प्रदेश में अपनाई जा रही सतत डिजिटलीकरण और सुशासन की अवधारणा का संकलन है, जो कि मध्यप्रदेश राज्य के परिवर्तनकारी स्वरूप पर प्रकाश डालता है।

([url https://aiggpa.mp.gov.in/projectdetails](https://aiggpa.mp.gov.in/projectdetails))

13.6.2 मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (IT)/आईटी इनेबिल्ड सर्विसेज (ITeS) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (EHM/ESDM) की राज्य की नीति के तहत उद्योगों की स्थापना, उन्हें प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने का कार्य कर रहा है। वर्तमान में एमपीएसईडीसी (MPSEDC) को बतौर नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। जिसका दायित्व मध्यप्रदेश में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न प्रतिष्ठित प्रगतिरत आईटी परियोजनाओं जैसे आईटी पार्कों का विकास, ईएमसी (EMC), एसडब्ल्यूएन (SWAN), एसडीसी (SDC), परिचय, ई-आफिस, आधार इत्यादि के क्रियान्वयन का है, ताकि सभी शासकीय विभागों के लिए निर्बाध, रखरखाव-मुक्त सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। यह बुनियादी अधोसंरचना ई-गवर्नेंस को बढ़ाने और सेवाओं की सुलभ बनाने के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, MPSEDC सरकारी विभागों को व्यापक आईटी समाधान प्रदान करता है, जिसमें परामर्श, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समाधान, नेटवर्किंग और सिस्टम एकीकरण शामिल हैं। ये सेवाएं सरकारी इकाइयों को कुशल संचालन के लिए अत्याधुनिक आईटी टूल्स से सशक्त बनाती हैं।

निगम, राज्य ई-मिशन टीम (SEMT), प्रोजेक्ट ई-मिशन टीम (PEMT), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE), डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS), प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU), प्रशिक्षण सहयोग इकाई (TCU), और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आदि के सहयोग से काम कर रहा है। राज्य के आईटी सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए, MPSEDC विभिन्न शासकीय निकायों को विशेषज्ञ सलाह और समाधान प्रदान करता है। साथ ही निगम, आईटी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों, उद्योग, व्यापार संगठनों और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करते हैं। वे राज्य में सूचना शिक्षा और संचार (IEC) और आईटी, आईटी सक्षम सेवाओं (ITeS), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल भी करते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPSeDC) ने कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और सभी शासकीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण समन्वय इकाई (TCU) की स्थापना की है। MPSeDC द्वारा ई-गवर्नेंस और विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों हेतु जिला स्तर पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्रों (ई-दक्ष केंद्रों) के माध्यम से विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य के 51 जिलों में ई-दक्ष केंद्र स्थापित किए गए हैं, इसी तर्ज पर वल्लभ भवन, मंत्रालय में ई-दक्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये गये हैं। केंद्रों की स्थापना से मई 2024 तक लगभग 6.65 लाख अधिकारियों/कर्मचारियों को आईटी/ई-गवर्नेंस के विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किये गए हैं। केंद्रों तथा प्रशिक्षण की संपूर्ण जानकारी www.edaksh.mp.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

नव सुशासन हेतु महत्वपूर्ण पहल

महिला, युवा, कृषक एवं गरीब मध्यप्रदेश सरकार के सुशासन के केंद्र में हैं। युवाओं को अवसर, महिलाओं के हाथों में अधिकार, कृषकों को संबल एवं गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार कि प्राथमिकता में है।

युगाओं को विभिन्न उद्यमी योजनाओं जैसे सीखो कमाओ योजना आदि के माध्यम से अनेकों अवसर प्रदान किया जा रहे हैं। लाड़ली बहना योजना महिलाओं के हाथों में अधिकार देने की अनूठी योजना है। ‘महिलाओं के नेतृत्व विकास’, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने से इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। इस योजना से महिलाओं का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी बढ़ने की संभावना है। जून 2023 के महीने में पहली बार राज्य सरकार द्वारा कुल 1,25,06,186 लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 1,209.64 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि के भुगतान हेतु माह मार्च 2024 तक कुल राशि रुपये 14,727.30 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

बिजनेस रिफॉर्म एकशन प्लान (बीआरएपी) 2024 बी-रेडी फ्रेमवर्क के तहत राज्य को 1 फरवरी 2024 को सुधारों का अंतिम मसौदा प्राप्त हुआ है, बीआरएपी के तहत 287 सुधार बिंदु पहचाने गए हैं जिन्हें 15 राज्य विभागों द्वारा लागू किया जाना है। अब तक सरकार ने इनमें से 237 सुधारों को लागू किया है और केवल 50 लंबित हैं जिन्हें बहुत कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के सिंगल विंडो सिस्टम यानी इन्वेस्ट पोर्टल (invest.mp.gov.in) को दिसंबर 2021 से नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इस एकीकरण के विभिन्न चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जा रहे हैं।

जनविश्वास-2 के अंतर्गत राज्य ने गैर-अपराधीकरण के लिए विभिन्न राज्य अधिनियमों में 85 प्रावधानों की पहचान की है। इनमें से 67 प्रावधानों में सुधार हो चुका है और 18 शेष हैं। अनुपालन बोझ (Compliance Burden) को कम करने की कवायद के तहत आज तक, राज्य ने 39 विभागों से संबंधित कुल 2432 अनुपालन (व्यवसाय - 818 और नागरिक - 1614) कम कर दिए हैं।

SWACHH MP ODF+ मोबाइल एप्लिकेशन

मध्यप्रदेश में स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु, मध्यप्रदेश ने आईटी (सूचना तकनीक) सिस्टम को प्रभावी रूप से एकीकृत किया है। राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत स्वच्छाग्रही मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की है, जिससे स्वच्छाग्रही की सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) गतिविधियों में दक्षता बढ़ सके।

SWACHH MP ODF+ ऐप स्वच्छाग्रही के लिए एक प्लेटफॉर्म / उपकरण है, जो उन्हें स्पष्ट उद्देश्यों और समयसीमा के साथ फ्रील्ड में कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह हर घर तक शौचालय की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है, खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखता है, और वास्तविक समय की निगरानी और हस्तक्षेप के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाता है।



राज्य ने ODF गुणवत्ता (ODF-Q) और ODF स्थिरता (ODF-S) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 27,000 स्वच्छाग्रही को प्रशिक्षित किया है। उनकी भूमिकाओं में सार्वभौमिक शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षित अपशिष्ट निपटान, साबुन से हाथ धोना, और शौचालय के पुनः निर्माण के साथ-साथ समुदाय की स्वामित्व भावना को बढ़ाना शामिल है।

प्रमुख उपलब्धियों में, 146,781 से अधिक निगरानी समितियों का गठन और सक्रियण और 13,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, 52 जिलों और 313 ब्लॉक समन्वयकों ने प्लास्टिक कचरा ऑडिट के लिए ऐप का उपयोग किया है।

SWACHH MP ODF+ ऐप ने समय पर कार्यान्वयन, वास्तविक समय डेटा प्रदान करने और ODF स्थिरता की बाधाओं को दूर करने में आवश्यक भूमिका निभाई है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग का सफल उदाहरण प्रस्तुत करता है।

“पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा” परियोजना के मुख्य बिंदु

प्रदेश के प्रमुख शहरों, पर्यटक स्थलों के मध्य वायु संपर्क को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से “पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा” के अंतर्गत राज्य के भीतर वायुसेवा संचालित किए जाने हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं मेसर्स Jet Serve Aviation Pvt. Ltd के मध्य 6 वर्ष का अनुबंध निष्पादित किया गया है। ऑपरेटर द्वारा 6 पैसेजर सीटर दो एयरक्राफ्ट लगाये जा रहे हैं।

मेसर्स JET SERVE AVIATION PVT. LTD द्वारा प्रारंभिक तौर पर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरोली, खजुराहो एवं उज्जैन शहरों के मध्य वायु सेवा संचालन प्रारंभ किया जा रहा है।



टिकट बुकिंग किए जाने हेतु भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर एअरपोर्ट पर टिकट बुकिंग काउंटर खोले गए हैं व www.Flyola.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा सकती है।

पहली फ्लाइट भोपाल-जबलपुर-रीवा-सिंगरोली का शुभारम्भ दिनांक 13 जून 2024 प्रातः 9:00 बजे से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया।

अध्याय 14

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अध्याय -14

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

14.1 मध्यप्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, राज्य का लक्ष्य अपना ध्यान कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करना है। विभिन्न प्रौद्योगिकियाँ परिवर्तन लाती हैं, विशेष रूप से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में। राज्य द्वारा उठाए गए कई कदमों ने औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है और मध्यप्रदेश के अब तक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रौद्योगिकी अपनाने से शासकीय कार्यों में दक्षता बढ़ती है, भ्रष्टाचार नियंत्रण, सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी और प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं के लिए समाधान मिलते हैं।

मध्यप्रदेश में 1981 में स्थापित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वृहद स्तर पर कार्यरत है। और नवीनतम तकनीक के साथ शासकीय विभागों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाता है। इस विभाग में दो प्रमुख संगठन, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) और मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST), सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। एमपीएसईडीसी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर केंद्रित है, वर्तमान में राज्य के भीतर भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार दोनों की विभिन्न प्रतिष्ठित आईटी परियोजनाओं को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एमपीसीएसटी का मुख्य उद्देश्य राज्य की वैज्ञानिक और तकनीकी जरूरतों को पूरा करना है। और साथ ही सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों पर सरकार को सलाह देना है।

मध्यप्रदेश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न नीतियों की सुदृढ़ संरचना का लाभ मिलता है। मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नीति (MPSTIP) 2022 STI पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2014, स्टेट स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2014 और मध्यप्रदेश सरकार की ईमेल पॉलिसी -2014 जैसी नीतियां कुशल डेटा प्रबंधन और सुलभता में योगदान करती हैं। इसके अलावा, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क 2022, क्लाउड सेवाओं के लिए एक सुरक्षित और मानकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

टावर नीति 2019 में हाल के संशोधनों के साथ, पॉलिसी टू फसीलीटेट एस्टबलिशमेंट ऑफ टेलीकॉम इनफ्रास्ट्रक्चर इन मध्यप्रदेश 2023 (मध्यप्रदेश में दूरसंचार अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2023) विशेष रूप से सुदूर (सेवारहित) क्षेत्रों में दूरसंचार अधोसंरचना (वायरलाइन/वायरलेस वॉयस और डेटा सेवाओं) के विकास की सुविधा प्रदान करती है। इसी तरह, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 निवेश को आकर्षित करने और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विकास को

बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीतियों का यह व्यापक ढांचा, मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निम्नलिखित खंड संक्षेप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की नई नीतिगत पहलों की व्याख्या की गयी है।

14.2 नई नीतिगत पहलें

14.2.1 आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम प्रोत्साहन नीति 2023

निवेश आकर्षित करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस), डेटा केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन विनिर्माण (ईएसडीएम) के साथ-साथ अन्य उभरते क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लक्ष्य के साथ, मध्यप्रदेश ने इस नीति के 2016 के प्रारूप में आवश्यक संशोधनों के साथ आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम प्रोत्साहन नीति 2023 पेश की है। यह नीति निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है:

1. मध्यप्रदेश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्रों में निवेश के प्रवाह को बढ़ाना।
2. आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
3. आईटी/आईटीईएस कार्यक्षेत्र, प्लग एंड फ्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए तैयार बनाकर निवेश को प्रोत्साहित करना और सह-कार्यशील स्थानों के उपयोग को बढ़ावा देना।
4. अर्ध-शहरी कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना।
5. आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाइयों के उपयोग के लिए उचित दरों पर भूमि पार्सल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. कुशल आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम जनशक्ति के निर्माण को सक्षम करना।
7. अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना।
7. सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप को अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में बढ़ावा देना।


14.2.2 पॉलिसी टू फ़सीलीटेट ऐस्टबलिशमेंट ऑफ टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मध्यप्रदेश 2023 (मध्यप्रदेश में दूरसंचार अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ संरेखित करने और ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था को विकसित करने की आकांक्षा को लक्षित करते हुए, मध्यप्रदेश पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए पूरे राज्य में मजबूत, सुरक्षित और निर्बाध दूरसंचार अधोसंरचना स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। नीचे दिए गए उद्देश्यों के साथ यह नीति अपने 2019 के प्रारूप में आवश्यक संशोधनों के साथ, यह विशेष रूप से सुदूर (सेवारहित) क्षेत्रों में दूरसंचार अधोसंरचना (वायरलाइन / वायरलेस वॉयस और डेटा सेवाओं) के विकास की सुविधा प्रदान करती है।

1. मध्यप्रदेश में सुरक्षित, निर्बाध, उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाओं और बुनियादी ढांचे की नियोजित वृद्धि और विस्तार सुनिश्चित करना।
2. राज्य के सभी हिस्सों में टेली-घनत्व और इंटरनेट के उपयोग को बढ़ाना।
3. सस्ती, विश्वसनीय, उच्च गति और मांग-आधारित आवाज और डेटा एक्सेस सेवाओं की मांग करने वाले नागरिकों और संगठनों को सेवाएं प्रदान करना।
4. राज्य में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं के लिए अनुमति और अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक सरल और पारदर्शी ढांचा स्थापित करना।

14.3 मध्यप्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बजटीय आवंटन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के बजट में पिछले पांच वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के लिए राज्य की बढ़ती प्रतिबद्धता को उजागर करता है। 2019-20 में रुपये 70.97 करोड़ से शुरू होकर, यह 2023-24 के बजट अनुमान में बढ़कर रुपये 343.04 करोड़ हो गया, जो 383.3% की वृद्धि को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि समग्र विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में राज्य के सक्रिय रूख को रेखांकित करती है। विभाग अपने बजट को अनुसंधान, राज्य डेटा सेंटर संचालन, स्वान स्थापना, आईटी पार्कों और विभिन्न प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलों के लिए समर्थन पर केंद्रित करता है, जो एक स्थायी और प्रगतिशील भविष्य के लिए नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की स्पष्ट दृष्टि को दर्शाता है।



स्रोत: वित्त विभाग, GoMP

चित्र 14.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन का बजटीय आवंटन

- नोट:**
- (i) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की राशि बजट पुस्तकों के अनुसार लेखा आंकड़े हैं।
 - (ii) बजट पुस्तकों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि पुनराक्षित अनुमान है और वित्त वर्ष 2023-24 बजट अनुमान है।

14.4 विज्ञान लोकप्रियकरण

14.4.1 युवा वैज्ञानिक कांग्रेस

मध्यप्रदेश ने 21 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में 39वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी की और राज्य के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को अपने शोध प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के साथ-साथ विज्ञान महोत्सव जैसी अन्य पहलों का आयोजन किया। इस अवसर पर 18 विभिन्न विषयों पर कुल 205 शोध प्रकाशन प्रस्तुत किए गए और 31 शोधकर्ताओं को राज्य के युवा वैज्ञानिक का सम्मान प्राप्त हुआ।

14.4.2 विज्ञान मंथन यात्रा

म.प्र. मानव संसाधन कार्यक्रम के मिशन एक्सलेन्स के तहत, एमपीसीएसटी द्वारा 27 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 16वीं वर्चुअल विज्ञान मंथन यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1322 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया और 958 छात्रों का चयन किया गया। जिसमें से कक्षा 8 वीं से 12 वीं तक के 147 छात्रों ने इस आभासी यात्रा में भाग लिया और हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, देहरादून, लखनऊ और भोपाल के प्रमुख वैज्ञानिक गतिविधि शहरों में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 11 राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं का अनुभव किया।

14.4.3 विज्ञान केंद्र

राज्य में, एमपीसीएसटी विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण, नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उनके प्रयासों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और जनता के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना शामिल है। परिषद ने आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर के सहयोग से भोपाल में एक विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। कार्यशालाओं, विज्ञान प्रदर्शनों और खगोल विज्ञान प्रयोगशालाओं के माध्यम से, परिषद का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और आम जनता के बीच क्षमता का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करना, विज्ञान में रुचि पैदा करना और विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं के अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। विज्ञान दीर्घाओं के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए एसटीईएम-आधारित गतिविधियों और दैनिक शो का आयोजन किया जाएगा।

14.4.4 राज्य नवाचार फाउंडेशन

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन, गांधीनगर के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के अंतर्गत, जमीनी स्तर पर नवाचारों और विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दोनों संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश में एक राज्य नवाचार फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकारों और शैक्षणिक प्रयासों में आपसी सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

14.4.5 क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के सहयोग से, एमपीसीएसटी उज्जैन में एक क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना कर रहा है जो राज्य में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करेगा।

14.4.6 मध्यप्रदेश कारीगर विज्ञान कांग्रेस

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने 03 अप्रैल 2023 को कारीगर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश के कारीगरों को उनके शिल्प कौशल और उत्पाद निर्माण से संबंधित जानकारी और आवश्यक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप प्रदान करना था।

14.4.7 स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी

विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्रौद्योगिकी दिवस पर “स्पेस ऑन व्हील्स” मोबाइल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। यह अनूठी मोबाइल वैन पूरे वर्ष मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करेगी, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसरो की उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

14.5 S&T पारिस्थितिकी तंत्र के स्तंभ


एक मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) पारिस्थितिकी तंत्र के स्तंभ नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, जिससे राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में योगदान होता है।

14.5.1 इनक्यूबेशन सेंटर्स

इनक्यूबेशन सेंटर्स का विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो नवाचार और उद्यमिता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये केंद्र स्टार्टअप्स को आवश्यक संसाधन, मेंटरशिप और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और सफलता में तेजी आती है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके, साझा सुविधाओं की पेशकश और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करके, इनक्यूबेटर आर्थिक विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रारंभिक चरण के उपक्रमों को पोषित करने और उन्हें उद्योग के विशेषज्ञों से जोड़ने में उनकी भूमिका उन्हें एक गतिशील और टिकाऊ एस एंड टी पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग बनाती है। मध्यप्रदेश में, इनक्यूबेटरों की कुल संख्या 32 [एमएसएमई विभाग, जीओएमपी वेबसाइट के अनुसार जैसा कि जनवरी 2023 में एक्सेस किया गया था] से बढ़कर 68 हो गई है [एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अनुसार; इनक्यूबेटर्स की जानकारी के लिए- अनुलग्नक ‘अ’ देखें]। इन 68 इनक्यूबेशन केन्द्रों में से चार इनक्यूबेशन केंद्र अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (एआईसी) का हिस्सा हैं। [अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार के अनुसार] [विस्तृत सूची के लिए अनुलग्नक ‘अ’ देखें]

नीचे दिए गए चित्र 14.2 में राज्य में इनक्यूबेटरों का घनत्व दर्शाया गया है, जो दर्शाता है कि अधिकांश इनक्यूबेशन केंद्र केवल भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों में केंद्रित हैं। नीचे दिए गए चित्र 14.2 में विभिन्न

जिलों में इनक्यूबेटरों की संख्या में भारी असमानता दिखाई गई है। स्टार्टअप अधोसंरचना के मामले में मध्य और दक्षिण-पश्चिमी जिले अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक विकसित हैं।



चित्र 14.2 मध्यप्रदेश में इन्कायूबेशन सेंटर्स का घनत्व

14.5.2 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप

नवाचार के उत्प्रेरक, रोजगार के अवसर पैदा करने वाले, आर्थिक विकास में योगदानकर्ता और प्रतिस्पर्धा के चालकों के रूप में अपनी भूमिका के कारण स्टार्टअप विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। यह अक्सर अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने, अनुसंधान और अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटने और एक उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी होते हैं। इनके कारण दक्षता में वृद्धि, लागत में कमी और सेवाओं में सुधार होता है। स्टार्टअप प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करते हैं, वैश्विक सहयोग में संलग्न होते हैं, और उद्यम पूँजी से लाभ उठाते हैं, एसटीआई परिदृश्य की समग्र गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। निरंतर नवाचार और एक लचीला एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए स्टार्टअप का समर्थन करना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए राज्य में स्टार्टअप को आवश्यक प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की अपनी स्टार्टअप नीति 2022 है। मध्यप्रदेश में, 4237 डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं (जिनमें से 1988 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं) [वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट 06/06/2024 के अनुसार] जो मध्यप्रदेश के एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से (मुख्य रूप से निर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में) काम कर रहे हैं।


मध्यप्रदेश में स्टार्टअप की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ी है और इसने 30.9% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दिखाई है। राज्य में स्टार्टअप की संख्या 2019 में 329 से बढ़कर 2023 में 1264 से अधिक हो गई है।

तालिका 14.1 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)

(मान संख्या में)

Year	2019	2020	2021	2022	2023
Madhya Pradesh	329	425	557	891	1264

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन



चित्र 14.3 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)

पिछले 5 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, 2023 में 2019 की तुलना में स्टार्टअप की संख्या लगभग पांच गुना हो गई है। यह पिछले पांच वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में सकारात्मक और मजबूत वृद्धि को दर्शाता है, जो मध्यप्रदेश में एक संपन्न उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है।

14.5.3 अटल टिंकरिंग लैब्स

अटल टिंकरिंग लैब्स नवाचार का पोषण करके, सीखने के अनुभव प्रदान करके, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देकर और एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्र में भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक कौशल के साथ छात्रों को तैयार करके एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पूरे भारत में स्थापित 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) में से, मध्यप्रदेश ने जनवरी 2024 तक [अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार के अनुसार] 601 ATL स्थापित किए हैं। राज्य में, 145 एटीएल

विशेष रूप से आदिवासी जिलों में स्थित हैं। इन 601 एटीएल में से 271 सरकारी स्कूलों में हैं और 330 निजी स्कूलों में हैं। [स्रोत: संसद वेबसाइट, <https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2501389/1/AS183.pdf> (20/01/2024) के अनुसार]

14.5.4 नॉलेज (ज्ञान) आउटपुट

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

दायर किए गए पेटेंट और डिजाइन


मध्यप्रदेश ने 2018-19 से 2022-23 तक अपने पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग दर में लगातार सुधार दिखाया है। भारत में पेटेंट फाइलिंग की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.33% है, जबकि मध्यप्रदेश ने यह दर 27.2% दर्ज की है। इसी प्रकार, मध्यप्रदेश में डिजाइन फाइलिंग में लगभग 48.05% की वृद्धि देखी गई, जो भारत की 12.52% की वृद्धि दर से बेहतर है। मध्यप्रदेश में 2021-22 से 2022-23 में पेटेंट फाइलिंग की वार्षिक प्रतिशत वृद्धि 32.37% देखी गई है, जबकि डिजाइन फाइलिंग में 63.9% की वार्षिक वृद्धि हुई है।

तालिका 14.2 मध्यप्रदेश में दायर आईपीआर की संख्या

(मान संख्या में)


क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	दायर किए गए पेटेंट		दायर किए गए डिजाइन	
		भारत	म.प्र.	भारत	म.प्र.
1	2018-19	50659	194	12585	62
2	2019-20	56267	285	14290	127
3	2020-21	58503	398	14241	214
4	2021-22	66440	488	22699	269
5	2022-23	82811	646	22698	441

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जिओग्राफिकल इंडिकेशन कार्यालय, भारत सरकार



स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जिओग्राफिकल इंडिकेशन कार्यालय, भारत सरकार

चित्र 14.4 भारत और मध्यप्रदेश में पेटेंट फाइलिंग की तुलनात्मक प्रवृत्ति



स्रोत: : वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जिओग्राफिकल इंडिकेशन कार्यालय, भारत सरकार। नोट: इस खंड (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23) का डेटा एमपीसीएसटी, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित था।

चित्र 14.5 भारत और मध्यप्रदेश में डिजाइन फाइलिंग की तुलनात्मक प्रवृत्ति

जिओग्राफिकल इंडिकेशन

जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है जो किसी विशेष भौगोलिक मूल से जुड़े विशिष्ट गुणों, विशेषताओं या प्रतिष्ठा वाले उत्पादों की पहचान करता है। जीआई कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक निर्दिष्ट क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पाद प्रामाणिक और एक निश्चित मानक के हैं। वे आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, और उत्पादों के भौगोलिक मूल के अद्वितीय संबंधों को बढ़ावा देकर उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाते हैं। जीआई बाजार की सुलभता भी देते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं और स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

मध्यप्रदेश ने अपने उत्पाद को जीआई हासिल करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश को अपने उत्पाद के 09 जीआई टैग मिले हैं जो इस प्रकार हैं- ग्वालियर के कालीन, उज्जैन के बाटिक प्रिंट, जबलपुर के पाषाण शिल्प, बालाघाट की वारासिवनी साड़ी, रीवा के सुंदरजा आम, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, मुरैना की गजक, सीहोर की शरबती गेहूं और डिंडोरी के लौह शिल्प। [स्रोत: कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जिओग्राफिकल इंडिकेशन कार्यालय, भारत सरकार; www.ipindia.gov.in 04/06/2024 के अनुसार]

मध्यप्रदेश बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दायर करने में अपनी स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, साथ ही आर्थिक विकास को गति देने में नवाचार और बौद्धिक संपदा के महत्व को पहचान रहा है। मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एमपीसीएसटी शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के बीच आईपीआर के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय

रूप से शामिल है। कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सलाहकार सेवाओं के माध्यम से, एमपीसीएसटी नवप्रवर्तकों को उनकी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान और सुविधाओं से लैस कर रहा है।

14.5.5 राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और आईएनआई (राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) को व्यापक रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। मध्यप्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क, प्रशिक्षित जनशक्ति और एक अभिनव ज्ञान आधार होने पर गर्व कर सकता है। इन एसटीआई संस्थानों को मुख्य रूप से संस्थान की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित 7 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के संस्थान, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार के संस्थान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन, और DSIR पंजीकृत / CMIE डेटाबेस निजी क्षेत्र की इकाइयां आदि।

वर्तमान में 29 केंद्र सरकार के संस्थान, 8 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 64 राज्य सरकार के संस्थान, 33 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 81 विश्वविद्यालय और आईएनआई, 10 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (SIRO), 30 डीएसआईआर पंजीकृत निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और 36 CMIE डेटाबेस निजी क्षेत्र की इकाइयां राज्य में स्थित हैं। इन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों का विवरण अनुलग्नक-ब में सूचीबद्ध है। [स्रोत: कौपेंडियम ऑन स्टेट लेवल एसटीआई एकोसिस्टम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, 2022]

14.5.6 मानव पूँजी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संस्थागत और मानव संसाधन राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा और विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर प्रशिक्षण में बढ़ते निवेश के साथ विद्यालयों और महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग तक रणनीतिक और निरंतर समर्थन प्रदान करना अनिवार्य है। लक्ष्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और डोमेन विशेषज्ञों सहित अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवरों के एक बड़े पूल को शिक्षित करना है, जो प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं और विकसित आर्थिक परिदृश्य में योगदान दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कार्यबल उभरते ज्ञान को अनुकूलित करने और लागू करने, बदलते आर्थिक परिदृश्य की गतिशील मांगों को पूरा करने और आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से सम्पन्न है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन का उद्देश्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अच्छी तरह से सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ संस्थानों और सभी विषयों के बीच अनुसंधान सहयोग की एक मजबूत संस्कृति को

बढ़ावा देकर राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अनुसंधान एवं विकास अधोसंरचना विकास के लिए ठोस नीतिगत ढांचे और राज्य की पहलों जैसे संगोष्ठी/संगोष्ठी/कार्यशाला अनुदान (जिसके तहत इस वर्ष 20 विभिन्न संस्थानों को अनुदान प्राप्त हुआ), अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान (जिसके तहत इस वर्ष 23 विभिन्न संस्थानों को अनुदान प्राप्त हुआ), अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम-अनुसंधान अनुदान, और सामाजिक आर्थिक विकास योजना (जिसके तहत इस वर्ष 55 संस्थानों को अनुदान प्राप्त हुआ) [स्रोत: एमपीसीएसटी]। मध्यप्रदेश अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की स्थापना (जैसे नीमच में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना और एआईजीजीपीए, भोपाल में सेंटर ऑफ एक्सलेन्स-बायोइकोनॉमी) और अनुसंधान सुविधाओं का उन्नयन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

तालिका 14.3 पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या

(संख्या में)

वर्ष	पीएचडी			स्नातकोत्तर		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18	2,427	1,558	3,985	95,923	1,10,113	2,06,036
2018-19	2,383	1,710	4,093	1,00,,896	1,21,265	2,22,161
2019-20	3,006	2,441	5,447	125,638	1,59,465	2,85,103
2020-21	3,676	2,477	6,153	1,59,236	1,84,377	3,43,613
2021-22	4,283	3,571	7,854	2,01,345	2,39,046	4,40,391

स्रोत: उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 तो 2021-22

नोट: उपरोक्त अंकड़े पीएचडी और पीजी स्तर पर नामांकन के हैं, जिसमें केवल नियमित मोड, दूरस्थ मोड और निजी मोड के माध्यम से नामांकन शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में पीएचडी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुल छात्र नामांकन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, जिसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 5 वर्षों में डेटा रुझान बताते हैं कि मध्यप्रदेश में पीएचडी में छात्र नामांकन में 97% और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 113.7% की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश अब विभिन्न क्षेत्रों में शोध-उन्मुख छात्रों के संभावित उत्पादक के रूप में उभर रहा है।

14.6 विशिष्ट पहल


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन विभिन्न पहलों और योजनाओं के साथ इस क्षेत्र की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

14.6.1 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कवरेज

स्वान परियोजना पूरे राज्य में ध्वनि, डेटा और वीडियो के माध्यम से संचार के लिए आधार प्रदान करती है और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी उपाय है। स्वान किसी भी समय और कहीं भी शासकीय सेवाओं और सूचनाओं का प्रसार सुनिश्चित करता है। इसमें पूरे राज्य में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कनेक्टिविटी के लिए एक विश्वसनीय नेटवर्क है और विभिन्न स्थानों पर शासकीय विभागों के बीच संचार की लागत को कम करता है और एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा

प्रदान करके संघेदनशील डेटा, भुगतान आदि का प्रबंधन करने की बेहतर क्षमता के साथ इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश में 401 प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) साइट विकसित की गई हैं। MPSWAN आवश्यकताओं के मूल्यांकन और विश्लेषण के अनुसार, नेटवर्क उपकरण को SD-WAN (सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क) के साथ अपग्रेड किया गया है, जो समान नेटवर्क उपकरणों को बदलकर एमपीएसडब्ल्यूएन आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। एसडी-स्वान काफी हद तक उपलब्ध डेटा परिवहन तंत्र से स्वतंत्र है और उच्च सुरक्षा मानक प्रदान करता है।

पहली बार, भोपाल में स्थित 60 राज्य सरकार के कार्यालयों को रिंग-आधारित टोपोलॉजी के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 1000 एमबीपीएस (1 जीबीपीएस) की उच्च गति निर्बाध स्वान कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 274 सीएम राइज स्कूलों और 428 कॉलेजों को 50 एमबीपीएस से अधिक की हाई स्पीड स्वान कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। स्वान नेटवर्क के माध्यम से 9600 से अधिक कार्यालयों के 56000 से अधिक सरकारी उपयोगकर्ताओं को निःशुल्क बैंडविड्थ एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा अन्य कार्यालयों को भी इससे जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तीव्र गति से डेटा ट्रांसफर के लिए प्रत्येक पीओपी पर न्यूनतम 32 एमबीपीएस से अधिकतम 200 एमबीपीएस (रिडंडेंट मोड) तक बैंडविड्थ उपलब्ध है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्वान (एनकेएन) पर इंटरनेट को रिडंडेंट मोड पर 10 जी बैंडविड्थ के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।



स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड,

चित्र 14.6 स्वान की फाइबर कनेक्टिविटी योजना

राज्य सरकार द्वारा स्वान नेटवर्क को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीआईआई) के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है।

14.6.2 ई-टेंडरिंग

इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों के प्रकाशन, बिक्री और खोलने के लिए एक अत्यधिक भरोसेमंद विधि के रूप में उभरा है। ई-टेंडरिंग परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को सौंपा गया है, जो ई-टेंडरिंग प्रणाली के लिए एनआईसी के पोर्टल (GEPNIC) का उपयोग करता है। पोर्टल पर कुल 1,18,206 निविदाएं (जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक) प्रकाशित हैं जिनका मूल्य 2,54,931 करोड़ रुपये है, जिनमें से 31,516 निविदाएं प्रदान की जाती हैं। और उपरोक्त अवधि के दौरान, 1939 सदस्यों को 212 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रणाली के लाभों में निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति शामिल है।

14.6.3 कंप्यूटर प्रोफीसियेंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट (CPCT)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य में कंप्यूटर प्रोफीसियेंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट अनिवार्य किया गया है, जिसमें एमपीएसईडीसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, ताकि सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों की कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग कौशल का मूल्यांकन किया जा सके। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, (जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और एक टाइपिंग टेस्ट-हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल हैं) का उपयोग उम्मीदवारों के कौशल को मापने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर कौशल प्रमाणन परीक्षा (CPCT) उत्तीर्ण करना म.प्र. शासन के विभागों में पदों के लिए एक अनिवार्यता है, जिनमें टाइपिंग और कंप्यूटर कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे ऑपरेटर / सहायक ग्रेड -3 / स्टेनोग्राफर / स्टेनो टाइपिस्ट / डेटा एंट्री / आई.टी. ऑपरेटर आदि तुलनीय भूमिकाएं। निम्न तालिका 14.4 पिछले 5 वर्षों के वार्षिक समेकित परिणाम सारांश को दर्शाती है (जनवरी-मार्च 2024 के आंकड़ों को छोड़कर)। हालाँकि, इस पहल की शुरुआत से लेकर मार्च 2024 तक के डेटा में 6,46,564 पंजीकरण के साथ उम्मीदवारों की पर्याप्त रुचि दिखाई देती है, जिनमें से 83.2% (538036) उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, और उपस्थित होने वालों में से 38.9% (251609) ने सफलतापूर्वक प्रमाणन प्राप्त किया है। यह प्रवृत्ति कंप्यूटर दक्षता का आंकलन करने और प्रमाणित करने में CPCT परीक्षण के महत्व को उजागर करती है, साथ ही उन क्षेत्रों को भी इंगित करती है जहाँ प्रमाणन सफलता दर को बढ़ाने के लिए उम्मीदवार के समर्थन और तैयारी में संभावित रूप से सुधार किया जा सकता है।

तालिका 14.4 सीपीसीटी का वार्षिक समेकित परिणाम सारांश

(मान संख्या में हैं)

परिणाम विवरण	2019	2020	2021	2022	2023	कुल
नियत	95097	23454	122325	76806	54947	372629
उपस्थित	84284	20905	104784	66807	46392	323172
प्रमाणित	36176	12386	52785	31535	22139	155021

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

14.6.4 एमपी कोड पोर्टल

एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित, इस पोर्टल में राज्य के विधान, उनके अधीन बनाए गए नियम, स्वायत्त राज्य नियम और कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनी प्रावधान के महत्वपूर्ण हिस्से शामिल हैं। यह एक संशोधित संस्करण में उपलब्ध है। यह न केवल कानूनी क्षेत्र के लोगों अर्थात् न्यायाधीशों, वकीलों, विधिक छात्रों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगा बल्कि विधायिकाओं, जनप्रतिनिधियों और आम जन के कार्य में समय की बचत करेगा।

तालिका 14.5 एमपी कोड पोर्टल की अद्यतन स्थिति

(मान संख्या में हैं)

S.No.	नाम	महायोग
1	अधिनियम	1267
2	नियम	1819
3	विनियमन	170
4	अधिसूचना	842
5	निरस्त अधिनियम	23
6	परिपत्र	391
7	आदेश	321
योग		4833

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

14.6.5 उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, GoMP, MPSEDC से तकनीकी सहायता के साथ पूरे राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित कर रहा है। प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) हार्डवेयर, अनुप्रयोग विकास और अनुकूलन, पीओएस हार्डवेयर रखरखाव, हेल्पडेस्क समर्थन, परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडल स्तर तकनीकी सहायता, प्रबंधन सूचना प्रणाली, आदि सभी तकनीकी सहायता में शामिल हैं। एमपीएसईडीसी के अनुसार, मध्यप्रदेश में वर्तमान में 27724 उचित मूल्य की दुकानें हैं।

14.6.6 आधार नामांकन

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को राज्य में नागरिकों के आधार नामांकन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 तक वर्तमान अनुमानित जनसंख्या के 97.35% (8,42,88881) का आधार पंजीकरण हो चुका है।

14.6.7 मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI)

राज्य में जीआईएस तकनीक के सतत उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए, एमपीएसईडीसी ने मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) की स्थापना की है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में

मानकीकृत जीआईएस डेटा के साथ एक एकीकृत स्थानिक डेटा भंडार बनाना, राज्य ढांचे के अनुसार रिमोट सेंसिंग डेटा को भू-सुधारना, डेटा रिपॉजिटरी स्थापित करना और विभिन्न शासकीय विभागों को जीआईएस प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इस अधोसंरचना में 4.8 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट (Point of interest) और 250 से अधिक नियमित रूप से अद्यतन जीआईएस डेटा लेयर्स की विशेषता वाली डेटा लाइब्रेरी शामिल है।

14.6.8 उत्कृष्टता केंद्र

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम नवाचार को बढ़ावा देने और राज्य को शीर्ष-स्तरीय आईटी समाधान प्रदान करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समर्पित है। मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा अधोसंरचना (एमपीएसएसडीआई) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) सॉफ्टवेयर विकास, निगम के अंतर्गत इकाई है। सीओई ने अब तक 320 से अधिक वेबसाइट/पोर्टल/एप्लिकेशन विकसित किए हैं, और 517 से अधिक वेबसाइट/एप्लिकेशन को सुरक्षा ऑडिट और प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

14.6.9 स्टेट डेटा सेंटर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत भोपाल में राज्य स्तरीय स्टेट डेटा सेंटर बनाने के लिए सहयोग किया है। इस योजना को लागू करने का जिम्मा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) को सौंपा गया है। वर्तमान में राज्य डेटा सेंटर में 50 विभिन्न विभागों के 510 से अधिक एप्लिकेशन संधारित किए गए हैं। डेटा सेंटर में 32 परियोजनाओं के सर्वर लगाए गए हैं। फिलहाल, राज्य का डेटा सेंटर पूरी तरह से राज्य सरकार के प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के दायरे में है। इसके साथ ही, मुवनेश्वर, उड़ीसा में स्टेट डेटा सेंटर की नई DR (डेटा रिकवरी) साइट भी स्थापित की जा रही है।

14.6.10 चुनाव के लिए राज्य स्तरीय एजेंसी (SLA)

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (MPSEDC) वर्ष 2002 से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए तथा वर्ष 2015 से राज्य निर्वाचन आयोग के लिए राज्य स्तरीय एजेंसी (SLA) के रूप में कार्य कर रहा है तथा इसे वर्ष 2025 तक एसएलए के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्राप्त है। निगम के आंकड़ों के अनुसार, जून 2013 से मार्च 2024 तक कुल 4.59 करोड़ पीवीसी EPIC (वोटर आईडी कार्ड) प्रिंट किए गए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.49 करोड़ ईपीआईसी की वृद्धि हुई।

14.6.11 एकल नागरिक डेटाबेस (SAMAGRA)

मध्यप्रदेश शासन ने शासन और उपभोक्ता (G2C) के बीच संपर्क में सुधार के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में एकल नागरिक डेटाबेस, या “SAMAGRA” को बनाया है। समग्र के माध्यम से श्रमिक वर्ग, गरीबों, बुजुर्गों, बेटियों, विधवाओं, परित्यक्त और दिव्यांगजनों दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित कई कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस डेटाबेस में 10.42 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। समग्र और आधार ई-केवाईसी ने लाभार्थियों को पंजीकृत करना, विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित करना और दस्तावेजीकरण की हार्ड कॉपी की आवश्यकता को

कम या समाप्त करना आसान बना दिया है। सरकार सभी योजनाओं के लाभों के लिए समग्र ई-केवाईसी अनिवार्य बनाने की भी योजना बना रही है।

14.6.12 गतिशक्ति संचार पोर्टल

उत्कृष्टता केंद्र ने “गतिशक्ति संचार पोर्टल” बनाया है जो केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार सहित सभी हितधारकों के बीच एक सहयोगी संस्थागत तंत्र है, जो एकल इंटरफ़ेस के माध्यम से राइट ऑफ वे (RoW) आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक तथा आसान बनाता है। अधिक जानकारी के लिए, पाठक अध्याय 6- व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी का संदर्भ ले सकते हैं।

14.6.13 एमपी परिचय

एमपी परिचय (जिसे पहले MP SRDH के नाम से जाना जाता था) - यूआईडीएआई “विशिष्ट आईडी” आधारित पहचान प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करने वाला एक व्यापक एप्लिकेशन है। एमपी परिचय के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को आधार प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्तमान में एमपीएसईडीसी को यूआईडीएआई के एएसए (प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी) निकाय के रूप में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, ताकि एमपीएसईडीसी अपने Sub-AUA को प्रमाणित सेवाएं प्रदान कर सके। एमपीएसईडीसी द्वारा एएसए बनने के लिए यूआईडीएआई की सभी पूर्व-अपेक्षित अर्हताएं पूरी की जा रही हैं। ASA लाइसेंस प्राप्त करने पर, एमपीएसईडीसी संयुक्त रूप से AUA (प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी) और ASA के रूप में प्रमाणन सेवाओं की आवश्यकता को अधिक कुशलता से पूरा करने में सक्षम होगा और बाहरी ASA एजेंसियों पर निर्भरता को समाप्त कर देगा।

14.6.14 ड्रोन

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एमपीएसएडीआई द्वारा ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन के 18 अप्रैल 2022 के आदेश के अनुसार, एमपीएसईडीसी को प्रदेश में ड्रोन तकनीक के क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। ड्रोन के अनुप्रयोगों और उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के उद्देश्य से, एमपीएसईडीसी ने 15 से अधिक क्षेत्रों में 30 से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया है और ड्रोन के उपयोग के लिए मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं और उन्हें संबंधित विभागों के साथ साझा किया है। जिला स्तर पर ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में ड्रोन तकनीक में नवाचार के लिए प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की राशि के उपयोग का प्रावधान किया गया है। कटनी जिले में यूरिया छिड़काव, घार जिले में बांधों की निगरानी जैसी पहल ड्रोन तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक की गई है। ड्रोन तकनीक का उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लेआउट प्लानिंग, जल संसाधन योजना, नए बांधों की योजना, उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव, आपदा प्रबंधन के दौरान और कानूनी उद्देश्यों के लिए करने की भी योजना है। वर्तमान में, एमपीएसईडीसी राज्य स्तर पर ड्रोन सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध कर रहा है और ड्रोन-एज-ए-सर्विस के रूप में सभी शासकीय विभागों को ड्रोन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।



चित्र 14.7 ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

14.6.15 साइबर तहसील

मध्यप्रदेश शासन द्वारा रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत साइबर तहसील लागू की गई है, जो म्यूटेशन की प्रक्रिया को त्वरित और आसान बनाती है। जून 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 ज़िलों में यह व्यवस्था लागू की गई थी, और अंततः 29 फरवरी 2024 को इसे मध्यप्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू कर दिया गया है। इस पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अध्याय 13-सुशासन का संदर्भ लिया जा सकता है।

14.6.16 आईटी पार्क

आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए, शासन द्वारा आवंटित भूमि पर आईटी पार्क (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में) विकसित किए गए हैं। इस हेतु शासन द्वारा लगभग 474 एकड़ भूमि (भोपाल में 204 एकड़, ग्वालियर में 20.76 एकड़ एवं 75 एकड़, जबलपुर में 63 एकड़ और इंदौर में 112 एकड़) आवंटित की गई है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 90 एकड़ (भोपाल में 50 एकड़ और जबलपुर में 40 एकड़) अलग रखी गई है। इन आईटी पार्कों में अब तक करीब 342.86 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। आईटी/आईटीईएस निवेश के लिए सभी आयकर और आईटी सेवा पार्कों में निवेश के लिए 220 इकाइयों के कुल 245 भूखंड आवंटित किए गए हैं और अब तक 49,081 रोजगार सृजित हुए हैं।

14.6.17 ई-ऑफिस

भारत सरकार ने सरकारी प्रक्रियाओं और सेवा वितरण प्रणालियों में दक्षता की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता के उत्तर में, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत ई-ऑफिस को एक मुख्य मिशन मोड परियोजना के रूप में नामित किया है। पेपर लेस (कागज रहित) कार्यशैली अपनाकर, यह पहल सरकार की परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करना चाहती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन अपने अधीनस्थ संस्थान (मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड) में एनआईसी (NIC) के माध्यम से इस परियोजना को लागू कर रहा है और अप्रैल 2014 से ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालय का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर, 235 विभिन्न सरकारी कार्यालय सफलतापूर्वक ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।

14.6.18 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के निर्माण, देखरेख और संचालन के लिए दूरसंचार अधोसंरचना प्रावधान के रूप में भारतनेट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 100 मेगाबिट प्रति सेकंड की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मार्च-2024 तक मध्यप्रदेश की लगभग 78.80% ग्राम पंचायतों के पास ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा पहुँच चुकी है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बीएसएनएल को ₹185 करोड़ की सब्सिडी मिली।

14.6.19 मध्यप्रदेश के शहरों के लिए मास्टर प्लान परियोजना

भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 41 शहरों की विकास योजनाएँ तैयार कर ली गई हैं।

14.6.20 मध्यप्रदेश कम्प्यूटर इमरजेन्सी रेस्पोन्स टीम (MPCERT)

इसका प्रमुख दायित्व CERT-In (Computer Emergency Response Team-In) के निर्देशानुसार शासकीय कार्यालयों के वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप और एपीआई का साइबर सुरक्षा ऑडिट करना है। राज्य में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए CERT-In के दिशा-निर्देशों के अनुसार SCSIRT (State Computer Security Incident Response Team) स्थापित किया गया है, जिसका दायित्व जागरूकता और तत्परता के साथ साइबर सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम प्रणालियों को बढ़ावा देना है। साथ ही, CERT-In और NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) के मार्गदर्शन के अनुसार विभागों को परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 'अ'

मध्यप्रदेश में इनकार्यबोधन सेंटर्स की सूची

S.No.	Name	City
1	AIC - Aartech Solonics Private Limited	Bhopal
2	AIC - Prestige Inspire Foundation	Indore
3	Anupam Incubation and Innovation Centre	Bhopal
4	Atal Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship (ACIIE), DAVV	Indore
5	AIC - ATAL Incubation Centre, RNTU	Bhopal
6	B-Nest Foundation, Smart city Bhopal	Bhopal
7	Jawahar RKVY RAFTAAR Agribusiness Incubation Centre, Institute of Agri business Management, JNKVV	Jabalpur
8	Centre for Innovation, Design and Incubation, SGSITS	Indore
9	Jabalpur Incubation Center, Smart city Jabalpur	Jabalpur
10	G.Incube, Smart City Gwalior	Gwalior
11	Srijan AKVN Incubation Centre	Indore
12	IDEAPAD, ITM University	Gwalior
13	Technology Innovation Incubation Centre, ABVIIITM, Gwalior	Gwalior
14	Indian Institute of Technology(IIT) - ACE Foundation	Indore
15	JLU Foundation for Incubation & Entrepreneurship	Bhopal
16	Kalchuri - LNCT Group Incubation Center	Bhopal
17	Leather Incubation Center	Dewas
18	NetEdge Incubation Centre, Gyan Ganga Institute of Technology and Science	Jabalpur
19	Software Technology Parks of India (STPI)	Bhopal
20	Software Technology Parks of India (STPI)	Gwalior
21	Symbiosis University of Applied Sciences	Indore
22	VASPL Initiatives Pvt. Ltd.	Bhopal
23	Workie	Indore
24	Indore Smart Seed, Smart city Indore	Indore

S.No.	Name	City
25	MANIT ROLTA Incubation, Bhopal	Bhopal
26	Smart City Sagar	Sagar
27	Smart City Satna	Satna
28	Cliqué- The innovation and Incubation centre, IIM Indore	Indore
29	IICE, IISER, Bhopal	Bhopal
30	Apparel Incubation Center	Gwalior
31	Ojaswini Innovation & Incubation for Entrepreneurship & Startups (OIIES), Sagar	Sagar
32	Nishank Workspace Incubation and Innovation Centre	Bhopal
33	Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal	Bhopal
34	Vikram University, Ujjain	Ujjain
35	Pt. SN Shukla University, Shahdol	Shahdol
36	Awadhesh Pratap Singh University, Rewa	Rewa
37	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur	Chhatarpur
38	Atal Bihari Vajpayee Hindi University, Bhopal	Bhopal
39	Design Innovation & Incubation Centre, Rani Durgavati Univ.	Jabalpur
40	DESIRE incubation Centre, Jiwaji University, Gwalior	Gwalior
41	Institute for Excellence in Higher Education (IEHE), Bhopal	Bhopal
42	Centre for Agribusiness Incubation and Entrepreneurship	Gwalior
43	Space entrepreneurship centre pvt. Ltd.	Bhopal
44	Acropolis; Acrobiz	Indore
45	Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing	Jabalpur
46	Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal	Bhopal
47	AIC PI Hub, Incubation Centre-RRCAT	Indore
48	Rajeev Gandhi Prodyogiki Vishwavidyalaya (RGPV)	Bhopal
49	Medicaps University	Indore
50	IES Foundation for Incubation and Entrepreneurship	Bhopal
51	Institution innovation Council, Oriental University	Indore

S.No.	Name	City
52	Sant Hirdaram Girls College Bhopal	Bhopal
53	Govt. Holkar Science College, Indore	Indore
54	SAMRT INDIA MPU Incubation centre	Bhopal
55	People's University Incubation Centre	Bhopal
56	IIFM Incubation Centre	Bhopal
57	IITI Drishti CPS Foundation	Indore
58	Aahuti Incubation Centre	Datia
59	Multifruit Pioneers Pvt. Ltd.	Bhopal
60	RKDF	Bhopal
61	ITI Incubation Centre; Startup Army (not incorporated)	Bhopal
62	National Institute of Technical Teachers Training & Research	Bhopal
63	National Institute of Fashion Technology (NIFT)	Bhopal
64	National Institute of Design	Bhopal
65	Bhopal School of Social Sciences (BSSS)	Bhopal
66	GWP Bhopal Incubation Foundation	Bhopal
67	Shriji International Public School	Narsinghpur
68	Kothiya Rural Technology and Business Incubation Center	Bhopal

मध्यप्रदेश में एसटीआई संस्थानों की सूची

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
1.	All India Institute of Medical Science (AIIMS)	Bhopal
2.	Bhopal Memorial Hospital and Research Centre (ICMR)	Bhopal
3.	CCRAS- Regional Ayurveda Research Institute for Drug Development	Gwalior
4.	Central Forensic Science Laboratory	Bhopal
5.	Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)	Bhopal
6.	Clinical Research Unit (Unani)	Bhopal
7.	Clinical Research Unit (Unani)	Burhanpur
8.	CSIR-Advanced Materials and Processes Research Institute (AMPRI)	Bhopal
9.	Defence Research and Development Organisation	Gwalior
10.	Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalay (A Central University)	Sagar
11.	ICAR- Central Institute of Agricultural Engineering	Bhopal
12.	ICAR- Directorate of Weed Research	Jabalpur
13.	ICAR- Indian Institute of Soil Science	Bhopal
14.	ICAR-Indian Institute of Pulses Research	Bhopal
15.	ICMR- National Institute for Research in Environmental Health	Bhopal
16.	Indian Institute of Forest Management	Bhopal
17.	Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing	Jabalpur
18.	Indian Institute of Science Education and Research (IISER)	Bhopal
19.	Indian Institute of Soybean Research	Indore
20.	Indian Institute of Technology	Indore
21.	Indira Gandhi National Tribal University	Amarkantak
22.	Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT)	Bhopal
23.	National Institute for Research on Tribal Health	Jabalpur
24.	National Institute of High Security Animal Diseases	Bhopal
25.	National Institute of Technical Teachers' Training and Research	Bhopal

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
26.	National Law University	Bhopal
27.	Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT)	Indore
28.	School of Planning and Architecture	Bhopal
29.	Tropical Forest Research Institute	Jabalpur
Central Public Sector Enterprises		
Sl. No.	Name of the Enterprises	City
1.	Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL)	Bhopal
2.	Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)	Bina
3.	Govt. Opium and Alkaloid Factory	Neemuch
4.	Gun Carriage Factory	Jabalpur
5.	Narmada Hydroelectric Development Corporation (NHDC)	Khandwa
6.	National Textile Corporation Ltd.	Burhanpur
7.	NEPA Limited	Nepanagar, Burhanpur
8.	Northern Coalfields Ltd.	Singrauli
State Government Institutes		
Sl. No.	Name of the Institution	City
1.	Water Resources Department	Bhopal
2.	R&D Cell, Madhya Pradesh Power Generating Company Ltd.	Jabalpur
3.	State Forest Research Institute	Jabalpur
4.	Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya (JNKVV)	Jabalpur
5.	Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (RVSKVV)	Gwalior
6.	Regional Agricultural Research Station- JNKVV	Rewa, Sagar, Dindori, Waraseoni (Balaghat) = 04 (Nos.)

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
7.	Zonal Agricultural Research Station- JNKVV	Tikamgarh, Powarkheda (Hoshangabad), Chhindwara, Jabal- pur= 04 (Nos.)
8.	Agricultural Research Station- JNKVV	Chhattarpur, Sagar, Chhindwara= 03 (Nos.)
9.	Regional Agricultural Research Station – RVSKVV	Gwalior, Khandwa, Ujjain, Mandsaur= 04 (Nos.)
10.	Zonal Agricultural Research Station -RVSKVV	Indore, Jhabua, Khargone, Morena, Sehore= 05 (Nos.)
11.	Special/ Horticultural Research Station- RVSKVV	Bhopal, Jaora, Bagwai, Badwah= 04 (Nos.)
12.	Special Research Centers – JNKVV	Narsinghpur, Orai (Mandla)= 02 (Nos.)
13.	College of Agriculture	Khandwa
14.	RAK College of Agriculture	Sehore
15.	College of Agriculture	Jabalpur
16.	College of Horticulture	Mandsaur
17.	Nanaji Deshmukh Veterinary Science University (NDVSU)	Jabalpur
18.	College of Veterinary Science & Animal Husbandry	Jabalpur
19.	College of Veterinary Science & Animal Husbandry	Indore
20.	College of Veterinary Science& Animal Husbandry	Mhow, Indore
21.	Vindhya Herbals, MFP- PARC	Bhopal
22.	Barkatullah University	Bhopal
23.	M.P. Bhoj (Open) University	Bhopal

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
24.	Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya	Bhopal
25.	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya	Chhatarpur
26.	Chhindwara University	Chhindwara
27.	Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya	Chitrakoot, Satna
28.	Jiwaji Vishwavidyalaya	Gwalior
29.	Raja Mansingh Tomar Music & Arts University	Gwalior
30.	Devi Ahilya Vishwavidyalaya	Indore
31.	Madhya Pradesh MedicalScience University	Jabalpur
32.	Rani Durgavati Vishwavidyalaya	Jabalpur
33.	Awadhesh Pratap Singh University	Rewa
34.	Pandit S.N. Shukla University	Shahdol
35.	Vikram University	Ujjain
36.	UGC-DAE Consortium for Scientific Research	Khandwa
37.	Birla Research Institute for Applied Sciences	Nagda, Ujjain
38.	Pt. Khushilal Sharma Govt. Ayurveda College and Institute	Bhopal
39.	Shri G.S. Institute of Technology and Science- Govt. Autonomous	Indore
40.	Madhav Institute of Technology and Science- Govt. Autonomous I	Gwalior
41.	Institute for excellence in Higher Education (IEHE)- Govt. Autonomous	Bhopal
42.	Sarojini Naidu Government Girls Post Graduate College- Govt. Autono-mous	Bhopal
43.	Govt. Holkar Science College- Govt. Autonomous	Indore
44.	Government M. H. College of Home Science & Science for Women- Govt. Autonomous	Jabalpur
45.	Samrat Ashok Technological Institute- Govt. Autonomous	Vidisha
State Public Sector Enterprises		
Sl. No.	Name of Enterprises	City
1.	Madhya Pradesh State Co-operative Dairy Federation Limited	Bhopal
2.	Madhya Pradesh State Minor Forest Produce Processing & Research Cen-tre (MFP- PARC)	Bhopal

Central Government Institutes

Sl.No.	Name of the Institution	City
3.	Madhya Pradesh State Seeds and Farms Development Corporation	Bhopal
4.	Madhya Pradesh Agro Oils and Cattle Feed Limited	Bhopal
5.	Madhya Pradesh Agro Pesticides Limited	Bhopal
6.	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (Bhopal) Limited	Bhopal
7.	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (Gwalior) Limited	Gwalior
8.	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (Indore) Limited	Indore
9.	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (Jabalpur) Limited	Jabalpur
10.	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (Raipur) Limited	Raipur
11.	Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (Rewa) Limited	Rewa
12.	Madhya Pradesh Export Corporation Limited	Bhopal
13.	Madhya Pradesh Film Development Corporation Limited	Bhopal
14.	Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hathkargha Vikas Nigam Limited	Bhopal
15.	Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited	Bhopal
16.	Madhya Pradesh Leather Development Corporation Limited	Bhopal
17.	Madhya Pradesh Pichhra Varg Tatha Alpsankhyak Vitta Evam Vikas Nigam	Bhopal
18.	Madhya Pradesh Police Housing Corporation Limited	Bhopal
19.	Madhya Pradesh Rajya Van Vikas Nigam Limited	Bhopal
20.	Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited	Bhopal
21.	Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited	Bhopal
22.	Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited	Bhopal
23.	Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation Limited	Bhopal
24.	Madhya Pradesh State Industries Corporation Limited	Bhopal
25.	Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	Bhopal
26.	Madhya Pradesh State Textile Corporation Limited	Bhopal
27.	Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation Limited	Bhopal
28.	Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited	Bhopal
29.	Optel Telecommunications Limited	Bhopal

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
30.	Rajiv Gandhi Primary Education Mission	Chhatarpur, Panna,- Datia, Satna, Tikamgarh
31.	State Economic Offences Investigation Bureau	Bhopal
32.	The Provident Investment Company Limited	Mumbai
33.	Vindhya Telelinks Ltd.	Rewa
Universities/ Deemed Universities/Institute of National Importance/Women S & T Universities		
Sl. No.	Name of the Institution	City
1.	Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya	Bhopal
2.	Awadhesh Pratap Singh University	Rewa
3.	Barkatullah University	Bhopal
4.	Chhindwara University	Chhindwara
5.	Devi Ahilya Vishwavidyalaya	Indore
6.	Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences	Mhow
7.	Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya (JNKVV)	Jabalpur
8.	Jiwaji Vishwavidyalaya	Gwalior
9.	M.P. Bhoj (Open) University	Bhopal
10.	Madhya Pradesh Medical Science University	Jabalpur
11.	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya	Chhatarpur
12.	Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya	Katni
13.	Maharishi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya, Ujjain	Ujjain
14.	Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya	Chitrakoot
15.	Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita -National University of Journalism	Bhopal
16.	Nanaji Deshmukh Veterinary Science University	Jabalpur
17.	Pandit S.N. Shukla University	Shahdol
18.	Raja Mansingh Tomar Music & Arts University	Gwalior
19.	Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya	Bhopal

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
20.	Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwavidyalaya (RVSKVV)	Gwalior
21.	Rani Durgavati Vishwavidyalaya	Jabalpur
22.	Sanchi University of Buddhist- Indic Studies	Sanchi
23.	Vikram University	Ujjain
24.	Aisect University / Rabindranath Tagore University	Bhopal
25.	AKS University	Satna
26.	Amity University	Gwalior
27.	Avantika University	Ujjain
28.	Bhabha University	Bhopal
29.	Dr. A.P.J. Abdul KalamUniversity	Indore
30.	Dr. C.V. Raman University	Khandwa
31.	Eklavya University	Damoh
32.	G H Raisoni University	Chhindwara
33.	I.E.S. University	Bhopal
34.	ITM University	Gwalior
35.	Jagran Lake City University	Bhopal
36.	Jaypee University of Engineering and Technology	Guna
37.	LNCT University	Bhopal
38.	Madhyanchal Professional University	Bhopal
39.	Malwanchal University	Indore
40.	Mandsaur University	Mandsaur
41.	Mansarovar Global University	Bhopal
42.	Medi-Caps University	Indore
43.	Oriental University	Indore
44.	People's University	Bhopal
45.	PK University	Shivpuri
46.	Renaissance University	Indore

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
47.	RKDF University	Bhopal
48.	Sage University	Bhopal
49.	Sage University	Indore
50.	Sardar Patel University	Balaghat
51.	Sarvepalli Radhakrishnan University (SRK) University	Bhopal
52.	Shri Krishna University	Chattarpur
53.	Shri Vaishnav Vidyapeeth University	Indore
54.	Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences	Sehore
55.	SVN University	Sagar
56.	Swami Vivekanand University	Sagar
57.	Symbiosis University of Applied Sciences	Indore
58.	Techno Global University	Vidisha
59.	VIT Bhopal University	Sehore
60.	Lakshmi Bai National Institute of Physical Education	Gwalior
61.	All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)	Bhopal
62.	Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management	Gwalior
63.	Birla Research Institute for Applied Sciences	Nagda, Ujjain
64.	Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)	Bhopal
65.	Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya Sagar (A Central University)	Sagar
66.	H.K. Kalchuri Education Trust	Bhopal
67.	Indian Institute of Forest Management	Bhopal
68.	Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing	Jabalpur
69.	Indian Institute of Science Education and Research	Bhopal
70.	Indian Institute of Technology	Indore
71.	Indira Gandhi National Tribal University	Amarkantak
72.	International Institute of Waste Management	Bhopal

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
73.	Maulana Azad National Institute of Technology	Bhopal
74.	National Law University	Bhopal
75.	Sambhavna Trust Clinic	Bhopal
76.	School of Planning and Architecture	Bhopal
77.	Society for Institute of Development Management	Bhopal
78.	Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences	Indore
79.	Sri Shyam Sundar 'Shyam' Institute of Public Cooperation and Community Development	Bhopal
80.	UGC-DAE Consortium for Scientific Research	Khandwa
81.	Ujjain Charitable Trust Hospital & Research Centre	Ujjain
Scientific and Industrial Research Organization (SIROs)		
Sl. No.	Name of the Institution	City
1.	B.R. Nahata College of Pharmacy	Mandsaur
2.	Birla Research Institute for Applied Sciences	Ujjain
3.	H.K. Kalchuri Education Trust	Bhopal
4.	International Institute of Waste Management	Bhopal
5.	Sambhavna Trust Clinic	Bhopal
6.	Society for Institute of Development Management Bhopal	Bhopal
7.	Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences	Indore
8.	Sri Shyam Sundar 'Shyam' Institute of Public Cooperation and Community Development	Bhopal
9.	UGC-DAE Consortium for Scientific Research	Indore
10.	Ujjain Charitable Trust Hospital & Research Centre	Ujjain
DSIR registered Private Sector R&D		
Sl. No.	Name of the Institution	City
1.	Aartech Solonics Ltd.	Bhopal
2.	D & H India Ltd.	Indore
3.	D and H Secheron Electrodes Ltd.	Indore

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
4.	Eagle Seeds & Biotech Ltd.	Indore
5.	Eicher Motors Ltd.	Dhar
6.	G G Automotive Gears Ltd.	Dewas
7.	Gajra Gears Ltd.	Dewas
8.	Grasim Industries Ltd.	Neemuch
9.	Indore Biotech Inputs and Research Pvt. Ltd.	Indore
10.	ITL Industries Ltd.	Indore
11.	Kilpest India Ltd.	Bhopal
12.	Maan Aluminium Ltd.	Dhar
13.	Mahakoshal Refractories Pvt. Ltd.	Katni
14.	Malav Seeds Pvt Ltd.	Indore
15.	Malwa Oxygen & Industrial Gases Pvt Ltd.	Ratlam
16.	Medilux Laboratories Pvt. Ltd.	Pithampur
17.	Narmada Gelatines Ltd. Jabalpur	Jabalpur
18.	Neo Corp International Ltd.	Dhar
19.	Nivo Controls Pvt. Ltd.	Indore
20.	Permalii Wallace Ltd.	Bhopal
21.	Pinnacle Industries Ltd.	Dhar
22.	Ruchi Hi-Rich Seeds Pvt. Ltd.	Ujjain
23.	Scientific Mes-Technik Pvt. Ltd.	Indore
24.	Shakti Pumps (India) Ltd.	Pithampur
25.	Shree Pacetronix Ltd.	Pithampur
26.	Symbiotec Pharmalab Ltd.	Indore
27.	Tafe Motors and Tractors Ltd.	Raisen
28.	Tata International Ltd.	Dewas
29.	Tropilite Foods Pvt. Ltd.	Gwalior
30.	Universal Cables Ltd.	Satna

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
CMIE database Private Sector R&D Unit		
Sl. N.o	Name of the Institution	City
1.	Amsar Pvt. Ltd.	Indore
2.	Aristo Pharmceuticals Pvt. Ltd.	Bhopal
3.	Avtec Ltd.	Dhar
4.	Bisen Biotech and Biopharma Pvt. Ltd.	Gwalior
5.	Cummins Technologies India Pvt. Ltd.	Dewas
6.	Dwekam Electrodes Ltd.	Indore
7.	Endo Labs Ltd.	Indore
8.	Enercon Systems Pvt. Ltd.	Indore
9.	Flexituff International Ltd.	Dhar
10.	General Foods Ltd.	Indore
11.	Gwalior Sugar Co. Ltd.	Gwalior
12.	H E G Ltd. Bhopal	Bhopal
13.	I T L Industries Ltd.	Indore
14.	Impetus Infotech (India) Pvt. Ltd.	Indore
15.	Indore Colour Organics Ltd.	Indore
16.	Karan Industries Ltd.	Bhopal
17.	Kissan Products Ltd.	Indore
18.	Mahle Engine Components India Pvt. Ltd.	Pithampur
19.	Medilux Laboratories Pvt. Ltd.	Dhar
20.	Michigan Rubber (India) Ltd.	Betul
21.	Neo Corp International Ltd.	Pithampur
22.	Nikhil Sugar Ltd.	Harda
23.	Orient Paper Mills	Shahdol
24.	Panjon Pharma Ltd.	Indore
25.	Plethico Pharmaceuticals Ltd.	Indore

Central Government Institutes		
Sl.No.	Name of the Institution	City
26.	Porwal Auto Components Ltd.	Pithampur
27.	Rajratan Global Wire Ltd.	Indore
28.	Rajratan Gustav Wolf Ltd.	Indore
29.	S T I Sanoh India Ltd.	Dewas
30.	Shree Pacetronix Ltd.	Dhar
31.	Shree Synthetics Ltd.	Ujjain
32.	Shriji Polymers India Ltd.	Ujjain
33.	Sonic Biochem Extractions Pvt. Ltd.	Indore
34.	Surya Agroils Ltd.	Bhopal
35.	Uniworks Business Solutions Pvt. Ltd.	Bhopal
36.	Vippy Industries Ltd.	Dewas

संदर्भ

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग. (2022). वार्षिक रिपोर्ट 2021-22. भोपाल: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार.
- डीएसटी. (2022). कोम्प्यूटरीयम ऑफ स्टेट लेवल एसटीआई ईकोसिस्टम. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार.
- अटल इनोवेशन मिशन. (2023). भारत में कार्यरत अटल टिंकरिंग लैब्स की सूची. नई दिल्ली: नीति आयोग.
- उद्योग और अंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग. (2024). उद्योग और अंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग. नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार.
- एमपीसीएसटी. (2024). मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश सरकार.
- मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम. (2024). एमपीएसईडीसी. भोपाल: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- एमएसएमई. (2023). सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- पीआईबी. (2022). प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार. पीआईबी, भारत सरकार, 2022. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार.
- वित्त विभाग. (2023). भोपाल : वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

अध्याय 15

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था

अध्याय-15

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था

जहां धर्म संस्कृति का आधार है, वहीं संस्कृति धर्म की संवाहिका है। दोनों ही अपने अपने परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के निर्माण एवं राष्ट्रीयता के संरक्षण में सहायक सिद्ध होते हैं। जहां धर्म अपनी स्वाभाविकता के साथ सामाजिक परिवेष का आधार बनता है, वहीं संस्कृति सामाजिक मूल्यों का स्थायी निर्माण करती है। सामाजिक मूल्य सामान्य परिस्थितियों में विकास का आधार बनते हैं एवं आपात स्थितियों में समाज को एकजुट रखकर राष्ट्र कि आंतरिक सुरक्षा का आधार होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आर्थिक - सामाजिक सिद्धांत एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद और अंत्योदय के विचारों से ओतप्रोत नीति निर्धारकों द्वारा आनंद और खुशहाली को अपने हृदय में रखते हुए इस अतुलित विकास रथ को आगे बढ़ाया। इस तथ्य का अनुभव किया गया कि भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही अधिक कारगर वैचारिक उपकरण हो सकता है चाहे प्रश्न राजनीति का हो अथवा अर्थव्यवस्था का हमारी परंपरा और संस्कृति हमे यह बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का पिंड नहीं है अपितु एक आध्यात्मिक तत्व है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एकात्म अर्थनीति का प्रतिपादन किया गया था। एकात्मक अर्थनीति से तात्पर्य ऐसी अर्थनीति से है, जो आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित ना होकर जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनाने के लिए समग्र पहलुओं को दिशा निर्देशित करती है।

मध्यप्रदेश राज्य बहुभाषिक और सांस्कृतिक बहुलता का राज्य है, यहीं राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की पहचान भी है। मध्यप्रदेश में 21 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय समाज की है, जनजातीय संस्कृति एवं जनजातीय लोगों का आनंद का मॉडल मध्यप्रदेश को एक अलग स्थान दिलाता है। मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्मों की मान्यताओं, उनकी आध्यात्मिक विचारधाराओं और उनके पवित्र स्थानों से बनी है। प्रदेश में श्री महाकाल लोक की स्थापना के पश्चात तीर्थ यात्रियों की संख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि इस बात का परिचायक थी कि संस्कृति अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। इस लोक के निर्माण से मध्यप्रदेश में धार्मिक पर्यटन की वृद्धि होने से निकटस्थ क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के अवसर भी निर्मित हुए हैं। ओंकारेश्वर में 'एकात्म-धाम', अद्वैत और एकात्मवाद के सिद्धांत तथा दक्षिण से लेकर उत्तर तक संस्कृति के पदचिन्हों के दर्शन के रूप में स्थापित किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा सलकनपुर में 'श्री देवी महालोक', सागर में 'संत रविदास स्मारक', ओरछा में 'श्री रामराजा लोक', चित्रकूट में 'दिव्य वनवासी राम लोक' के निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 के बजटमें 358 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई थी। छिंदवाड़ा जिले के सौंसर विकासखण्ड में प्रसिद्ध जाम सावली हनुमान मंदिर में हनुमान लोक की आधारशिला रखी गई है।

इसके अतिरिक्त भारत भवन में कलाग्राम, रामपायली- बालाघाट में डॉ. केशव हेडगेवार संग्रहालय, ग्वालियर में हिन्दी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना प्रस्तावित है।

मान्यताओं के अनुसार श्री राम के वनवास का अधिकांश समय मध्यप्रदेश के चित्रकूट में व्यतीत हुआ था एवं वन गमन पथ का एक बड़ा हिस्सा मध्यप्रदेश में स्थित है। अयोध्या, चित्रकूट और अमरकंटक को सरकार द्वारा सँवारने का निर्णय लिया गया है। कामतानाथ परिक्रमा पथ सहित राम वन गमन पथ के विकास के कार्य हेतु श्री

राम चंद्र न्यास के अध्यक्ष एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कि अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया जा चुका है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह के संस्कृति मंत्री 30 जुलाई 2020 को इतिहास में पहली बार स्थायी सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए संस्कृति को एक प्रमुख इंजन के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुए थे। प्रदेश द्वारा सांस्कृतिक विकास के माध्यम से प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं पर्यटन में वृद्धि को लक्षित करते हुए कार्य किया जा रहा है।

15.1 सांस्कृतिक धरोहरों का अर्थव्यवस्था से संबंध

सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र नौकरियों और आय का एक महत्वपूर्ण लोत हैं, और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्लावन प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, प्लावन प्रभाव के उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक धरोहरों में निवेश द्वारा एक दूसरे अन्य सेक्टरों पर्यटन के विकास को गति दी जा सकती है। यद्यपि सांकृतिक निवेश आर्थिक प्रभावों से परे है तथापि इसके द्वारा सामाजिक समावेशन और स्थानीय सामाजिक पूँजी का विकास, स्वास्थ्य और सुमंगलम प्राप्त करने के रूप में उनके महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव भी हैं। हालांकि, अभी ऐसे आंकड़ों की अनुपलब्धता है जो संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्र में निवेश के पूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को प्रकट करती हो, किन्तु इस दिशा में किए जा रहे कार्य में निरन्तरता लाकर शीघ्र ही इसके सामाजिक प्रभाव मापन हेतु पद्धति विकसित की जा सकती है। उस पद्धति के विकास के लिए कुछ प्रयोग होना चाहिए और वह प्रयोग मध्यप्रदेश द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर जैसे जनजातीय समाज, हमारे धार्मिक स्थलों का विकास, आध्यात्मिक उन्नति आदि प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

समय की आवश्यकता है कि:-

- संस्कृति को समाजार्थिक (socio-economic) निवेश के रूप में देखा जाए और इसे व्यय समझने की मानसिकता से ऊपर उठा जाए। नीतियों के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म निर्मित किया जाए जिसका प्रयोग रचनात्मक युवा एवं अन्य व्यवसायी अथवा पेशेवर लोग रोजगार, नवाचार तथा व्यापार वृद्धि हेतु कर सकें।
- संस्कृति को सामाजिक सामंजस्य, नवाचार, स्वास्थ्य और सुमंगलम, पर्यावरण और सतत स्थानीय विकास के माध्यम से व्यापक नीति एजेंडे के अभिन्न अंग के रूप में मुख्यधारा में लाया जाए।
- संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र में निवेश आर्थिक विकास, सामाजिक एकजुटता तथा स्थायित्व को आगे ले जाने वाला कारक है इस सोच को स्थापित करने तथा तथ्यपरक निर्णयों हेतु इस क्षेत्र के लिए उचित सांख्यिकीय व्यवस्था विकसित की जाए।
- संस्कृति का व्यापक रूप से सामाजार्थिक विकास नीतियों से एकीकरण किया जाए जो सतत विकास के लक्ष्यों के साथ संरेखित हो।

15.2 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

विभाग के विभिन्न कार्य निम्नानुसार हैं:-

- o भारत एवं मध्यप्रदेश की विविध संस्कृति के विकास के लिए सतत् प्रयास करना।
- o प्रदेश के सभी समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मैत्री और बंधुत्व की भाव विकास करने के लिए आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन एवं मध्यस्थिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना।
- o देश एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं नागरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आस्था-प्रणालियों की संत शक्ति का उपयोग करता। शासकीय देवस्थानों चल-अचल संपत्तियों का सुव्यवस्थित संधारण तथा धर्म स्थानों का संरक्षण। उपासना स्थलों की संपदाओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन। उपासना स्थलों की सामाजिक-सांस्कृतिक उपस्थिति को विकसित करना तथा उनमें प्रासंगिक विषयों पर प्रवचन आदि अध्यात्मपरक कार्यक्रम का आयोजन करना।
- o धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग से सामंजस्य पुजारियों/ सेवादारों/ मुजाविरों आदि के लिये मानदेय की व्यवस्था तथा उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण एवं प्रवर्तन।
- o धार्मिक एवं धर्मार्थ ट्रस्ट का प्रशासन।
- o उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहयोग से मंदिर उद्यानों एवं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से मंदिर सरोवरों का पुनरुद्धार।
- o माँ नर्मदा न्यास आदि विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं का विकास एवं प्रवर्तन।
- o शास्त्रों में उल्लेखित प्रदेश की पवित्र नदियों को जीवित इकाई बनाने के संबंध में कार्यवाही।
- o शासकीय धर्मस्थानों एवं अन्य धर्मों के ऐतिहासिक स्थानों के संधारण की कार्यवाही।
- o प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों एवं आयोजनों पर भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाओं पर सुझाव देना।
- o धर्मस्थलों की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए राजस्व विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के साथ समन्वय करना।
- o प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर चिन्हांकित तीर्थ स्थलों की यात्रा का प्रबंधन।
- o धार्मिक संस्थाएं।
- o लोक न्यास।
- o राज्य शासन के नियंत्रण तथा प्रबंध के अधीन धार्मिक संस्थाओं की भूमियों का प्रबंधन।
- o पुजारियों, महन्तों तथा कथा वाचकों की नियुक्ति, उनका हटाया जाना।
- o नगरों/शहरों/स्थानों को पवित्र घोषित करना तथा उनके विकास के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।

विभाग द्वारा निम्न क्षेत्रों को पवित्र नगरी/अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।

- 0 ओंकारेश्वर जिला खण्डवा
- 0 मण्डला नगर जिला मण्डला
- 0 पन्ना नगर जिला पन्ना
- 0 दतिया जिला दतिया
- 0 जबलपुर नगर (आस्था नगरी) जिला जबलपुर
- 0 चित्रकूट जिला सतना।
- 0 मैहर जिला सतना
- 0 सलकनपुर जिला सीहोर
- 0 अमरकंटक जिला अनूपपुर
- 0 महेश्वर जिला खरगौन
- 0 उज्जैन जिला उज्जैन
- 0 मुलताई जिला बैतूल
- 0 मण्डलेश्वर जिला खरगौन
- 0 पशुपति नाथ मंदिर जिला मंदसौर
- 0 ग्वारीघाट जिला जबलपुर
- 0 बरमान जिला नरसिंहपुर

15.2.1 अद्वैत एवं एकात्म कि प्रतिमा

भारत की पुरातन परंपरा एकात्मवाद से प्रभावित है, हम सब एक हैं, 'यह वसुंधरा हमारा परिवार है', हम इसी प्राचीन सिद्धांत का समावेश वर्तमान व्यवस्था में करना चाहते हैं। यह गर्व का विषय है कि एकात्मवाद और अद्वैत सिद्धांत की तपोभूमि मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केरल से आकर तप किया और नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कार्य किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बाँधा तथा समूचे विश्व को एकात्मता का संदेश दिया। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जड़, चेतन में आत्मिक एकता है इस संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि सारे प्राकृतिक संसाधन भी मनुष्य के समान ही महत्वपूर्ण हैं, यह सह अस्तित्व है जो हमें बचाए रखना है।

आचार्य शंकर के दर्शन लोकव्यापीकरण के उद्देश्य के साथ खण्डवा के ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैशिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण निर्माण पारंपरिक भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली में किया जा रहा है। यह प्रकल्प पर्यावरण अनुकूल होगा। अद्वैत लोक के साथ ही 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन नाम का एक संघन वन विकसित किया जा रहा है।

'एकात्म धाम' के अंतर्गत आचार्य शंकर की 108 फीट ऊँची 'एकात्मता की प्रतिमा', 'अद्वैत लोक' संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस प्रकल्प के प्रथम ऐतिहासिक चरण के रूप में एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह 108 फीट ऊँची बहुधातु की प्रतिमा है जिसमें आदि शंकराचार्य जी बाल स्वरूप में है।

ओंकारेश्वर खंडवा, आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है। यही उनको अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले और यहीं 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए स्थान किया। इसलिए ओंकारेश्वर के मान्धाता पर्वत पर 12 वर्ष के आचार्य शंकर की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। यह मूर्ति सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर द्वारा उकेरी गई है। मूर्ति हेतु बाल शंकर का चित्र मुंबई के विष्ण्यात चित्रकार श्री वासुदेव कामत द्वारा वर्ष 2018 में बनाया गया था। मूर्ति निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 में संपूर्ण मध्यप्रदेश में एकात्म यात्रा निकाली गई थी जिसके माध्यम से 27,000 ग्राम पंचायतों से मूर्ति निर्माण के लिए धातु संग्रहण जनजागरण का अभियान चलाया गया था।

शंकर संग्रहालय के अंतर्गत आचार्य शंकर के जीवन दर्शन व सनातन धर्म पर विभिन्न वीथिकाएँ, दीर्घाएँ, लेजर लाइट वॉटर साउंड शो, आचार्य शंकर के जीवन पर फिल्म, सृष्टि अद्वैत व्याख्या केंद्र, अद्वैत नर्मदा विहार, अन्नक्षेत्र, शंकर कलाग्राम आदि प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान के अंतर्गत दर्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा कला पर केंद्रित चार शोध केंद्रों के अलावा ग्रंथालय, विस्तार केंद्र तथा एक पारंपरिक गुरुकुल भी होगा।

इस एकात्मवाद और अद्वैत को आधुनिक समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, और ऐसे अन्य तत्वों के विघटनात्मक विचारों को रोकने में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर में ही हमारी समस्याओं के हल छुपे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि एकात्मता की धरोहर मानवता का संदेश देकर समाज को एकीकृत रखने में सहयोगी सिद्ध होगी।

15.2.3 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं अन्य यात्राएं

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 2012 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जो आयकर दाता नहीं है को चिह्नित तीर्थ स्थान की यात्रा कराने हेतु प्रारंभ की गई। वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन द्वारा तीर्थ दर्शन यात्रा संचालित करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है। वर्ष 2023 से नियमित विमान सेवा के वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा आरंभ करने वाला भी देश का प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत वर्ष 2012 से आज दिनांक तक 811 ट्रेनों का संचालन किया जाकर 8,00,624 यात्रियों को लाभांवित किया गया तथा कुल राशि रुपये 839.62 करोड़ का व्यय किया गया है। देश के 41 चयनित तीर्थ स्थानों के लिये प्रदेश के समस्त जिलों से वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार, रेल मंत्रालय के उपक्रम आई.आर.सी.टी.सी. लिमिटेड को अनुबंधित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के समस्त 52 जिलों को शामिल करते हुए आई.आर.सी.टी.सी. की भारत गैरव ट्रेनों द्वारा दिनांक 02/08/2023 से 15/10/2023 तक का तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम

जारी कर 29 देनों द्वारा प्रदेश के 18,480 तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई गई।

सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में उज्जैन जिले के तीर्थ यात्रियों को अनुदान हेतु रुपये 4.40 लाख बजट राशि आवंटित की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के प्रथमबार वायुयान द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई गई प्रथम चरण में 25 जिलों के लगभग 765 वरिष्ठ नागरिकों को इंदौर एवं भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज, गंगासागर, शिर्डी, एवं मथुरा-वृद्धावान की तीर्थ यात्राएं कराई गईं।

15.2.4. मंदिर जीर्णोद्धार एवं पुजारियों का मानदेय प्रदेश

शासन संधारित लगभग 179 मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया एवं जीर्णोद्धार प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में (31.3.2024 तक) कुल राशि रुपये 11.99 करोड़ का बजट आवंटित किया है।

शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के मानदेय हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में (31.3.2024 तक) कुल राशि रुपये 25.87 करोड़ के मानदेय के भुगतान हेतु आहरण किया जा चुका है।

15.2.5 मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण

मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण द्वारा तीर्थ स्थलों की सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन, उनकी उचित व्यवस्था, प्रबंध, पर्यवेक्षण तथा पोषण के उत्तरदायित्वों का निवहन किया जाता है। मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण द्वारा देश के 107 प्रमुख तीर्थ स्थल एवं 1585 अति प्रसिद्ध मेलों को पंजीबद्ध कर लिया गया है। जिनके सत्यापन का कार्य प्रगति पर है वर्तमान में लगभग 1520 मेले सत्यापित हो चुके हैं। 65 मेले सत्यापन हेतु शेष हैं। मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण द्वारा म.प्र. के तीर्थ स्थलों एवं अतिप्रसिद्ध मेलों की उचित व्यवस्था हेतु अनुदान कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाकर तीर्थ एवं मेलों के आयोजन/प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया जाता है। मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण द्वारा प्रमुख तीर्थ एवं मेलों के उचित प्रबंध हेतु वर्ष 2023-24 में आज दिनांक तक 32 तीर्थ मेलों हेतु राशि रुपए 265.83 लाख जारी की गई है।

मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित कार्य भी वर्तमान में प्रचलित हैं :-

- जिला शिवपुरी में स्थापित तीर्थ यात्री सेवा सदन का कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
- जिला निवाड़ी के ओरछा में निर्माणाधीन तीर्थ यात्री सेवा सदन के संचालन हेतु कलेक्टर जिला निवाड़ी को अधिकृत किया गया है।
- माता रत्नगढ़ मंदिर पर आयोजित मेलों में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु राशि रुपये 4.94 करोड़ की समग्र कार्य योजना का प्रारम्भ किया गया। जिसमें राशि रुपये 80.00 लाख का अनुदान जारी किया गया।

- चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर सत्संग भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई।
- जिला सतना के चित्रकूट में वनदेवी मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया।
- भादवा माता नीमच में राशि रूपये 30.00 लाख से तीर्थ यात्रियों के सुविधा हेतु भवन निर्माण किया जा रहा है।
- माता बगुलामुखी के प्रदेश में स्थित पवित्र स्थलों दतिया एवं नलखेड़ा में तीर्थ यात्री सेवा सदन एवं विश्रामगृह का संचालन जिला कलेक्टर की निगरानी में किया जा रहा है।
- प्रदेश के मेलों को प्रासंगिक बनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर मेलों के आयोजन में जनसहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु समस्त जिला कलेक्टरों का पत्र प्रेषित किये गए।
- मेलों के आयोजन में स्थानीय निकायों से कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गए। मेलों में स्थानीय संस्कृति एवं परम्पराओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए गये।

अन्य प्रस्तावित गतिविधियाः-

- प्रदेश में तीर्थ यात्रा आसान एवं सुविधाजनक हो इस हेतु तीर्थ यात्री विश्राम गृह, तीर्थ यात्री सेवा सदन आदि विकसित किये जाएंगे जहाँ तीर्थ यात्रियों को भोजन विश्राम की सुविधा प्रदान की जा सके।
- तीर्थों में आश्रम बनाये जाएंगे जहाँ आध्यात्मिक शांति, सात्त्विक अनुभूति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की जा सके।
- तीर्थों में नदियाँ स्वच्छ रहे उनका बहाव अनवरत रहे, घाट सुन्दर, स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो।
- प्रदेश के प्रमुख ऋषियों की तपोभूमि का संरक्षण एवं विकास कार्य।
- ओंकारेश्वर परिक्रम पथ का विकास कार्य।

15.3 राज्य आनंद संस्थान के प्रयास

सरकार द्वारा वर्ष 2016 में गठित किए गए आनंद विभाग के अंतर्गत गठित आनंद संस्थान द्वारा भौतिक प्रगति के पैमाने से आगे बढ़कर आनंद के मापकों को भी समझा जाए तथा उनको बढ़ाने के लिए सुसंगत प्रयास किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यहाँ इस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके माध्यम से राज्य के नागरिकों की मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है (राज्य आनंद संस्थान, 2022)।

आनंद उत्सव

“आनंद उत्सव” जीवंत सामुदायिक जीवन, नागरिकों के जीवन में आनंद का संचार करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये प्रतिवर्ष दिनांक 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव मनाया जाता है।

आनंद उत्सव का उद्देश्य नागरिकों में सहभागिता एवं उत्साह को बढ़ाने के लिये समूह स्तर पर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है। आनंद उत्सव की मूल भावना प्रतिस्पर्धा नहीं अपितु खेल भवना है। आनंद उत्सव, नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। आनंद उत्सव में प्रमुख रूप से स्थानीय तौर पर प्रचलित परम्परागत खेलकूद जैसे- कबड्डी, खोखो, बोरा रेस, रस्सा कसी, चेयर रेस, पिट्ठू, सितोलिया, चम्च दौड़, नीबू दौड़ आदि तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोक संगीत, नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन, नाटक आदि एवं स्थानीय स्तर पर तय अन्य कार्यक्रम किये जाते हैं।

आनंद उत्सव का आयोजन इस तरह से किया जाता है कि समारोह की गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों के यथा पुरुष, महिला, सभी आयु वर्ग के नागरिक, दिव्यांग आदि शामिल हो सकें। इस कार्यक्रम में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरुषों, दिव्यांगों एवं बुजुर्गों की विशेष सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये आनंद उत्सव के कार्यक्रमों में उनके अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 तथा 2023 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए आनंद उत्सव के कार्यक्रमों में कुल पंजीयन संख्या क्रमशः 5186 तथा 10543 रही।

आनंदम

दूसरों की निस्वार्थ सहायता करना तथा उसके लिए आगे बढ़कर त्याग करने का भाव भारतीय संस्कृति का आधार है। सहायता करने के अनेक तरीके हो सकते हैं उदाहरणातः घरों में ऐसा बहुत सा समान होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती ऐसे समान हेतु संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे मटद करने का एजेंडा प्रभावी हो सके हैं। इसी बात को ध्यान में आनंदम कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा घरेलू सामान, जिसकी आवश्यकता न हो, उसे व्यक्ति एक निश्चित स्थल पर रख दे तथा जिसे जरूरत हो वह वहां से बिना किसी से पूछे ले जा सके। आनंदम की यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में हर जिले में समाज सेवी तथा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से आरंभ की गई है।

सभी जिलों में आनंदम कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के, सहयोग से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस प्रकार के 172 आनंदम केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

आनंद सभा

इन सत्रों में विद्यार्थी किसी विषय वस्तु की पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि वह ऐसी गतिविधियां करेंगे जिनसे उनमें जीवन के कठिपय महत्वपूर्ण आयामों की समझ विकसित होगी। ऐसे सत्रों को आनंद सभा का नाम दिया गया है। क्षमा मांगने एवं क्षमा करने के महत्व को समझना, प्रकृति एवं समाज के प्रति उत्तरदायी बनना, दूसरों की सहायता करना, कृतज्ञता का अनुभव करना, संकल्प की शक्ति का उपयोग करना आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें सकारात्मक प्रयोग के माध्यम से अनुभव में लाया जा सकता है। एक बार यह अनुभव में आ जाए तो विद्यार्थी का भीतरी रूपांतरण संभव है।

अल्प विराम

शासकीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। इसका लोक सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा प्रदाय से सीधा संबंध है। भौतिक सुविधाएं तथा

समृद्धि अकेले आनंदपूर्ण मनोस्थिति का कारक नहीं होती यह आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों का दृष्टिकोण जीवन की परिपूर्णता की मौलिक समझ पर आधारित हो राज्य आनंद संस्थान का यह प्रयास है कि ऐसे स्वयंसेवकों (आनंदकों) को तैयार किया जाए जो कार्यालय में उन्हें सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की आवश्यक विधियां उपलब्ध करा सकें। स्वयंसेवक निजी क्षेत्र से अथवा उसी कार्यालय के कर्मचारी हो सकते हैं। शासकीय सेवकों को उनके कार्यस्थल पर ही नियमित अंतराल पर ऐसे कार्यों तथा क्रियाओं में सम्मिलित किया जावे, जो उनके जीवन में आनंद का कारक बन सके। ऐसे कार्यक्रमों को "अल्प विराम" कहा जाता है। इस प्रयास के अंतर्गत अभी तक 109 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 में 272 अल्पविराम कार्यक्रमों में 12058 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। अभी तक कुल 1 लाख 47 हजार 218 प्रतिभागियों द्वारा इस कार्यक्रम का लाभ उठाया जा चुका है।

आनंद क्लब

आनंद क्लब की पहल इस विचार पर आधारित है कि ऐसे व्यक्ति/ आनंदक जो आनंदित रहना चाहते हैं पहले स्वयं आनंदमयी जीवन जीने का कौशल सीखें, उसका जीवन में अनुसरण करें एवं तत्पर्यात सामूहिक रूप से क्लब का गठन कर उसका अपने पड़ोस में प्रसार करें। "आनंदमयी जीवन" के दर्शन पर गहन विचार विमर्श / ज्ञान प्राप्त किए बिना सामान्य समझ एवं जागरूकता के आधार पर छोटे-छोटे कार्य कर एवं आदतें विकसित कर आनंदित रह सकते हैं। आगर आप ऐसा करने के इच्छुक हैं तो आप आनंद क्लब गठित करने की योग्यता रखते हैं। इस प्रयास में राज्य आनंद संस्थान द्वारा सहयोग, प्रशिक्षण आदि दिया जाता है।

मध्यप्रदेश की संस्कृति का मूल तत्व उसकी उदारता, समस्त आध्यात्मिक विचारों से निर्मित नैतिकता, खान-पान और वेशभूषा की विविधता तथा एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। संस्कृति ही स्वराज का प्राण तत्व है संस्कृति विहीन समाज और राष्ट्र पतन शीलता को उन्मुख होता है ईश्वर का संस्कृति से घनिष्ठ संबंध रहता है। स्वराज तभी साकार और सार्थक होगा जब वह अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन सकेगा एवं यही हमारा आनंद स्वराज होगा।


अध्याय 16

खेल एवं युवा कल्याण

अध्याय -16

खेल एवं युवा कल्याण

मध्यप्रदेश में युवाओं अर्थात् 15-29 वर्ष आयु वर्ग की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो राज्य की आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। मध्यप्रदेश को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए खेल और युवा कल्याण विभाग, म.प्र. ने वर्ष 2005 में ढांचा तैयार किया। विभाग ने विश्वस्तरीय खेल अकादमियों की कल्पना की और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2007 से उनकी स्थापना की। आज विभाग, शीर्ष श्रेणी के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को एक मंच देकर बेहतरीन खेल प्रशिक्षण का वातावरण प्रदान करता है और एथलीटों के सामरिक और तकनीकी कौशल को बढ़ाता है। विभाग का उद्देश्य राज्य और देश को अधिक से अधिक पदक और सम्मान दिलाना है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इनमें से खेल अकादमियों का संचालन, खेल अधोसंरचना का निर्माण, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तहत खेल पुरस्कार, खेलवृत्ति (छात्रवृत्ति), पदक अर्जित करने पर खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार व खेल संघों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रमुख है। विगत 5 वर्षों में किए गए बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।



चित्र 1 बजट विवरण

डेटा स्रोत – संचालनालय खेलकूद एवं युवा कल्याण से प्रदत्त सूचना

खेल अकादमियों का संचालन योजना अंतर्गत विभाग द्वारा 18 खेलों की 11 अकादमियां हॉकी (पुरुष व महिला), शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स (रोइंग, क्याकिंग-कैनोइंग, सेलिंग) मार्शल आर्ट अकादमी (जूड़ो, फेन्सिंग, ताईक्वांडो, बॉक्सिंग, कराते, कुश्ती) व एथलेटिक्स, एक्चाटिक्स व ट्रायथलॉन, बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी अकादमी व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। संचालित खेल अकादमियों व फीडर सेन्टर्स में 1266 खिलाड़ियों को ‘बोर्डिंग व डे-बोर्डिंग योजना’ अंतर्गत प्रवेश प्रदान कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल किट, उपकरण, प्रशिक्षण व खेल अधोसंचना उपलब्ध कराई जा रही है। खेल अकादमियों में 80 प्रतिशत खिलाड़ी म.प्र. के तथा अधिकतम 20 प्रतिशत खिलाड़ी अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को प्रवेश देने का प्रावधान है। उपरोक्त के अलावा जिला नरसिंहपुर में बालक खिलाड़ी हेतु खेल छात्रावास संचालित है, जिसमें प्रवेश संख्या 14 है।

16.1 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया गया है।

ओलम्पिक गेम्स:-

रियो ओलम्पिक 2016 में राज्य महिला हॉकी अकादमी की 7 महिला हॉकी खिलाड़ी एवं 1 एथलेटिक्स खिलाड़ी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

37 वर्षों के पश्चात टोक्यो ओलम्पिक 2020 जापान में मध्यप्रदेश खेल अकादमी के 10 खिलाड़ियों (पुरुष हॉकी 02, महिला हॉकी 05, शूटिंग 01 एवं पैरा ओलम्पिक 02) द्वारा देश का प्रतिनिधित्व किया गया, विवेक प्रसाद सागर एवं नीलाकांता शर्मा कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी दल के सदस्य रहे।

एशियन गेम्स:-

19वें एशियन गेम्स दिनांक 23 सितम्बर 2023 से 08 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किये गये एशियन गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत, 4 कांस्य (कुल 16 पदक) अर्जित कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। प्रमुख उपलब्धियाँ ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग 02 स्वर्ण, 01 रजत, 01 कांस्य, पूजा वस्त्रकार महिला क्रिकेट 01 स्वर्ण, सुदिप्ति हजेला (घुड़सवारी) 01 स्वर्ण, विवेक सागर प्रसाद पुरुष हॉकी, 01 स्वर्ण, आवेश खान (पुरुष क्रिकेट) 01 स्वर्ण पदक प्रमुख है। एशियन गेम्स में म.प्र. शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया।

पैरा एशियन गेम्स (क्याकिंग केनोइंग) में दिनांक 22/10/2023 से 28/10/2023 तक आयोजित किये गये जिसमें सुश्री प्राची यादव ने 01 स्वर्ण, 01 रजत एवं मनीष कौरव ने 01 कांस्य पदक एवं पिस्टल विधा की खिलाड़ी कु. रुबिना फ्रांसिस ने 01 कांस्य पदक प्राप्त किया।

16.1.1 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित उपलब्धियां

जूनियर एशियन केनो एवं पैरा केनो चैम्पियनशिप में दिनांक 22/04/2023 से 01/05/2023 तक समरकंद (उज्बेकिस्तान) में नितिन वर्मा ने 01 कांस्य, अर्जुन सिंह ने 01 स्वर्ण, 01 रजत, 01 कांस्य एवं नितिन वर्मा, कन्नन के.आर. रिमसन मैरेम्बम ने टीम इवेंट में 01 रजत, शिवानी वर्मा ने 02 स्वर्ण, 01 रजत पदक प्राप्त किये।

एशियन केनो स्लालम जूनियर एवं अण्डर 23 चैम्पियनशिप ओपन आईसीएफ रैकिंग प्रतियोगिता में दिनांक 19/05/2023 से 21/05/2023 तक रेयांग (थाईलैण्ड) में कु. शिखा चौहान, भूमि बघेल ने टीम इवेंट में 01 कांस्य एवं कु. आहना यादव ने 01 कांस्य पदक प्राप्त किया।

अण्डर 23 एशियन केनो एवं पैरा केनो चैम्पियनशिप में दिनांक 22/04/2023 से 01/05/2023 तक समरकंद (उज्बेकिस्तान) में अर्जुन सिंह, नीरज वर्मा ने टीम इवेंट में 02 रजत, सुश्री प्राची यादव ने पैरा केनो इवेंट में 03 स्वर्ण, 01 रजत एवं मनीष कौरव ने पैरा केनो इवेंट में 02 स्वर्ण पदक प्राप्त किये।

अन्य भागीदारी एवं पदक के विवरण निम्नलिखित हैं -

तालिका 1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित अन्य उपलब्धियां

क्र	प्रतियोगिता	दिनांक	स्थान	खिलाड़ी	पुरस्कार/उपलब्धि
1	एशियन चैम्पियनशिप	2023	कजाकिस्तान	श्री भव्य सिंह	भागीदारी फेसिंग (ईपी)
2	एशियन चैम्पियनशिप	2023	चीन	श्री शंकर पांडे	12वी रँक फेसिंग (ईपी)
3	एशियन चैम्पियनशिप	22/10/2023 – 02/11/2023	लोनाटो ईटली	श्री रितुराज सिंह बुदेला	टीम इवेंट 1 स्वर्ण शाट्टन
4	एशियन चैम्पियनशिप	22/10/2023 – 02/11/2023	लोनाटो ईटली	कु. मनीषा कीर	मिक्स टीम 1 स्वर्ण शाट्टन
5	आईओडीए ऑस्ट्रिमिस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप	15/06/2023 – 25/06/2023	कोस्टा बरावा (स्पेन)	श्री एकलव्य बाथम, कु. शंगुन झा एवं कु. आस्था पाण्डे	भागीदारी
6	11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप	23/10/2023 – 04/11/2023	जोहर बाहरु (मलेशिया)	अब्दुल अहद	1 कांस्य पदक
7	74वां अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टुर्नामेंट स्टेन्जा कप	18/2/2023 – 27/02/2023	सोफिया, बुल्गारिया	श्रुति यादव	1 कांस्य पदक
8	अंतर्राष्ट्रीय वूमेन बॉक्सिंग टूर्नामेंट	05/09/2023 – 10/09/2023	बॉस्निया, हर्जेगोविना	जिज्ञासा राजपूत	1 स्वर्ण पदक
9	यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग कॉमिटिशन (केटेगरी ए)	03/03/2024 -11/03/2024	बुडवा, मांटेनेग्रो	अंजली सिंह	1 रजत पदक
10	अंडर- 20 जूनियर एशियन कुश्ती प्रतियोगिता	12/07/2023 -20/07/2023	अमान, जोर्डन	प्रियांशी प्रजापत	1 कांस्य पदक
11	वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023	2023	इटली	शंकर पांडे	भागीदारी

क्र	प्रतियोगिता	दिनांक	स्थान	खिलाड़ी	पुरस्कार/उपलब्धि
12	वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स	2023	चीन	अंकित	फेसिंग (ईपी), भागीदारी
13	जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप	2023	यू.ए.ई.	आर्यन सेन	फेसिंग (ईपी), भागीदारी
14	वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप	22/05/2023 – 31/05/2023	चैंगवान, साउथ कोरिया	रघिना फ्रासिंस	2 कांस्य पदक पिस्टल विधा
15	एफईआई इवेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय सी.सी.आई. 1 इवेंटिंग (व्यक्तिगत)	01/10/2023 – 04/10/2023	जयपुर	फराज खान	स्वर्ण पदक
16		07/02/2023 -12/02/2023	बैंगलुरु	फराज खान	स्वर्ण पदक
17	प्रीनोविज इवेंटिंग आयरलैंड (व्यक्तिगत)	14/01/2023 – 15/01/2023	बेलफास्ट, यू.के.	भोलु परमार	स्वर्ण पदक
18	सी.सी.एन. वन स्टार इवेंटिंग	07/04/2023 – 08/04/2023	ग्रोइस वोइस पेरिस फ्रांस	राजू सिंह	स्वर्ण पदक
19	एफ.ई.आई. इवेंटिंग विश्व चैलेंज, श्रेणी-ए (व्यक्तिगत)	31/10/2023 – 02/11/2023	ए पी आर सी दिल्ली	राजू सिंह	रजत पदक
20	एफ.ई.आई. ड्रेसाज विश्व चैलेंज 2023 सीनियर 1 श्रेणी (व्यक्तिगत)	07/11/2023 – 08/11/2023	जयपुर	भोलु परमार	स्वर्ण पदक
21	एफ.ई.आई. ड्रेसाज विश्व चैलेंज यूथ श्रेणी (व्यक्तिगत)	07/11/2023 – 08/11/2023	जयपुर	मो. हमज़ाअखिल	स्वर्ण पदक
22	एफ.ई.आई. जम्पिंग विश्व चैलेंज, श्रेणी सी (व्यक्तिगत)	12/11/2023 – 21/11/2023	जयपुर	भोलु परमार	स्वर्ण पदक
23	एफ.ई.आई. जम्पिंग विश्व चैलेंज 2023 प्रतियोगिता – 3 श्रेणी सी (व्यक्तिगत)	12/11/2023 – 21/11/2023	जयपुर	राजू सिंह	रजत पदक
24	एशिया कप स्टेज - 2, (व्यक्तिगत/दलीय विधा)	01/05/2023 – 03/05/2023	तशकेन्ट, उज्बेकिस्तान	रागिनी मार्को	02 स्वर्ण पदक प्राप्त कर एशिया कप चैम्पियन

क्र	प्रतियोगिता	दिनांक	स्थान	खिलाड़ी	पुरस्कार/उपलब्धि
25	100वीं एनीवर्सिरी स्पैनिश हॉकी फेडरेशन, टैरेसा	25/07/2023 – 30/07/2023	स्पैन	विवेक सागर प्रसाद, निलाकांता शर्मा	1 कांस्य पदक
26	11वीं सुल्तान ऑफ जोहर कप	27/10/2023 – 04/11/2023	जोहर बेरहु, मलेशिया	अब्दुल अहमद	1 कांस्य पदक
27	जूनियर 23 एशिया द्रायथलॉन चैम्पियनशिप	22/06/2023 – 26/06/2023	गामागोरी जापान	आदया सिंह	भागीदारी
28	यूआईपीएम लेजर रन वर्ल्ड चैम्पियनशिप	19/08/2023 – 21/08/2023	बाथ इंग्लैण्ड	रमा सोनकर, आदित्य कुशवाहा, यश बाथर	भागीदारी
29	इंडिया ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	17/06/2023 – 19/06/2023	नई दिल्ली	रुद्र प्रताप सिंह	1 स्वर्ण पदक कराते विधा
30	ए.के.एफ. कैडिट जूनियर एवं 21 वर्ष एशियन कराते प्रतियोगिता	05/11/2023 – 08/11/2023	अलमाटी (कजाकिस्तान)	राजवीर सिंह व रुषा ताम्बट	भागीदारी, कराते विधा
31	एस.ए.एफ. साउथ एशियन फेडरेशन कराते प्रतियोगिता	28/11/2023 – 03/12/2023	काठमांडू, नेपाल	राजवीर सिंह व रुषा ताम्बट	स्वर्ण पदक कराते विधा
32	12वीं एशियन जूनियर चैम्पि.	02/09/2023 – 04/09/2023	बेरुत, लेबनान	विधि कुशवाह	भागीदारी, ताईक्वांडो विधा

“भारतीय दल” द्वारा बैडमिंटन में 73 वर्षों बाद थोमस कप 2022 में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अर्जित किया गया, इसमें मध्यप्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ी प्रियांशु राजावत भी सदस्य थे।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में म.प्र. महिला हॉकी अकादमी की खिलाड़ी सुशीला चानू, रजनी, वंदना एवं मोनिका एवं म.प्र. पुरुष हॉकी अकादमी के खिलाड़ी विवेक प्रसाद सागर एवं नीलाकांता शर्मा तथा म.प्र. के श्री पागे, स्वीमिंग ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मध्यप्रदेश के तीन खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (शूटिंग), सुशीला चानू (हॉकी), प्राची यादव (व्याकिंग कैनोइंग) को अर्जुन पुरस्कार व हॉकी प्रशिक्षक शिवेन्द्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से दिनांक 09 जनवरी 2024 को सम्मानित किया गया। यह प्रथम अवसर है, जब मध्यप्रदेश के तीन खिलाड़ियों को एक साथ अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

16.1.2 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं

ओबेदुल्ला खां हेरिटेज हॉकी टूर्नामेन्ट का आयोजन दिनांक 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक भोपाल में किया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन दिनांक 06 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल में किया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन दिनांक 06 से 17 मई 2022 तक भोपाल में किया गया। मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग

अकादमी भोपाल में दिनांक 20 नवम्बर 2022 से 12 दिसम्बर 2022 तक 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। म.प्र. राज्य घुड़सवारी अकादमी, भोपाल में दिनांक 12 से 25 दिसम्बर 2022 तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। म.प्र. बॉक्सिंग अकादमी भोपाल में दिनांक 20 दिसम्बर 2022 से 26 दिसम्बर 2022 तक 6वीं राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। गोवा में सम्पन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा 37 स्वर्ण, 36 रजत तथा 39 कांस्य (कुल 112 पदक) हासिल कर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

16.2 युवा गतिविधियाँ

16.2.1 युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत व्ही.एल.सी.सी. भोपाल, भर्ती सूचना प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, आई.सी.आई.सी.आई. इन्दौर, आयशर वॉल्चो शिवपुरी, इंडसाइंड बैंकिंग स्किल शिवपुरी, गोल्ड जिम द्वारा 18,810 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया। आईसीआईसीआई इंदौर केंद्र 2015 से चलाया जा रहा है और इसमें अल्पकालीन प्रशिक्षण के साथ-साथ प्लेसमेंट भी प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त संयुक्त पहल/उद्यम युवाओं को प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रदान कर रहे हैं। तथा उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा पुलिस, सेना आदि में भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन भी किया जा रहा है।

विभाग द्वारा संचालित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्राप्त करने तथा रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी निम्नलिखित है -

तालिका 2 स्किल एकडेमी विवरण

क्र.	स्किल एकडेमी का नाम	स्थापना वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	व्ही.एल.सी.सी. भोपाल	2007	2012
2	भर्ती सूचना भोपाल	2010	2958
3	आईसीआईसीआई इंदौर	2015	14082
4	आयशर वॉल्चो शिवपुरी,	2016	162
5	इंडसाइंड बैंकिंग स्किल शिवपुरी,	2016	136
6	गोल्ड जिम भोपाल	2018	460
			कुल
			18810

खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का संचालन टी.टी.नगर स्टेडियम में वर्ष 2006-07 से किया जा रहा है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना विभाग द्वारा संचालित समस्त खेल अकादमियों को पूरा करता है। खेल विज्ञान विभिन्न तकनीकों की परस्पर क्रिया के साथ खेल और

मानव शरीर के बीच संबंधों का अध्ययन है। खेल विज्ञान यह पता लगाता है कि व्यायाम के दौरान स्वस्थ मानव शरीर कैसे काम करता है और कैसे खेल और शारीरिक गतिविधि सेलुलर से पूरे शरीर के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। खेल विज्ञान विभिन्न कुछ चुनिंदा राज्यों में है।

16.2.2 ग्रामीण युवा केन्द्र :-

युवाओं को सही मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से 51 जिलों के 313 विकासखण्डों में ग्रामीण युवा केन्द्र स्वीकृत है। प्रत्येक विकासखण्ड के ग्रामीण युवा केन्द्र में संविदा युवा समन्वयक का पद स्वीकृत है। ग्रामीण युवा केन्द्रों के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य दिवस, श्रम दिवस, तम्बाकू निषेध दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, सद्भावना दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हिन्दी दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस, विश्व महिला दिवस, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती (पराक्रम दिवस) का आयोजन किया जाता है तथा समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज/बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि के क्षेत्र में समाज को जागृत करने संबंधी कार्य किये जाते हैं।

प्रदेश के विकास खण्डों पर संचालित ग्रामीण युवा केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री यथा-हॉकी स्टीक, हॉकी बॉल, फुटबाल, व्हालीवाल आदि प्रदाय किये जाते हैं।


युवा उत्सव के तहत प्रतिवर्ष जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर 18 विधाओं में युवा कलाकार प्रतिभागिता करते हैं तथा राज्य स्तर पर विजेता दल राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2024 तक नासिक (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के 02 युवाओं को लोकगीत विद्या में द्वितीय व भाषण में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

16.2.3 मां तुझे प्रणाम योजना -

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं में देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागृति लाने, राष्ट्र के प्रति समर्पण, साहस की भावना जाग्रत करने एवं युवाओं को सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से “मां तुझे प्रणाम” योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी। 16 जनवरी 2013 को “युवा पंचायत” में की माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन द्वारा की गई घोषणा के पालन में म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा “मां तुझे प्रणाम” योजना प्रारंभ की गई।

योजनान्तर्गत प्रदेश के 15 से 25 वर्ष की आयु के 10 प्रतिभाशाली युवाओं (05 युवक एवं 05 युवतियाँ) जिसमें 01 एन.सी.सी., 01 एन.एस.एस., 01 खिलाड़ी, 01 मेधावी छात्र, 01 स्काउट क्षेत्र एवं इसी मान से युवतियों का चयन प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। अनुभव यात्रा हेतु आवेदक से विधिवत आवेदन पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र तथा फिटनेस सर्टिफिकेट प्रत्येक विकासखण्ड से प्राप्त कर जिला स्तर पर चयन किया जाता है। चयनित युवाओं को विभिन्न समूहों में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिये ले जाया जाता है एवं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीमावर्ती भूमि में

शहीदों को युवाओं द्वारा अपने निवास क्षेत्र से ले जाये गये जल से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा कर युवाओं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया गया है। युवाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के रहवासियों की मदद से उस क्षेत्र के पशुपालन, कृषि, व्यवसाय, उद्योग धंधे, सिंचाई सुविधायें, भौगोलिक विशेषतायें, संस्कृति, रीति-रिवाज, मान्यतायें, त्यौहार इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। युवाओं द्वारा सभी शहीदों के रक्त से सिंचित सीमा क्षेत्र की मिट्टी से स्वयं को व अपने ग्राम/नगर वासियों को भी तिलक किया जाता हैं और यात्रा की समाप्ति के पश्चात अपने रोमांचक अनुभव एवं अर्थपूर्ण जानकारियाँ अपने ग्राम/नगर व समाज के अन्य लोगों के साथ उत्साहपूर्वक साझा किये जाते हैं।



चित्र 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अनुभव यात्रा

खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित “मां तुझे प्रणाम” योजना में चयनित युवाओं को गृह निवास का यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, आवास, भोजन, स्थानीय यातायात व्यवस्था, बोगी का आरक्षण, ट्रैक सूट, टी-शर्ट, किट बैग उपलब्ध कराये जाते हैं। 72 सदस्यी दल अनुभव यात्रा पर भेजा जाता हैं, जिसमें 65 युवा, 05 विभागीय अधिकारी/कर्मचारी तथा 02 पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। योजना प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक प्रदेश के युवाओं को लेह-लद्दाख, कारगिल-द्रास, आर.एस.पुरा-जम्मू-कश्मीर, वाघा-हुसैनीवाला-पंजाब, तानोत माता का मंदिर-लोंगेवाल, बीकानेर, बाड़मेर-राजस्थान, कोच्चि-केरल, नाथूला-दर्रा-सिक्किम, तुरा-मेघालय, पेट्रापोल, जयगांव-पश्चिम बंगाल, अण्डमान-निकोबार, केवडिया-गुजरात एवं कन्याकुमारी-तमिलनाडु की अनुभव यात्रा कराई गई हैं। योजना प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक 15,516 युवक/युवती को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा/राष्ट्रीय स्मारकों की अनुभव यात्रा कराई जा चुकी है।

“मां तुझे प्रणाम” पाँच वर्ष हेतु भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अनुभव यात्रा पर भेजे गये युवक-युवतियों की जानकारी जनवरी 2024 की स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

16.3 मध्यप्रदेश खेल अधोसंरचना

भोपाल को स्पोर्ट्स हब तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम-नाथू बरखेड़ा, भोपाल में राशि रु. 985.76 करोड़ का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना निर्माण में मध्यप्रदेश राज्य अग्रणी राज्य की श्रेणी में है। प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 18 हॉकी टर्फ निर्मित हैं तथा 03 हॉकी टर्फ निर्माणाधीन हैं, इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 10 एथलेटिक्स सिंथेटिक निर्मित हैं। विभाग के स्वामित्व के 111 स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हैं तथा 45 निर्माणाधीन हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ के “पेट्रन स्टेट प्रोग्राम” के तहत प्रदेश में महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व प्रोत्साहन हेतु राशि रु. 97.00 करोड़ के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

16.4 मध्यप्रदेश खेल नवाचार

म.प्र. पुलिस में “स्पोर्ट्स कोटा” निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 सब इंस्पेक्टर व 50 कांस्टेबल की नियुक्ति की जायेगी।

प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जा रहा है तथा विदेशी प्रशिक्षक को भी आमंत्रित किया जा रहा है।

16.5 मध्यप्रदेश युवा नीति 2023

वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप, सशक्त बनाने उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देने तथा उन्हें एक राष्ट्रीय - अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने हेतु एक सार्थक मंच उपलब्ध कराने के लिए एक बहुआयामी नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जुलाई 2022 में आयोजित युवा महा पंचायत में भी युवाओं द्वारा एक समग्र तथा व्यापक नीति की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया गया। मध्यप्रदेश युवा नीति 2023, 10,000 से अधिक युवाओं की भागीदारी, सुझाव हेतु MyGov पोर्टल के उपयोग से 3,018 सुझाव, युवा महा पंचायत 2022 से प्राप्त सुझाव, देश के अन्य राज्यों की युवा नीति तथा मध्यप्रदेश राज्य युवा नीति 2008 इत्यादि के अध्ययन उपरांत तैयार किया गया है। यह नीति प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिया गया कदम है, जिसमें युवा एक अहम भूमिका निभाएंगे।

16.6 रेड रिबन क्लब

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत युवाओं को एचआईवी-एड्स के प्रति जागरूक करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति द्वारा एन.एस.एस. उच्चशिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के साथ समन्वय से प्रदेश में रेड रिबन क्लब संचालित किये जा रहे हैं। इन रेड रिबन क्लबों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एच.आई.वी. संक्रमण के विषय में जानकारी प्रदान कर उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण समिति द्वारा वर्तमान में प्रदेश के 700 शैक्षणिक संस्थानों में विशेषकर महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब संचालित किये जा रहे हैं। इन रेड रिबन क्लबों में युवाओं के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

रेड रिबन क्लबों का प्रमुख उद्देश्य छात्र-छात्राओं को-

- एच.आई.वी. एड़स के विषय में जागरूक करना तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- टीबी के बारे में जागरूक करना तथा
- स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना है।

इसके अंतर्गत महाविद्यालय के NSS कार्यक्रम अधिकारियों को ही रेड रिबन क्लब प्रभारी नामांकित किया गया है तथा वे समय-समय पर विभिन्न गतिविधियाँ जैसे तकनीकी सत्र आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे - पोस्टर मेकिंग, रील मेकिंग, फेस पेंटिंग, निबंध लेखन, नुक्कड़ नाटक, किंजि आदि का आयोजन कराते हैं साथ ही विशेष दिवसों जैसे राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन, विश्व एड़स दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, नशा निरोधक दिवस आदि अवसरों पर रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की जाती हैं। जिले स्तर, विश्व विद्यालय स्तर एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर किंजि प्रतियोगिता, मैराथन का आयोजन किया गया तथा इस वर्ष नुक्कड़ नाटक और रील मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी 700 रेड रिबन क्लब प्रभारियों हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराये गए हैं।

16.7 राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो/NSS)

राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो.) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की जारी केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, एवं राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में है। इसे स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। प्रत्येक रा.से.यो. युक्त संस्थान द्वारा रा.से.यो. गतिविधि के संचालन के लिए एक गांव/बस्ती को गोद लिया जाता है जिनमें रा.से.यो. नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर आयोजित किये जाते हैं।

16.7.1 एक परिचय

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना रा.से.यो. (एन.एस.एस.) इस आशय के साथ प्रारम्भ की गई कि उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व, चेतना, स्वप्रेरित अनुशासन के साथ श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो, विद्यार्थी अवकाश/ समय का सदुपयोग करने हेतु समाज सेवा करें तथा अपनी शिक्षा की पूर्णता हेतु वास्तविक परिस्थितियों से साक्षात्कार भी कर सकें। राष्ट्रीय सेवा योजना को देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। जिनका नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नामित संस्था के शिक्षक द्वारा किया जाता है। रासेयो नियमित गतिविधि अंतर्गत संस्था में अध्ययन के घंटों के उपरांत या अवकाश के दिनों में संस्था परिसर में/गोद लिए गये ग्राम व बस्ती में प्रत्येक स्वयंसेवक को एक वर्ष में न्यूनतम 120 घंटे अर्थात् दो वर्ष में 240 घंटे सामुदायिक सेवाएं देना होती हैं।

24 सितम्बर 1969 को देश के 37 विश्वविद्यालयों के 40,000 छात्र-छात्राओं के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग रासेयो प्रकोष्ठ के नियंत्रण में प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं एवं +2 विद्यालयों में संचालित यह योजना सत्र 2023-24 में देश के 40 लाख स्वयं सेवकों/प्रदेश के लगभग 2,00,000 स्वयं सेवकों को लेकर समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास की दिशा में अग्रसर है। मध्यप्रदेश का 2023-24 का वित्तीय इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 3 राष्ट्रीय सेवा योजना – विवरण

विवरण	वास्तविक रासेयो युक्त संस्थानों की संख्या	रासेयो युक्त इकाइयां (प्रति इकाई 100 स्वयंसेवक)		कुल इकाइयां
		महिला	पुरुष	
महा. संख्या	812	265	753	1018
विद्यालय +2	494	100	442	542
कुल	1306	365	1195	1560
विवरण	वास्तविक रासेयो युक्त संस्थानों की संख्या	रासेयो युक्त इकाइयां (प्रति इकाई 100 स्वयंसेवक)		कुल इकाइयां
रासेयो युक्त संस्थान (महाविद्यालय)	छात्र संख्या के अनुसार 484 पुरुष महाविद्यालय, 135 सह शिक्षा महाविद्यालयों में महिला इकाई, 81 महिला महाविद्यालय, 28 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 15 पोलीटेक्निक महा., 23 चिकित्सा महाविद्यालय, 13 कृषि महाविद्यालय, 09 विधि महा., 15 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में इकाइयां, 05 मुक्त इकाइयां, 02 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, 02 स्कूल ऑफ सोशल साइंस में इकाइयां 1,67,000 स्वयंसेवकों के पंजीयन के साथ संचालित हैं।			
रासेयो युक्त संस्थान (विद्यालय)	364 पुरुष विद्यालय, 30 सहशिक्षा विद्यालय, 65 महिला विद्यालय, 09 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं 26 नवोदय विद्यालय में इकाइयां संचालित हैं।			
स्ववित्तीय इकाइयां	लगभग 33,000 स्वयं सेवकों के पंजीयन के साथ 312 स्ववित्तीय इकाइयां हैं।			

16.7.2 राष्ट्रीय सेवा योजना : संरचना

- अ. **भारत सरकार** - युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नई दिल्ली सचिव युवा कार्यक्रम, संयुक्त सचिव युवा कार्यक्रम, रासेयो क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल।
 - आ. **राज्य सरकार** - मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं राज्य एनएसएस अधिकारी, रासेयो प्रकोष्ठ मंत्रालय
 - इ. **विश्वविद्यालय** - कुलपति, कुलसचिव के नियंत्रण में कार्यक्रम समन्वयक रासेयो प्रकोष्ठ
 - ई. **जिला स्तर** - रासेयो अंशकालीन जिला संगठक
 - उ. **संस्था स्तर** - प्राचार्य के नियंत्रण में कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वयंसेवक
- विशेष शिविर कार्यक्रम** - प्रत्येक रासेयो इकाई द्वारा अवकाश के दिनों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से कुछ विशेष परियोजनाओं को लेते हुए गोद ग्राम में 07 दिन का विशेष शिविर आयोजित करती है।

इकाई स्तर शिविर के बाद अन्य परिवर्तित शिविरों में स्वयंसेवकों की सहभागिता

जिला स्तर नेतृत्व शिविर, विश्वविद्यालय स्तर नेतृत्व शिविर, राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय एकता शिविर, मेंगा शिविर, साहसिक गतिविधि शिविर, युवा समागम, एवं पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर / गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा समागम।

पुरस्कार/प्रशस्ति

राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार एवं म.प्र. राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति

रासेयों गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा तथा राज्य स्तर पर म.प्र. राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति पांच श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार पांच श्रेणियों में स्वयंसेवक, संस्था/कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक, कार्यक्रम समन्वयक/विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदाय किये जाते हैं।

ए.बी.सी. पाठ्यक्रम एवं प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश में रासेयों के छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 1990-91 से प्रयोग के रूप में भारत सरकार द्वारा नियमित गतिविधियों के कार्यों को श्रेणीबद्ध करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दो वर्ष में 240 घण्टे कार्य पूर्ण करने पर +2 विद्यालय में ”ए” तथा महाविद्यालय के स्वयंसेवकों को ”बी” प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

”बी” प्रमाण पत्र प्राप्त स्वयंसेवकों द्वारा अगले एक वर्ष में 120 घण्टे का निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने तथा संबंधित विषय पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने पर परीक्षणोपरान्त ”सी” प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश के नवाचार

- मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर,
- स्वयंसेवक द्वारा नियमित गतिविधि में 240 घंटे सेवा कार्य पर श्रेणीबद्ध ए बी सी पाठ्यक्रम अनुसार प्रमाणपत्र वितरण,
- अनुभवी पूर्व कार्यक्रम अधिकारी की अंशकालीन जिला संगठक के रूप में नियुक्ति,
- मध्यप्रदेश राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति का वितरण प्रमुख हैं।
- राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक नियमित और विशेष शिविर से जुड़ी हुई गतिविधियों के माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं से जुड़े हुए सामाजिक महत्व के विषयों पर कार्य करते हैं जो प्रमुख रूप से निम्न हो सकते हैं:- साक्षरता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, आर्थिक विकास की गतिविधियां, आपदाओं के दौरान बचाव और राहत आदि।

16.7.3 राष्ट्रीय सेवा योजना का आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों के संचालन के लिए भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर हेतु अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां युवाओं को सामुदायिक सेवा से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करती हैं जिससे युवाओं में स्वयं के व्यक्तित्व व नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इसी के दृष्टिगत भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना को 15वें वित्त आयोग के चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान जारी रखते हुए अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी करते हुए नियमित गतिविधि हेतु रु. 250 प्रति विद्यार्थी से रु. 400 प्रति विद्यार्थी तथा सात दिवसीय शिविर हेतु रु. 450 प्रति विद्यार्थी से रु. 700 प्रति विद्यार्थी की बढ़ोत्तरी की है अर्थात् भारत सरकार द्वारा नियमित गतिविधि में 100 छात्र संख्या की इकाई पर रु. 40,000 तथा सात दिवसीय शिविर हेतु 100 छात्र संख्या की इकाई पर आधे स्वयं सेवक 50 स्वयंसेवक पर (रु. 700 प्रति स्वयंसेवक के मान से) रु. 35,000 प्रदान किया जाता है। मध्यप्रदेश को 2021-22 में 1,53,700 छात्र संख्या से बढ़ाकर 2022-23 से 1,56,000 विद्यार्थी संख्या आवंटित की गई है जिसके अनुसार नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर हेतु कुल रु. 11.70 करोड़ (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रुपये) की पात्रता है। उक्त अनुदान राशि निश्चित ही समाज सेवा गतिविधियों से स्वयंसेवकों को जोड़ने तथा इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन में महती भूमिका निभाने के साथ ही देश के सामाजिक व आर्थिक उन्नयन को गति प्रदान कर रही है। प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना युक्त संस्थाओं द्वारा लगभग 1,500 ग्राम गोद लिए गये हैं जिनमें की गई गतिविधियां उस ग्राम के आर्थिक व सामाजिक उन्नयन को गति प्रदान कर रही हैं।
- रासेयो द्वारा किया गया वृक्षारोपण पर्यावरण संवर्धन हेतु अनिवार्य है जो दीर्घकालीन आर्थिक गति का परिचायक है।
- रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण शिविर आदि ग्राम में सामुदायिक सेवा के साथ-साथ आर्थिक मजबूती भी प्रदान करते हैं।
- गोद ग्रामों में स्वयंसेवकों द्वारा श्रमदान के माध्यम से नाडेप, सोख्ता गढ़ा, मैदान समतलीकरण, तालाब गहरीकरण आदि स्थाई परिस्थिति निर्माण के साथ ही गांव को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं।
- 240 घंटे की सेवा उपरान्त स्वयंसेवकों को दिए जाने वाला भी प्रमाण पत्र तथा उसके उपरान्त सी प्रमाण पत्र निश्चित ही उनके कैरियर में महती भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार तथा म.प्र. राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार युवाओं द्वारा किये गये सेवा कार्यों को प्रमाणित करता है, जिससे अन्य युवा भी प्रभावित होकर पूर्ण उर्जा व लगन के साथ कार्य करते हैं जो सेवाएं देश व समाज को गति प्रदान करने के साथ ही आर्थिक गति प्रदान करती है।

तालिका 4 विगत तीन वर्षों की उपलब्धियां एवं बजट पात्रता

क्र.	विगत तीन वर्षों का आर्थिक तुलनात्मक अध्ययन			
	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
1	आवंटित विद्यार्थियों की संख्या	153700	156000	156000
2	बजट अनुदान पात्रता	11,52,75,000	11,70,00,000	11,70,00,000
3	गोद ग्राम	1441	1464	1499
4	वृक्षारोपण (पौधे की संख्या)	49307	85000	115200
5	रक्तदान यूनिट	7343	7100	8700
6	नेत्र, स्वास्थ्य, टीकाकरण शिविर	4255 शिविर 90547 स्वयंसेवकों की सहभागिता रही	510 शिविर 13,400 स्वयंसेवकों की सहभागिता रही	800 शिविर 20,300 स्वयंसेवकों की सहभागिता रही
7	श्रमदान	49,725 कार्यक्रमों में 6,67, 600 स्वयंसेवक घंटे	9500 कार्यक्रमों में 2,14,500 स्वयंसेवक घंटे	46000 कार्यक्रमों में 4,10,000 स्वयंसेवक घंटे
8	जन जागरूकता गतिविधियां	41,609 कार्यक्रमों में 7,93,010 स्वयंसेवक की सहभागिता रही	13,600 कार्यक्रमों में 5,12,400 स्वयंसेवक की सहभागिता रही	48,900 कार्यक्रमों में 15,41,100 स्वयंसेवक की सहभागिता रही
9	संस्था स्तर विशेष शिविर आयोजन	1063	920	607
10	महत्वपूर्ण दिवस गतिविधियां	05 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून योग दिवस, 24 सितम्बर रासेयो दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़, शपथ, 01 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 08 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि प्रतिवर्ष संस्था की रासेयो इकाइयों द्वारा पूरी गरिमा से मनाए जाते हैं।		
11	राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार	वर्ष 2023-24 में 02 स्वयंसेवकों को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा रासेयो के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदाय किया गया। इसी वर्ष 2023-24 में देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार स्वयंसेवकों के साथ ही आईईएचई संस्था/कार्यक्रम अधिकारी को प्रदाय किया गया। ये पुरस्कार सत्र 2021-22 की उपलब्धियों हेतु प्रदान किए गए हैं।		
12	म.प्र. रासेयो प्रकोष्ठ द्वारा अन्य संस्थानों के समन्वय से की जाने वाली गतिविधियां	नाको के सहयोग से म.प्र. राज्य एडस नियंत्रण समिति के साथ प्रदेश के महाविद्यालयों में 700 रेड रिबन क्लब संचालित हैं। यूनिसेफ के सहयोग से महाविद्यालयों में 350 बाल संरक्षण क्लब गठित किये गये हैं भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में रासेयो स्वयं सेवकों व कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित कर वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल बैंकिंग संदर्भित गतिविधियां। प्रदेश में शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग से रासेयो स्वयंसेवकों द्वारा सर्वे। मतदाता जागरूकता हेतु सभी महाविद्यालयों में कैम्पस एम्बेसडर।		

सत्र 2023-24 में भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय/राज्य शासन द्वारा आवंटित चुनिंदा विशेष कार्य

- मेरा भारत युवा पोर्टल पर अभी तक 1,20,000 युवाओं का पंजीयन हो चुका है।

- मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत प्रदेश की माटी की कलश यात्राएं तथा वाटिकाओं का निर्माण किया गया। इसमें 860 अमृत वाटिकाओं का निर्माण, 720 वीरों का वंदन, 850 प्रभात फेरियां, तथा 1,00,000 से अधिक लोगों द्वारा पंच प्रण शपथ ली गई।
- पुलिस विभाग के सहयोग से यातायात जागरूकता कार्य के साथ ही स्वयंसेवकों द्वारा इंटर्नशिप भी की जा रही है जिससे पुलिस विभाग के कार्य व बारीकियों का अध्ययन युवाओं द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र - छात्राओं के व्यक्तित्व विकास तथा देश के आर्थिक उन्नयन में महती भूमिका निभाने में अग्रणी रासेयो नियमित गतिविधि एवं सात दिवसीय विशेष शिविर में गतिविधियां संचालित की जाती हैं जैसे - संस्था परिसर व गोद ग्राम में साफ सफाई, प्रांगण विकास, वाटिका निर्माण, समग्र स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत के अनुरूप गतिविधियां संचालन, जल संवर्धन हेतु सोख्ता गड्ढे, स्टाप डेम, बोरी बंधान, जल रिचार्ज हेतु जागरूकता, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रचार-प्रसार, सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता, आपदा प्रबंधन, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल चलो अभियान, शाला त्यागी बच्चों को शाला में जाने हेतु प्रेरित करना, घट्टे लिंगानुपात की समस्या का समाधान, बाल संरक्षण व महिला सशक्तिकरण के प्रति जनजागरण इत्यादि। उपरोक्त सामुदायिक सेवा सम्बंधी गतिविधियां न सिर्फ स्वयं सेवकों के व्यक्तित्व को विकसित करती हैं बल्कि सामाजिक जन जागरूकता के साथ ही आर्थिक मजबूती प्रदान करती हैं।

निष्कर्षतया, खेल और युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन और संभावनाओं को समग्र रूप से बढ़ाने के प्रयास में व्यापक सुविधाएं और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रतिवर्ष विक्रम पुरस्कार प्राप्त करने वाले 10 खिलाड़ियों को शासकीय नियुक्ति प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार राज्य को और अधिक छ्याति दिलाने की महत्वाकांक्षा के साथ मध्यप्रदेश में खेलों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में शीघ्र “वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स” योजना शुरू की जाएगी जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिलों में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। मध्यप्रदेश के प्रचलित खेलों में शूटिंग, हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स एवं घुड़सवारी प्रमुख हैं। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। मध्यप्रदेश, राष्ट्र में खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में शीर्ष राज्यों में से एक है।

संदर्भ सूची

- खेल विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी दिनांक 18 जनवरी 2023, दिनांक 31 मई 2024, अद्यतन जानकारी 18 जून 2024 एवं सत्यापित जानकारी द्वारा ईमेल दिनांक 24 जून 2024/25 जून 2024
- राष्ट्रीय सेवा योजना/एनएनएस संदर्भित प्रेषित अद्यतन जानकारी दिनांक 26 अप्रैल 2024, एवं सत्यापित जानकारी द्वारा ईमेल दिनांक 24 जून 2024
- मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा रेड रिबन क्लब संदर्भित प्रदत्त जानकारी द्वारा ईमेल 19 फ़रवरी 2024
- मध्यप्रदेश युवा नीति 2023
- खेल एवं युवा कल्याण वेब पोर्टल (dsywmp.gov.in)
- Home | National Service Scheme (nss.gov.in)
- <https://www.mpsacsbs.org>

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में भागीदारी करने वाले मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के सदस्य

शोध टीम

क्र.	अध्याय	
1.	अर्थव्यवस्था की स्थिति	• श्री अच्युत राम जोशी, श्रीमती कोमल मिश्रा दुबे
2.	लोक वित्त	• श्री अच्युत राम जोशी, श्रीमती कोमल मिश्रा दुबे
3.	बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान	• डॉ. ईश गुप्ता, श्रीमती कोमल मिश्रा दुबे
4.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	• श्री कुमार रतन, डॉ. आकांक्षा चंद
5.	उद्योग, एम.एस.एम.ई और बुनियादी ढांचा	• श्रीमती सुमिता सोनी, श्री भानु बित्रा, श्री असित प्रकाश
6.	व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी	• श्री अम्यूदय झा, श्री भानु बित्रा
7.	नगरीय विकास	• श्री भानु बित्रा, श्री असित प्रकाश
8.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास	• श्री अमिय शंकर, श्री कन्हैया समाधिया, श्रीमती प्रशंसा दीक्षित, श्रीमती सुमिता सोनी
9.	स्वास्थ्य	• श्री विपुल सिंघल, श्री अमिय शंकर
10.	शिक्षा एवं कौशल विकास	• श्रीमती प्रशंसा दीक्षित, डॉ. ईश गुप्ता
11.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	• श्री अभिषेक मालवीय, श्री भानु बित्रा
12.	सामाजिक समावेश - अनुसूचित जाति/जनजाति	• श्री कुमार रतन, श्री कन्हैया समाधिया
13.	सुशासन	• श्री कन्हैया समाधिया, श्री कुमार रतन, श्री अभिषेक भार्गव
14.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	• डॉ. राजदीप सिंह, श्री अम्यूदय झा
15.	सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था	• श्री कन्हैया समाधिया, श्री अभिषेक भार्गव
16.	खेल एवं युवा कल्याण	• श्री अमिय शंकर, श्री कन्हैया समाधिया
	सम्पादन	• श्री कन्हैया समाधिया, डॉ. ईश गुप्ता, श्री कुमार रतन, श्री असित प्रकाश
	आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दल के सदस्य :	डॉ. व्ही.एस. धपानी - अपर संचालक एवं कार्यालय प्रमुख, श्री विश्वजीत रायकवार - संयुक्त संचालक, श्री सुनील कुमार कटारे - सहायक संचालक, श्री राजकुमार कड़वे - सहायक सांख्यिकी अधिकारी, श्रीमती संगीता बाथरी - अन्वेषक, सुश्री अदिति नेमा - अन्वेषक



आर्थिक एवं सांस्कृतिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

भूतल मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004

फोन : 0755-2551395

वेबसाइट : <http://des.mp.gov.in>, ई-मेल : des@mp.gov.in